ग, खंड 36, अंक 13

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2008
25 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 76
Dated 25 March 20 11

(खंड 35 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 13, मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2008/25 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
भारतीय क्रिकेट टीम को चेन्नई में इंग्लैण्ड के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच में उसके जीतने पर तथा भारतीय मुक्केबाजों को मास्को में आयोजित आई.बी.ए. वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक जीतने पर बधाई	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 244	2-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 260	36-107
अतारांकित प्रश्न संख्या 2453 से 2545, 2547 से 2631 और 2633 से 2682	107-528
सभा पटल पर रखे गए पत्र	529-579
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	580
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
31वां और 32वां प्रतिवेदन	580
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
22वां और 23वां प्रतिवेदन	581
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
35वां प्रतिवेदन	581
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
37वां प्रतिवेदन	581
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 28वां और 29वां प्रतिवेदन	582
(दो) विवरण	582-583
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
(एक) 12 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य	584-585
(दो) विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें कथित रूप से धनराशि पेश किए जाने के संबंध में की गई शिकायत की जांच कराये जाने हेतु समिति का प्रतिवेदन	585-590

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक)	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	590-591
(दो)	उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) (मांग संख्या 56) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	591-592
(तीन)	राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन की स्थिति	592-595
(चार)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	595-597
(पांच)	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	597-598
(छह)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	598
(सात)	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	599
(आठ)	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	599-600
(नौ)	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	600-601
(दस)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित ''प्रत्यक्ष विदेशी निवेश'' के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	605-606
(ग्यारह)	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन किये जाने के बार में	745-751
'सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी' के बारे में दिनांक 11.3.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1719 के उत्तर में शुद्धि करने तथा शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण		601-602
'शस्त्र लाइसेंस जारी करने' के बारे में दिनांक 16.5.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3631 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण		602-604
'भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को खतरा' के बारे में दिनांक 22.4.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण		603-606

विषय	कॉलम
'शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले' के बारे में दिनांक 11.3.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1064 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	606–620
कार्यमंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	621
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) पश्चिम बंगाल में डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	623–628
(दो) राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-VIII के बारे में	628–630
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) तमिलनाडु में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए निधि जारी किये जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	643–644
(दो) मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर बाईपास रोड के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	644
(तीन) जयपुर विमानपत्तन का विस्तार किये जाने और उसका नाम सवाई मान सिंह के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	645
(चार) गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निधि जारी किये जाने की आवश्यकता	
श्री जयाबहन बी. ठक्कर	645
(पांच) उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों को विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	645–646
(छह) बिहार के समस्तीपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता	
श्री आलोक कुमार मेहता	646
(सात) तमिलनाडु के तिरुवरूर और नागापट्टिनम जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री ए.के.एस. विजयन	647
(आठ) उड़ीसा जल सेक्टर सुधार परियोजना में तेजी लाए जाने और महानदी बेसिन विकास योजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	647–648

विषय	कॉलम
(नौ) पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए खड़गपुर सोनकानिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-60 में आवश्यक पुनर्निर्माण और सुधार किये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	648–649
(दस) कर्नाटक राज्य के समग्र विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राज्य को विशेष दर्जा दिये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा	649–650
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008	665
(दो) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008	666
असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008—*जारी*	650–665, 669–745, 751–768
विचार करने के लिए प्रस्ताव	650
श्री सांताश्री चटर्जी	650–656
श्री मधुसूदन मिस्त्री	656–661
डा. सत्यनारायण जटिया	661–665
श्री रामजीलाल सुमन	669–672
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	672–679
श्री ए. कृष्णास्वामी	679–685
श्री चंद्रकांत खैरे	685–688
श्रीमती अर्चना नायक	688–689
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	689–693
श्री थावरचन्द गेहलोत	694–699
श्री के.एस. राव	699–705
श्रीमती सी.एस. सुजाता	705–709
श्री शैलेन्द्र कुमार	709–711
डा. आर. सेनथिल	711–713
श्री राम कृपाल यादव	713–718
प्रो. रासा सिंह रावत	718–720
श्री एस.के. खारवेनथन	720–722
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	722–724
डा. के. फ्रांसिस् जार्ज	724–727

विषय		कॉलम
	श्री एम. शिवन्ना	730–732
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	732–735
	श्री विक्रम केशरी देव	735–737
	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	737–739
	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	739–741
	श्री जे.एम. आरून रशीद	741–744
	डा. सिबैस्टियन पॉल	744
	श्री रामदास आठवले	744–745
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	751–754
	श्री खारबेल स्वाईं	754–757
	श्री अधीर चौधरी	757–758
	डा. सुजान चक्रवर्ती	759–763
	प्रो. एम. रामदास	763–765
	श्री शिशुपाल एन. पटले	765–766
	डा. के.एस. मनोज	766–767
	श्रीमती पी. सतीदेवी	767–768
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	779–780
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	780–788
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	789–790
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	789–790

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2008/25 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम को चेन्नई में इंग्लैण्ड के विरुद्ध खेले गये टेस्ट मैच में उसके जीतने पर तथा भारतीय मुक्केबाजों को मास्को में आयोजित आई.बी.ए. वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक जीतने पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको विदित है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्तमान टेस्ट शृंखला में एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई में इंग्लैण्ड के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की है।

इस अवसर पर हम भारतीय टीम को उसके इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दें। यह बात भी मार्मिक है कि इस जीत को मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया गया है। यह सभा इस परोपकारी भावना की सराहना करती है। हम टीम को बधाई देते हैं और साथ ही हमें उसके प्रदर्शन पर गर्व है।

यह भी गर्व की बात है कि भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार, ए.एल. लाकड़ा, दिनेश कुमार और जितेन्दर कुमार ने हाल ही में मास्को में आयोजित आईबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। हम इन खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की बात है कि एयरपोर्ट पर हिन्दुस्तान की तरफ से किसी ने इन खिलाड़ियों का स्वागत नहीं किया और ये खिलाड़ी वहां से टैक्सी से आए। खेल मंत्रालय से संबधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो लोग बॉक्सिंग संघ के प्रभारी हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और आत्म-विश्लेषण करना चाहिए। किंतु इससे उनके प्रदर्शन और सफलता का महत्व कम नहीं होता। मैं अपने टैक्सी ड्राइवर के प्रयास की सराहना करता हूं कि उसने उनकी सहायता की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 241-श्री गुरुदास दासगुप्त।

[अनुवाद]

वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव

***241. +श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री रत्नेन बर्मन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान वैश्विक आर्थिक संकट एव मंदी ने देश के व्यापार एवं उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू उद्योग पर मंदी का क्षेत्र-वार क्या प्रभाव पड़ा है और चालू वर्ष के दौरान उद्योग/क्षेत्र-वार कितनी नौकरियां समाप्त होने का अनुमान है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यातकों को व्यापार घाटे संबंधी कठिनाइयां हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो यह व्यापार घाटा कितना है; और

(च) इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। विद्यमान वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी का प्रभाव देश के व्यापार एवं उद्योग पर प्रदर्शित होना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा वैश्विक मंदी के घरेलू उद्योग पर प्रभाव, खासकर रोजगारों के नुकसान के बारे में हाल ही में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों की 121 निर्यात से संबंधित कंपनियों का एक नमूना सर्वेक्षण (अगस्त-अक्तूबर, 2008 की अवधि के लिए) किया गया था जिसमें लगभग 65,500 रोजगारों (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) के नुकसान का पता चला था।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान रुपये में मजबूती नहीं आयी है परंतु इसके मूल्य में अमरीकी डालर की तुलना में वस्तुत: लगभग 22% की गिरावट आयी है। वित्त वर्ष के दौरान व्यापार घाटा निम्नानुसार रहा है:

अवधि	निर्यात (बिलियन अम. डा.)	आयात (बिलियन अम. डा.)	व्यापार संतुलन (बिलियन अम. डा.)
अप्रैल-अक्तूबर, 2008	107.31	180.42	(-)73.11

(ङ) सरकार और आरबीआई द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों आर्थिक घटनाक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आरबीआई ने रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर), नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी करके व्यापार एवं उद्योग के लिए ऋण लागत को कम करने एवं उनकी नकदी में सुधार करने के लिए हाल ही में कदम उठाये हैं। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु हाल ही में उठाये गये कुछेक कदम अनुबंध में दिये गये हैं।

अनुबंध

सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गये कदम

(1) 20,000 करोड़ रु. तक का अतिरिक्त योजना व्यय;

(2) पेट्रोलियम उत्पादों और उन उत्पादों को छोड़कर जिनके संबंध में वर्तमान दर 4% से कम थी, सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 4% की समान दर से कमी की गयी;

(3) पात्र अवसंरचना परियोजनाओं के पुन:वित्तपोषण हेतु कर मुक्त बांडों के जरिये आरआईएफसीएल को 10,000 करोड़ रु. जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया;

(4) घरेलू ऋणों के कर्जदारों के लिए पीएसयू बैंकों द्वारा पैकेज की घोषणा करना;

(5) निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों को 2% की ब्याज छूट प्रदान की गयी है: वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एसएमई;

(6) निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों के लिए 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि का प्रावधान;

(7) हस्तशिल्प की सभी मदों को विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) में शामिल किया गया;

(8) ईसीजीसी के लिए बैक-अप गारंटी 350 करोड़ रु. तक की गयी;

(9) माने गए निर्यातों पर सीएसटी/अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क वापसी के दावों का पूर्ण वापसी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1,100 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए;

(10) टीयूएफ के पिछले लंबित दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र क्षेत्र हेतु 1,400 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध करायी गयी;

(11) एमएसएमई के लिए ऋण हेतु गारंटी कवर दोगुणा कर 1.00 करोड़ रु. किया गया। ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋणों के लिए अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी;

(12) लौह अयस्क फाइंस पर निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और लम्प्स के लिए इसे घटाकर 5% किया गया;

(13) विद्युत क्षेत्र हेतु नैफ्था पर आयात शुल्क समाप्त किया गया;

(14) निर्यातों पर सेवा कर वापसी से संबंधित कुछेक लंबित मुद्दों का समाधान किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैंने वक्तव्य पढ़ा है। इसका मुद्रण अस्पष्ट है। यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि देश में केवल 65,000 लोगों की नौकरी गई है। साथ ही यह भी रिपोर्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने एक अन्य वक्तव्य में कहा है कि वस्त्र उद्योग में ही पांच लाख श्रमिकों की नौकरी समाप्त होगी। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगातार छंटनी हुई है, तथा उद्योगों में कामकाज ठप्प हुआ है, मंदी का दौर आया है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इसके अलावा, कई अग्रणी उद्यमों में सप्ताह में चार दिन कार्य दिवस की व्यवस्था को आरंभ किया गया है तथा परिलब्धियां और सांविधिक लाभ समाप्त कर दिए गए हैं। अत:, मंत्री महोदय ने सभा में जो स्थिति बताई है वह उससे भी ज्यादा गम्भीर है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, वह आपको आपकी युवावस्था के लिए प्रशंसा दे रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न है। सरकार भारत में नौकरियों पर मंदी के प्रभाव को कम आंक रही है, तो क्या मंत्री महोदय सभा में मंदी से हुए रोजगार के नुकसान को दर्शाते हुए एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करेंगे और यह बतायेंगे कि यह सुनिश्चित करने को सरकार क्या कदम उठा रही है कि मंदी से लोगों का रोजगार समाप्त न हो और श्रम कानून का जो उल्लंघन हो रहा है उसे रोका जाए?

श्री जयराम रमेश: मैं अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को कम करके नहीं बताना चाहता। किंतु माननीय सदस्य की टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मंदी की स्थिति नहीं है। मंदी का अर्थ है कि लगातार दो तिमाहियों में विकास का रुख नकारात्मक रहा। भारत उन कुछ देशों में से है जिनके विकास का रुख नकारात्मक नहीं है। यह सत्य है कि यद्यपि हमारी विकास दर करीब साढ़े आठ नौ प्रतिशत तक है, तथापि हमारी विकास दर लगभग साढ़े छह से सात प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इसे किसी भी मानक से मंदी नहीं कहा जा सकता। यह हमारी विगत चार वर्षों की नौ प्रतिशत की विकास दर की तुलना में मंदी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं मुश्किलों में मंदी के कारण कामगार के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को भी कम नहीं आंकना चाहता। मंदी के कारण नई नौकरियों का सृजन भी कम होगा। माननीय सदस्य ने नमूना सर्वेक्षण पर आधारित संख्या का हवाला दिया है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि कुछ लोगों द्वारा दिये गये प्रेस वक्तव्यों के बावजूद भी उन लोगों की संख्या का फिलहाल सही-सही पता नहीं है जिनकी नौकरियां समाप्त हो गई हैं। परन्तु साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह पुन: आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा खासतौर से श्रम गहन उद्योगों जैसे वस्त्र, हस्तशिल्प, हीरा-जवाहरात उद्योग के लिए घोषित किये गये सहायता पैकेज और भारी संख्या में प्रोत्साहनों को विचार से यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किये गये हैं कि ऐसी स्थिति में श्रमिकों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं अर्थशास्त्र के मामले में मंत्री महोदय से सहमत नहीं हूं। वे मंदी की परिभाषा दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे महाविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली किसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हो सकता है यह कोई महाविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक हो। किंतु मुझे नहीं मालूम है कि वे अर्थशास्त्र की कौन सी विचारधारा का हवाला दे रहे हैं। मुझे इसके बारे में पता नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, यदि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की भी कमी हो जाये तो इससे चार करोड़ लोग और अधिक गरीब हो जाते हैं। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए और उन्हें आईएलओ के दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, मैं यह भी कह रहा हूं कि निर्यात घटा है। केवल यही नहीं है। उत्पाद शुल्क में भी 12 प्रतिशत की गिरावट आई है जो देश में उत्पादन के घाटे का द्योतक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी से पूछिए कि सरकार क्या कर सकती है। कृपया उनसे पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं उनसे पूछ रहा हूं। मैं मात्र यह कह रहा हूं कि वह इस स्थिति को कम आंक रहे हैं। सरकार इसे इसलिए कम आंक रही है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा यह सुझाव है कि निर्यात के बारे में न सोचें। हमें बाजार में सुधार करने पर विचार करना चाहिए जिससे इसमें मजबूती आए। उन्होंने कहा है कि मात्र 20,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त योजनागत कम किया गया है। यह राशि बहुत ही कम है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसलिए मंत्री महोदय से मेरा यही प्रश्न है। इस तथ्य के दृष्टिगत कि भारतीय माल की अंतर्राष्ट्रीय

मांग कम हो रही है और हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम घरेलू मांग को बढ़ायें, क्या सरकार वर्तमान राशि की तुलना में और अधिक राशि का निवेश करने पर विचार करेगी जिससे कि घरेलू बाजार में सुधार किया जा सके, मांग को बढ़ाया जा सके नौकरियों का सृजन किया जा सके? क्या सरकार ऐसा करेगी?

श्री जयराम रमेश: मैं इस विचार से सहमत हूं कि हमें घरेलू बाजार में और अधिक दृढ़ता पैदा करने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: सरकार ने बहुत ही कम निवेश किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए। किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं है। आपको यह पता है।

*...(व्यवधान)**

श्री जयराम रमेश: महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं?

अध्यक्ष महोदय: जी, हां।

श्री जयराम रमेश: माननीय सदस्य ने योजना व्यय के जिस 2000 करोड़ रुपये के बारे में बात की है, उसके अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना पर 10000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पर 4% सकल कमी की गई है। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले तीन से चार वर्षों में बजट दर बजट अवसंरचना पर व्यय में भारी वृद्धि की गई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जयराम रमेश: मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें अक्तूबर माह के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के संबंध में अत्यंत निराशाजनक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इस वर्ष अक्तूबर माह में उद्योगों की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे यह 2004, 2005, 2006 में थी; केवल 2007 को छोड़ कर जब अक्तूबर माह में तेजी आई थी। अत: वास्तव में हम पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। जब समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि पहली बार अक्तूबर माह ऋणात्मक वृद्धि दर्शा रहा है। यह अक्तूबर माह की मंदी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना है। अक्तूबर 2008 में उद्योगों की प्रवृत्ति 2004, 2005, 2006 और 2007 से बिल्कुल भी अलग नहीं रही है। परन्तु, मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य को ऐसा लगे कि सरकार मामले की गंभीरता को कम दर्शा रही है। प्रोत्साहन पैकेज की गणना की गई है। मुझे विश्वास है कि यदि कठिनाइयां बनी रहती हैं तो अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री रनेन बर्मन-अनुपस्थित नहीं।

श्री पी. राजेन्द्रन: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को परंपरागत उद्योगों जैसे काजू, हथकरघा, टायर, मत्स्य पालन और साथ ही वस्त्र उद्योग के बारे में पूरी जानकारी है जो वैश्विक आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं और मैं चाहता हूं कि इसका विवरण दिया जाए। विशेषरूप से काजू गिरी के मूल्य और निर्यात की मात्रा 50% तक कम हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इन प्रभावित हुए उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री जयराम रमेश: महोदय मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि दो प्रतिशत राजसहायता दी गई है। दूसरे शब्दों में जहां तक श्रम प्रधान उद्योगों का संबंध है, बैंक ऋण दो प्रतिशत सस्ते हो जाएंगे। इसमें वस्त्र, हस्तशिल्प, चर्म तथा छोटे और मझोले उद्योग शामिल हैं। जहां तक बागवानी क्षेत्र का संबंध है, चाय, कॉफी रबर के चालू मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में कम हैं।

परन्तु, जहां तक बागवानी क्षेत्र का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ काजू उद्योग को छोड़कर चिंता का कोई बड़ा कारण है, क्योंकि हम काजू के सबसे बड़े निर्यातक हैं, और अभी तक हमारा घरेलू बाजार बहुत बड़ा नहीं है। हमारा घरेलू बाजार भी बढ़ रहा है। परन्तु मेरा यह विश्वास है और माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त इस बात से सहमत होंगे कि काजू एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम घरेलू बाजार को बढ़ावा नहीं देना चाहते। बेहतर होगा कि हम काजू का घरेलू स्तर पर उपयोग करके अपना स्वास्थ्य खराब करने के स्थान पर काजू का निर्यात करें।

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न श्री राजेन्द्रन ने किया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुस्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करें। हमारे नियमों में प्रक्रिया दी गई है। यदि आप उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो उन्हें दोहराएं नहीं, प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री विजय बहुगुणा का नाम पुकारा है। केवल श्री विजय बहुगुणा की टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जाएगी।

श्री विजय बहुगुणा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले सप्ताह जारी किये गये आईआईपी आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारी वृद्धि दर एक प्रतिशत की रही और निर्यात में 12 प्रतिशत की गिरावट हुई है। जो क्षेत्र वैश्विक मंदी से प्रभावित हुए हैं वे हैं सीमेंट, स्टील, सिले-सिलाए वस्त्र, जेवर और अवसंरचना।

अध्यक्ष महोदय: सभा में अनुशासन के मामले में कोई कमी न आने दें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय क्या आप सहमत है कि मंदी है?

श्री विजय बहुगुणा: महोदय, श्री दासगुप्त द्वारा पूछा गया एक प्रश्न यह था कि सरकार का वर्तमान वैश्विक मंदी का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निम्न में से कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो-अनुपात को काफी कम किया गया है, परन्तु बैंक ऋण दर कम नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या स्टील और सीमेंट जैसे प्रमुख (कोर) क्षेत्रों द्वारा उपयोग किये जाने वाली मदों पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि इन क्षेत्रों को बचाया जा सके?

श्री जयराम रमेश: महोदय, श्री बहुगुणा के प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। चूंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न काजू के बारे में पूछा था, उनकी बात के विपरीत अप्रैल से अक्तूबर 2008 के मध्य काजू का निर्यात 39% बढ़ गया है। अत: यह कहना सही नहीं है कि काजू के निर्यात में कमी आई है। वास्तव में काजू का निर्यात बढ़ा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करके उत्तर दें।

श्री जयराम रमेश: जी हां, महोदय, यह जो धारणा बनाई जा रही है। वस्तुत: उसके विपरीत काजू का निर्यात वास्तव में बढ़ा है।

जहां तक नकद स्थिति का संबंध है, पुनरुद्धार पैकेज का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से जहां तक लघु और मझले उद्यमों और आवासन क्षेत्र तथा श्रम बहुल क्षेत्रों को संबंध है, नकदी की स्थिति में सुधार लाना था।

अब हमने कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन पर निर्यात शुल्क कम कर दिया है, जैसे कि लौह अयस्क के मामले में। हमने नैफ्था जैसी कुछ मदों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। परन्तु, यदि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने का मामला है, तो मुझे विश्वास है कि उत्पादकों के लिए अन्य रास्ते उपलब्ध हैं। पाटनरोधी शुल्क हैं, सेफगार्ड ड्यूटी है।

मेरा ख्याल है कि सरकार की नीति सदैव घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को ठीक बनाने के कार्य पर ध्यान देने की रही है और यदि घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने का मामला है तो मुझे विश्वास है कि सरकार मामले में अति शीघ्रतापूर्वक दखल देगी।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि वित्त और विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र में प्रभाव सुस्पष्ट है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी आ रही है और परिवहन क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में कुछ वायदे किये गये थे। मेरा प्रश्न यह है कि विश्व के नेताओं ने भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से उम्मीद लगाई थी, पर क्या हमने इसका सम्मान किया है? क्या सरकार यह सोचती है कि सबसे बड़ी चुनौती विनिर्माण क्षेत्र में मंदी नहीं आने देने और यह ध्यान रखने की है कि बेरोजगारी न बढ़े? आज देश के समक्ष मौजूद इन दो चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार क्या विशिष्ट कदम उठा रही है?

श्री जयराम रमेश: महोदय मैंने पहले कहा है, कि विनिर्माण क्षेत्र सर्वाधिक प्राथमिकता का क्षेत्र है। अब तक विनिर्माण क्षेत्र में इस वर्ष के पहले सात महीनों में मंदी आई है। तथापि, जहां तक सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का संबंध है, हमने जितने भी साक्ष्य जुटाए हैं उनसे यही लगता है कि जितना नकारात्मक प्रभाव विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ा है उतना नकारात्मक प्रभाव सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सेवा क्षत्र पर नहीं पड़ा है। इसीलिए, प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य मुख्यत: नकदी की स्थिति सुधारने, ब्याज दर घटाने और सबसे महत्वपूर्ण इस उत्पाद शुल्क में 4% की कमी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर वापस लाना है जिससे हमारी अधिकांश विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू स्तर पर मांग बढ़े।

[हिन्दी]

नक्सल गतिविधियों को रोकने के उपाय

***242. +श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल गतिविधियां उत्तरी राज्यों तथा जनजातीय एवं वन क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नागरिकों और सुरक्षा कार्मिकों सहित मारे गये व्यक्तियों तथा संपत्ति की क्षति और गिरफ्तार किये गये तथा मारे गए नक्सलियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए विशेष विकास योजनाएं शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है;

(च) क्या नक्सलियों तथा अन्य उग्रवादी संगठनों और/अथवा आईएसआई के बीच किसी सांठगांठ का पता लगा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा विशेष बलों की स्थापना, जंगल युद्धकला विद्यालयों की स्थापना, सुरक्षा कार्मिकों को बारूदी सुरंग प्रतिरोधक, घात प्रहार संरक्षक वाहन, आधुनिक हथियार, सुरक्षा बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने आदि सहित क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ज) 2008 के दौरान, नक्सल हिंसा से संबंधित अधिकांश घटनाओं की सूचना आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के विशेष क्षेत्रों से प्राप्त हुई थी। कुछ अन्य राज्यों से छुट-पुट घटनाओं की सूचना मिली है। हालांकि 80 प्रतिशत से अधिक घटनाएं एवं हताहतें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा नामक चार राज्यों में हुए हैं। घटनाओं, मरने वाले व्यक्तियों तथा गिरफ्तार होने वाले नक्सलवादियों का वर्षवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कहा जा सके कि नक्सलियों ने आईएसआई के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है।

सरकार की नीति सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में व्यापक तरीके से नक्सल समस्या से निपटना है। केन्द्र सरकार विकास एवं सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चल रही योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों एवं संसाधनों में सहायता प्रदान करती है। विकास को गति प्रदान करने के लिए सुरक्षा आवश्यक माहौल प्रदान करती है। सुरक्षा तथा विकास की गतिविधियों के दायरे में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन भी किया गया है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल समस्या से वृहत् पैमाने पर निपटा जा सके। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति तथा उठाये गये कदमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सुरक्षा के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी सहायता में राज्य पुलिस की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती; इंडिया रिजर्व बटालियनों को गठित किया जाना; राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों का आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण करने के लिए सहायता; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवाजाही, बारूदी सुरंग से संरक्षित वाहनों, आधुनिक हथियार तथा अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों आदि के लिए सहायता शामिल है; विशिष्ट तरीके के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ढांचागत कमियों को पूरा करने के लिए वित्तीय अनुदान (500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केन्द्रीय योजना ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गयी है); राज्य पुलिस के प्रशिक्षण के संबंध में सहायता; आसूचना का आदान-प्रदान तथा अंतर-राज्यीय समन्वय की सुविधा प्रदान करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से कई उपाय किये गये हैं जिसमें जंगल-युद्ध संचालनों तथा घुसपैठ-निरोध के लिए प्रशिक्षित एवं सुसज्जित विशेष बल के रूप में सीआरपीएफ में समाधान कार्य के लिए दस कमांडो बटालियनों (कोबरा) की स्थापना करने और राज्य पुलिस बलों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों में बीस घुसपैठ-निरोधी तथा आतंकवादी-विरोधी (कैट) विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय शामिल है।

विकास की ओर, विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं की एक शृंखला के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरइजीएस), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत प्रभावित राज्यों को बड़ी मात्रा में केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है। जिन क्षेत्रों में नक्सल समस्या काफी अधिक है वहां विकासात्मक प्रयास को सघन बनाने के लिए समन्वित कार्रवाई की जाती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत विशेष प्रबंध की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

अनुबंध

क्र.सं.	पैरामीटर	2005	2006	2007	2008 (30.11.2008 के अनुसार)
1.	घटनाओं की संख्या	1608	1509	1565	1435
2.	मारे गए सिविलियनों की संख्या	524	521	460	441
3.	मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या	153	157	236	217
4.	मारे गए नक्सलियों की संख्या	225	274	141	181
5.	गिरफ्तार किये गये नक्सलियों की संख्या	1950	1270	1456	1536

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, नक्सली हिंसा पर हमने यह सवाल पूछा है और मंत्री जी का जो जवाब आया है, हर बार जिस तरह का जवाब आता है, वैसा ही जवाब आया है। नक्सली हिंसा देश की बहुत बड़ी समस्या है। खासकर उत्तर-पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में यह समस्या अधिक है। हमने देखा है कि वर्ष 2006-2007 में करीब 1509 से ज्यादा घटनाएं हुईं और इसमें हर साल करीब 250 पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं।

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने जो वचन दिया था कि हम नक्सली हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष बल बनायेंगे, क्या सरकार ने उसकी कोई समय सीमा तय की है? इसके अलावा नक्सली हिंसा को रोकने के बारे में जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि कई राज्यों में ये लोग हिंसा की घटनाएं करते हैं और एक राज्य में घटना करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसलिए क्या सरकार ने कोई इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन का पक्का इंतजाम किया है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ पूछा है और जिस तरह से चिंता व्यक्त की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में नक्सली हिंसा एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है और हमारे देश की इंटरनल सिक्युरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है। चूंकि इससे देश की इंटरनल सिक्युरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है, अत: इसके लिए भारत सरकार ने सय-समय पर बहुत सारे कदम उठाये हैं और हाल में भी कुछ कदम उठाये गये हैं। लेकिन नक्सल हिंसा पर काबू तब तक नहीं पाया जा सकता है, जब तक स्टेट गवर्नमैन्ट कार्रवाई न करे। चूंकि पुलिस एंड लॉ ऑर्डर पूरी तरीके से यह स्टेट सब्जैक्ट है। जिन राज्य सरकारों ने नक्सल हिंसा से निपटने के लिए कड़े कदम उठाये हैं, कड़ा विल प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से उन राज्यों में नक्सल हिंसा थमी है और थमी ही नहीं, बल्कि कम भी हुई है। जैसे आंध्र प्रदेश ने जिस तेजी के साथ कड़े कदम उठाये हैं, उससे आंध्र प्रदेश में नक्सल हिंसा कम हुई है, बल्कि इसमें 75 परसैन्ट तक की गिरावट दर्ज की गई है।

आपने जो बात पूछी है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार नक्सल हिंसा को तीन हिस्सों में बांटती है-पहला उसका फोकस प्वाइंट सिक्युरिटी है, दूसरा फोकस प्वाइंट डेवलपमेन्ट है और तीसरा फोकस प्वाइंट कोऑर्डिनेशन है। यह बात सत्य है कि नक्सल हिंसा डेवलपमेन्ट के अभाव में, गरीबी, बेरोजगारी और उनको न्याय न मिलने के कारण उन क्षेत्रों में उभरी है, जिन क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं घटी हों और इस तरीके के अन्याय की प्रक्रिया लम्बे समय तक जारी रहे। यही कारण है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में नक्सल हिंसा का प्रभाव बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, 37 बटालियन पैरा-मिलिट्री फोर्स हमने उन प्रदेशों में भेजी है जो नक्सलवाद से प्रभावित है। इसके अलावा इंडिया रिजर्व बटालियन भी रेज करने के लिए भी हमने उन राज्यों को परमिशन दी है और इस इंडिया रिजर्व बटालियन के रेज करने में तीन साल तक का सारा खर्चा भारत सरकार देती है। इंटेलीजेंस के आधुनिकीकरण के लिए हमने व्यवस्था की है कि हम पुलिस आधुनिकीकरण में जितना पैसा देते हैं, उसका 5 प्रतिशत राज्य सरकारें अपने इंटेलीजेंस को मजबूत करने पर खर्च करेंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर पर रीइम्बर्समेंट की एक पॉलिसी हमने बनाई है और उसका हम रीइम्बर्समेंट भी करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल ग्रान्ट्स एंड क्रिटीकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकारें उस पर भी काबू पाने का काम करें। इसीलिए एक स्कीम फॉर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाई है जिस पर सौ करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा हमने असिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर स्टेट पुलिस पर ज्यादा जोर दिया है और शेयरिंग ऑफ इंटेलीजेंस एंड फैसिलिटेटिंग इंटर-स्टेट कोआर्डिनेशनल पर ज्यादा जोर दिया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हम कोबरा बटालियन भी बना रहे हैं। दस बटालियन हमारी सीआरपीएफ की हमने चयन की है और दस

बटालियन तीन साल के अंदर कोबरा बटालियन बनेगी जिसका काम अच्छी तरीके से नक्सली समस्याओं से निपटना तथा जो भी हिंसा करते हैं, उनका मुकाबला डटकर करना है। इसके अलावा मुझे बताया गया है कि चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, जो भी ज्यादा नक्सल प्रभावी राज्य हैं, ये लोग भी अपने यहां इस तरीके की कॉम्बेटिंग फोर्स को डैवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कोआर्डिनेशन से इस तरह की समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, वह जो मैंने अपने प्रश्न में समय सीमा पूछी थी, उसका जवाब ये नहीं दे पाए हैं। मैंने समय सीमा पूछी थी कि कब तक इस बटालियन को बना देंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, 3 साल के अंदर कोबरा बटालियन बन जाएगी और पहली कोबरा बटालियन क्योंकि दो बटालियन हमारी इस साल तैयार हो जाएंगी और चार अगले साल में होंगी और चार उसके बाद वाले साल में हो जाएंगी।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, मैं अपनी सैकेंड सप्लीमेंट्री के तौर पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह जानकारी है कि क्या खुफिया विभाग ने ऐसी सूचना दी है कि जो नक्सली ऑरगेनाइजेशंस हैं और जो वेबसाइट उन्होंने बनाई है, इस तरह से वे बहुत से लोगों को नेक्सेलाइट मूवमेंट में शामिल कर रहे हैं। क्या सरकार उसका मुकाबला करने के लिए जिस क्षेत्र में नेक्सेलाइट की घटना हो रही है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरह सल्वा-जुडुम जिस तरह से बनाया गया, जन आंदोलन के जरिये लोगों को नैक्सेलाइट मूवमेंट में न शामिल हों, क्या इसकी कोई योजना सरकार ने बनाई है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष जी, नेक्सेलाइट्स अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने के लिए वह हर काम कर रहे हैं वह हर कदम उठा रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने अभी हमारे समक्ष बताया है लेकिन इन नेक्सेलाइट्स की हकीकत यह है कि विकास के अभाव में यह एक उभरी हुई समस्या है और जिस तरीके से नेक्सेलाइट्स ने वहां के लोगों का सहयोग प्राप्त किया, उसका कारण यह था कि उन लोगों ने यह महसूस किया कि हमें अपने देश में न्याय नहीं मिल पाता है, हमें अपने देश में ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है जिसके लिए यह नक्सलवाद की समस्या उभरी है। इस समस्या का समाधान राज्य सरकार को ही करना है। जहां तक आपने सल्वा-जुडुम की बात कही है, यह जन आंदोलन था, हमसे राज्य सरकार ने पूछा कि हम इस जन आंदोलन को सल्वा-जुडुम के माध्यम से साथ लेना चाहते हैं, इसके माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम इस तरीके के हिंसक आंदोलन को कुचलें, हमने राज्य सरकार को परमिशन दी कि आप जैसा चाहें, अपने राज्य में इस तरह के आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, विकास कराने के लिए जो कुछ भी संभव हो, वे कदम उठाएं। राज्य सरकार ने सल्वा-जुडुम के माध्यम से उस समस्या को टैकल करने की कोशिश की है।

इसी तरीके से आंध्र प्रदेश ने हमसे पूछा था कि हम नक्सलियों से बातचीत करना चाहते हैं, हमने आंध्र प्रदेश सरकार को भी यह कहा था कि आप चाहें तो नक्सलियों से बातचीत कर सकते हैं। अगर बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिये। इसलिए यह सब कुछ राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है और राज्य सरकारें अगर कोई इस तरह का कदम उठाती हैं तो भारत सरकार उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती और बल्कि उनको मदद करती है कि वे इस तरह की समस्या का समाधान करने की कोशिश करें।

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश हमारा देश बहुत लम्बे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है चाहे वह उल्फा से आतंकवाद हो चाहे वह जेहादी आतंकवाद हो और चाहे वह माओवादी आतंकवाद हो। जहां तक नक्सलवाद की हम बात करें तो पिछले चालीस सालों में यह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 13 राज्यों के अंदर ये काफी प्रभावशाली हो चुके हैं और जिस तरह की फिगर्स माननीय मंत्री जी ने दी है कि हर साल 500 सिविलियन्स मारे जाते हैं, करीब 200 के करीब सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं, 1500 के करीब वारदात हर साल हमारे देश में होती हैं। इसलिए इससे यह बात तो साफ होती है कि पिछले वर्षों में जो भी हमने इनका सामना करने के लिए कदम उठाए हैं, वे कदम पर्याप्त नहीं हैं और इसके लिए बहुत कुछ अभी करने की आवश्यकता है। राज्य अकेले में अपने आप में इनका सामना करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसके लिए में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी के गठन का केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है, क्या नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि प्रेजेंट जांच एजेंसी में कौन-कौन से इस तरह के अपराध आएंगे क्योंकि अभी इसके बारे में एक सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है, इस पर एक डिटेल्ड बिल पार्लियामेंट में आएगा जिस पर आप अपनी सलाह दे सकते हैं और जब यह बिल पास हो जाएगा तभी हम यह बताने की स्थिति में होंगे कि कौन-कौन से अपराध इस बिल के तहत इस जांच एजेंसी के तहत लिये जाएंगे। मैं इतना आश्वासन माननीय सदस्य को जरूर देना चाहूंगा कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार हर वह कदम उठा रही है जो उसे उठाना चाहिए। अगर राज्य सरकारें इसी बिल के साथ नक्सली समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगी तो आने वाले समय में निश्चित रूप से नक्सल समस्या का समाधान होगा और यह मानकर चलना चाहिए

कि 40 वर्षों में न्याय के अभाव में इस भयंकर समस्या का समाधान दो साल, चार साल और छः साल के अंदर नहीं हो सकता है लेकिन कोआर्डिनेशन रहा और मजबूती के साथ राज्य सरकारें काम करती रहीं और जिस तरह से भारत सरकार और खासकर यूपीए की सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स की पीठ पर हाथ रखा है और उनको मदद दे रही है, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान आगे आने वाले समय में जरूर हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब मोहम्मद सलीम अपनी बात रखेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर चर्चा की जा रही है। मैं सभी दलों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

मोहम्मद सलीमः महोदय, आपने ठीक ही कहा कि यह बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमारा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष स्वयं यह कहा था कि हमारे सामने एकमात्र चुनौती नक्सलवाद या माओवाद के नाम पर वामपंथी अतिवाद की है।

मंत्री द्वारा मुख्य प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार ऐसे चार राज्य हैं और अब पश्चिम बंगाल भी इनमें शामिल है जहां नक्सली हमले की 80 प्रतिशत घटनाएं घटित हो रही हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने उड़ीसा में अपने गढ़ को छोड़ने के बाद तटवर्ती क्षेत्र को अपना गढ़ बना लिया है। अब पश्चिम बंगाल के सामने यह समस्या मैदानी क्षेत्र की ओर से भी आ रही है। इन सभी घटनाओं को अंजाम देने के लिए झारखंड और उड़ीसा की सीमा के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी और समुद्री मार्ग का भी उपयोग किया जा रहा है। वे झारखंड राज्य का इस्तेमाल बेस कैम्प के रूप में कर रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में—वार करो और भागों—की नीति अपनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

सर, मेरा सवाल स्पष्ट है और मंत्री जी ने सही कहा है कि राज्य और केन्द्र सरकार के अंदर एक समन्वय प्रयास होना चाहिए और उसकी कोशिश भी जारी है। जिस तरह से हम टॉलरेंस के बारे में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, हारबरिंग नहीं होना चाहिए, कोई सेंटर, कोई सहायता नहीं होनी चाहिए, तो क्या सरकार यह पहल करेगी चाहे वह राजनैतिक दलों के सम्मेलन बुलाए लेकिन खुद सरकार का एक दल, दूसरे दल इस तरह के माओवादी और नक्सलियों को छोटी-मोटी राजनैतिक सुविधा के लिए हारबरिंग नहीं करेंगे।

जिस तरह हम मिलिटैंट्स आउटफिट्स को नार्थ ईस्ट स्टेट्स में देखते हैं, इसी तरह हम यहां देख रहे हैं। माओस्टिस एंड नक्सलिस्ट्स ग्रुप तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और राजनैतिक दल इसके शिकार होते हैं। वे अपने राजनैतिक विरोध से बचने के लिये या इस तरह से बढ़ने के लिए हारबरिंग करते हैं। क्या सरकार यह पहल करेगी, खासकर रूलिंग पार्टी, खुद अपनी कांग्रेस पार्टी को हिदायत देगी कि ऐसे मौकों को फरहाम नहीं करे या इस तरह की कोशिश का साथ न दे जिससे कि संकीर्ण राजनैतिक सुविधा के लिए हथकंडे बन जायें और नक्सलियों के हथियार बन जायें?

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर इंगित किया है और सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि नक्सली आंदोलन को कोई राजनैतिक दल स्पांसर्ड करता है। अगर माननीय सदस्य के पास इस तरह की कोई सूचना हो तो खासतौर पर हमें बतायें।

जहां तक माननीय सदस्य ने कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कही है, वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिलकुल यकीन रखिये कि कोई किसी भी तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है और न कोई सूचना आयी है। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना हो तो हमें बतायें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंहः अध्यक्ष महोदय, नक्सली आन्दोलन की पृष्ठभूमि और जन्म एक राजनैतिक आन्दोलन के रूप में हुआ है। इसलिए इसका मुकाबला केवल कोबरा ब्रिगेड और यूथ ब्रिगेड, कुछ इस तरह की ब्रिगेड बनाकर हम बिलकुल मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इनडाक्ट्रिनेट किया जाता है, इनके वौलंटीयर्स को दिमागी तौर पर उनके दिमाग की सफाई के लिए एक राजनैतिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

काउंटर मूवमेंट की भी आवश्यकता उन इलाकों में है। यह बात ठीक है और हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने जनता को आर्म्ड किया और जनता खड़ी हो गई लेकिन यह स्थिति सभी राज्यों की नहीं है। इसलिए हमारा मुख्य बिन्दु यह है कि उन सभी इलाकों में शिक्षा का बड़ी तेजी से विकास करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय की पुरानी रिपोर्ट्स में इस बात को जोर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय उन सभी पिछड़े हुये इलाकों में, या जहां कहीं भी नक्सलवाद का प्रभाव है, वहां प्राथमिक स्तर से लेकर डिग्री स्तर तक पढ़ाई का इन्तजाम केन्द्र सरकार करेगी लेकिन इस दृष्टि से भारत सरकार की ओर से जो घोषणा थी, उसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। इतने से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि यह अब सीमित इलाके में हो गया है और इसकी गतिविधियों में कमी आयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर चौतरफा प्रहार के जो कई कार्यक्रम थे, उनमें शिक्षा के विस्तार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उस दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा के विस्तार के लिए भारत सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, इसमें कोई शक नहीं कि समस्या का समाधान केवल गोली से ही नहीं निकलता है। गोली के साथ-साथ जब तक उन क्षेत्रों को डेवलेप नहीं किया जायेगा, वहां के नौजवानों को शिक्षित नहीं किया जायेगा, उन्हें शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी, जब तक वहां रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराये जाएंगे, जब तक उनकी जमीनों का उचित बंटवारा नहीं किया जायेगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है *...(व्यवधान)* लेकिन यह भी देखने में आया है कि जिन लोगों ने इस आन्दोलन को शुरू किया था, धीरे-धीरे अब वे इस स्थिति में आ गये हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि उस क्षेत्र में डेवलेपमेंट हो वरना उनकी नेतागिरी, उनका आंदोलन ठप्प पड़ जाएगा। इसकी शुरुआत एक अच्छे मोटिव के लिए हुई थी लेकिन आने वाले समय में धीरे-धीरे करके जिस तरीके से उन लोगों का चरित्र बदला है, उससे ये चीजें उभरकर सामने आ रही हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में तेजी से विकास हो, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। अगर ऐसा हो जायेगा, शायद वे लोग अपने मकसद में सफल नहीं हो पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत सरकार की बात है, अगर राज्य सरकारें पूरे तरीके से सहयोग करेंगी, शिक्षा, रोजगार, भूमि सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो सकता है। भारत सरकार ने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें 45 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले को दिया जायेगा जिससे राज्य सरकारें उस 45 करोड़ रुपये के माध्यम से उस जिले का विकास करें। वे शिक्षा के लिए स्कूल भी चालू कर सकते हैं, दूसरी ओर योजनाओं को लागू कर सकते हैं। योजनाओं को लागू करने का काम तो राज्य सरकारों को ही करना होगा। हम दिल्ली में बैठकर *...(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): सर्व शिक्षा अभियान ....

अध्यक्ष महोदय: हमने आपका जवाब सुन लिया है।

[अनुवाद]

लालूजी के हस्तक्षेप को भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, इसके अलावा नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह ऐसा मामला है जिस पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मंत्री महोदय, मैं इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर दिया है। हम इसे अगले सप्ताह करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर एक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए नोटिस दीजिए। धन्यवाद। मैं आपके सहयोग की प्रशंसा करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप नेक्स्ट टाइम पूछियेगा। नेक्स्ट टाइम आप से शुरू करेंगे।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके से संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम चर्चा के लिए प्रश्न सं. 243 लेंगे। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

[हिन्दी]

हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है।

[अनुवाद]

मैं उपयुक्त और पूर्ण चर्चा कराना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप यह क्या बात कर रहे हैं? सब यहां डिस्कशन के लिए राजी हुए हैं।

[अनुवाद]

हम प्रश्न सं. 243 पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मुझे आपका सहयोग चाहिए। राम कृपाल जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, कर्नाटक भी नक्सलवाद से बहुत प्रभावित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्री रामदास आठवले, यदि आप और व्यवधान डालते हैं, तो मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अब प्रश्न सं. 243 पर चर्चा की जाएगी।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

243. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ चुने गये स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के विषय पर मतभेद उत्पन्न हो गये हैं जैसाकि 29 अगस्त, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मतभेदों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) जी, हां। सरकार का 11वीं योजना अवधि के दौरान 14 विश्वस्तरीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अभिनिर्धारित शहरों की राज्य-वार सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने इन विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी अवधारणा संबंधी दस्तावेज का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। इस विशेषज्ञ समिति ने विख्यात शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों तथा नीति निर्माताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। विशेषज्ञ समिति ने अवधारणा संबंधी दस्तावेज के मसौदे को संशोधित करते समय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संगत सिफारिशों को भी ध्यान में रखा है। अवधारणा संबंधी दस्तावेज को समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

अनुबंध

11वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अभिनिर्धारित शहरों की राज्य-वार सूची -

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	गुजरात	गांधी नगर
5.	कर्नाटक	मैसूर
6.	केरल	कोच्चि
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल
8.	महाराष्ट्र	पुणे
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
10.	पंजाब	अमृतसर
11.	राजस्थान	जयपुर
12.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
13.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, आज विश्व की तुलना में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग बहुत नीचे है। हम अपने सकल घरेलू उत्पादन का बहुत कम हिस्सा उच्च शिक्षा पर खर्च करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान में विश्वविद्यालयों में विश्वस्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध करने पर विचार रखती है? इसके क्या मापदंड हैं और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय हमारी यह इच्छा है कि हमारे देश में प्रत्येक संस्थान सर्वोच्च संभव मानकों पर खरा उतरे। हमारे संस्थानों का नाम विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सूचियों में दर्ज है। यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे कुछ संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय सूची में सम्मिलित किया है यद्यपि हम मानते हैं कि कोई एक स्वीकृत तरीका या कोई एक प्राधिकृत संगठन है जो वास्तव में हमारे संस्थानों को सूचीबद्ध कर सकता है क्योंकि जो मानक वे निर्धारित करते हैं, वे देश विशिष्ट नहीं होते। तथापि यह गर्व की बात है कि उन्हें उनमें स्थान मिलता है।

जहां तक शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का छह प्रतिशत व्यय करने का मामला है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर मैं इस बात पर बल देना चाहूंगी कि जब हम सरकारी वित्तपोषण की बात करते हैं, तो इसमें राज्य सरकार का भाग भी शामिल है। भारत सरकार शिक्षा क्षेत्र में अपना आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हम राज्य सरकारों को भी ऐसा ही करने और शिक्षा में उनका आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारों का भाग क्रमश: लगभग 20% और 80% है। भारत सरकार का भाग बढ़कर लगभर 23 या 24% हो गया ह। परन्तु राज्य सरकार का भाग कम होता जा रहा है।

इस सभा के माध्यम से मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि वे अपना भाग नहीं भी बढ़ाते तो उसे घटाएं नहीं और वे भी इस जिम्मेदारी में भागीदार बनें।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में गुजरात के गांधीनगर में एक विश्वस्तरीय विद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव रखा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उपरोक्त विश्वस्तरीय विद्यालय की स्थापना के लिए सरकार

ने अब तक क्या कदम उठाए हैं तथा इस पर क्या खर्चा आएगा? इस पर अभी तक सरकार ने कितना व्यय किया है और इससे कितने बच्चे लाभान्वित होंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्यों की पहचान की गई है और हमने राज्यों सरकारों को भी लिखा है कि अपेक्षित स्थान के संबंध में हमें उत्तर दें। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता है और इसलिए हम राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत पहले नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे जिसमें संपूर्ण विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे। मैं आपके माध्यम से मानीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य इसमें स्पष्ट नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विश्वस्तरीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए आपने जो स्थान का चयन किया है, उसका मानदंड क्या है और क्या छत्तीसगढ़ में भी कोई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना है?

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई बायस नहीं है।

श्री नन्द कुमार साय: मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मानदंड क्या बनाया है और क्या छत्तीसगढ़ में भी इसकी स्थापना होगी?

अध्यक्ष महोदय: सब बोलते हैं राज्य सरकार की मदद करनी है, इनीशियेटिव लेना है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, पहुंच सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, तो हमारे विद्यार्थी और शिक्षक न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से भी आएंगे। इसलिए पहुंच अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए वास्तविक सामाजिक अवसंरचनाएं वे मानदण्ड थे जो हमने इन स्थानों की पहचान करते समय ध्यान में रखे। महोदय, यह केवल रेल संपर्क ही नहीं है, अपितु हम रेल, सड़क, और वायु संपर्क को भी अन्य सामाजिक अवसंरचना के साथ-साथ देखते हैं जिसका वहां विद्यमान होना अत्यन्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर बसुदेव बर्मन, सीधे प्रश्न पूछे जायें और संक्षिप्त उत्तर दिये जायें।

प्रोफेसर बसुदेव बर्मन: महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। अगले 39 माह में अर्थात् मार्च 2012 तक हमारे देश में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 14 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सरकार की पहल का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि कई दशकों से विभिन्न देशों में कुछ अग्रणी विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के अत्यन्त उच्च मानक सक्षम शिक्षकों के कठोर, सतत्, समर्पित कार्य के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार का नवस्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा इतनी अल्प अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट क्षमता वाले सक्षम शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार करने का विचार है जबकि कुछ वर्षों से समूचे देश में हमारे विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की कमी रही है।

अध्यक्ष महोदय: आपको अच्छे शिक्षक कैसे मिलेंगे? जो शिक्षक उनमें उपलब्ध हैं, से कुछ इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि सामान्यत: उन्हें पढ़ाना होता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, हम मानते हैं कि आज की स्थिति में शिक्षकों की 25 से 30% तक कमी है। इस समस्या को समझते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इससे निपटने के लिए कई उपाय किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनेक कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जैसे शीघ्र प्रवेश कार्यक्रम और न केवल जेआरएफ और एसआरएफ की संख्या में वृद्धि की गई है अपितु जेआरएफ एवम एसआरएफ को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी भारी वृद्धि की गई है। ये केवल कुछ ही उपाय हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में भी छूट दी गई है जो अब पुनरीक्षाधीन है जिसके तहत शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के पश्चात् उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए समय दिया जाता है। शिक्षकों की कमी, जिसका हम पहले से ही सामना कर रहे हैं, से उबरने के लिए ऐसे अनेक कदम उठाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरा अनुभव है कि पूर्णकालिक शिक्षकों की तुलना में अंशकालिक शिक्षक अधिक निष्ठावान होते हैं।

अब श्री राम कृपाल यादव अपने विचार रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: हमने तो बोला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपको प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है।

श्री राम कृपाल यादव: हमने तो पहले वाले प्रश्न के लिए पूछा था लेकिन आपने बुलाया नहीं।

अध्यक्ष महोदय: हमने आपका नाम लिया है लेकिन आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते। ठीक है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपका क्रोध दिखाने का मामला नहीं है।

***श्री एम. शिवन्ना:** क्या यह सच है कि विदेशों में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा दें।

क्या उनके मंत्रालय के पास इन विद्यार्थियों को वापस देश में लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि वे यहीं अपनी शिक्षा पूरी करके हमारे देश की सेवा कर सकें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तथापि, इस बात की निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए कि हम इस प्रकार की शिक्षा देने में सफल रहे हैं जिससे हमारे छात्र विदेश जाने के पश्चात् किसी देश के लगभग सभी अग्रणी संस्थाओं में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस सभा के अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण सदस्यों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो इसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न हो। मुझे श्री राम कृपाल यादव जी से लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि मैं तारांकित प्रश्न से 242 और 243 के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं अपने प्रति आपके रवैये को याद रखूंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यद्यपि भारत के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान विश्व में सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आते हैं लेकिन फिर भी हमारा कोई विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 10वें, 20वें, 30वें अथवा 50वें स्थान पर नहीं है। हम एक रिपोर्ट पर तर्क-वितर्क कर सकते हैं लेकिन यह बात प्रत्येक प्रतिवेदन में कही गई है। दुर्भाग्यवश, ऐसी बातें हमारी शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

आपने स्थायी शिक्षकों की तुलना में अतिथि शिक्षकों अथवा अस्थायी शिक्षकों, शहरी शिक्षा की तुलना में ग्रामीण शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की तुलना में हिन्दी माध्यम के विद्यालयों का उल्लेख किया है। सच्चाई यह है कि नैसकॉम का अनुमान है कि हमारे यहां प्रतिभावान रोजगार योग्य तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं की कमी होगी जबकि दूसरी तरफ हमारे यहां इन विश्वविद्यालयों से लाखों युवक बेरोजगार होकर निकल रहे हैं।

मेरा मंत्री महोदय से सीधा-सा यह प्रश्न है कि क्या सरकार ने भारत में वर्तमान विश्वविद्यालय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कमियों के संबंध में कोई विश्लेषण किया है। सरकार व्यापक विश्वविद्यालय प्रणाली में व्याप्त त्रुटियों को विश्वविद्यालयों को सृजित करने के स्थान पर दूर करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है। इन नए विश्वविद्यालयों में क्या विशेषता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कुछ गलत करने के पश्चात् इसमें सुधार करने का इंतजार नहीं करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के साथ निरंतर चर्चा करते रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए।

जहां तक रोजगार में अंतर का प्रश्न है, इस संबंध में नैसकॉम ने एक रिपोर्ट दी है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। लेकिन मैं इस बात पर पुन: बल देना चाहती हूं कि ऐसा कोई स्वीकार्य संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय कार्यविधि है जिसके बारे में हम यह कह सकें कि यह प्रत्येक देश में स्वीकार्य है। तथापि, यह गर्व की बात है कि हमारी जेएनयू तथा आईआईटी संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सूची में स्थान प्राप्त है। मैं एक बार पुन: इस सभा को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम उच्च शिक्षा में सुधार करने के प्रति कटिबद्ध हैं, चाहे इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हों।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री हरिन पाठक: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 14 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, जिमसें से एक गांधीनगर में स्थित है, की स्थापना करने का निर्णय किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में विशेष रूप से जानना चाहता हूं। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने प्रारूप अवधारणा पत्र भी तैयार कर लिया है। यदि उत्तर पर ध्यान दिया जाए तो यह पता चलेगा कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अब समिति द्वारा अवधारणा पत्र को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। जब तक समिति द्वारा

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अवधारणा पत्र को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा तब तक आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हम माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहते हैं। अवधारणा पत्र को कब तक तैयार कर लिया जायेगा ताकि आप इन नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के संबंध में आगे की कार्यवाही कर सकें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: यूजीसी के अध्यक्ष, प्रो. सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में गठित समिति की पिछली बैठक 29 अगस्त को हुई है। समिति को अभी अपनी सिफारिशें देनी हैं।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में, इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: इन सिफारिशों के मिलते ही आगे की कार्यवाही निश्चित रूप से यथाशीघ्र की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि यूजीसी के अध्यक्ष यह कार्य करेंगे।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के साथ-साथ क्या सरकार हमारे देश में अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां तो यह प्रस्ताव किस चरण में हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: यह भी इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपको सीधा प्रश्न पूछना चाहिए था।

डा. आर. सेनथिल: इन विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य अन्य विश्वविद्यालयों के लिये एक उदाहरण अथवा मानक स्थापित करना है। इसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना भी कतिपय मानक स्थापित करने के लिए की गई थी। अब केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र ही आईआईटी, एम्स में प्रवेश पाने अथवा आईएएस अधिकारी बनने में सफल रहते हैं जबकि ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अधिक से अधिक बस कन्डक्टर बन जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: बस कन्डक्टर पद की आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

डा. आर. सेनथिल: मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों में काफी अंतर है इसलिए मेरी यह चिंता है कि इन विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से गरीबों और उच्च वर्ग के लोगों को मिलने वाली शिक्षा के स्तर पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: उच्च वर्ग के लोगों की संख्या पर्याप्त है।

डा. आर. सेनथिल: ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदया बुनियादी सुविधाओं, छात्र शिक्षक अनुपात, शैक्षिक विषयवस्तु में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही हैं कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इन मानदंडों का अनुपालन करें?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि हमारे देश की शिक्षा नीति की एक विशेषता यह भी है कि देश में यह सभी को उपलब्ध करायी जाए। हम अपने देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध हैं। हम किसी बच्चे को संसाधनों के अभाव की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। शुल्क ढांचे के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षा केवल लाभ कमाने के लिए नहीं दी जा सकती है और राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये हैं कि प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क ढांचे के लिए एक प्रवेश समिति और शुल्क समिति बनाई जाए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा है कि छात्रों से एकत्र किए गए शुल्क से कम से कम 20 प्रतिशत आवर्ती कम पूरा किया जाए जबकि सीएबीई समिति, जिसे हम मानते हैं ने कहा है कि छात्रों से एकत्र किया जाने वाला शुल्क 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और हम इसे स्वीकार करते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं एक अलग प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैंने अपना हाथ इस प्रश्न पर नहीं बल्कि दूसरे प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: अच्छी बात है, आपकी किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कोई रुचि नहीं है। अब मैं एक महिला सदस्य, श्रीमती सुजाता को, जो अन्य सदस्यों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, बोलने की अनुमति देता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को यह बताना चाहती हूं कि 'केरल इंस्टिट्यूट आफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन' एक विशिष्ट संस्थान है, इसे केरल और अन्य राज्यों, यहां तक कि अन्य देशों के स्थानीय स्वशासन सरकारों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यह प्रशिक्षण स्थानीय प्रशासन की समस्याओं और स्थानीय निकायों के माध्यम से सुशासन देने से संबंधित मामलों के बारे में दिए जाते हैं। इस संस्थान को अनोखी विशेषता के मद्देनजर इसका उन्नयन करके इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है जिसके लिए अवधारणा पत्र तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को तो केवल इसके बारे में पहल करनी है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके स्थान पर उत्तर दे दिया है। आप मेरे उत्तर को स्वीकार कर सकती हैं।

शिक्षा का अधिकार विधेयक

***244. श्री एस. अजय कुमार:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है और इस विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस विधेयक के दायरे में निजी शिक्षण संस्थानों को भी लाया गया है अथवा लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विधेयक के कतिपय पहलुओं के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का निराकरण कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 के जरिए संविधान में अनुच्छेद 21-ए जोड़ा गया है ताकि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2008, जो अनुच्छेद 21-ए के तहत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, को राज्य सभा में पेश किया जा चुका है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(1) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नजदीक के स्कूल में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार यह स्पष्ट करता है कि 'अनिवार्य शिक्षा' संबद्ध सरकार को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और इसे पूरी करने का प्रावधान करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है और 'नि:शुल्क शिक्षा' का आशय है कि उस बालक-बालिका को छोड़कर जिसे उसके माता-पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिल कराया है जिसे संबद्ध सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसे किसी शुल्क अथवा प्रभारों अथवा खर्चों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने से रोके।

(2) यह नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में संबद्ध सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण और माता-पिता के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय तथा अन्य जिम्मेदारियों की भागीदारी को विनिर्दिष्ट करता है।

(3) यह अन्य बातों के साथ-साथ छात्र-शिक्षक अनुपातों, भवनों और अवसंरचना, स्कूल कार्यदिवसों, शिक्षक कार्य घंटों के संबंध में नियमों एवं मानकों का निर्धारण करता है।

(4) यह इस बात को सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है कि प्रत्येक स्कूल के लिए विनिर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखा जाए। इसमें अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक अर्हताओं वाले उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान भी है। यह दशकीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडलों और संसद के चुनावों और आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर-शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है।

(5) यह अन्य बातों के साथ-साथ (1) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, (2) बच्चों के दाखिले के लिए संवीक्षा प्रक्रियाओं, (3) प्रतिव्यक्ति शुल्कों, (4) शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन और (5) मान्यता के बिना स्कूलों के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।

(6) यह संविधान में निरूपित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या के विकास का प्रावधान करता है जो एक बाल-अनुकूल व्यवस्था और बाल-केन्द्रित अधिगम के माध्यम से बालक के ज्ञान, संभावना और प्रतिभा का निर्माण करते हुए उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है।

(7) यह बाल अधिकार सुरक्षा के राष्ट्रीय और राज्य आयोगों, जिन्हें एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होंगी,

द्वारा बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संरक्षण और मानीटरिंग तथा शिकायत निवारण का प्रावधान करता है।

(8) बच्चों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 इस विश्वास पर आधारित है कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा न्यायपूर्ण एवं माननीय समाज के सृजन का लक्ष्य सभी के लिए समावेशी प्रारंभिक शिक्षा का नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रावधान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव लाभवंचित एवं कमजोर वर्गों के बच्चों को संतोषप्रद गुणवत्ता की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान न केवल उन स्कूलों की जिम्मेदारी है जो संबद्ध सरकारों द्वारा संचालित अथवा सहायताप्राप्त हैं, अपितु, उन स्कूलों की भी जिम्मेदारी है जो सरकारी निधियों पर आश्रित नहीं हैं।

(घ) और (ङ) बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श किये गये हैं और परामर्श की यह प्रक्रिया नियमों और विनियमों के निर्माण के दौरान भी जारी रहेगी।

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार: महोदय, विधेयक के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 6,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की परिलब्धि 8,000 रुपए मासिक होगी। वर्तमान में पांचवें वेतन आयोग के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की सकल मासिक परिलब्धियां प्रवेश स्तर पर क्रमश: 12,400 रुपये और 15,000 रुपए है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 'शिक्षा का अधिकार विधेयक' के संबंध में है और यह अध्यापकों के वेतन से संबंधित नहीं है।

श्री एस. अजय कुमार: मैं मुख्य बिन्दु पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ समय प्रतीक्षा करूंगा।

श्री एस. अजय कुमार: सरकार की योजना है कि सभी नियमित अध्यापकों के स्थान पर कम योग्यता प्राप्त और अप्रशिक्षित अध्यापकों को अल्पावधि ठेके पर नियुक्त किया जाए।

जबकि सरकारी विद्यालयों ने कम योग्यता वाले अध्यापक पढ़ाएंगे, निजी विद्यालयों के बालकों को उपयुक्त योग्यता प्राप्त शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। विडम्बना यह है कि इनके सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए सरकारी निधि से राजसहायता दी गई। इससे निजी विद्यालयों की ओर लोगों का अत्यधिक झुकाव होगा में भारी भीड़ होगी। जबकि सरकारी विद्यालयों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इसे सुधारने के लिए कोई निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: माननीय सदस्य की जानकारी के लिए जो 86वां कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट, 2002 पास हुआ था, उसकी बुनियाद पर हम लोगों ने अब राइट टू एजुकेशन बिल कल राज्य सभा में पेश किया है और वह डिस्कशन के लिए लोक सभा और राज्य सभा दोनों जगह आयेगा। आप जितनी भी जानकारी उसमें लेना चाहें, उसमें टीचर्स के राइट्स, टीचर्स की सैलरी किस तरह से होगी, क्या-क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिलेगी, स्कूल्स को मिलेगी, स्टेट और सैण्टर किस तरीके से पैसे मुहैया कराएंगी, यह सारी जानकारी उसके अन्दर है और वह बिल अब राज्य सभा के अन्दर है, उसकी स्टडी आप कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको उससे मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि हम इसे पारित करने का समय निकाल लेंगे बशर्ते कि सदस्य इसका अनुमोदन करें।

दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें; हो सकता है वह इससे सम्बद्ध हो।

श्री एस. अजय कुमार: महोदय, मुझे खुशी है कि सरकार ने इस विधेयक पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09 से आरंभ होने वाले 7 वर्ष की अवधि में विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 2,28,680 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी; और यह राशि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिल कर देंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार विधेयक के सफल कार्यान्वयन के लिए यह राशि किस प्रकार सृजित करेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, दो परसेंट सैस और उसके अलावा जो गवर्नमेंट मदद करती है, उसके अलावा सर्वशिक्षा अभियान का जो पैसा है, वह भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर खर्च करती हैं। जहां तक हम लोग राइट टू एजुकेशन बिल ला रहे हैं, इसके अन्दर गारण्टी है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो भी खर्चा आएगा, उसको मुहैया कराने का काम करेंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मिनाती सेन—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत ही सलीके से जो इसका ध्येय है, शिक्षा का अधिकार, आपने नि:शुल्क शिक्षा उस बालक बालिका को छोड़कर, जिसके माता-पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला नहीं कराया है, इस बारे में बताया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की जो गुणवत्ता है, इसमें इतना भारी गैप है, इतना डिफरेंस है, अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि न्यायप्रिय और मानवीय समाज की संरचना का लक्ष्य सभी के लिए समावेशी प्रारम्भिक शिक्षा को नि:शुल्क करना है तो उस डिफरेंस को आप कैसे कम करेंगे? एक तरफ गांव का बच्चा गांव में पेड़ के नीचे पढ़ रहा है और हिन्दी में पढ़ रहा है, जबकि दूसरी ओर नर्सरी का बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, उसकी समानता के लिए आप कुछ करेंगे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, नये बिल के अन्दर गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरा इन्तजाम है। जहां तक सवाल पैदा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या एडेड स्कूल्स हैं, उसके अन्दर भी 25 परसेंट गरीब बच्चे, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हों या फिर सोशली बैकवर्ड हों, इनके लिए 25 परसेंट जगह रखी गई है, जिसके खर्च को सरकारें उठाएंगी और उसके लिए गरीब बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। वह नेबरहुड कन्सैप्ट भी इस बिल के अन्दर रखा गया है, जो नजदीक बेहतरीन स्कूल होगा उसमें वे बच्चे एजुकेशन पा सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में छह और 14 वर्ष के आयु समूह में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सरकार उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहती थी। वहां पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। अध्यापकों के कार्य घंटे तथा कार्य दिवस निर्धारित किए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर दें, समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: इस बिल के अन्दर हर स्कूल के अन्दर जो स्कूल टीचर और स्टूडेंट रेश्यो है, वह हर स्कूल के अन्दर देखा जायेगा और कितने दिन बच्चों को पढ़ाना है, वह भी इसके अन्दर तय है। प्राइमरी स्कूल में 1 टू 5 में कितने दिन बच्चों को पढ़ाना है, वह तय किया जाएगा और 6 टू 8 में कितने दिन बच्चों को पढ़ाना है, वह भी इसमें तय होगा। टीचर्स को कितने दिन क्लास में रहना है, वह भी इसके अंदर तय किया जाएगा। किसी भी स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी नहीं होगी, चाहे वह हिली एरिया में हों, रूरल एरिया में हों, अर्बन एरिया में हों, रिमोट एरिया में हों या कहीं भी हों, टीचर की एवलेबिलिटी पक्की की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: यह भारतीय संसद है। यह लोक सभा है, आपका निजी आंगन नहीं।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

*245. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) जैसी उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान वैज्ञानिक सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नए आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी तथा आईआईएसईआर की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए पहचान किये गये स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इन्हें भवन, प्रयोगशाला उपकरण, छात्रावास एवं शिक्षण संकाय आदि जैसी पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ये संस्थाएं कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) 11वीं योजना के दौरान जिन राज्य सरकारों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का अनुरोध इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश (इन्दौर) तथा गुजरात में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसमें से 6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने शैक्षिक सत्र 2008-09 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार तथा गुजरात स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अस्थायी परिसरों में कार्य करना शुरू किया है जबकि उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने क्रमशः खड़गपुर, कानपुर तथा दिल्ली स्थित अपने परमर्शदाता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बी.टेक के छात्रों के प्रथम बैच को दाखिल भी कर लिया है। पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल तथा तिरुवनंतपुरम में 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को स्थायी परिसरों के माध्यम से स्थापित किया गया है तथा उन्होंने कार्य करना भी आरंभ कर दिया है। देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सार्वजनिक निजी भागीदारी से 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मोहाली (पंजाब), भोपाल (मध्य प्रदेश) तथा तिरुवनंतपुरम (केरल) में तीन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किये गये हैं। (पुणे तथा कोलकाता में 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये गये थे)। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के बाबत कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु 2000.00 करोड़ रु., नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु 400.00 करोड़ रुपये, नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों हेतु 600.00 करोड़ रु. और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हेतु 2000.00 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ङ) से (च) चूंकि नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को समयबद्ध तरीके से स्थापित किया जाना था, अतः पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की ही तरह जब उन्हें स्थापित किया गया था, इन संस्थानों को अस्थायी परिसरों से संचालित किया गया है, जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु प्रथम तीन वर्षों के लिए 30 संकाय सदस्यों के पद संस्वीकृत किये गये हैं। इस बीच पुराने संस्थान नए संस्थानों के लिए अपने संकाय सदस्यों को भेज रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु निधियों का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा तथा पंजाब स्थित 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने इस वर्ष के सत्र से अस्थायी परिसरों से कार्य करना आरम्भ कर दिया है जिसके लिए उन्हें प्रारम्भिक निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वे 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु स्थायी परिसर के निर्माण के लिए पर्याप्त भूखण्ड उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की देख-रेख एक मौजूदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर रहा है।

सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों ने अस्थायी परिसरों से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए स्थायी परिसरों के बाबत स्थल का निर्धारण कर लिया गया है। सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों हेतु अभिनिर्धारित भूखण्ड इन संस्थानों को सौंप दिये गये हैं। प्रत्येक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए प्रथम तीन वर्षों हेतु प्रति वर्ष 20 संकाय सदस्य के पद की दर से 60 पद संस्वीकृत किये गये हैं। सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में कैम्पस तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं/कराई जा रही हैं।

शिलांग स्थित राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान 7 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है जिन्हें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया जाना है और यह वर्ष 2008-09 से मयूरभंज कॉम्पलेक्स में अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा है। शिलांग स्थित राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर हेतु उमसावली, मॉडियांगडियांग, शिलांग में 120 एकड़ का

भूखंड अभिनिर्धारित किया गया है। शिलांग स्थित राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान में निदेशक के एक पद तथा संकाय सदस्यों के 11 पद सहित 27 पद संस्वीकृत किये गये हैं।

(छ) आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब तथा गुजरात स्थित 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्ष 2008-09 से तीन शाखाओं में संचालित बी.टेक. पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में लगभग 120 विद्यार्थियों को दाखिला देकर शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ किया गया है। आईआईटी, मध्य प्रदेश (इंदौर) तथा आईआईटी, हिमाचल प्रदेश में बी.टेक. पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2009-10 से प्रारम्भ किये जायेंगे। सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में कक्षायें पहली ही प्रारम्भ की जा चुकी हैं। शिलांग स्थित राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान ने भी अपना पहला शैक्षिक सत्र 2008-09 से प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ (रायपुर), उत्तराखंड तथा हरियाणा में स्थापित किये जायेंगे।

विवरण

उन राज्य सरकारों की सूची जिनसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान स्थापित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए
उड़ीसा	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश
केरल	केरल	केरल
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	हरियाणा
त्रिपुरा	त्रिपुरा	गुजरात
उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	असम
तमिलनाडु	बिहार	बिहार
झारखण्ड	उत्तरांचल	
गोवा	नागालैण्ड	
मध्य प्रदेश	पंजाब	
कर्नाटक	पश्चिम बंगाल	
गुजरात	मेघालय	
मिजोरम	मिजोरम	
	महाराष्ट्र	
	इसके अतिरिक्त हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने दिनांक 13.11.2007 को सदस्य सचिव, योजना आयोग तथा दिनांक 8.1.2008 को सचिव (उच्चतर शिक्षा) द्वारा आयोजित बैठक में अपने-अपने राज्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की मांग की।	

खनन क्षेत्र में परियोजनाएं

*246. श्री भरहरि महतो:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें प्रस्तावित निवेश का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मूल्यवर्धित परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु खनन क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त/स्वीकृत/लंबित निजी क्षेत्र एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) हालांकि खनिजों को ''प्रमुख'' तथा ''गौण'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, परन्तु खनन कार्यकलाप को प्रमुख अथवा गौण परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तथापि, यह मानते हुए कि 500 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रों के खनन पट्टों को प्रमुख खनन परियोजनाओं के रूप में लिया जा सकता है, सरकार ने 1.4.1998 से 22.12.2008 तक ऐसे 56 प्रस्तावों में पूर्व अनुमोदन संसूचित किया है जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसे मामलों में प्रस्तावित निवेश के ब्यौरे पैरामीटरों में से एक है जिस पर मंजूरी की सिफारिश करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है और उन्हें केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) तथा (ग) नई राष्ट्रीय खनिज नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अगले चरण की खनिज रियायत का सुनिश्चित अधिकार, खनिज रियायतों के हस्तांतरणीयता तथा रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता जैसे नीतिगत उपायों की घोषणा की गयी है। नीति में यह भी घोषित किया गया है कि उसी राज्य के भीतर मूल्यवर्धन को आमतौर से निवेश को आकर्षित करने के लिए खनन हेतु फारवार्ड लिंकेज के तौर पर प्रोत्साहित किया जायेगा।

(घ) खनन क्षेत्र में (परमाणु खनिजों को छोड़कर) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आटोमैटिक रूट से अनुमति है। केवल टिटेनियम युक्त खनिजों के मामले में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का पूर्व अनुमोदन लेना होता है। केन्द्र सरकार में निवेश प्रस्तावों के लिए कोई आम स्वीकृति नहीं है।

विवरण

राज्य : आंध्र प्रदेश

1.	मै. ए.पी.एमडीसी लि.	बॉक्साइट	900 है.	जेराला ब्लॉक-3 विशाखापट्टनम	अनुमोदित दिनांक: 5.11.07
2.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	यूरेनियम	813.412 है.	मीदीपेंतला एवं वेलपुला कुडप्पा	अनुमोदित दिनांक: 25.5.07
3.	मै. जियो मैसूर सर्विस इंडिया प्रा.लि.	स्वर्ण, तांबा अयस्क सहायक खनिज	597.82 है.	पगदराई आदि कुर्नूल	अनुमोदित दिनांक: .6.3.07
4.	मै. राशि सीमेंट्स लि. इंडिया सीमेंट्स लि. के पक्ष में	चूना पत्थर	780.72 है.	नलगोंडा	अनुमोदित दिनांक: 2.7.03

5.	मै. मद्रास सीमेंट्स लि.	चूना पत्थर	775.57 है	कोलिमिगुंडला आदि कुर्नूल	अनुमोदित दिनांक: 26.10.1998
6.	मै. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	यूरेनियम	1337.62 एकड़	नपापुरम नलगोंडा	अनुमोदित दिनांक: 23.12.05
7.	मै. सांघी सीमेंट लि.	चूना पत्थर	4950.39 एकड़	गोतीमुक्कला गुंटूर	अनुमोदित दिनांक: 6.9.04
8.	मै. राशि सीमेंट लि.	चूना पत्थर	1269.14 एकड़	कोठापल्ली बड़ापल्ली आदि नलगोंडा	अनुमोदित दिनांक: 21.1.1999
राज्य: बिहार					
1.	मै. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लि.	चूना पत्थर	598.88 है.	राजंका, कोंडवा आदि सिंहभूम	अनुमोदित दिनांक: 4.4.2000
राज्य: गुजरात					
1.	मै. निरमा लि.	चूना पत्थर	1225.85 है.	वंगर एवं माधिया भावनगर	अनुमोदित दिनांक: 8.1.2008
2.	मै. निरमा लि.	चूना पत्थर	1497.47 है.	गुजराडा दुधेरी इत्यादि भावनगर	अनुमोदित दिनांक: 8.1.2008
3.	मै. निरमा लि.	चूना पत्थर	616.72 है.	पढ़ियारका एवं डोरिया भावनगर	अनुमोदित दिनांक: 8.1.2008
4.	मै. गुजरात अंजन सीमेंट लि.	चूना पत्थर	2831.61 है.	खराई, जडवा इत्यादि कच्छ	अनुमोदित दिनांक: 7.6.2007
5.	मै. गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	चूना पत्थर	712.11 है.	सिंगसर होरटी आदि जूनागढ़	अनुमोदित दिनांक: 17.10.2005
6.	मै. गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	चूना पत्थर	712.089 है.	सिंगसा, ठारडी आदि जूनागढ़	अनुमोदित दिनांक: 13.9.2007

7.	मै. गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	चूना पत्थर	642.04 है.	लोढ़वा जूनागढ़	अनुमोदित दिनांक: 18.4.2001
8.	मै. इंडियन रेयन एंड इंडस्ट्रीज लि.	चूना पत्थर	851.321 है.	मधवीन मेथला इत्यादि भावनगर	अनुमोदित दिनांक: 31.3.1999
9.	मै. इंडियन रेयन एंड इंडस्ट्रीज लि.	चूना पत्थर	670.482 है.	कोटडा, दयाल एवं कालसर भावनगर	अनुमोदित दिनांक: 26.3.1999
10.	मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं. लि.	चूना पत्थर	1536 है.	मंगाराल सूरत	अनुमोदित दिनांक: 7.9.1998
11.	मै. एशियन पेंट्स (इंडिया) लि.	चूना पत्थर	620 है.	नायप एवं कालसर भावनगर	अनुमोदित दिनांक: 10.6.1998
राज्य: मध्य प्रदेश					
1.	मै. प्रिज्म सीमेंट लि.	चूना पत्थर	512.317 है.	बधाई सतना	अनुमोदित दिनांक: 17.4.2008
2.	मै. प्रिज्म सीमेंट लि.	चूना पत्थर	772.067 है.	हिनौती एवं सिजाहट्टा सतना	अनुमोदित दिनांक: 15.5.2007
3.	मै. ए.सी.सी. लि.	चूना पत्थर	1520.22 है.	कोयलिया एवं 15 अन्य गांव मध्य प्रदेश	अनुमोदित दिनांक: 5.11.2003
4.	मै. जे.पी. रीवा सीमेंट्स लि.	चूना पत्थर	2017.62 है.	दिगारहाट आदि सतना	अनुमोदित दिनांक: 27.6.2002
5.	मै. मेहरा सीमेंट	चूना पत्थर	762.015 है.	भादनपुर सतना	अनुमोदित दिनांक: 5.10.2001
राज्य: महाराष्ट्र					
1.	मै. आर.एम. मोहिते एंड कंपनी	बॉक्साइट	1312.41 है.	धगारवाड़ी एवं उदयगिरी ब्लाक कोल्हापुर	अनुमोदित दिनांक: 28.11.2001

2.	मै. शिवराम मिनरल्स	बॉक्साइट	576.12 है.	ब्लॉक गिरगांव एवं रंगेवाडी कोल्हापुर	अनुमोदित दिनांक: 4.10.2001
3.	मै. इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लि.	बॉक्साइट	1706.83 है.	धंगेरवासी ब्लॉक महाराष्ट्र	अनुमोदित दिनांक: 15.5.2001
4.	श्री सदाशिव ज्याति देसाई	बॉक्साइट	2903.43 है.	वशति, कॉडोसी आदि कोल्हापुर	अनुमोदित दिनांक: 14.12.1999
राज्य: उड़ीसा					
1.	मै. उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि.	बॉक्साइट	721.323 है.	लंजीगढ़ कालाहांडी	अनुमोदित दिनांक: 13.9.2004
2.	मै. एम.एल. रूंगटा	मैंग्नीज अयस्क	715.627 है.	सिल्जरा आदि क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 13.9.2002
3.	मै. इंडियन रेयर अर्थस् लि.	इमेनाइट	2728.49 है.	अर्जीपल्ली आदि गंजम	अनुमोदित दिनांक: 20.5.2002
4.	मै. ओएमडीसी लि.	लौह अयस्क मैंग्नीज अयस्क	1276.79 है.	बेलकुंडी क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 23.11.2001
5.	मै. ओएमडीसी लि.	लौह अयस्क	5096.84 है.	नाइबागा जमापाई इत्यादि सुंदरगढ़	अनुमोदित दिनांक: 29.12.2000
6.	मै. ओएमडीसी लि.	लौह अयस्क	998.7 है.	कोहला रोइडा क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 2.11.2000
7.	मै. इडको	क्रोमाइट	701.47 है.	पत्रा चिंगुडिपल कटक	अनुमोदित दिनांक: 3.3.2000
8.	मै. नीलांचल इस्पात निगम लि.	लौह अयस्क	1850 है.	कडालिया सेनरूसीबरना क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 21.5.1999

9.	मै. आईसीसीएल/आईएमएफए, फेकोर, जिंदल स्ट्रिप्स	क्रोमाइट	855.476 है.	भीमतानगर आदि उड़ीसा	अनुमोदित दिनांक: 16.4.1999
10.	मै. उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि.	बॉक्साइट	715.075 है.	कोडींगमली कोरापुट	अनुमोदित दिनांक: 11.1.99
11.	मै. मेस्को	लौह अयस्क	1011.48 है.	कडाकला एवं लुहाकला क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 5.1.1999
12.	श्री मांगीलाल रूंगटा	मैंग्नीज अयस्क	715.639 है.	सिलिजोन एवं कालीमेट क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 24.11.1998
13.	मै. उड़ीसा खनिज विकास निगम	मैंग्नीज अयस्क	998.7 है.	कोल्हां-रोयडा, उतीबुरू क्योंझर	अनुमोदित दिनांक: 20.4.1998
राज्य: राजस्थान					
1.	मै. लफार्ज इंडिया प्राइवेट लि.	चूना-पत्थर	1530 है.	अमिया चित्तौड़गढ़	अनुमोदित दिनांक: 12.6.2008
2.	मै. जिंदल सा. लि.	स्वर्ण, चांदी, तांबा अयस्क	1570.36 है.	ढेढवास भीलवाड़ा	अनुमोदित दिनांक: 11.7.2007
3.	मै. आरएसएमडीसी लि.	जिप्सम	750 है.	सोरानी राजस्थान	अनुमोदित दिनांक: 29.11.2002
4.	मै. आरएसएमएम लि.	जिप्सम	624.75 है.	बदरासर बीकानेर	अनुमोदित दिनांक: 12.9.2002
5.	मै. डीसीएम श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि.	चूना पत्थर	1261.99 है.	कोटल सिरोही	अनुमोदित दिनांक: 5.10.2001
6.	मै. आरएसएमडीसी लि.	जिप्सम	570.16 है.	भारू बीकानेर	अनुमोदित दिनांक: 21.6.2001

7.	प्रो. जे.के. वर्क्स डिविजन	चूना पत्थर	642.31 है.	निंबाहेडा चित्तौड़गढ़	अनुमोदित दिनांक: 7.12.1999
8.	मै. आरएसएमएमएल	रॉक फॉस्फेट	1370.369 है.	तामड़ कोटडा उदयपुर	अनुमोदित दिनांक: 21.1.1999
9.	मै. आरएसएमडीसी लि.	जिप्सम	554.917 है.	काओनी बीकानेर	अनुमोदित दिनांक: 13.5.1998
राज्य: झारखंड					
1.	मैसर जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	लौह अयस्क मैंग्नीज अयस्क	999.9 है.	अंकुआ आरक्षित वन सिंहभूम (प.)	अनुमोदित दिनांक: 5.9.2008
2.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	लौह अयस्क मैंग्नीज अयस्क	520 है.	लटुआ आर.एफ./राइका सिंहभूम (प.)	अनुमोदित दिनांक: 8.7.2008
3.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	लौह अयस्क	537 है.	जेरालडाबुरू सिंहभूम (प.)	अनुमोदित दिनांक: 24.8.2007
4.	मै. इंडाल का हिंडालको इंडस्ट्रीज लि. को अंतरण	बॉक्साइट	852.98 है.	लोहारदगा	अनुमोदित दिनांक: 6.1.2006
राज्य: छत्तीसगढ़					
1.	मै. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)	लौह अयस्क	2028.797 है.	रोघाट एफ ब्लॉक बस्तर	अनुमोदित दिनांक: 4.1.2007

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

***247. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और पार्कों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में जैव-प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) देश में इस समय कार्य कर रहे चार जैव-प्रौद्योगिकी उद्यान तीन राज्यों में अवस्थित हैं, जिनमें एक-एक उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और आंध्र प्रदेश (हैदराबाद) और दो तमिलनाडु (चेन्नई) में हैं। जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी उद्यानों के महत्व पर विचार करते

हुए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए सरकार की वर्ष 2010 तक कम से कम 10 जैव-प्रौद्योगिकी उद्यानों का संवर्धन और सहायता प्रदान करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और गुजरात के प्रस्तावों को पहले ही सरकार द्वारा समर्थन दिया गया है। असम और उड़ीसा के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजना अवस्था में हैं। देश में जैव-प्रौद्योगिकी के तीव्र गति से विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक बृहद् राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति को अपनाया है। यह कार्यनीति गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के विकास, खोज और नवोन्वेषण की पारिस्थितिकी की स्थापना, बौद्धिक संपदा नियम, जो नवोन्वेषण, लघु एवं मझौले स्तर के उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करते हों के सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारिता, विश्वस्तर के विनियामक तंत्रों की स्थापना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिसमें जीवविज्ञान, चिकित्सा, रासायनिक एवं जैव-अभियांत्रिकी, भौतिकी, जैव-सूचना विज्ञान और नैनो जैव-प्रौद्योगिकी शामिल हैं, में नवीन अंतर-विषयक संस्थाओं की स्थापना के संबंध में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराती है।

[अनुवाद]

खुफिया जानकारी और आतंकवादी हमले

***248. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुफिया जानकारी होने के बावजूद मुम्बई सहित देश के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी हमले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा हाल ही में हुए ऐसे आतंकवादी हमलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आतंकवादी हमलों के दौरान नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की हुई मृत्यु और संपत्ति की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना बनायी है; और

(ङ): यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में उग्रवाद/विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी अलगाववाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं के अतिरिक्त देश के कई अन्य भागों में समय-समय पर आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों आदि की घटनाएं घटी हैं। वर्ष 2008 में मुख्य भू-भाग में निम्नलिखित आतंकवादी हमले/घटनायें घटी हैं:

क्र.सं.	तारीख	घटना	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	1.1.2008	सीआरपीएफ शिविर, रामपुर पर हमला	8(7 एस एफ)	5 (सभी एसएफ)
2.	13.5.2008	जयपुर में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट	69(3 एसएफ)	184
3.	25.7.2008	बंगलोर में शृंखलाबद्ध 8 बम विस्फोट	1	11
4.	26.7.2008	अहमदाबाद में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट	56	242
5.	13.9.2008	दिल्ली में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट	26	133

1	2	3	4	5
6.	27.9.2008	महरौली, नई दिल्ली में कम तीव्रता का बम विस्फोट	3	22
7.	29.9.2008	मालेगांव, महाराष्ट्र में बम विस्फोट	4	80
8.	29.9.2008	मोदसा, गुजरात में बम विस्फोट	1	10
9.	26.11.2008	मुम्बई में आतंकवादी हमले	164 (18 एसएफ)	308(43 एसएफ)

*एसएफ का तात्पर्य सुरक्षा बल के कार्मिकों से है जिनमें राज्य पुलिस/जीआरपी/आरपीएफ/एसआरपीएफ/सीआरपीएफ/एनएसजी आदि शामिल हैं।

संपत्ति की हानि से संबंधित आंकड़े, केन्द्रीय आधार पर संकलित नहीं किये जाते हैं।

संभावित आतंकवादी षडयंत्रों और खतरों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ जानकारी और सूचना का आदान-प्रदान नियमित आधार पर किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ तथा आसूचना/सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच परिचालनात्मक समन्वय के लिए तंत्र भी बनाए गए हैं। इस प्रक्रिया से कई संभावित खतरों और हमलों को दूर किया गया है और सैल/माड्यूलों आदि को निष्क्रिय किया गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समय-समय पर आतंकवादी हमलों की घनटायें घटना जारी हैं इसलिए ऐसे हमलों को रोकने और प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं और इस बारे में और कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ इन तंत्रों को और प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाने की दृष्टि से आसूचना एकत्र करने और उसका आदान-प्रदान करने के लिए इन्हें और सुदृढ़ और कारगर बनाना; राज्य पुलिस बलों और उनकी आसूचना शाखाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करना तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय योजना के तहत उन्हें हथियार/उपकरण और प्रशिक्षण आदि का प्रावधान करना; इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करने के लिए सहायता (ऐसी बटालियनों में कमांडो यूनिटों के रूप में 2 कंपनियों सहित); विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और अन्य विशेषज्ञ दलों की तैनाती करना; समुद्री और तटीय सुरक्षा की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना तथा सीमा चौकसी बलों का विस्तार करना और घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने आदि जैसे कई अन्य उपाय करना; विशेषज्ञता प्राप्त आतंकवाद-विरोधी/कमांडो बलों में वृद्धि करना और ऐसी यूनिटों के स्थानों के लिए क्षेत्रीय शिविर स्थापित करना; आतंकवादी अपराधों को रोकने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने के लिए कानूनी ढांचे आदि को सुदृढ़ बनाना शामिल है। विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की व्यवस्थाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि इसे और सुदृढ़ और सुचारु आदि बनाने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक पाई गई कार्रवाई की जा सके।

अवैध बांग्लादेशी प्रवासी

***249. श्री नारायण चन्द्र खरकटकी:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक जिन्होंने देश में वैध/अवैध तरीकों से प्रवेश किया है, भारत में अवैध रूप से बस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवैध रूप से बसे हुए बांग्लादेशी/विदेशी नागरिक अपराधों/डकैतियों/आतंकवादी गतिविधियों/बम विस्फोटों/नशीले पदार्थों और हथियारों के अवैध व्यापार में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे लोगों की अपराधवार तथा राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए/जिन्हें दोषी सिद्ध किया गया/जेल भेजा गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार ऐसे कुल कितने अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है;

(च) क्या दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस ने अवैध रूप से बसे हुए लोगों को निर्वासित करने में अपनी असमर्थता जताई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) देश में ऐसे अवैध आप्रवासन और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) भारत की बांग्लादेश के साथ लम्बी एवं सुभेद्य सीमा, भौगोलिक समीपता, पारिवारिक संबंध और नृजातीय समानता एवं भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण भारत में बांग्लादेश से अवैध आप्रवजन हुआ। इसके अतिरिक्त, कुछ बांग्लादेशी राष्ट्रिक, जो अवैध यात्रा दस्तावेजों से भारत में आए वे भी इन्हीं कारणों से भारत में नियत अवधि से अधिक समय तक रहे हैं। हालांकि गुप्त रूप से सीमा पार से आए अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान आए उन बांग्लादेशियों की संख्या जो वैध यात्रा दस्तावेज से भारत आए और भारत में नियत समय से अधिक समय तक रहे हैं, निम्नलिखित हैं:

वर्ष	उन बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संख्या जो वैध यात्रा दस्तावेजों से भारत आए	नियत समय से अधिक समय तक रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संख्या
2005	4,85,640	12,338
2006	4,84,401	24,497
2007	5,00,234	25,712

(आंकड़े वर्ष विशिष्ट हैं)

(ग) और (घ) अवैध आप्रवासियों सहित विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने और उनकी अवैध गतिविधियों में संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले दर्ज करना तथा उन पर कार्रवाई करना पुलिस थानों तथा संबंधित राज्य सरकारों से संबंधित है। इस प्रवृत्ति के सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वैध यात्रा दस्तावेजों से आए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों, नियत समय से अधिक समय तक ठहरे राष्ट्रिकों और स्वदेश वापस भेजे गये राष्ट्रिकों की संख्या निम्नलिखित है:

2005	14,916
2006	13,692
2007	12,135

(आंकड़े वर्ष विशिष्ट हैं)

अवैध आप्रवासियों का संसूचन, गिरफ्तारी और उन्हें उनके देश वापस भेजना एक सतत प्रक्रिया है।

(च) और (छ) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ज) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत विदेशी राष्ट्रिकों को स्वदेश वापस भेजने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों का संसूचन एवं स्वदेश वापस भेजने की क्रियाविधि भी तैयार कर ली गई है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दी गई है जो इसे सतत आधार पर कार्यान्वित कर रहे हैं।

बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सीमा सड़क, सीमा पर बाड़ बनाना तथा तेज रोशनी करना।

(2) सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) द्वारा सीमाओं (भूमि एवं नदी क्षेत्र दोनों की) की चौबीसों घंटे निगरानी/पैट्रोलिंग।

(3) 1185 सीमा आउटपोस्टों की स्थापना करना जिसमें से 802 आउटपोस्टों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

(4) नाइट विजन डिवाइसेस सहित आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना।

(5) सीमाओं का, खासकर वहां जहां बाड़ अधूरी है अथवा व्यवहार्य नहीं है, समन्वित प्रबंधन करने के लिए बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण

*250. **श्री महावीर भगोरा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन जिलों के शैक्षणिक विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। वर्ष 2001 की जनगणना की जनसंख्या आंकड़ों तथा 18 से 24 आयु के सकल नामांकन अनुपात के आधार पर, देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल कॉलेजों की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने ऐसे 374 जिलों का अभिनिर्धारण किया है जिनमें उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत दर से कम था। इन जिलों की एक सूची विवरण के रूप में दी गई है।

(ग) और (घ) इन जिलों में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने और समजा के सुविधाविहीन एवं कमजोर वर्गों के बच्चों की उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार का ऐसे प्रत्येक जिले जिसमें सकल नामांकन अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम है, में एक मॉडल कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में वित्तीय सहायता पूंजीगत लागत का 1/3 तक होगी जिसकी अधिकतम सीमा 2.67 करोड़ प्रति कॉलेज होगी। यह सहायता इन कॉलेजों की सांविधिक इकाइयों के रूप में स्थापना हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकारें जैसा भी मामला हो, आवर्ती लागत के साथ-साथ पूंजीगत लागत का शेष दो तिहाई भाग प्रदान करेगा। राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे इन कॉलेजों को उन ब्लॉकों/कस्बों में स्थापित करें जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों की पर्याप्त संख्या हो। ग्यारहवीं योजना के दौरान ऐसे कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र के हिस्से को पूरा करने के लिए 782 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।

विवरण

उत्कृष्ट कालेजों की स्थापना

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**
   - अंडमान
   - निकोबार
2. **आंध्र प्रदेश**
   - आदिलाबाद
   - अनन्तपुर
   - पूर्वी गोदावरी
   - कुरनूल
   - महबूब नगर
   - मेडक
   - निजामाबाद
   - प्रकाशम
   - श्रीकाकुलम
   - विजयनगरम
   - पश्चिमी गोदावरी
3. **अरुणाचल प्रदेश**
   - चांगलांग
   - दीवंगवेली
   - पूर्वी कामेंग
   - लोहित
   - लोअर सुबनसिरी
   - तवांग
   - तीराप

अपर सियांग

अपर सुबनसिरी

पश्चिम कामेंग

पश्चिम सियांग

4. असम

बोंगाईगांव

कछार

दारांग

धुब्री

गोलपाड़ा

हैलाकांडी

कार्बी अंगलूंग

करीमगंज

मारीगांव

नौगांव

सोनितपुर

तिनसुखिया

5. बिहार

अरेरिया

औरंगाबाद

बंका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर (भबुआ)

कटिहार

खगरिया

किशनगंज

लखीसराय

माधेपुरा

मधुबनी

नवाडा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

श्योहर

सीतामढ़ी

सीवान

सुपौल

वैशाली

6. छत्तीसगढ़

बस्तर

बिलासपुर

दांतेवाड़ा

धामतरी

दुर्ग

जंजगीर-चम्पा

जसपुर

कानकेर

कावर्धा

कोरिया

महासमुंद

रायगढ़

रायपुर

राजनंदगांव

सरगुजा

7. **दादरा और नगर हवेली**

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन और दीव**

दमन

दीव

9. **गुजरात**

अमरेली

बनासकंठा

भरूच

भावनगर

दोहाद

जामनगर

जूनागढ़

कच्छ

खेड़ा

मेहसाना

नर्मदा

पंचमहल

पाटन

पोरबन्दर

राजकोट

साबरकांठा

सूरत

सुरेन्द्रनगर

दाडांग

वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहबाद

गुड़गांव

जींद

कैथल

करनाल

पानीपत

सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा

थकन्नौर (पू.)

लाहौल तथा स्पीति

सिरमौर

12. **जम्मू और कश्मीर**

अनन्तनाग

बडगाम

बारामूला

डोडा

कारगिल

कथुआ

कुपवाड़ा

लेह (लद्दाख)

पुंछ

राजौरी

ऊधमपुर

13. **झारखण्ड**

छतरा

देवघर

दुमका

गरहवा

गिरिडिह

गोड्डा

गुमला

कोडरमा

पाकुर

पलामू

पश्चिमी सिंहभूम

साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बगलकोट

बंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

चित्रदुर्ग

दक्षिण कन्नाड्ा

गडग

गुलबर्गा

हसन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मंड्या

रायचूर

टुमकुर

उदुपी (उडुपी)

उत्तर कन्नड

15. **केरल**

कासरगोड

मालापुरम

पलाक्कड

वेनाड

16. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप

17. **मध्य प्रदेश**

बालाघाट

बरवानी

बेतुल

भिंड

छतरपुर

छिंदवाड़ा

दमोह

दतिया

देवास

धार

डिंडोरी

ईस्ट नीमर

गुना

हरदा

झाबुआ

कटनी

मांडला

मंदसौर

मोरेना

नरसिंहपुर

नीमच

पन्ना

रायसेन

रायगढ़

रतलाम

सागर

सतना

सिहोर

सिओनी

शहडोल

शाजापुर

शिओपुर

शिवपुरी

सिधी

टीकमगढ़

उज्जैन

उमरिया

विदिशा

वेस्ट नीमर

18. **महाराष्ट्र**

बुल्दाना

गडचिरोली

हिंगोली

जालना

रायगढ़

रत्नागिरी

सिंधुदुर्ग

19. **मेघालय**

ईस्ट गारो हिल्स

जैनतिया हिल्स

रीभोई

साउथ गारो हिल्स

वेस्ट खासी हिल्स

20. **मिजोरम**

चम्फाई

कोलासिब

लांगतलाई

लंगलई

मामित

सेहा

सरचिप

21. **नागालैण्ड**

मोन

22. **उड़ीसा**

अंगुल

बोलांगीर

बारगढ़

बौद्ध

देवगढ़

धेनकनाल

गजपति

गंजम

कालाहाण्डी

कंधामल

केन्दुझर

कोरापुट

मल्कानगिरी

नवरंगपुर

नयागढ़

नूपाड़ा

रायगाड़ा

सेनपुर

23. **पाण्डिचेरी**

यनम

24. **पंजाब**

अमृतसर

भटिंडा

फरीदकोट

फतेहगढ़ साहिब

फिरोजपुर

गुरुदासपुर

कपूरथला

मंसा

मोगा

मुक्तसर

नवांशहर

पटियाला

संगरूर

25. **राजस्थान**

अजमेर

अलवर

बांसवाड़ा

बरन

बाड़मेर

भरतपुर

भीलवाड़ा

बीकानेर

बुन्दी

चित्तौरगढ़

चुरू

डोसा

धौलपुर

डुंगरपुर

गंगानगर

हनुमानगढ़

जैसलमेर

जालोर

झालावर

झुनझुनु

जोधपुर

करौली

नागौर

पाली

राजसामन्द

सवाई माधोपुर

सिकर

सिरोही

टोंक

उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व

उत्तर

दक्षिण

पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर

कोयम्बटूर

कुडालूर

धर्मपुरी

डिण्डीगुल

इरोड

कांचीपुरम

कन्याकुमारी

करूर

मदुरई

नागापट्टीनम

पैरमबल्लूर

पुडुकोट्टई

रामानाथापुरम

स्लेम

शिवगंगा

तंजावुर

दा नीलगिरीस

थणी

थिरूवल्लूर

थूवरूर

थूथुकुकड़ी

तिरूनेलवेली

तिरूथन्नमलई

वेलोर

वेलुपुरम

विरुद्धनगर

28. त्रिपुरा

धलाई

उत्तर त्रिपुरा

दक्षिण त्रिपुरा

पश्चिम त्रिपुरा

29. उत्तर प्रदेश

बहराइच

बलरामपुर

बांदा

बाराबंकी

बरेली

बस्ती

बिजनौर

बदायूं

बुलन्दशहर

चित्रकूट

ठटा

फर्रुखाबाद

फतेहपुर

गोंडा

हमीरपुर

हरदोई

हाथरस

ज्योतिबा फुले नगर

कन्नौज

कानपुर देहात

कौशाम्बी

खीरी

कुशीनगर

ललीतपुर

महाराजगंज

महोवा

मथुरा

मुरादाबाद

मुजफ्फरनगर

पीलीभीत

रायबरेली

रामपुर

सहारनपुर

संत कबीर नगर

शाहजहांपुर

श्रावस्ती

सिद्धार्थ नगर

सीतापुर

सोनभद्र

सुल्तानपुर

उन्नाव

30. उत्तरांचल

बागेश्वर

चम्पावत

31. पश्चिम बंगाल

बांकुरा

बर्धमान

बीरभूम

दक्षिण दिनाजपुर

दार्जीलिंग

हावड़ा

हुगली

जलपाइगुड़ी

कोच बिहार

मालदा

मीदनापुर

मुर्शीदाबाद

नाडिया

उत्तर 24 परगना

पुरूलिया

दक्षिण 24 परगना

उत्तर दिनाजपुर

कुल जिले - 374

[अनुवाद]

रबड़ उत्पादकों को सहायता

*251. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) रबड़ उत्पादकों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या हाल के वर्षों में प्राकृतिक रबड़ के बागान पुन:रोपित करने की दर कम होती जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार रबड़ उत्पादन बढ़ाने तथा विद्यमान बागान क्षेत्र में पुन: बागान लगाने हेतु वित्तीय सहायता देने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने एकड़ भूमि की पहचान हुई है और इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ज) इसके परिणामस्वरूप रबड़ के उत्पादन में अनुमानत: कितनी वृद्धि होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी हां। रिब्ड स्मोक्ड शीट (आरएसएस) 4 ग्रेड रबड़ की दैनिक कीमत दिनांक 28 अगस्त, 2008 को 142 रु. प्रति कि.ग्रा. से घटकर दिनांक 9 दिसम्बर, 2008 को 59.00 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई थी। मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) मुक्त वातावरण में रबड़ की घरेलू कीमतें सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय कीमत रूझानों के अनुरूप चलती हैं। रबड़ की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण हैं: (1) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमतों में अत्यधिक कमी; (2) वैश्विक ऑटोमोबाइल तथा संबंधित उद्योगों में मंदी का दौर; (3) कच्चे तेल की कीमत में अत्यधिक गिरावट; (4) अम. डा. की तुलना में जापानी येन में मजबूती के कारण टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज (टीओसीओएम) में रबड़ की कीमतों में गिरावट; और (5) प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों की मुद्राओं के मूल्य में कमी।

(ग) यद्यपि रबड़ की कीमतों में माह सितम्बर के मध्य से तेजी से गिरावट आई तथापि 1 अप्रैल से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए औसत घरेलू कीमत 116.67 रु. प्रति कि.ग्रा. रही थी जो वर्ष 2006-07 (92.04 रु. प्रति कि.ग्रा.) तथा वर्ष 2007-08 (90.85 रु. प्रति कि.ग्रा.) में घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की औसत वार्षिक कीमत से अधिक है। रबड़ के प्रसंस्करण और विपणन में सामूहिक नीति को बढ़ावा दिया जाता है। दिनांक 1.12.2008 से वायदा व्यापार के अस्थायी स्थगन को हटा दिया गया है। प्राकृतिक रबड़ के आयात की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(घ) और (ङ) यद्यपि हाल के वर्षों में पुनर्रोपित क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तथापि इसकी दर अपेक्षित नहीं रही है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ की कीमत तुलनात्मक रूप से अधिक रही है और किसानों ने इसी वजह से पुनर्रोपण को स्थगित करने को वरीयता दी है।

(च) और (छ) रबड़ बागानों के नवरोपण और पुनर्रोपण हेतु वित्तीय सहायता 11वीं योजना स्कीमों अर्थात् रबड़ बागान विकास स्कीम तथा पूर्वोत्तर (एनई) में रबड़ विकास स्कीम के जरिये प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन क्षेत्र-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। रबड़ बागान विकास स्कीम केरल तथा तमिलनाडु के परंपरागत रबड़ उत्पादन क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर से भिन्न गैर-परंपरागत क्षेत्रों में लागू है। नवरोपण (एनपी) तथा पुनर्रोपण (आरपी) के लिए सहायता की दर समान है। सहायता की दर, पात्रता एवं शामिल किये जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	सहायता की दर	पात्रता	लक्षित क्षेत्र	परिव्यय (करोड़ रु.)
परंपरागत क्षेत्र	19,500 रु. प्रति हेक्टेयर	सहायता 2 हेक्टेयर तक सीमित (5 हेक्टेयर तक रबड़ क्षेत्र रखने वाले उत्पादकों के लिए)	एनपी-7,500 हे. आरपी-30,000 हे.	एनपी-8.11 आरपी-32.23
पूर्वोत्तर से भिन्न गैर-परंपरागत क्षेत्र	30,000 रु. प्रति हेक्टेयर (रोपण सब्सिडी-22,000 रु., रोपण सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति-4000 रु., परिवहन अनुदान-4000 रु.)	20 हेक्टेयर तक रबड़ क्षेत्र रखने वाले उत्पादक	एनपी-2,500 हे. आरपी-1,750 हे.	एनपी-4.70 आरपी-3.30
पूर्वोत्तर क्षेत्र	30,000 रु. प्रति हेक्टेयर (रोपण सब्सिडी-22,000 रु., रोपण सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति-4000 रु., परिवहन अनुदान-4000 रु.)	20 हेक्टेयर तक रबड़ क्षेत्र रखने वाले उत्पादक	एनपी-25,000 हे. आरपी-1,750 हे.	एनपी-42.73 आरपी-3.30
कुल			68,500 हे.	94.37

(ज) देश में रबड़ के उत्पादन में लगभग 1,29,200 टन वार्षिक वृद्धि होने की आशा है।

चाय निर्यात

***252. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय चाय के निर्यात में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय चाय उन देशों में कम लोकप्रिय हो गई है जहां इसकी पहले भारी मांग थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विश्व बाजार में भारतीय चाय के कम हुए ग्राहकों को पुन: आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी हां। भारत से चाय के निर्यात में वर्ष 2006-07 (218.15 मिलियन कि.ग्रा.) की तुलना में वर्ष 2007-08 (185.32 मिलियन कि.ग्रा.) के दौरान पर्याप्त गिरावट दर्ज की गई है। निर्यात आय में मात्रा तथा मूल्य के रूप में क्रमश: 32.83 मिलियन कि.ग्रा. तथा 157.04 करोड़ रुपये की गिरावट आई है, जबकि निर्यात इकाई मूल्य में 8.14 रुपए प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान गिरावट के प्रमुख कारण भुगतान की समस्याओं की वजह से इराक को निर्यात में भारी गिरावट तथा रुपये में आई मजबूती रहे हैं। स्थानीय भुगतान समस्याओं के कारण वर्ष 2007-08 के दौरान इराक, जो एक प्रमुख निर्यात बाजार है, के साथ भारत का व्यापार 34.87 मिलियन कि.ग्रा. तक प्रभावित हुआ। जहां तक पाकिस्तान और केन्या को हुए निर्यातों का संबंध है, वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यातों में क्रमश: 8.57 मिलियन कि.ग्रा. और 5.09 मिलियन कि.ग्रा. की कमी आई है। केन्या में इस वर्ष के दौरान भारी फसल हुई, जिससे उस देश में उत्पादन में 19% की वृद्धि हुई और परिणामत: उनके निर्यातों में 10% की बढ़ोत्तरी हुई।

(ग) और (घ) दिन देशों में पहले भारतीय चाय की अधिक मांग थी, वहां इसे अब भी पसंद किया जा रहा है। जहां ग्राहक कीमत के प्रति संवेदनशील है, वहां भारतीय चाय की कुल खरीद कम है। तथापि, अन्य देशों से सस्ती चाय की उपलब्धता के कारण भारत से कुल खरीद कम रही है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु भारतीय चाय की निर्यात गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान 230 करोड़ रुपये के परिव्यय से गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत पुरानी और जीर्ण-शीर्ण प्रसंस्करण मशीनों को बदलने, प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, परम्परागत हरी तथा विशिष्टता युक्त अन्य प्रकार की चाय के उत्पादन हेतु नई सुविधाओं के सृजन के लिए जरूरतमंद चाय बागानों/कारखानों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड/सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करना और चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना शामिल है।

लघु उद्योगों का पुनरुद्धार

***253. श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
श्री बापू हरी चौरे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है तथा रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु सहित देश में रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय पैकेज एवं प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) अब तक पुनरुद्धार किये गये उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) 31 मार्च, 2007 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में कुल सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की संख्या अनुमानत: 1,28,46,365 है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित किये गये डाटा के अनुसार मार्च 2008 के अंत में (अनंतिम) देश में, रुग्ण एमएसई की संख्या 85,187 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) से (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए कोई सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। तथापि, एमएसई को क्रेडिट प्रदान करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए नये ऋणों सहित ऋण पुनर्संरचना के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य हेतु एमएसई में प्रारंभिक चरण में रुग्णता का पता लगाने और इसके लिए उपचारात्मक कदम उठाने के लिए तथा संभावित जीवनक्षम के रूप में पहचाने गये रुग्ण एमएसई के पुनर्वास हेतु जनवरी, 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने 10 अगस्त, 2005 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित "लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज" पर आधारित दिशा-निर्देश 8 सितम्बर, 2005 को जारी किये। ये दिशा-निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ जीवनक्षमता संबंधी मानदण्ड, पुनर्संरचित लेखों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, अतिरिक्त वित्त के प्रावधान तथा पुनर्गठन पैकेज तैयार करने व इसके कार्यान्वयन हेतु समय सीमा से संबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित किये गये डाटा के अनुसार मार्च, 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार नर्सिंग के तहत लिये गये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जीवनक्षम रुग्ण एमएसई संलग्न विवरण-2 में दर्शाए गए हैं।

विवरण I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की अनुमानित संख्या और रुग्ण एमएसई की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.07 की स्थिति के अनुसार एमएसई की अनुमानित संख्या	31.3.03 की स्थिति के अनुसार रुग्ण एमएसई की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	89,726	525
2.	हिमाचल प्रदेश	95,572	347
3.	पंजाब	4,41,797	1,530
4.	चंडीगढ़	26,612	128
5.	उत्तराखंड	1,37,618	484
6.	हरियाणा	2,63,308	606
7.	दिल्ली	2,10,905	961
8.	राजस्थान	5,38,728	3,061
9.	उत्तर प्रदेश	21,16,791	16,280
10.	बिहार	6,29,509	8,137
11.	सिक्किम	474	16
12.	अरुणाचल प्रदेश	1,578	2
13.	नागालैंड	19,024	74
14.	मणिपुर	57,171	50
15.	मिजोरम	14,335	0
16.	त्रिपुरा	29,141	16
17.	मेघालय	28,591	32
18.	असम	2,35,576	1,135
19.	पश्चिम बंगाल	9,21,221	11,660
20.	झारखण्ड	1,63,220	1,449
21.	उड़ीसा	4,68,468	3,000
22.	छत्तीसगढ़	3,15,118	1,710
23.	मध्य प्रदेश	9,76,981	5,166
24.	गुजरात	6,46,379	3,017
25.	दमन और दीव	3,999	22
26.	दादरा और नगर हवेली	3,171	28
27.	महाराष्ट्र	9,89,254	6,646
28.	आंध्र प्रदेश	10,43,512	5,439
29.	कर्नाटक	8,04,811	3,409
30.	गोवा	8,654	111
31.	लक्षद्वीप	675	0
32.	केरल	5,42,610	4,040
33.	तमिलनाडु	10,06,684	6,074
34.	पांडिचेरी	11,120	32
35.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	4,032	0
	अखिल भारतीय	1,28,46,365	85,187

विवरण II

मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार नर्सिंग के तहत लिये गये जीवनक्षम रुग्ण एमएसई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नर्सिंग के तहत लिये गये जीवनक्षम रुग्ण एमएसई (मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	0
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	पंजाब	8
4.	चंडीगढ़	2

1	2	3
5.	उत्तराखंड	1
6.	हरियाणा	2
7.	दिल्ली	11
8.	राजस्थान	2
9.	उत्तर प्रदेश	43
10.	बिहार	0
11.	सिक्किम	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	0
13.	नागालैंड	0
14.	मणिपुर	0
15.	मिजोरम	0
16.	त्रिपुरा	0
17.	मेघालय	0
18.	असम	0
19.	पश्चिम बंगाल	21
20.	झारखण्ड	0
21.	उड़ीसा	6
22.	छत्तीसगढ़	0
23.	मध्य प्रदेश	84
24.	गुजरात	3
25.	दमन और दीव	0
26.	दादरा और नगर हवेली	0
27.	महाराष्ट्र	71
28.	आंध्र प्रदेश	14
29.	कर्नाटक	16
30.	गोवा	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	केरल	76
33.	तमिलनाडु	899
34.	पांडिचेरी	2
35.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0
	अखिल भारतीय	1262

[हिन्दी]

महिला और बाल दुर्व्यापार

***254. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों से महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों का भारत में दुर्व्यापार किया जा रहा है तथा उन्हें विभिन्न अवैध कार्यों में धकेला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सामने आए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों पर मानक दुर्व्यापार रैकेट के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके कार्य करने के तरीकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार के पास उपलब्ध निगरानी/समन्वयन तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(च) महिलाओं और बच्चों सहित मानव दुर्व्यापार को रोकने और ऐसे लोगों को उनके देश वापस भेजने तथा पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को सूचित किये गये मामलों के अनुसार वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान देश में अवैध व्यापार से संबंधित अपराधों के कुल 6402, 5096 और 4087 मामलों की सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) सीबीआई ने उन पासपोर्टों को जारी किये जाने के लिए, जिनमें दूसरे व्यक्तियों के फोटोग्राफों का प्रयोग किया गया था, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के पदाधिकारियों और अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश की अदालत, सीबीआई, नई दिल्ली में 2008 में आरोप पत्र दायर किये हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने की कार्यप्रणाली यह थी कि वर्तमान पासपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त पासपोर्ट बुकलेट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता था और आवेदन पत्र में दूसरे व्यक्ति का फोटोग्राफ चिपकाया जाता था जबकि पासपोर्ट धारक का निजी विवरण वही रहता था। एक पासपोर्ट के बदले कई अतिरिक्त पासपोर्ट बुकलेट जारी की गई थी और ऐसे पासपोर्टों पर कई लोगों ने यात्रायें भी की थी।

(ङ) और (च) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं इसलिए अवैध मानव व्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारें मुख्यत: जिम्मेदार हैं। तथापि, व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव, एमडब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (आईटीपी) के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन किया गया है जिसमें राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय संगठनों और एनजीओ आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा इसकी तिमाही बैठकें होती हैं।

2. गृह मंत्रालय ने मानवों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल कक्ष की स्थापना की है। इसने इस संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दिनांक 5 जुलाई, 2006 को सलाह भी जारी की है।

3. भारतीय कानून प्रवर्तन तंत्र की क्षमता को सुदृढ़ करके और अवैध व्यापार के संबंध में उनकी जागरुकता बढ़ा कर भारत में और भारत से व्यक्तियों के अवैध व्यापार को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए भारत सरकार के साथ यूएनओडीसी की एक परियोजना को 2006 में देश के पांच राज्यों में शुरू किया गया है जिसके तहत इन राज्यों में मानव के अवैध व्यापार विरोधी यूनिटें स्थापित की गई हैं।

4. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोग किये जाने के लिए ''जांचकर्त्ताओं के लिए मानव के अवैध व्यापार की नियम पुस्तिका'' के संबंध में प्रशिक्षण नियम पुस्तिका तैयार की है। बीपीआरएंडडी, महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा की ओर पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए क्षेत्रीय अवैध व्यापार विरोधी कार्यशालायें आयोजित करता है। आज तक विभिन्न शहरों में ऐसी कई कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी हैं।

5. वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए द. एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यबल का गठन किया गया है और सभी सदस्य देशों में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा परिचालित किया गया है। प्रस्तावित एसओपी पर कुछ सदस्य देशों की टिप्पणियां/विचार प्रतीक्षित हैं।

6. इसके अतिरिक्त एमडब्ल्यूसीडी भी विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए शार्ट स्टे होम्स (300 से अधिक) स्वाधार होम्स (लगभग 220) जैसे आश्रय स्थल भी चलाता है। ये स्थल, अवैध व्यापार से बचाई गई महिलाओं/लड़कियों या वैश्यागरों या अन्य स्थानों से भागी इन महिलाओं/लड़कियों तथा यौन अपराधों की पीड़ित उन महिलाओं/लड़कियों की जरूरतों को भी पूरा करते हैं जिन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया है या जो अलग-अलग कारणों से अपने-अपने परिवारों के पास वापस नहीं जाना चाहती हैं।

7. निवारक क्रियाकलापों और विशेष आश्रय स्थल स्थापित करके व्यापारिक यौन शोषण के अवैध व्यापार के पीड़ितों को बचाने तथा पुनर्वास करने और बचाव लागत, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता आदि के प्रावधान के लिए अवैध व्यापार निवारण हेतु ''उज्ज्वला'' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

8. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में कई संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसके क्षेत्र का विस्तार किया जा सके, अवैध व्यापार करने वालों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके और उनके दंड को और कठोर बनाया जा सके।

9. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) और यूएनआईसीईएफ के साथ मिल कर स्टेकहोल्डरों के

प्रशिक्षण के लिए "जूडिशियल हैंडबुक ऑन कंबैटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ वीमैन एंड चिल्ड्रेन फार कमर्शियल सैक्सुअल एक्सप्लाइटेशन" और अन्य जैसी कई नियम पुस्तिकाओं का विकास किया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा हेतु आवंटन

***255. श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
श्री अनंत कुमार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को योजना-वार तथा राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक रूप से राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का अल्प उपयोग करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा प्राथमिक शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या प्रशिक्षण तथा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए आवंटन में वृद्धि की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में बच्चों के नामांकन के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल कितने बच्चों का नामांकन होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (च) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्यवार निधियों एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान किये गये व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को किये गये निधियों के आवंटन के बारे में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 6-14 वर्ष के आयुवर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या जो कि वर्ष 2001 में 3.20 करोड़ थी, मार्च 2008 में घटकर 45 लाख हो गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यकलाप किये गये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिष्य-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए अध्यापकों की भर्ती, प्रतिवर्ष अध्यापकों का नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, ब्लॉक तथा क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से प्रारंभिक स्कूलों को नियमित सहायता तथा छात्रों के उपलब्धि स्तरों का आवधिक व्यक्तिगत परीक्षण भी शामिल है।

विवरण I

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान दिया गया अनुदान तथा किया गया व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय*	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय*	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय*	भारत सरकार द्वारा जारी (25.11.2008 तक)	व्यय* (30.9.2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	37999.00	55816.48	46245.56	72236.73	28100.00	43225.95	38992.79	39378.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	5750.80	7143.74	9978.27	11043.55	11039.93	6549.15	2411.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	13850.00	24803.64	51464.72	42389.70	28903.62	54634.2	17740.91	17174.94
4.	बिहार	32399.56	46675.91	107744.39	155708.97	135417.64	194222.17	96158.47	74371.51
5.	छत्तीसगढ़	30184.39	42766.88	50182.20	64341.50	46787.76	66685.9	51833.86	39909.24
6.	गोवा	728.12	497.39	724.12	1405.29	899.57	1269.78	804.41	723.94
7.	गुजरात	15084.84	23983.13	14806.97	28102.88	22658.26	27604.61	25432.47	19070.72
8.	हरियाणा	10196.55	19858.58	25647.12	30388.70	14220.00	22988.77	10452.31	7102.51
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	9929.61	6250.75	10057.88	7638.30	10882.92	8552.99	5098.54
10.	जम्मू-कश्मीर	18530.65	20830.69	22083.37	31624.72	20063.27	27059.15	14949.6	16841.74
11.	झारखंड	28568.50	37759.90	51515.00	64639.24	80748.99	80623.91	54041.09	48636.83
12.	कर्नाटक	28303.78	40422.99	54206.98	70192.82	40604.78	68739.93	42578.19	34097.81
13.	केरल	5939.00	10329.19	6382.00	10159.20	8323.42	13890.13	4724.28	4166.29
14.	मध्य प्रदेश	77173.12	104047.48	110879.68	148894.45	86769.94	121186.62	38225.35	73465.9
15.	महाराष्ट्र	50235.31	60458.50	52158.56	78115.07	45729.96	76383.12	31884.23	22412.08
16.	मणिपुर	3208.44	2051.96	9.24	1799.78	1850.95	2086.24	0	12.52
17.	मेघालय	1921.00	2356.34	4294.00	7181.86	9359.63	10854.02	2339.9	4359.44
18.	मिजोरम	2559.15	3573.86	3441.69	4760.32	4212.02	4718.29	2357.73	2064.78
19.	नागालैंड	2323.01	2879.40	2315.20	230.86	4596.00	4576.17	2367.87	668.33
20.	उड़ीसा	32792.50	38438.92	44010.95	65778.72	62853.68	80401.37	30713.42	35770.17
21.	पंजाब	14683.89	21890.86	12879.92	15805.66	10493.88	12705.46	13792.65	12700.86
22.	राजस्थान	60313.43	75884.00	75809.82	111679.04	101307.20	134401.35	50326.8	43924.8
23.	सिक्किम	1062.50	964.64	402.41	863.00	1036.25	895.76	259	284.98
24.	तमिलनाडु	35329.53	47961.24	37329.65	55760.67	53125.09	60672.13	21276.73	25930.5
25.	त्रिपुरा	7070.19	8163.00	5330.01	8705.50	4178.49	4294.16	3103.1	1541.58
26.	उत्तर प्रदेश	182799.00	223373.86	206654.00	265381.00	204758.00	294482	151709.66	118913.78
27.	उत्तराखंड	10004.00	14687.32	16934.00	20527.05	13162.80	18572.09	2217.62	7867.66
28.	पश्चिम बंगाल	34199.79	48221.52	61736.80	94214.72	90571.68	101725.21	34489	38199.47
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163.00	448.59	419.62	586.28	187.10	261.62	324.18	166.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	350.00	125.81	300.00	708.00	934.95	1314.98	233.74	562.38
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	379.22	100.00	310.75	418.54	287.19	104.63	336.55
32.	दमन और दीव	111.91	58.00		26.19		130.91	0	51.46
33.	दिल्ली	1100.00	2557.13	4230.24	4958.20	1671.55	2973.37	1029.01	1251.04
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.91	87.47	8.85		112.33	70	39.12
35.	पांडिचेरी	529.40	568.79		407.82	577.07	666.52	144.26	411.53

*राज्य भाग सहित

विवरण II

मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई केन्द्रीय निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (4.12.2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	21201.44	36885.14	46741.75	8343.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	401.9	2841.29	1216.87	1277.85
3.	असम	10885.25	29728.85	14690.43	24191.33
4.	बिहार	36782.62	47829.87	48723.66	15451.55
5.	छत्तीसगढ़	9675.89	15533.19	17146.69	16695.97
6.	गोवा	177.02	277.87	306.70	584.49
7.	गुजरात	10526.76	17640.71	14304.58	22221.70
8.	हरियाणा	4050.12	5926.58	6369.06	7212.86
9.	हिमाचल प्रदेश	2196.75	4399.52	3107.79	10837.85
10.	जम्मू-कश्मीर	1542.56	5939.78	3741.14	5347.07
11.	झारखंड	13162.89	15429.01	21752.17	15088.99
12.	कर्नाटक	14726.33	24746.02	33851.43	26834.04
13.	केरल	4476.09	6231.79	7420.20	14206.86
14.	मध्य प्रदेश	26197.07	49718.43	63583.40	39893.80
15.	महाराष्ट्र	13563.88	45328.13	33702.61	53872.63

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	915.09	1414.75	986.76	1477.41
17.	मेघालय	1600.93	2650.65	3743.76	2252.81
18.	मिजोरम	290.97	621.65	485.00	1392.37
19.	नागालैंड	550.17	1693.06	1195.29	1016.05
20.	उड़ीसा	7304.95	27980.77	38294.23	18428.83
21.	पंजाब	1774.16	6224.98	8100.21	9387.69
22.	राजस्थान	17410.58	27561.57	48330.18	10111.67
23.	सिक्किम	463.87	788.51	418.86	440.67
24.	तमिलनाडु	13646.96	14484.04	18031.19	27183.86
25.	त्रिपुरा	1688.4	2762.46	2448.56	3283.84
26.	उत्तर प्रदेश	2962.43	4947.95	4545.25	6133.33
27.	उत्तरांचल	51277.82	2664.11	94690.18	37927.09
28.	पश्चिम बंगाल	45464.52	39644.01	41544.53	18020.19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40.06	46.52	125.52	353.06
30.	चंडीगढ़	172.87	100.32	361.75	335.22
31.	दादरा और नगर हवेली	89.47	92.01	180.56	58.02
32.	दमन और दीव	50.81	24.59	54.30	30.69
33.	दिल्ली	3093.85	943.73	2914.07	6161.32
34.	लक्षद्वीप	20.3	1.06	0.00	19.59
35.	पांडिचेरी	128.09	201.70	244.41	491.28

प्रौढ़ साक्षरता

***256. प्रो. एम. रामदास:**
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रौढ़ साक्षरता के संबंध में विश्व में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) देश में प्रौढ़ साक्षरता की राज्य-वार वर्तमान दर क्या है;

(ग) वर्ष 2009 की समाप्ति तक इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) प्रौढ़ साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का कुछ राज्यों में दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) सभी के लिए शिक्षा संबंधी ग्लोबल मॉनीटरी रिपोर्ट 2009 में समग्र शिक्षा विकास सूचकांक जिसमें प्राइमरी निवल नामांकन दर (एनईआर), प्रौढ़ साक्षरता दर, स्त्री-पुरुष विशिष्ट सभी के लिए शिक्षा सूचकांक तथा ग्रेड पांच तक प्रतिधारण दर शामिल है, के आधार पर विश्व के देशों की रैंकिंग की जाती है। इस सूची में भारत का 102वां स्थान है।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत है। राज्य-वार साक्षरता दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) देश में साक्षरता संबंधी आंकड़ा भारत के महापंजीयक द्वारा संचालित दशकीय जनगणना के माध्यम से एकत्र किया जाता है। वर्ष 2001 में आयोजित पिछली जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी और अद्यतन साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों में कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा हेतु प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान हेतु वित्तीय परिव्यय में वृद्धि करके सरकारी/स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों आदि में कक्षा 1-8 में अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए पका पकाया मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करके प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु और इसी प्रक्रिया के जरिये प्रौढ़ निरक्षरों के पूल में लोगों के आगमन को रोकने हेतु कई उपाय किये गये हैं।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। हालांकि, निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं अथवा शिकायत के स्वरूप के आधार पर विभाग द्वारा अलग से जांच-पड़ताल की जाती है। बरती गई अनियमितता की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई की जाती है और ऐसी परियोजनाओं हेतु आगे अनुदान जारी करने पर जांच के परिणाम आने तक रोक लगा दी जाती है।

विवरण

जनगणना रिपोर्ट 2001 के अनुसार राज्य-वार साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	साक्षरता दर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.34
3.	असम	63.25
4.	बिहार	47.00
5.	छत्तीसगढ़	64.66
6.	गोवा	82.01
7.	गुजरात	69.14
8.	हरियाणा	67.91
9.	हिमाचल प्रदेश	76.48
10.	जम्मू-कश्मीर	55.52
11.	झारखंड	53.56
12.	कर्नाटक	66.64
13.	केरल	90.86
14.	मध्य प्रदेश	63.74
15.	महाराष्ट्र	76.88
16.	मणिपुर	70.53
17.	मेघालय	62.56
18.	मिजोरम	88.80
19.	नागालैंड	66.59
20.	उड़ीसा	63.08
21.	पंजाब	69.65
22.	राजस्थान	60.41
23.	सिक्किम	68.81
24.	तमिलनाडु	73.45

1	2	3
25.	त्रिपुरा	73.19
26.	उत्तराखंड	71.62
27.	उत्तर प्रदेश	56.27
28.	पश्चिम बंगाल	68.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	81.30
30.	चंडीगढ़	81.94
31.	दादरा और नगर हवेली	57.63
32.	दमन और दीव	78.18
33.	दिल्ली	81.67
34.	लक्षद्वीप	86.66
35.	पांडिचेरी	81.24
	संपूर्ण भारत	64.84

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

***257. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु कोई नीति दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विलम्ब/अनुपालन न किये जाने की घटनाएं हुई हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बिहार और उड़ीसा के पिछड़े जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त इकाइयों के प्रस्तावित स्थल कौन से हैं तथा किस समय-सीमा के भीतर इन इकाइयों की स्थापना किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) योजना आयोग द्वारा अपनी योजना "पिछड़ा जिला अनुदान निधि" के प्रयोजन हेतु 2005 में आरंभ किये गये कार्य के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में 170 जिले, पिछड़े जिलों के रूप में चिन्हित किये गये थे, की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) इस संबंध में कोई नीतिगत दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि, औद्योगिक पिछड़ेपन के जिला विशिष्ट मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से अंतर्विभागीय बैठकें आयोजित की गई हैं और ठोस नीतिगत निर्णयों को अंतिम रूप देने एवं कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध प्रासंगिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि विभिन्न जिलों के औद्योगिक पिछड़ेपन के मामलों का अंशांकित तरीके से सम्प्रयोजन समाधान किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात्, निवेश संबंधी निर्णयों को उद्यमियों की व्यावसायिक समझ पर छोड़ दिया गया है। अब सरकार की भूमिका नियंत्रणकारी से बदलकर सहायक व मार्गदर्शक की हो गई है, जिसे वह आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण पारदर्शी बनाकर तथा विलंबों को दूर करके निभाती है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की पहल करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की ही है। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिये उनके प्रयासों में सहायता करती है, जिसकी पिछड़े क्षेत्रों की ओर पूंजी प्रवाह को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
2.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर
3.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
4.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर
5.	आंध्र प्रदेश	मेढक

1	2	3
6.	आंध्र प्रदेश	मालगोंडा
7.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
8.	आंध्र प्रदेश	वारंगल
9.	असम	बारपेटा
10.	असम	कच्चार
11.	असम	धीमाजी
12.	असम	गोलपाड़ा
13.	असम	हालाकाड़ी
14.	असम	करबीआंग्लोंग
15.	असम	कोकराझार
16.	असम	मारीगांव
17.	बिहार	अररिया
18.	बिहार	औरंगाबाद
19.	बिहार	बांका
20.	बिहार	बेगुसराय
21.	बिहार	भागलपुर
22.	बिहार	भोजपुर
23.	बिहार	बक्सर
24.	बिहार	दरभंगा
25.	बिहार	गया
26.	बिहार	गोपालगंज
27.	बिहार	जमोई
28.	बिहार	जहांनाबाद
29.	बिहार	कैमूर (भाबुआ)
30.	बिहार	कटिहार
31.	बिहार	खगरिया
32.	बिहार	किशनगंज
33.	बिहार	लखीसराय
34.	बिहार	मधेपुरा
35.	बिहार	मधुबनी
36.	बिहार	मुंगेर
37.	बिहार	मुजफ्फरपुर
38.	बिहार	नालन्दा
39.	बिहार	नवादा
40.	बिहार	पश्चिम चंपारन
41.	बिहार	पटना
42.	बिहार	पूर्वी चंपारन
43.	बिहार	पूर्नियां
44.	बिहार	रोहतास
45.	बिहार	सहरसा
46.	बिहार	समस्तीपुर
47.	बिहार	सारन
48.	बिहार	शेखपुरा
49.	बिहार	सेवहर
50.	बिहार	सीतामढ़ी
51.	बिहार	सुपोल
52.	बिहार	वैशाली
53.	छत्तीसगढ़	बस्तर
54.	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा
55.	छत्तीसगढ़	जसपुर
56.	छत्तीसगढ़	कांकेर
57.	छत्तीसगढ़	कवार्धा
58.	छत्तीसगढ़	कोरबा
59.	छत्तीसगढ़	महासमंद

1	2	3
60.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
61.	छत्तीसगढ़	सर्गुजा
62.	गुजरात	दोहाड
63.	झारखण्ड	बोकारो
64.	झारखण्ड	छत्र
65.	झारखण्ड	देवधर
66.	झारखण्ड	धनबाद
67.	झारखण्ड	दुमका
68.	झारखण्ड	गरवा
69.	झारखण्ड	गिरीडीह
70.	झारखण्ड	गोड्डा
71.	झारखण्ड	गुमला
72.	झारखण्ड	हजारीबाग
73.	झारखण्ड	कोदारमा
74.	झारखण्ड	लोहारडग्गा
75.	झारखण्ड	पाकुड
76.	झारखण्ड	पलामू
77.	झारखण्ड	पश्चिम सिंग
78.	झारखण्ड	रांची
79.	झारखण्ड	साहिबगंज
80.	मध्य प्रदेश	बालाघाट
81.	मध्य प्रदेश	बारवानी
82.	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
83.	मध्य प्रदेश	दामोह
84.	मध्य प्रदेश	डिन्डोरी
85.	मध्य प्रदेश	गुना
86.	मध्य प्रदेश	झाबुआ
87.	मध्य प्रदेश	कटनी
88.	मध्य प्रदेश	मांडला
89.	मध्य प्रदेश	पन्ना
90.	मध्य प्रदेश	राजगढ़
91.	मध्य प्रदेश	रीवा
92.	मध्य प्रदेश	सिवोनी
93.	मध्य प्रदेश	शहडोल
94.	मध्य प्रदेश	सेवपुर
95.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
96.	मध्य प्रदेश	सिद्धी
97.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
98.	मध्य प्रदेश	उमार्या
99.	मध्य प्रदेश	पश्चिम निमोर
100.	महाराष्ट्र	भदारा
101.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
102.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली
103.	महाराष्ट्र	गोंडिया
104.	मणिपुर	चंदेल
105.	मणिपुर	चरचंदपुर
106.	मेघालय	रिभोई
107.	मेघालय	साउथ गारो हिल
108.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल
109.	नागालैण्ड	मोन
110.	नागालैण्ड	ट्यूनसेंग
111.	नागालैण्ड	वोखा
112.	उड़ीसा	बालांगीर
113.	उड़ीसा	बौद्ध

1	2	3
114.	उड़ीसा	देबागढ़
115.	उड़ीसा	गजपति
116.	उड़ीसा	गंजम
117.	उड़ीसा	कालाहांडी
118.	उड़ीसा	कांधमल
119.	उड़ीसा	केदूझर
120.	उड़ीसा	कोरापुट
121.	उड़ीसा	मल्कानगिरी
122.	उड़ीसा	मयूरभंज
123.	उड़ीसा	नबरंगपुर
124.	उड़ीसा	नौपाड़ा
125.	उड़ीसा	रायागादा
126.	उड़ीसा	सोनापुर
127.	राजस्थान	बासवाड़ा
128.	राजस्थान	बाड़मेर
129.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
130.	राजस्थान	डुंगरपुर
131.	राजस्थान	जैसलमेर
132.	राजस्थान	जालौर
133.	राजस्थान	करोली
134.	राजस्थान	सवाई माधोपुर
135.	राजस्थान	टोंक
136.	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर
137.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
138.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
139.	उत्तर प्रदेश	बांदा
140.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
141.	उत्तर प्रदेश	बस्ती
142.	उत्तर प्रदेश	बदायूं
143.	उत्तर प्रदेश	चन्दोली
144.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
145.	उत्तर प्रदेश	ऐटा
146.	उत्तर प्रदेश	फरुखाबाद
147.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर
148.	उत्तर प्रदेश	गोंडा
149.	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर
150.	उत्तर प्रदेश	हरदोई
151.	उत्तर प्रदेश	जालोन
152.	उत्तर प्रदेश	कौसाम्बी
153.	उत्तर प्रदेश	खीरी
154.	उत्तर प्रदेश	खुशीनगर
155.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर
156.	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
157.	उत्तर प्रदेश	मोहाबा
158.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर
159.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली
160.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
161.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
162.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
163.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
164.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
165.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
166.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा
167.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिंजापुर
168.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
169.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
170.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिंजापुर

पारम्परिक ज्ञान आधारित वस्तुओं का पेटेंट

*258. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका तथा अन्य देशों में योग, आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य लाभ तथा औषधीय पौधों जैसी पारंपरिक ज्ञान आधारित मदों/वस्तुओं/प्रथाओं के संबंध में पेटेंट तथा ट्रेडमार्क प्राप्त किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे प्रदत्त पेटेंटों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पारम्परिक भारतीय ज्ञान तथा विरासत पर आधारित वस्तुओं के संबंध में अन्तरराष्ट्रीय पेटेंट जारी करने का विरोध करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों में अब तक कितनी सफलता या असफलता मिली है;

(ङ) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अंतर्राष्ट्रीय विरासत से पारम्परिक भारतीय ज्ञान और विरासत को सुरक्षित रखने तथा देश के कानूनों में संशोधन करने अथवा नये कानून बनाने के कोई प्रयास कर रही है;

(च) यदि हां, तो डब्ल्यूटीओ में की जा रही कार्यवाही और नये कानूनों के लिए की जा रही ऐसी किसी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पेटेंट विभिन्न देशों के प्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत उनके संबंधित पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और ये अधिकार क्षेत्र के भीतर ही प्रभावी होते हैं, अर्थात्, ये केवल उसी देश में प्रभावी होते हैं जो इन्हें प्रदान करता है। किसी आविष्कार को, चाहे वह प्रक्रिया हो या उत्पाद, किसी भी देश में पेटेंट दिये जाने के योग्य होने के लिए पेटेंट के मानदंड पूरे करने होते हैं। ये मानदंड हैं–नवीनता, आविष्कार का गुण तथा औद्योगिक व्यवहार्यता। भारतीय वस्तुएं/मदें, जो पहले ही जनता की जानकारी/क्षेत्र में हैं, पेटेंट नहीं की जा सकतीं। तथापि, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड मार्क ऑफिस (यूएसपीटीओ) के आंकड़ों में खोज करने से पता चलता है कि यूएसपीटीओ ने 168 पेटेंट मुख्यत: योग संबंधी उपकरणों और सहायक सामग्री, जैसे कि योगा गद्दे, ग्रिप ब्लॉक योगा जुराबें, शरीर को तानने संबंधी उपकरण, आदि के लिए प्रदान किये हैं। इसी प्रकार, योग की सहायक सामग्री पर लगभग 3700 ऐसे व्यापार चिन्ह हैं, जिन्हें यूएसपीटीओ ने पंजीकृत तथा लंबित व्यापार चिन्हों के आंकड़ा आधार में सूचीबद्ध किया है। विश्वभर में पेटेंट की गई उन मदों/वस्तुओं/पद्धतियों के आंकड़े ही रखे जाते जो पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होती हैं।

(ग) और (घ) चूंकि पेटेंट मूलत: निजी अधिकार होते हैं, अत: उन्हें आमतौर पर संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्ति (यों) द्वारा चुनौती दी जाती है, जिनके हित प्रभावित होते हैं/खतरे में पड़ते हैं। जब भी पारंपरिक ज्ञान के अतिक्रमण के स्पष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं, सरकार द्वारा मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट किये जाने से बचाने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 में उपबंध किये गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3(त) में यह प्रावधान है कि कोई आविष्कार, जो वास्तव में पारंपरिक ज्ञान है अथवा जो पारंपरिक तौर पर ज्ञात घटक या घटकों के ज्ञात गुणों का समुच्चय या नकल है, पेटेंट किये जाने योग्य नहीं है। इस अधिनियम की धारा 3(ञ) में आगे व्यवस्था है कि सूक्ष्म-जीवों (माइक्रोआर्गनिज्म) को छोड़कर पूरा पादप या उसका कोई भी हिस्सा लेकिन जिसमें बीज, किस्में और पादपों के उत्पादन या प्रसार हेतु मूलत: जैव-प्रक्रियाएं शामिल हैं, पेटेंट किये जाने योग्य नहीं हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) के अनुसार, प्रकृति में पाई जाने वाली किसी सजीव या निर्जीव वस्तु की खोज मात्र भी पेटेंट किये जाने योग्य नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 25 और 64 में, पेटेंट के विरोध व उसे रद्द करवाने के एक आधार के तौर पर, उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा, जिसमें मौखिक ज्ञान शामिल है, आविष्कार के अनुमान को शामिल किया गया है।

सरकार ने पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं, नामत: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिश और जापानी में एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) आंकड़ा आधार तैयार किया है, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी सहित पारंपरिक चिकित्सा का संहिताबद्ध ज्ञान शामिल है। इसका उद्देश्य ऐसे आविष्कारों को पेटेंट दिये जाने से रोकना है, जो मात्र पारंपरिक ज्ञान हैं।

(ङ) से (छ) सरकार ने पहले ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (टीआरआईपीएस) पर समझौते के आदेशपत्र की समीक्षा हेतु कार्यवाही कर दी है, ताकि टीआरआईपीएस समझौते में एक ऐसे नए उपबंध को शामिल करने हेतु संशोधन किया जा सके, जिससे पेटेंट आवेदनों के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि उनके आविष्कार में शामिल सभी जैव संसाधनों अथवा संबंधित पारंपरिक

ज्ञान को प्रकट किया जाए। सरकार द्वारा इस मामले पर टीआरआईपीएस की परिषद् बैठकों में सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है।

पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु अनेक भारतीय कानूनों में उपबंध हैं, जैसे कि पेटेंट अधिनियम, 1970; वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999; पादप प्रजाति और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा जैव-विविधता अधिनियम, 2002। वर्तमान में, मौजूदा कानूनों को संशोधित करने अथवा पारंपरिक ज्ञान के लिए एक अकेला कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वैश्विक संकट का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव

***259. श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक वित्तीय संकट ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह को धीमा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने वैश्विक नकदी संकट का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्वव्यापी मंदी के कारण चालू परियोजनाएं/क्षेत्र प्रभावित होंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु एक आकर्षक लक्ष्य बना रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह, जो 2005-06 में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर के थे, 2007-08 में बढ़कर 24.5 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर हो गए हैं। अप्रैल-अक्तूबर, 2008 के दौरान एफडीआई अन्तर्वाह 18.7 बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर थे। अप्रैल-सितंबर, 2008 के दौरन एफडीआई अन्तर्वाहों ने हर माह इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई। लेकिन, अक्तूबर, 2008 में अंतर्वाहों में, वर्ष 2007 की इसी अवधि की तुलना में 26% की कमी देखी गई है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों और विश्व भर में किये गये विश्लेषणों के आधार पर यह पाया गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के एफडीआई अंतर्वाहों में आमतौर पर कमी आएगी।

(ङ) विशिष्ट परियोजनाओं/क्षेत्रों पर विश्वव्यापी मंदी के प्रभाव का निर्धारण करना कठिन होगा।

(च) उदारीकृत आर्थिक वातावरण में, निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय जिन बातों पर आधारित होते हैं वे हैं-वृहद-आर्थिक नीतिगत ढांचा, मेजबान देश में निवेश का माहौल, अंतर्राष्ट्रीय निगमों की निवेश नीतियां एवं अन्य व्यावसायिक महत्व के मुद्दे। सरकार ने एफडीआई पर एक उदार व निवेशक अनुकूल नीति लागू की हुई है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए स्वत: मार्ग के अधीन 100% तक एफडीआई की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2007 और 2008 के लिए यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्टों में भारत को दूसरे सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्य का दर्जा दिया गया है। सरकार ने भी अर्थव्यवस्था में मांग को तेज करने के लिए बहुत सारे उपायों की घोषणा की है, जिससे भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रह सकेगा।

अवैध हथियारों की तस्करी

***260. श्री उदय सिंह:**
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हथियारों, मादक पदार्थों, तम्बाकू उत्पादों सहित विभिन्न मदों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में जब्त किये गये मदों की मात्रा सहित रिपोर्ट किये गये मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तस्करी में भारतीय नागरिकों के साथ ड्रग सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहे विदेशी नागरिकों की संलिप्तता की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान विदेशियों सहित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ङ) क्या अवैध हथियारों की तस्करी के कारण देश में हथियारों को अवैध रूप से रखे जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रकार की तस्करी के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं। उपलब्ध जानकारी, प्राप्त रिपोर्टों और की गई जब्ती से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में बढ़ोत्तरी का संकेत नहीं मिलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) स्वापक मादक द्रव्य और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत गिरफ्तार भारतीय नागरिकों और विदेशी राष्ट्रिकों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	2005	2006	2007	2008 (नवम्बर तक) (अनंतिम)
गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या	19573	20456	22086	14626
गिरफ्तार विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या	173	232	181	148

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये/उठाये जा रहे प्रयासों में शामिल हैं चौबीसों घंटे गश्त लगाकर सीमाओं की प्रभावी निगरानी, पश्चिमी एवं पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना, रात के दौरान पर्यवेक्षण संवर्धन के लिए सीमा पर तेज रोशनी करना, सीमा पर गश्त लगाने तथा अंतरावरोधन के लिए सीमा सड़कों का निर्माण, रात्रि के समय तथा खराब मौसम के दौरान पारगमन का पता लगाने के लिए आधुनिक तथा उच्च तकनीकी वाले निगरानी उपकरणों की शुरुआत, आसूचना नेटवर्क का उन्नयन तथा अग्रणी आसूचना एजेंसियों के अंतर्गत सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय, कार्यात्मक तथा निदेशात्मक स्तर पर आयोजित बैठकें, ज्ञात ड्रग मार्गों के किनारे व्यापक निवेधकारी एवं निवारक उपाय, ड्रग्स की तस्करी रोकने में विधि प्रवर्तन कार्मिकों की दक्षता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, पात्र राज्यों को अपनी स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय को अनुदान

2453. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने प्रौद्योगिकी मानकों के विकास और अनुसंधान हेतु विशेष अनुदान के लिए हाल ही में अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के मानकों को विकसित करने के लिए किसी विशिष्ट अनुदान का कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया है।

एनडीएमसी क्षेत्र में पेड़ों की सुरक्षा

2454. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष तूफान, भारी बारिश के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ गिर/उखड़ जाते हैं और फुटपाथ को पक्का बनाने तथा लोक निर्माण कार्यों के कारण काटे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गिरे/उखड़े, काटे गये पेड़ों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या एनडीएमसी क्षेत्र में पेड़ों की दशा के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने पेड़ों को गिरने से बचाने, वर्तमान पेड़ों को मजबूत करने, नये पौधे लगाने इत्यादि हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने नये पौधे लगाये गये यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) आंधी आने और भारी वर्षा होने पर पेड़ गिरते हैं। तथापि, सिविल निर्माण आदि कार्य करने के लिए पेड़ों को तभी काटा जाता है जब संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान गिरे पेड़ों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	गिरे पेड़ों की संख्या
2005-06	102
2006-07	138
2007-08	71
2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)	62
कुल	373

(ग) और (घ) पेड़ों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। संस्थान ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, संस्थान के वैज्ञानिकों ने एनडीएमसी क्षेत्र का दौरा किया और पेड़ों का संरक्षण करने और कीटों तथा फफूंद की बीमारी का इलाज करने के लिए नियुक्त फील्ड स्टाफ का मार्गदर्शन किया।

(ङ) और (च) पेड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा उठाये गये कदमों में नियमित रूप से मिट्टी बदल कर और उर्वरक डाल कर पेड़ के आस-पास के क्षेत्र में सुधार करना, ग्राउंड कवर बढ़ाना; कीटों और फफूंद की बीमारी का इलाज करना; उचित संतुलन बनाए रखने के लिए छंटनी करना; खतरनाक पेड़ों को हटाना आदि शामिल है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने यह भी सूचित किया है कि हवा से गिरे पेड़ों के कारण बने रिक्त स्थान को भरने के लिए नए पौधे लगाये जाते हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रतिस्थापन वृक्षारोपण सहित लगाये गये नए पौधों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	पौधे
2005-06	15,213
2006-07	10,573
2007-08	20,411
2008-09 (सितम्बर, 08 तक)	18915

नैनो मिशन

2455. श्री चाडिगा रामकृष्णा:
श्री एस.के. खारवेलधन:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नैनो मिशन के अंतर्गत विभिन्न विभागों, शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों इत्यादि के बीच समन्वय प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन में आंध्र प्रदेश राज्य सहित गत तीन वर्षों के दौरान किये गये शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नैनो मिशन के अंतर्गत उत्पादोन्मुखी अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्र राज्य-वार कहां स्थित हैं तथा उनके द्वारा क्या कार्य किये जाते हैं;

(च) क्या सरकार का देश में और अधिक नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) नैनो मिशन सरकारी विभागों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग आदि के मध्य समन्वय स्थापित करने के कई प्रयास कर रहा है जैसे (क) विभिन्न तकनीकी परामर्शी दलों और नैनो मिशन परिषद के सदस्यों के रूप में उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना; (ख) शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग द्वारा भी संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को तैयार करने और वित्त व्यवस्था करना; और (ग) नैनो मिशन द्वारा आरंभ किये गये कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करने में इन सभी सहभागियों को शामिल करना।

(ख) 2006-07 से 2007-08 में आज तक, नैनो मिशन (और पूर्व में नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पहल) के अंतर्गत लगभग 90 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शामिल हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में वित्तपोषित परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की सूची "स्वीकृत परियोजनाएं" शीर्षक के अंतर्गत वैबसाइट http://nanomission.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्पादोन्मुखी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ङ) देश में स्थापित नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्रों की अवस्थिति और उनके द्वारा निष्पादित कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार ने हाल ही में नैनो मिशन के हिस्से के रूप में मोहाली में एक नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो और संस्थानों को बंगलौर और कोलकाता में स्थापित करने की योजना है। ये केन्द्र नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च कोटि का अनुसंधान और विकास करेंगे, गुणवत्ता वाली मानवशक्ति प्रशिक्षित करने में मदद करेंगे और उद्योग की मदद से उनके प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग भी विकसित करेंगे।

विवरण 1

अब तक वित्तपोषित उत्पादोन्मुखी अनुसंधान परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्ष, संस्थान (नो3), उद्योग (गों)	डिलिवरी योग्य	
1	2		3
1.	टायर इंजीनियरी के लिए उच्च निष्पादन स्तर नैनोयोगिकों का विकास	1.	वाणिज्यिक रूप से प्राप्त और संश्लेषित एमएमटी-ओडीए और एमएमटी-ओडीटीए का विशिष्टीकरण।
	एमजी विश्वविद्यालय कोट्टायम	2.	प्राकृतिक रबर, क्लोरोबुटाइल और उनके सम्मिश्रण, जैसे पॉलिमेरिक मैट्रिसेज में नैनोक्ले के समावेशन द्वारा नैनोयोगिकों का प्रतिपादन।
	अपोलो टायर्स	3.	नैनो योगिकों का विशिष्टीकरण।
		4.	ऑटोमोटिव इनर ट्यूब्स और इनर लाइनर्स की संरचना।
		5.	उत्पाद परीक्षण।
2.	नैनो कार्यात्मक सामग्री प्रौद्योगिकी ग्रुप (एनएफएमटीजी)।	1.	नैनो आकार के ऑक्साइड सेरामिक पाउडर के उत्पादन हेतु लागत प्रभावी पद्धति।

1	2	3	
	आईआईटी मद्रास, चेन्नई	2.	बल्क सेरामिक्स के उत्पादन हेतु नैनोक्रिस्टेलाइन ऑक्साइड पाउडर का समेकन और सिंटरिंग।
	मुरूगप्पा ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज, चेन्नई	3.	वियर-प्रतिरोधिता और टिकाऊपन के लिए डाइ-इन्सर्ट्स और प्लगों पर नैनो क्रिस्टीलाइन डायमण्ड (एनसीडी) फिल्म्स/ कोटिंग।
	ऑर्किड कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स चेन्नई	4.	बड़े पैमाने और उच्च शुद्धता वाले कार्बन नैनोट्यूब्स (सीएन टी) का लागत प्रभावी उत्पादन।
		5.	कठोर ऊतक अनुप्रयोगों के लिए नैनो संरचनात्मक बहुभेषज-डिलीवरी प्रणाली।
		6.	फोटोडायनेमिक थैरेपी द्वारा कैंसर के लेजर आधारित उपचार हेतु सीएनटी।
3.	नैनो प्रौद्योगिकी हेतु केन्द्र	1.	भेषज डिलीवरी, जीन थैरेपी और नैदानिक औजार।
	हैदराबाद विश्वविद्यालय	2.	सामग्रियां और उपस्कर/सेंसर्स।
	डॉ. रेड्डीज लैब्स हैदराबाद	3.	परियोजनाओं का प्रतिरूपण।
	डीआरडीओ	4.	जैविकी सामग्रियां, नैदानिक औजार, अकार्बनिक सामग्रियां और उपस्कर/सेंसर्स।
4.	उत्तम और नवोन्मेषी वस्त्र (एसएम आईटीए)	1.	ताप-नियंत्रित उत्तम वस्त्रों के लिए इनकैपस्यूलेटेड फेज परिवर्तन सामग्रियां (चिकित्सा उपचार, स्पोर्ट्स वियर, कंफर्ट वियर, उत्कट जलवायु और रक्षा वातावरण में संरक्षित वस्त्रों में अनुप्रयोग हेतु लाभ-नियंत्रित करना)।
	आईआईटी दिल्ली, नई दिल्ली		
	पीएलयूएसएस पॉलीमर्स पी लिमि., नई दिल्ली	2.	टैक्सटाइल नैनो फिनिशर्स (फ्लेम रिटार्डेंट वाले उत्तम वस्त्र, चिकित्सा और एप्रल अनुप्रयोगों के लिए एंटिबैक्टीरियल और सेल्फ क्लीनिंग गुणधर्म)।
	रैसिल कैमिकल्स प्रा.लि. बंगलौर		
	पुरोलेटर इंडिया लिमि., गुड़गांव	3.	फिल्टरेशन उद्योग में अनुप्रयोगों हेतु इलेक्ट्रोस्पिनिंग द्वारा वैब नैनोफाइबर (उच्च-दक्षता, हवा तेल और ईंधन हेतु अगली पीढ़ी की कार के लिए फ्ल्यूड फिल्टरेशन हेतु उच्च-प्रवाह दर साधन)।
5.	उच्च दक्षता फोटोवोल्टिक्स हेतु सेमिकंडक्टर नैनोट्यूब ऐरेज का इलेक्ट्रो नैनो प्रोसेसिंग	1.	एक इलेक्ट्रोकैमिकल नैनो फैब्रिकेशन सुविधा की स्थापना।
		2.	थिन फिल्म के लिए अनुप्रयुक्त के रूप में नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा अन्वेषकों के काडर को विकसित तथा प्रशिक्षित करना। डिपोजिशन और फोटोवोल्टिक्स।

1	2	3
	अमृत विश्व विद्यापीठम एर्णाकुलम, कोच्चि बीईएल, बैंगलौर	3. फोटोवोल्टिक्स आधारित नैनोटैक्नोलॉजी के क्षेत्र मे भारत में अन्वेषकों के बीच क्षेत्रीय सहयोग विकसित करना। 4. यूसी प्रणाली में अन्य विश्वविद्यालयों को शामिल करने और इलेक्ट्रोकैमिकल नैनोप्रोसेसिंग में अनुसंधान प्रयास बढ़ाने हेतु अन्य संस्थानों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
6.	सौर सेल अनुप्रयोगों के लिए कैपिलरी एक्शन सैपिंग तकनीक (सीएएस टी) द्वारा सिलिकॉन शीट्स को तैयार करना	1. एसआई शीट उत्पादन, जिसका प्रयास अभी भारत में नहीं किया गया है, के उत्पादन हेतु एक प्रौद्योगिकी स्थापित करना। 2. एसआई ट्यूब और तदनन्तर एसआई शीट्स के उत्पादन हेतु मानव संसाधनों को विकसित करना।
	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला पीजीएस, आईपी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली इंस्टापावर लिमि., नई दिल्ली	

विवरण II

नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्रों की अवस्थिति तथा निष्पादित कार्य

क्र.सं.	संस्थान जहां नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थित है	राज्य	अनुसंधान को महत्व देने के संबंध में कार्य
1	2	3	4
1.	एसएन बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र कोलकाता	पश्चिम बंगाल	माइक्रो/नैनो इलेक्ट्रो-यांत्रिकी प्रणालियां और नैनो उत्पाद
2.	भारतीय विज्ञान केन्द्र, बंगलौर	कर्नाटक	नैनो उपस्कर, नैनो यौगिक, नैनो जैव सेंसर्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिकी
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	उत्तर प्रदेश	प्रिंटेबल इलेक्ट्रॉनिकी, नैनो पैटर्निंग
4.	राष्ट्रीय जैविकी विज्ञान केन्द्र, बंगलौर	कर्नाटक	जैव-प्रणालियां एवं सामग्रियां

1	2	3	4
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, पोवाइ, मुंबई	महाराष्ट्र	नैनोइलेक्ट्रानिकी, नैनो-सामग्रियां और नैनो जैव प्रौद्योगिकी
6.	अमृता चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कोच्चि	केरल	प्रत्यारोपण, ऊतक इंजीनियरी, स्टेम सेल अनुसंधान
7.	इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	फोटोवोल्टिक्स एवं सेंसर उपस्कर
8.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	नैनोफास्फोरस
9.	एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मैटेलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स (एआरसीआई), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	नैनो सामग्रियां नैनोकोटिंग्स

[हिन्दी]

एफआईआर दर्ज कराने संबंधी दिशा-निर्देश

2456. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **गृह मंत्री** एफ आई आर दर्ज कराने संबंधी दिशा-निर्देश के बारे में 21 अगस्त, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी सूचना कब तक एकत्र किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि न्यायालय ने प्राथमिकी के पंजीकरण के मुद्दे के संबंध में हाल ही में कोई विशिष्ट निदेश/मार्गनिर्देश जारी नहीं किये हैं। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पर अपने निर्णयों के माध्यम से यह स्मरण कराया है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध किये जाने के तथ्य का पता लग जाता है और इससे संबंधित जानकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के समरूप है तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के लिए प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

साक्षरता कार्यक्रम

2457. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की वर्तमान साक्षरता दर कितनी है तथा उन राज्यों के नाम क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान साक्षरता दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत तथा प्रदत्त आवंटनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गांवों में शैक्षणिक केन्द्र खोलने तथा शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा राज्यवार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा यह राज्यवार कब से लंबित है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को राज्यवार कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) देश के साक्षरता आंकड़े, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली दस वार्षिक जनगणना के माध्यम से एकत्र किये जाते हैं। वर्ष 2001 में हुई अंतिम जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 64.84% थी और उसके बाद राज्यों की साक्षरता दर में हुई वृद्धि का पता वर्ष 2011 की जनगणना के बाद ही चल सकता है।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के लिए निधियों का आवंटन योजना-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। बजट अनुमान 2008-09 (योजनागत) में प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास तथा साक्षरता कार्यक्रमों के लिए 369.00 करोड़ रुपये की राशि और प्रौढ़ शिक्षा व कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों की सहायता के लिए 70.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम और सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुदान जारी किये गये हैं। वर्तमान में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान स्तर पर 95, उत्तर साक्षरता स्तर पर 174 और सतत शिक्षा स्तर पर 328 जिले हैं। 141 जिलों में अवशिष्ट निरक्षरता के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) कार्यक्रम के चरण के पूर्ण होने के पश्चात् और पहले से संस्वीकृत परियोजनाओं के लेखों के समायोजन के पश्चात् ही राज्यों को साक्षरता परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी किये जाते हैं।

विवरण

टीएलसी, पीएलपी, सीई, कवर न किये गये और पीआरआई जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जिलों की संख्या	टीएलसी	पीएलवी	सीईपी	कुल शामिल जिले	शामिल न किये जिले	पीआर आई जिले
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	23	0	1	22	23	0	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	5	10	0	15	0	0
3.	असम	23	13	10	0	23	0	0
4.	बिहार	38	9	26	3	38	0	7
5.	छत्तीसगढ़	16	1	5	10	16	0	0
6.	दिल्ली	9	0	0	9	9	0	0
7.	गोवा	2	2	0	0	2	0	0
8.	गुजरात	25	0	2	23	25	0	2
9.	हरियाणा	19	2	13	4	19	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	12	0	11	1	12	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर*	14	14	0	0	14	0	0
12.	झारखंड	22	7	10	5	22	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	कर्नाटक	27	0	1	26	27	0	14
14.	केरल	14	0	0	14	14	0	0
15.	मध्य प्रदेश	45	0	2	43	45	0	12
16.	महाराष्ट्र**	35	1	8	26	35	0	0
17.	मणिपुर	9	1	8	0	9	0	0
18.	मेघालय	7	4	3	0	7	0	0
19.	मिजोरम	8	0	0	8	8	0	4
20.	नागालैंड	8	8	0	0	8	0	0
21.	उड़ीसा	30	6	21	3	30	0	0
22.	पंजाब	17	6	10	1	17	0	1
23.	राजस्थान	32	0	0	32	32	0	29
24.	सिक्किम	4	4	0	0	4	0	0
25.	तमिलनाडु	29	0	0	29	29	0	17
26.	त्रिपुरा	4	0	0	4	4	0	3
27.	उत्तराखंड	13	0	1	12	13	0	12
28.	उत्तर प्रदेश	70	11	29	30	70	0	19
29.	पश्चिम बंगाल	19	0	2	17	19	0	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	0	2	0
31.	चंडीगढ़	1	0	0	1	1	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0	1	0	0
33.	दमन और दीव	2	0	1	0	1	1	0
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	1	0	0
35.	पांडिचेरी	4	0	0	4	4	0	0
	कुल	600	95	174	328	597	3	141

*आरएफएलपी के तहत शामिल एक जिले सहित।

**परभनी जिला अब दो जिलों (परभनी और हिंगोली) में विभक्त हो गया है। ये दोनों जिले सतत शिक्षा चरण में हैं।

प्रवेश परीक्षा में परिवर्तन

2458. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आईआईटी तथा जेईई प्रवेश परीक्षाओं में परिवर्तन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) स्कूली बच्चों पर अनावश्यक तथा अवांछनीय भार कोचिंग संस्थाओं की भरमार को कम करने तथा बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों को महत्व देने के उद्देश्य से वर्ष 2006 से आई.आई.टी.-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) में सरकार ने व्यापक परिवर्तन किये हैं। वर्ष 2006 से आई.आई.टी.-संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पद्धति में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं:

(1) आई.आई.टी., आई.टी.-बी.एच.यू., आई.एस.एम., धनबाद तथा अन्य भागीदार संस्थाओं में दाखिले के लिए छात्रों के रैंक निर्धारित करने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र मानदंड होगा;

(2) आई.आई.टी. के लिए प्रवेश प्रक्रिया में स्कूल का परिणाम भी कारक होता है। सिर्फ वही छात्र आई.आई.टी. में प्रवेश के लिए पात्र होते हैं जो +2 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अंक प्राप्त करते हैं;

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए संबंधित परीक्षा में निर्धारित अंकों में 5 प्रतिशत की छूट है;

(4) संयुक्त प्रवेश परीक्षा एकल वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। प्रश्न पत्र में भौतिकी, रसायन अथवा गणित का भी लघु प्रलेख शामिल हो सकता है जिसके बाद प्रलेख के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को बनाए रखते हुए छात्र की व्यापक योग्यता तथा विश्लेषणात्मक योग्यता की जांच करता है;

(5) कोई छात्र 12वीं के स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में और/अथवा अगले वर्ष में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है;

(6) उन छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति नहीं दी जाती जिन्होंने किसी भी आईआईटी में प्रवेश ले लिया है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन मामले

2459. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से गोवा आजादी आन्दोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। गोवा मुक्ति आन्दोलन चरण-2 में भाग लेने वालों को सम्मान पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में लगभग 1537 आवेदन महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे। इनमें से 1327 मामलों में पेंशन पहले ही मंजूर की जा चुकी है और शेष आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना

2460. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में विश्वविद्यालयों में तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए चिन्हित विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक विभागों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित और उपयोग में लायी गयी; और

(घ) पूरे देश में गंभीर वैज्ञानिक कार्य करने हेतु युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) महोदय, वर्ष 2000 के दौरान, भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालयों और संबंधित अकादमिक संस्थानों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों में अनुसंधान के लिए अवसंरचना और सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए "विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि (फिस्ट)" नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मार्च 2008 तक 310 विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संबधित शैक्षिक संस्थानों के 1100 से अधिक विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभागों की पहचान की गई है। यद्यपि चालू वर्ष में दी जाने वाली निधि सहायता को अंतिम रूप दिया जा रहा है मार्च, 2008 तक का वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश भर में गंभीर वैज्ञानिक कार्य करने के लिए युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संपोषित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक स्कीमें प्रारंभ की गई हैं। वे हैं–युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्वायजकास्ट अध्येतावृत्तियों सहित एसईआरसी कार्यक्रम तथा कार्यशील युवा वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां, के.एस. कृष्णन अध्येतावृत्तियां, रमन्ना अध्येतावृत्तियां और जे.सी. बोस एवं रामानुजम अध्येतावृत्तियां जैसी अध्येतावृत्तियां, तथा अनुसंधान और विकास में प्रतिभाशाली युवा विद्यार्थियों को आकर्षित करने तथा इस क्षेत्र में उनकी कार्यशीलता को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान में नेतृत्व युवाओं के सीएसआईआर कार्यक्रम (सीपीवाईएलएस), हीरक जयन्ती अनुसंधान इन्टर्न्स पुरस्कार स्कीम, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जेआरएफ/एसआरएफ), जैव प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर अनुसंधान एसोसिएटशिप और ओवरसीज अध्येतावृत्तियां, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई), राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम आदि। इसके अतिरिक्त, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे उभरते क्षेत्रों सहित नई प्रौद्योगिकियों पर खोज करने और/अथवा प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों सहित युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूलों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों से अवगत कराया गया है। युवा वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं के आधार पर इनमें से अधिकांश स्कीमों को समय-समय पर उदारवादी रूप में प्रचलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 11वीं योजना में इंस्पायर (अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष) नामक एक नई स्कीम प्रारंभ की है। इस प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होंगी: (1) स्कूलों में नवोन्मेष निधिकरण (1 मिलियन युवा नवोन्मेषक); (2) विज्ञान की जानी-मानी हस्तियों के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर (उच्च कार्य निष्पादकों के लिए); (3) सिद्ध प्रतिभा सम्पन्न समूह के लिए सुनिश्चित अवसर स्कीम; और, (4) सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के माध्यम से सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा का प्रतिधारण। इसके अतिरिक्त 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्ति (एसएचई) नामक एक अन्य नई स्कीम प्रारंभ की जा रही है जिसके अंतर्गत उनके बीएससी/एमएससी पाठ्यक्रमों के दौरान विज्ञान विषयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 80,000 रु. की 10,000 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इन पहलों का उद्देश्य अधिक से अधिक अनुसंधान करने और बहुमूल्य परिणाम प्राप्त करने के लिए युवाओं में रुचि पैदा करना है।

विवरण

राज्य	अभिचिन्हित विभागों की संख्या (मार्च, 2008)	निम्नलिखित वर्षों के लिए आवंटित निधियां (रु. लाख में)			
		2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	64	–	610	1583	
अरुणाचल प्रदेश	02	–	–	110	
असम	36	–	285.5	105	

1	2	3	4	5	6
बिहार	03	–	35	–	
छत्तीसगढ़	07	75	42	–	
दिल्ली	52	485	1125	1910	
गोवा	09	–	15	30	
गुजरात	33	96.5	610	550	
हरियाणा	15	65	12.5	30	
हिमाचल प्रदेश	09	10	30	–	
जम्मू-कश्मीर	19	140	123	178	
झारखंड	13	76	55	110	
कर्नाटक	102	211	355	6264	
केरल	63	45	200	678	
मध्य प्रदेश	23	46	–	45	विभागों की पहचान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
महाराष्ट्र	105	736	1160	1482	
मणिपुर	07	–	–	–	
मेघालय	08	–	50	41	
मिजोरम	03	–	–	193	
नागालैंड	03	–	–	–	
उड़ीसा	20	–	150	145	
पुडुचेरी	06	–	–	260	
पंजाब	37	248	188	405	
राजस्थान	41	230.5	122	589	
सिक्किम	01	20	–	–	
तमिलनाडु	167	660	1734.5	2155	
त्रिपुरा	02	–	–	–	
उत्तर प्रदेश	89	237	4081	2130	
उत्तराखंड	39	52	235	1689	
पश्चिम बंगाल	127	1616.5	795	1330	
कुल	1106	5049.5	12013.5	22012	

[हिन्दी]

अ.जा. समुदाय के बच्चों को सुविधाएं

2461. श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अ.जा. समुदाय के बच्चों को वर्दी, जूते, लेखन सामग्री इत्यादि मुफ्त उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष इस पर खर्च राशि कितनी है तथा कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) यदि राज्य सरकार सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों के कक्षा 1-8 के सभी छात्रों को अपने संसाधनों से मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान नहीं कर रही हैं तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुविधा प्रदान की जाती है।

शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, जो सर्व शिक्षा अभियान का एक घटक है, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर यूनिफार्म, स्टेशनरी, कार्यपुस्तिकाएं आदि जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

संगमरमर उद्योग को प्रोत्साहन

2462. श्री सुभाष महरिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात की तुलना में घरेलू संगमरमर उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को संगमरमर उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु संगमरमर क्लस्टर के विकास हेतु राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वदेशी संगमरमर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार ने घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयातों से बचाने के लिए संगमरमर के आयात को प्रतिबंधित कर रखा है। ज्यादा मूल्य वाले संगमरमर की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए केवल सीमित मात्रा में ही आयात को अनुमति दी जा रही है।

(ख) और (ग) संगमरमर समूह, किशनगंज, राजस्थान की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, 36.80 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को 2004 में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई थी जिसमें 27.60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। यह परियोजना क्रियान्वयन के अधीन है।

[हिन्दी]

मक्का का निर्यात

2463. श्री गणेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश से कितनी मात्रा तथा मूल्य का मक्का देश-वार निर्यात किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान मक्का के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए मक्के के आयात (एचएस कोड 10051000 और एचएस कोड 10059000) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा मी. टन में	मूल्य (लाख रुपये)
2005-06	420	48150
2006-07	637	49886
2007-08	2700	244344

विभिन्न देशों को निर्यातों के ब्यौरे अनुबंध पर हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने दिनांक 3 जुलाई, 2008 की डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 22 (आरई-2008)/2004-09 के अनुसार घरेलू बाजार में उचित कीमत पर मक्के की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मकई (मक्के) के बीज एवं अन्य के निर्यातों पर दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 तक रोक लगा दी थी। तत्पश्चात् दिनांक 19 अगस्त की अधिसूचना सं. 32 (आरई-2008)/2004-09 के अनुसार, मकई (मक्के) के बीज के निर्यात पर से रोक हटा ली गई थी:

मक्के (मकई) के देश-वार निर्यात

वस्तु: 10051000 मक्के के बीज		मूल्य लाख रुपये में			मात्रा 000 कि.ग्रा.		
क्र.सं.	देश	2007-08	2006-07	2005-06	2007-08	2006-07	2005-06
1.	बांग्लादेश पीआर	1118.55	511.92	178.25	9686.13	5013.84	2758.40
2.	ताइवान	1897.57			20800.71		
3.	कोरिया गणराज्य	2596.94	18.64	12.92	27440.00	118	36
4.	मलेशिया	2714.10	62.16	65.2	30429.81	880	730
5.	फिलिपींस	1009.78	1857.60	1251.64	4234.90	10030.77	3338.48
6.	वियतनाम एसओजी गणराज्य	2011.16	773.12	123.07	21030.34	8973.00	592.42
	अन्य	1975.28	2529.73	2387.12			
	कुल	13323.38	5753.17	4018.20			

वस्तु: 10059000 अन्य मकई (मक्के)		मूल्य लाख रुपये में			मात्रा 000 कि.ग्रा.		
क्र.सं.	देश	2007-08	2006-07	2005-06	2007-08	2006-07	2005-06
1.	बांग्लादेश पीआर	15424.13	21133.66	18474.41	192348.09	289153.34	261334.58
2.	ताइवान	22199.34	521.67	82.15	238428.81	5799.00	542.55
3.	कोरिया गणराज्य	23958.31		0.21	259110.00		1.50
4.	मलेशिया	108705.11	3398.38	228.53	1221872.50	46066.13	3374.90
5.	ओमान	1796.61	31.96		19896.48	365.00	
6.	वियतनाम एसओजी गणराज्य	17788.06	233.42		194536.55	2971.00	
	अन्य	41148.84	18813.35	8796.85			
	कुल	231020.40	44132.44	27582.15			

[अनुवाद]

प्रस्तावित यूरोपीय यूनियन भारत तथा भारत-जापान मुक्त व्यापार समझौते पर अध्ययन

2464. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित यूरोपीय यूनियन भारत तथा भारत-जापान मुक्त व्यापार समझौते पर कोई अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन, अध्ययनकर्ताओं तथा संस्थागत संबद्धों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अध्ययनों की प्रतियां जनसामान्य या अन्य भागीदारों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित अध्ययन कराए गए हैं:

क. ईयू-भारत एफटीए

(1) वाणिज्य विभाग में प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के आर्थिक आकलन का अध्ययन कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को अक्तूबर, 2005 में सौंपा था। यह अध्ययन एनसीएईआर के श्री संजीव पोहित एवं अन्य ने लेखबद्ध किया था।

(2) वाणिज्य विभाग में भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत सेवा व्यापार से संबंधित एक व्यापक अध्ययन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरईईआर) को जून, 2007 में सौंपा था। किये गये अध्ययनों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:—

क्र.सं.	क्षेत्र	लेखक	संबद्धता
1.	दूरसंचार	रजत कथूरिया	प्राध्यापक, आईसीआरआईईआर
2.	आईटी एण्ड आईटीईएस	रूपा चन्दा	प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आईआईएम, बैंगलौर
3.	स्वास्थ्य	रूपा चन्दा	प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आईआईएम, बैंगलौर
4.	बैंकिंग एवं बीमा	अभिजित सेनगुप्ता	परामर्शदाता, विश्व बैंक एवं एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू
5.	लेखांकन	पार्थप्रतिम पाल	सहायक प्राध्यापक आईआईएम, कोलकाता
6.	पर्यावरण	अपर्णा साहनी	सहायक प्राध्यापक व्यापार एवं विकास केन्द्र, जेएनयू
7.	डाक तथा एक्सप्रेस डिलीवरी	विश्वजीत नाग	सहायक प्राध्यापक, आईआईएफटी
8.	कानूनी	पैनाजायरिस डेलीमेट्सिस एवं समीर गांधी	सीनियर रिसर्च फैलो, विश्व व्यापार संस्थान, बर्न एवं वरिष्ठ एसोसिएट इकोनोमिक पॉज प्रेक्टिस, नई दिल्ली
9.	आर एण्ड डी	सुपर्णा करमाकर	सीनियर फैलो, आईसीआरआईईआर
10.	ऊर्जा	अर्पिता मुखर्जी एवं स्मिता मिगलानी	प्राध्यापक, आईसीआरआईईआर सलाहकार एवं एसोसिएट प्रोफेसर-अर्थशास्त्र, आईआईएफटी
11.	दृश्य श्रव्य	अर्पिता मुखर्जी रमनीत गोस्वामी एवं विश्वजीत नाग	प्राध्यापक, आईसीआरआईईआर सलाहकार, आईसीआरआईईआर एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, आईआईएफटी
12.	निर्माण	अर्पिता मुखर्जी एवं दुर्गेश कुमार राय	प्राध्यापक, आईसीआरआईईआर एवं रिसर्च एसोसिएट, आईसीआरआईईआर
13.	सम्भार तंत्र	देवयानी गांगुली	अर्थशास्त्री एवं सलाहकार आईसीआरआईईआर

ख. भारत-जापान एफटीए

(1) जापान के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर एक वार्षिक दस्तावेज आईसीआरआईईआर के मुख्य अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ काउंसलर डॉ. राजेश चड्ढा द्वारा तैयार किया गया था।

(2) जापान में गैर-टैरिफ बाधाओं (एनबीटी) को अभिज्ञात करने के संबंध में एक अध्ययन इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस (ईएलपी) के डब्ल्यूटीओ लॉ प्रैक्टिस ग्रुप के सीनियर एसोसिएट श्री समीर गांधी द्वारा किया गया था।

(ग) सरकार ने भारत-ईयू एफटीए से संबंधित अध्ययन रिपोर्टों की प्रतियां संबंधित उद्योग एसोसिएशनों एवं हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी हैं।

भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण स्थापित किया जाना

2465. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न सीमा स्थलों पर समेकित चेक पोस्ट स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्यवार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी हां। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निर्धारित स्थानों से सीमापार से यात्रियों तथा माल की आवाजाही अथवा उससे संबधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास एवं प्रबंधन करने हेतु एक भारतीय भू-पतन प्राधिकरण स्थापित करने के प्रावधान वाला एक विधेयक अर्थात् "भारतीय भू-पतन प्राधिकरण विधेयक, 2008" संसद में प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) जी हां। देश की भू-सीमा के निम्नलिखित 13 अभिज्ञात प्रविष्टि स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का नई योजना स्कीम में, दो चरणों में विकास करने का प्रस्ताव है:

चरण-1

क्र.सं.	निर्धारित स्थल	राज्य	सीमा
1.	पेट्रापोल	पं. बंगाल	भारत-बांग्लादेश
2.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार
3.	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल
4.	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान
5.	दावकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश
6.	अखौरा	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश
		चरण-2	
7.	हिल्ली	प. बंगाल	भारत-बांग्लादेश
8.	चन्द्रभागा	प. बंगाल	भारत-बांग्लादेश
9.	सुतरखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश
10.	कवारपूचिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश
11.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल
12.	सुनाली	उत्तर प्रदेश	भारत-बांग्लादेश
13.	रुपैदिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-बांग्लादेश

इन एकीकृत जांच चौकियों का विकास करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 635 करोड़ की राशि का आवंटन किया है।

खनिजों का उत्पादन और निर्यात

2466. श्री के.एस. राव: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खनिजों के उत्पादन तथा घरेलू एवं निर्यात आवश्यकताओं दोनों हेतु भावी मांग अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू खपत और निर्यात से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए पोस्ट वेल्यू एडिशन्स हेतु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उद्यम लगाने तथा देश में खनिज उत्पादन उद्योग के विनियमन तथा विकास के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पंजीकृत तथा अपंजीकृत लघु तथा मध्यम उद्यम

2467. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित देश में राज्यवार कुल कितने पंजीकृत तथा अपंजीकृत अलग-अलग लघु तथा मध्यम उद्यम हैं; और

(ख) इन उद्योगों से संबंधित इस प्रकार एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रामाणिकता को पुष्ट करने के लिए कौन-सा तंत्र है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) उत्तर प्रदेश एवं बिहार सहित देश में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एवं अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की कुल संख्या अनुमानित तौर पर 1,28,46,365 है। राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 को लागू हुआ, के तहत मध्यम उद्यमों को पहली बार परिभाषित किया गया था, अत: उनकी कुल संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन (ईएम) का पंजीकरण/फाइल कराना ऐच्छिक है। इसलिए देश में एमएसई की संख्या का अनुमान लगाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय पंजीकृत एमएसई की गणना एवं अपंजीकृत एमएसई का नमूना सर्वेक्षण करवाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मंत्रालय ने पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना एवं अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का नमूना सर्वेक्षण आरंभ किया है।

विवरण

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार एमएसई की अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	89,726
2.	हिमाचल प्रदेश	95,572
3.	पंजाब	4,41,797
4.	चंडीगढ़	26,612
5.	उत्तराखंड	1,37,618
6.	हरियाणा	2,63,308
7.	दिल्ली	2,10,905
8.	राजस्थान	5,38,728
9.	उत्तर प्रदेश	21,16,791
10.	बिहार	6,29,509
11.	सिक्किम	474
12.	अरुणाचल प्रदेश	1,578
13.	नागालैंड	19,024
14.	मणिपुर	57,171
15.	मिजोरम	14,335
16.	त्रिपुरा	29,141

1	2	3
17.	मेघालय	28,591
18.	असम	2,35,576
19.	पश्चिम बंगाल	9,21,221
20.	झारखंड	1,63,220
21.	उड़ीसा	4,68,468
22.	छत्तीसगढ़	3,15,118
23.	मध्य प्रदेश	9,76,981
24.	गुजरात	6,46,379
25.	दमन और दीव	3,999
26.	दादरा और नगर हवेली	3,171
27.	महाराष्ट्र	9,89,254
28.	आंध्र प्रदेश	10,43,512
29.	कर्नाटक	8,04,811
30.	गोवा	8,654
31.	लक्षद्वीप	675
32.	केरल	5,42,610
33.	तमिलनाडु	10,06,684
34.	पुडुचेरी	11,120
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,032
	अखिल भारत	1,28,46,365

[अनुवाद]

नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यापार

2468. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच मौजूदा व्यापार संधि के अंतर्गत भारत द्वारा गैर-पारस्परिक आधार पर नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की जाती है। संधि में दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिक वस्तुओं पर मुक्त व्यापार का भी प्रावधान है। दोनों देश वर्तमान में निर्बाध द्विपक्षीय व्यापार को सुकर बनाने के लिए संधि के प्रक्रियागत पहलुओं को और अधिक सरल तथा कारगर बनाने हेतु संधि में कुछेक परिवर्तन करने के लिए वार्ताएं कर रहे हैं। हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए वाणिज्य सचिव स्तर पर भारत-नेपाल अंतर्सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक का आयोजन किया गया था। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि प्रदर्शित हुई है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 के दौरान भारत एवं नेपाल के बीच मिलियन अमरीकी डॉलर में हुआ वयापार निम्नानुसार है:

(तालिका 1)

वर्ष	निर्यात	आयात
2005-06	860	380
2006-07	928	306
2007-08	1506	628
2008-09 (अप्रैल-जुलाई)	589	196

स्रोत: डीओसी एनआईसी के जरिये डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच वर्ष 2007-08 तक व्यापार के मद-वार ब्यौरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा बैंक शीर्ष के अंतर्गत वेबसाइट http://commerce.nic.in पर उपलब्ध हैं। उपलब्ध अनंतिम सूचना के अनुसार भारत और नेपाल के बीच अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान निर्यात और आयात की शीर्ष दस मदें नीचे दी गई हैं:

अप्रैल-जुलाई, 2008 (2008-09) के दौरान भारत से नेपाल को निर्यात की शीर्ष दस मदें

(तालिका 2)

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	मूल्य मि.अम.डा. में
1	2	3
1.	पेट्रोलयम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद)	230.09
2.	प्राथमिक एवं अर्द्ध-परिष्कृत लौह एवं इस्पात	63.53

1	2	3
3.	परिवहन उपकरण	32.70
4.	मशीनरी एवं उपकरण	29.17
5.	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	27.22
6.	मसाले	19.79
7.	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	18.04
8.	कांच/कांच के बरतन/सिरेमिक्स/आरएफटीआरएस/सीमेंट	16.69
9.	अन्य वस्तुएं	14.06
10.	कागज/लकड़ी के उत्पाद	10.25

अप्रैल-जुलाई, 2008 (2008-09) के दौरान नेपाल से भारत में आयात की शीर्ष दस मदें

(तालिका-3)

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	मूल्य मि.अम.डा. में
1.	लौह एवं इस्पात	39.71
2.	अन्य वस्तुएं	38.54
3.	मानव निर्मित फिलामेन्ट/स्पन यार्न	26.49
4.	कृत्रिम रेजिन्स, प्लास्टिक की सामग्री इत्यादि	19.42
5.	अलौह धातुएं	10.68
6.	अन्य वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स निर्मित वस्तुएं	9.94
7.	मसाले	7.72
8.	रसायन सामग्री एवं उत्पाद	6.81
9.	चाय	5.72
10.	निर्मित वस्त्र मदें	4.71

स्रोत: डीओसी एनआईसी के जरिये डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

लघु तथा मध्यम उद्योगों द्वारा सृजित रोजगार

2469. श्रीमती के. रानी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलाडु सहित देश में राज्यवार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है अथवा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई;

(ख) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त सहायता हेतु प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और राज्यवार प्रत्येक प्रस्ताव स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार अनुमानत: सृजित कुल रोजगार संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चूंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ है, के तहत मध्यम उद्यमों को पहली बार परिभाषित किया गया था, अत: उनके जरिये सृजित रोजगार के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। एमएसई उद्यमियों द्वारा स्वयं गठित किये जाते हैं। भारत सरकार वैयक्तिक एमएसई स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। भारत सरकार की सहायता सामान्यत: एमएसई के क्लस्टरों के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी), एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) केन्द्र योजना और मिनी टूल रूम योजना के तहत 68 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे। राज्य-वार एवं योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

एमएसई-सीडीपी के तहत तीन प्रस्तावों के संबंध में केरल (एक प्रस्ताव) और महाराष्ट्र (दो प्रस्ताव) राज्य सरकारों से उनके प्रस्तावों के संबंध में और अधिक ब्यौरा/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। राज्य सरकारों से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

विवरण I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 वर्षों के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में सृजित अनुमानित रोजगार के राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	के दौरान सृजित अनुमोदित रोजगार		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	175909	183962	192254
2.	हिमाचल प्रदेश	154749	164464	172350
3.	पंजाब	987352	1014594	1042995
4.	चंडीगढ़	53917	55826	57743
5.	उत्तराखंड	232621	246642	262737
6.	हरियाणा	600554	619731	640564
7.	दिल्ली	689863	712888	737325
8.	राजस्थान	1009827	1055332	1097842
9.	उत्तर प्रदेश	4618508	4848046	5076632
10.	बिहार	1219059	1267525	1319395
11.	सिक्किम	1633	1703	1774
12.	अरुणाचल प्रदेश	4769	4965	5178
13.	नागालैंड	77204	82875	91032
14.	मणिपुर	151450	156904	162667
15.	मिजोरम	29626	31318	33383
16.	त्रिपुरा	63338	65640	68147
17.	मेघालय	78248	83048	88418
18.	असम	491671	511033	530497
19.	पश्चिम बंगाल	2407908	2494556	2586716
20.	झारखंड	320202	335225	352479
21.	उड़ीसा	1051391	1091768	1134891
22.	छत्तीसगढ़	592528	613479	635522

1	2	3	4	5
23.	मध्य प्रदेश	1539764	1609311	1680379
24.	गुजरात	1474431	1534932	1585675
25.	दमन और दीव	72748	76163	79558
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	2443906	2569860	2704767
28.	आंध्र प्रदेश	2370459	2451500	2539234
29.	कर्नाटक	1882962	1968567	2056678
30.	गोवा	36048	37368	38260
31.	लक्षद्वीप	1918	2008	2106
32.	केरल	1289505	1332814	1374692
33.	तमिलनाडु	2576574	2703291	2840532
34.	पुडुचेरी	45654	47779	49428
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9176	9541	9831
	अखिल भारत	28755473	29984658	31251682

विवरण II

एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) केन्द्र योजना और मिनी टूल रूम योजना के तहत 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार एवं योजना-वार ब्यौरा

क. एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना का नाम	के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	केरल	3	1	3	1
2.	गुजरात	1			
3.	आंध्र प्रदेश		3		
4.	उड़ीसा		1	1	
5.	तमिलनाडु		1	6	2
6.	असम			1	
7.	कर्नाटक			2	
8.	उत्तर प्रदेश				2
9.	पश्चिम बंगाल				1
	कुल	4	6	13	6

ख. एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) केन्द्र योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	केरल	1			
2.	गुजरात		1		
3.	उड़ीसा		1		
4.	तमिलनाडु		3		2
5.	असम	2			2
6.	अरुणाचल प्रदेश				1
7.	छत्तीसगढ़		1		
8.	पश्चिम बंगाल		3		
9.	हरियाणा	8			
10.	जम्मू-कश्मीर	1			
11.	मिजोरम		1		
12.	मेघालय				2
13.	महाराष्ट्र				8
14.	नागालैंड	1			
	कुल	13	10		17

ग. मिनी टूल रूम योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कर्नाटक	1			
2.	छत्तीसगढ़	1			
3.	पश्चिम बंगाल		3		
4.	बिहार		2		
5.	केरल			1	2
6.	उड़ीसा			3	
7.	तमिलनाडु				1
	कुल	2	5*	4**	3**

*चूंकि प्रस्ताव अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थे, राज्य सरकारों को इससे अवगत करा दिया गया है।

**अपने पहले रूप में योजना दसवीं योजना अवधि अर्थात् 31.3.2007 तक अनुमोदित की गई थी। उसके बाद योजना संशोधित की गई है। अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान में संशोधित योजना में प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

अनुषंगी कृषि उद्योगों का विस्तार

2470. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चालू गंभीर वित्तीय संकट से महाराष्ट्र सहित देश के किसानों को मुक्त करने के लिए अनुषंगी कृषि उद्योगों के विकास तथा विस्तार हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उन अनुषंगी कृषि उद्योगों का पता लगाया है जो देश में विकसित किये जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं कें तहत कार्यकलाप आफ फार्म स्वरूप के हैं और अन्य बातों के साथ-साथ इनमें विभिन्न कृषि/बागवानी संबंधी मदों की कटाई के बाद्व प्रोसेसिंग शामिल हैं और विशेष रूप से कोई योजना कृषकों के लिए कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, कृषि एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने के इच्छुक कृषक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु वर्ष 2008-09 से कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक नई योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, यह योजना केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईसी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी सेवा/व्यवसाय सेक्टर में 10-10 लाख रुपये की अधिकतम लागत और निर्माण सेक्टर में 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए केवीआईसी/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के केवीआईबी/डीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और कार्यान्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करके भी ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं। पीएमईजीपी के तहत महाराष्ट्र में 5,526 परियोजनाओं सहित वर्ष 2008-09 के दौरान देशभर में 61,697 परियोजनाएं स्थापित करने में मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) पीएमईजीपी के तहत ग्रामीण उद्योगों के कृषि एवं खाद्य प्रंसस्करण उद्योग समूह, जहां कृषि संबंधी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, के तहत कार्यकलापों से कृषि आधारित उत्पादों में मूल्य संवर्धन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कृषकों को सहायता दी जाती है।

दालों, फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण, जैम, जैली, आचार, स्कवैश, पापड़, मसाले तैयार करने, पशुओं के चारे, मुर्गियों के चारे, जैव उर्वरक आदि पर आधारित इकाइयां कुछ प्रमुख कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलाप हैं, जो कृषि संबंधी कच्चे माल का प्रयोग कर रही हैं जिन्हें पीएमईजीपी के तहत विकासार्थ ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

2471. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में और एन.आई.टी. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए एन.आई.टी. कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्तमान में, देश में 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। ये संस्थान निम्न स्थानों पर अवस्थित हैं:

अगरतला (त्रिपुरा), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखण्ड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), सिल्चर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सुरतकल (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश)।

(ख) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में 10 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का प्रावधान है। इन 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को 11वीं योजना अवधि के दौरान खोले जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अंटार्कटिका में शोध केन्द्र

2472. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंटार्कटिका में नया शोध केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) वर्तमान में शोध केन्द्रों में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या विपरीत मौसम परिस्थितियों के चलते 1981 से वहां कोई मौत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अंटार्कटिका में स्थित शोध केन्द्र हेतु कितना वार्षिक बजट आवंटित किया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के बजट तथा वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां, सरकार का विचार अंटार्कटिका में प्रीड्ज खाड़ी, पूर्वी अंटार्कटिका में नया अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने का है। यह स्थान लार्समेन प्रदेश में ब्रोकनस तथा स्टोन्र्स प्रायद्वीपों के बीच स्थित है।

(ख) इस समय (आज तक), वर्तमान अनुसंधान स्टेशन 'मैत्री' में 13 वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) अंटार्कटिका में विषम स्थितियों के कारण कोई मौत नहीं हुई है। परन्तु, वर्ष 1990 में तीन वैज्ञानिकों एवं नौसेना संचार कार्मिकों को कार्बनमोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, उस समय वे हमबोल्ड के भीतरी प्रदेश में एक शिविर में थे।

(ङ) वर्ष 2008-09 के भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के लिए आबंटित वार्षिक बजट 44.50 करोड़ रु. है, जिसमें जहाज एवं हेलीकॉप्टरों को किराये पर लेने तथा मैत्री में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रखरखाव से संबंधित व्यय भी शामिल है।

(च) और (छ) जी हां। मंत्रालय बजट तथा संबंधित नोडल एजेंसी अर्थात् गोवा स्थित राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, में वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, ताकि उन वैज्ञानक एवं संभार-तंत्र संबंधी क्रियाकलापों को पूरा किया जा सके, जो अंटार्कटिका स्थित दो अनुसंधान केन्द्रों के रखरखाव के कारण कई गुना बढ़ गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायतें

2473. मोहम्मद सलीम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली पुलिस के विरुद्ध जनता की शिकायतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) सूचना निम्नानुसार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित नहीं	जांच प्रगति पर
2006	5360	101	5259	–
2007	5786	60	5726	–
2008	5567	70	5490	7

(ग) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों में शामिल हैं: पुलिस स्टेशनों और यातायात पुलिस के स्टाफ की सतर्कता शाखा द्वारा नियमित निगरानी किया जाना, सतर्कता अधिकारियों द्वारा शिकायतों की जन-सुनवाई करना, प्रमाणित हुए आरोपियों को दंड देना।

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल

2474. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन.आई.टी.) को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आई.आई.टी., एन.आई.टी. तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन पर होने वाले व्यय को वहन करेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय ले लेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यूनिवर्सिटी इम्पलायमेंट इंफोर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो नियोजन सैल के रूप में कार्य कर रहा है तथा इसे किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से आउटसोर्स कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में ऑन-लाईन नियोजन सैल स्थापित करने का सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इन शैक्षणिक संस्थाओं ने छात्रों के नियोजन हेतु अपना तंत्र विकसित किया है।

[अनुवाद]

अवैध खनन

2475. श्री एम. शिवन्ना:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के बावजूद अरावली पहाड़ियों सहित देश में लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का अवैध खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश सहित गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश सहित उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों का राज्यवार पता चला है और लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के अवैध खनन के दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार की इस संकट को रोकने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार खनन को राज्य सूची से संघ सूची में लाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 6.5.2002 के अंतरिम आदेश के तहत दिल्ली-हरियाणा सीमा में हरियाणा के फरीदाबाद तथा गुड़गांव जिलों के 5 कि.मी. की दूरी के भीतर पड़ने वाली अरावली पहाड़ियों में खनन कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.12.2002 के निर्णय तथा दिनांक 18.3.2004 के निर्णय के तहत अरावली पहाड़ियों में भी खनन कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस क्षेत्र में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है।

(ख) से (ङ) 2006 के दौरान अवैध खनन के 35694 मामलों का पता लगाया गया, 2007 में 37526 मामलों का पता लगाया गया और जून, 2008 तक 21276 मामलों का पता लगाया गया जिसमें से 9730 मामले कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अवैध खनन के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और खनन पट्टा मंजूर करती हैं। चूंकि खनिज अधिकार और राजस्व संग्रहण राज्य सरकार में निहित होता है और पुलिस तथा कानून व्यवस्थ तंत्र संबंधित राज्यों के पास होता है, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन तथा परिवहन आदि की रोकथाम करने के लिए खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआरएक्ट) की धारा 23-सी के अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। केन्द्र सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को राज्य/जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने के भी निदेश दिए हैं। केन्द्र सरकार अवैध खनन की

घटनाओं को भी मानीटर करती है और अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की भारतीय खान ब्यूरो को सूचना दी जाती है। अभी तक 18 राज्यों ने नियम बनाए हैं और 21 राज्यों ने अवैध खनन, खनिजों के परिवहन आदि की रोकथाम के लिए राज्य/जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस मामले में 2660 एफआईआर दर्ज किये गये हैं और 17244 अदालती मामले दायर किये गये हैं जिसमें से 14199 मामलों में निर्णय किया गया है और कुल 229.96 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गये हैं। राज्य सरकारों को अवैध खनन के विरुद्ध लोगों में जागृति लाने के लिए "पखवाड़ा" मनाने की भी सलाह दी गई है।

(च) और (छ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र को कानूनी सहायता

2476. श्री उदय सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय वहां पर पढ़ रहे उन छात्रों को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा हाल के सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कथित रूप में शामिल होने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी छात्र जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा हाल के सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कथित रूप में शामिल होने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कल्चरल तथा मोरल पुलिसिंग

2477. श्री के. सुब्बारायण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या सरकार को देश में कल्चरल तथा मोरल पुलिसिंग की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच की है;

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) भारतीय दंड संहिता में कल्चर और मोरल पुलिसिंग परिभाषित नहीं की गई है। तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है और यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी घटनाओं की जांच-पड़ताल करें। मानवाधिकार संरक्षण और इससे जुड़े या इससे संबंधित मामलों के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एन.एच.आर.सी. का गठन किया गया है। अठारह राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में एन.एच.आर.सी. का भी गठन किया है।

जाली अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों पर नियुक्तियां

2478. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जाली अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर कुछ अनियमित नियुक्तियों के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पता लगाये गये ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी; और

(च) भविष्य में ऐसी नियुक्तियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जाति संबंधी जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर अनियमित नियुक्तियों के 1 मामले का आसाम में, 4 पं. बंगाल में, 7 पंजाब में, 1 चंडीगढ़ में, 3 महाराष्ट्र में, 87 त्रिपुरा में, 1 बिहार में और 2 हरियाणा में आयोग द्वारा पता लगाया गया है।

(ग) से (च) इस मामले में जांच एनसीएससी, राज्य कार्यालयों, उपायुक्त, सर्किल अधिकारियों आदि जैसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है। कुछ राज्यों में, जाली प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने के आरोपित व्यक्तियों की जातिगत स्थिति की जांच करने और अपेक्षा के अनुरूप उनकी सेवा समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय संवीक्षा समितियां गठित की गई हैं। एनसीएससी की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी जांच यथा-समय पूरी हो जाएगी। ऐसी नियुक्तियों की जांच के लिए अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं।

लौह अयस्क भंडारों का बर्बाद होना

2479. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क के बड़े भंडार फाइन ओर डंप्स के रूप में बर्बाद किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर बर्बादी के राज्यवार क्या कारण हैं; और

(ग) लौह अयस्क के इष्टतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हासिल हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लौह अयस्क फाइंस लौह अयस्क के खनन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उत्पन्न होते हैं। घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा फाइंस का सीमित उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले अधिशेष फाइंस का निर्यात किया जा रहा है। राष्ट्रीय खनिज नीति, सज्जीकरण, कैलिब्रेशन, ब्लेन्डिंग, साइजिंग, सान्द्रण, पेलेटाइजेशन, शुद्धिकरण की अद्यतन तकनीकों और उत्पाद के सामान्य कस्टमाइजेशन के माध्यम से खनिज सेक्टॉरल मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करती है।

[हिन्दी]

मानद विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन

2480. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालयों के निरीक्षण तथा मूल्यांकन के अनुसरण में प्रशासन तथा नौकरी में भर्ती इत्यादि सहित सरकार द्वारा कुल कितने निदेश जारी किये गये;

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालयों द्वारा इन निदेशों का पालन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन निदेशों का पालन कराने वाले जिम्मेवार अधिकारी निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं तथा ये विश्वविद्यालय अपनी गैर-कानूनी गतिविधियां चलाते रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार आयोग की सलाह से विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी उच्च शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम-विश्वविद्यालय घोषित कर सकती है तथा ऐसी 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था पर इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।

शैक्षिक तथा प्रशासनिक मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों तथा दिशानिर्देशों के माध्यम से 'सम-विश्वविद्यालय' को निदेश जारी करने के लिए इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी अधिकृत किया गया है। उन सभी संस्थाओं जिन्हें 'सम-विश्वविद्यालय' घोषित किया गया है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

केन्द्र सरकार क्रमशः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 20(1) के तहत राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीतिगत मामलों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निदेश जारी करने के लिए अधिकृत है। फाइल संख्या 2-1/2006-यू.3ए के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशों की प्रति वेबसाइट www.ugc.ac.in/notices/mhrd_clicafi_du.pdf. पर उपलब्ध है। दिनांक 5.4.2006 के उक्त निदेशों के उल्लंघन संबंधी कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

इस्पात कंपनियों को खनन पट्टा

2481. डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक इस्पात कम्पनियों ने खनिज खोज के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी कंपनियों को कंपनीवार, राज्यवार तथा खनिजवार खनन पट्टे दिए गये हैं; और

(घ) नई स्थापित इस्पात कंपनियों को लौह अयस्क जैसे कच्चे माल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) इस्पात कंपनियों द्वारा खनिज गवेषण के लिए राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एओयू) का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, खान मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए इस्पात कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और इन कंपनियों ने खनिज रियायतें प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन किया है।

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के संबंध में खनन पट्टे प्रदान करने हेतु खान मंत्रालय द्वारा पिछले दस वर्षों में राज्य सरकारों को सम्प्रेषित पूर्व अनुमोदनों का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट www.mines.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) सरकार ने मार्च, 2008 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की है जो खनन कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी सहित उपयोगकर्त्ता उद्योग को खनिज उत्पादक इकाइयों के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

इंजीनियरिंग डिग्री कालेज की स्थापना

2482. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2008-09 के दौरान देश में प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग डिग्री कालेज, नये इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा अन्य कालेज स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए राजस्थान सहित राज्यवार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 अभिनिर्धारित जिलों में उत्कृष्टता के नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारूपित कर रही है। ऐसे अभिनिर्धारित जिलों की राजस्थान सहित राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

जहां तक इंजीनियरी डिग्री कॉलेज स्थापित करने का संबंध है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् देश के प्रमुख समचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा तथा अपनी वेबसाइट के माध्यम से सम्पूर्ण देश में नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदकों को न्यास/सोसाइटी/सरकारी एजेंसी/विश्वविद्यालय आदि के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। बहरहाल, परिषद् स्वयं तकनीकी संस्थाओं की स्थापना नहीं करती।

विवरण

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**

अंडमान

निकोबार

2. **आंध्र प्रदेश**

आदिलाबाद

अनन्तपुर

पूर्वी गोदावरी

कुरनूल

महबूबनगर

मेडक

निजामाबाद

प्रकाशम

श्रीकाकुलम

विजयानगरम

पश्चिमी गोदावरी

3. **अरुणाचल प्रदेश**

चांगलांग

दिबांग वैली

पूर्वी कामेंग

लोहित

लोअर सुबनसिरी

तवांग

तीराप

अपर सियांग

अपर सुबनसिरी

पश्चिम कामेंग

पश्चिम सियांग

4. **असम**

बोंगाईगांव

कछार

दारांग

धुब्री

गोलपाड़ा

हैलाकांडी

कर्बी अंगलोंग

करीमगंज

मारीगांव

नौगांव

सोनितपुर

तिनसुकिया

5. **बिहार**

अररिया

औरंगाबाद

बंका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर

कटिहार

खगड़िया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

नवादा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

शिवहर
सीतामढ़ी
सीवान
सुपौल
वैशाली

6. **छत्तीसगढ़**

बस्तर
बिलासपुर
दंतेवाड़ा
धामतरी
दुर्ग
जंजगीर-चम्पा
जसपुर
कानकेर
कावर्धा
कोरिया
महासमुंद
रायगढ़
रायपुर
राजनंदगांव
सरगूजा

7. **दादरा और नगर हवेली**

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन और दीव**

दमन
दीव

9. **गुजरात**

अमरेली
बनासकंठा
भरुच
भावनगर
दोहाद
जामनगर
जूनागढ़
कच्छ
खेड़ा
मेहसाना
नर्मदा
पंचमहल
पाटन
पोरबन्दर
राजकोट
साबरकांठा
सूरत
सुरेन्द्रनगर
दाडांग
वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहाबाद
गुड़गांव
जींद
कैथल
करनाल
पानीपत
सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा
कन्नौर

लाहौल-स्पीति

सिरमौर

12. **जम्मू और कश्मीर**

अनन्तनाग

बडगाम

बारामूला

डोडा

कारगिल

कथुआ

कुपवाड़ा

लेह

पुंछ

राजौरी

उधमपुर

13. **झारखण्ड**

चतरा

देवघर

दुमका

गढ़वा

गिरिडीह

गोड्डा

गुमला

कोडरमा

पाकुर

पलामू

पश्चिमी सिंहभूम

साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बागलकोट

बैंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

चित्रदुर्ग

दक्षिण कन्नाडा

गडग

हसन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मांड्या

रायचूर

टुमकुर

उदुपी

उत्तर कन्नड

15. **केरल**

कासरगोड

मालापुरम

पलाक्कड

वेनाड

16. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप

17. **मध्य प्रदेश**

बालाघाट

बरवानी

बैतूल

भिंड

छतरपुर

छिंदवाड़ा

दामोह

दतिया

देवास

धार

डिंडोरी

ईस्ट नीमर

गुना

हरदा

झबुआ

कटनी

मांडला

मंदसौर

मोरेना

नरसिंहपुर

नीमच

पन्ना

रायसेन

राजगढ़

रतलाम

सागर

सतना

सिहोर

सिवनी

शहडोल

शाजापुर

शिवपुर

शिवपुरी

सिधी

टीकमगढ़

उज्जैन

उमरिया

विदिशा

वेस्ट नीमर

18. **महाराष्ट्र**

बुल्दाना

गडचिरोली

हिंगोली

जालना

रायगढ़

रत्नागिरी

सिंधुदुर्ग

19. **मेघालय**

ईस्ट गारो हिल्स

जयंतिया हिल्स

रीभोई

साउथ गारो हिल्स

वेस्ट खासी हिल्स

20. **मिजोरम**

चम्फाई

कोलासिब

लांगतलाई

लंगलई

मामित

सेहा

सरचिप

21. नागालैण्ड

मोन

22. उड़ीसा

अंगुल

बालांगीर

बारगढ़

बौद्ध

देवगढ़

धेनकनाल

गजपति

गंजम

कालाहाण्डी

कंधामल

केन्दुझर

कोरापुट

मल्कानगिरी

नवरंगपुर

नयागढ़

नूपाड़ा

रायगाड़ा

सोनपुर

23. पुडुचेरी

यनम

24. पंजाब

अमृतसर

भटिंडा

फरीदकोट

फतेहगढ़ साहिब

फिरोजपुर

गुरुदासपुर

कपूरथला

मानसा

मोगा

मुक्तसर

नवांशहर

पटियाला

संगरूर

25. राजस्थान

अजमेर

अलवर

बांसवाड़ा

बारन

बाड़मेर

भरतपुर

भीलवाड़ा

बीकानेर

बूंदी

चित्तौड़गढ़

चुरू

दौसा

धौलपुर

डुंगरपुर

गंगानगर

हनुमानगढ़

जैसलमेर

जालौर

झालावाड़

झुनझुनु

जोधपुर

करौली

नागौर

पाली

राजसमन्द

सवाई माधोपुर

सीकर

सिरोही

टोंक

उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व

उत्तर

दक्षिण

पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर

कोयम्बटूर

कुड्डालूर

धर्मपुरी

डिण्डीगुल

इरोड

कांचीपुरम

कन्याकुमारी

करूर

मदुरै

नागापट्टीनम

पैरमबल्लूर

पुडुकोट्टई

रामानाथापुरम

सलेम

शिवगंगा

तंजावुर

दा नीलगिरीस

थणी

थिरूवल्लूर

थूवारूर

थूथुकुकड़ी

तिरूनेलवेली

तिरूवन्नमलई

वेलोर

वेलुपुरम

विरुद्धनगर

28. **त्रिपुरा**

उत्तर त्रिपुरा

दक्षिण त्रिपुरा

पश्चिम त्रिपुरा

धलाई

29. **उत्तर प्रदेश**

बहराइच

बलरामपुर

बांदा

बाराबंकी

बरेली

बस्ती

बिजनौर

बदायूं

बुलन्दशहर

चित्रकूट

एटा

फर्रुखाबाद

फतेहपुर

गोंडा

हमीरपुर

हरदोई

हाथरस

ज्योतिबा फुले नगर

कन्नौज

कानपुर देहात

कौशाम्बी

खीरी

कुशीनगर

ललीतपुर

महाराजगंज

महोबा

मथुरा

मुरादाबाद

मुजफ्फरनगर

पीलीभीत

रायबरेली

रामपुर

सहारनपुर

संत कबीर नगर

शाहजहांपुर

श्रावस्ती

सिद्धार्थ नगर

सीतापुर

सोनभद्र

सुल्तानपुर

उन्नाव

30. **उत्तराखंड**

बागेश्वर

चम्पावत

31. **पश्चिम बंगाल**

बांकुरा

बर्धमान

बीरभूम

दक्षिण दिनाजपुर

दार्जीलिंग

हावड़ा

हुगली

जलपाईगुड़ी

कूच बिहार

मालदा

मेदिनीपुर

मुर्शिदाबाद

नाडिया

उत्तर 24 परगना

पुरूलिया

दक्षिण 24 परगना

उत्तर दिनाजपुर

कुल जिले - 374

खनिज रियायत संबंधी होडा समिति रिपोर्ट

2483. **श्री अर्जुन सेठी:**
श्री सुभाष महरिया:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने होडा समिति रिपोर्ट के उस भाग का विरोध किया था जिसमें केन्द्र द्वारा खनिज रियायत आवेदनों तथा इससे संबंधित मामलों के निपटाने के लिए सीधी कार्रवाई की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार समिति की सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों से सर्वसम्मति पर पहुंच गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं एवं खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में शामिल खनिजों के मामले में खनिज रियायत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। राष्ट्रीय खनिज नीति को सरल और कारगर बनाने, सरलीकरण करने एवं पुनरीक्षा करने तथा एमएमडीआर अधिनियम में संभावित संशोधनों की सिफारिश करने हेतु, योजना आयोग ने श्री अनवारूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 20 जुलाई, 2006 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार को कुछ राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें होदा समिति की उस सिफारिश पर चिंता प्रकट की गई है कि केन्द्र सरकार को नियमों में विनिर्धारित समय-सीमा से परे देरी के मामले में राज्य सरकार के पास लंबित खनिज रियायत प्रस्तावों को निपटाने में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपबंधों का दुरुपयोग

2484. डा. के.एस. मनोज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विद्यमान कानूनों यथा भारतीय दंड संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि के कतिपय उपबंधों के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपबंधों में संशोधन की मांग संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत महिला अपराध प्रकोष्ठ द्वारा मामले दर्ज करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या उक्त प्रकोष्ठ के पास दर्ज मामलों में कार्रवाई में विलम्ब/कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या उक्त प्रकोष्ठ के पास वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करवाए जाने की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी झूठी शिकायतों से वरिष्ठ नागरिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में संशोधन करने तथा अपराध का जमानत योग्य या प्रशमनीय बनाने की मांग करते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख तथा घरेलू हिंसा अधिनियम में संशोधन की मांग करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में अन्य बातों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत किये जाने वाले अपराधों (पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई निर्दयता) का प्रशमन किया जा सके। इस प्रस्ताव का अनुकरण नहीं किया गया। इस मुद्दे पर अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ भी परामर्श किया गया। वह मंत्रालय भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के प्रावधानों को शिथिल करने के पक्ष में नहीं है।

(ग) दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले में चंदरभान तथा अन्य बनाम राज्य मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप क्राइम अगेन्स्ट वीमेन सेल का पहला प्रयास उसके व्यापक परिदृश्य को देखना तथा कुटुम्ब में सद्भाव सुनिश्चित करना है। मेलमिलाप करने के प्रयासों में असफल रहने तथा झगड़े का निस्तारण करने की कोई गुंजाइश न रहने के बाद ही कानून का प्रयोग किया जाता है अर्थात् मामला दर्ज किया जाता है।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार क्राइम वीमेन सैल को कथित विलम्ब अथवा अकर्मण्यता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पीड़ित अथवा शिकायतकर्ता हर कदम पर अंतर्ग्रस्त होता है इसलिए विलम्ब का कोई मौका ही नहीं आया।

(च) और (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यकलाप

2485. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यकलाप किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या कुछ अनुसंधान प्रकाशनों एवं पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय जनरलों में स्थान मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छात्रों एवं शिक्षाविदों को अपने कार्य अंतर्राष्ट्रीय जनरलों में प्रकाशित करवाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अनुसंधान, विश्वविद्यालयों में शिक्षा का अभिन्न भाग है। विश्वविद्यालयों में मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए इसे अधिकार प्राप्त समिति में परिवर्तित किया गया है जबकि अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में अनुसंधान पेपरों को प्रकाशित कराना पूर्णत: अनुसंधान विद्यार्थी और प्रकाशक के मध्य का मामला है तथापि 11वीं योजना के दौरान विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में अनुसंधान निष्कर्षों के प्रकाशन को सुकर बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

आपदा चेतावनी उपकरण की स्थापना

2486. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपदाओं से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने हेतु आपदा चेतावनी उपकरण लगाने अथवा आपदा प्रबंध केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) गृह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.), संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू.एस.ए.आई.डी.), यूरोपीय आयोग आस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी सहायता कार्यक्रम (ए.यू.एस.ए.आई.डी.) आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से 100% बाहरी सहायता से यू.एन.डी.पी. के स्थानीय कार्यालय की सहायता के साथ 17 राज्यों में बहुजोखिम प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य जिला स्तरों पर आपात परिचालन केन्द्र (ईओसी) स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 02 ईओसी स्थापित किये गये हैं और 09 ई.ओ.सी. पूरी होने वाले हैं। जिला स्तर पर 89 ई.ओ.सी. स्थापित किये गये हैं और 09 ई.ओ.सी. पूरे होने वाले हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे दिनांक 30.6.2009 तक ये ईओसी स्थापित करने का कार्य पूरा कर लें। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद में सुनामी और तूफान के लिए पूर्व सूचना प्रणाली पहले ही स्थापित कर दी है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामलों का हस्तांतरण

2487. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा संभाले गए कुछ मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सी.बी.आई. को कुल कितने मामले सौंपे गये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की कुल संख्या कितनी है और इनमें दोषसिद्धि की दर कितनी है, और

(घ) सभी मामलों को सुलझाने तथा उच्च दोषसिद्धि दर के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

डी.टी.एच. कंपनियों में एफ.डी.आई.

2488. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायरेक्ट टु होम (डी.टी.एच.) कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे कंपनियों द्वारा एफ.डी.आई. दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा शुरू की गई/की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार डायरेक्ट टु होम (डी.टी.एच.) प्रसारण सेवा में, पूर्व सरकारी अनुमोदन के साथ, 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)/अप्रवासी निवेश (एनआरआई)/विदेशी संस्थागत निदेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश सहित, विदेशी निवेश की अनुमति है। विदेशी निवेश में केवल 20 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. संघटक की अनुमति है।

(ग) से (ङ) मौजूदा नीति में यह व्यवस्था है कि डीटीएच प्रसारण में पूर्व सरकारी अनुमोदन से ही एफ.डी.आई. की अनुमति हो। मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड द्वारा अपनी कंपनी में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकार से अनुमोदन न लेने के कारण सरकार ने उसके विरुद्ध कार्रवाई की। मैसर्स भारतीय टेलीमीडिया लिमिटेड को 3 महीने के भीतर अनुमोदन लेने का निर्देश दिया गया तथा उसके बाद कंपनी ने अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

महिलाओं के लिए आई.आई.टी. की स्थापना

2489. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अमरावती में महिलाओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ राशि का आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से अमरावती में इंदिरा गांधी महिला प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि इससे बालिकाओं के लिए अलग से आई.आई.एम./एन.आई.टी. अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की इसी प्रकार की मांग उठेगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की तस्करी

2490. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से काफी मात्रा में गेहूं, चावल एवं अन्य खाद्यान्नों की तस्करी कर नेपाल, बांग्लादेश तथा अन्य पड़ोसी देशों में ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में रिपोर्ट किये गये ऐसे मामलों का कमोडिटी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की तस्करी किन-किन राज्यों से की जा रही है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी से भारत से नेपाल तथा बांग्लादेश

में गेहूं, चावल एवं अन्य खाद्यान्नों की तस्करी की घटनाओं का पता चलता है। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इन सीमाओं पर सीमा रक्षक बलों द्वारा की गई खाद्यान्नों की जब्ती का ब्यौरा निम्नानुसार है:

भारत-नेपाल सीमा

(परिणाम किलो में)

मद	2005	2006	2007	2008 (10.11.08 तक)
गेहूं	1300	9040	26215	14559
धान एवं चावल	67776	28375	39910	256487
चीनी	14007	4775	28952	34517
अन्य खाद्यान्न	1403	1255	4618	7847

भारत-बांग्लादेश सीमा

(परिणाम किलो में)

मद	2005	2006	2007	2008 (10.11.08 तक)
गेहूं	1170	815	2565	291122
धान एवं चावल	18779	24344	29213	292773
चीनी	990543	140294	10644	320
अन्य खाद्यान्न	471	252	237	79668

(ग) खाद्यान्नों की तस्करी कथित रूप से भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश एवं बिहार से होकर और भारत-बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर की जाती है।

(घ) सीमा रक्षक बल यथा सीमा सुरक्षा बल एवं सशस्त्र सीमा बल खाद्यान्नों की तस्करी सहित गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर निरन्तर चौकसी बरतते हैं। इस चौकसी के परिणामस्वरूप, इन सीमाओं पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न जब्त किये गये हैं।

[अनुवाद]

चर्म उद्योग का संवर्धन

2491. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री एस.के. खारवेलथन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए ग्यारहवीं योजना में कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार चेन्नई में इंटेग्रेटेड लेदर पार्क एंड फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्थान की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है;

(ङ) देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित लेदर पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(च) चर्म क्षेत्र में सृजित होने वाले रोजगार का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में चर्म उद्योग में कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं; और

(छ) चर्म उद्योग में संवर्धन एवं विकास के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन के साथ भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अंतर्गत उपयोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	आईएलडीपी के अंतर्गत उप योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन (रुपये करोड़)
1	2	3
1.	चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास	253.43
2.	चमड़ा परिसर, नैल्लोर	29.00

1	2	3
3.	फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान (एफडीडीआई), फुरसतगंज	7.17
4.	फुटवियर परिसर, चैन्नई	3.00
5.	जीनसाजी विकास	10.00
6.	कारीगरों को सहायता	40.00
7.	मानव संसाधन विकास	60.00
8.	संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन तथा स्थापना	300.07
9.	पर्यावरण संबंधी पहलें	200.00
10.	मिशन मोड	10.00
11.	मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	24.85
	योग	937.52

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने चैन्नई में एक फुटवियर परिसर तथा एक फुटवियर कंपोनेंट पार्क की स्थापना को अनुमोदित किया है। आईएलडीपी के तहत ''संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन तथा स्थापना'' उपयोजना शीर्षक के अंतर्गत एक फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान (एफडीडीआई) को भी चैन्नई में स्थापित किया जा रहा है। इस संस्थान के वर्ष 2010-11 तक स्थापित किये जाने की संभावना है।

(ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्र सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये की सहायता से पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक लेदर गुड्स पार्क, 14 करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रुपये की सहायता से तमिलनाडु में चेन्नई में क्रमश: एक फुटवियर परिसर तथा एक फुटवियर कंपोनेंट पार्क, तथा 29 करोड़ रुपये की सहायता से आंध्र प्रदेश में नैल्लोर में एक लेदर परिसर स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

(च) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) द्वारा यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारतीय चमड़ा क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और अगले पांच वर्ष के दौरान अनुमानित 5 लाख रोजगार सृजित किये जाने की संभावना है।

(छ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने चमड़ा क्षेत्र के लिए विनिर्माण सक्षमता, क्षमता निर्माण तथा अवसंरचना सुविधा में सुधार के आधुनिकीकरण पर केन्द्रित भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया था। चैन्नई में फुटवियर परिसर तथा फुटवियर कंपोनेंट पार्क तथा कोलकाता में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण कारीगरों की सहायता, जीन साजी विकास, चमड़ा इकाइयों के लिए ग्लोबल बेंच मार्किंग, निवेश आकृष्ट करने, गैर-चमड़ा फुटवियर के विकास तथा एफडीडीआई (नोयडा ब्रांच) के प्रत्यायन के लिए उपाय शुरू किये गये थे।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र सरकार क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास तथा पर्यावरण संबंधी मामलों के निवारण के लिए 937.52 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से भारतीय चमड़ा कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है जैसाकि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में विस्तृत रूप से बताया गया है।

बी.टी. कॉटन की खेती एवं इसका संवर्धन

2492. श्री पी.सी. थामस:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में बी.टी. कॉटन बीजों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्पादकता में वृद्धि का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बी.टी. कॉटन बीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) किसानों द्वारा बी.टी. कॉटन बीजों का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में किये जा रहे हैं। कॉटन सलाहकार बोर्ड (सीएबी) के कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2002 एवं 2007 के बीच बी.टी. कॉटन को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप भारत में कॉटन की औसतन पैदावार, जोकि विश्व में न्यूनतम पैदावार थी, वर्ष 2001-02 में 308 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 520 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक पहुंच गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर कॉटन के उच्च उत्पादन के लिए बी.टी. कॉटन एक प्रमुख कारक है जिसके कारण कॉटन उत्पादन 2001-02 में 15.8 मिलियन बेल से बढ़कर 2005-06 में 24.4 मिलियन बेल तथा 2006-07 में 28 मिलियन बेल तक पहुंच गया जो भारत के लिए कॉटन उत्पादन का एक कीर्तिमान है। वर्ष 2002-03 से कॉटन उत्पादन में लंबी छलांग उन्नत बीजों और विशेष रूप से कॉटन का उत्पादन करने वाले राज्यों में उन्नत बीटी कॉटन के बढ़ते रोपण के कारण संभव हुआ।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

जी.एम. खाद्य का प्रभाव

2493. श्री निखिल कुमार:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जेनेटिकली मोडिफाइड (जी.एम.) उत्पादों की जैव सुरक्षा एवं फील्ड ट्रायल के लिए विनियामक तंत्र ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वैज्ञानिक समुदाय तथा कृषि विज्ञानी भारतीय पर्यावरण में जी.एम. खाद्य के फील्ड ट्रायल एवं अधिनियमित निर्गम के विनियमन की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकार को देश में जी.एम. खाद्य मदों के फील्ड ट्रायल से सभी परिणामों को प्रकाशित करने का अंतरिम निदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर जी.एम. खाद्य मदों के प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या कई सरकारों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फसलों के जी.एम. रूपांतरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(झ) यदि हां, तो जी.एम. चावल के उत्पादन के क्या कारण हैं जबकि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में से एक है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) देश में जेनेटिकली मोडिफाइड (जी.एम.) उत्पादों की जैव सुरक्षा और फील्ड ट्रायल के लिए विनियामक तंत्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की नियमावली 1989 की परिधि में आता है। इस नियमावली और अधिनियम के विवरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाईट www.envfor.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी.एम. फसलों के सभी फील्ड ट्रायल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की नियमवली 1989 के अंतर्गत विनियमित होते हैं और देश में जी.एम. खाद्य का कोई भी अविनियमित निर्गम नहीं होता है। क्योंकि देश में अभी तक कोई भी जी.एम. खाद्य का निर्गम नहीं हुआ है इसीलिए वैज्ञानिक और किसान समुदायों द्वारा ऐसे उत्पादों के विनियमन की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रकार के जैव सुरक्षा आंकड़ों को वेबसाईट पर प्रकाशित करने के लिए सरकार को आदेश दिया था और सभी प्रकार के फील्ड ट्रायलों,

व्यापारीकृत जी.एम. फसलों अर्थात् बी.टी. कॉटन के क्षेत्र, ग्राम और फील्ड ट्रायल चलाने वाले किसानों के विवरणों के साथ-साथ इसकी विषाक्तता तथा एलर्जी-जनीयता संबंधी आंकड़ों का विवरण वेबसाईट www.igmoris.nic.in पर रखा गया है. बी.टी. बैंगन के संबंध में सृजित सुरक्षा आंकड़ों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाईट www.envfor.nic.in पर प्रकाशित किया गया है।

(च) और (छ) क्योंकि देश में अभी तक किसी भी जी.एम. खाद्य मदों का निर्गम नहीं हुआ है इसीलिए जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जी.एम. खाद्य मदों के प्रभाव संबंधी अध्ययन चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ज) खाद्य सुरक्षा के प्रयोजन से किसी भी देश ने विश्व के किसी भी स्थान पर फसलों के जी.एम. रूपान्तरण पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यूरोपीय संघ ने चारा एवं ईंधन के प्रयोजन से जी.एम. फसलों की खेती को अनुमति दी है परन्तु खाद्य प्रयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी गई है।

(झ) भारत में जी.एम. चावल के उत्पादन के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। केवल जी.एम. चावल के विभिन्न जैव सुरक्षा प्राचलों के आकलन के लिए आवेदकों को जैव सुरक्षा अनुसंधान स्तर-I ट्रायल (बीआरएल-I) की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

बॉक्साइट खान

2494. श्री अजीत जोगी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य-वार कुल कितनी बॉक्साइट खाने हैं;

(ख) उक्त खानों में बॉक्साइट भंडार की स्थान-वार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ खानों का निजीकरण किया है; और

(घ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित इसका ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खनिजों की रायल्टी दरें

2495. श्री प्रसन्न आचार्य:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है जिसके अंतर्गत खनिजों पर रायल्टी दरों का निर्धारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी खनिजों पर रायल्टी दरों में पिछले संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति (एन.एम.पी.), 2008 तैयार करते समय खनिज उत्पादक राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है/सुझावों को स्वीकृत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रायल्टी दरों का संशोधन न किये जाने के कारण राज्य सरकारों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सभी खनिजों पर रायल्टी दरों पर पुनर्विचार/इनका निर्धारण कब तक किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) की धारा 9 के अनुसार केन्द्र सरकार केवल प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई हेतु बालू से भिन्न) की रायल्टी दरें निश्चित एवं अधिसूचित कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार, रायल्टी दरों को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार, सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा उद्योग के साथ अध्ययन दल का गठन करती है। प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई हेतु बालू से भिन्न) की रायल्टी की दरें पिछली बार 14 अक्तूबर, 2004 को संशोधित की गई थी और ब्यौरे खान मंत्रालय की वेबसाइट www.mines.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा करने से पहले इन मुद्दों पर विचार किया गया था और उन्हें उपयुक्त रूप से संबोधित किया गया था।

(ङ) और (च) जी, नहीं। रायल्टी की संशोधित दरें केवल भविष्य प्रभावी रूप से लागू होती है।

(छ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा डिग्री को मान्यता नहीं दिया जाना

2496. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एम. फिल. (अंग्रेजी) सहित दी गई डिग्रियां दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, नागालैण्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) दूरस्थ शिक्षा परिषद-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के जरिये अपने कार्यक्रम (उनके संविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित) संचालित करने हेतु अस्थायी अनुमोदन/मान्यता प्रदान की है। दूरस्थ शिक्षा परिषद ने मद्रास विश्वविद्यालय के उन कार्यक्रमों को मान्यता दी है जिन्हें परिषद के संविधिक निकायों द्वारा वर्ष 1995 से 2008 के बीच अनुमोदित किया है।

(ग) और (घ) ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड की स्थापना नागालैण्ड राज्य विधान मण्डल के एक अधिनियम द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) में की गई व्यवस्था के अनुसार "विश्वविद्यालय" का अर्थ है किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा समाविष्ट कोई विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विश्वविद्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है।

ग्रामीण विकास में सी.एस.आई.आर. की भूमिका

2497. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की प्रारम्भिक उपलब्धियां क्या रही हैं;

(ख) सीएसआईआर द्वारा इन उपलब्धियों/अनुसंधानों के मद्देनजर ग्रामीण विकास के किन-किन पहलुओं पर सर्वाधिक ध्यान आकर्षित हुआ है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने तथा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सीएसआईआर की उपलब्धियां क्या रही हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सीएसआईआर अनुसंधान एवं विकास संगठन है और यह उन्नत एवं नए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय निर्गतों अर्थात् तकनीकी जानकारी एवं प्रौद्योगिकियों के विकास कार्य में रत है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र से सीएसआईआर का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तथापि, सीएसआईआर द्वारा विकसित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय निर्गतों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय सृजन के लिए किया जा सकता है। गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान किये गये ऐसे विकासों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सीएसआईआर की उपलब्धियां

* बहुउपयोगी पोर्टेबल संगधीय तेल आसवन इकाई "सिम-अस्विका" का विकास
* स्टेरॉल्स के सूत्रण हेतु नवीन कीमो-सिलेक्टिव विधि का विकास
* पश्चिमी हिमालय के 1300 मी. से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कृषि के लिए उपयुक्त हिमबाला और हिमकाचरी की कृषिजोपजाति का विकास
* गुलाब के फूलों के विपुंसन हेतु दक्ष नई विधि का विकास
* नए जैव कीटनाशक एव जैव उर्वरक (ट्राइकोडर्मा हार्जिऐनम) का विकास
* बायोडीजल प्रक्रम प्रौद्यगिकी का विकास एवं प्रौद्योगिकी अंतरण

* संगधीय तेल हेतु अधिक पैदावार देने वाली किस्म सिम-सूजल का विकास

* ऐलोवेरा आधारित सर्वप्रयोजनीय क्रीम का विकास

* फिजियोलॉजिकल फंक्शनल फूड एवं हेयर कंडीशनर हेतु शुद्ध नारियल तेल के लिए प्रक्रम का विकास

* करक्यूमा एरोमेटिका (हिमहल्दी) की नई कृषिजोपजाति का विकास

* हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए पुष्प उत्पादन हेतु उच्च उपोयगिता वाले विदेशज पुष्प फसल एल्स्ट्रोमेरिया का लोकप्रियकरण। कर्तित पुष्पों तथा रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु कृषि प्रौद्योगिकियां प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन प्लॉट्स के माध्यम से किसानों को अंतरित कर दी गई है।

* दक्षिण भारत में कार्वोमिंट का विस्तार।

* दक्षिण भारत में आई-कार्वोन समृद्ध स्ट्रेन (कार्वोन 65-73%), कार्वोमिंट (मेंथा लोंगिफोलिया एल.), हडसन वेर. इनकेना के नए उन्नत वैकल्पिक शक्य स्रोत का विकास एवं प्रौद्योगिकी अंतरण

* संकरण के माध्यम से लैमन ग्रास बीएलआई-अरुण के उन्नत स्ट्रेन का विकास

* सिम्नामोमम के नए एवं उन्नत स्रोत का विकास

* आनुवंशिकत: आशोधित खाद्य संदर्भ सुविधा की स्थापना

विदेशी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

2498. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) देश में विदेशी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पृथ्वी के भू-पृष्ठ में दरार

2499. श्री पंकज चौधरी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पृथ्वी के भू-पृष्ठ में बड़ी संख्या में दरार पड़ने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। परन्तु, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) को मुख्यत: भूमिगत जल स्तर में परिवर्तन के कारण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जमीन फटने/इसमें दरार आने की रिपोर्टें मिली हैं। इसके अतिरिक्त, यह नहीं माना गया है कि ये घटनाएं भूकंप के कारण हुई हैं, क्योंकि जमीन फटने/दरारें आने की इन घटनाओं के समय भारतीय-गांगेय मैदानी क्षेत्रों के भूकंपीय नेटवर्क में किसी भूकंप के आने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असमी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या में कमी

2500. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में असमी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार

भारत और असम में असमी भाषा बोलने वालों की संख्या नीचे दी गई है:

	1991	2001	वृद्धि दर (%)
भारत	13079696	13168484	0.68
असम	12958088	13010478	0.40

इस प्रकार 1991-2001 के दौरान असम सहित देश में असमी भाषा बोलने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर आव्रजन की समस्या

2501. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में विमानपत्तनों पर आव्रजन स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के कारण यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए इन विमानपत्तनों पर सुचारू एवं तीव्र आव्रजन स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) महानगरों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सभी यात्रियों की आव्रजन स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन आर्गेनाईजेशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आव्रजन-प्राधिकारियों द्वारा पूरी शीघ्रता से की जाती है।

(ख) मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आव्रजन पद्धति को कम्प्यूटर पद्धति का उन्नयन, आव्रजन नियंत्रण साफ्टवेयर का कार्यान्वयन करके, पासपोर्ट रीडिंग मशीनें और प्रश्नगत दस्तावेज जांच मशीनें आदि लगाकर आधुनिक बनाया गया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आव्रजन का कार्य काफी उन्नत हो गया है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलुरू स्थित छ: अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर एडवांस पैसेंजर इन्फोरमेशन सिस्टम को हाल ही में कार्यान्वित किया गया है और साथ ही यात्री सुरक्षा जांच में वृद्धि की गई है जिससे आव्रजन स्वीकृति समय में और अधिक कमी होने से यात्रियों को भी सुविधा हो जाएगी।

[अनुवाद]

नाल्को को नवरत्न का दर्जा

2502. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा देने के मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) जो मिनीरत्न, अनुसूची-क कंपनी है, जिसने पिछले पांच वर्षों के तीन वर्षों में समझौता ज्ञापन (एमओयू) में उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की है और अथवा 6 निर्धारित निष्पादन संकेतकों में अधिकतम 100 में से 60 अथवा अधिक का स्कोर प्राप्त किया है, वह नवरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए विचार करने हेतु पात्र है। इसके अलावा, नवरत्न सीपीएसई को बजटीय सहायता और सरकारी गारंटियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। शीर्ष समिति ने दिनांक 13.2.2007 को हुई अपनी बैठक में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको)को इस पूर्व शर्त के अध्यधीन नवरत्न का दर्जा प्रदान किये जाने की सिफारिश की कि कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र प्रभार) निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जाती है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद, नालको को 28 अप्रैल, 2008 को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है।

अनुवाद मिशन

2503. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक अनुवाद मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत आठवीं अनुसूची को सभी भाषाओं में ज्ञान आधारित पाठ्य के उत्तम अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करने जैसे क्रियाकलापों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन शुरू किया है और इस योजना को चालू वित्त वर्ष से संचालित करने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को एक नोडल संगठन बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन में ज्ञानवर्द्धक मौजूदा पुस्तकों का अंग्रेजी से भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची की विभिन्न भाषाओं में, एक क्षेत्रीय भाषा से दूसरी क्षेत्रीय भाषा में तथा उप क्षेत्रीय भाषाओं से आठवीं अनुसूची की भाषाओं में अनुवाद करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि हेतु लगभग 73.97 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.00 करोड़ रु. के आवंटन में से नवम्बर, 2008 तक 48.65 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

विनिर्माण नीति

2504. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिर्माण नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले उपाय सुझाने के लिए अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य थे: सचिव, वित्त; सचिव, राजस्व विभाग; सचिव, वाणिज्य विभाग; सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग; सचिव, वस्त्र। सचिव एन.एम.सीसी. इसके सदस्य सचिव हैं। समिति के विचारार्थ विषय थे-अगले 15 वर्षों के लिए भारतीय विनिर्माण उद्योगों के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र को जारी रखना एवं नीतिगत उपाय सुझाना; विनिर्माण उद्योगों के विकास में हाल में आई कमी को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय एवं तत्काल कदम उठाने संबंधी सुझाव देना, खास तौर पर वस्त्र, चमड़ा तथा हस्तशिल्प जैसे गहन श्रम वाले क्षेत्रों के संबंध में, रुपये के मूल्य में वृद्धि और ब्याज की उच्च दरों को देखते हुए, भारतीय विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत उपाय एवं तत्काल कदम उठाने संबंधी सुझाव देना, भारत में विनिर्माण का आधुनिकीकरण करने के लिए एफ.डी.आई. बढ़ाने हेतु नीतिगत उपाय सुझाना और एक सुदृढ़ प्रौद्योगिकी आधार पैदा करना। समिति की सिफारिशों में मुख्य रूप से सुझाव दिया है कि देश को दुनियां का प्रमुख विनिर्माण केन्द्र बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति ने यह माना कि आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने तथा व्यापक-आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने से ऐसी बुनियाद तैयार होगी जिस पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां निर्मित किये जाने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में कर नीतियों, व्यापार नीतियों, प्रौद्योगिकी नीति, एफ.डी.आई. नीति, नियामक नीतियों आदि जैसे अनेक क्षैतिज मुद्दों के संबंध में सिफारिशें शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तथापि, सरकार ने इस क्षेत्र का विकास करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और इस संबंध में अनेक उपाय शुरू किये हैं।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

2505. **एडवोकेट सुरेश कुरूप:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री गणेश सिंह:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कारागारों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कारागारों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन/विचार किये जाने हेतु लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अंतर्गत "जेल" राज्य का विषय है और जेल प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, जेलों तथा कैदियों की दशा में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने भीड़भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों/बैरकों का निर्माण करने, मौजूदा जेलों की मरम्मत और उनका पुनरुद्धार करने, स्वच्छता एवं जलापूर्ति तथा कैदियों की जीवन दशाओं में सुधार करने तथा जेल के कर्मचारियों की आवास स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से 2002-2003 में एक योजनेत्तर स्कीम शुरू की है। यह योजना केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारी आधार पर कुल 1800 जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 436क जोड़ना जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे अपराध के विचारणाधीन कैदी, जिसके अपराध के लिए मृत्यु को एक दंड के रूप में निर्धारित किया गया है को छोड़कर अन्य जिसे कथित अपराध के लिए कारागार की डेढ़ वर्ष की अधिकतम अवधि तक नजरबंद रखा गया है को, उसे निजी मुचलके पर जमानत पर अथवा जमानत के बिना छोड़ देना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी हालत में किसी विचारणाधीन कैदी को उस अधिकतम अवधि से अधिक समय के लिए नजरबंद नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उसे कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436(1) को इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा में इस अनिवार्य प्रावधान के साथ संशोधित किया गया है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति जमानत योग्य अपराध का दोषी है और वह निर्धन है तथा जमानत नहीं दे सकता है (तो न्यायालय उसे बिना जमानत के मुचलके के निष्पादन पर छोड़ सकता है)।

(2) प्ली बारगेनिंग योजना की शुरुआत करना

भीड़भाड़ की समस्या मे निपटने के लिए नई जेलों/अतिरिक्त बैरकों का निर्माण करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों की मांग पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने जेलों का आधुनिकीकरण योजना का द्वितीय चरण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके जरूरी उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का कार्यान्वयन कर रही हैं।

(घ) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन/लम्बित विचारण के मामलों से संबंधित आंकड़े भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

2506. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 2006 में प्रस्तावित बदलावों की स्वीकृति दे दी है जिसमें जांच के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं कैमरा रिकार्डिंग तथा गवाहों को मुकरने से रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाना तथा अपराध पीड़ित के लिए मुआवजा भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक संसद में कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(ग) प्रस्तावित विधेयक में किये जाने वाले अन्य परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) दिनांक 23 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 2006 में कतिपय सरकारी संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ जांच कार्य और उससे संबंधित अन्य मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग किये जाने के लिए कतिपय प्रावधान किये गये हैं। इस विधेयक में महिलाओं के संरक्षण, पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किये जाने और शीघ्र न्याय के लिए कतिपय उपाय किये जाने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। सरकारी संशोधन प्रस्तुत किये जाने और साथ ही विचार किये जाने तथा विधेयक को राज्य सभा में पारित कराये जाने के लिए दिनांक 10.12.2008 को राज्य सभा सचिवालय को नोटिस भी जारी कर दिये गये हैं।

मेट्रो स्टेशन पर झूठी कॉल

2507. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष एवं चालू वर्ष में मैट्रो स्टेशनों पर बम होने के बारे में पुलिस को कुल कितनी झूठी कॉल प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया/दोष सिद्ध किया गया तथा जेल भेजा गया; और

(ग) भविष्य में ऐसी झूठी कॉल करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

चीनी का आयात

2508. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री के.एस. राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कच्ची चीनी के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत आयात एवं निर्यात का प्रबंधन करने वाली अधिसूचना में कोई बदलाव करने की पक्षधर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं हेतु देश-वार एवं खाद्य पदार्थ-वार कितनी मात्रा एवं कितने मूल्य के ब्रांडेड खाद्य उत्पादों का आयात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी नहीं। कच्ची चीनी के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम (जिसका नाम बदलकर अग्रिम प्राधिकार स्कीम कर दिया गया है) में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। आयात के मद-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी: खण्ड 2 (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिये गये हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

चाय श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज

2509. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चाय श्रमिकों के समग्र विकास के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शुद्ध पेयजल सुविधाओं हेतु कोई विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चाय कामगारों की मजदूरी में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार चाय कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की है और उसने चाय कामगारों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

तकनीकी शिक्षा का विकास

2510. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में तैयार किये गये विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान नहीं करता। यह मंत्रालय केवल केन्द्रीय निधीयन प्राप्त तकनीकी संस्थाओं को ही अनुदान जारी करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी संकाय विकास योजनाओं, अनुसंधान एवं विकास योजनाओं तथा उद्योग सहभागिता संस्थान योजनाओं जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन पर जी.एम. फसलों का प्रभाव

2511. श्री हेमंत खंडेलवाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैनेटिक फसलों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन पर आनुवंशिक रूप से संशोधित जी.एम. खाद्यान्नों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन/अनुसंधान कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं। जीएम फसलों का जलवायु परिवर्तन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, तथापि कुछ जीएम फसलों के लिए कम जुताई की आवश्यकता होती है जिससे कार्बनडाईऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर कुछ हद तक इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ग) जलवायु परिवर्तन पर जीएम खाद्य पदार्थों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन/अनुसंधान शुरू नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) क्योंकि देश में अभी तक जीएम खाद्य पदार्थों का व्यापारीकरण नहीं किया गया है इसलिए जीएम खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति अपराध

2512. श्री हितेन बर्मन:
श्री रामदास आठवले:
श्री रनेन बर्मन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष में हत्या, दंगों एवं यौन शोषण सहित राज्य-वार तथा अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया एवं दोषसिद्धि दर प्राप्त की गई तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(घ) कुल कितने मामले सुलझाए गए/सुलझाए नहीं गए तथा सभी मामलों को सुलझाने तथा उच्च दोषसिद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं एवं बच्चों को छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा देने वाले पंचायती निकायों सहित दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) देश में अ.जा./अ.ज.जा. पर हुए अत्याचारों के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो संकलित करता है। तथापि एन.सी.आर.बी., अ.जा. और अ.ज.जा. की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों के अलावा अ.जा./अ.ज.जा. की महिलाओं तथा बच्चों पर हुए अत्याचारों से संबंधित आंकड़े पृथक से संकलित नहीं कर रहा है। इन मामलों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में संलग्न है।

(घ) सुलझाए गए/सुलझाए नहीं जा सके मामलों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अत: अपराधों का निवारण करने, संसूचन, दर्ज करने, जांच करने तथा अभियोजन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अ.जा./अ.ज.जा. पर होने वाले अपराधों का निवारण करने और नियंत्रण करने पर अधिक केन्द्रित ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पृथक से परामर्शी पत्र जारी करता है।

विवरण I

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के लिए दर्ज मामलों (सीआर), चार्जशीट किये गये मामलों (सीएस), दोषसिद्ध मामलों (सीवी), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), चार्जशीट किये गये व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध पाए व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005							2006							2007						
		सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	74	66	8	20.5	98	97	11	97	72	11	17.5	104	109	21	105	104	17	24.3	134	130	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.	असम	14	6	0	0.0	11	9	0	11	6	0	0.0	11	6	1	8	8	1	33.3	7	10	1
4.	बिहार	16	15	2	50.0	21	16	2	19	17	4	26.7	30	19	4	32	25	9	47.4	50	38	11
5.	छत्तीसगढ़	59	57	15	44.1	56	56	16	49	44	8	32.0	56	55	19	57	55	8	29.6	80	76	22
6.	गोवा	1	0	0	:	1	0	0	0	1	0	:	0	1	0	0	0	0	:	0	0	0
7.	गुजरात	20	19	1	5.9	26	25	2	19	19	1	10.0	37	37	1	30	23	2	20.0	37	35	2
8.	हरियाणा	35	30	1	6.3	54	51	1	31	25	1	2.9	45	47	1	21	20	1	6.7	32	28	7
9.	हिमाचल प्रदेश	9	10	3	25.0	20	21	2	11	9	5	29.4	21	20	3	6	4	1	33.3	3	5	1
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
11.	झारखंड	8	9	6	75.0	9	4	0	15	7	2	28.6	6	10	1	12	10	2	25.0	7	8	2
12.	कर्नाटक	30	30	2	15.4	27	30	2	27	23	2	9.5	28	28	2	20	20	0	0.0	20	20	0
13.	केरल	44	44	4	12.1	55	50	7	62	46	6	20.0	71	56	8	69	69	7	22.6	75	102	16
14.	मध्य प्रदेश	340	312	58	20.5	459	473	86	335	305	65	23.6	455	453	101	343	311	77	23.5	463	462	113
15.	महाराष्ट्र	83	75	5	10.2	136	133	8	87	83	1	1.2	148	143	1	80	80	8	6.8	142	153	8
16.	मणिपुर	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	:	0	0	0	1	1	0	:	1	1	0	0	0	1	100.0	0	0	1
20.	उड़ीसा	33	28	8	30.8	33	31	9	52	55	8	32.0	43	47	8	57	37	5	18.5	86	57	4
21.	पंजाब	9	9	0	0.0	13	15	0	11	5	1	12.5	15	7	1	1	4	0	0.0	4	10	0
22.	राजस्थान	136	90	45	40.9	145	145	69	132	73	30	40.0	103	103	37	153	96	28	46.7	119	119	26
23.	सिक्किम	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	4	4	0	0.0	4	4	0
24.	तमिलनाडु	19	17	8	40.0	17	16	11	21	19	5	41.7	21	21	11	27	22	5	23.8	27	28	6
25.	त्रिपुरा	5	5	0	:	6	6	0	0	1	0	:	0	0	0	1	1	3	60.0	1	1	3
26.	उत्तर प्रदेश	224	206	138	62.7	349	344	202	229	201	128	61.5	346	317	216	318	277	146	58.4	530	488	267
27.	उत्तरांचल	12	9	3	42.9	21	13	3	6	7	4	66.7	8	14	3	4	3	0	0.0	7	7	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0.0	1	0	0	2	2	0	:	2	3	0	1	1	0	:	3	3	0
	कुल (राज्य)	1172	1037	307	34.0	1558	1535	431	1217	1021	282	30.7	1551	1497	439	1349	1174	321	31.0	1811	1784	508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	:	0	0	0	0	0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	:	0	0	0	0	0	2	66.7	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	1172	1037	307	34.0	1558	1535	431	1217	1021	284	30.8	1551	1497	439	1349	1174	321	31.0	1811	1784	508

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस तथा न्यायालय द्वारा निस्तारित मामलों की जानकारी में पिछले वर्ष के लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

विवरण II

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के लिए दर्ज मामलों (सीआर), चार्जशीट किये गये मामलों (सीएस), दोषसिद्ध मामलों (सीवी), दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), चार्जशीट किये गये व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध पाए व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005							2006							2007						
		सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	34	41	2	11.1	36	32	2	60	34	5	17.2	57	51	3	44	55	7	18.4	68	74	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	5	100.0	7	5	5	2	2	0	:	2	3	0	2	2	0	:	2	2	0
3.	असम	19	6	0	:	22	10	0	24	9	1	50.0	24	9	0	3	10	2	50.0	6	12	3
4.	बिहार	2	0	0	:	0	0	0	3	2	0	:	4	2	0	9	10	1	50.0	10	12	1
5.	छत्तीसगढ़	104	105	25	54.3	110	114	37	97	88	22	50.0	142	140	21	81	77	12	31.6	84	86	30
6.	गोवा	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
7.	गुजरात	19	17	0	0.0	40	40	0	23	22	2	13.3	40	40	3	12	12	1	12.5	20	20	1
8.	हरियाणा	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0.0	1	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11.	झारखंड	20	17	2	28.6	29	23	11	21	15	2	25.0	24	28	3	22	20	7	35.0	19	18	5
12.	कर्नाटक	6	5	0	:	5	2	0	7	7	1	33.3	8	10	1	3	3	0	0.0	4	5	0
13.	केरल	24	26	1	10.0	26	30	2	23	26	3	6.1	22	27	11	16	21	6	12.5	16	22	7
14.	मध्य प्रदेश	294	269	50	20.7	411	413	97	284	272	87	34.0	385	393	122	288	270	118	36.0	463	460	156
15.	महाराष्ट्र	41	37	2	4.5	67	57	3	56	50	2	3.8	93	86	2	43	41	1	2.8	59	57	2
16.	मणिपुर	0	0	0	:	0	0	0	20	0	0	:	0	0	0	1	0	0	:	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	:	0	0	0	7	6	2	100.0	6	6	2	0	0	6	100.0	0	0	4
20.	उड़ीसा	30	33	2	14.3	31	30	6	30	25	2	18.2	18	21	2	45	26	6	31.6	54	48	6
21.	पंजाब	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
22.	राजस्थान	29	20	14	31.1	27	27	17	32	20	9	37.5	26	26	10	45	30	8	38.1	32	32	10
23.	सिक्किम	3	2	1	100.0	3	2	1	0	0	0	:	0	0	0	3	3	0	0.0	3	4	0
24.	तमिलनाडु	2	1	0	0.0	2	1	0	1	2	0	:	3	2	0	3	0	0	0.0	1	0	0
25.	त्रिपुरा	1	1	0	:	3	3	0	7	4	0	:	7	4	0	4	6	1	100.0	3	6	1
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	100.0	0	0	3	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	:	0	0	0	1	1	0	:	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	7	1	0	:	7	1	0	1	6	0	:	1	7	0	1	0	0	:	0	0	0
	कुल (राज्य)	639	584	105	23.4	827	790	184	699	591	138	27.9	862	855	180	625	586	176	30.3	844	858	238
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	:	1	1	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0		0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0		0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	1	0	0	:	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	2	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	1	1	0	:	1	1	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0	0	0	0	:	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	1	3	0	0.0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2	1	0	:	1	1	0
	कुल (अखिल भारत)	640	587	105	23.4	828	791	184	699	591	138	27.8	862	855	180	627	587	176	30.3	845	859	238

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस तथा न्यायालय द्वारा निस्तारित मामलों की जानकारी में पिछले वर्ष के लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

2513. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार ने पंजाब सरकार के विचार मांगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिनांक 1.9.2008 के पत्र में यह बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में उत्तर भारतीयों पर आक्रमण

2514. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में एक विशेष समूह द्वारा अनेक उत्तर भारतीयों पर हमला किया गया है, धमकाया गया है तथा उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक अनुमानित कितनी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की वैधता के संबंध में महाधिवक्ता से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर भारतीयों पर कथित हमले के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के उपद्रवियों के खिलाफ 18 आईपीसी के मामले 3 फरवरी, 2008 से 11 अक्तूबर, 2008 के बीच दर्ज किये गये हैं। सम्पत्ति की क्षति के मद में लगभग रु. 3,08,400 का नुकसान हुआ है।

(ग) राज्य पुलिस प्रशासन ने, जहां कहीं अपेक्षित हुआ, राज्य सरकार के विधि एवं न्यायिक विभाग से राय ली है।

(घ) रोकथाम के उपाय के रूप में 3 फरवरी, 2008 से 11 अक्तूबर, 2008 तक 106 अभियुक्तों को 18 आईपीसी के मामलों में गिरफ्तार किया गया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लगभग 5006 उपद्रवियों को कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। जहां कहीं आवश्यक हुआ, ऐसे तत्वों के खिलाफ आगामी उपाय किये जाएंगे।

उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण

2515. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री मोहन सिंह:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अकादमिक वर्ष 2008 के लिए भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. में विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ख) उक्त आरक्षित सीटों में कितने प्रतिशत सीटें भर ली गई हैं तथा शेष सीटों को किस प्रकार से भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या एससी/एसटी/ओबीसी के छात्र प्रत्येक स्तर पर योग्य पाये गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें से कितनी सीटें रिक्त रह गई; और

(च) उक्त सीटों को बाद में किस प्रकार से भरा जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिला केन्द्रीय शिक्षा संस्था अधियिम, 2006 (दाखिले में आरक्षण) के प्रावधानों तथा वर्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 265 (सिविल) तथा इससे संबंधित अन्य रिट याचिकाओं के एक बैच और वर्ष 2007 की रिट याचिका संख्या 35 (सिविल) में वर्ष 2008 की आईए संख्या 3 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किया जाता है।

आरक्षित सीटों को भरना मुख्यत: विद्यार्थियों की पात्रता तथा पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों के चयन पर निर्भर करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी भी सामान्य योग्यता सीटों का चयन करने के लिए पात्र होते हैं, उदाहरणार्थ जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने वर्ष 2008-09 में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 256 सीटें आरक्षित की हैं। विश्वविद्यालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के 347 विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान किया जिसमें से 174 विद्यार्थी सामान्य योग्यता वर्ग के थे। इसी तरह उदाहरण के तौर पर सभी 13 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध 654 सीटों में से केवल 20 सीटें ही रिक्त रहीं जिनमें से 11 सीटें वास्तुकला/डिजाइन पाठ्यक्रम में रिक्त थीं क्योंकि वास्तुकला/डिजाइन के लिए योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या अपर्याप्त थी। सरकार ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-1-/2008-(III)यू.1(ए) के तहत सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं को निदेश जारी किये हैं कि ये उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को 'क्रीमी लेयर' को छोड़कर सामान्य विद्यार्थियों से तभी भरा जाए जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने के बाद सीटें रिक्त रह जाएं। यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक केन्द्रीय शिक्षा संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के अधिकतम श्रेयांक उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित श्रेयांक से 10 प्रतिशत से कम न हो।

[हिन्दी]

सीमेंट की कीमतों में वृद्धि

2516. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
योगी आदित्यनाथ:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट की कीमतों में वृद्धि तथा अन्य देशों की तुलना में सीमेंट की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के बारे में कोई जांच/अनुसंधान कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एमआरटीपी ने अपने हाल ही के एक निर्णय में कहा है कि सीमेंट कंपनियां अनुचित व्यापार गतिविधियों में लगी हैं एवं गठजोड़ बना लिया है तथा इस संबंध में कुछ कंपनियों को नोटिस जारी किये गये हैं;

(च) क्या सीमेंट कंपनियों की अनुचित व्यापार गतिविधियों के कारण बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में निर्माण गतिविधियां बन्द कर दी हैं; और

(छ) देश में सीमेंट की कीमतें स्थिर करने के लिए सीमेंट विनियामक प्राधिकरण स्थापित किये जाने के प्रस्ताव सहित सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) और (छ) जनवरी-अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरान, सीमेंट की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों में 3.46% की वृद्धि के बाद, सीमेंट की कीमतें अब स्थिर हो गई हैं। इस स्थिति में, एक सीमेंट नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना जरूरी नहीं समझा गया है। तथापि, सरकार स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रही है।

(ङ) एमआरटीपी आयोग ने अपने दिनांक 20.12.2007 के आदेशों में कहा है कि "निजी क्षेत्र की सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की कीमतें निर्धारित करने के मामले की अनदेखी की है।" आयोग ने "सीज एंड डेजिस्ट" आदेश भी पारित किये हैं और दोषी सीमेंट कंपनियों से उपभोक्ता के लिए हानिकारक किसी भी किस्म

की सामूहिक व्यवस्था में शामिल होने से दूर रहने को कहा है। इन आदेशों में से एक पर नाराज होकर, सीमेंट कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की है। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी, 2008 को अंतरिम आदेश पारित किये और अनुपालन के शपथपत्र को दाखिल करने के संबंध में आयोग के निदेशों पर रोक लगा दी।

(च) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

निजी विश्वविद्यालय

2517. श्री काशीराम राणा:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानून के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों को पूरे देश में कार्य करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे विश्वविद्यालय के राज्यवार क्या नाम हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(घ) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों को सरकार द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा के विकास और/अथवा अनुसंधान के लिए कानून के द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सकती है जो सार्वजनिक निधियों से स्थापित अथवा अनुरक्षित न हों। विश्वविद्यालय (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनमें मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 तथा प्रोफेसर यशपाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के संबंध में वर्ष 2004 में दायर की गई रिट याचिका (सी) संख्या 19 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना राज्य विधान मंडल द्वारा की जाती है वे संबंधित राज्यों के क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त राज्यों के प्राइवेट विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जिन विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक निधियां प्रदान नहीं की जाती उन सहित सभी विश्वविद्यालयों को जहां आवश्यक हो सांविधिक परिषदों और उपर्युक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुपालन की शर्त के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विनिर्दिष्ट डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियां दी गई हैं।

विवरण

प्राइवेट विश्वविद्यालयों की सूची (11.12.2008 के अनुसार)

क्र.सं.	प्राइवेट विश्वविद्यालयों के नाम
1	2
	छत्तीसगढ़
1.	डा. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कार्गी रोड कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
2.	एम.ए.टी.एस. विश्वविद्यालय आरंग खरोवा राजमार्ग, ग्राम पंचायत गुल्लू, ग्राम गुल्लू, तहसील: आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
	गुजरात
3.	धीरूभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर, पो.बा. नं.-4, गांधीनगर-382007
4.	निरमा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरखेज, गांधीनगर राजमार्ग, ग्राम-छारोदी, अहमदाबाद, गुजरात
5.	गनपत विश्वविद्यालय, गनपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया राजमार्ग, जिला मेहसाणा-382711
6.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, से. 15/23, गांधीनगर, गुजरात
7.	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, स्थान रायसेन, जिला गांधीनगर-382009, गुजरात
	हिमाचल प्रदेश
8.	जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला सोलन-173215
	मेघालय
9.	मार्टिन लूथर इसाई विश्वविद्यालय, केआईपीए सम्मेलन केन्द्र, केन्द्रीय वार्ड शिलांग-793001

1	2
	मिजोरम
10.	भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषण संस्थान विश्वविद्यालय, सलेम वेंग, चालतलांग, आइजोल-798012, मिजोरम
	नागालैंड
11.	ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, वोखा-797111, नागालैंड
	पंजाब
12.	लवली व्यावसायिक विश्वविद्यालय, जालंधर-लुधियाना जीटी रोड, छेरू रेलवे ब्रिज के पास, फगवाड़ा, जिला-कपूरथला, पंजाब-144002
	राजस्थान
13.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुर, जयपुर, राजस्थान
14.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञानवेली ग्राम झरना मातापला जावनेर, लिंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 8, जयपुर, राजस्थान
15.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान
16.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राजस्थान
17.	एनआईएमएस विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर-303001, राजस्थान
18.	भागवंत विश्वविद्यालय, पो.बा. नं. 87, सीकर रोड, अजमेर-305001, राजस्थान
	सिक्किम
19.	पूर्वी एकीकृत प्रबंधन अध्ययन संस्थान विश्वविद्यालय, जोरेथांग, सिक्किम
20.	सिक्किम, मणिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, गंगटोक-737101
	त्रिपुरा
21.	भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान (प्राइवेट विश्वविद्यालय), अगरतला, त्रिपुरा-799001
	उत्तर प्रदेश
22.	एकीकृत विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ-226026 (उ.प्र. प्राइवेट विश्वविद्यालय)*
23.	एमीटी विश्वविद्यालय, नौयडा, उत्तरप्रदेश
24.	मो. अली जोहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश
25.	मंगलयातन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
26.	जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विद्यार्थी विश्वविद्यालय, चित्रकुटधाम-210204
	उत्तराखंड
27.	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार-249411
28.	पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, भवन नं. 7, स्ट्रीट नं. 1, वसंतविहार एंक्लेव, देहरादून-284006 (उत्तरांचल)
29.	भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान (प्राइवेट विश्वविद्यालय), सी-1/103, इंदिरानगर, देहरादून-248006 (उत्तरांचल)
30.	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय, (अंतरिक्ष अध्ययन विश्वविद्यालय) देहरादून
31.	पतंजली विश्वविद्यालय, पतंजली योगपीठ, हरिद्वार

[अनुवाद]

थोक मूल्य सूचकांक

2518. श्री विजय कृष्ण: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के आधार पर समग्र थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के वेटेज में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा इस प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संशोधन के लिए कार्य बल ने अपनी तकनीकी रिपोर्ट सरकार को मई, 2008 में प्रस्तुत की। कार्य बल ने डब्ल्यूपीआई की मौजूदा शृंखला में

1993-94 आधार वर्ष को डब्ल्यूपीआई की नई शृंखला में आधार वर्ष 2004-05 में बदलने की सिफारिश की है। कार्यदल द्वारा अनंतिम रूप से प्रस्तावित नई शृंखला के उत्पाद समूह में मौजूदा शृंखला के 435 उत्पादों की तुलना में 1224 उत्पाद सम्मिलित हैं। मौजूदा शृंखलाओं की तुलना में नई शृंखलाओं की भारिता डायग्राम (अनंतिम) का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	भार (1993-94)	भार (2004-05)
सभी वस्तुएं	100.00	100.00
1. प्राथमिक मदें	22.03	20.12
2. ईंधन तथा विद्युत	14.23	14.91
3. विनिर्मित उत्पाद	63.75	64.97

जैसाकि ऊपर बताया गया है प्रकृति में नई शृंखलाओं में उत्पाद समूह (प्रोडक्ट बासकेट) तथा भारिता आरेख (वेईंग डायग्राम) की संरचना प्रयोगात्मक है। मूल्यों के प्रवाह पर आधारित उत्पाद समूह तथा भारिता आरेख में समायोजन कार्यबल द्वारा संस्तुतित नये समूह (न्यू बासकेट) से कुछ मदों को अलग करने हेतु परिणामी जरूरत की आवश्यकता हो सकती है।

अप्रैल, 2004 के बाद नये समूह में शामिल की गई मदों के साप्ताहिक मूल्यों का प्रवाह डब्ल्यूपीआई की नई शृंखला की जांच शुरू करने के लिए पूर्व अपेक्षा है। आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों की मदद से ऐसे मूल्यों का संग्रहण कम्प्यूटराइजिंग तथा छंटनी करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का निरसन

2519. **डा. आर. सेनथिल:**
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 एचआईवी/एड्स के रोकथाम संबंधी कार्य करने में एक बाधा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के निरसन की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पीटीशन (2001 का सं. 7455) दायर की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता को चुनौती दी गई है और उसमें यह भी कहा गया है समलैंगिक यौन संबंध का अपराधीकरण करके उक्त धारा ने समलैंगिकों को भूमिगत बना दिया है जिससे ऐसा करने वालों के लिए एचआईवी/एड्स सुरक्षा उपाय किया जाना और अधिक कठिन हो गया है।

न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्णय घोषित नहीं किया है और यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।

वनस्पति तेल का आयात

2520. **श्री पन्निथन रवीन्द्रन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वनस्पति तेल आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इंडोनेशिया और मलेशिया सहित तत्संबंधी मात्रावार तथा देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आयात के परिणामस्वरूप देश में तिलहन उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार ने वनस्पति तेलों के आयात का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, वर्ष 2008-09 में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के उनके द्वारा निर्धारित पीडीएस दुकानों/अन्य आउटलेट्स के माध्यम से 1 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से 15 रुपये प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ आयातित खाद्य तेल के 10 लाख टन के वितरण हेतु एक स्कीम शुरू की गई थी। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा स्कीम के तहत 3.60 लाख टन के खाद्य तेलों के आयात का ऑर्डर दिया गया है। नवम्बर, 2008 में सरकार द्वारा

यह तय किया गया था कि स्कीम के तहत खाद्य तेल का आगे और निर्यात नहीं किया जाएगा। मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत नारियल तेल को छोड़कर खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सल्वा-जुडुम आंदोलन

2521. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एम. अप्पादुराई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सल्वा-जुडुम आंदोलन का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार को सल्वा-जुडुम आंदोलन के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्ट और जानकारी के अनुसार सल्वा-जुडुम छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ भागों में नक्सलियों द्वारा किये गये अत्याचारों के संबंध में आम आदमी की प्रतिक्रिया का सार्वजनिक प्रदर्शन है।

सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि राज्य लोगों को सामाजिक-आर्थिक विकास की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा नक्सली आदर्शों की निरर्थकता तथा हिंसा से मानव जीवन एवं सम्पत्ति को होने वाली क्षति के प्रति जागरूक बनाए, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करे और अविचारित हिंसा के कृत्यों और उग्रवादी तत्वों द्वारा डरा धमकाकर लोगों को अपने साथ शामिल किये जाने का विरोध करने और उन्हें रोकने में ग्राम/स्थानीय स्तरों पर समुदाय को अंतर्ग्रस्त करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25.8.2008 को उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

आतंकवाद पर मुख्यमंत्रियों की बैठक

2522. श्री किरिप चालिहा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवाद और आतंकवाद सहित आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां, श्रीमान। देश में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 20.12.2007 को आन्तरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) और (ग) सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गयी उसमें पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता, राज्य पुलिस में विद्यमान रिक्तियों को भरना, नीतिगत व्यय को बढ़ाना, प्रशिक्षण सुविधाओं आदि को सुधारना; राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत आबंटनों में वृद्धि; राज्य पुलिस की विशेष शाखाओं को चुस्त-दुरुस्त एवं सुदृढ़ बनाना; पुलिस आधुनिकीकरण योजना; एक संघीय एजेन्सी का सृजन; नक्सली हिंसा आदि से निपटने के लिए विशिष्ट बटालियनों को गठित करना शामिल है।

आतंकवाद/नक्सलवाद विरोधी उपयुक्त कानूनों को लागू करना; जंगल-युद्ध में प्रशिक्षित विशेष बटालियनों को तैयार करने, पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना करना: नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को मुफ्त केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल मुहैया कराना; अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने की गति को तेज करना आदि जैसे सुझाव केन्द्र सरकार के स्तर पर विचार एवं कार्रवाई के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं।

इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारों को आन्तरिक सुरक्षा/नक्सलवाद/आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

चाय बागानों का पुनरुद्धार

2523. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक बड़े चाय बागान बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य-वार कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बंद पड़े कुछ बड़े चाय बागानों का अधिग्रहण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने बागानों का पुनरुद्धार/पुनः चालू किया गया है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कामगारों की भविष्य निधि और शेष अन्य अदत्त बकायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा चाय कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने सहित बंद पड़े चाय बागानों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 1999-2003 की संकट अवधि के दौरान 136 चाय बागान बंद हुए थे। तथापि, दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार केवल 17 चाय बागान—पश्चिम बंगाल में 12 और केरल में 5 बंद थे।

(ख) ऊपर उल्लिखित 17 बागानों के बंद रहने के कारण प्रभावित श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है:

1. पश्चिम बंगाल प्रभावित श्रमिकों की सं.—13387

2. केरल प्रभावित श्रमिकों की सं.—3017

(ग) 9 चाय बागानों-केरल में 2 और पश्चिम बंगाल में 7, के संबंध में चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16(ङ) लागू करने का निर्णय लिया गया है। 5 वर्षों की सीमित अवधि और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अगले 6 वर्षों के लिए विस्तार योग्य अवधि के लिए बंद चाय बागानों का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) या चुनिंदा उद्यमों को सौंपे जाने का धारा 16(ङ) में प्रावधान है।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) दिनांक 30.6.2008 की स्थिति के अनुसार 8715.63 लाख रु. की कुल चूक राशि के साथ कुल 558 चाय बागान संस्थापनाएं बकाया राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में थी।

(च) केरल एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा भी बागानों को पुनः शुरू किये जाने को सुकर बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें शामिल हैं:

भारत सरकार ने बंद पड़े 33 चाय बागानों के लिए पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में बकाया बैंक ऋण को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान योग्य नए सावधि ऋण में पुनर्गठित करने तथा सरकार, संबंधित बैंक एवं कर्जदारों द्वारा 1/3 की दर से संचयी ब्याज की भागीदारी, पांच वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी पर 3% ब्याज सब्सिडी, 10 वर्षों की अवधि में किस्तों में क्षति से संबंधित पीएफ बकाया राशि का भुगतान, चाय बोर्ड के बकाया ऋण को पूर्णतः समाप्त करने, बोर्ड की चाय विकास स्कीमों के विस्तार आदि का प्रावधान है। चाय बोर्ड की ओर से मानव संसाधन विकास स्कीम से वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान बंद पड़े चाय बागानों के श्रमिकों एवं विकलांग व्यक्तियों को बच्चों को शैक्षणिक सहायता हेतु 1000 रु. प्रति श्रमिक की दर से एकमुश्त अनुदान दिया गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बागानों को स्वयं या बागान मालिकों द्वारा अभिज्ञात नए मालिकों के जरिये पुनः शुरू करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए बकाया विद्युत प्रभार, सलामी, भू-राजस्व और कृषि उप-कर आदि सहित लाभ का एक पूर्ण पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया है।

केरल सरकार ने भी कई प्रकार की सहायताओं की पेशकश की है अर्थात् विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त दिन का भोजन, एसजीआरवाई स्कीम के अंतर्गत मजदूरी पर रोजगार, विद्यालय जाने वाले बच्चों को यूनीफार्म तथा आवश्यक विद्यालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने और जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है, वहां बागान श्रमिकों को औषधियां प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन, इडुक्की (जहां अधिकांश बंद चाय बागान अवस्थित है) के पास 5.00 करोड़ रु. की निधि रखना, ओणम पर्व के लिए 500 रु. प्रति श्रमिक की अनुग्रह राशि और बागान श्रमिकों के बच्चों को स्नातक पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा व्यय।

विवरण

राज्य	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान पुन: खोले गए	वर्ष के दौरान बंद किये गये	वर्ष के अंत में
1	2	3	4	5
2005				
पश्चिम बंगाल	10	6	12	16
असम	3	0	0	3
त्रिपुरा	1	1	3	3
केरल	18	4	0	14
तमिलनाडु	3	0	0	3
कुल	35	11	15	39
2006				
पश्चिम बंगाल	16	10	8	14
असम	3	1	0	2
त्रिपुरा	3	3	0	0
केरल	14	4	7	17
तमिलनाडु	3	3	0	0
कुल	39	21	15	33
2007				
पश्चिम बंगाल	14	1	0	13
असम	2	0	0	2
त्रिपुरा	0	0	0	0
केरल	17	10	0	7
तमिलनाडु	0	0	0	0
कुल	33	11	0	22
2008				
पश्चिम बंगाल	13	1	0	12
असम	2	2	0	0

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	0	0	0	0
केरल	7	2	0	5
तमिलनाडु	0	0	0	0
कुल	22	5	0	17

विश्वविद्यालयों में ई-गवर्नेंस परियोजनाएं

2524. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किन्जरपु येराननायडु:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार देश में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ई-गवर्नेंस परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उक्त परियोजना को लागू करने के लिए किसी एजेन्सी का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के चयन संबंधी क्या मानदंड हैं;

(ङ) क्या देश में बड़े विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से विभिन्न विषयों में ई-लर्निंग प्रणाली के साथ कक्षा-कक्ष शिक्षण आरंभ करेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाविद्यालयों में नई प्रणाली अधिष्ठापित करने में कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार इसने एक ई-गवर्नेंस परियोजना बनाई है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के पूर्णत: स्वचालन और उन्हें विश्वविद्यालयों और कालेजों के साथ जोड़ना है।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई वित्तीय निर्णय नहीं लिया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान

2525. श्री अमिताभ नन्दी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण और तकनीकी विपणन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ समाज के कमजोर तबकों के उद्यमियों को वित्तीय पूंजी सहायता भी दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार देश भर में फैले अपने फील्ड संस्थानों अर्थात्, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थानों (एमएसएमई-डीआई) के माध्यम से विद्यमान एवं संभावी उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। 27 फरवरी, 2007 को घोषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में से 20 प्रतिशत कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किये जा रहे हैं जिसमें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 500 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। एमएसएमई-डीआई उद्यमियों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय पूंजी समर्थन प्रदान नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

शस्त्र लाइसेंसों की वैधता

2526. श्री अशोक अर्गल:
श्री रशीद मसूद:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे भारत में लाइसेंसों को वैध बनाने संबंधी दिशा-निर्देशों सहित भारत में शस्त्र लाइसेंसों को जारी करने संबंधी उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उन्हें पूरे भारत में वैध करने के संबध में राज्यवार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मामले लंबित हैं और सरकार द्वारा कितने मामलों को मंजूरी दी गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार को वैधता का विस्तार करने संबंधी दिशा-निर्देशों और उस संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उसे पूरे देश में वैध बनाने संबंधी अनुरोधों का शीघ्र समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) शस्त्र लाइसेंस उन व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं जिन की जान को गंभीर और आसन्न खतरा रहता है, जो वर्तमान शस्त्र लाइसेंस धारकों के कानूनी उत्तराधिकारी हैं एवं रक्षा प्राधिकारियों द्वारा जिन रक्षा कर्मियों को हथियार आबंटित किये जाते हैं।

1995 में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों के क्षेत्र की वैधता को बढ़ाने के अनुरोध पर विचार जिला/राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य स्थानीय कारकों की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की सिफारिशों पर आधारित योग्यताओं के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों के मामले में, सम्पूर्ण भारत हेतु क्षेत्र की वैधता को बढ़ाने के अनुरोध पर विचार राज्य सरकारों तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से योग्यताओं के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, निषिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की कुल संख्या 330 (122-2006, 95-2007 और 113-2008) थी, जिसमें से 128 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई थी और 202 आवेदन शेष रह गए थे। इसी तरह से, विगत तीन वर्षों के दौरान, निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों के मामले में सम्पूर्ण भारत हेतु क्षेत्र की वैधता को बढ़ाने के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की कुल संख्या 81 (35-2006, 23-2007 और 23-2008) थी, जिसमें से 52 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गयी थी और 29 आवेदन शेष रह गए थे। गैर-निषिद्ध बोर के हथियारों से संबंधित ब्यौरों का रख-रखाव राज्य स्तर पर किया जाता है और केन्द्र स्तर पर इसका रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, दो माननीय संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए जिसमें वैधता को बढ़ाने संबंधी दिशा-निर्देशों की प्रतियों की मांग की गई हैं। वर्गीकृत दस्तावेज होने के कारण विशेषकर कथित दिशा-निर्देशों के आलोक में इनकी जांच की जा रही है। माननीय संसद सदस्यों को उत्तर शीघ्र भेज दिए जाएंगे।

(ङ) अनुरोधों की प्राप्ति पर, दिशा-निर्देशों के अनुरूप शस्त्र लाइसेंसों को जारी करने तथा सम्पूर्ण भारत के स्तर पर इसकी वैधता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा

2527. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वैच्छिक आधार पर मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने संबंधी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार चाहने वालों के लिए मदरसों की डिग्री को मान्यता/स्वीकार करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मदरसों को राज्यवार कितना आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मदरसा आधुनिकीकरण की पुरानी स्कीम को 9वीं योजना से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे 11वीं योजनावधि में "मदरसों में गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने की स्कीम" नाम से पुन: तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मदरसे, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के तुलनीय शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं, वे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के लिए, 14 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के बच्चों हेतु व्यावसायोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए तथा कक्षा 1-12 के समकक्ष भाषाओं के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से संयोजन कर सकते हैं। संशोधित स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापन-अध्ययन सामग्री एवं विज्ञान/संगणक प्रयोगशालाओं का प्रावधान है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के प्रयोजनार्थ मदरसों की डिग्रियों की समकक्षता की जांच हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ङ) मदरसा आधुनिकीकरण योजना एक मांग आधारित योजना है। पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष में अब तक मदरसों को राज्यवार जारी निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मदरसों को दी गई निधियां			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (10.12.2008 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	35.20	48.6	48.60	–
2.	बिहार	79.92	–	79.92	–
3.	छत्तीसगढ़	–	242.92	–	112.92
4.	जम्मू-कश्मीर	–	12.6	–	–
5.	कर्नाटक	–	77.41	–	–
6.	केरल	59.04	338.91	–	–
7.	मध्य प्रदेश	384.00	287.69	75.10	746.16
8.	महाराष्ट्र	3.16	–	0.00	2.87
9.	उड़ीसा	168.96	189.84	104.40	–
10.	तमिलनाडु	–	–	–	–
11.	त्रिपुरा	45.72	45.72	45.72	–
12.	उत्तर प्रदेश	235.25	2481.96	3010.54	1838.08
13.	उत्तराखंड	–	109.03	–	–
14.	चंडीगढ़	–	0.72	–	–
	कुल	1011.25	3835.40	3364.28	2700.03

नमक आयुक्त के मुख्यालय का स्थानांतरण

2528. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्री महेश कनोडीया:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** दिनांक 4 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 873 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नमक आयुक्त कार्यालय के मुख्यालय को जयपुर से गुजरात स्थानांतरित करने संबंधी मामले पर गौर करने के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 4.10.2007 के आदेशों के अनुपालन में, सभी संबंधित पक्षों अर्थात् राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार और अखिल भारतीय नमक विभाग कर्मचारी संघ की बातें सुनीं गईं। राज्य सरकारों तथा कर्मचारी संघ द्वारा मौखिक तथा लिखित रूप से दी गई दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि नमक आयुक्त मुख्यालय के कार्यालय को राजस्थान के जयपुर से गुजरात के गांधीनगर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात में नमक विभाग के मौजूदा कार्यालय के लावा, गुजरात में नमक आयुक्त का कैम्प कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है और नमक आयुक्त को महीने में कम-से-कम पांच कार्य दिवसों में गुजरात में रहने की सलाह दी गई है ताकि गुजरात में नमक उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

[हिन्दी]

वंचित वर्गों के युवा वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता

2529. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वंचित वर्गों के युवा प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है ताकि वे अनुसंधान कार्य कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) भारत सरकार, युवा प्रतिभावान वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और इसने कई योजनाएं कार्यान्वित की हैं। ऐसे वैज्ञानिक समाज के किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। युवा वैज्ञानिकों को सहयोग प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास कई योजनाएं हैं, नामत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (ब्यायजकास्ट), स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्तियां, फास्ट ट्रैक और युवा वैज्ञानिक तथा पेशेवर (सामाजिक)।

[अनुवाद]

मानव अधिकार संबधी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

2530. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल अथवा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने चालू वर्ष के दौरान देश में मानव अधिकारों के हनन की घटनाओं का जिक्र किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. है और यह भारत से बाहर स्थित कई एन.जी.ओ. में से एक है और ये भारत सहित पूरे संसार में समय-समय पर मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। ऐसे संगठनों द्वारा सूचना एकत्र करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर अकसर प्रश्न उठाये जाते हैं क्योंकि ऐसी रिपोर्टें विशेष रूप से पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होती हैं। भारत के आंतरिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. की ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सरकार की नीति नहीं है।

तथापि, भारत सरकार, अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के संविधान में मानवाधिकार संरक्षण के विस्तृत सुरक्षोपाय मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है ताकि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रभावी तंत्र बनाया जा सके।

शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क ढांचे हेतु विनियमन

2531. श्री एल. राजगोपाल:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क ढांचे को विनियमित करने के लिए राज्यों को शक्तियां प्रदान करने संबंधी कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश और शुल्क ढांचे के विनियम तैयार करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड, उच्च शिक्षा वित्तपोषण संबंधी समिति ने भी शुल्क ढांचे के संबंध में सिफारिशें की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत राज्य विधानमंडलों को शिक्षा संस्थाओं में फीस तथा दाखिले को विनियमित करने के लए कानून बनाने हेतु अधिकृत किया गया है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार प्रोफेसर बी.एस. सोंदे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में दाखिले तथा फीस संरचना के लिए विनियमों का मसौदा प्रस्तुत किया है। आयोग ने इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) और (च) जी, हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के संबंध में फीस संरचना संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर उपलब्ध है।

बॉक्साइट खान

2532. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कालाहांडी, कोरापुट और रायगढ़ जिलों में स्थित बॉक्साइट खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त खानों में से पट्टे पर दी गई खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बॉक्साइट खानों में कितना भंडार है और इससे देश में अल्युमिनियम उद्योग कितने वर्षों तक काम चला सकता है;

(घ) क्या खनन पट्टा देने संबंधी मानदंडों में पर्यावरणीय मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, परिधीय विकास, पुनर्वास और पुनर्गठन जैसी निबंधन और शर्तों को पूरा किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त मानदंडों को पूरा किया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की क्षमता

2533. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) चीन के, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में देश का निर्यात बढ़ाने में कम सक्षम पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने दोनों देशों को एसईजेड के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत-चीन व्यापार में वर्तमान व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान मात्रा-वार, मद-वार एवं मूल्य-वार चीन को किये गये निर्यात एवं चीन से किये गये आयात का ब्यौरा क्या है; और

(छ) चीन के साथ भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) एक अध्ययन अब शुरू किया गया है जिसके विचारार्थ विषयों में चीन सहित कुछेक अन्य देशों में स्थापित एसईजेडों की तुलना में भारत में स्थापित एसईजेडों का मूल्यांकन शामिल है।

(ङ) और (च) भारत-चीन व्यापार में वर्तमान व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीन को निर्यात और वहां से हुए आयात के ब्यौरे (मूल्य-वार) निम्नानुसार हैं:

(मूल्य मिलि. अम.डा. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
निर्यात	6,759.10	8,287.48	10,828.78
आयात	10,868.05	17,447.01	27,102.38

(छ) व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) जैसे संगठनों को चीन सहित विदेशों में मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु सरकार की विभिन्न बाजार विकास तथा बाजार पहुंच स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। अवसंरचना विकास हेतु भी अवसंरचना विकास स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के लिए बासमती ट्रेडमार्क

2534. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की मंशा लाहौर में बासमती उत्पादक एसोसिएशन के नाम से ''बासमती राइस'' ट्रेडमार्क पंजीकृत कराने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विशेष कृषि उत्पादों के लिए ''भौगोलिक संकेत'' सहित बौद्धिक संपदा अधिकार अथवा इसी प्रकार के अधिकारों के पंजीकरण और संरक्षण के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाने हेतु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) अधिनियम, 1985 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के लाहौर में ''बासमती उत्पादक'' एसोसिएशन के नाम पर बासमती चावल ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने के कदम का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पाकिस्तान स्थित ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार ने लाहौर के बासमती उपजकर्ता एसोसिएशन द्वारा आवेदन पर सामूहिक चिन्ह के रूप में बासमती चावल के पंजीकरण की अनुमति दी है। सिंध उच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की गई है।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार ने 3 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना के जरिये कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नियमावली, 1986 में भी संशोधन किया है जिसके द्वारा एपीडा के कार्यों में चुनिंदा कृषि उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं संरक्षण के उपाय शामिल किये गये हैं।

(ङ) भारत सरकार ने एपीडा के जरिये सिंध उच्च न्यायालय, कराची में एक अपील दायर की है जिसे नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है।

मिर्च का निर्यात

2535. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मिर्च के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और देशवार विशेषकर कर्नाटक राज्य से कुल कितनी मात्रा में मिर्च का निर्यात किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा मिर्च के निर्यात की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत से मिर्च के निर्यात में पिछले तीन वर्षों से वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। भारत से मिर्च का निर्यात वर्ष 2005-06 में 113,174 मी. टन से बढ़ कर 2006-07 में 148,500 मी. टन और वर्ष 2007-08 में आगे और बढ़ कर 209,000 मी. टन हो गया है। चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2008 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 121,420 मी. टन के निर्यात की तुलना में 121,500 मी. टन मिर्च का निर्यात हुआ है। भारत और कर्नाटक से प्रमुख देशों को मिर्च के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) मसाला बोर्ड द्वारा मसाला प्रसंस्करण में उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाने, प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात विकास कार्यक्रम, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों के संवर्धन, उत्पाद विकास एवं अनुसंधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसाला प्रसंस्करण आदि जैसे निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जा रहा है। वह देश से मिर्च सहित मसालों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु भारत से निर्यातित मिर्च एवं मिर्च उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सैम्पलिंग प्रक्रिया को भी कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात हेतु प्रत्येक खेप के नमूने की जांच बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में की जाती है।

विवरण I

(मात्रा मी. टन में)

देश	2005-06	2006-07 (अ.)	2007-08 (अ.)
1	2	3	4
मलेशिया	26804.4	43625.4	51782.4
बांग्लादेश	670.7	28424.6	34678.9
श्रीलंका	27582.2	21822.4	29504.8
यूएसए	16579.7	13058.2	19712.6
यूएई	8737.0	11818.2	15813.2
पाकिस्तान	549.0	254.6	11349.8
इंडोनेशिया	5482.8	6488.5	9305.3

1	2	3	4
वियतनाम	4.0	996.8	4326.2
यूके	2809.4	2267.2	2872.3
मैक्सिको	3495.1	1894.7	2557.2
नेपाल	2969.5	3264.1	4306.0
थाइलैंड	289.1	626.9	2913.9
दक्षिण अफ्रीका	2912.0	1738.4	2349.5
सिंगापुर	1593.7	1285.6	1966.3
चीन	457.7	888.7	1564.9
सऊदी अरब	865.3	753.7	1514.4
मिस्र (ए.आर.ई.)	1344.8	503.3	1066.5
कनाडा	962.4	634.7	891.9
आस्ट्रेलिया	515.5	697.8	747.3
इटली	1052.4	652.0	741.8
कुवैत	450.1	549.0	1031.4
रूस	1064.3	870.7	741.3
बेल्जियम	156.1	199.8	447.6
फ्रांस	233.9	278.6	366.5
मालदीव	233.5	221.6	486.6
बहरीन	387.2	564.5	674.9
फिलीपिंस	313.7	370.1	395.6
ताइवान	77.5	151.7	407.3
नीदरलैंड्स	518.7	330.9	310.6
ओमान	204.2	221.4	344.6
इजरायल	201.9	238.4	423.1
कतर	204.4	289.5	580.2
स्पेन	257.5	264.1	292.9
अन्य	3204.7	2254.0	2532.3
मद योग	113174.2	148500.1	209000.1

विवरण II

कर्नाटक से मिर्च का देश-वार अनुमानित निर्यात

(मात्रा मी. टन में; मूल्य लाख रुपये में)

प्रमुख देश	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09(अप्रैल-सित.)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मलेशिया	3217	1074.71	5235	3015.98	6214	3662.49	2505	1529.15
बांग्लादेश	80	19.92	3411	1860.92	4161	1934.43	36	14.13
श्रीलंका	3310	897.87	2619	1347.43	3541	1620.13	2510	1218.61
यूएसए	1990	1031.04	1567	999.38	2366	1554.83	1025	764.67
यूएई	1048	272.70	1418	415.55	1898	706.70	1046	396.80
पाकिस्तान	66	9.97	31	6.60	1362	543.84	2628	1211.39
इंडोनेशिया	658	175.85	779	378.13	1117	497.61	757	359.18
वियतनाम	नगण्य	नगण्य	120	59.26	519	328.63	51	27.79
यूके	337	178.03	272	182.54	345	241.25	203	166.84
मैक्सिको	419	184.84	227	171.91	307	206.84	149	99.44
नेपाल	356	75.09	392	162.97	517	189.64	253	86.37
थाइलैंड	35	20.54	75	46.45	350	185.32	436	228.21
दक्षिण अफ्रीका	349	114.46	209	111.06	282	156.40	252	143.55
सिंगापुर	191	66.91	154	94.61	236	146.53	131	85.83
चीन	55	30.13	107	79.50	188	117.75	31	25.28
सऊदी अरब	104	54.70	90	62.32	182	106.31	121	76.82
मिस्र (ए.आर.ई.)	161	49.88	60	36.74	128	93.66	195	116.31
कनाडा	115	63.30	76	54.11	107	76.15	60	45.75
आस्ट्रेलिया	62	40.80	84	66.94	90	75.81	51	44.95
इटली	126	76.81	78	52.40	89	63.80	80	73.19
कुवैत	54	25.38	66	34.53	124	58.88	70	40.41
रूस	128	37.67	104	46.41	89	48.61	119	57.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बेल्जियम	19	15.05	24	20.05	54	40.51	23	18.77
फ्रांस	27	21.33	33	30.89	44	38.90	19	18.29
बहरीन	46	16.82	68	26.52	81	32.45	35	21.25
फिलीपिंस	38	13.67	44	24.24	47	30.90	25	16.04
ताइवान	9	3.69	18	11.13	49	30.74	32	17.11
नीदरलैंड्स	62	29.74	40	29.42	37	30.53	23	21.27
ओमान	24	11.52	27	17.49	41	30.23	26	21.10
कतर	25	8.81	35	16.73	70	27.59	74	32.25
स्पेन	31	16.31	32	27.31	35	27.01	18	15.79
कुल	13144	4637.81	17494	9488.81	24667	12904.49	12985	6994.51

[हिन्दी]

अवैध स्टॉलों का जब्त किया जाना

2536. श्री रशीद मसूद:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा क्षेत्रवार कुल कितने अवैध स्टॉल जब्त किए गए;

(ख) क्या एनडीएमसी को स्टॉल मालिकों द्वारा भूमि के अतिक्रमण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा किसी अवैध स्टॉल को जब्त नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इस तरह की शिकायतों का कोई विशिष्ट रिकॉर्ड नहीं रखता है। हालांकि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के प्रवर्तन विभाग का फील्ड स्टाफ अपने संबंधित क्षेत्रों का नियमित तौर पर दौरा करते हैं और जैसे ही किसी अतिक्रमण का पता चलता है, उसे तुरन्त हटा दिया जाता है। इसके बाद, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के नियंत्रण कक्ष अथवा आम नागरिक से टेलीफोन पर अतिक्रमण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है।

दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा

2537. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के गरीब छात्रों हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सरकार ने उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक रूप से पिछड़े और राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात वाले अभिनिर्धारित 374 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इनमें से, 41 शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिले उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अतिरिक्त, सुदूरवर्ती/पर्वतीय/सीमांत क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक अलग से स्कीम है।

[अनुवाद]

पुलिस को पेशेवर बनाना

2538. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की पुलिस को पेशेवर बनाने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) पुलिस को पेशेवर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। उन्हें पेशेवर पुलिसकर्मी बनाने के लिए नए रंगरूटों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए उपयुक्त माड्यूल बनाए गए हैं। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रख्यात पेशेवर प्रबंधन संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन विकास संस्थान आदि में विशेषीकृत और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

पुलिस बलों को क्षमता निर्माण के लिए बेहतर आग्नेयास्त्रों, संचार उपकरणों, परिवहन, पुलिस थाना भवनों आदि से सज्जित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता भी दी जाती है।

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों की भर्ती में कोटा

2539. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्ध-सैनिक बलों में रिक्त पदों विशेषकर आरक्षित कोटे को भरने के लिए बलवार कोई विशेष अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरक्षित पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) बैकलाग वाले आरक्षित कोटे को भरने की रिपोर्ट केवल असम राइफल्स एवं बीएसएफ द्वारा दी गई है जिसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

(ख)

बल	वर्ष	भरी गई रिक्तियां		
		एससी	एसटी	ओबीसी
असम राइफल्स	2006	58	92	54
	2007	21	90	60
	2008	168	66	78
बीएसएफ	2006	82	21	:
	2007	40	10	21
	2008	39	16	52

(ग) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और सेना भर्ती बोर्ड की सहायता से भर्ती किया जाना एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष बैकलॉग रिक्तियों सहित आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है एवं भर्ती के दौरान उन्हें भरा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज नीति

2540. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सुनील खां:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी), 2006 के कार्यदल ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिन्क): (क) से (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2006 का कोई कार्यदल नहीं है। तथापि योजना आयोग ने राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संभावित संशोधनों की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री अनवरूल होदा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसने 20 जुलाई, 2006 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसों के अनुकूल खनन कोड तैयार करने के लिए विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय खनिज नीति में परिवर्तन करने, खनिज रियायतें मंजूर करने के लिए विलम्बों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तथा सरल बनाने, खनन कार्यकलापों के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की सिफारिशें तथा खनन क्षेत्र में निवेश के लिए माहौल को सुधारने के अन्य मुद्दों पर सिफारिशें की हैं। योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा की है। नई राष्ट्रीय खनिज नीति को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है और यह खान मंत्रालय की वेबसाइट http://mines.nic.in पर उपलब्ध है। नई राष्ट्रीय खनिज नीति के कार्यान्वयन के अनुवर्त्तन के तौर पर खान मंत्रालय द्वारा कुछ उपाय किये गये हैं और संबंधित मंत्रालयों द्वारा कुछ उपाय किये जाने हैं अत: राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में रिक्त पद

2541. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिहाड़ जेल में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुछ पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दिल्ली की जेलों में रिक्त पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

श्रेणी	रिक्त स्थान
जेल संवर्ग स्टाफ	390
जेल चिकित्सा स्टाफ	23
जेल पैरा-मेडिकल स्टाफ	70
जेल अनुसचिवीय स्टाफ	43
जेल फैक्टरी स्टाफ	07
जेल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	41

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भर्ती करने वाली एजेंसी अर्थात् दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से एसिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट, वार्डर, मेट्रन, जेल फैक्टरी स्टाफ, ड्राईवर आदि के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया गया है।

(2) चिकित्सा और पैरा-चिकित्सा स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इन्हें कारागार विभाग को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवा विभाग से कारागार विभाग के अनुसचिवीय स्टाफ के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया गया है।

(4) कुल 574 रिक्त पदों में से 59 रिक्त पदों को ठेका आधार पर भरने की अनुमति प्रदान की गई है और विभिन्न श्रेणियों के 260 पदों का हाल ही में सृजन किया गया है। दिल्ली कारागार प्राधिकारी ने भी पदोन्नति कोटा के पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

विकलांग बच्चों को प्रवेश

2542. श्री पी. करुणाकरन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विकलांग तथा स्पास्टिक (दिमागी लकवा से पीड़ित) बच्चों के निकटवर्ती स्कूलों में प्रवेश हेतु जारी किये गये दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति की घोषणा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितना वित्तीय आवंटन किया गया एवं कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के स्थान पर सितम्बर, 2008 में ''माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) पर अध्ययन कर रहे विकलांग बच्चों को सम्मिलित करना है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना के अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न कार्यकलापों के लिए 3000.00 रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष की केन्द्रीय औसत सहायता के अतिरक्त पात्र विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 600.00 रु. प्रति बच्चा प्रतिवर्ष प्रदान करें।

(ग) और (घ) यह योजना हाल ही में शुरू की गई है और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे स्कीम को लागू करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्यकलाप शुरू करें, अपेक्षित प्रशासनिक आधारभूत सुविधाएं स्थापित करें और राज्य बजट में आवश्यक प्रावधान करें। चूंकि राज्य उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं के सृजन की प्रक्रिया में हैं, उन्हें नई योजना के अंतर्गत कोई राशि जारी नहीं की गई है। तथापि ''विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा'' की विद्यमान योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए क्रमश: 45.00 करोड़ रु., 60.00 करोड़ रु., 120.00 करोड़ रु. और 70.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है और (12.12.2008 तक) क्रमश: 41.48 करोड़ रु., 51.29 करोड़ रु., 76.11 करोड़ रु. और 40.18 करोड़ रु. तक की राशि उपयोग कर ली गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित विकलांग बच्चों की संख्या वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में क्रमश: 2.11 लाख, 2.83 लाख और 3.57 लाख है।

निजी-सरकारी भागीदारी में आईआईटी की स्थापना

2543. श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:
श्री के.एस. राव:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के नए संस्थाओं (आईआईआईटी) तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी संस्थानों (आईआईआईटीए) की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित तथा प्रोत्साहित करने का है ताकि उद्योग जगत के साथ सतत समन्वय विकसित करने तथा अनुसंधान उत्कृष्टता हेतु अनुकूल वातावरण में कौशल निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी तथा छात्रों को आकर्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ गुजरात सहित राज्यवार कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकारी निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जेलों में भ्रष्टाचार

2544. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न जेलों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रकाश में आए भ्रष्टाचार के मामलों का रैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान दर्ज मामलों, मुकदमा चलाए गए कार्मिकों तथा दोषियों का रैंक-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) ऐसी कोई शिकायत भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, कारागार, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के तहत राज्य का विषय है। इसलिए 'कारागार प्रशासन' संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ग) और (घ) कारागार अफसरों के भ्रष्टाचार मामलों के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय आधार पर नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

खनिजों की कोर लाइब्रेरी

2545. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नमूनों का सुव्यवस्थित रूप से संरक्षण करने के लिए खनिजों की कोर लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए कौन से स्थलों की पहचान की गयी है;

(ग) उपरोक्त लाइब्रेरी की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) प्रस्तावित लाइब्रेरी के कब तक स्थापित होने की संभावना है; और

(ङ) चालू वर्ष में इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां। खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने ड्रिल कोर नमूनों का व्यवस्थित रूप से संरक्षण करने के लिए भारत में विभिन्न स्थलों पर कोर लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अब तक इसने निम्नलिखित स्थलों पर कोर लाइब्रेरियां स्थापित की हैं:

उत्तरी क्षेत्र में अलीगंज कार्यालय कॉम्प्लेक्स, लखनऊ;

पश्चिमी क्षेत्र में अकवाली, जिला झुंझुनू, राजस्थान;

मध्य क्षेत्र में सेमिनरी हिल्स, जीएसआई कार्यालय काम्प्लेक्स, नागपुर;

पूर्वी क्षेत्र में भुवनेश्वर कार्यालय काम्प्लेक्स, उड़ीसा और

दक्षिणी क्षेत्र में बंदलागुडा कार्यालय कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद।

(ग) उपरोक्त लाइब्रेरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भूवैज्ञानिकों और खनिज गवेषण एजेंसियों के लाभार्थ राष्ट्रीय ड्रिल कोर लाइब्रेरी का विकास और अनुरक्षण करना है। कोर नमूनों के भौतिक अध्ययनों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोर लाइब्रेरी में जा सकेगा।

(घ) विभिन्न केन्द्रों में ड्रिल कोर लाइब्रेरियों की स्थापना का कार्य फील्ड सीजन 2003-04 के दौरान आरंभ हुआ था। ये सतत रूप से जारी रखे जाने वाले कार्यक्रम हैं और इन्हें जारी रखा जा रहा है।

(ङ) कोर लाइब्रेरियों की स्थापना करने के लिए कोई विशेष बजट नहीं है। जीएसआई द्वारा इस कार्य का वित्तपोषण अपने केन्द्रीय बजट में से किया जाता है।

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा

2547. श्री हरिन पाठक:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई-दिल्ली गलियारा अवसंरचना परियोजना में निवेश में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात सरकार में डीएचआईसी के सर्वांगीण विकास हेतु अवसंरचनात्मक घटकों के विकास संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या कुछ देश इस परियोजना में रुचि ले रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर क्षेत्र में परियोजना विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 330 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। भारत सरकार ने शुरू में इस आवंटन में से दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम लिमिटेड में परियोजना विकास कोष के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि का योगदान करने का भी निर्णय लिया है।

(ग) गुजरात सरकार की कम्पनी मै. गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी) ने डीएमआईसी क्षेत्र में गुजरात में सड़कों के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (डीएमआईसीडीसी) ने संयुक्त रूप से प्रत्येक नोड के लिए संदर्शी तथा विकास योजना की तैयारी के लिए तथा पहले प्राप्त हुई चुनिन्दा परियोजनाओं के विकास को सुलभ बनाने के लिए भी जुलाई, 2008 में जीआईडीबी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। डीएमआईसीडीसी ने पहले ही गुजरात राज्य में निवेश क्षेत्र का पता लगाने के लिए विकास योजना तैयार करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता का चयन किया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने डीएमआईसी परियोजना की परियोजना रूपरेखा विकसित करने के लिए दिसंबर, 2006 में जापान सरकार के साथ (जापान के माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान जेबीआईसी तथा आईआईएफसीएल/डीएमआईसीडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये थे ताकि परियोजना के लिए समझौता न किये गये ऋण सहित डीएमआईसी परियोजना में सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

(च) परियोजना का प्रथम चरण वर्ष 2008-2012 के दौरान क्रियान्वित किया जाना परिकल्पित है।

कॉफी उत्पादन

2548. श्री परसुराम माझी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या वर्ष 2008-09 अथवा ग्यारहवीं योजना के परवर्ती वर्षों में कॉफी के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परंपरागत और गैर-परंपरागत राज्यों में कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मी. टन में)
2005-06	2,74,000
2006-07	2,88,000
2007-08	2,62,000
2008-09 (चालू वर्ष)	2,76,600 (अनुमानित)

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 और 11वीं योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान कॉफी के उत्पादन का लक्ष्य निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मी. टन में)
2008-09	2,99,000
2009-10	3,05,000
2010-11	3,23,000
2011-12	3,35,000

देश के परम्परागत एवं अपरम्परागत कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं:

परम्परागत क्षेत्र

* 40,000 हे. क्षेत्र में पुनर्रोपण हेतु 100 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से अलाभकारी कॉफी ब्लॉकों को प्रतिस्थापित करने के लिए सब्सिडी।
* 11.45 करोड़ रुपये के परिव्यय से और 4600 इकाइयों के लक्ष्य के साथ उत्पादकता स्तरों में सुधार करने के लिए जल संवर्धन हेतु सब्सिडी।
* 90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से कॉफी उपजकर्त्ताओं द्वारा लिये गये कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना, ताकि कॉफी फार्मों में सततधारणीय प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके और अन्ततोगत्वा में फार्म उत्पादकता/उत्पादन को बनाए रखा जा सके।
* कॉफी के समग्र विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में अनुसंधान एवं विस्तार सहायता।

अपरम्परागत क्षेत्र:

* 45 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कॉफी विकास कार्यक्रमों अर्थात् कॉफी विस्तार, कावेरी की चरणबद्ध समाप्ति आदि के लिए और 20 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विस्तार एवं चकबंदी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

2549. श्री मित्रसेन यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विश्वविद्यालयों की अवसंरचना फैकल्टी तथा उनके विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया का आकलन करने के लिए उनका आवधिक निरीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण हेतु कोई मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष में निरीक्षण किये गये निजी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 13 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और इनमें मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 में विश्वविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर यथा-संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना) नियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राइवेट विश्वविद्यालयों से सभी संबंधित सूचना प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2008 में किये गये निरीक्षण के ब्यौरे सहित प्राइवेट विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख	निरीक्षण की स्थिति
1	2	3	4
1.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, सैक्टर-15/23, गांधी नगर, गुजरात।	13-14 अक्तूबर, 2008	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जानी है

1	2	3	4
	मेघालय		
2.	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन विश्वविद्यालय, के आईजीए सम्मेलन केन्द्रीय वार्ड, शिलांग-793001	15-16 अप्रैल, 2008	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 21 जुलाई, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में समिति की जांच-रिपोर्ट पर विचार किया था और इस संबंध में विचार और सुझाव विश्वविद्यालय को अनुपालनार्थ भेज दिए गए हैं।
	राजस्थान		
3.	जयपुर (राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जतगपुर, जयपुर, राजस्थान	10-12 अप्रैल, 2008	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 21 मई, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में समिति की जांच-रिपोर्ट पर विचार किया था और इस संबंध में विचार और सुझाव विश्वविद्यालय को अनुपालनार्थ भेज दिए गए हैं।
4.	प्रबंधन विश्वविद्यालय एकीकृत पूर्वी अध्ययन संस्थान, जारेथांग, सिक्किम	16-17 मार्च, 2008	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में समिति की जांच-रिपोर्ट पर विचार किया था और इस संबंध में विचार और सुझाव विश्वविद्यालय को अनुपालनार्थ भेज दिए गए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश

2550. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री महावीर भगोरा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों को केन्द्रीय विद्यालयों में दो छात्रों के प्रवेश हेतु दिया जाने वाला कूपन केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन सदस्यों हेतु सरकार द्वारा क्या प्रावधान किये गये हैं, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कूपनों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू. संख्या 4281/98 तथा सी.एम. संख्या 8025/98, के संबंध में जारी किये गये आदेश के मद्देनजर वर्ष 2007-08 से विशेष छूट कोटे का प्रावधान इस प्रकार लागू था:

"प्रत्येक संसद सदस्य इस स्कीम के तहत अपने संबंधित लोक सभा संसदीय क्षेत्र में रहने वाले पात्र बच्चों के दो मामले किसी अकादमिक वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय (विद्यालयों) में दाखिले के लिए विचारार्थ भेज सकते हैं। राज्य सभा संसद सदस्य उस राज्य जिससे वे चुने गए हैं, के भीतर स्थापित किसी केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले की सिफारिश कर सकते हैं। केवल पूर्व-प्राथमिक, 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए सिफारिश की जा सकती है।"

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकास ध्रुव परियोजनाएं

2551. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित देश में विकास ध्रुव परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके तौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने ग्रोथ पोल की अवधारणा का विकास किया है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड राज्यों में पांच ग्रोथ पोल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीजीआर) तैयार की गई है। इन डीजीआर को योजना आयोग को इसके सिद्धांत रूप में स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया गया है।

(ख) ग्रोथ पोल अवधारणा का लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले उद्यमों के लिए कौशल विन्यास, बाजार संबंधी सूचना प्रसार, उत्पाद डिजाइन, जांच एवं प्रमाणन सहित आधारभूत संरचना विकास, संस्थानों का प्रचालन तथा वास्तविक सेवाओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारिता की पूर्ण क्षमता प्राप्त करना है। उत्पाद मानकीकरण, बेहतर ग्राहक उन्मुखता, ब्रांड निर्माण तथा बाजार तक पहुंच के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों तथा कार्पोरेट क्षेत्र के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की युवाओं की संरक्षा तथा सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट

2552. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री रवेन बर्मन:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ने के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुमशुदा बच्चों पर एक रिपोर्ट तथा महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष बल देते हुए मानव तस्करी पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि देश में बच्चों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए पंजीकृत मामलों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2004	14423
2005	14975
2006	18967
2007	20410

(ग) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। प्रत्येक अपराध में उपयुक्त कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी होती है। तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को समस्त राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया है। हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों

हेतु सुरक्षित माहौल पैदा करने के लिए बच्चों के विरुद्ध अपराधों को शामिल करने हेतु एक व्यापक विधान पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

समवर्ती सूची के अंतर्गत कारागार

2553. श्रीमती मेनका गांधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से कारागार सुधारों तथा उसके आधुनिकीकरण के वित्तपोषण हेतु कारागारों को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

हालांकि, कारागार सुधार और सुधारात्मक प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति ने जुलाई, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित सिफारिश की है:

"कारागारों तथा सम्बद्ध संस्थाओं के विषय को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त सिफारिश पर निर्णय राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद लिया जाएगा। समिति की समस्त सिफारिशों को समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को, इस पर उनके विचार हासिल करने के लिए, पहले ही भेजा जा चुका है।

रबड़ के मूल्यों में गिरावट

2554. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू रबड़ के मूल्यों में अचानक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूल्यों में और गिरावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। रिब्ड स्मोक्ड शीट (आरएसएस) 4 ग्रेड रबड़ की दैनिक कीमत दिनांक 28 अगस्त, 2008 को 142 रु. प्रति कि.ग्रा. से घटकर दिनांक 9 दिसम्बर, 2008 को 59.00 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई थी। मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) मुक्त वातावरण में रबड़ की घरेलू कीमतें सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय कीमत रूझानों के अनुरूप चलती हैं। रबड़ की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण हैं-(1) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमतों में अत्यधिक कमी; (2) वैश्विक ऑटोमोबाइल तथा संबंधित उद्योगों में मंदी का दौर; (3) कच्चे तेल की कीमत में अत्यधिक गिरावट; (4) अम. डा. की तुलना में जापानी येन में मजबूती के कारण टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज (टीओसीओएम) में रबड़ की कीमतों में गिरावट; और (5) प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों की मुद्राओं के मूल्य में कमी।

(ग) और (घ) दिनांक 12 सितम्बर, 2001 से प्राकृतिक रबड़ हेतु अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम कीमत आरएसएस 4 ग्रेड के लिए 3209 रु. प्रति 100 कि.ग्रा. तथा आरएसएस 5 ग्रेड के लिए 3079 रु. प्रति 100 कि.ग्रा. रही है। प्राकृतिक रबड़ की सांविधिक न्यूनतम कीमत में संशोधन करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है।

(ङ) स्थगन के पश्चात् रबड़ की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के मद्देनजर दिनांक 1.12.2008 से प्राकृतिक रबड़ में वायदा व्यापार का अस्थायी स्थगन हटा दिया गया है। रबड़ की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और प्राकृतिक रबड़ में व्यापार के रूझानों की नियमित निगरानी की जाती है।

लौह अयस्क भंडार

2555. श्री पी.एस. गडवी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में भारत की रैंकिंग क्या, कौन-सी है तथा लौह अयस्क खनन में सुधार हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के लौह अयस्क भंडारों के 200 वर्ष तक चलने की संभावना है जैसाकि दिनांक 10 अप्रैल, 2008 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका आधार/स्रोत क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में लौह अयस्क भंडारों की राज्यवार मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ङ) क्या घरेलू इस्पात उद्योग की भावी आवश्यकताओं के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता के संदर्भ में देश आत्मनिर्भर है; और

(च) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा बड़ा उत्पादक है। सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जिसमें नीति संबंधी उपाय जैसे अगले चरण की खनिज रियायत के लिए सुनिश्चित अधिकार, खनिज रियायत की हस्तांतरणीयता और रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता शामिल है ताकि विलम्बों, जिन्हें भारत के खनन क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह के लिए बाधक के रूप में देखा जाता है, को कम किया जा सके। नीति संबंधी यह पहलें लौह अयस्क खनन सहित खनिज संभाव्यता के उपयोग और गवेषण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करेंगी।

(ख) से (घ) लौह अयस्क के संसाधन गतिमान स्वरूप के हैं तथा इनमें और गवेषण से अधिक वृद्धि होगी। संसाधनों की गणना के प्रयोजन के लिए इस्पात उत्पाद का स्तर और लौह अयस्क का ग्रेड, लौह अयस्क भंडार कितने वर्षों तक बने रहेंगे इसका निर्धारण करने का महत्वपूर्ण मानदण्ड है। अनुमानों के आधार प्रमाणित आंकड़ा 150 से 200 वर्ष से अधिक हो सकता है। खनिजों के भंडारों/संसाधनों संबंधी राज्यवार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स इयर बुक में दी गई है, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करवाई गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेश व्यापार अधिनियम, 1992 में संशोधन

2556. श्री एल. राजगोपाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन कर "सेवाएं" की परिभाषा में संशोधन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सेवाओं को वस्तुओं के समान बनाने को तैयार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सरकार का प्रस्ताव विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने और उक्त अधिनियम के दायरे में "सेवाओं" को लाने का है। यह प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है और प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों में एड्स

2557. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों (पीएमएफ) में एड्स के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बलवार, लिंगवार कुल कितने ऐसे मामले जानकारी में आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अर्द्ध-सैनिक बल के जवानों में इस बढ़ते रूझान के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में एच.आई.वी./एड्स के मामलों में वृद्धि का प्राथमिक कारण एच.आई.वी./एड्स संक्रमण

फैलने के साधनों की जानकारी का अभाव है। सी.पी.एफ. कार्मिकों में एच.आई.वी./एड्स फैलने से रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अंतर्गत कई प्रयास/उपाय किये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) बलों में विभिन्न जागरूकता एवं शैक्षणिक अभियान चलाए गए।

(2) नियमित पीआर शिक्षा देने वाले प्रशिक्षित किये गये।

(3) रैपिड टेस्ट किट/एलिसा रीडर मशीनों युक्त बेहतर परीक्षण सुविधाएं प्रदान की गई।

(4) चिकित्सा अधिकारियों/परामर्शदाताओं और गैर-चिकित्सकीय स्टाफ में क्षमता निर्माण।

(5) जवानों के लिए विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री परिचालित की गई।

(6) कण्डोम वेडिंग मशीनों का प्रतिष्ठापन।

(7) समर्पित एण्डी-रिट्रोवायरल ट्रीटमेन्ट (ए.आर.टी.) केन्द्रों की स्थापना करना।

हालांकि एच.आई.वी./एड्स की जांच करना अनिवार्य नहीं है तथापि आयोजित किये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ज्यादा से ज्यादा कार्मिक स्वैच्छिक जांच के लिए आगे आए हैं। स्वैच्छिक जांच के आधार पर संग्रहित पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी की कोई प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं होती है:

बल	2005			2006			2007			2008		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
असम राइफल्स	83	83	0	146	146	0	106	106	0	86	86	0
बीएसएफ	60	54	06	91	84	07	125	109	16	23	22	01
सीआईएसएफ	07	07	0	04	04	0	09	09	0	15	15	0
सीआरपीएफ	42	41	01	131	125	06	171	166	05	43	42	01
आईटीबीपी	04	04	0	03	03	0	10	10	0	02	02	0
एनएसजी	05	05	0	01	01	0	02	02	0	02	02	0
एसएसबी	01	01	0	04	04	0	07	07	0	12	12	0

राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन

2558. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री महावीर भगोरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों द्वारा अपने संबंधित राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकाला;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करने में विवशता जताई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उक्त विवशता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मेघालय,

मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को अपने-अपने राज्यों में अभी मानवाधिकार आयोग स्थापित करने हैं।

(ग) से (छ) केन्द्र सरकार ने समय-समय पर उन सभी राज्यों को सलाह जारी की है जिन्होंने अभी तक राज्य मानवाधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.) गठित नहीं किये हैं ताकि वे इन्हें शीघ्र स्थापित कर सकें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उन सभी राज्यों से कहा है जिन्होंने अभी तक राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं किये हैं।

जिन राज्यों ने एस.एच.आर.सी. स्थापित नहीं किये हैं उन राज्यों द्वारा दिये गये कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निधियों की कमी या मानवाधिकार उल्लंघन की अपेक्षाकृत कम शिकायतें प्राप्त होना बताया है जिनके आधार पर उनके अपने-अपने राज्यों में पूर्ण एस.एच.आर.सी. का गठन किया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता है। तथापि, केन्द्र सरकार अभी इस मामले को उन राज्यों के साथ उठा रही है जिन्होंने अभी तक एस.एच.आर.सी. का गठन नहीं किया है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2559. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का गैर-सरकारी संगठन-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त पाए गए गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में शामिल किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार की अनियमितताएं बताई गई हैं; और

(च) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में उत्तर प्रदेश सहित वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: वर्ष 2006-07 (पृष्ठ 260 से 292) और 2007-08 (पृष्ठ 286-315) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। ये वार्षिक रिपोर्टें इस मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान जारी की गई निधियों के संबंध में समेकित सूचना इस वर्ष के अंत तक और 2008-09 के लिए अगले वर्ष के अंत तक ही उपलब्ध होगी।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं, जिनके तहत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है, में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा
2. प्रौढ़ शिक्षा हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता
3. जन शिक्षण संस्थान
4. राज्य संसाधन केन्द्र
5. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना जिसे अब समानता के साथ पहुंच के रूप में जाना जाता है।
6. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा
7. +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना
8. मानव मूल्यों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की योजना।

(ग) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामत: 'विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा' और 'माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने' की पूर्ववर्ती स्कीम के तहत कुछ गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कुछ शिकायतें सरकार की जानकारी में आई है। वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित की जा रही सभी स्कीमों में संस्वीकृत के बाद अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए आंतरिक तंत्र की व्यवस्था है। जहां आवश्यक होता है वहां राज्य सरकार के परामर्श से उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना भी शामिल है। इसके बाद इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन सरकारी अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं रहते। इन स्कीमों की कमियों यदि कोई हो, को दूर करने के लिए सरकार समय-समय पर मौजूदा स्कीमों की समीक्षा करती है और इन्हें संशोधित करती है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	स्कीम का नाम	गैर-सरकारी संगठन/ संगठन का नाम	काली सूची में डालने का वर्ष
1.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	श्री नवज्योत शिक्षा ट्रस्ट, रैया, जिला बनासकांठा, गुजरात	2007
2.	'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़' करने की स्कीम	अनुपम, जिला नवादा, बिहार	2005
3.	-वही-	अनुराग सेवा संस्थान, वैशाली, बिहार	2005
4.	-वही-	उत्तरी बिहार विकास परिषद, शिवहर, बिहार	2005
5.	-वही-	सेवाश्रम, बनियादी, जिला गिरीडीह, झारखंड	2005
6.	-वही-	हेल्प विहार, झारखंड	2005
7.	-वही-	विद्यास्थली, दुमका, झारखंड	2007

एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र

2560. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देश में और अधिक संख्या में आईआईडी केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(ङ) लघु क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गुजरात सहित प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(च) लघु उद्योग के लिए अवसंरचना विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आईआईडी योजना के तहत 93 एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्र (आईआईडी) अनुमोदित किये गये हैं। कार्यान्वयक अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार 51 केन्द्रों में इकाइयां स्थापित की गई हैं। देश में अनुमोदित एवं प्रचालनरत राज्य-वार आईआईडी केन्द्रों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ) आईआईडी योजना को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) में शामिल कर लिया गया है। यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 47.00 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

(ङ) और (च) लघु क्षेत्र का विकास करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार क्रेडिट, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है। ये योजनाएं गुजरात राज्य सहित देशभर में कार्यान्वित की जाती हैं। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए समय-समय पर सॉफ्ट इंटरवेंशनों (जैसे सामान्य जागरूकता उत्पन्न करना, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, विपणन विकास, प्रदर्शन संबंधी दौरे और कन्सोर्टिया गठित करना, आदि) एवं हार्ड इंटरवेंशनों (जैसे सामान्य सुविधा केन्द्र, आदि) के माध्यम से उपाय किये जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोत्तरी की जा सके और उन्हें वैश्विक तथा साथ ही साथ घरेलू बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिल सके।

विवरण

देश में अनुमोदित एवं प्रचालनरत आईआईडी केन्द्रों की संख्या के संबंध में विवरण

राज्य	उस जिले का नाम जहां स्थित है	अनुमोदित केन्द्रों की संख्या	प्रचालनरत केन्द्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	कुरनूल, रंगारेड्डी, नेल्लोर, कृष्णा	1	–
अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	11	4
असम	दारांग, नौगांव, काचर, सिबसागर, कामरूप, जोरहाट, नलबाड़ी, धेमजी, लखीमपुर, कोकराझाड़, तिनसुकिया	5	1
छत्तीसगढ़	महसामुंड, कबीरधाम, सरगुजा, धमतरी, बिलासपुर	1	–
गुजरात	जूनागढ़	3	2
हरियाणा	सिरसा, यमुनानगर, सोनीपत	1	1
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	2	1
जम्मू और कश्मीर	उधमपुर, कठुआ	4	3
कर्नाटक	बेलगाम, बीजापुर, कोलार, बगलकोट	8	7
केरल	त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, मल्लपुरम, एरनाकुलम, कसरगोड, त्रिचूर, पठन्नथिट्टा, वायनाड	7	2
महाराष्ट्र	यवतमाल, सतारा, अहमदनगर, बीड, नागपुर, औरंगाबाद, बुलधाना	8	5
मध्य प्रदेश	सतना, मंदसौर, खारगौन, कटनी, सागर, नीमच, टीकमगढ़, मोरेना	2	1
मिजोरम	लुंगलेई, छंपई	1	–
नागालैंड	कोहिमा	2	1
उड़ीसा	खुर्दा, बालासोर	3	–
पंजाब	होशियारपुर, मुक्तासर, लुधियाना	9	7
राजस्थान	जोधपुर, नागौर, टौंक, उदयपुर, करौली, पालि, बारां, भरतपुर, अलवर	6	5
तमिलनाडु	मदुरै, थिरुमुदिवक्कम, कत्तूर अवादी एमजीआर जिला थिरूवेल्लौर, थिचिरापल्ली, सालेम	1	–
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	3	3
उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर	8	4
उत्तर प्रदेश	एटा, मथुरा, उन्नाव, भदोही, बागपत, बाराबंकी, गाजियाबाद, चंदौली	3	–
पश्चिम बंगाल	टंगरा (कोलकाता), मुर्शिदाबाद, 24 परगना (दक्षिण)	4	4
	कुल	93	51

[हिन्दी]

विदेश जा रहे छात्र

2561. श्री सुभाष महरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिए यूरोप सहित विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय विद्यार्थियों के संबंध में देश-वार तथा राज्य-वार कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती।

(ग) विद्यार्थियों के विदेश जाने पर कोई रोक नहीं है और विद्यार्थियों का विदेश जाना व्यय को वहन करने की क्षमता, बैंक ऋणों की सुलभता, विदेशी समाज के बारे में जानकारी, अध्ययन की विशिष्ट विधाओं में अभिरुचि, क्षमता सीमित होने की वजह से सर्वोत्कृष्ट भारतीय संस्थाओं में दाखिला न मिल पाने तथा विदेशों में ऐसी संस्थाओं जिनमें सदियों से शिक्षा तथा अनुसंधान का लंबा इतिहास रहा है में दाखिला पाने की इच्छा जैसे विविध कारणों पर निर्भर होता है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन

2562. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए कोई केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके तत्संबंधी कार्यकरण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु सहित देश में ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु सहित भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित अखिल भारतीय वेधशाला नेटवर्क के जरिये 100 से अधिक वर्षों से जलवायु पैरामीटरों (तामपान, वर्षावृष्टि आदि) को लगातार मॉनीटर किया जा रहा है। आईएमडी ने हाल ही में पूरे भारत में 125 अतिरिक्त स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्लूएस) स्थापित किये हैं, जिनमें से 11 तमिलनाडु में हैं। आईएमडी की पूरे देश में वेधशाला नेटवर्क का और विस्तार करने की योजना है।

(ग) सरकार विभिन्न राज्यों में ये वेधशालाएं स्थापित करने के लिए पूर्ण धनराशि प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) जी हां। देश में तमिलनाडु सहित इस प्रकार की वेधशालाओं के नेटवर्क का विस्तार करने की योजना है। अगले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में लगभग 550 स्वचालित मौसम स्टेशन तथा 1350 स्वचालित वर्षामापी स्टेशन स्थापित करने की कार्यान्वयन योजना तैयार की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलोजी

2563. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलॉजी (आरजीसीबी) के लिए कोई विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलॉजी में पशु अनुसंधान सुविधा की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, वित्तीय वर्ष 2007-

08 से आरजीसीबी को 11वीं योजनावधि के दौरान 9908 लाख रुपये के नियमित कोर सहायता अनुदान के अतिरिक्त इसके नए कैम्पस और अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने की संभावना है बशर्ते कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा उनका प्रस्ताव अनुमोदित हो। यह विशेष अनुदान एक नए परिसर की स्थापना और आण्विक कारसिनोजेनेसिस, संक्रामक रोग जीवविज्ञान, स्टेम कोशिका अनुसंधान और औषध खोज के क्षेत्रों में अनुसंधान को विस्तार देने के लिए है। इस कैम्पस में व्यवसाय और प्रौद्योगिकी विकास इंक्यूबेटर्स; और लायोफार्मास्यूटीकल्स उद्यमियों तथा कंपनियों के लिए एक समर्पित "टैस्ट एंड प्रूव" मंच भी होगा।

(ग) और (घ) जी हां, आरजीसीबी के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के विस्तार कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में द्वितीय कैम्पस में एक अत्याधुनिक पशु सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव है। आधुनिक पशु अनुसंधान सुविधा उपर्युक्त क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान मुहैया कराएगी जिसका फोकस ट्रांसजेनिक और नाक-आउट पशुओं; न्यूड चूहों/एससीआईडी चूहों; पशु आईसोलेटरों; और विष विज्ञान परीक्षण सुविधा पर होगा। यह माना जा रहा है कि यह सुविधा पूर्णरूप से कार्यशील हो जाने पर केरल और उसके आस-पास के शोधकर्त्ताओं की आवश्यकता को पूरा करेगी।

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

2564. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच किसी सीमा विवाद की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों द्वारा किये गये दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा विवाद के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में जनजातीय लोग विस्थापित हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) सीमा विवाद के निपटान के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच सीमा विवाद है। इस मुद्दे पर असम सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.9.2006 के अपने निर्णय के तहत असम-नागालैंड और असम-अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमाओं की पहचान करने के लिए एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है। स्थानीय आयोग की बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गई हैं। स्थानीय आयोग की अंतिम बैठक, नई दिल्ली में दिनांक 8 नवम्बर, 2008 को हुई थी।

असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि सीमा विवाद के कारण जनजातीय लोगों को विस्थापित नहीं किया गया है।

विदेशियों को हिन्दी की शिक्षा

2565. श्री नवीन जिन्दल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में विदेशी हिन्दी सीखने के लिए भारत आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भाषा को सीखने के लिए आ रहे विदशी छात्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों की अवसंरचना में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, की एक स्कीम अर्थात् "विदेश में हिन्दी का प्रसार" है। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान जिन विदेशी छात्रों ने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लिया उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	दाखिल छात्रों की संख्या
2006-07	69
2007-08	70
कुल	139

(ग) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत दाखिल छात्रों को पुरुष तथा महिला प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग छात्रावास सुविधाएं, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, श्रव्य-दृश्य पाठों हेतु विशेष सुविधाएं, साइबर कियोस्क तथा पुस्तकालय आदि उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

गुमशुदा विदेशी छात्र

2566. योगी आदित्यनाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में विदेशी छात्र देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ छात्र भारत में गुम हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.12.2007 तक इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों सहित भारत के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में अध्ययनरत कुल 28,842 विदेशी छात्र पंजीकृत किये जाने की सूचना है। इस प्रकार के पंजीकृत विदेशी छात्रों के राज्यवार और देशवार आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) से (ङ) विदेशी छात्रों सहित नियत अवधि से अधिक अवधि तक ठहरने वाले/गुमशुदा विदेशियों के अवरोध के लिए विधि प्रवर्त्तक एजेंसियां चौकस रहती हैं। विदेशी छात्रों सहित नियत अवधि से अधिक अवधि तक ठहरने वाले/गुमशुदा विदेशियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार के विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

विवरण

31.12.2007 की स्थिति के अनुसार भारत में अध्ययन के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छात्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	2289
असम	29
बिहार	318
चंडीगढ़	396
छत्तीसगढ़	6
दमन और दीव	11
दिल्ली	7424
गोवा	359
गुजरात	721
हरियाणा	514
हिमाचल प्रदेश	572
जम्मू-कश्मीर	8
झारखंड	46
केरल	1050
मध्य प्रदेश	155
महाराष्ट्र	5551
मणिपुर	3
मेघालय	33
नागालैंड	1
उड़ीसा	119
पुडुचेरी	197
पंजाब	576
राजस्थान	165

1	2
सिक्किम	22
तमिलनाडु	4956
उत्तर प्रदेश	1486
उत्तरांचल	138
पश्चिम बंगाल	1697
कुल	28842

31.12.2007 की स्थिति के अनुसार भारत में अध्ययन के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के देश-वार आंकड़े

देश	छात्रों की संख्या
1	2
अफगानिस्तान	801
अलबानिया	15
अल्जीरिया	1
अंडोरा	1
अंगोला	44
एंटागुआ और बारमूडा	18
अर्जेंटीना	14
अर्मेनिया	29
आस्ट्रेलिया	151
आस्ट्रिया	589
अजरबेजान	45
बहरीन	17
बांग्लादेश	1411
बेलारूस	14
बेल्जियम	34
बेलीज	3
बेनीन	1
भूटान	3
बोलिविया	11
बोस्निया एवं हर्जेगोविना	2
बोत्सवाना	8
ब्राजील	78
ब्रिटिश ओवरसीज सिटी	2
ब्रिटिश सब और कोलो	1
ब्रूनेई	30
बुल्गारिया	31
बुरुंडी	46
कम्बोडिया	117
केमरून	14
कनाडा	703
केप वार्ड द्वीपसमूह	3
केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य	30
चाड	10
चिली	11
चाइना	478
चाइना (ताइवान)	14
कोलम्बिया	15
कोमरूस	15
कांगो	145
कोस्टारिका	10
क्रोशिया	24
क्यूबा	9
साइप्रस	68
चेक गणराज्य	16
डेनमार्क	46

1	2
डिबूती	127
डोमनिक गणराज्य	3
पूर्वी तिमोर	1
इक्वेडोर	4
मिस्र	114
अल सल्वाडोर	12
एरिट्रिया	165
एस्टोनिया	28
इथोपिया	552
फिजी	56
फिनलैंड	33
फ्रांस	440
गबन	37
जाम्बिया	10
जार्जिया	8
जर्मनी	519
घाना	48
ग्रीक	6
ग्वाटेमाला	1
गिएना	88
गुआना	20
होंडूरास	12
हांगकांग	1
हंगरी	1557
आइसलैंड	85
इंडोनेशिया	171
इरान	658

1	2
इराक	220
आयरलैंड	20
इजराइल	129
इटली	115
आइवरीकोस्ट	36
जमैका	5
जापान	267
जोर्डन	126
कजाकिस्तान	505
केन्या	816
कोरिया (उ.) डीपीआर	57
कोरिया (द.)	802
कुवैत	5
किर्गिस्तान	69
लाओस	20
लाटिविया	15
लेबनान	9
लेसेथो	27
लाइबेरिया	8
लिबिया	41
लिथुआनिया	4
लक्जमबर्ग	2
मालागासी (मेडागास्कर)	2
मलावी	5
मलेशिया	792
मालदीव	353
माली	18
माल्टा	1

1	2
मार्शल द्वीपसमूह	30
मारटीना	3
मारीशस	258
मैक्सिको	52
माइक्रोनेशिया	36
मोल्डोवा	5
मोनाको	5
मंगोलिया	223
मोरक्को	6
मोजाम्बिक	20
म्यांमार (बर्मा)	247
नामीबिया	59
नॉरू	3
नेपाल	12
नीदरलैंड	141
न्यूजीलैंड	64
निकारागुआ	230
नाइजीरिया	578
नार्वे	96
ओमान	238
पलाउ	1
फिलस्तीन	36
पनामा	7
पापुआ न्यू गिनी	3
पराग्वे	1
पेरु	20
फिलीपिंस	68

1	2
पोलैंड	61
पुर्तगाल	14
कतर	1
रोमानिया	20
रूस	246
रवांडा	33
सउदी अरब	71
सेनेगल	6
सेशेल्स	62
सियरा लियोन	4
सिंगापुर	158
स्लोवाक गणराज्य	54
स्लोवानिया	22
सोमालिया	199
द. अफ्रीका	273
स्पेन	49
श्रीलंका	1642
सेंट लूसिया	1
सेंट विन्सेंट एवं लूसाइन्ट	43
स्टेटलेस	2
सूडान	1078
सूरीनाम	17
स्वाजीलैंड	15
स्वीडन	123
स्विट्जरलैंड	189
सीरिया	227
तजाकिस्तान	69

1	2
तंजानिया	347
थाइलैंड	1038
त्रिनिडाड और टोबगो	37
ट्यूनीशिया	3
तुर्की	20
तुर्कीस्तान	4
यूएसए	2645
यूगांडा	227
यूक्रेन	170
यूनाईटिड अरब अमीरात	9
यूनाइटेड किंगडम	891
उगरवे	1
उजबेकिस्तान	75
वनातू	1
वेनेजुला	13
वियतनाम	497
यमन	688
यूगोस्लाविया	557
जाम्बीया	32
जिम्बावे (रोडेसिया)	64
अन्य	40
कुल	28842

[अनुवाद]

व्यापार अनुकूल विनियम

2567. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत अन्य देशों की तुलना में विनियमों को व्यापार के अनुकूल बनाने में पिछड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) द 2009 डूईंग बिजनेस रिपोर्ट में कारोबार की आसानी की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर की गई तुलना में भारत को 181 देशों में 122वां स्थान दिया गया है। इसकी तुलना बी.आर.आई.सी. देशों (ब्राजील-125, रूस-120, चीन-83) सहित उभरती हुई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ की जा सकती है।

(ख) भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और कारोबार एसोसिएशनों की भागीदारी से विनियमों को कारबोार के॰ अनुकूल बनाने हेतु ठोस प्रयास कर रही है। नियामक सुधारों में शामिल हैं-सिंगल विंडो की स्थापना, ऑनलाइन पंजीकरण, सम्पत्ति के पंजीकरण हेतु दस्तावेजों का मानकीकरण, रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, करों और उनके भुगतान का सरलीकरण, तृतीय पक्ष प्रमाणन की शुरुआत, विभिन्न लाइसेंसों/अनुमतियों के लिए संयुक्त फार्मों के जरिये दस्तावेजों में कमी लाना, निरीक्षणों में कमी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स परियोजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना ई-बिज परियोजना को कार्यान्वित करने की पहल की है ताकि निवेशकों और कारोबार घरानों को ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान सेवाएं दायर करने की सुविधाएं प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश सरकार संवर्ग के अधिकारियों को वापस भेजना

2568. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों को वापस भेजने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कानून में क्या उपबंध हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश संवर्ग में कुल कितने आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं तथा वर्तमान में कितने अधिकारी सीबीआई और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और कितने ऐसे अधिकारियों को वापस भेजे जाने की मांग की गई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त अधिकारियों को वापस भेजने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई में तैनात यू.पी. कैडर के 11 अफसरों में से 6 को प्रत्यावर्तित करने की मांग की है। सीबीआई में प्रतिनियुक्त आईपीएस अधिकारियों के कार्यकाल का अधिनियमन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा आईपीएस कार्यकाल नीति के अनुरूप किया जाता है। 1.1.2008 तक 348 आईपीएस अधिकारी यू.पी. संवर्ग में थे तथा 48 आईपीएस अधिकारी दूसरे केन्द्रीय एजेंसियों/संगठनों में काम कर रहे थे।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कोचिंग संस्थानों का विनियमन

2569. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोचिंग भारत में एक बड़ा उद्योग बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) कोचिंग केन्द्रों के कार्यकरण के नियमन हेतु अभी कोई नियम या विनियम नहीं हैं। तथापि, स्कूली बच्चों पर अनावश्यक तथा अवांछनीय भार कोचिंग संस्थाओं की भरमार को कम करने तथा बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों को महत्व देने के उद्देश्य से वर्ष 2006 से आई.आई.टी.-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं। वर्ष 2006 से आई.आई.टी.-संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पद्धति में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं:

(1) आई.आई.टी., आई.टी.-बी.एच.यू., आई.एस.एम., धनबाद तथा अन्य भागीदार संस्थानों में दाखिले के लिए छात्रों के रैंक निर्धारित करने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र मानदंड होगा;

(2) आई.आई.टी. के लिए प्रवेश प्रक्रिया में स्कूल का परिणाम भी कारक होता है। सिर्फ वही छात्र आई.आई.टी. में प्रवेश के लिए पात्र होते हैं जो +2 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अंक प्राप्त करते हैं;

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए संबंधित परीक्षा में निर्धारित अंकों में 5 प्रतिशत की छूट।

(4) संयुक्त प्रवेश परीक्षा एकल वस्तुगत किस्म की परीक्षा है। प्रश्न पत्र में भौतिकी, रसायन अथवा गणित का भी लघु प्रलेख शामिल हो सकता है जिसके बाद प्रलेख के आधार पर वस्तुगत प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा के वस्तुगत स्वरूप को बनाए रखते हुए छात्र की व्यापक योग्यता तथा विश्लेषणात्मक योग्यता की जांच करता है;

(5) कोई छात्र 12वीं के स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में और/अथवा अगले वर्ष में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है;

(6) उन छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दुबारा बैठने की अनुमति नहीं दी जाती जिन्होंने किसी भी आईआईटी में प्रवेश ले लिया है।

केरल कलामंडलम को विश्वविद्यालय का दर्जा

2570. श्री एस. अजय कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के त्रिसूर में वल्लातो, नगर स्थित केरल कलामंडलम को विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कला के शिक्षण से जुड़ी कुल कितनी संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने कला के शिक्षण से गहराई से जुड़ी संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने के प्रस्ताव के प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केरल कलामंडलम, वलाथोल नगर, चेरुथुरुथी त्रिसूर को 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था के रूप में घोषित किया है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान दो संस्थाएं जो केवल कला के शिक्षण से संबंधित हैं को 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था घोषित किया गया है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय से भिन्न उच्चतर शिक्षा संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था घोषित करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित संस्था के उन आवेदन पत्रों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट www.ugc.ac.in/financialsupport/guidelinepdf/deemed_to_be.pdf. पर उपलब्ध मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था घोषित किये जाने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, पर विचार करता है।

आंध्रा विश्वविद्यालय को आईआईईएसटी का दर्जा

2571. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से आंध्रा यूनिवर्सिटी ऑटोनामस कालेज ऑफ इंजीनियरिंग (एयूएसीई) की आईआईईएसटी का दर्जा दिये जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्रा यूनिवर्सिटी ऑटोनामस कालेज ऑफ इंजीनियरिंग को आईआईईएसटी का दर्जा कब तक दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्रा विश्वविद्यालय स्वायत्त इंजीनियरी कालेज सहित राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों को आईआईईएसटी का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु दो मानदंड ये थे कि संस्थान अपनी शासन संरचना और प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करें ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया जा सके। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी थी कि आंध्र प्रदेश शैक्षिक संस्था (दाखिले का विनियमन) आदेश, 1974, जिसे सामान्यत: राष्ट्रपति के आदेश के नाम से जाना जाता है और जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-डी के तहत जारी किया गया है, सभी शैक्षिक संस्थाओं में प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में से 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश 'स्थानीय अभ्यार्थियों' के पक्ष में आरक्षित है। अत: इन आरक्षित सीटों को हटाना तेलंगाना/आंध्र क्षेत्र के 'स्थानीय अभ्यर्थियों के बीच भारी नाराजगी का कारण बन सकता है। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने आंध्र विश्वविद्यालय स्वायत्त इंजीनियरी कालेज को आईआईईएसटी का दर्जा न देने का निर्णय लिया है। तथापि, आंध्र विश्वविद्यालय स्वायत्त इंजीनियरी कालेज के स्तरोन्नयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 11वीं योजना के दौरान अनुदान प्रदान किये जाएंगे। आंध्र विश्वविद्यालय स्वायत्त इंजीनियरी कालेज को इसके स्तरोन्नयन हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान 8.00 करोड़ रु. और 2007-08 के दौरान 10.00 करोड़ रु. जारी किये गये हैं।

सुनामी प्रभावित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

2572. डा. के.एस. मनोज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में कितनी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं/कराई जानी हैं;

(घ) क्या सरकार को छात्रवृत्ति उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में कोई शिकायत और छात्रवृत्ति के लिए दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल सरकार ने मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधियों के लिए अनुसंधान और विकास पर व्यय

2573. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेची जा रही औषधियों के अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या सरकार का विचार औषधि विनिर्माण कंपनियों को औषधियों के लिए अनुसंधान और विकास पर अपने खर्चे में वृद्धि करने के लिए कोई निदेश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बिना किसी अनुसंधान के औषधियों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ किये जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) यद्यपि, देश में बेची जा रही औषधियों के अनुसंधान और विकास के संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सितम्बर, 2006 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए समर्पित संसाधनों के संबंध में किये गये द्विवार्षिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 2005-06 के दौरान देश में औषध और भेषजीय उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास पर किये गये व्यय की प्रतिशतता कुल वार्षिक बिक्री की राशि का लगभग 3.83% थी।

(घ) और (ङ) सरकार उद्योग से सामान्य रूप से अनुसंधान और विकास पर अपने व्यय में वृद्धि करने के लिए अनुरोध कर रही है, जिसमें औषधियों पर किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित है। सरकार समय-समय पर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा करती रही है, उदाहरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत अनुसंधान और विकास व्यय पर 150% भारित कर कटौती, अनुसंधान और विकास के लिए तथा विनिर्माण के लिए चुने उपकरण का शुल्क मुक्त आयात तथा भेषजीय प्रासंगिक मानकों आदि का शुल्क मुक्त आयात।

(च) औषधियों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा अनुसंधान पर किया जाने वाला व्यय उनकी अपनी व्यावसायिक और आर्थिक नीतियों तथा प्रतियोगी बाजार ताकतों द्वारा संचालित होता है। इन कम्पनियों के संबंध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

बी.टी. बैंगन की खेती और इसको बढ़ावा दिया जाना

2574. श्री पी.सी. थामस:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी. बैंगन पर कोई मैदानी परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बी.टी. बैंगन की खेती की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को बी.टी. बैंगन के बीजों की आपूर्ति के लिए क्या पद्धतियां हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। बीटी बैंगन के संबंध में बड़े पैमाने पर सीमित फील्ड ट्रायल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 11 स्थलों पर चलाए गए हैं। ये 11 स्थल हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में बीटी बैंगन की व्यापारिक खेती की अनुमति नहीं दी है और केवल अनुसंधान ट्रायल चलाये जा रहे हैं। क्योंकि बी.टी. बैंगन की व्यापारिक खेती नहीं हो रही है इसलिए बी.टी. बैंगन बीजों की आपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

विदेशी छात्र

2575. श्री महावीर भगोरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे विदेशी छात्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पास हुए विदेशी छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी छात्रों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50,000 विदेशी विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से 82.5 प्रतिशत बंगलौर, मैसूर, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद तथा पुणे जैसे शहरों में हैं। यदि विदेशी विद्यार्थियों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की कोई शिकायत आती है, तो यह राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होने की वजह से इस संबंध में सूचना एकत्र नहीं की जाती।

[अनुवाद]

अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं

2576. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अमरनाथ तीर्थयात्रा का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तीर्थयात्रियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सुरक्षा संबंधी किन चिंताओं पर ध्यान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अमरनाथ तीर्थयात्रियों को सब्सिडी प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) अमरनाथ यात्रा का आयोजन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एस.ए.एस.बी.) और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार की सहायता करती है।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, किसी दुर्घटना होने की सूरत में उस स्थान को आपात स्थिति में खाली कराने की व्यवस्था करने के अतिरिक्त साफ-सफाई और परिवहन तथा पोर्टरों की सुविधाएं प्रदान करके स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार यात्रियों को मौसम की जानकारी देने और गुफा तक जाने के मार्ग का ब्यौरा देने के अतिरिक्त जम्मू में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए हाल में यहां पर यात्री निवास का निर्माण किया गया है। तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण की सुविधाएं, पूरे देश में प्रदान की गई हैं। तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शन के लिए आश्रय स्थल और सूचना काउंटर बनाए गए हैं।

जहां तक सुरक्षा व्यवस्थाओं का संबंध है, तीर्थ यात्रा के लिए विस्तृत सुरक्षा ग्रिड बनाई गई है जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश करने से ले कर पहलगांव तक सुरक्षा प्रदान करना; पहलगांव और बलताल की तरफ से अमरनाथ की गुफा तक के रास्ते के साथ-साथ राजमार्ग के बारे में अवगत कराना; शिविर स्थलों और विभिन्न स्थानों की सुरक्षा करना और पवित्र गुफा के आस-पास के पूरे क्षेत्र के साथ-साथ इस गुफा तक जाने वाले रास्तों को सेना की निगरानी में रखना शामिल हैं। सड़क खोलने वाले दलों को दैनिक आधार पर तैनात किया जाता है और तुरंत सहायता प्रदान करने वाले दलों, बम निष्क्रिय करने वाले दलों और यातायात क्रेनों की व्यवस्था की जाती है। आपात स्थिति आने पर तैनात किये गये विभिन्न बलों को आपदा प्रबंधन और चिकित्सा प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पुलिस स्टेशनों से ली गई प्रांतीय पुलिस को तीर्थ यात्रा की अवधि के दौरान अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मदरसों में तकनीकी शिक्षा

2577. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सच्चर समिति की सिफारिश के अनुसरण में देश के मदरसों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) मदरसों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के भवन के निर्माण पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) देश में राज्य-वार कुल कितने मदरसे खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) 9वीं योजना से कार्यान्वित की जा रही मदरसा आधुनिकीकरण की पूर्ववर्ती स्कीम को 11वीं योजना में ''मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की स्कीम'' के रूप में पुन: तैयार किया गया है जिसके तहत 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु स्वेच्छा से अपनी सेवा दे रहे मदरसे राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) से संबंध स्थापित कर सकते हैं।

11वीं योजना अवधि में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की स्कीम के तहत 325 करोड़ रुपये का परिव्यय अभिनिर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उत्पादन और बिक्री

2578. श्री के.एस. राव: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए उत्पादों का कितना उत्पादन और बिक्री हुई;

(ख) विस्तार में बाधा उत्पन्न करने वाली पहचान की गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है और भारत तथा दूसरे देशों में लघु और मध्यम उद्यमों के कौन-कौन से उत्पादों की एक बड़े हिस्से के रूप में बिक्री हो रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए उत्पादों की बेहतर डिजाइनिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान घरेलू और निर्यात बाजार के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा किये गये उत्पादन और निर्यात का अनुमानित मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

मानदण्ड/वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन (करोड़ रु.)	429796	497842	585112
किये गये निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु.)	124417	150242	199822 (अ.)

अ: अनंतिम

एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के संबंध में सूचना का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है। चूंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ, के तहत मध्यम उद्यमों को पहली बार परिभाषित किया गया था, अत: मध्यम उद्यमों में उत्पादन, बिक्री और निर्यात के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) एमएसएमई को अपनी वृद्धि में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं समयबद्ध एवं पर्याप्त क्रेडिट की उपलब्धता, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना संबंधी अवरोध, विपणन संबंधी बाधाओं आदि की कमी से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) एमएसएमई मंत्रालय के कार्यक्रम/योजनाएं और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता कुल विनिर्माण आउटपुट और निर्यातों में उनके भाग तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए तैयार की गई हैं। इनमें से एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए हाल ही में की गई निम्न पहल उल्लेखनीय है:

(1) पांच वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र के क्रेडिट प्रवाह को दुगुना करने के उद्देश्य से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पैकेज;

(2) एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन;

(3) एमएसई क्षेत्र के सम्पूर्ण एवं समन्वित विकास के लिए क्लस्टर आधारित एप्रोच को प्राथमिकता प्रदान करना;

(4) एमएसएमई क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, विपणन एवं कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) की शुरुआत करना;

(5) आईएसओ: 9000/14001 (अथवा इसके बराबर) प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अधिकतम 75,000 रु. तक लागत के 75 प्रतिशत तक प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत, एमएसएमई इकाइयों को प्रदान की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता में निम्नलिखित शामिल है:

(क) वैयक्तिक निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए आने जाने के हवाई किराए की लागत के 90 प्रतिशत मात्रा तक प्रतिपूर्ति;

(ख) विदेशी प्रचार सामग्री के उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता, जो एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रु. तक सीमित है;

(ग) विशिष्ट बाजार अध्ययन आरंभ करने के लिए 2 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता तथा एमएसई संघों को पाटन-रोधी मुकदमे शुरू करने/लड़ने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1 लाख रु. जो भी कम हो, तक सीमित सहायता;

(घ) बार-कोड पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एमएसई इकाइयों द्वारा भुगतान किये गये एक-बारगी पंजीकरण के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का विकास

2579. श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री कीरेन रिजीजू:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाए जाने के कारण देश में उद्योगों, विशेष रूप से लघु उद्यमियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की विकास दर भी प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लघु उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसई) को अन्य बातों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋणों पर ब्याज की उच्च दरों संबंधी समस्याओं को दर्शाने वाले अभ्यावेदन अनेक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संघों से प्राप्त हो रहे हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वास्तविक अर्थों में सकल घरेलू उत्पाद में 2008-09 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में 7.6 प्रतिशत की विकास दर और 2008-09 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितम्बर) में 7.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई है।

(घ) सरकार ने 7 दिसम्बर, 2008 को एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग देने संबंधी विशिष्ट उपायों की घोषणा की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) 50 प्रतिशत के गारंटी कवर सहित 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर का विस्तार तथा योजना के तहत शामिल ऋणों हेतु लाक-इन अवधि को 24 महीने से घटाकर 18 महीने करना; (2) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श देना तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुरोध करना कि वे एमएसएमई के बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे; (3) सभी उत्पादों (पेट्रोलियम तथा उन्हें छोड़कर जहां मौजूदा दर 4 प्रतिशत से कम है) पर मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकाया भाग के लिए यथामूल्य सेनवेट दर में 4 प्रतिशत की कटौती; और (4) 31 मार्च 2009 तक लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) सेक्टर के लिए प्री एवं पोस्ट शिपमेंट, निर्यात क्रेडिट में 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान शामिल है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई को क्रेडिट देना सरल बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) हेतु 7000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है।

[अनुवाद]

शिक्षा उपकर

2580. श्री के. सुब्बारायण:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा संग्रहीत शिक्षा उपकर राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संग्रहीत धनराशि में से प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ग) राज्यों को इस धनराशि के संवितरण हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को शिक्षा उपकर में से कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई तथा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 के लिए योजना-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या राज्य को उसका हिस्सा दे दिया गया था ताकि केन्द्रीय सहायता का पूर्णत: उपयोग किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान (अगस्त, 2008 तक) शिक्षा उपकर के खाते में संग्रहीत राशि प्रत्यक्ष करों से 393.06 करोड़ रु. और अप्रत्यक्ष करों से 2436.55 करोड़ रु. है। शिक्षा उपकर के संग्रह के संबंध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा उपकर बंटवारे योग्यकरों के विभाज्य पूल की निवल प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक अव्यपगत निधियों में जमा 2% शिक्षा उपकर की प्राप्तियों का उपयोग अनन्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिये किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना पर प्रारंभिक शिक्षा कोष से व्यय सकल बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त निधियों का पूरा उपयोग कर लेने के बाद किया जाता है। शिक्षा उपकर के माध्यम से संग्रहीत राशि में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा कोष के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना की योजनागत पद्धति और बजटीय आवंटन के अनुसार जारी की जाती है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित बीज

2581. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू उत्पादनों में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों हेतु बीजों को आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी देश-वार, फसल-वार, मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आयातित बीजों की गुणवत्ता का अनुवीक्षण करने हेतु कोई प्रणाली तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुवीक्षण एजेंसी ने आयातित बीजों को घटिया किस्म का पाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। आयातित बीजों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग में एक तंत्र उपलब्ध है।

(घ) बीजों का आयात नई बीज विकास नीति, 1988 के साथ पठित एक्जिम नीति के अंतर्गत शासित होता है। सभी आयात

पौध संगरोध (विनियमन एवं भारत में आयात) आदेश, 2003 और उसमें किये गये संशोधन के अधीन होते हैं। प्रारम्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों के अंतर्गत बहु-स्थानी जांच हेतु आयातक द्वारा इन हाउस परीक्षण हेतु अल्प मात्रा में बीज के आयात की अनुमति दी जाती है। आईसीएआर के बहु-स्थानी परीक्षणों में नई किस्म की एक फसल मौसम हेतु परीक्षण किया जाता है। परीक्षणों के परिणामों और मूल्यांकन के बारे में फसल मौसम की समाप्ति के तीन माह के भीतर कृषि एवं सहकारिता विभाग को सूचित किया जाता है। इन बहु-स्थानी परीक्षणों में यदि किस्म का निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तो आयातक उक्त नई किस्म के बीजों का बल्क आयात कर सकता है। आईसीएआर के परीक्षणों में संतोषजनक निष्पादन करने वाली किसी नई किस्म के बीज का बल्क आयात केवल दो वर्ष की अवधि तक ही करने की अनुमति है। इस अवधि के भीतर आयातक को मूल लाइनों के अंतरण या ब्रीडर सीड और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के जरिये भारत में उक्त बीज के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बल्क आयात की अनुमति दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दी जाती है।

(ङ) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन

2582. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के संबंध में केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के संबंध में केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन करने के विषय पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विशेष आर्थिक जोन के संबंध में केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन करने के विषय पर विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधेयक/अध्यादेश की स्थिति
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश श्रम कानून (संशोधन) विधेयक, 2003 की जांच, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके की गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के साथ पठित अनुच्छेद 201 के परंतुक के तहत माननीय राष्ट्रपति के दिनांक 16.1.2008 के संदेश के साथ इसे लौटा दिया गया है जिसमें राज्य विधान सभा को इस पर पुन: विचार किये जाने का निदेश दिया गया है।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र विशेष आर्थिक जोन और पदनामित क्षेत्र विधेयक, 2006 को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की सूचना, राज्य सरकार को दिनांक 25.4.2008 को दे दी गई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विशेष आर्थिक जोन और पदनामित क्षेत्र अध्यादेश, 2008 के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति के अनुदेशों का अनुरोध किया है। अध्यादेश पर पर्यावरण और वन, विद्युत सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शहरी विकास मंत्रालय और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की कतिपय टिप्पणियों पर राज्य सरकार का स्पष्टीकरण मांगा गया है।
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005 पर श्रम और रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों की कतिपय टिप्पणियों पर राज्य सरकार का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

[अनुवाद]

विस्फोटकों का दुरुपयोग

2583. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मद्देनजर विस्फोटकों से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए लगभग एक वर्ष पहले एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने उनकी आपूर्ति करने और लाने ले जाने के लिए लाइसेंसों को जारी करने की मौजूदा प्रणाली की जांच करने, उनकी समुचित मानीटरिंग करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने, उनके निर्माण, उनकी आपूर्ति पारागमन मार्ग तथा अन्ततः उनके प्रयोग की उपयोगिता सहित हर स्तर की उपयुक्त विश्वसनीयतायुक्त एक प्रभावी तंत्र का सुझाव देने के लिए एक दल का गठन किया है, ताकि इन सामग्रियों को अवांछित हाथों में पड़ने से रोका जा सके। ऐसी उम्मीद है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

[हिन्दी]

मैट्रिक पूर्व/मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियां

2584. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मैट्रिक पूर्व/मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों से संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों द्वारा छात्रवृत्तियों हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी छात्रवृत्ति राशि जारी की गई तथा छात्रों को संवितरित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) वर्ष 2008-2009 से "राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता छात्रवृत्ति" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत कक्षा-9 से 12 में अध्ययन कर रहे छात्रों हेतु 500 रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। किसी कार्पस पर अर्जित ब्याज का उपयोग छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु किया जाएगा। छात्रवृत्तियों की संख्या के आवंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई राशि संवितरित नहीं की गई है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसके द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के नाम, शामिल बच्चों की संख्या तथा उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) एकल बालिका संतान हेतु +2 स्तर तक के लिए सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

वर्ष	शामिल छात्रों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
2006-07	1478	88.68
2007-08	1001	60.06

(2) एक बालिका संतान हेतु अवर स्नातक अध्ययन के लिए सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

वर्ष	शामिल छात्रों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
2007-08	124	7.44

(3) अबर स्नातक अध्ययन हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

वर्ष	शामिल छात्रों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
2005-06	390	23.40
2006-07	486	29.16

(4) व्यावसायिक अध्ययन हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

वर्ष	शामिल छात्रों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
2005-06	454	54.48
2006-07	499	59.88
2007-08	421	50.52

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु दिल्ली/अखिल भारतीय माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के संबंध में सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

वर्ष	शामिल छात्रों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
2007-08	47	2.13

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज' स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर स्तर हेतु शामिल बच्चों तथा उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कक्षा		उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
	8वीं	10वीं	
2005-06	शून्य	1000	100.80
2006-07	शून्य	1000	324.79
2007-08	1000*	1000	284.70

*वर्ष 2007-08 से शुरू किया गया।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7008
2.	अरुणाचल प्रदेश	122
3.	असम	2411
4.	बिहार	5433
5.	छत्तीसगढ़	2246
6.	गोवा	144
7.	गुजरात	5097
8.	हरियाणा	2337
9.	हिमाचल प्रदेश	832
10.	जम्मू-कश्मीर	1091
11.	झारखंड	1959
12.	कर्नाटक	5534
13.	केरल	3473
14.	मध्य प्रदेश	6446
15.	महाराष्ट्र	11682
16.	मणिपुर	255
17.	मेघालय	231
18.	मिजोरम	103
19.	नागालैंड	180
20.	उड़ीसा	3314
21.	पंजाब	2210
22.	राजस्थान	5471

1	2	3
23.	सिक्किम	58
24.	तमिलनाडु	6695
25.	त्रिपुरा	351
26.	उत्तर प्रदेश	15143
27.	उत्तराखंड	1048
28.	पश्चिम बंगाल	7250
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42
30.	चंडीगढ़	85
31.	दादरा और नगर हवेली	22
32.	दमन और दीव	16
33.	दिल्ली	1576
34.	लक्षद्वीप	10
35.	पुडुचेरी	125
	कुल	100000

फर्जी शैक्षिक संस्थान

2585. श्री गणेश सिंह:
श्री पंकज चौधरी:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फर्जी विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को फर्जी मार्कशीटों तथा डिग्रियों के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो देश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों, कालेजों आदि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सजा देने की कार्यवाही सहित ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों आदि के और विस्तार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समन्वय तथा उसके मानकों के अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। आयोग ने ऐसे 21 जाली विश्वविद्यालयों/शिक्षा संस्थाओं की पहचान की है। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(घ) ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की जाने वाली जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची में शामिल कर लिये गये हैं तथा इसे विद्यार्थियों एवं आम जनता की सूचना हेतु इसे अधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के दृष्टिकोण से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करता है तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को ऐसी जाली संस्थाओं में दाखिला न लेने के लिए सतर्क भी करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के मुख्यमंत्रियों से 6 जून, 2008 को यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्य एवं जिला स्तर के कानून एवं व्यवस्था संबंधी तंत्र को यह निर्देश जारी करे कि वे जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करे। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सोसायटियों के रजिस्ट्रारों को इस संबंध में उचित निर्देश जारी करे कि जब भी उन्हें यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय या विद्यापीठ या डिग्री प्रदान करने के उद्देश्यार्थ अन्य किसी स्थानीय शीर्षक के तहत सोसायटियों के पंजीकरण हेतु कोई आवेदन किया जाता है, तो उन्हें इसके बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करना चाहिए। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दिनांक 17 जून, 2008 को एक सार्वजनिक अपील जारी की गई थी जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में दाखिला लेने से पहले विद्यार्थियों को ऐसी संस्थाओं के बारे में पूरी तरह संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि उनके द्वारा प्रदान किये जा रहे पाठ्यक्रम प्रासंगिक कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है तथा इनकी गुणवत्ता के लिए ये संस्थाएं विख्यात हैं और किसी प्रकार शंका होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इन सांविधिक निकायों को भी यह निर्देश दिया गया है कि ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी रूप से अभियान चलाया जाए जो जाली हैं तथा कानून के तहत उनके

विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए। मीडिया से भी भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन न करने की अपील की गई है, चाहे इससे विज्ञापन राजस्व की हानि ही क्यों न हो।

विवरण

राज्य-वार जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची

बिहार

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

2. वरनासेया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), जगतपुरी, दिल्ली
3. कमर्शियल विश्वविद्यालय लि. दरियागंज, दिल्ली
4. यूनाइटेड नेशंस विश्वविद्यालय, दिल्ली
5. वोकेशनल विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, 8 जे, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली-110008

कर्नाटक

7. बदागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

केरल

8. सेंट जॉन विश्वविद्यालय, किशनत्तम, केरल

मध्य प्रदेश

9. केशरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.)

महाराष्ट्र

10. राजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर

तमिलनाडु

11. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

12. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला महाविद्यालय), प्रयाग, इलाहाबाद, उ.प्र.
13. भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (उ.प्र.)
14. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उ.प्र.)
15. राष्ट्रीय इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमियोपैथी विश्वविद्यालय, कानपुर
16. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ (उ.प्र.)
17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा (उ.प्र.)
18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ.प्र.)
19. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, उ.प्र.
20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा, मानकपुर, नोएडा फेज-2, (उ.प्र.)
21. भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरी संस्थान, नई दिल्ली

नोट: भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ की मान्यता और इसके द्वारा प्रदान की गई बी.एड./एम.एड. जैसी डिग्रियों की मान्यता का मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सिलेबस/पाठ्यक्रमों को मान्यता

2586. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों को विभिन्न होटल प्रबंधन संस्थानों द्वारा पढ़ाए जा रहे विभिन्न सिलेबस/पाठ्यक्रमों को मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक मानित विभिन्न होटल प्रबंधन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी

में 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम और 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम को अनुमोदन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रदान करती है। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नॉलोजी की सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर मॉडल पाठ्यक्रम निर्धारित किया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन समिति

2587. श्री रामकृपाल यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा प्रबंधन समिति बिहार राज्य में हाल की तबाह करने वाली तथा अप्रत्याशित बाढ़ के दौरान तत्काल आवश्यकता की स्थिति से निपटने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की आपदा प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करके उसे ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूर्णत: तैयार करने हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन समिति को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) सरकार ने आपदाओं पर प्रभावी अनुक्रिया करने तथा सभी स्तरों पर उनके प्रशमन, निवारण और तैयारी उपायों का प्रावधान करने के लिए एक आपदा प्रंबधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। इस आपदा प्रंबधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां एवं दिशा-निर्देश बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। राज्य एवं जिला स्तरों पर भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडीएमके को आवंटित कुल बजट निम्नलिखित है:

2005-06	46.93 करोड़ रु.
2006-07	48.85 करोड़ रु.
2007-08	94.312 करोड़ रु.
2008-09	71.59 करोड़ रु.

आपदा आने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार अपेक्षित संभारतंत्रीय एवं वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। आपदा के दौरान विशेषज्ञ अनुक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल बनाया गया है। एनडीआरएफ का आम पर्यवेक्षण और नियंत्रण एनडीएमए के पास है। बिहार में आई भयानक बाढ़ के दौरान एनडीएमए ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई तथा गृह मंत्रालय ने इंजीनियरिंग कृतिक बल युक्त 37 सैन्य कालम, 37 चिकित्सा टीमें, सेना की 775 नावें/बीएयूटीएस, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, नेवी 855 एन डीआरएफ कार्मिक, लगभग 11000 तम्बू तथा 10 सेटेलाइट फोन देकर भारत सरकार के प्रयासों का समन्वय किया।

भारत सरकार ने तत्काल राहत उपाय करने के लिए बिहार को वर्ष 2008-09 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की 121.86 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने के अतिरिक्त 29 अगस्त, 2008 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपये की तदर्थ राशि भी जारी की है।

सरकारी क्षेत्र द्वारा दोहन हेतु आरक्षित क्षेत्र की समीक्षा

2588. श्री नरहरि महतो: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज परामर्शदात्री परिषद (एमएसी) ने राज्य सरकारों को सरकारी क्षेत्र द्वारा दोहन हेतु आरक्षित क्षेत्रों की समीक्षा करने तथा निजी क्षेत्र द्वारा संभावित दोहन हेतु अधिशेष क्षेत्रों को अधिसूचना से निकालने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ खनन हेतु पट्टे पर दिया गया 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का राज्य सरकारों द्वारा तात्कालिक आधार पर समीक्षा की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो एमएसी द्वारा लिये गये अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खनिज सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि बहुत बड़े क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों को भविष्य के उपयोग हेतु निष्क्रिय रख कर, अनुत्पादक रखने अथवा खनन पट्टे के अंतर्गत धारित क्षेत्रों का खनन से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से ऐसे खनन क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि क्षेत्रों को निष्क्रिय रखा गया/गैर खनन प्रयोग में लाया गया पाया जाता हो तो ऐसे अधिशेष खनन पट्टा क्षेत्रों को शीघ्रता से वापस करवाया जाए।

[हिन्दी]

नामांकन तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

2589. श्री हेमलाल मुर्मू:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुस्लिम बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ी है जैसाकि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्राथमिक स्तर पर नामांकन कराने वाली मुस्लिम बालिकाओं की संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा मुस्लिम समुदाय के छात्रों की राज्यवार नामांकन तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर कितनी है;

(ङ) उक्त नामांकन तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर के संबंध में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी/कमी देखी गई है; और

(च) सरकार द्वारा नामांकन दर को बढ़ाने तथा बीच में पढ़ाई छाड़ने वालों की दर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस प्रयोजन हेतु कितना आवंटन किया गया/निर्धारित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट 2006-07 में अनंतिम रूप से अनुमान लगाया है कि कुल नामांकन की प्रतिशतता के पैमाने पर मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर 9.39 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.52 प्रतिशत है। अनंतिम आंकड़े के अनुसार मुस्लिम लड़कियों के कुल नामांकन की प्रतिशतता के पैमाने पर लड़कियों के दाखिले प्राथमिक स्तर पर 48.65 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 49.33 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) अनंतिम आंकड़े से पता चलता है कि वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च माध्यम शिक्षा स्तर पर नामांकन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कुल हिस्सेदारी क्रमश: 78.50 प्रतिशत तथा 84.55 प्रतिशत थी। नामांकन में अन्य पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर क्रमश: 41.72 प्रतिशत तथा 42.18 प्रतिशत थी। चूंकि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है अत: इसमें माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) मुस्लिम तथा अनु.जा./अनु.ज.जा. विद्यार्थियों की नामांकन दर में वृद्धि करने तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की गई हैं:

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों हेतु 'राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता योजना जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.50 लाख रु. से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 6000 रु. प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक वर्ष 100000 (एक लाख) छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी बालिकाओं जो अनु.जा./अनु.ज.जा. समुदाय की हैं तथा जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, के लिए 'माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना' संचालित की जाती है।
3. अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना चलायी जाती है। वर्ष 2008-09

के दौरान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 4 लाख मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई और 71194 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर 21.69 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई।

[अनुवाद]

उत्कृष्टता महाविद्यालयों की स्थापना

2590. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को देश के सभी जिलों में उत्कृष्ट महाधिद्यालय स्थापित करने के लिए बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु स्थान-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या ऐसे महाविद्यालय बनाने के लिए केन्द्र द्वारा पूंजी लागत का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल नामांकन अनुपात में पांच प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि करने के लिए सरकार ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों को अभिनिर्धारित किया है जिनकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एक नये कॉलेज को स्थापित करने की अनुमानित लागत 8.00 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के तहत पूंजीगत लागत की एक-तिहाई सीमा तक (अथवा 2.67 करोड़ रुपये) केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते दो-तिहाई पूंजीगत लागत राज्य अपनी ओर से अथवा सार्वजनिक प्राइवेट सहभागिता पद्धति से वहन करे। संबंधित राज्य से यह अपेक्षा भी होगी कि वह इन कॉलेजों के लिए नि:शुल्क जमीन और आवर्ती लागत वहन करे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्यार्थ 782 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

विवरण

उत्कृष्ट कालेजों की स्थापना

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**
   - अंडमान
   - निकोबार
2. **आंध्र प्रदेश**
   - आदिलाबाद
   - अनन्तपुर
   - पूर्वी गोदावरी
   - कुरनूल
   - महबूब नगर
   - मेडक
   - निजामाबाद
   - प्रकाशम
   - श्रीकाकुलम
   - विजयनगरम
   - पश्चिमी गोदावरी
3. **अरुणाचल प्रदेश**
   - चांगलांग
   - दीवेंगवेली
   - पूर्वी कामेंग
   - लोहित
   - लोअर सुबनसिरी
   - तवांग
   - तीराप
   - अपर सियोंग
   - अपर सुबनसिरी
   - पश्चिम कामेंग
   - पश्चिम सियांग

4. असम

बोंगाईगांव

कछार

दारांग

धुबरी

गोलपाड़ा

हैलाकांडी

कार्बी अंगलूंग

करीमगंज

मारीगांव

नौगांव

सोनितपुर

तिनसुखिया

5. बिहार

अररिया

औरंगाबाद

बंका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर (भबुआ)

कटिहार

खगरिया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

नवाडा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

श्योहर

सीतामढ़ी

सीवान

सुपौल

वैशाली

6. छत्तीसगढ़

बस्तर

बिलासपुर

दांतेवाड़ा

धामतरी

दुर्ग

जांजगीर-चम्पा

जसपुर

कानकेर

कावर्धा

कोरिया

महासमुंद

रायगढ़

रायपुर

राजनंदगांव

सरगूजा

7. दादरा और नगर हवेली

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन और दीव**

दमन

दीव

9. **गुजरात**

अमरेली

बनासकांठा

भरौच

भावनगर

दाहोद

जामनगर

जूनागढ़

कच्छ

खेड़ा

मेहसाना

नर्मदा

पंचमहल

पाटन

पोरबन्दर

राजकोट

साबरकांठा

सूरत

सुरेन्द्रनगर

दाडांग

वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहबाद

गुड़गांव

जींद

कैथल

करनाल

पानीपत

सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा

थकन्नौर (पू.)

लाहौल-स्पीति

सिरमौर

12. **जम्मू-कश्मीर**

अनन्तनाग

बडगाम

बारामूला

डोडा

कारगिल

कथुआ

कुपवाड़ा

लेह (लद्दाख)

पुंछ

राजौरी

ऊधमपुर

13. **झारखण्ड**

छतरा

देवघर

दुमका

गरहवा

गिरीडिह

गोड्डा

गुमला

कोडरमा

पाकुर

पलामू

पश्चिमी सिंहभूम

साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बागलकोट

बंगलौर ग्रामीण

बेलगाम

बेल्लारी

बीजापुर

चामराजनगर

चिकमंगलूर

चित्रदुर्ग

दक्षिण कन्नड

गडग

गुलबर्गा

हसन

हवेरी

कोडागु

कोलार

कोप्पल

मंड्या

रायचूर

तुमकुर

उदुपी (उडुपी)

उत्तर कन्नड

15. **केरल**

कासरगोड

मालापुरम

पलाक्कड

वेनाड

16. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप

17. **मध्य प्रदेश**

बालाघाट

बरवानी

बेतुल

भिंड

छतरपुर

छिंदवाड़ा

दमोह

दतिया

देवास

धार

डिंडोरी

ईस्ट नीमर

गुना

हरदा

झाबुआ

कटनी

मांडला

मंदसौर

मोरेना

नरसिंहपुर

नीमच

पन्ना

रायसेन

रायगढ़

रतलाम

सागर

सतना

सिहोर

सिओनी

शहडोल

शाजापुर

शिओपुर

शिवपुरी

सिधी

टीकमगढ़

उज्जैन

उमरिया

विदिशा

वेस्ट नीमर

18. **महाराष्ट्र**

बुलढाणा

गढ़चिरौली

हिंगोली

जालना

रायगढ़

रत्नागिरी

सिंधुदुर्ग

19. **मेघालय**

ईस्ट गारो हिल्स

जैनतिया हिल्स

रीभोई

साउथ गारो हिल्स

वेस्ट खासी हिल्स

20. **मिजोरम**

चम्फाई

कोलासिब

लांगतलाई

लंगलई

मामित

सेहा

सरचिप

21. **नागालैण्ड**

मोन

22. **उड़ीसा**

अंगुल

बोलांगीर

बारगढ़

बौद्ध

देवगढ़

ढेंकानाल

गजपति

गंजम

कालाहांडी

कंधामल

केन्दुझर

कोरापुट

मल्कानगिरी

नवरंगपुर

नयागढ़

नौपाडा

रायगढ़

सोनपुर

23. **पुडुचेरी**

यनम

24. **पंजाब**

अमृतसर

भटिंडा

फरीदकोट

फतेहगढ़ साहिब

फिरोजपुर

गुरुदासपुर

कपूरथला

मंसा

मोगा

मुक्तसर

नवांशहर

पटियाला

संगरूर

25. **राजस्थान**

अजमेर

अलवर

बांसवाड़ा

बारन

बाड़मेर

भरतपुर

भीलवाड़ा

बीकानेर

बूंदी

चित्तौड़गढ़

चुरू

डोसा

धौलपुर

डुंगरपुर

गंगानगर

हनुमानगढ़

जैसलमेर

जालोर

झालावर

झुनझुनु

जोधपुर

करौली

नागौर

पाली

राजसामन्द

सवाई माधोपुर

सिकर

सिरोही

टोंक

उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व

उत्तर

दक्षिण

पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर

कोयम्बटूर

कुडालूर

धर्मपुरी

डिण्डीगुल

इरोड

कांचीपुरम

कन्याकुमारी

करूर

मदुरै

नागापट्टीनम

पैरमबल्लूर

पुडुकोट्टई

रामानाथपुरम

स्लेम

शिवगंगा

तंजावुर

दा नीलगिरीस

थणी

तिरूवल्लूर

त्रिवरूर

थूथुकुकड़ी

तिरूनेलवेली

तिरूनन्नमलई

वेलोर

वेलुपुरम

विरुधुनगर

28. **त्रिपुरा**

धलाड़

उत्तर त्रिपुरा

दक्षिण त्रिपुरा

पश्चिम त्रिपुरा

29. **उत्तर प्रदेश**

बहराइच

बलरामपुर

बांदा

बाराबंकी

बरेली

बस्ती

बिजनौर

बदायूं

बुलन्दशहर

चित्रकूट

ठटा

फर्रुखाबाद

फतेहपुर

गोंडा

हमीरपुर

हरदोई

हाथरस

ज्योतिबा फुले नगर

कन्नौज

कानपुर देहात

कौशाम्बी

खीरी

कुशीनगर

ललीतपुर

महाराजगंज

महोबा

मथुरा

मुरादाबाद

मुजफ्फरनगर

पीलीभीत

रायबरेली

रामपुर

सहारनपुर

संत कबीर नगर

शाहजहांपुर

श्रावस्ती

सिद्धार्थ नगर

सीतापुर

सोनभद्र

सुल्तानपुर

उन्नाव

30. उत्तरांचल

बागेश्वर

चम्पावत

31. पश्चिम बंगाल

बांकुरा

बर्धमान

बीरभूम

दक्षिण दिनाजपुर

दार्जिलिंग

हावड़ा

हुगली

जलपाइगुड़ी

कोच बिहार

मालदा

मिदनापुर

मुर्शीदाबाद

नाडिया

उत्तरी 24 परगना

पुरूलिया

दक्षिण 24 परगना

उत्तर दिनाजपुर

कुल जिले - 374

असम और तेजपुर विश्वविद्यालय में नए विभागों का सृजन

2591. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं योजना के दौरान असम और तेजपुर विश्वविद्यालय द्वारा कितने नए विषयों तथा विभागों को शुरू किये जाने की संभावना है;

(ख) इन विभागों द्वारा अपना कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है तथा इन दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा 11वीं योजना के दौरान अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के कितने नए पदों का सृजन किया जाना है; और

(ग) इन दोनों विश्वविद्यालयों में इन नए विभागों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जबकि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान असम तथा तेजपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 11वीं योजना की विजिटिंग समितियों द्वारा की गई सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ किये गये विचार-विमर्शों के आधार पर नए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम शुरू करने और नए विभागों/केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल ही में 5 दिसम्बर, 2008 को इन विश्वविद्यालयों को 11वीं योजना के लिए अनंतिम आवंटन प्रदान किया है। सामान्य विकास अनुदान के लिए असम विश्वविद्यालय तथा तेजपुर विश्वविद्यालय को क्रमश: 70 करोड़ रुपये तथा 92.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि वे विजिटिंग समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उक्त आबंटन में से अपनी प्राथमिकताओं की पुन: जांच 15 दिन के भीतर कर लें ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर सके। अत: इस समय इन दोनों विश्वविद्यालयों में 11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू किये जाने वाले संभावित विषयों तथा विभागों का कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है।

कागज उद्योग को बढ़ावा

2592. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कागज उद्योग को बढ़ावा एवं संरक्षण देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह उद्योग कच्चे माल की अनुपलब्धता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं तथा इसमें क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) भारतीय कागज उद्योग अच्छी गुणवत्ता वाले सेल्यूलोसिक कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है। अधिकांश कागज मिलें पुरानी तथा अविकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही हैं। कागज उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो उपाय किये जा रहे हैं, उनमें कर ढांचे का युक्तिकरण, कागज उद्योग को लाइसेंसमुक्त तथा नियंत्रणमुक्त करना तथा स्वत: मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. सम्मिलित हैं। सरकार कागज उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए योजना आयोग से सिद्धांतत: अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है।

कुटीर उद्योगों हेतु धनराशि

2593. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कुटीर उद्योगों के विकास हेतु आवंटित/जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवंटित/जारी धनराशि का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) देश में कुटीर उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) संघ सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) कुटीर उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे कोई निधियां नहीं देती है। यह ऐसे कार्यकलापों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को निधियां प्रदान करती है और केवीआईसी उसे आवश्यकतानुसार अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यालयों को संवितरित करता है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (नवम्बर 2008 तक) के दौरान सरकार द्वारा केवीआईसी को प्रदान की गई निधियां निम्नवत हैं:

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रु.)
2005-06	558.56
2006-07	589.82
2007-08	622.99
2008-09*	503.49

*नवम्बर 2008 तक

विगत तीन वर्षों के दौरान कुटीर उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए केवीआईसी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने कार्यालयों को संवितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) 2007-08 के दौरान देश में अनुमानित उत्पादन, बिक्री और रोजगार के संबंध में कुटीर उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थिति निम्नलिखित है:

	खादी	ग्रामोद्योग	कुल केवीआई
उत्पादन (मूल्य: करोड़ रु.)	534.39	16134.32	16677.71
बिक्री (मूल्य: करोड़ रु.)	724.39	20819.09	21543.48
रोजगार (लाख व्यक्ति)	9.16	90.11	99.27

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केवीआईसी को उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यालयों द्वारा संवितरित निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	2.95	1.38	1.39
2.	दिल्ली	588.24	702.07	834.72
3.	हरियाणा	1680.2	2144.92	2705.82
4.	हिमाचल प्रदेश	964.56	1415.32	1733.78
5.	जम्मू-कश्मीर	847.08	1185.91	1361.92
6.	पंजाब	2093.06	2234.08	2700.39
7.	राजस्थान	4007.68	4341.8	4837.71
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	149.78	100.25	4.27
9.	बिहार	895.56	1136.38	1514.86
10.	झारखंड	832.33	1050.83	518.42
11.	उड़ीसा	1023.41	1078	1213.26
12.	पश्चिम बंगाल	2482.68	2857.95	5161.02
13.	अरुणाचल प्रदेश	184	168.36	329.87
14.	असम	3011.62	2376.84	3395.15
15.	मणिपुर	291.76	243.66	443.08
16.	मेघालय	423.88	371.9	494.14
17.	मिजोरम	1144.46	1168.46	868.81
18.	नागालैंड	254.75	258.96	521.89
19.	त्रिपुरा	169.4	151.84	285.51
20.	सिक्किम	306.03	272.32	680.51
21.	आंध्र प्रदेश	4291.64	4224.93	5348.91
22.	कर्नाटक	2837.91	3425.31	2424.93
23.	केरल	2022.46	2544.61	2854.19

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	3291.71	1822.99	3965.19
25.	पांडिचेरी	5.61	1372.47	0.00
26.	लक्षद्वीप	0.00	8.66	0.47
27.	गोवा	185.28	375.65	138.85
28.	गुजरात	1666.84	1500.49	2650.96
29.	महाराष्ट्र	2727.31	2419.84	2881.88
30.	छत्तीसगढ़	1233.69	1225.16	1904.62
31.	मध्य प्रदेश	1637.27	1455.13	2458.53
32.	उत्तरांचल	1080.87	1092.18	1095.10
33.	उत्तर प्रदेश	7236.98	8141.43	5904.43
34.	विभागीय	5467.55	5813.02	3131.73
	सकल योग	55038.55	58683.1	64366.36

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

2594. **श्री रनेन बर्मन:**
श्री पन्नियन रविन्द्रन:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में भारत से निर्यातित तथा पकिस्तान से आयातित वस्तुओं का वस्तु-वार, मूल्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारत-पाकिस्तान संयुक्त समूह गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नियंत्रण रेखा के पार द्विपक्षीय व्यापार हेतु पाकिस्तान के साथ कोई समझौता किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा व्यापार के लिए प्रस्तावित वस्तुएं कौन-कौन सी हैं और इसके लिए किस रूट का प्रयोग किया जाना है;

(च) क्या सरकार को देश में पाकिस्तान के साथ व्यापार हेतु विभिन्न बिन्दुओं/रूटों पर अवसंरचना/सुविधाओं की अपर्याप्तता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अवसंरचना/सुविधाओं के प्रावधान के मद्देनजर क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2005-06 और उससे आगे के वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(मिलियन अम. डा. में)

वर्ष	पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात	कुल व्यापार
2005-06	689	180	869
2006-07	1349	323	1672
2007-08	1944	288	2232
2008-09 (अप्रैल-जुलाई)	614	124	738

स्रोत: एनआईसी डीओसी के जरिये डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता।

वर्ष 2007-08 तक पिछले तीन वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार का मद-वार ब्यौरा वेबसाइट http://commerce.nic.in पर निर्यात आयात डाटा बैंक शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है। उपलब्ध अनंतिम सूचना के अनुसार अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच निर्यात एवं आयात के शीर्ष दस मदें निम्नानुसार रही हैं:

अप्रैल-जुलाई 2008 (2008-09) के दौरान भारत से पाकिस्तान को निर्यात की शीर्ष दस मदें

क्र.सं.	वस्तु	मूल्य अम. मि.डॉ. में
1.	रंजक/मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन	153.48
2.	पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद)	65.39
3.	अपशिष्ट सहित अपरिष्कृत कपास	54.40
4.	तेल खाद्य	39.11
5.	मसाले	33.29
6.	मानवनिर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	30.59
7.	औषधि, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	28.06
8.	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	27.12
9.	अन्य अनाज	26.24
10.	फुटवियर को छोड़कर रबड़ विनिर्मित उत्पाद	15.44

अप्रैल-जुलाई, 2008 (2008-2009) के दौरान पाकिस्तान से भारत में हुए आयात की शीर्ष दस मदें

क्र.सं.	वस्तु	मूल्य अम. मि.डॉ. में
1	2	3
1.	पेट्रोलियम, अपरिष्कृत एवं उत्पाद	48.87
2.	सीमेंट	30.66
3.	कॉटन यार्न एवं फैब्रिक	13.95
4.	चर्म	5.40
5.	काजू गिरी को छोड़कर फल एवं मेवे	5.17
6.	चर्म वस्तुएं	4.25
7.	अलौह धातुएं	2.33
8.	ऊन, अपरिष्कृत	2.13
9.	कार्बनिक रसायन	2.07
10.	धात्विक अयस्क एवं धातु स्क्रैप	1.97

स्रोत: एनआईसी डीओसी के जरिये डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता।

(ख) और (ग) वर्ष 2005 में गठित वाणिज्य सचिव स्तरीय भारत-पाकिस्तान संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) की अब तक तीन बैठकें हुई हैं। नई दिल्ली में दिनांक 2 अगस्त, 2007 को हुई तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क सहयोग, मानक, प्रमाणन प्रणाली आदि जैसे मुद्दों का समाधान करके वस्तु व्यापार को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ) पाकिस्तान के साथ विश्वास बहाली के उपाय के रूप में 21 अक्तूबर, 2008 से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर सीमा पार व्यापार शुरू किया गया। शुल्क मुक्त आवागमन हेतु 21 मदों को व्यापार हेतु अभिज्ञात किया गया है। सलामाबाद से चकोटी और चकंदाबाद से रावलकोट को व्यापार की जाने वाली मदें हैं—कालीन, दरियां, वॉल हैंगिंग्स, शालें एवं दुपट्टे, ताजे फल एवं सब्जियां, सुगंधित पौधे, अखरोट सहित मेवे, कश्मीरी मसाले, स्प्रिंग रबड़ युक्त कैंयर/फोम गद्दे, अखरोट के फर्नीचर सहित फर्नीचर आदि। इसी प्रकार, चकोटी से सलामाबाद और रावलकोट से चकंदाबाद को व्यापार की जाने वाली मदें हैं चावल, बेशकीमती नगीनें, अखरोट सहित मेवे, औषधीय जड़ी-बूटियां, ताजे फल एवं सब्जियां, अखरोट के फर्नीचर सहित फर्नीचर, कालीन एवं दरियां, कढ़ाई की हुई वस्तुएं, फोम गद्दे, शॉलें एवं दुपट्टे।

(च) और (छ) सुचारु, सीमा-पार व्यापार को सुकर बनाने के लिए अवसंरचना विकास आदि जैसे मुद्दों के समाधान हेतु कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विनिर्देशनों एवं अपेक्षाओं के अनुसार सरकार ने उपर्युक्त दो स्थानों पर सीमा-पार व्यापार हेतु न्यूनतम अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ज) द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(1) परस्पर चिंता के मुद्दों की व्यवहार्य सीमा तक समाधान करने के लिए संयुक्त चर्चा के कार्यढांचे के भीतर आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग पर वाणिज्य सचिव स्तरीय वार्ताओं के जरिये उन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

(2) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार हेतु अटारी-वाघा एलसीएस पर लदान एवं उतराई के लिए ट्रकों का दोनों ओर से आवागमन अक्तूबर, 2007 से शुरू हो गया है।

(3) भारत द्वारा शुरू की गई समेकित जांच चौकी परियोजना में अटारी में अवसंरचना के विकास को अधिमानी परियोजना के रूप में शुरू किया गया है।

(4) पाकिस्तान से सीमेंट के आयात के लिए सांविधिक प्रमाणन संबंधी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करना।

(5) दोनों देशों ने एक-दूसरे के देश में दो बैंक शाखाएं खोलने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

अवैध निर्माणों में एमसीडी और पुलिस कर्मियों की संलिप्तता

2595. श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में अवैध निर्माणों में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अधिकारियों और दिल्ली पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संबध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को अलग-अलग ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और ऐसी शिकायतों पर कुल कितने मामले दर्ज हुए;

(ग) अवैध निर्माणों की अनुमति देने में संलिप्त पाए गए एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और पुलिस स्टेशन-वार तथा एमसीडी जिलावार कितने अधिकारियों को दोषसिद्ध किया गया और सेवा से निरस्त किया गया; और

(घ) दिल्ली में आगे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा प्राप्त की गयी और इसके सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई शिकायत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की संख्या
2005	37
2006	336
2007	34
2008 (12 दिसम्बर तक)	32

इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त की गयी शिकायत की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त की गयी शिकायतों की संख्या	प्रमाणित किये गये
2005	72	9
2006	36	4
2007	26	6
2008	37	12

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) अनाधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये हैं, जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण पर नजर रखना; वर्तमान केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, जोनल नियंत्रण कक्षों, केन्द्रीय विध्वंस दस्ता तथा विशेष कृतिक बल के गठन को सुदृढ़ बनाकर और पुनर्गठित करके अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत निर्माणों का पता लगाने तथा नियंत्रित करने के लिए दिल्ली नगर निगम की अवसंरचना को चुस्त-दुरुस्त बनाना; अनाधिकृत निर्माण के मामलों की निगरानी करने के लिए और अधिक अधिकारियों को तैनात करना; आदि शामिल हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विश्वकोष

2596. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता आंदोलन 1857 और इससे जुड़ी घटनाओं में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विश्वकोष तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय से इस संबंध में सूचना एकत्रित की गई है कि भारत सरकार ने भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम; भारतीय आजादी की 60वीं वर्षगांठ; वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाए जाने की शताब्दी, शहीद भगत सिंह के बलिदान की 75वीं वर्षगांठ तथा शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी समारोहों को मनाने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इन समारोहों को मनाने के कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन भी किया गया है।

(ग) और (घ) भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के समारोह को बनाए जाने के भाग के रूप में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को शहीदों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ने 1,87,28,000 रुपये के बजट परिव्यय का अनुमोदन किया है, जिसमें से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को उपरोक्त उद्देश्य हेतु 1,40,46,000 रुपये का अग्रिम भुगतान जारी कर दिया है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

2597. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री संतोष गंगवार:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री के.एस. राव:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री देविदास पिंगले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की लाभकारिता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे उद्योगों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने लाभ कमाया/हानि उठाई तथा इसमें राज्य-वार पृथक रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला;

(ग) इन उद्योगों को हानि होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन उद्योगों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/सरल ऋण/प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लघु तथा मध्यम उद्यम स्थापित करने हेतु कौशल एवं प्रशिक्षण से ग्रामीण तथा जनजातीय युवकों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जो इस मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है, देश के विभिन्न भागों में स्थित 39 विभागीय तथा गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से रोजगाररत लोगों अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान इन केन्द्रों ने एक साथ मिलकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में 60,481 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत संघीय सरकार की एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम देश भर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों

में सेवा/व्यापार तथा विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए केवीआईसी के माध्यम से वर्ष 2008-09 से कार्यान्वित की गई। प्रस्ताव है कि केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय उद्यमी तथा लघु व्यापार विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा; राष्ट्रीय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद; भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी, उनकी शाखाओं तथा उनकी सहभागी संस्थाओं (पीआई), आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ गठबंधन का प्रस्ताव है। उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 536 प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

गिरोह द्वारा अपराध

2598. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपहरण/भगा कर ले जाने, फिरौती मांगने तथा लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले गिरोहों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ऐसे आरोपित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या इस संबंध में सीबीआई द्वारा कोई सूचना एकत्रित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), देश में लड़कियों का अपहरण/व्यपहरण करके फिरौती की मांग करने और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकलने वाले गिरोहों की संख्या से संबधित आंकड़े नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध रोकने, उनका पता लगाने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय की सलाह जारी की है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में समाज की महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने पर और अधिक ध्यान दें।

(ङ) से (छ) सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007 में 87 गिरोह थे जिनमें वेश्यावृत्ति करने के लिए अपहरण करने वाले 359 सदस्य थे।

[अनुवाद]

फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन की स्थापना

2599. श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मुम्बई में हुए आतंकी हमलों और देश में नक्सलवादी गतिविधियों के मद्देनजर सरकार का विचार देश में फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संघीय अपराधों को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो की गयी चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक स्थापित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) अन्तर-राज्यीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क रखने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद के चुनिन्दा मामलों तथा अपहरण, देश के बाहर से जाली भारतीय मुद्रा के नोटों आदि जैसे संबधित अपराधों की जांच करने के लिए एक संघीय/केन्द्रीय जांच एजेंसी का गठन करने का मामला राज्य सरकारों तथा विधि मंत्रालय आदि के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है। अब इस संबंध में कानून के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

साक्षरता दर

2600. श्री रायापति सांबासिवा राव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग राज्यवार साक्षरता दर कितनी है;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर के कम होने के क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण साक्षरता के लिए राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा और जन शिक्षण संस्थान के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ज) निर्धारित लक्ष्यों को कितना पूरा किया जा चुका है; और

(झ) इन लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम, जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15-35 के आयुवर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करते हैं।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शहरी साक्षरता दर 79.9% है जबकि ग्रामीण साक्षरता दर 58.7% है, जो 21.8 प्रतिशत बिन्दु का अंतर दर्शाता है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून साक्षरता स्तर के कई कारण हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुकावटें, महिला-पुरुष भेदभाव तथा गरीबी शामिल हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों में कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान हेतु वित्तीय परिव्यय में वृद्धि द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए, सरकारी/स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों आदि में कक्षा 1-8 तक में सभी बच्चों के लिए पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों रहित प्रौढ़ निरक्षरों की भीड़ को बढ़ने से रोका जा सकेगा। 11वीं योजना के दौरान आवंटित निधियों में से 71,000 करोड़ रु. सर्व शिक्षा अभियान के लिए, 48,000 करोड़ रु. मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए तथा 6,000 करोड़ रु. प्रौढ़ शिक्षा के लिए हैं।

(छ) से (झ) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 198 जन शिक्षण संस्थान संस्वीकृत किये गये थे। ग्यारहवीं योजना के दौरान, वर्ष 2007-08 में पहले से संस्वीकृत 23 जन शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 50 जन शिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर (%)	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	54.5	76.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.8	78.3
3.	असम	59.7	85.3
4.	बिहार	43.9	71.9
5.	छत्तीसगढ़	60.5	80.6
6.	गोवा	79.7	84.4
7.	गुजरात	61.3	81.8
8.	हरियाणा	63.2	79.2
9.	हिमाचल प्रदेश	75.1	88.9
10.	जम्मू-कश्मीर	49.8	71.9
11.	झारखंड	45.7	79.1
12.	कर्नाटक	59.3	80.6
13.	केरल	90.0	93.2
14.	मध्य प्रदेश	57.8	79.4
15.	महाराष्ट्र	70.4	85.5
16.	मणिपुर	67.3	79.3
17.	मेघालय	56.3	86.3
18.	मिजोरम	81.3	96.1
19.	नागालैंड	62.8	84.7
20.	उड़ीसा	59.8	80.8
21.	पंजाब	64.7	79.1
22.	राजस्थान	55.3	76.2
23.	सिक्किम	66.8	83.9
24.	तमिलनाडु	66.2	82.5
25.	त्रिपुरा	69.7	89.2
26.	उत्तराखंड	68.1	81.4
27.	उत्तर प्रदेश	52.5	69.8
28.	पश्चिम बंगाल	63.4	81.2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	78.7	86.6
30.	चंडीगढ़	75.6	82.6
31.	दादरा और नगर हवेली	49.3	84.4
32.	दमन और दीव	75.8	82.3
33.	दिल्ली	78.1	81.9
34.	लक्षद्वीप	85.0	88.6
35.	पांडिचेरी	74.0	84.8
	कुल भारत	58.7	79.9

यूएलएफए के साथ बातचीत

2601. श्री किरिप चालिहा:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार और उल्फा (यूएलएफए) द्वारा बनाए गए पीपुल कंसलटेटिव ग्रुप के बीच हुई बातचीत की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गई और उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू.एल.एफ.ए.) द्वारा गठित पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पी.सी.जी.) के साथ क्रमश: 26.10.2005, 7.2.2006 और 22.6.2006 को वार्ता के तीन दौर

हुए हैं। वार्ता के तीन दौर होने के बाद भी परस्पर पहलों के माध्यम से पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता आयोजित किये जाने के प्रयास जारी रहे। सरकार ने शांति वार्ता आयोजित करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए दिनांक 13.8.2006 से 20.9.2006 तक यू.एल.एफ.ए. के विरुद्ध सेना की एक तरफा कार्रवाई रोकने का निर्णय भी लिया गया था। चूंकि यू.एल.एफ.ए. से कोई सीधा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा यू.एल.एफ.ए. संवर्गों के पुन: एकजुट होने, नए ग्रुप बनाए जाने, स्टोर/हथियारों की आवाजाही होने, हिंसा तथा जबरन धन ऐंठने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं इसलिए यू.एल.एफ.ए. के विरुद्ध विद्रोह विरोधी अभियान फिर शुरू किये गये हैं।

सरकार, यू.एल.एफ.ए. सहित किसी भी उस उग्रवादी ग्रुप के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है जो हिंसा छोड़ने को तैयार हैं। सीधी वार्ता के लिए सरकार को यू.एल.एफ.ए. से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

साम्प्रदायिक हिंसा

2602. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का मौजूदा कानून साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक हिंसा से लोगों की रक्षा करने और इसके पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किसी नए विधान को लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) साम्प्रदायिक हिंसा रोकने और नियंत्रित करने और ऐसी हिंसा के पीड़ितों का पुनर्वास करने, साम्प्रदायिक हिंसा और इससे जुड़े मामलों में संलिप्त लोगों को भारतीय दंड संहिता में दंड देने के प्रावधान से अधिक दंड देने सहित अपराधों की तेजी से जांच-पड़ताल और विचारण करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" नामक एक विधेयक दिनांक 5.12.2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था।

इस विधेयक को गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने दिनांक 13.12.2006 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं और उन पर आवश्यक अंतर-मंत्रालयी परामर्श लेने और सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने राज्य सभा में सरकारी संशोधन प्रस्तुत किये जाने और विधेयक पारित किये जाने के लिए दिनांक 9.3.2007 को नोटिस दिया था. तथापि, उस समय विधेयक के संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकी।

सरकारी संशोधन प्रस्तुत करने और विधेयक को पारित करने के लिए नए नोटिस, दिसम्बर, 2008 में जारी किये गये हैं।

विज्ञान प्रसार संबंधी कार्यकलाप

2603. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के सभी उच्च विद्यालयों, विज्ञान महाविद्यालयों और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के लिए विज्ञान प्रसार मैगजीन 'ड्रीम-2047' प्रारंभ करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विज्ञान प्रसार की लोकप्रिय मासिक विज्ञान पत्रिका, ड्रीम-2047 देश भर के उच्च विद्यालयों, विज्ञान कालेजों, इंजीनियरी कॉलेजों, अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों को भेजी जा रही है; प्रतिमाह इसकी 52,000 प्रतियां मुद्रित होती हैं।

[हिन्दी]

एमएसएमई उत्पादों की खपत

2604. श्री बापू हरी चौधे: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त विज्ञापनों के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री कम होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान उन पर कितनी राशि खर्च की गई/किये जाने की संभावना है;

(घ) इन उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संदर्भ में भारत से आगे रहने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एमएसएमई में निर्मित उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने हेतु साधन ढूंढ़ने में सहायता के लिए सरकार ने किसी मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक प्रमुख समस्या एमएसएमई द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन से संबधित है। इस प्रयास में एमएसएमई की सहायता करने के लिए सरकार एक विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, बार कोडिंग अपनाने, आदि के लिए सहायता की व्यवस्था की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान एमडीए कार्यक्रम के तहत व्यय/उद्दिष्ट की गई राशि का ब्यौरा निम्नोक्त है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2007-08 (वास्तविक व्यय)	1.36
2008-09 (बजट अनुमान)	10.55
2009-10 (प्रस्तावित व्यय)	11.00
2010-11 (प्रस्तावित व्यय)	11.00
2011-12 (प्रस्तावित व्यय)	11.00

(घ) अलग-अलग देशों में एमएसएमई की भिन्न परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई द्वारा उत्पादित उत्पादों के उपभोग पर तुलनात्मक डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुष्पों का निर्यात

2605. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान भारत के पुष्प निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पुष्पों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) भारत से फूलों का निर्यात वर्ष 2006-07 में हुए 649.84 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2007-08 में 338.01 करोड़* रुपये रह गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा पुष्पोत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

(1) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद तथा तिरुअनन्तपुरम स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों की स्थापना।

(2) बंगलौर, मुम्बई, नोएडा एवं कोलकाता में थोक बाजार-सह-पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता।

(3) पुष्पोत्पादों हेतु कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) की स्थापना।

(4) अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी।

(5) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपनी स्कीमों के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता तथा परिवहन सहायता।

(6) रुग्ण पुष्पोत्पादन इकाइयों हेतु विशेष पुष्पोत्पादन पुनरुद्धार निधि स्कीम का कार्यान्वयन।

*स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस-अनंतिम।

(7) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अंतर्गत टहनीयुक्त फूलों के निर्यातों पर शुल्क ऋण स्क्रिप के लाभ उपलब्ध हैं।

एमपीईडीए का एनएफडीबी के साथ विलय

2606. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) का राष्ट्रीय मत्स्यन विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यातकों की सहायता करने के लिए एमपीईडीए द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एमपीईडीए के कार्यकरण की समीक्षा करने अथवा मौजूदा संदर्भ में एमपीईडीए की उपयोगिता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) एम्पीडा समुद्री उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा भारत से उनके निर्यात हेतु अनेक सब्सिडी स्कीमें चला रहा है। एम्पीडा द्वारा प्रचालित कुछेक स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) एम्पीडा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में तथा एक समुचित संगठनात्मक डिजाइन एवं मानव संसाधन प्रबंधन कार्यढांचे के विकास के लिए एम्पीडा के संगठनात्मक उद्देश्यों की समीक्षा हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद को नियुक्त किया है।

विवरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन
चालू सब्सिडी सहायता स्कीम-2008-09

क्र.सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य	सब्सिडी की राशि
1	2	3	4
(1) निर्यात उत्पादन—संग्रहण मात्स्यिकी			
1.	मौजूदा मत्स्यन जलयानों को ट्यूना लौंग लाइनरों में परिवर्तित करने हेतु सहायता	मोनो फिलामेंट लौंग लाइन पद्धति का उपयोग करके मात्स्यिकी के विविधीकरण के माध्यम से गंभीर सागर में ट्यूना तथा अन्य अल्प दोहित जीवों को पकड़ने के लिए मत्स्यन जलयानों के मालिकों को प्रोत्साहित करना।	स्कीम के अंतर्गत सहायता की राशि मोनो फिलामेंट लौंग लाइन पद्धति की लागत, संबंधित उपकरणों एवं स्थापना प्रभार सहित श्रमिक प्रभारों के लिए 50 प्रतिशत है जो 20 मीटर से कम ओऐल के मत्स्यन जलयान के लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपये है। और 20 मीटर से अधिक ओएएल के समुद्री मत्स्यन जलयान हेतु 15 लाख रुपए है।
2.	मत्स्यन जलयानों पर अवरोधक/प्रशीतित फिश होल्ड/आरएसडब्ल्यू/बर्फ बनाने की मशीन की स्थापना हेतु सहायता	यंत्रीकृत मत्स्य जलयान मालिकों को तट से दूर क्षेत्रों में एक से अधिक दिन मत्स्यन हेतु प्रोत्साहित करना तथा पकड़ी गई मछली को निर्यात हेतु	पात्र वस्तुओं की लागत का 30 प्रतिशत, जो 3 मर्दों वाले मत्स्यन जलयान मालिक के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये है। एक मालिक केवल

1	2	3	4
		बेहतर तरीके से परिरक्षित करना एवं मछुआरों की आय में वृद्धि करना।	एक जलायन के लिए पात्र है।
3.	नए ट्यूना लौंग लाइनरों के निर्माण हेतु ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता	नए ट्यूना लौंग लाइनों के निर्माण के जरिये मोनो फिलामेंट लौंग लाइन पद्धति का उपयोग करके मात्स्यिकी के विविधीकरण के माध्यम से गहरे सागर में ट्यूना तथा अन्य अल्प दोहित जीवों को पकड़ने के लिए मत्स्यन जलयानों के मालिकों को प्रोत्साहित करना।	यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों एवं गहरे सागर मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए ब्याज का 5 प्रतिशत, जो क्रमश: 10 लाख/15 लाख रुपये अधिकतम है। प्रत्येक लाभानुभोगी 4 यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये तथा 4 गहरे सागर मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए 60 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त कर सकता है।
(2) निर्यात उत्पादन—मत्स्य पालन			
4.	बीज उत्पादन हेतु वाणिज्यिक अंडज-शालाओं का संवर्धन		
	(क) लघु अंडजशालाओं हेतु सब्सिडी	10 मिलियन बीज प्रतिवर्ष की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाली श्रिम्प/स्कैम्पी अंडजशाला की स्थापना हेतु।	प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से।
	(ख) मध्यम अंडजशालाओं हेतु सब्सिडी	30 मिलियन बीज प्रतिवर्ष की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाली श्रिम्प/स्कैम्पी अंडजशाला की स्थापना हेतु।	प्रति लाभानुभोगी/अंडजशाला अधिकतम 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से (इनकी संख्या पहले से ही काफी अधिक होने के कारण 7 जिलों को छोड़ दिया गया है)।
5.	नए फार्म के विकास हेतु सब्सिडी	नए श्रिम्प/स्कैम्पों फॉर्मों के विकास हेतु।	अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से। जल क्षेत्र प्रति लाभानुभोगी 2.50 लाख रुपये तक सीमित।
6.	अंडजशालाओं में पीसीआर प्रयोगशालाओं/ निजी प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सब्सिडी	अंडजशालाओं/निजी प्रयोगशालाओं में पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु।	प्रति लाभानुभोगी/अंडजशाला अधिकतम 5.00 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 50 प्रतिशत की दर से।
7.	श्रिम्प फार्मों में निस्सारण उपचार प्रणाली (ईटीएस) हेतु सब्सिडी	श्रिम्प फॉर्मों से जुड़ी निस्सारण उपचार प्रणालियों की स्थापना हेतु।	5.00 हेक्टेयर के न्यूनतम जल क्षेत्र वाले श्रिम्प फार्मों के लिए 1.50 लाख रुपये और प्रति लाभानुभोगी 6.00 लाख रुपये तक के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

1	2	3	4
8.	जलकृषि सहकारी समितियों का पंजीयन	जलकृषि फॉर्मों के क्षेत्र व्यापी प्रबंधन हेतु सतत श्रिम्प पालन के लिए बीएमपी तथा पद्धति संहिता अपनाने हेतु।	कार्यालय, वेयरहाउस/नीलामी कक्ष, सामान्य सुविधाओं आदि की स्थापना, प्रयोगशाला सुविधाओं, तकनीकीशियनों की नियुक्ति, किसानों/तकनीकों कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं पर्यावरण अनुकूल फॉर्मिंग के संवर्धन हेतु अधिकतम 5.00 लाख रुपये के अध्यधीन अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत।
9.	(क) सजावटी मत्स्य प्रजनन यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता	घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सजावटी मत्स्यन प्रजनन यूनिटों एवं मत्स्य विपणन सहकारी समितियों की स्थापना हेतु।	यूनिट के आकार के अनुसार 75000 रुपये से 7.5 लाख रुपये में से अधिकतम राशि प्रति यूनिट के अध्यधीन निर्दिष्ट अवसंरचना हेतु पूंजी लागत का 50 प्रतिशत। प्रजनन यूनिटों को आकार तथा निवेश के अनुसार ग्रेड-1, ग्रेड-2 तथा ग्रेड-3 में वर्गीकृत किया जाता है।
	(ख) सजावटी मछली विपणन सहकारी समितियां		समिति हेतु जरूरी अवसंरचना की स्थापना के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 50 प्रतिशत एवं प्रचालनात्मक व्ययों की पूर्ति हेतु 1 लाख रुपये का एकबारगी अनुदान।
(3) नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास			
10.	ऑटोमेटिक फ्लेक/चिप ट्यूब आईस मेकिंग मशीन हेतु सब्सिडी	संयंत्र में उपयोग हेतु गुणवत्तायुक्त बर्फ के उत्पादन हेतु मशीनों की स्थापना के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को सहायता देना।	अधिकतम 2.25 लाख रुपये के अध्यधीन मशीन की लागत का 25 प्रतिशत। सहायता अधिकतम दो फ्लेक आईस मेकिंग मशीन के लिए उपलब्ध होगी।
11.	जनरेटर सेटों हेतु सब्सिडी	वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आबद्ध बिजली की पूर्ति हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता देना।	जनरेटर सेट की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 2.50 लाख रुपये, जो भी कम हो।
12.	कमजोर कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन हेतु सब्सिडी	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को अनुकूलतम तापमान बनाए रखने के लिए उनके स्टोरेज के उन्नयन में समर्थ बनाना।	अधिकतम 3.50 लाख रुपये के अध्यधीन (मौजूदा यूनिटों हेतु उपलब्ध) ऊष्मारोधन में सुधार हेतु 25 प्रतिशत तथा मौजूदा डिफ्यूजरों के उन्नयन हेतु 25 प्रतिशत।
13.	मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन हेतु सभी प्रकार की प्रसंस्करण मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हेतु सब्सिडी	मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को मशीनों तथा उपकरणों की खरीद में सहायता करना।	अधिकतम 17.50 लाख रुपये के अध्यधीन मशीन एवं उपकरण की लागत का 25 प्रतिशत।

1	2	3	4
14.	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में शीतन कक्ष सुविधा की स्थापना हेतु सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को कच्चे माल को प्राप्ति से लेकर प्रसंस्करण तक उचित तापमान पर उसकी गुणवत्ता के परिरक्षण हेतु अपने प्रसंस्करण संयंत्रों में शीतन कक्ष सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता करना।	प्रति शीतन कक्ष अधिकतम 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन शीतन कक्ष सुविधा की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत, और यह सहायता एक संयंत्र से अधिकतम 2 शीतन कक्षों के लिए उपलब्ध होगी।
15.	समुद्रीय खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में जलशोधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को जल की गुणवत्ता के बारे में ईयू/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए उनके प्रसंस्करण संयंत्रों में उपयुक्त जलशोधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता करना।	प्रति यूनिट अधिकतम 7.50 लाख रुपये के अध्यधीन जलशोधन प्रणाली की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत।
16.	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में निस्सारण उपचार संयंत्रों की स्थापना हेतु सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को ईयू/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने के लिए अपने प्रसंस्करण यूनिटों में प्रभावी निस्सारण उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना।	प्रति यूनिट अधिकतम 7.00 लाख रुपये के अध्यधीन निस्सारण उपचार संयंत्र की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत।
17.	ऊष्मारोधी फिश बॉक्सों का सब्सिडीकृत वितरण	मत्स्यन जलयानों, ब्रिम्प फॉर्मों, प्रसंस्करण पूर्व संयंत्रों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों में कच्चे माल का शीतित स्थिति में ऊष्मारोधी फिश बॉक्स में उपयुक्त परिरक्षण।	विभिन्न क्षमताओं वाले मोल्डेड सिंथेटिक ऊष्मारोधी बॉक्सों का वितरण 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत पात्र अधिकतम सब्सिडी इस प्रकार है: (क) प्रति प्रसंस्करण-पूर्व संयंत्र : 0.50 लाख रुपये (ख) प्रति प्रसंस्करण संयंत्र : 1.00 लाख रुपये (ग) ताजी/शीतित मत्स्य प्रशीतन केन्द्र : 1.00 लाख रुपये (घ) यंत्रीकृत नौका मालिक : 0.15 लाख रुपये (ङ) छोटी यंत्रीकृत नौका/कंट्री क्राफ्ट : 0.045 लाख रुपये (च) 5 हे. से अधिक जलक्षेत्र वाले ब्रिम्प फार्मक : 0.50 लाख रुपये (छ) 5 हे. से कम जलक्षेत्र वाले ब्रिम्प फार्मक : 0.35 लाख रुपये
18.	प्रशीतित ट्रक/कंटेनरों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को कच्चे माल/तैयार उत्पादों के परिवहन हेतु प्रशीतित ट्रकों/कंटेनरों की खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।	अधिकतम 3.50 लाख रुपये के अध्यधीन प्रशीतित ट्रक/कंटेनर की लागत का 25 प्रतिशत।
19.	नए बड़े शीत गृहों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	पर्याप्त भंडारण सुविधा के सृजन हेतु बड़े शीत गृहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।	अधिकतम 60 लाख रुपये के अध्यधीन 3000 टन भंडारण क्षमता के निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत। अपेक्षाकृत छोटी यूनिटों को 2000 रुपये प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत केवल 500 टन

1	2	3	4
			की न्यूनतम क्षमता वाले भंडार गृह, सब्सिडी के पात्र होंगे।
20.	आधुनिक बर्फ संयंत्र की स्थापना/बर्फ संयंत्रों के नवीकरण हेतु सहायता	उच्च मूल्यवर्धित वस्तुओं के उत्पादन हेतु मछली की गुणवत्ता को बनाए रखना।	नवीकरण हेतु वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12 लाख रुपये तथा नए बर्फ संयंत्रों हेतु 22 लाख रुपये। नवीकरण 10 टन 15 टन 20 टन 6 लाख 9 लाख 12 लाख नए 11 लाख 16 लाख 22 लाख
21.	ट्यूना केनरी सह मूल्यवर्धित ट्यूना प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु सहायता	मूल्यवर्धित रूप में ट्यूना के उपयोग को प्रोत्साहित करना।	वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 65.25 लाख रुपये।
22.	समुद्री उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएसएमपी)	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन के संवर्धन हेतु नई स्कीम। इस स्कीम में 25 प्रतिशत की दर से पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता तथा 5 प्रतिशत अंकों (अधिकतम सीमा के अध्यधीन) तक ब्याज सब्सिडी परिकल्पित है।	पूंजीगत सब्सिडी के मामले में सहायता की दर नई यूनिटों के लिए अधिकतम 100 लाख रुपये के अध्यधीन, मूल्यवर्धन हेतु व्यय की गई राशि की 25 प्रतिशत की दर से तथा मूल्यवर्धन करने वाली मौजूदा यूनिटों के लिए 85 लाख रुपये होगी। प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी सहायता नई यूनिटों के मामले में अधिकतम 150 लाख रुपये के अध्यधीन वित्तीय संस्थाओं से मूल्यवर्धन हेतु लिये गये आवधिक ऋण की 5 प्रतिशत तथा मौजूदा यूनिटों के मामले में 125 लाख प्रस्तावित है। लाभानुभोगी उपर्युक्त में से किसी भी एक स्कीम का लाभ उठा सकता है।
23.	लघु प्रयोगशाला की स्थापना हेतु सब्सिडी	अंतर प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु।	प्रति यूनिट अधिकतम 1,50,000 रुपये के अध्यधीन लघु प्रयोगशाला की लागत का 25 प्रतिशत।
24.	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को उन्नत सुविधाओं युक्त आबद्ध प्रसंस्करण-पूर्व केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु सहायता	प्रसंस्करण-पूर्व कार्यकलापों को प्रसंस्कर्त्ताओं के नियंत्रणाधीन लाना और सुविधाओं को एचएसीसीपी/ईयू विनियमनों के समकक्ष उन्नत बनाना।	नए निर्माण हेतु अधिकतम 15 लाख रुपये के अध्यधीन उपर्युक्त मदों पर किये गये पात्र व्यय की लागत का 50 प्रतिशत तथा आबद्ध पीपीसी के नवीकरण हेतु अधिकतम 13.50 लाख रुपये के अध्यधीन लागत का 45 प्रतिशत होगा, जो कामगारों की क्षमता तथा प्रसंस्करण-पूर्व कक्ष के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

1	2	3	4
25.	पूर्व प्रसंस्कर्त्ताओं को उन्नत सुविधाओं से युक्त स्वतंत्र प्रसंस्करण-पूर्व केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता	एचएसीसीपी/ईयू विनियमों के अनुरूप सुविधाओं को उन्नत बनाना एवं समस्त प्रसंस्करण-पूर्व क्षेत्र में प्रहस्तन पद्धतियों में सुधार करना।	नए निर्माण हेतु अधिकतम 22 लाख रुपये के अध्यधीन उपर्युक्त मदों पर पात्र व्यय की लागत का 50 प्रतिशत तथा स्वतंत्र पीपीसी के नवीकरण हेतु अधिकतम 19.8 लाख रुपये के अध्यधीन लागत का 45 प्रतिशत, जो कामगरों की संख्या एवं प्रसंस्करण-पूर्व कक्ष के क्षेत्र से जुड़ा है। यह सब्सिडी अलग-अलग मदों पर निर्धारित अधिकतम सीमाओं तक सीमित है।
26.	उन्नयन को सुकर बनाने हेतु समुद्री खाद्य यूनिटों को ब्याज सब्सिडी सहायता	संयंत्र मालिकों को अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण करके उन्हें ईयू/भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज के एक हिस्से पर सब्सिडी प्रदान करना।	सब्सिडी की पात्रता 7 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय ब्याज के अलावा बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभारित ब्याज के अधिकतम 7 प्रतिशत तक सीमित होगी अथवा अधिकतम 15 लाख रुपये के अध्यधीन अंतर्राष्ट्रीय ब्याज अर्थात् 7 प्रतिशत के अलावा ब्याज की वास्तविक दर जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
(4) बाजार संवर्धन			
27.	सजावटी/पालतू मछलियों के निर्यात हेतु विकास सहायता	देश में सजावटी मछलियों के निर्यात पर बल देना और हमारे पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा के जरिये प्रति इकाई बेहतर मूल्य प्राप्त करना।	प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक 3 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन निर्यात के एफओबी मूल्य का 10 प्रतिशत।
28.	मत्स्य प्रसंस्करण यूनिटों में नियोजित कामगारों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता	यह बीमा स्कीम समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में नियोजित कामगारों हेतु परिकल्पित है, जिसमें बीमित व्यक्ति को 50,000 रुपये का अंतिम लाभ, बीमित अथवा उसके माता-पिता अथवा आश्रितों को 10,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय (अस्पताल में रहने) की प्रतिपूर्ति एवं प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के प्रति बीमित व्यक्ति के घर की वस्तुओं का 20,000 रुपये तक का बीमा करने एवं 2000 रुपये (अधिकतम) तक आकस्मिक चिकित्सा व्यय का प्रावधान है।	बीमे की प्रीमियम का भुगतान नियोजक, कर्मचारी, तथा एम्पीडा द्वारा 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम 200 रुपये प्रति कामगार बनती है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय

2607. श्रीमती जयाप्रदा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारत में इस समय लगभग 180 ऐसे स्कूल हैं जो कि विदेशी बोर्डों से सम्बद्ध हैं। इन स्कूलों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता। स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। सम्बद्धन/मान्यता के लिए स्कूल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित बोर्डों/राज्य सरकारों को सीधे आवेदन करते हैं।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ भारत में विदेशी बोर्डों से सम्बद्ध स्कूलों की स्थापना के संबंध में नीतिगत सुझाव देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और विचाराधीन हैं।

जनजातीय विश्वविद्यालय

2608. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार के और अधिक विश्वविद्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों और कैंपस खोलने का प्रस्ताव भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। देश में जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुकर बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक शिक्षण तथा संबद्धन विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के तहत की गई है।

(ग) और (घ) उक्त अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुसार यह विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में यथा-उपयुक्त संख्या में क्षेत्रीय केन्द्रों और परिसरों की व्यवस्था करेगा।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों का बंद होना

2609. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण के कारण ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामों में कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार से बंद हुए कुल कुटीर उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) रुग्ण कुटीर उद्योगों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड तय किये गये हैं;

(घ) इन उद्योगों को बाजार मुहैया कराने और इन्हें बंद होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार को क्या सफलता मिली है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रदान की गई सहायता के साथ स्थापित ग्रामीण उद्योगों सहित देश के कुटीर उद्योगों को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से मिल रही प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप किसी भी कृषि आधारित लघु औद्योगिक इकाई के बंद होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। वस्तुत: उदारीकरण के परिणामस्वरूप इकाइयों ने यह अनुभव किया है कि उन्हें अपने प्रचालन को कुशल, सस्ता और संसाधनों के इष्टतम नियोजन पर आधारित बनाना होगा। इससे कुटीर उद्योगों का रुख दीर्घकालिकता की ओर हुआ है जो दीर्घ अवधि में स्वस्थ रुझान है।

कुछ ग्रामीण उद्योग इकाइयां/स्व-रोजगार उद्यम नुकसान उठाते हैं और बंद हो जाते हैं। ऐसे नुकसानों के कारणों में अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उत्पादों की असंगत गुणवत्ता, उत्पादों का डिजाइन बाजार मांग के अनुरूप न होना, उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल का अभाव, आदि हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) रुग्ण कुटीर उद्योगों की पहचान के लिए सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में) द्वारा कोई पृथक मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(घ) और (ङ) केवीआई इकाइयों के बाजार को सुरक्षित करने के लिए, केवीआईसी द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं, जैसे कि ब्रांड बिल्डिंग, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता नियंत्रण आदि जिनसे ऐसे ही उत्पादों का विपणन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में ग्रामोद्योगों की मदद करने की उम्मीद की जाती है। केवीआई क्षेत्र के तहत उत्पादों के लाभ के लिए 'देसी आहार', 'खादी' और 'सर्वोदय' जैसे तीन ब्रांड आरंभ करते हुए ब्रांड बिल्डिंग उपाय किये गये हैं। पूंजी लागत को कम करते हुए, विपणन सुविधाओं के प्रावधान, प्रदर्शनियों के आयोजन, केवीआईसी से वित्तीय सहयोग और विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करते हुए मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त की जानी है। परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) के तहत सामान्य सेवा केन्द्र उपलब्ध कराते हुए विशेष योजनाएं आरंभ करने के द्वारा परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने और वस्तुओं की बेहतर पैकेजिंग सुनिश्चित करने, उत्पाद विविधीकरण, आदि द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

निर्यात संवर्धन में भी बड़ी पहलें की गई हैं। सरकार ने केवीआईसी को निर्यात संवर्धन परिषद् का प्रतिष्ठित दर्जा दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवीआई मदों को लाने के द्वारा केवीआई उत्पादों के निर्यात में और मदद करेगा।

प्रमाणित खादी संस्थानों/केवीआई बोर्डों की सहायता प्राप्त एजेंसियों के बिक्री केन्द्रों तथा केवीआईसी के विभागीय बिक्री केन्द्रों के प्रबंधकों सहित सेल्स कर्मचारियों की सक्षमता और कौशल को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे गए। राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यवसाय विकास संस्थान के द्वारा रीफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये और सेल्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पैकेजिंग में सुधार की ओर एक और कदम के रूप में केवीआईसी ने 29.11.2007 को भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत केवीआई संस्थानों को अनुसंधान, समस्या समाधान, परामर्श, प्रशिक्षण, सूचना प्रसार और अन्य संवर्धनात्मक प्रयासों के द्वारा केवीआई क्षेत्र में पैकेजिंग सुधार जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विभिन्न एजेंसियों जैसे लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), कॅयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और केवीआईसी को साथ लेते हुए विभिन्न स्थानों पर विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2610. श्री अबु अयीश मंडल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये गये कार्यक्रमों और उनमें प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है जिसमें सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा वहां रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने पर बल दिया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 17 सीमा राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियां सामाजिक ढांचे के निर्माण, संपर्क सड़कों, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों आदि से संबंधित हैं। निधियां राज्यों को शत-प्रतिशत गैर-व्यपगत योग्य केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं। जबकि भारत सरकार व्यापार दिशा-निर्देश निर्धारित करती है, वहीं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं/परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्णीत और कार्यान्वित किया जाता है। विगत तीन वर्षों (2005-2006 से लेकर) के दौरान आवंटित, निर्गत और राज्य सरकारों द्वारा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

10.12.2008 के अनुसार स्थिति
(लाख रुपये में)

राज्य	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09	
	संशोधित आवंटन	निर्गत	व्यय	संशोधित आवंटन	निर्गत	व्यय	आवंटन	निर्गत	व्यय	आवंटन	निर्गत व्यय
अरुणाचल प्रदेश	1935.49	1935.49	1935.49	4498.00	4498.00	2087.93	6608.00	6608.00	1631.30	5772.00	:
असम	1081.00	1081.00	1047.17	2338.34	2338.34	1616.20	1969.00	1969.00	536.20	2470.00	1326.79
बिहार	1693.00	1693.00	1693.00	3119.00	3119.00	2910.88	3172.00	3172.00	124.73	3732.00	:
गुजरात	1106.00	1106.00	1106.00	2096.00	2096.00	960.56	2249.72	2249.72	421.44	2818.00	1245.77
हिमाचल प्रदेश	642.05	642.05	642.05	1269.00	1269.00	1269.00	1119.00	1119.00	1119.00	1297.00	1167.30
जम्मू-कश्मीर	9999.97	9999.97	9999.97	9793.05	9793.05	9615.64	10583.00	10583.00	7087.89	10500.00	9272.59
मणिपुर	592.00	592.00	592.00	1250.00	1250.00	1196.11	1244.63	1244.63	636.74	1357.00	1012.44
मेघालय	494.00	494.00	494.00	1313.36	1313.36	1313.36	1127.80	1127.80	957.21	1267.00	1140.30
मिजोरम	903.48	903.48	903.48	2262.00	2262.00	1987.88	2086.00	2086.00	1839.57	2535.00	2007.38
नागालैंड	456.00	456.00	456.00	1577.00	1577.00	1577.00	1000.00	1000.00	666.67	1150.00	1035.00
पंजाब	1308.00	1308.00	1308.00	3641.12	3641.12	2806.81	2173.94	2173.94	94.49	2218.00	971.52
राजस्थान	3835.00	3835.00	3835.00	5731.36	5731.36	5731.36	7659.00	7659.00	6070.00	8849.00	7714.74
सिक्किम	622.00	622.00	622.00	1566.04	1566.04	1092.95	1000.00	1000.00	429.71	1150.00	561.91
त्रिपुरा	1296.00	1296.00	1296.00	2678.48	2678.48	2075.40	2282.89	2282.89	958.68	2793.00	1219.85
उत्तर प्रदेश	1399.01	1399.01	1399.01	2231.00	2231.00	1514.60	2369.15	2369.15	841.65	2924.00	1266.16
उत्तराखंड	977.00	977.00	867.59	871.00	871.00	257.16	1191.82	1191.82	544.22	2297.00	:
पश्चिम बंगाल	4160.00	4160.00	3995.00	5765.25	5765.25	4546.00	10164.05	10164.05	2664.00	9992.00	6744.60
कुल	32500.00	32500.00	32191.76	52000.00	52000.00	42558.84	58000.00	58000.00	26623.50	63121.00	36686.35

अन्य बागवानी फसलों को एसपीटीएफ प्रदान करना

2611. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलायची, रबर और कॉफी जैसी अन्य नकदी फसलों को विशेष उद्देश्य चाय निधि (एसपीटीएफ) की तरह सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी फसलवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के आश्वासन के अनुसार विभिन्न नकदी फसलों विशेषकर चाय, रबर, तम्बाकू, मिर्च, अदरक, काली मिर्च और इलायची को फसल बीमा सुरक्षा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार द्वारा कॉफी, रबड़ तथा इलायची के पुनर्रोपण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

कॉफी: 40000 हेक्टेयर में पुनर्रोपण हेतु 100 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से अलाभकारी कॉफी ब्लॉकों के स्थान पर पुनर्रोपण हेतु 11वीं योजना के लिए बोर्ड की विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाती है। अरेबिका के लिए 1.00 लाख रुपये और रोबस्टा के लिए 0.70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुमानित इकाई लागत के साथ 2 हे. तक कॉफी भूमि रखने वाले उपजकर्त्ताओं हेतु इकाई लागत के 40 प्रतिशत, 2-10 हे. तक के लिए 30 प्रतिशत तक और 10 हे. से अधिक कॉफी भूमि रखने वाले बड़े उपजकर्त्ताओं के लिए इकाई लागत के 25 प्रतिशत की दर से अरेबिका एवं रोबस्टा के पुनर्रोपण हेतु सब्सिडी उपलब्ध है।

रबड़: रबड़ बागान विकास स्कीम और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई) में रबड़ विकास स्कीम के तहत रबड़ बागानों के नवरोपण एवं पुनर्रोपण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीमों का कार्यान्वयन क्षेत्र-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। यह सहायता परम्परागत क्षेत्र में रबड़ के 5 हेक्टेयर तक जोत क्षेत्र रखने वाले उपजकर्त्ताओं के लिए 2 हे. तक 19,500 रुपये प्रति हे. और पूर्वोत्तर क्षेत्र से इतर गैर-परम्परागत क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 हे. तक जोत क्षेत्र रखने वाले उपजकर्त्ताओं के लिए 30,000 रुपये प्रति हे. तक सीमित है।

इलायची: सरकार ने पुनर्रोपण एवं नवीकरण की विशेष प्रयोजन निधि स्कीम के जरिए इलायची के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु 122.23 करोड़ रुपये के परिव्यय से 11वीं योजना के दौरान एक स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु में 10,000 हे. और कर्नाटक में 15,000 हे. में छोटी इलायची के पुनर्रोपण, केरल एवं तमिलनाडु में 15,000 हे. के नवीकरण, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 10,000 हे. में बड़ी इलायची के पुनर्रोपण एवं नवीकरण को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) चाय, रबड़, तम्बाकू, मिर्च, अदरक, काली मिर्च तथा इलायची के लिए सरकारी सहायता से कोई बीमा स्कीम कार्यान्वित नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य

2612. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्याज का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया और प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को कम किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मूल्य निर्धारित करने से पहले सरकार ने उस समय देश के दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना और

बंगलौर में इसके उपभोक्ता बिक्री मूल्य के संबंध में सूचना एकत्र की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से प्रमुख आयातक देशों को प्याज के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

मात्रा मी. टन में मूल्य लाख रुपये में

देश	2005-2006		2006-07		2007-2008	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आबू धाबी एवं शारजाह	85192	6659.95	181544	18258.72	153477	17527.00
बहरीन	14430	1265.53	29264	3373.89	23040	2475.37
दोहा	5623	464.2	8131	913.56	12195	1164.14
कुवैत	6990	600.98	12353	1506.59	13023	1344.85
मस्कट	1108	41.44	6857	923.39	13540	1570.03
सिंगापुर	16444	1487.88	18604	2058.32	18260	2023.11
मलेशिया	117477	15869.09	193221	21142.2	218997	25198.32
श्रीलंका	74389	6364.45	73276	8012.55	138184	14080.92
बंगलादेश	350020	29268.09	427662	34448.66	413741	51212.36
नेपाल	27289	1570.27	24559	1969.87	22261	1079.80
मारीशस	11150	1338.53	11047	1721.27	10556	1867.28
इंडोनेशिया	1834	606.26	1348	119.52	11637	1543.28
अन्य	66188	6060.04	173232	19064.84	53570	7605.8
कुल	778134	71596.71	1161098	113513.38	1102481	128692.26

(स्रोत: नेफेड)

अवधि के दौरान न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) द्वारा घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों और प्याज की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर प्याज की न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) में कमी अथवा वृद्धि की जाती है। नेफेड द्वारा एमईपी का निर्धारण नासिक, जो महाराष्ट्र में प्रमुख प्याज उत्पादक जिला है, आजादपुर (दिल्ली), कोलकाता, चेन्नई आदि में प्याज की प्रचालित थोक दरों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2005-08 में प्याज का एमईपी (अप्रैल 2005-मार्च 2006)

दर अ.डा./प्र.मी. टन
सी एंड एफ

देश		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	अगस्त 22.8.05	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी 2005	जनवरी 19.1.05	फरवरी	मार्च
दुबई/शारजाह	बीबी	165	175	165	190	200	240	240	240	240	255	185	170	170	155
	सीटीआर	170	180	170	195	205	245	245	245	245	260	190	175	170	160
दोहा/मस्कट	सीटीआर	180	190	180	195	215	255	255	255	255	270	200	185	185	170
बहरीन, दम्मम	बीबी	180	190	180	205	215	255	255	255	255	270	200	185	185	170
	सीटीआर	195	205	195	220	230	270	270	270	270	285	215	200	200	185
कुवैत/जेद्दा	बीबी	180	190	180	205	215	255	255	255	255	270	200	185	185	170
	सीटीआर	195	205	195	220	230	270	270	270	270	285	215	200	200	185
मलेशिया/सिंगापुर	सीटीआर	165	175	165	190	200	240	240	240	240	255	185	170	170	155
पाकिस्तान	बीबी	145	155	145	170	180	220	220	220	220	235	165	150	150	135
	सीटीआर	165	175	165	190	200	240	240	240	240	255	185	170	170	155
श्रीलंका	सीटीआर40*	150	160	150	175	185	225	225	225	225	240	170	155	155	140
रि यूनियन	सीटीआर	270	280	270	295	305	345	345	345	345	360	290	275	275	260
पूर्व अफ्रीका तथा यूरोपीय पत्तन	एफओबी+भाड़ा	150	160	150	175	185	225	225	225	225	240	170	155	155	140
नेपाल सीमा	भारतीय रुपये	4500	4900	4500	5500	6000	7500	7500	7500	7500	8200	5500	5100	5100	5000
बंगलादेश सीमा		150	160	150	175	185	225	225	225	225	240	170	155	155	140
मनीला	ओआरसीटीआर	175	185	175	200	210	250	250	250	250	265	195	180	180	165
	आरईएफसीटीआर	250	260	250	275	285	325	325	325	325	340	270	255	255	240
ग्रीस (एथेंस)		235	245	235	260	270	310	310	310	310	325	255	240	240	225
पश्चिम अफ्रीकी पत्तन	बीबी	330	340	330	355	365	405	405	405	405	420	350	335	335	320
	सीटीआर	410	420	410	435	445	485	485	485	485	500	430	415	415	400
हैम्बर्ग (जर्मनी)	सीटीआर	260	270	260	285	295	335	335	335	335	350	230	265	265	250

(स्रोत: नेफेड)

वर्ष 2006-07 में प्याज का एमईपी (अप्रैल 2006-मार्च 2007)

दर अ.डा. प्रति मी. टन सीएंडएफ

देश		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	दिसम्बर 19.12.06	जनवरी	जनवरी 16.1.07	फरवरी	फरवरी 13.2.07	फरवरी 20.2.07	मार्च 2007
दुबई/शारजाह	बीबी	155	155	165	165	165	185	185	210	220	240	240	265	305	330	345	345
	सीटीआर	160	160	170	170	170	190	190	215	225	245	245	270	310	335	350	350
दोहा/मस्कट	सीटीआर	170	170	180	180	180	200	200	225	235	255	255	280	320	345	360	360
बहरीन, दम्मम	बीबी	170	170	180	180	180	200	200	225	235	255	255	280	320	345	360	360
	सीटीआर	185	185	195	195	195	215	215	240	250	270	270	295	335	360	375	375
कुवैत/जेद्द	बीबी	170	170	180	180	180	200	200	225	235	255	255	280	320	345	360	360
	सीटीआर	185	185	195	195	195	215	215	240	250	270	270	295	335	360	375	375
मलेशिया	सीटीआर	155	155	165	165	165	185	185	210	220	240	240	265	305	330	345	345
सिंगापुर	सीटीआर	130	130	140	140	140	160	160	185	195	215	215	240	280	305	320	320
पाकिस्तान	बीबी	135	135	145	145	145	165	165	190	200	220	220	245	285	310	325	325
	सीटीआर 40'	155	155	165	165	165	185	185	210	220	240	240	265	305	330	345	345
श्रीलंका	सीटीआर	140	140	150	150	150	170	170	195	205	225	225	250	290	315	330	330
रि यूनियन	सीटीआर	260	260	270	270	270	290	290	335	325	345	345	370	410	435	450	450
पूर्व अफ्रीका तथा यूरोपीय पत्तन	एफओबी+ एफआर	140	140	150	150	150	170	170	195	205	225	225	250	290	315	330	330
नेपाल सीमा	आईआरएस	5000	5000	5500	5500	5500	6500	6500	7500	8000	9000	9000	10500	13000	14000	14600	14600
बंगलादेश सीमा		140	140	150	150	150	190	190	215	215	235	235	260	300	325	340	340
मनीला	ओआरसीटीआर	165	165	165	165	165											
	आरएफसीटीआर	240	240	210	210	210	170	170	195	205	225	225	250	290	315	330	330
ग्रीस (एथेंस)		225	225	235	235	235	255	255	280	290	310	310	335	375	400	450	450

(स्रोत: नैफेड)

वर्ष 2007-08 में प्याज का एमईपी (अप्रैल 2007-मार्च 2008)

दर अ.डा. प्रति मी. टन सी एंड एफ

		16.4.07			19.06.07			20.08.07			19.11.07						
देश		अप्रैल		मई	जून		जुलाई	अगस्त		सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर		दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
दुबई/शारजाह	बीबी	305	255	225	225	305	325	345	445	445	495	495	425	250	200	180	180
	सीटीआर	310	260	230	230	310	330	350	450	450	500	500	430	255	205	185	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
दोहा/मस्कट	सीटीआर	320	270	240	240	320	340	360	460	460	510	510	440	265	215	195	195
बहरीन, दम्मम	बीबी	320	270	240	240	320	340	360	460	460	510	510	440	265	215	195	195
	सीटीआर	335	285	255	255	335	355	375	475	475	525	525	455	280	230	210	210
कुवैत/जेद्दा	बीबी	320	270	240	240	320	340	360	460	460	510	510	440	265	215	195	195
	सीटीआर	335	285	255	255	335	355	375	475	475	525	525	455	280	230	210	210
सिंगापुर	सीटीआर	305	255	225	225	305	325	345	445	445	495	495	425	250	200	180	180
मलेशिया	सीटीआर	280	230	200	200	280	300	320	420	420	470	470	400	225	175	165	165
पाकिस्तान	बीबी	285	235	205	205	285	305	325	425	425	425	425	405	230	180	160	160
	सीटीआर	305	255	225	225	305	325	345	445	445	445	445	425	250	200	180	180
मारीशस	ओआरसीटीआर	455	405	365	365	445	465	485	585	585	635	635	565	390	340	300	310
	आरएफसीटीआर	470	420	380	380	460	480	500	600	600	650	650	580	405	385	345	355
श्रीलंका	सीटीआर40'	290	240	210	210	290	310	330	430	430	480	480	410	235	185	165	165
रि यूनियन	सीटीआर	410	360	330	330	410	430	450	550	550	600	600	530	355	305	285	285
पूर्व अफ्रीका तथा यूरोपीय पत्तन	एफओबी+एफआर	290	240	210	210	290	310	330	430	430	480	480	410	235	185	165	165
नेपाल सीमा	आईआरएस	12500	10500	9500	9500	12700	13500	14500	18500	18500	20500	20500	17750	11250	7500	6500	6500
बंगलादेश सीमा		300	250	220	220	300	320	340	440	450	500	500	430	350	250	170	160
मनीला	आरएफसीटीआर	290	240	210	210	290	310	330	430	430	480	480	410	235	185	165	165
ग्रीस (एथेंस)		375	325	295	295	375	395	415	515	515	565	565	495	320	270	250	250

(स्रोत: नेफेड) लेजेंड: आरएफसीटीआर-रेफर कंटेनर, सीटीआर-कंटेनर, बीबी-बल्क ब्रेक, ओआरसीटीआर-सामान्य कंटेनर, एफओबी-पोत पर्यंत निःशुल्क, एफआर-भाड़ा, सीएंडएफ-लागत एवं भाड़ा

एन.आर.सी. का उन्नयन

2613. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीयक (एनआरसी) का उन्नयन करने की दिशा में कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके लिए दी गयी कुल निधियों सहित इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापिस भेजने की दिशा में राज्यों में अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) असम सरकार ने संगत रिकार्डों के आधार पर राष्ट्रीय नागरिकों के रजिस्टर (एन.आर.सी.) 1951 को अद्यतन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इसने एन.आर.सी. को अद्यतन

करने की रूपरेखा जून, 2008 में प्रस्तुत की है और इस पर कई अवसरों पर राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और अंतिम चर्चा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को गुवाहाटी में हुई। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं कि एन.आर.सी. को अद्यतन करने का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। भारत सरकार ने असम सरकार को कम्प्यूटर प्रापण के लिए अक्तूबर, 2005 में 1.02 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है और संगत रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने पर सहमति प्रकट की है। असम सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में 32 (बत्तीस) विदेशी अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

2614. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती दर के मद्देनजर गांवों में शिक्षा देने के लिए एडुसेट प्रणाली उपयोगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एडुसेट उपग्रह से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले/विद्यालय न जाने वाले बच्चों को कितना लाभ मिला है/मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एडुसेट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और राजस्थान राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में स्थित गांवों में स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी है।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान यूनिट द्वारा किये गये प्रभावी अध्ययन से यह उजागर हुआ है कि एडुसेट प्रसारण शामिल किये गये क्षेत्रों में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करने की दिशा में नियमित रूप से निरन्तर प्रगति कर रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कवरेज

2615. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अभी भी 31648 बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक नवोन्मेषी शिक्षा केन्द्र की सुविधा नजदीक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा में बताया गया है कि 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 31648 बस्तियों में एक किलोमीटर के भीतर कोई प्राथमिक स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत 31.3.2007 तक 1,86,985 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 98% बस्तियों में एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक स्कूल है जबकि कम जनसंख्या वाली बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र अथवा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार

2616. श्री रशीद मसूद:
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस के कर्मियों के विरुद्ध ब्लू लाइन बस प्रचालकों से रिश्वत लेने और अन्य अपराधों/भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जैसाकि दिनांक 5 अप्रैल, 2008 के "हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रैंकवार, और अपराध-वार कुल कितने अधिकारी संलिप्त है;

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस में डीसीपी/एसीपी/टीआई/जेडओ की संख्या कितनी है; तथा प्रत्येक बिंदु पर तैनाती की वैधानिक अवधि कितनी है;

(घ) भ्रष्टाचार में संलिप्त यातायात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और प्रारंभ हुई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में रैंकवार ऐसे कितने यातायात पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाया गया/दोषी पाया गया/सेवा से बर्खास्त किया गया;

(च) क्या किसी यातायात पुलिस कर्मी के पास उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पायी गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इन कर्मियों के विरुद्ध रैंकवार क्या कार्रवाई की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) हिन्दुस्तान में दिनांक 5 अप्रैल, 2008 को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 95 कार्मिकों के निलम्बन के संबंध में एक खबर प्रकाशित हुई थी। रिट याचिका संख्या 29/2008 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा एक जांच कार्मिकों संलिप्त पाया गया:

उप-निरीक्षक-17

सहायक उप निरीक्षक-15

हैड कांस्टेबल-7

कांस्टेबल-55

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन में रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) विवरण के अनुरूप।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2005		
1.	कांस्टेबल जसबीर 3254-टी	थाना एसी शाखा में पीओसी अधिनियम की धारा 7/13 के अंतर्गत दिनांक 12.1.2005 को मामला प्राथमिकी संख्या 7/2005। विचारण लम्बित।
2006		
1.	कांस्टेबल रंजन 2655-टी	बर्खास्त। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सेवा में बहाली। पीएसएसी ब्रांच में पीओसी अधिनियम की धारा 7/13 के अंतर्गत आपराधिक मामला प्राथमिकी संख्या 24/06 विचारण के लिए लम्बित है।
2.	कां. धनवीर 1370-टी	बर्खास्त, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सेवा में बहाली। पीएसएसी ब्रांच में, भारतीय दंड संहिता की धारा, 120-ख तथा पीओसी अधिनियम की धारा 7/13 के अंतर्गत आपराधिक मामला प्राथमिकी संख्या 37/06, विचारण लम्बित है।
3.	कांस्टेबल सुखबीर 3717-ट	बर्खास्त/न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पुन: बहाली पीएसएसी ब्रांच में पीओसी अधिनियम की धारा 7/8/13 के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 47/06 विचारणार्थ लम्बित।
4.	कांस्टेबल सतपाल 3764-टी	बर्खास्त। कोर्ट आर्डर के अनुसरण में बहाल। पीएसएसी ब्रांच में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और पीओसी अधिनियम की धारा 7/8/13 के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 61/06 विचारण के लिए लम्बित।
5.	कांस्टेबल कप्तान 4030-टी	बर्खास्त। कोर्ट आर्डर के अनुसरण में बहाल/पीएसएसी ब्रांच में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख तथा पीओसी आपराधिक प्राथमिकी संख्या 61/06 विचारण के लिए लम्बित।

6.	एसआई प्रवीण डी-3704	बर्खास्त। कोर्ट आर्डर के अनुसरण में सेवा में बहाली। पीएसएसी ब्रांच में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख तथा पीओसी अधिनियम की धारा 7/8/13 के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 61/06 विचारणार्थ लम्बित।
2007		
1.	कांस्टेबल राजीव कुमार 3767-ए	बर्खास्त। कोर्ट आर्डर के अनुसरण में सेवा में बहाल।
2.	कांस्टेबल दीपक 3238-टी	बर्खास्त। कोर्ट आर्डर के अनुसरण में सेवा में बहाली। पीएस अलीपुर में आईपीसी की धारा 170/383/341 के अंतर्गत आपराधिक मामला प्राथमिकी संख्या 156/07 विचारण के लिए लम्बित।
3.	कांस्टेबल प्रमोद 1639-टी	बर्खास्त। कोर्ट आर्डर के अनुसरण में सेवा में बहाली पीएसएसी ब्रांच में पीओसी अधिनियम की धारा 7/13 के अंतर्गत आपराधिक मामला प्राथमिकी संख्या 30/07 विचारण के लिए लम्बित।
2008		

पुलिस कार्मिक के खिलाफ थाना जनकपुरी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दर्ज मामले की जांच का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

आतिथ्य एवं पर्यटन विश्वविद्यालय की स्थापना

2617. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत का प्रथम आतिथ्य एवं पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापित करने का है, जोकि शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों को सीखने और उनको विकसित करने के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इसके कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना

2618. श्री रामदास आठवले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चल रहे एल्युमिनियम संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित एल्युमिनियम की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में नए एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) देश में प्रचालनरत एल्युमिनियम संयंत्र निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	एल्युमिनियम संयंत्र की अवस्थिति	वर्तमान में संस्थापित क्षमता (टन में)
1.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको)	अंगुल, उड़ीसा	3,45,000
2.	हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लि.	हीराकुण्ड, उड़ीसा	1,26,000
3.	वेदान्त एल्युमिनियम लि.	झारसुगड़ा, उड़ीसा	2,50,000
4.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बालको)	कोरबा, छत्तीसगढ़	3,45,000
5.	हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लि.	रेनुकूट, उत्तर प्रदेश	3,45,000
6.	मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लि. (मालको)	मेट्टुरडेम, तमिलनाडु	38,000

(ख) विगत तीन वर्षों और अप्रैल से नवम्बर, 2008 तक के दौरान उत्पादित प्राथमिक एल्युमिनियम की मात्रा नीचे दी गई है:

उत्पादन टन में

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नव., 08 तक)*
1.	उड़ीसा	4,25,301	4,32,553	4,60,027	3,43,585
2.	छत्तीसगढ़	1,60,155	3,13,189	3,58,671	2,41,628
3.	उत्तर प्रदेश	3,62,793	3,68,867	3,78,153	2,57,877
4.	तमिलनाडु	36,718	37,652	37,635	23,224

*अनंतिम आंकड़े

(ग) से (ङ) देश में सरकार द्वारा अतिरिक्त एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, देश के प्राथमिक उत्पादकों ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में सूचित किया है:

कम्पनी का नाम	विस्तार की प्रकृति/ स्थापित किये जाने वाले अतिरिक्त संयंत्र	स्थान	प्रतिवर्ष टन में प्रस्तावित क्षमता विस्तार
1	2	3	4
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	मौजूदा एल्युमिनियम प्रगालक का विस्तार	अंगुल, उड़ीसा	1.15 लाख टीपीए तक बढ़ोत्तरी

1	2	3	4
भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.	मौजूदा एल्युमिनियम प्रगालक का विस्तार	कोरबा, छत्तीसगढ़	प्रथम चरण में 3.25 लाख टीपीए तक बढ़ोत्तरी
हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि.	ग्रीनफील्ड परियोजना	लापांग उड़ीसा	3.59 लाख टीपीए
-वही-	ग्रीनफील्ड परियोजना	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	3.59 लाख टीपीए
-वही-	ग्रीनफील्ड परियोजना	रांची झारखण्ड	3.59 लाख टीपीए
वेदान्त एल्युमिनियम लि.	मौजूदा प्रगालक का ब्राउनफील्ड विस्तार	झारसुगड़ा, उड़ीसा	2.50 लाख टीपीए तक बढ़ोत्तरी

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

2619. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रशिक्षण-सह-उत्पाद विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

चाय के पुन: बागान लगाना

2620. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में कॉफी/चाय के पुन: बागान लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना से विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार गैर-परंपरागत क्षेत्रों (एनटीए) अर्थात् आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के उपयुक्त भागों में कॉफी की खेती को पहले से ही प्रोत्साहित कर रही है। आंध्र प्रदेश चाय उत्पादक राज्य नहीं है और चाय की अच्छी फसल के लिए इसे अनुपयुक्त पाया गया है। 11वीं योजना के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कॉफी के विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
आंध्र प्रदेश	16000
उड़ीसा	100
कुल	17100

(ग) एनटीए में कॉफी की कृषि के अंतर्गत कुल 40916 हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें से 37773 हेक्टेयर आंध्र प्रदेश में और शेष 3143 हेक्टेयर उड़ीसा में है। 11वीं योजना अवधि के दौरान एनटीए में कॉफी के विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें से 40 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश के लिए तथा 5.00 करोड़ रुपये उड़ीसा के लिए निर्धारित किये गये हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा

2621. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा का प्रसार असंतुलित ढंग से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों में तकनीकी शिक्षा के संस्थान खोलने का निर्णय लिया है जहां अन्य राज्यों की तुलना में कम संस्थान हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दिशा में सरकार ने ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है जो ऐसी सुविधाओं के लिए उन अन्य राज्यों में जाते हैं जहां ये सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में नई संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई तकनीकी संस्थाओं के अनुमोदन के कतिपय लचीले मानदंड निर्धारित किये हैं।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की राज्यवार/कार्यक्रमवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) सरकार ने कौशल विकास विषयक समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्नीकों के उप-मिशन की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत असेवित और कम सेवित जिलों में नए पॉलिटेक्नीकों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है। सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप के तहत नए पॉलिटेक्नीकों की स्थापना हेतु आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

31.8.2008 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	पीजीडीएम	एमबीए	एमसीए	फार्मेसी	एचएमसीटी	अनुप्रयुक्त कलाएं एवं शिल्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्य प्रदेश	161	7	56	47	93	4	0
2.	छत्तीसगढ़	41	3	7	7	11	0	0
3.	गुजरात	55	11	51	26	75	1	0
	उप-जोड़	257	21	114	80	179	5	0
4.	मिजोरम	1	0	0	1	1	0	0
5.	सिक्किम	1	0	1	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	उड़ीसा	68	15	29	37	15	2	0
7.	पश्चिम बंगाल	71	2	27	27	10	4	0
8.	त्रिपुरा	3	0	0	1	1	0	0
9.	मेघालय	1	0	0	1	0	0	0
10.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
12.	असम	7	1	5	3	2	0	0
13.	मणिपुर	1	0	1	0	0	0	0
14.	नागालैंड	1	0	0	0	0	0	0
15.	झारखंड	13	3	4	2	1	0	0
	उप-जोड़	168	21	67	72	31	6	0
16.	बिहार	15	1	11	6	4	0	0
17.	उत्तर प्रदेश	241	77	125	101	91	10	1
18.	उत्तराखण्ड	19	2	23	13	14	7	0
	उप-जोड़	275	80	159	120	109	17	1
19.	चंडीगढ़	5	1	0	2	1	0	1
20.	हरियाणा	116	10	56	29	34	3	0
21.	जम्मू-कश्मीर	7	0	9	3	1	0	0
22.	नई दिल्ली	19	24	13	18	6	1	1
23.	पंजाब	70	4	55	24	38	8	0
24.	राजस्थान	81	15	49	19	54	8	0
25.	हिमाचल प्रदेश	9	0	8	1	11	1	0
	उप-जोड़	307	54	190	96	145	21	2
26.	आंध्र प्रदेश	527	31	231	385	258	2	0
27.	पांडिचेरी	9	0	1	6	1	0	1
28.	पुडुचेरी	352	5	154	208	43	1	0
	उप-जोड़	888	36	386	599	302	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	कर्नाटक	157	15	109	73	80	20	0
30.	केरल	94	7	37	38	33	4	0
	उप-जोड़	251	22	146	111	113	24	0
31.	महाराष्ट्र	239	48	168	58	120	10	6
32.	गोवा	3	1	1	1	2	0	1
33.	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
	उप-जोड़	242	49	169	59	122	10	7
	सकल योग	2388	283	1231	1137	1001	86	11

आपराधिक मामलों का पंजीकरण

2622. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत किये, निपटाए गए तथा लंबित आपराधिक मामलों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई दोषसिद्धि की दर तथा असमाधेय मामलों तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित किये गये मामलों की संख्या क्या है;

(ग) क्या दोष सिद्धि की दर कम रही है तथा असमाधेय मामलों की संख्या अधिक रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या प्रथम एवं द्वितीय पुलिस सुधार आयोग का यह मत था कि देश भर में पुलिस कार्यकरण संतोषजनक नहीं रहा है जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई; और

(च) सरकार द्वारा देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए उठाये गये कदमों का क्या निष्कर्ष निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) अपराध संबंधी आंकड़ों का संकलन वार्षिक आधार पर करता है। राज्य-वार दर्ज किये गये अपराध मामलों, निपटाए गए मामलों और दोषसिद्धि दर सहित लंबित मामलों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सी.बी.आई. को अन्तरित मामलों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2005	209
2006	242
2007	148
2008 (30.9.2008 तक)	73

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" तथा "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है और इस कारण, अपराध के मामलों का निवारण करने, संसूचन करने, दर्ज करने, जांच करने तथा अभियोजन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, संघ सरकार अपराध निवारण के मामले को उच्चतम महत्व देती है और अत: राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपराध रोकने और नियंत्रित करने तथा मामलों की शीघ्र जांच/अभियोजन और विचारण से संबंधित पहलुओं पर समय-समय पर निदेश देती रहती है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस की समस्याओं का अध्ययन करने तथा पुलिस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने के लिए 1977 में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) का गठन किया गया। एन.पी.सी. ने पुलिस कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। विभिन्न अन्य समितियों ने भी पुलिस सुधारों से संबंधित सिफारिशें समय-समय पर की हैं। उनकी रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी जांच एवं समुचित कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है। केन्द्रीय सरकार नियमित आधार पर राज्य सरकारों का अनुकरण कर रही है।

''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय है। तथापि केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं।

पुलिस थाना तथा अन्य स्तरों पर अवस्थापना में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सहायता, आवाजाही, अत्याधुनिक हथियार तथा उपकरण, संचार प्रणाली, आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण आदि। विधि विज्ञान संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण ग्यारहवीं योजना में 2000 करोड़ रुपये के आवंटन से ''क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) योजना'' के अंतर्गत स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर का डाटा का सृजन तथा पुलिस थाना स्तर पर अन्य स्तरों के साथ पुलिस प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता, इंडिया रिजर्व गठित करने के प्रावधान सहित, गठन करने के लिए सहायता।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान हुई घटनाएं तथा आईपीसी मामलों का निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जांच स्तर							विचारण स्तर						
		वर्ष के दौरान दर्ज मामले	पिछले वर्ष के लंबित जांच के लिए लंबित कुल मामले	वर्ष के दौरान जांच पूरी कर ली गई है				वर्ष के अंत में जांच के लिए लंबित मामले	पिछले वर्ष लंबित अनुपूर्ण जांच विचारण के लिये लंबित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये अन्तिम मामले	वर्ष के दौरान जांच पूरी हो गई			दोषसिद्धि दर	वर्ष के अन्त में विचारण के लिए लंबित मामले
				मामलों की कुल संख्या जिसके संबंध में आरोप निश्चित किए गए	आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये मामले	मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई	कुल				दोषसिद्ध मामले	दोषमुक्त किए गए मामले	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	157123	212258	16203	125092	20177	161472	50758	336188	25718	30614	50658	81272	37.7	229198
2.	अरुणाचल प्रदेश	2304	3314	0	1463	1000	2463	851	14029	173	402	304	706	56.9	13150
3.	असम	42006	86628	2649	22710	13557	38916	47688	94791	2302	3690	16398	20088	18.4	72401
4.	बिहार	97850	177468	3408	68729	19487	91624	85842	458363	2693	7258	40463	47721	15.2	407949
5.	छत्तीसगढ़	43633	45623	79	33170	8722	41971	3505	160245	4255	11085	9184	20269	54.7	135721
6.	गोवा	2119	3485	7	1097	769	1873	1612	6699	58	267	692	959	27.8	5682
7.	गुजरात	113414	121572	930	86877	22318	110125	11400	729906	3724	16678	37327	54005	30.9	672177
8.	हरियाणा	42664	47440	2695	28980	8771	40446	6994	140218	240	10758	17153	27911	38.5	112067
9.	हिमाचल प्रदेश	12345	14622	739	10140	1329	12208	2414	51403	1462	1793	6305	8098	22.1	41843
10.	जम्मू-कश्मीर	20115	27113	1573	14375	3904	19852	7256	69202	1885	4071	5591	9662	42.1	57655
11.	झारखंड	35175	58538	330	21107	9684	31121	27413	99994	2072	4061	12403	16464	24.7	81458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	कर्नाटक	117580	155797	5699	80432	18499	104630	50348	276582	9122	22511	52522	75033	30.0	192427
13.	केरल	104350	135763	6674	91625	8393	106692	29050	368859	6540	42525	40572	83097	51.2	279222
14.	मध्य प्रदेश	189172	194642	632	159646	27490	187768	6719	710127	52362	53764	52709	106473	50.5	551292
15.	महाराष्ट्र	187027	245786	2495	126514	50794	179803	65904	1148076	9627	7816	58762	66578	11.7	1071871
16.	मणिपुर	2913	7586	0	128	2111	2239	5322	2732	13	57	41	98	58.2	2621
17.	मेघालय	1880	5444	9	662	746	1417	4026	7891	69	209	252	461	45.3	7361
18.	मिजोरम	2156	2795	0	2044	252	2296	499	3278	121	335	103	438	76.5	2719
19.	नागालैंड	1049	2845	0	1049	1153	2202	642	3518	5	1195	964	2159	55.3	1354
20.	उड़ीसा	51685	61195	1766	40644	5103	47513	13563	270378	42	3998	22812	26810	14.9	243526
21.	पंजाब	27136	40032	1994	19237	5215	26446	13377	82049	350	4338	8163	12501	34.7	69198
22.	राजस्थान	140917	145979	28959	91615	20898	141472	4494	472639	20599	37195	26882	64077	58.0	387963
23.	सिक्किम	552	958	0	278	157	435	523	472	35	90	99	189	47.6	248
24.	तमिलनाडु	162360	199038	12802	145181	8416	166399	31659	336132	1724	89979	54605	144584	62.2	189824
25.	त्रिपुरा	3356	4686	25	2505	1102	3632	1054	8366	0	418	1989	2407	17.4	5959
26.	उत्तर प्रदेश	122108	136223	8912	86431	26130	121473	14749	499951	8464	49025	34590	83615	58.6	407872
27.	उत्तराखंड	8033	9568	641	4934	2226	7801	1766	22093	511	1937	1315	3252	59.6	18330
28.	पश्चिम बंगाल	66406	99164	313	51266	17767	69346	29740	400016	1166	3691	18703	22394	16.5	376456
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	682	1090	0	474	148	622	468	3921	0	53	46	99	53.5	3822
30.	चंडीगढ़	3133	3723	56	1625	1078	2759	964	7013	0	573	323	896	64.0	6117
31.	दादरा और नगर हवेली	434	552	20	293	74	387	165	1838	0	6	160	166	3.6	1672
32.	दमन और दीव	243	294	0	129	83	212	82	723	7	18	58	71	18.3	645
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	56065	109044	554	42229	18667	61450	47326	196101	0	17508	10694	28202	62.1	167899
34.	लक्षद्वीप	42	112	0	22	5	27	85	67	0	5	6	11	45.5	56
35.	पुदुचेरी	4575	5281	19	4565	159	4743	515	7648	177	2173	301	2474	87.8	4997

वर्ष 2006 के दौरान हुई घनटाएं तथा आईपीसी मामलों का निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जांच का							विचारण का						
		वर्ष के दौरान दर्ज मामले	पिछले वर्ष से लंबित मामलों सहित जांच के लिए लंबित कुल मामले	मामले जिन पर जांच पूरी कर ली गई है				वर्ष के अंत में जांच के लिए लंबित मामले	पिछले वर्ष लंबित मामलों सहित विचारण के लिए लंबित कुल मामले	समाप्त किये गए मामले	मामले जिनमें जांच पूरी हो गई			दोषसिद्धि का	वर्ष की समाप्ति पर विचारण के लिए लंबित मामले
				रिपोर्ट की पुलिस अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर आरोप निरस्त कर दिए	आरोप पत्र दाखिल किये गये मामले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई	कुल				दोषसिद्ध मामले	निरस्त किए गए मामले	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	173909	224667	14979	124089	15797	154865	69775	353273	23649	27712	47440	75152	36.9	254472
2.	अरुणाचल प्रदेश	2294	3145	0	1281	813	2094	1051	14431	164	384	291	675	56.9	13592
3.	असम	43673	91361	2955	23460	14222	40637	50673	95861	2228	4751	17763	22514	21.1	71119
4.	बिहार	100665	186507	4059	67494	22969	94522	91983	475443	4850	8458	44431	52889	16.0	417704
5.	छत्तीसगढ़	45177	48682	183	36508	8243	44934	3715	172202	4016	13276	7452	20728	64.0	147458
6.	गोवा	2204	3816	7	1238	909	2154	1662	6919	44	268	643	911	29.4	5964
7.	गुजरात	120972	132372	708	92019	22349	115076	17153	764195	3698	19883	35497	55380	35.9	705117
8.	हरियाणा	50509	57503	3106	34313	10262	47681	9822	146380	269	9582	15850	25432	37.7	120679
9.	हिमाचल प्रदेश	13093	15507	919	10146	1624	12689	2818	51989	979	1916	4662	6578	29.1	44432
10.	जम्मू-कश्मीर	20787	28043	1702	15803	3432	20937	7104	73458	2539	4882	6332	11214	43.5	59705
11.	झारखंड	36364	63777	476	22192	9926	32594	31181	103647	1113	5434	15886	21320	25.5	81214
12.	कर्नाटक	117710	168058	5956	82890	19212	108058	59110	275304	9784	23548	53348	76896	30.6	188624
13.	केरल	105255	134305	6371	89790	11021	107182	27053	368938	6044	35795	45809	81604	43.9	281290
14.	मध्य प्रदेश	194711	201430	794	164435	28482	193711	7573	715573	48044	61046	46537	107583	56.7	559946
15.	महाराष्ट्र	191788	257692	3015	126941	51053	181009	76667	1198700	8884	7615	58063	65678	11.6	1124138
16.	मणिपुर	2884	8206	0	155	1804	1959	6246	2776	17	171	27	198	86.4	2561
17.	मेघालय	1935	5956	4	905	1076	1985	3971	8273	35	203	400	603	33.7	7635
18.	मिजोरम	2073	2572	0	2025	275	2300	272	4744	2	3137	67	3204	97.9	1538
19.	नागालैंड	1103	1745	0	545	242	787	958	1899	6	574	26	600	95.7	1293
20.	उड़ीसा	52792	66355	1912	41243	5328	48483	17807	284769	9	4672	22177	26849	17.4	257911
21.	पंजाब	32068	45445	1975	20931	5060	27966	16829	90129	229	5377	9161	14538	37.0	75362
22.	राजस्थान	141992	146486	30413	91826	19927	142166	4302	475602	20116	46096	31573	77669	59.3	377817
23.	सिक्किम	703	1226	1	384	121	506	720	632	38	76	70	146	52.1	448
24.	तमिलनाडु	148972	180631	10589	131443	8545	150577	28945	321267	2055	83004	51488	134492	61.7	184720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	त्रिपुरा	3940	4994	10	2817	1123	3950	1044	8776	0	393	1438	1831	21.5	6945
26.	उत्तर प्रदेश	127001	141750	9452	91655	27419	128526	13224	499527	7536	48034	36372	84406	56.9	407585
27.	उत्तराखंड	8412	10178	504	5493	2404	8401	1777	23822	661	2352	1513	3865	60.9	19296
28.	पश्चिम बंगाल	68052	97792	579	49012	16336	65927	31541	425468	2038	5628	30126	35754	15.7	387676
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	676	1144	0	514	177	694	450	4339	5	124	81	205	60.5	4129
30.	चंडीगढ़	3126	4090	99	1817	1163	3079	1011	7934	0	866	577	1443	60.0	6491
31.	दादरा और नगर हवेली	435	600	8	310	61	379	221	1982	0	20	221	241	8.3	1741
32.	दमन और दीव	288	370	0	108	59	167	203	753	4	12	64	76	15.8	673
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	57963	105289	570	37276	18802	56648	48337	205175	0	19624	10564	30188	65.0	174987
34.	लक्षद्वीप	80	167	0	30	17	47	120	83	9	1	4	5	20.0	69
35.	पुदुचेरी	4687	5202	26	3191	267	3484	1696	8188	66	2602	651	3253	80.0	4869

वर्ष 2007 के दौरान हुई घटनाएं तथा आईपीसी मामलों का निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ राक्षित	संघ स्तर							विचारण स्तर						
		वर्ष के दौरान दर्ज मामले	पिछले वर्ष के लंबित मामलों सहित संघ के लिए लंबित कुल मामले	मामले जिन पर संघ पूरी कर ली गई है				वर्ष के अंत में संघ के लिए लंबित मामले	पिछले वर्ष लंबित अनुसूची विचारण के लिये लंबित कुल मामले	सम्मानपद किये गए अथवा वापस लिये गये मामले	मामले जिनमें संघ पूरी हो गई			पेंडेंसी दर	वर्ष की समाप्ति पर विचारण के लिए लंबित मामले
				वर्ष की पूरक अवधि विधि के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	अंतिम रूप दिये गये मामले	मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई	कुल				दोषसिद्धि मामले	निर्दोष छूट गए मामले	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	175087	244862	17940	148066	19525	185531	59304	402528	33258	35380	57811	93191	38.0	276079
2.	अरुणाचल प्रदेश	2286	3337	0	1362	1030	2392	945	14954	124	260	179	439	59.2	14391
3.	असम	45282	95955	3683	23335	16301	43319	52548	94454	1542	5042	17300	22342	22.6	70570
4.	बिहार	109420	201403	8539	81292	29303	119134	82268	498996	4919	8966	44794	53760	16.7	440317
5.	छत्तीसगढ़	45845	49560	239	35652	8778	44669	4885	183107	5045	14682	11544	26226	56.0	151836
6.	गोवा	2479	4141	7	1153	912	2072	2069	7117	49	285	647	932	30.6	6136
7.	गुजरात	123195	140348	610	100655	22815	124080	16118	805772	3062	25634	35018	60652	42.3	742058
8.	हरियाणा	51597	61419	3176	35510	12194	50880	10539	156189	297	8938	16154	25092	35.6	130800
9.	हिमाचल प्रदेश	14222	17040	903	10696	1764	13363	3677	55128	1425	1475	4343	5818	25.4	47885
10.	जम्मू-कश्मीर	21443	28547	2114	16792	3416	22322	6220	76497	2057	4346	4868	9214	47.2	65226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	झारखंड	38489	69670	1789	24568	9183	35540	34088	105782	883	8102	24878	32980	24.6	71919
12.	कर्नाटक	120606	179716	7650	94831	19353	121834	56975	283414	8115	24533	45918	70451	34.8	204848
13.	केरल	108530	135583	5436	92771	9641	107848	27735	373809	9328	34728	43370	78098	44.5	286383
14.	मध्य प्रदेश	202386	209959	760	170774	30522	202056	7761	730708	44529	52579	48606	101185	52.0	584994
15.	महाराष्ट्र	195707	272374	3402	131761	53097	188260	84092	1255881	7265	7497	59804	67301	11.1	1181315
16.	मणिपुर	3259	9505	0	80	1738	1818	7686	2641	5	23	23	46	50.0	2590
17.	मेघालय	2079	6050	5	651	647	1303	4747	8286	29	246	251	497	49.5	7760
18.	मिजोरम	2083	2355	0	1814	304	2118	237	3352	0	1666	380	2046	81.4	1306
19.	नागालैंड	1180	2138	0	604	623	1227	911	1897	24	554	46	600	92.3	1273
20.	उड़ीसा	54872	72679	1636	41951	5901	49488	23112	299859	22	3736	19682	23418	16.0	276419
21.	पंजाब	35793	52622	2203	23648	7681	33532	19090	99010	77	5615	9313	14928	37.6	84005
22.	राजस्थान	148870	153172	33567	92544	21712	147823	5301	469312	20543	39821	25397	65218	61.1	383551
23.	सिक्किम	667	1387	0	319	100	419	968	767	49	95	111	206	46.1	512
24.	तमिलनाडु	172754	201699	12661	141942	10354	164957	36008	326660	778	74233	47006	121239	61.2	204643
25.	त्रिपुरा	4273	5317	0	3361	1138	4499	818	10306	0	481	2326	2807	17.1	7499
26.	उत्तर प्रदेश	150258	163482	15091	96312	36266	147669	15813	503897	6724	43749	37271	81020	54.0	416153
27.	उत्तराखंड	9599	11376	651	6222	2574	9447	1929	25518	865	3803	1920	5723	66.5	18930
28.	पश्चिम बंगाल	81102	112643	335	57726	18833	76894	35734	445402	1937	3095	20291	23386	13.2	420079
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	807	1257	0	632	165	797	460	4761	9	123	139	262	46.9	4490
30.	चंडीगढ़	3643	4654	96	1224	1440	2760	1894	7715	0	832	762	1594	52.2	6121
31.	दादरा और नगर हवेली	425	646	19	239	89	347	290	1980	0	15	158	173	8.7	1807
32.	दमन और दीव	260	463	0	131	164	295	168	804	24	28	114	142	19.7	638
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	56065	104402	867	32027	17631	50525	53679	207014	0	20129	10989	31118	64.7	175896
34.	लक्षद्वीप	56	176	0	25	16	41	135	94	0	1	0	1	100.0	93
35.	पुदुचेरी	5054	6750	55	5041	490	5586	1104	9910	98	3237	347	3584	90.3	6228

[अनुवाद]

महिलाओं पर तेजाब डालना

2623. श्री किन्जरपु येरणनायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं पर तेजाब से हमला करने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले की सूचना दी गई/अपराधी गिरफ्तार किये गये, जेल में डाले गए, दोषी ठहराए गए और दोषसिद्धि की दर क्या रही;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अपराध के दण्ड को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, भारत में अपराध से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। तथापि, महिलाओं पर तेजाब से हमला करने की घटनाओं से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) इस अपराध के लिए दंड बढ़ाने का मामला, सिविल रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय के सम्मुख उठाया गया है। मामला न्यायाधीन है।

कैदियों का उत्पीड़न

2624. श्री अधीर चौधरी:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री देविदास पिंगले:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश की विभिन्न जेलों में कैदियों के उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि पर कड़ा रुख अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लिंग-वार और राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) क्या सरकार ने जेलों में महिलाओं के उत्पीड़न सहित इस रुझान को रोकने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश बनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैदियों अथवा उनके रिश्तेदारों द्वारा दर्ज किये गये अत्याचारों संबंधी प्राप्त उन शिकायतों पर विचार करता है जिसमें हिरासत में हुई मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, बाल कैदियों का शोषण, कैदियों को सताना, यौन प्रताड़ना तथा चिकित्सा सुविधा, सही भोजन नहीं देना शामिल हैं इसके बाद, प्रत्येक मामले की अर्हता के आधार पर आयोग उपयुक्त सिफारिशें करता है।

(ख) 2006-07 से 2008-09 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्राप्त की गयी जानकारी अथवा शिकायतों के लिंगवार एवं राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ''पुलिस'' और ''कारागार'' संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं तथा इसका उत्तरदायित्व प्रधानत: संबंधित राज्य सरकारों पर होता है। फिर भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परामर्शें भी दी जाती हैं। हालांकि भारत सरकार ने 2003 में समस्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों के बीच उनके मार्गदर्शन एवं अंगीकार के लिए एक आदर्श कारागार नियमावली परिचालित की है जिसमें महिला कैदियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इन सुविधाओं में महिला कैदियों के लिए पृथक् जेल/बैरक, महिला कर्मचारियों की तैनाती, जेल में महिला कैदियों एवं उनके बच्चों को उपयुक्त चिकित्सा देखभाल, महिला कैदियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं, अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे सेनेटरी नैपकिन आदि मुहैया कराना, विभिन्न मनोरंजनात्मक एवं सुधारात्मक कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

विवरण

2006-07 से 2008-09 (11.12.08 तक) के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पंजीकृत मामलों के लिंगवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2006-07				2007-2008				2008-09 (11.12.2008 तक)			
		पुरुष	महिला	समूह	अज्ञात	पुरुष	महिला	समूह	अज्ञात	पुरुष	महिला	समूह	अज्ञात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	121	0	0	2	127	7	2	0	90	3	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4.	असम	16	1	0	0	19	0	0	0	23	0	1	1
5.	बिहार	213	4	2	2	263	3	3	3	115	3	4	1
6.	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	56	0	1	0	47	1	1	0	31	1	1	1
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	67	3	2	2	88	3	3	2	58	5	10	5
10.	विदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1
11.	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
12.	गुजरात	54	1	0	1	65	0	0	0	66	4	0	1
13.	हरियाणा	75	2	2	4	90	2	6	0	64	1	1	0
14.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	0	6	0	0	0	14	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
16.	झारखंड	70	0	2	3	89	3	5	1	43	3	3	3
17.	कर्नाटक	60	1	0	0	79	3	0	4	54	0	1	2
18.	केरल	36	2	0	0	55	1	0	0	30	1	0	0
19.	मध्य प्रदेश	75	1	0	3	120	3	4	0	70	1	0	2
20.	महाराष्ट्र	144	1	0	2	185	4	4	5	105	3	4	6
21.	नागालैंड	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
22.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	उड़ीसा	54	1	0	4	56	4	2	0	40	3	2	0
25.	पुडुचेरी	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0
26.	पंजाब	89	8	1	0	123	1	5	2	56	2	0	2
27.	राजस्थान	77	0	1	0	93	2	7	4	63	1	1	1
28.	सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु	109	3	0	1	109	4	0	0	52	3	0	0
30.	त्रिपुरा	5	0	0	0	4	0	1	0	6	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	467	12	8	11	579	20	14	7	374	14	9	12
32.	उत्तरांचल	25	3	0	0	23	2	1	2	22	4	0	1
33.	पश्चिम बंगाल	71	1	2	0	86	7	0	0	71	0	0	2
	योग	1895	44	21	36	2317	72	60	32	1462	53	38	42
	कुल योग			1996				2481				1595	

[हिन्दी]

असम समझौता

2625. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 1985 के असम समझौते के तहत इसकी बाध्यताओं पर की गई कार्यवाही का खण्ड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन वचनबद्धताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी पूरा किया जाना है और इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) 2005 में हुई त्रिपक्षीय बैठक में दिये गये आश्वासनों का तथा अब तक की हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का असम समझौते पर आगे त्रिपक्षीय बैठक करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक बुलाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) असम समझौते के सभी उपबंधों को लागू करने के लिए कार्रवाई की गई है। समझौते के कुछ उपबंध उदाहरणार्थ घुसपैठ रोकने के उपाय, असम का तेजी से चहुंमुखी आर्थिक विकास आदि उपबंध, सतत स्वरूप के उपबंध हैं। अत: इनका नियमित रूप से अनुवीक्षण किये जाने की जरूरत है। समझौते का अनुच्छेदवार कार्यान्वयन दर्शाने वाली मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ग) दिनांक 5 मई, 2005 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार, असम सरकार और अखिल असम विद्यार्थी संघ (ए.ए.एस.यू.) के पदाधिकारी स्तर की अगली त्रिपक्षीय बैठक निकट भविष्य में आयोजित किये जाने की आशा है।

विवरण I

अनुच्छेद 5-विदेशियों से संबंधित मुद्दे

1. नागरिकता अधिनियम, 1955; नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को संशोधित किया गया।

2. जिन विदेशियों ने 1.1.1966 से 24.3.71 के बीच असम में प्रवेश किया है उनके संबंध में विशेष पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

3. विदेशियों/अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकार और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सहायता करने हेतु विदेशियों की घुसपैठ निवारण (पीआईएफ) के तहत मंजूर किये गये 1280 अतिरिक्त पदों सहित कुल 3153 पद मंजूर किये गये हैं।

4. अवैध प्रवासियों/विदेशियों का पता लगाने के लिए विदेशियों विषयक अधिनयम, 1946 के प्रावधानों के अंतर्गत असम राज्य में 32 विदेशी विषय अधिकरण गठित किये गये हैं। जून, 2008 तक 1971 से पूर्व की धारा में कुल 30,133 व्यक्तियों और 1971 के बाद की धारा में 1245 व्यक्तियों को विदेशियों के रूप में घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 6 और 7–सुरक्षोपाय तथा आर्थिक विकास

5. श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर नामक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया गया है।

6. गुवाहाटी स्थित श्री ज्योति चित्रावन (फिल्म) स्टूडियो का आधुनिकीकरण किया गया है। 2006-07 वित्तीय वर्ष में संस्थान के और अधिक विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

7. असम सरकार ने असम समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन संबधी सभी विषयों की जांच करने के लिए अक्टूबर 2006 में मंत्रियों की समिति गठित की है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

8. लगभग 2,500 करोड़ रु. की लागत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थापित की गई थी।

9. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में तथा दूसरा सिलचर में स्थापित किये गये हैं।

10. गुवाहाटी में एक आई.आई.टी. स्थापित की गई है।

11. कथालगुडी पावर परियोजना (60 एमडब्ल्यू) शुरू की गई है।

12. असम गैस क्रेकर परियोजना और बोगीबील रेल और सड़क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य शुरू हो चुका है।

अनुच्छेद 8 से 14-अन्य मुद्दे

13. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास है।

14. भारत बांग्लादेश सीमा पर मंजूर की गई 3286.87 कि.मी. की सीमा में से 31.10.2008 तक 2631.39 कि.मी. की सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। असम सेक्टर में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए मंजूर किये गये 223 कि.मी. (चरण-1 और 2) में से 214.00 कि.मी. पर कार्य पूरा हो चुका है। चूंकि चरण-1 में लगाई गई बाड़ की समयावधि पूरी हो चुकी है इसलिए इसके स्थान पर कंपोजिट किस्म की बाड़ लगाई जा रही है।

15. विद्रोह के दौरान मारे गये व्यक्तियों के नाते रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

16. विद्रोह के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की गई थी।

17. भर्ती मामले में, 1.1.1980 से 15.8.1985 की अवधि के दौरान असम राज्य में साधारणत: रहने वाले आवेदकों के मामले में छ: वर्षों की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये थे।

18. विद्रोह के संदर्भ में गिरफ्तार एन.एस.ए. नजरबंदों को रिहा किया गया था।

विवरण II

दिनांक 5.5.2005 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा

1. असम सरकार ने संगत रिकार्डों के आधार पर राष्ट्रीय नागरिकों के रजिस्टर (एन.आर.सी.) 1951 को अद्यतन करने की रूपरेखा जून, 2008 में प्रस्तुत की है और इस पर कई अवसरों पर राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और अंतिम चर्चा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को गुवाहाटी में हुई। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं कि एन.आर.सी. को अद्यतन करने का कार्य शीघ्र शुरू किया गया जाए।

2. भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए मंजूर किये गये 3286.87 कि.मी. में से 2631.39 कि.मी. सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य दिनांक 31.10.2008 को पूरा हो चुका है। असम सेक्टर में भारत-बांग्लादेश सीमा

पर बाड़ लागने के लिए मंजूर किये गये 223 कि.मी. (चरण-1 और 2) में से 214.00 कि.मी. पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। चूंकि चरण-1 में लगाई गई बाड़ की समय-सीमा पूरी हो चुकी है इसलिए इसके स्थान पर कंपोजिट प्रकार की बाड़ लगाई जा रही है।

3. असम सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए अक्तूबर, 2006 में मंत्रियों की समिति का गठन किया है। समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन ऐसी समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है जब तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी।

4. असम गैर क्रैकर परियोजना और बोगीबोल रेल और सड़क परियोजना के कार्यान्वयन का काम शुरू हो गया है।

5. आशोक पेपर मिल के पुनरुद्धार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है।

एनडीएमसी और एमसीडी द्वारा दुकानों का आवंटन

2626. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एनडीएमसी और एमसीडी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को दुकानों का आबंटन किये जाने के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एडीएमसी) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

कारागारों का आधुनिकीकरण

2627. श्री गिरिजा कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में अपनी कारागार के आधुनिकीकरण योजना का मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न प्रख्यात परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में प्रारंभ की गई जेल आधुनिकीकरण योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराए जाने के उद्देश्य से प्रख्यात फर्मों से प्रस्ताव मांगे गये थे। तीन फर्मों का प्री-क्वालीफिकेशन स्तर पर चयन किया गया था। इन फार्मों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय एवं तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के आधार पर इनमें से किसी एक कम्पनी को यह कार्य सौंपा जाएगा। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अपर सचिव (सीएस) गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

मेगा सिटी पुलिसिंग

2628. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आतंकवाद को रोकने के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में मेगा सिटी पुलिसिंग की नई प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके सामान्य पुलिसिंग से किस प्रकार से भिन्न होने की संभावना है;

(घ) उक्त नई पुलिसिंग प्रणाली को कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जी नहीं। तथापि, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक योजनेत्तर स्कीम (एमपीएफ) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें अन्य घटकों के साथ-साथ मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था का घटक भी शामिल हैं। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था में 7 शहर अर्थात् मुम्बई, बेंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल हैं। इन मेगा शहरों की विशेष पुलिस संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों को वित्तीय सहायता एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। दिल्ली पुलिस के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निधि संघ राज्य क्षेत्रों की एक पृथक आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

लौह अयस्क पट्टे प्रदान करने हेतु एकल खिड़की स्वीकृति

2629. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क पट्टा प्रदान करने हेतु एक खिड़की स्वीकृति प्रक्रिया लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा लौह अयस्क पट्टा प्रदान करने में अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को खनन पट्टा प्रदान करने में विलम्ब के विरुद्ध कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्तर पर समन्वय-सह-उच्चाधिकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है जो विलम्बों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृतियों का निरीक्षण करेगी।

(घ) लौह अयस्कों पट्टों की मंजूरी सहित खनिज रियायतें मंजूर करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा सरल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खनिज नीति तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग में श्री अनवरूल होदा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया था। एचएलसी की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा एक नई एनएमपी को अनुमोदित किया गया है जिसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है। नई एनएमपी खान मंत्रालय की वेबसाइट http://mines..nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार के नोटिस में कुछ संदर्भ आए हैं जिनमें खनिज रियायत मंजूर करने के लिए लिया गया समय निर्धारित समय-सीमा से अधिक रहा है। नई खनिज नीति में खनिज रियायतें मंजूर करने में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा सरल बनाने के लिए उपाय का सुझाव देते हुए विलम्ब के मुद्दे संबोधित किया गया है।

डीएफटीपी योजना

2630. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में घोषित "इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट" के अवसर पर अल्पविकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क प्राथमिकता योजना (डीएफटीपी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना से लाभान्वित होने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में प्रत्येक वर्ष में इन देशों को क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान (डीएफटीपी) स्कीम की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच शिखर वार्ता के अवसर पर की गई थी। डीएफटीपी स्कीम में भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 85 प्रतिशत पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है जिसे वर्तमान लागू दरों में से प्रत्येक पर 20 प्रतिशत की 5 समान टैरिफ कटौतियों के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 9 प्रतिशत पर डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू दरों पर निर्धारित अधिमान मार्जिन (एमओपी) के अनुसार अधिमानी शुल्क पर पहुंच प्रदान की गई है। अत: अल्प विकसित देशों के लिए डीएफटीपी स्कीम के तहत भारत की

कुल टैरिफ लाइनों के 94 प्रतिशत पर शुल्क मुक्त एवं अधिमानी बाजार पहुंच प्रदान की जाएगी। उद्गम नियमावली टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) में परिवर्तन जमा 30 प्रतिशत मूल्यवर्धन के दोनों मापदण्डों पर आधारित होगी।

(ख) उपर्युक्त स्कीम से लाभान्वित होने वाले देशों की सूची इस उत्तर के संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लाभानुभोगियों के आपूर्ति संबंधी अवरोधों के कारण अल्प विकसित देशों के लिए डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत लाभ की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। स्कीम में उन टैरिफ लाइनों पर अधिमानी बाजार पहुंच प्रदान किये जाने का प्रावधान है जो सभी लाभानुभोगी अल्प विकसित देशों के वैश्विक निर्यातों की 92.5 प्रतिशत बनती है। अल्प विकसित देशों के लिए निर्यात हित के कुछेक उत्पाद, जिन्हें स्कीम में शामिल किया गया है, कपास, कोको, एल्यूमिनियम अयस्क, तांबा अयस्क, काजू गिरि, गन्ना, सिले-सिलाए वस्त्र, फिश फिलेट्स और गैर-औद्योगिक हीरे हैं। उत्पाद कवरेज और टैरिफ अधिमानों से लाभानुभोगी अल्प विकसित देशों को भारत में बाजार पहुंच प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।

विवरण

क्र.सं.	देश
1	2
1.	अंगोला
2.	बेनिन
3.	बर्किना फासो
4.	बुरूंडी
5.	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
6.	चाड
7.	कोमोरोस
8.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
9.	जिबूती
10.	इक्वेटोरियल गिनी
11.	इरीट्रिया
12.	इथिओपिया
13.	गिनी
14.	गिनी-बिसाउ
15.	गैम्बिया
16.	लेसोथो
17.	लाइबेरिया
18.	मेडागास्कर
19.	मालावी
20.	माली
21.	मॉरीटैनिया
22.	मोजाम्बिक
23.	नाइजर
24.	रवांडा
25.	साओ टोम एंड प्रिन्सिप
26.	सेनेगल
27.	सिएरा लिओन
28.	सोमालिया
29.	सूडान
30.	टोगो
31.	युगांडा
32.	तंजानिया
33.	जाम्बिया
34.	अफगानिस्तान
35.	बंग्लादेश
36.	भूटान
37.	कंबोडिया
38.	पूर्वी तिमोर

1	2
39.	किरिबाती
40.	लाओ पीडीआर
41.	मालदीव
42.	म्यांमार
43.	नेपाल
44.	समोआ
45.	सोलोमन आइलैंड
46.	तुवालू
47.	वेनेआतु
48.	यमन
49.	हैती

कन्नड़ भाषा को पुरातन भाषा का दर्जा

2631. श्री एम. शिवन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कन्नड़ भाषा को पुरातन भाषा घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकार ने कन्नड़ भाषा को दिनांक 31.12.2008 की अधिसूचना संख्या 2-16/2004-एकेडमीज, के तहत प्राचीन भाषा के रूप में वर्गीकृत किया है।

'सी फूड' का निर्यात

2633. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री देविदास पिंगले:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादवार कुल कितनी मात्रा में 'सी फूड' का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादवार व देशवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) भारतीय झींगा मछली कृषकों को किस प्रकार से मदद कर रहा है;

(घ) एमपीईडीए इस संबंध में किस हद तक सफल रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यात को और बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्र से पकड़ी गई मछली तथा जलकृषि झींगा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान समुद्री निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य का उत्पाद एवं देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एम्पीडा ने भारतीय झींगा पालकों की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं कर्नाटक राज्यों के कृषकों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए काकीनाड़ा में राष्ट्रीय सतत जलकृषि केन्द्र (एनएसीएसए) की स्थापना की गई है। एनएसीएसए द्वारा बेहतर प्रबंध पद्धतियों एवं सुरक्षित उत्पादन विधियों-अवशिष्ट रहित झींगा को लोकप्रिय बनाने के लिए कृषकों को समूहों में संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;

(2) एम्पीडा ने जलकृषि के विस्तार हेतु गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में मिशन पद्धति कार्यक्रम शुरू किये हैं;

(3) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक विशिष्ट पैथोजन रहित ब्रूडस्टॉक के विकास एवं झींगा पालन हेतु एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(4) राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र (आरजीसीए) में एल. वेन्नामेई ब्रूडस्टॉक का आयात किये जाने पर जलीय संगरोध सुविधा की स्थापना की जा रही है;

(5) एम्पीडा ने स्विस आयात संवर्धन कार्यक्रम (एसआईटीपीओ) की तकनीकी सहायता से भारतीय जैविक जलकृषि परियोजना शुरू की है। हाल ही में केरल में विश्व में पहली बार जैविक ताजे पानी के झींगों का पालन एवं संवर्धन किया गया था. यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में भी चलाया जा रहा है;

(6) एम्पीडा देश में फिनफिश के केज पालन के विकास के लिए नार्वे सरकार के साथ कार्य कर रहा है। यह परियोजना वर्ष 2009 से शुरू होने की आशा है;

(7) श्रिम्प में प्रतिजैविक अवशिष्ट की जांच के लिए एम्पीडा आंध्र प्रदेश में छह प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है;

(घ) एम्पीडा के एकीकृत एवं समेकित प्रयासों के कारण भारत में खारे पानी में श्रिम्प पालन एवं ताजे पानी में झींगा पालन का विकास हुआ है। इसका भारत से समुद्री खाद्य के निर्यातों में हुई वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में कल्चर तालाबों में उत्पादित श्रिम्प तथा स्कैम्पी की मात्रा 1.33 लाख मी. टन थी। भारत से 3907 करोड़ रुपये के कुल श्रिम्प निर्यात में से संवर्धित श्रिम्प का मूल्य 2836 करोड़ रुपये था।

(ङ) एम्पीडा भारत से समुद्री उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु अनेक सब्सिडी स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। आशा की जाती है कि वर्ष 2017 तक समुद्री उत्पादों का निर्यात 0.61 मी. टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2 मी. टन हो जाएगा। एम्पीडा द्वारा प्रचालित कुछेक स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री संग्रहण के माध्यम से उत्पादन

(मि. टन)

मद/वर्ष	2005	2006	2007
समुद्री संग्रहण	2.28	2.71	2.88

उपर्युक्त का उत्पाद-वार ब्यौरा

मछली का नाम	पैलेजिक फिन फिश		
	2005	2006	2007
1	2	3	4
क्लूपियोंइड्स	597483	684943	864001
बॉम्बे डक	121442	118507	112721
हाफ बीक्स एवं फुल बीक्स	2553	4070	6097
फ्लाइंग फिशेज	917	949	2198
रिबन फिशेज	113848	235045	132388
कारंगिड्स	142109	121936	141567
मैकेरल्स	125172	141919	178735
सीअर फिशेज	40558	49040	62171

1	2	3	4
ट्यूनीज	39948	73451	66742
विल फिशेज	2968	4397	5347
वैराक्युडास	15857	17751	19933
मलेट्स	5969	7260	6359
यूनिकॉर्न कॉड	717	639	576
विविध	33983	35940	48938
कुल	1243524	486402	647773
इलाज्माबांच	47014	50678	47511
इल्स	8670	10265	13012
कैट फिशेज	45335	56540	66498
लिजार्ड फिशेज	30552	30311	28679
पर्चेज	156668	194540	186964
गोट फिशेज	17052	16394	16443
थ्रेड फिन्स	9115	8316	10260
क्रोकर्स	115315	119405	168031
सिल्वर विल्लीज	58312	64626	69856
व्हाइट फिश	3243	5092	6139
पॉमफ्रेट्स	44190	44058	47733
फ्लैटफिशेज	34993	39107	41737
विविध	16027	15841	21514
कुल	586486	655173	724377
शैल फिश			
क्रस्टेशियन्स	350604	426416	407669
मोलस्क	98512	142997	101517
कुल	449116	569413	509186
कुल योग	2279126	2710988	2881336

पिछले तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती जलकृषि के माध्यम से उत्पादन

(000' टन)

मद/वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
झींगा मछली	143.17	144.35	106.16
स्कैम्पी	42.82	30.12	27.26
कुल	186.99	174.47	133.42

विवरण II

समुद्री उत्पादों का उत्पाद-वार निर्यात

(मा: मात्रा मी. टन में, मू.: मूल्य करोड़ रु. में, $:मि. अम. का.)

मद		2008-09			
		(अप्रैल-अक्तू. 2008)	2007-08	2006-07	2005-06
1		2	3	4	5
ताजी झींगा	मा.	712.30	136223	137397	145180
	मू.	2127.52	3941.62	4506.08	4271.51
	डा.	499.4	980.62	997.64	970.43
ताजी फिन फिश	मा:	103418	220200	270751	182344
	मू:	751.34	1303.41	1452.88	988.7
	डा:	174.2	326.29	321.95	225.94
ताजी स्क्विड	मा:	32889	34172	47252	52352
	मू:	394.42	408.42	568.32	575.52
	डा:	93.52	101.29	126.25	130.49
ताजी काटन फिश	मा:	24968	45955	55701	49651
	मू:	403.73	744.13	797.37	549.15
	डा:	94.42	185.66	175.75	124.48
सूखी मदें	मा:	14109	22414	24293	14167
	मू:	171.93	258.88	183.16	132.56
	डा:	41.08	64.72	40.75	30.03

1		2	3	4	5
जीवित मदें	मा:	1617	2498	2478	2568
	मू:	45.22	69.07	64.06	61.71
	डा:	11.38	17.21	14.22	13.99
प्रशीतित मदें	मा:	10795	6541	7200	5060
	मू:	88.46	118.11	117.3	81.56
	डा:	20.71	29.62	26.63	18.4
अन्य	मा:	38900	73698	67571	60841
	मू:	566.87	777.29	674.35	574.58
	डा:	135.61	193.68	149.72	130.46
कुल	मा:	297926	541701	612641	512164
	मू:	4552.5	7620.92	8363.53	7245.3
	डा:	1070.33	1899.09	1852.93	1644.21

समुद्री उत्पादों का देश-वार निर्यात

(मा.: मी. टन में, मू.: मूल्य करोड़ रु. में, $:मि. अम. डा.)

बाजार		2008-09 (अप्रैल-अक्तू. 2008)	2007-08	2006-07	2005-06
1		2	3	4	5
जापान	मा:	31389	67373	67437	59785
	मू:	753.39	1227.59	1353.38	1155.97
	डा:	178.01	305.49	299.20	262.79
यूएसए	मा:	21356	36612	43758	55817
	मू:	565.47	1016.94	1347.80	1639.24
	डा:	133.37	263.05	297.08	372.62
यूरोपीय संघ	मा:	84404	149381	149773	136842
	मू:	1582.17	2664.24	2760.32	2134.25
	डा.	371.81	663.17	610.95	484.02
दक्षिण पूर्व एशिया	मा:	62427	63818	67650	60140
	मू:	552.46	573.97	616.70	585.85
	डा:	128.72	143.5	136.43	132.70

1		2	3	4	5
चीन एवं हांगकांग	मा:	38233	139792	203513	137076
	मू:	379.46	1009.59	1156.96	849.45
	डा:	88.51	252.9	259.06	191.99
मध्य पूर्व	मा:	14126	25752	23585	22270
	मू:	242.31	393.96	371.06	307.65
	डा:	56.96	98.05	82.47	69.64
अन्य	मा:	45991	58972	56924	40234
	मू:	477.25	735.00	757.30	572.90
	डा:	112.95	183.00	167.75	130.44
कुल	मा:	297926	541701	612641	512164
	मू:	4552.5	7621.00	8363.53	7245.30
	डा:	1070.33	1899.00	1852.93	1644.21

विवरण III

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन
चालू सब्सिडी सहायता स्कीम-2008-09

क्र.सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य	सब्सिडी की राशि
1	2	3	4
(1) **निर्यात उत्पादन—संग्रहण मात्स्यिकी**			
1.	मौजूदा मत्स्यन जलयानों को ट्यूना लौंग लाइनरों में परिवर्तित करने हेतु सहायता	मोनो फिलामेंट लौंग लाइन पद्धति का उपयोग करके मात्स्यिकी के विविधीकरण के माध्यम से गभीर सागर में ट्यूना तथा अन्य अल्प दोहित जीवों को पकड़ने के लिए मत्स्यन जलयानों के मालिकों को प्रोत्साहित करना।	स्कीम के अंतर्गत सहायता की राशि मोनो फिलामेंट लौंग लाइन पद्धति की लागत, संबंधित उपकरणों एवं स्थापना प्रभार सहित आनुषंगिक प्रभारों के लिए 50 प्रतिशत है जो 20 मीटर से कम ओऐल के मत्स्यन जलयान के लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपये है। और 20 मीटर से अधिक ओएएल के समुद्री मत्स्यन जलयान हेतु 15 लाख रुपए है।
2.	मत्स्य जलायनों पर अवरोधक/प्रशीतित फिश होल्ड/आरएसडब्ल्यू/बर्फ बनाने की मशीन की स्थापना हेतु सहायता	यंत्रीकृत मत्स्य जलयान मालिकों को तट से दूर क्षेत्रों में एक से अधिक दिन मत्स्यन हेतु प्रोत्साहित करना तथा पकड़ी गई मछली को निर्यात हेतु	पात्र वस्तुओं की लागत का 30 प्रतिशत, जो 3 मर्दों वाले मत्स्यन जलायन मालिक के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये है। एक मालिक केवल

1	2	3	4
		बेहतर तरीके से परिरक्षित करना एवं मछुआरों की आय में वृद्धि करना।	एक जलायन के लिए पात्र है।
3.	नए ट्यूना लौंग लाइनरों के निर्माण हेतु ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता	नए ट्यूना लौंग लाइनों के निर्माण के जरिये मोनो फिलामेंट लौंग लाइन पद्धति का उपयोग करके मात्स्यिकी के विविधीकरण के माध्यम से गभीर सागर में ट्यूना तथा अन्य अल्प दोहित जीवों को पकड़ने के लिए मत्स्यन जलयानों के मालिकों को प्रोत्साहित करना।	यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों एवं गभीर सागर मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए ब्याज का 5 प्रतिशत, जो क्रमश: 10 लाख/15 लाख रुपये अधिकतम है। प्रत्येक लाभानुभोगी 4 यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये तथा 4 गभीर सागर मत्स्यन जलयानों के निर्माण के लिए 60 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त कर सकता है।
(2) निर्यात उत्पादन—मत्स्य पालन			
4.	बीज उत्पादन हेतु वाणिज्यिक अंडज शालाओं का संवर्धन		
	(क) लघु अंडजशालाओं हेतु सब्सिडी	10 मिलियन बीज प्रतिवर्ष की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाली श्रिम्प/स्कैम्पी अंडजशाला की स्थापना हेतु।	प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से।
	(ख) मध्यम अंडजशालाओं हेतु सब्सिडी	30 मिलियन बीज प्रतिवर्ष की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाली श्रिम्प/स्कैम्पी अंडजशाला की स्थापना हेतु।	प्रति लाभानुभोगी/अंडजशाला अधिकतम 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से (इनकी संख्या पहले से ही काफी अधिक होने के कारण 7 जिलों को छोड़ दिया गया है)।
5.	नए फार्म के विकास हेतु सब्सिडी	नए श्रिम्प/स्कैम्पों फॉर्मों के विकास हेतु।	अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से। जल क्षेत्र प्रति लाभानुभोगी 2.50 लाख रुपये तक सीमित।
6.	अंडजशालाओं में पीसीआर प्रयोगशालाओं/ निजी प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सब्सिडी	अंडजशालाओं/निजी प्रयोगशालाओं में पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु।	प्रति लाभानुभोगी/अंडजशाला अधिकतम 5.00 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 50 प्रतिशत की दर से।
7.	श्रिम्प फार्मों में निस्सारण उपचार प्रणाली (ईटीएस) हेतु सब्सिडी	श्रिम्प फॉर्मों से जुड़ी निस्सारण उपचार प्रणालियों की स्थापना हेतु।	5.00 हेक्टेयर के न्यूनतम जल क्षेत्र वाले श्रिम्प फार्मों के लिए 1.50 लाख रुपये और प्रति लाभानुभोगी 6.00 लाख रुपये तक के अध्यधीन पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

1	2	3	4
8.	जलकृषि सहकारी समितियों का पंजीयन	जलकृषि फॉर्मों के क्षेत्र व्यापी प्रबंधन हेतु सतत श्रिम्प पालन के लिए बीएमपी तथा पद्धति संहिता अपनाने हेतु।	कार्यालय, वेयरहाउस/नीलामी कक्ष, सामान्य सुविधाओं आदि की स्थापना, प्रयोगशाला सुविधाओं, तकनीकीशियनों की नियुक्ति, किसानों/तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं पर्यावरण अनुकूल फॉर्मिंग के संवर्धन हेतु अधिकतम 5.00 लाख रुपये के अध्यधीन अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत।
9.	(क) सजावटी मत्स्य प्रजनन यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता	घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सजावटी मत्स्यन प्रजनन यूनिटों एवं मत्स्य विपणन सहकारी समितियों की स्थापना हेतु।	यूनिट के आकार के अनुसार 75000 रुपये से 7.5 लाख रुपये में से अधिकतम राशि प्रति यूनिट के अध्यधीन निर्दिष्ट अवसंरचना हेतु पूंजी लागत का 50 प्रतिशत। प्रजनन यूनिटों को आकार तथा निवेश के अनुसार ग्रेड-1, ग्रेड-2 तथा ग्रेड-3 में वर्गीकृत किया जाता है।
	(ख) सजावटी मछली विपणन सहकारी समितियां		समिति हेतु जरूरी अवसंरचना की स्थापना के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन पूंजी लागत की 50 प्रतिशत एवं प्रचालनात्मक व्ययों की पूर्ति हेतु 1 लाख रुपये का एकबारगी अनुदान।
(3) नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास			
10.	ऑटोमेटिक फ्लेक/चिप ट्यूब आईस मेकिंग मशीन हेतु सब्सिडी	संयंत्र में उपयोग हेतु गुणवत्तायुक्त बर्फ के उत्पादन हेतु मशीनों की स्थापना के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को सहायता देना।	अधिकतम 2.25 लाख रुपये के अध्यधीन मशीन की लागत का 25 प्रतिशत। सहायता अधिकतम दो फ्लेक आईस मेकिंग मशीन के लिए उपलब्ध होगी।
11.	जनरेटर सेटों हेतु सब्सिडी	वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आबद्ध बिजली की पूर्ति हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता देना।	जनरेटर सेट की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 2.50 लाख रुपये, जो भी कम हो।
12.	कमजोर कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन हेतु सब्सिडी	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को अनुकूलतम तापमान बनाए रखने के लिए उनके स्टोरेज के उन्नयन में समर्थ बनाना।	अधिकतम 3.50 लाख रुपये के अध्यधीन (मौजूदा यूनिटों हेतु उपलब्ध) ऊष्मारोधन में सुधार हेतु 25 प्रतिशत तथा मौजूदा डिफ्यूजरों के उन्नयन हेतु 25 प्रतिशत।
13.	मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन हेतु सभी प्रकार की प्रसंस्करण मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हेतु सब्सिडी	मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को मशीनों तथा उपकरणों की खरीद में सहायता करना।	अधिकतम 17.50 लाख रुपये के अध्यधीन मशीन एवं उपकरण की लागत का 25 प्रतिशत।

1	2	3	4
14.	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में शीतन कक्ष सुविधा की स्थापना हेतु सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को कच्चे माल को प्राप्ति से लेकर प्रसंस्करण तक उचित तापमान पर उसकी गुणवत्ता के परिरक्षण हेतु अपने प्रसंस्करण संयंत्रों में शीतन कक्ष सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता करना।	प्रति शीतन कक्ष अधिकतम 3.00 लाख रुपये के अध्यधीन शीतन कक्ष सुविधा की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत, और यह सहायता एक संयंत्र से अधिकतम 2 शीतन कक्षों के लिए उपलब्ध होगी।
15.	समुद्रीय खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में जलशोधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को जल की गुणवत्ता के बारे में ईयू/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए उनके प्रसंस्करण संयंत्रों में उपयुक्त जलशोधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता करना।	प्रति यूनिट अधिकतम 7.50 लाख रुपये के अध्यधीन जलशोधन प्रणाली की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत।
16.	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में निस्सारण उपचार संयंत्रों की स्थापना हेतु सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को ईयू/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने के लिए अपने प्रसंस्करण यूनिटों में प्रभावी निस्सारण उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहति करना।	प्रति यूनिट अधिकतम 7.00 लाख रुपये के अध्यधीन निस्सारण उपचार संयंत्र की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत।
17.	ऊष्मारोधी फिश बॉक्सों का सब्सिडीकृत वितरण	मत्स्यन जलयानों, ब्रिम्प फॉर्मों, प्रसंस्करण पूर्व संयंत्रों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों में कच्चे माल का शीतित स्थिति में ऊष्मारोधी फिश बॉक्स में उपयुक्त परिरक्षण।	विभिन्न क्षमताओं वाले मोल्डेड सिंथेटिक ऊष्मारोधी बॉक्सों का वितरण 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत पात्र अधिकतम सब्सिडी इस प्रकार है: (क) प्रति प्रसंस्करण-पूर्व संयंत्र : 0.50 लाख रुपये (ख) प्रति प्रसंस्करण संयंत्र : 1.00 लाख रुपये (ग) शर्वी/शीतित मत्स्य ग्रहणन केन्द्र : 1.00 लाख रुपये (घ) यंत्रीकृत नौका मालिक : 0.15 लाख रुपये (ङ) छोटी यंत्रीकृत नौका/कट्टी मारुत : 0.045 लाख रुपये (च) 5 हे. से अधिक जलक्षेत्र वाले ब्रिम्प फार्मक : 0.50 लाख रुपये (छ) 5 हे. से कम जलक्षेत्र वाले ब्रिम्प फार्मक : 0.35 लाख रुपये
18.	प्रशीतित ट्रक/कंटेनरों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को कच्चे माल/तैयार उत्पादों के परिवहन हेतु प्रशीतित ट्रकों/कंटेनरों की खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।	अधिकतम 3.50 लाख रुपये के अध्यधीन प्रशीतित ट्रक/कंटेनर की लागत का 25 प्रतिशत।
19.	नए बड़े शीत गृहों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	पर्याप्त भंडारण सुविधा के सृजन हेतु बड़े शीत गृहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।	अधिकतम 60 लाख रुपये के अध्यधीन 3000 टन भंडारण क्षमता के निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत। अपेक्षाकृत छोटी यूनिटों को 2000 रुपये प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत केवल 500 टन

1	2	3	4
			की न्यूनतम क्षमता वाले भंडार गृह, सब्सिडी के पात्र होंगे।
20.	आधुनिक बर्फ संयंत्र की स्थापना/बर्फ संयंत्रों के नवीकरण हेतु सहायता	उच्च मूल्यवर्धित वस्तुओं के उत्पादन हेतु मछली की गुणवत्ता को बनाए रखना।	नवीकरण हेतु वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12 लाख रुपये तथा नए बर्फ संयंत्रों हेतु 22 लाख रुपये। नवीकरण 10 टन 15 टन 20 टन 6 लाख 9 लाख 12 लाख नए 11 लाख 16 लाख 22 लाख
21.	ट्यूना केनरी सह मूल्यवर्धित ट्यूना प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु सहायता	मूल्यवर्धित रूप में ट्यूना के उपयोग को प्रोत्साहित करना।	वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 65.25 लाख रुपये।
22.	समुद्री उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएसएमपी)	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन के संवर्धन हेतु नई स्कीम। इस स्कीम में 25 प्रतिशत की दर से पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता तथा 5 प्रतिशत अंकों (अधिकतम सीमा के अध्यधीन) तक ब्याज सब्सिडी परिकल्पित है।	पूंजीगत सब्सिडी के मामले में सहायता की दर नई यूनिटों के लिए अधिकतम 100 लाख रुपये के अध्यधीन, मूल्यवर्धन हेतु व्यय की गई राशि की 25 प्रतिशत की दर से तथा मूल्यवर्धन करने वाली मौजूदा यूनिटों के लिए 85 लाख रुपये होगी। प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी सहायता नई यूनिटों के मामले में अधिकतम 150 लाख रुपये के अध्यधीन वित्तीय संस्थाओं से मूल्यवर्धन हेतु लिये गये आवधिक ऋण की 5 प्रतिशत तथा मौजूदा यूनिटों के मामले में 125 लाख प्रस्तावित है। लाभानुभोगी उपर्युक्त में से किसी भी एक स्कीम का लाभ उठा सकता है।
23.	लघु प्रयोगशाला की स्थापना हेतु सब्सिडी	अंतर प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु।	प्रति यूनिट अधिकतम 1,50,000 रुपये के अध्यधीन लघु प्रयोगशाला की लागत का 25 प्रतिशत।
24.	समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्त्ताओं को उन्नत सुविधाओं युक्त आबद्ध प्रसंस्करण-पूर्व केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु सहायता	प्रसंस्करण-पूर्व कार्यकलापों को प्रसंस्कर्त्ताओं के नियंत्रणाधीन लाना और सुविधाओं को एचएसीसीपी/ईयू विनियमनों के समकक्ष उन्नत बनाना।	नए निर्माण हेतु अधिकतम 15 लाख रुपये के अध्यधीन उपर्युक्त मदों पर किये गये पात्र व्यय की लागत का 50 प्रतिशत तथा आबद्ध पीपीसी के नवीकरण हेतु अधिकतम 13.50 लाख रुपये के अध्यधीन लागत का 45 प्रतिशत होगा, जो कामगारों की क्षमता तथा प्रसंस्करण-पूर्व कक्ष के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

1	2	3	4
25.	पूर्व प्रसंस्कर्त्ताओं को उन्नत सुविधाओं से युक्त स्वतंत्र प्रसंस्करण-पूर्व केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता	एचएसीसीपी/ईयू विनियमों के अनुरूप सुविधाओं को उन्नत बनाना एवं समस्त प्रसंस्करण-पूर्व क्षेत्र में प्रहस्तन पद्धतियों में सुधार करना।	नए निर्माण हेतु अधिकतम 22 लाख रुपये के अध्यधीन उपर्युक्त मदों पर पात्र व्यय की लागत का 50 प्रतिशत तथा स्वतंत्र पीपीसी के नवीकरण हेतु अधिकतम 19.8 लाख रुपये के अध्यधीन लागत का 45 प्रतिशत, जो कामगरों की संख्या एवं प्रसंस्करण-पूर्व कक्ष के क्षेत्र से जुड़ा है। यह सब्सिडी अलग-अलग मदों पर निर्धारित अधिकतम सीमाओं तक सीमित है।
26.	उन्नयन को सुकर बनाने हेतु समुद्री खाद्य यूनिटों को ब्याज सब्सिडी सहायता	संयंत्र मालिकों को अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण करके उन्हें ईयू/भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज के एक हिस्से पर सब्सिडी प्रदान करना।	सब्सिडी की पात्रता 7 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय ब्याज के अलावा बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभारित ब्याज के अधिकतम 7 प्रतिशत तक सीमित होगी अथवा अधिकतम 15 लाख रुपये के अध्यधीन अंतर्राष्ट्रीय ब्याज अर्थात् 7 प्रतिशत के अलावा ब्याज की वास्तविक दर जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
(4) बाजार संवर्धन			
27.	सजावटी/पालतू मछलियों के निर्यात हेतु विकास सहायता	देश में सजावटी मछलियों के निर्यात पर बल देना और हमारे पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा के जरिये प्रति इकाई बेहतर मूल्य प्राप्त करना।	प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक 3 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन निर्यात के एफओबी मूल्य का 10 प्रतिशत।
28.	मत्स्य प्रसंस्करण यूनिटों में नियोजित कामगारों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता	यह बीमा स्कीम समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में नियोजित कामगारों हेतु परिकल्पित है, जिसमें बीमित व्यक्ति को 50,000 रुपये का अंतिम लाभ, बीमित अथवा उसके माता-पिता अथवा आश्रितों को 10,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय (अस्पताल में रहने) की प्रतिपूर्ति एवं प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के प्रति बीमित व्यक्ति के घर की वस्तुओं का 20,000 रुपये तक का बीमा करने एवं 2000 रुपये (अधिकतम) तक आकस्मिक चिकित्सा व्यय का प्रावधान है।	बीमे की प्रीमियम का भुगतान नियोजक, कर्मचारी, तथा एम्पीडा द्वारा 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम 200 रुपये प्रति कामगार बनती है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

2634. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने अधिक खनन गतिविधियां आरंभ करने के लिए एक अनुषंगी कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एचसीएल की अस्पताल इकाइयों में उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) वर्तमान में खनन गतिविधियां शुरू करने के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) एचसीएल की इकाइयों में स्थित अस्पतालों में उचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं।

पीएमएफ के कर्मचारियों के विरुद्ध मानवाधिकारों का हनन

2635. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अर्धसैनिक बल (पीएमएफ) के कर्मचारियों के विरुद्ध मानवाधिकार हनन के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के सूचित/पंजीकृत मामलों की बल-वार संख्या क्या है;

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सुलझाए गए/सुलझाए न गए मामलों की कुल संख्या क्या है; तथा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. मकबूल अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत

2636. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए महंगी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) गैर सहायता प्राप्त तथा स्ववित्तपोषित संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु लिये जाने वाले शुल्क सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित संस्थों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। इस्लामिक शिक्षा अकादमी तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकारों को संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को अनुमोदित करने/निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित करने का निदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त कानूनों के अभाव में पी.ए. इनामदान बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य मामले की समीक्षा करते हुए इन समितियों को सही ठहराया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सम-विश्वविद्यालयों सहित स्ववित्तपोषित प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं हेतु दाखिले एवं शुल्क के संबंध में विनियम तैयार करने के प्रयोजनार्थ अगस्त, 2007 में एक समिति गठित की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी केवल इस कारण व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए क्योंकि वह गरीब है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करने हेतु भारतीय बैंक संघ द्वारा संचालित शिक्षा ऋण योजना के तहत गैर क्रीमी लेयर के विद्यार्थियों द्वारा बैंकों से लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज में छूट देने संबंधी एक योजना पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

शिक्षा के लिए आवंटन

2637. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान शिक्षा के लिए आवंटित निधियों का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के तहत अधिक निधियों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 28671.50 करोड़ रु. का योजनागत आवंटन उपलब्ध कराया गया। इस आवंटन में से किया गया वास्तविक व्यय 22659.30 रु. था जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

विभाग का नाम	वर्ष 2007-08 के लिए प्रदत्त योजनागत आवंटन	वास्तविक व्यय 2007-08
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	22191.00	19517.79
उच्चतर शिक्षा विभाग	6480.50	3141.51
कुल मानव संसाधन विकास मंत्रालय	28671.50	22659.30

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यत: इन कारणों की वजह से कम व्यय हुआ (1) राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होना, (2) अपर प्राथमिक स्तर के लिए मध्याह्न भोजन योजना का विलम्ब से अनुमोदन, और (3) व्यय वित्त समिति के कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन न होना।

उच्चतर शिक्षा विभाग में योजनागत व्यय मुख्य रूप से कम था क्योंकि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिले में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए निर्धारित आवंटन शीर्ष न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश की वजह से व्यय नहीं किया जा सका।

वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु नीतियां

2638. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित निधियों में से उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में निकले परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित निधियों तथा उन पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों द्वारा उपयोग की गई निधियों के फलस्वरूप निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां/परिणाम निकले जो इस प्रकार हैं—(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रमुख अनुसंधान सुविधाओं/उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना; (2) प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भूकंप विज्ञान और भू-भौतिकी से संबंधित आधुनिकतम उपकरणों को लगाना; (3) बांस अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन मोड परियोजना का प्रारंभ; (4) उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति का प्रारंभ तथा परियोजना मोड में बेहतर लचीलेपन के

साथ सहायता प्रदान करना; (5) शैक्षिक और संबंधित संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुधार के लिए निधियों का सृजन; (6) राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना तथा औषध एवं भेषज के अंतर्गत सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों के रूप में अनेक उद्योगों को सहयोग; (7) उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों का विकास तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान में अनुप्रयोग (चन्द्रयान-1 की तरह); (8) प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र (पृथ्वी, अग्नि-2 आदि), टैंक (अर्जुन), चालक रहित टारगेट एयरक्राफ्ट (लक्ष्य), आदि का विकास; (9) नाभिकीय रिएक्टर तथा इससे संबंधित संपूर्ण ईंधन चक्र के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता; (10) स्वास्थ्य की देखरेख, कृषि, खाद्य संरक्षण, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप बीजों की उन्नत किस्मों का विकास हुआ है; (11) टीकों के विकास और संक्रामक रोगों के निदान के लिए संभावित मालेक्यूल्स की पहचान; (12) एच.आई.वी. हेपेटाइटिस, डेंगू के लिए नैदानिक उपकरणों का विकास, जनन हार्मोंस, जापानी इन्सेफ्लाइटिस का मूल्यांकन, कुष्ठ रोग के लिए टीका, विषाक्त आघात (सेप्टिक शॉक) के लिए औषधि निर्माण, पादप ऊतक कल्चर प्रोटोकॉल, जैव उर्वरकों का निर्माण, अमरैंथस से उच्च प्रोटीन जीन और उत्खनित अपशिष्ट और कच्चे तेल के अधिप्लाव के लिए जैव उपचार प्रौद्योगिकी; (13) चावल जिनोम चित्रण; (14) नवीनतम टीकों के विकास के क्षेत्रों में जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों का प्रारंभ, हर्बल उत्पाद विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी, कॉफी गुणवत्ता सुधार तथा जिनोमिक्स के लिए मिरर साइट्स की स्थापना आदि; (15) ध्रुवीय विज्ञान और अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियान को बढ़ावा देना; (16) 7000 से 8000 ईसा पूर्व के शिल्प उपकरणों के साथ कैम्बे में पुरातत्वीय खोज; (17) समुद्र से औषधि कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह-रोधी, अतिसार-रोधी, हाइपर लिपिडेमिक-रोधी, दुश्चिंता-रोधी, कोलेस्ट्रोल-रोधी, जीवाणु-रोधी और लार्वीसाइडल गुणधर्म वाले अवयवों की पहचान; (18) 9-14 सीटों वाले हल्के परिवहन विमान का अभिकल्पन, निर्माण और उड़ान उपयुक्तता परीक्षण तथा 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान हंस-3 का प्रमाणन; (19) पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक कार; (20) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति तथा जैव प्रौद्योगिकी नीति का निर्माण।

(घ) सरकार ने देश में शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन और विकास के लिए अनेक उपाय किये हैं जो इस प्रकार हैं—विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना हेतु योजना-दर-योजना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ज्यादा आबंटन, शैक्षिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते तथा अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और सुविधा केन्द्रों का सृजन, नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरुआत, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान और विकास भागीदारियों को प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आदि। तद्नुसार, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आवंटन को 10वीं योजना के दौरान 25,301.35 करोड़ रु. से बढ़ाकर 11वीं योजना में 75,304.00 करोड़ रु. कर दिया है।

विवरण

केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों को निधियों का आवंटन और उनके द्वारा किया गया व्यय

(करोड़ रु. में)

मंत्रालय/विभाग	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन
परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास)	872.74	770.80	1003.00	1032.72	1215.00	1040.10	1228.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	340.00	225.05	438.00	417.49	690.00	437.00	750.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1250.00	1024.24	1367.00	964.16	1526.00	1270.00	1530.00
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	445.00	386.36	521.00	496.00	675.00	683.00	900.00
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	846.00	730.33	975.00	775.00	1070.00	1060.00	1200.00
अन्तरिक्ष विभाग	2800.00	2294.30	3220.00	2600.00	3420.00	2831.00	3600.00

[अनुवाद]

पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में प्रगति

2639. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री नवीन जिन्दल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्कटिक क्षेत्र में कोई अनुसंधान सुविधा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) इन अनुसंधान सुविधाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ङ) इस क्षेत्र में किन-किन देशों ने अनुसंधान स्टेशन स्थापित किये हैं; और

(च) क्या उन देशों के वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों के साथ अपने अनुभव पर नियमित बातचीत करते हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत ने नी-एलिजुंड, स्वालबर्ड, नार्वे में अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केन्द्र में "हिमाद्रि" नामक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है जिसमें 8 वैज्ञानिकों के रहने और कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान है।

(ख) नी-एलिजुंड स्थित अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक सुविधाओं तथा हिमाद्रि केन्द्र का उपयोग करते हुए भारतीय वैज्ञानिक वर्ष 2008 की ग्रीष्म ऋतु से हिमनद विज्ञान, वायुमण्डलीय विज्ञान एवं जीवविज्ञान जैसे विषयों में वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। मंत्रालय ने आगामी वर्षों में नी-एलिजुंड में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों की विज्ञान योजना को अंतिम रूप दिया है।

(ग) हिमाद्रि स्टेशन वार्षिक पट्टे पर लिया गया है। विभिन्न सेवाओं के प्रभारों सहित भवन को पट्टे पर लेने की लागत लगभग 34 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। इस लागत में वैज्ञानिक यंत्रों को प्राप्त करने, स्थापित करने और उन्हें चालू करने तथा अनुसंधान कार्यकलापों के लिए आवश्यक यात्रा व्यय शामिल नहीं होगा।

(घ) हिमाद्रि में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के साथ ही मंत्रालय ने वर्ष 2008 की ग्रीष्म ऋतु से उपर्युक्त विषयों पर कुछ विशिष्ट परियोजनाएं शुरू कर दी हैं।

(ङ) नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य तथा चीन ने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर लिये हैं।

(च) जी हां।

भूमिगत खानें

2640. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिगत खानों को खुले मुहाने वाली खानों में परिवर्तित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत कितनी भूमिगत खानों को राज्यवार, खानवार खुले मुहाने वाली खानों में परिवर्तित कर दिया गया है/ परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) खुले मुहाने वाली खानों में परिवर्तन किये जाने के पश्चात् भूमिगत खानों के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गैर-ईंधन खनिजों के संबंध में भूमिगत खानों को ओपन कास्ट खानों में परिवर्तित करने के लिए स्कीम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला कैदियों और इनके बच्चों का कल्याण

2641. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न जेलों में महिला कैदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों के उचित विकास हेतु व्यवस्था की कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महिला कैदियों और इनके बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और व्यवस्था संबंधी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है गत प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार योजना/परियोजना-वार आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरडी उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु दिशानिर्देश तैयार किये हैं जो बच्चे अपनी माताओं के साथ जेलों में रह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इन दिशानिर्देश का पालन करें जिनमें बच्चों को स्वस्थ और साफ वातावरण, पोषक आहार, अच्छी चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त कपड़े, शैक्षिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान किया जाना शामिल है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिशु गृह में और 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को नर्सरी में रखा जाना अपेक्षित है। राज्य विधिक सेवा के प्राधिकारियों के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे इस बात की निगरानी रखने के लिए आवधिक रूप से जेलों का निरीक्षण करें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

भारत सरकार ने भी दिनांक 15.5.2006 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय की सलाह जारी की है कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के तहत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है। तथापि, कामागारों और कैदियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त कारागारों/बैरकों का निर्माण करने, विद्यमान कारागारों की मरम्मत और पुनरुद्धार करने, साफ-सफाई और जल आपूर्ति तथा कैदियों की रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए 2002-03 में एक योजनेत्तर स्कीम शुरू की है। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारी के आधार पर कुल 1800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का विस्तार 31.3.2009 तक कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

कारागारों की आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाया गया केन्द्रीय हिस्सा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय हिस्से की पात्रता	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	79.725	79.7250
2.	असम	29.3775	28.6637
3.	बिहार	134.5725	134.5722
4.	छत्तीसगढ़	28.0275	21.7977
5.	गोवा	10.215	10.1925
6.	गुजरात	49.41	49.4100
7.	हरियाणा	77.07	77.0775
8.	हिमाचल प्रदेश	15.1575	15.1425
9.	जम्मू-कश्मीर	23.175	21.6553
10.	झारखंड	31.68	31.6800
11.	कर्नाटक	40.425	40.3508
12.	केरल	24.57	24.5550
13.	मध्य प्रदेश	116.355	106.8175
14.	महाराष्ट्र	96.87	96.8625
15.	मणिपुर	11.775	11.6103
16.	मेघालय	12.2775	12.2700

1	2	3	4
17.	मिजोरम	13.3275	13.3125
18.	नागालैंड	11.8875	11.8500
19.	उड़ीसा	80.55	80.5500
20.	पंजाब	55.845	44.6700
21.	राजस्थान	48.8625	48.8400
22.	सिक्किम	13.635	13.6350
23.	तमिलनाडु	71.505	69.2918
24.	त्रिपुरा	20.985	20.9850
25.	उत्तर प्रदेश	173.4375	173.4375
26.	उत्तराखंड	22.74	22.7250
27.	पश्चिम बंगाल	53.925	51.2275
	कुल	1347.3825	1312.9068

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र में औद्योगिक घराने

2642. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में औद्योगिक घरानों ने खनन क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी/निजी क्षेत्र में आवंटित खानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस क्षेत्र से अर्जित कुल राजस्व कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) खनिज रियायत प्राप्त करने के लिए, भारतीय नागरिक या कंपनी, जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित है, को संबंधित राज्य सरकार को आवेदन करना होता है। राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायत प्रदान करने से पहले खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए खान मंत्रालय द्वारा संसूचित किये गये पूर्व अनुमोदन का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट www.mines.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 और 9क के तहत, पट्टाधारक समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार को रायल्टी/डैडरेन्ट अदा करता है। राज्य सरकारों द्वारा रायल्टी/डैडरेन्ट की वसूली संबंधी आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

2643. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान व्यावसायिक शिक्षा हेतु गुजरात सरकार को सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अंतिम रूप दिये गये लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) यह मंत्रालय गुजरात राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना

2644. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं और स्थापना हेतु चयनित स्थल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विश्वविद्यालय के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सरकार ने पुलिस से संबंधित विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य एक विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपा गया है।

छात्रवृत्ति योजना

2645. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के पलायन को रोकने के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से चालू योजना अवधि के दौरान राज्य-वार लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है; और

(ग) इस योजना को संपूर्ण देश में और मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ देने को रोकने और समाज के कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों द्वारा कक्षा-8 के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना में प्रतिवर्ष कक्षा-9 में दाखिला लेने वाले एक लाख छात्रों के लिए 500 रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। यह छात्रवृत्ति कक्षा-12 तक उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस योजना में राज्य/संघ शासित प्रदेश के मानदंडों के अनुसार छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 4 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है। राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार करने के निर्देश दिये गये हैं।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7008
2.	अरुणाचल प्रदेश	122
3.	असम	2411
4.	बिहार	5433
5.	छत्तीसगढ़	2246
6.	गोवा	144
7.	गुजरात	5097
8.	हरियाणा	2337
9.	हिमाचल प्रदेश	832
10.	जम्मू-कश्मीर	1091
11.	झारखंड	1959
12.	कर्नाटक	5534
13.	केरल	3473
14.	मध्य प्रदेश	6446
15.	महाराष्ट्र	11682
16.	मणिपुर	255
17.	मेघालय	231
18.	मिजोरम	103
19.	नागालैंड	180
20.	उड़ीसा	3314
21.	पंजाब	2210
22.	राजस्थान	5471

1	2	3
23.	सिक्किम	58
24.	तमिलनाडु	6695
25.	त्रिपुरा	351
26.	उत्तर प्रदेश	15143
27.	उत्तराखंड	1048
28.	पश्चिम बंगाल	7250
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42
30.	चंडीगढ़	85
31.	दादरा और नगर हवेली	22
32.	दमन एवं दीव	16
33.	दिल्ली	1576
34.	लक्षद्वीप	10
35.	पुडुचेरी	125
	कुल	100000

साइकिलों का निर्यात

2646. श्री नवीन जिन्दल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय साइकिलों की विदेशी बाजारों में मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश-वार निर्यात की गई साइकिलों की संख्या और इनसे अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा साइकिल उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए साइकिलों (मोटरीकृत नहीं) के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलियन अम.डा. में)

2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 अप्रैल-जून
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
800588	24.19	856263	28.4	788846	27.8	6.23

निर्यात के प्रमुख गंतव्य मोजाम्बिक, नेपाल, यूएई, मालावी और केन्या हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विभिन्न व्यापार संवर्धन स्कीमों में साइकिल उद्योग के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

बांग्लादेश के साथ संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत

2647. योगी आदित्यनाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या थे;

(ग) क्या बांग्लादेश ने अपने देश में आतंकवादी प्रशिक्षण कैम्प होने को स्वीकार किया था;

(घ) यदि हां, तो बांग्लादेश द्वारा इस संबंध में क्या आश्वासन दिये गये; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) जी हां। भारत बांग्लादेश के बीच दिनांक 29-30 मई, 2008 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हुई। इन वार्ताओं के दौरान दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और बेहतर सहयोग करने संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अन्य मुद्दों में दोनों देशों के चिंता के विषयों पर सूचना के आदान-प्रदान के बारे में इन देशों के बीच नोडल

बिंदु सक्रिय करने का निर्णय लिया गया। बांग्लादेश ने इस बात को दोहराया कि बांग्लादेश सरकार, किसी भी आपराधिक और उग्रवादी क्रियाकलाप करने वाले भारतीय उग्रवादी ग्रुप के किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके भू-भाग का प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगी।

महिला वैज्ञानिकों के लिए सुविधाएं

2648. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत महिला वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा और प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में 19,707 महिला वैज्ञानिक कार्यरत हैं जिसमें सार्वजनिक, निजी और अकादमिक क्षेत्र, प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियां, राज्य और केन्द्र सरकार के मंत्रालय शामिल हैं।

(ख) भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों को उत्साहित तथा प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं जैसे—उन्हें अध्येतावृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2003 से महिला वैज्ञानिकों के लिए एक अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित की है। यह योजना तीन श्रेणियों में हैं-डब्ल्यूओएस-ए, डब्ल्यूओएस-बी तथा डब्ल्यूओएस-सी और इसका उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्प्रवेश करने हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। वर्ष 2007-08 तक 628 महिला वैज्ञानिकों ने महिला वैज्ञानिक अध्येतावृत्ति का लाभ उठाया है। इसी प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने महिला वैज्ञानिकों के लिए वार्षिक पुरस्कार शुरू किये हैं।

विकास केन्द्र योजना

2649. **श्री महावीर भगोरा:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत चलाये जा रहे केन्द्रों द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना की निष्पादनता की समीक्षा/मूल्यांकन के प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और इसकी उपलब्धि क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में चलाये जा रहे केन्द्र द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) विकास केन्द्र योजना 1988 में घोषित की गई थी और 1991 में लागू की गई। क्षेत्र, जनसंख्या तथा औद्योगिक पिछड़ेपन के स्तर के सम्मिलित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में, इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 71 विकास केन्द्रों को मंजूरी दी गई है।

योजना आयोग द्वारा किये गये प्रतिदर्श मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किये गये विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन के नतीजों के आधार पर, योजना आयोग से परामर्श करके औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने विकास केन्द्र योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह अपने उद्देश्यों को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने में विफल रही। तथापि, इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.), जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में स्थित विकास केन्द्रों को 31.3.2009 तक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय उद्योग और कृषि पर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का प्रभाव

2650. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री संतोष गंगवार:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के हमारे उद्योग और कृषि पर प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के परिणाम और अब तक किये गये एफटीए का ब्यौरा तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता हेतु चालू बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सदस्य देशों द्वारा शून्य प्रतिशत शुल्क के अंतर्गत लाये जाने वाले उत्पादों की पहचान कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समझौतों से भारत में व्यापार में किस स्तर तक वृद्धि होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अपने व्यापारिक भागीदारों से वार्ताएं शुरू करने से पूर्व आंतरिक रूप से तथा संयुक्त अध्ययन दलों के माध्यम से, प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के घरेलू उद्योग पर प्रभाव सहित उनकी व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन किये जाते हैं। शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, उद्योग एसोसिएशनों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों सहित घरेलू हितबद्ध पक्षकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है। घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन करारों में मदों की संवेदनशील/ नकारात्मक सूचियों का प्रावधान किया जाता है, जिन पर एफटीए के अंतर्गत सीमित अथवा कोई टैरिफ रियायतें नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा आयातों में वृद्धि होने एवं घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्थिति में किसी देश को पाटनरोधी तथा रक्षोपाय जैसे उपाय करने की अनुमति होती है। भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये हैं:

1. केवल वस्तुओं को शामिल करते हुए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार पर 28 दिसम्बर 1998 को हस्ताक्षर किये गये थे और इसका कार्यान्वयन मार्च, 2000 में शुरू हुआ था।
2. भारत और सिंगापुर ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर दिनांक 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किये, जो 1 अगस्त, 2006 से प्रभावी हुआ। इस सीईसीए में अन्य बातों के अलावा, वस्तुओं, सेवाओं में मुक्त व्यापार करार तथा निवेश शामिल हैं।
3. वस्तुओं को शामिल करते हुए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार पर दिनांक 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में हुए 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के सदस्य देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका) द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे और यह 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हुआ। साफ्टा के अंतर्गत टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम 1 जुलाई, 2006 से शुरू हुआ।
4. नेपाल तथा भूटान के साथ भी भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संधियां की हैं, जिनके अंतर्गत इन दोनों देशों से गैर पारस्परिक आधार पर वस्तुओं को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है।

(ग) वस्तु व्यापार करार से संबंधित वार्ताएं सम्पन्न हो गई हैं, परंतु करार पर हस्ताक्षर अभी किये जाने हैं। सेवा तथा निवेश करार पर वार्ताएं अभी चल रही हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनशील स्वरूप के कारण मुक्त व्यापार करारों के परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हुई वृद्धि का सही पूर्वानुमान लगाना कठिन होगा; तथापि अपने एफटीए भागीदारों के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और अपने एफटीए भागीदारों के साथ भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल है। वर्ष 2004-08 के दौरान अपने प्रमुख एफटीए भागीदारों के साथ भारत के निर्यातों एवं आयातों का औसत मूल्य निम्नानुसार है:

चुनिंदा एफटीए भागीदारों को भारत के निर्यात

(मूल्य मिलियन अम. डा. में)

क्र.सं.	देश	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	165.44	142.67	181.58	248.86
2.	बंगलादेश	1,631.22	1,664.36	1,626.58	2,916.79
3.	भूटान	84.58	99.17	57.46	86.65

1	2	3	4	5	6
4.	मालदीव	47.61	67.58	68.67	89.55
5.	नेपाल	743.14	859.97	927.77	1,506.05
6.	पाकिस्तान	521.05	689.23	1,348.55	1,944.17
7.	श्रीलंका	1,413.18	2,024.67	2,253.82	2,825.16
8.	सिंगापुर	4,000.61	5,425.29	6,064.19	7,367.54
	जोड़	8,606.73	10,972.94	12,528.62	16,984.77

चुनिंदा एफटीए भागीदारों से भारत के आयात

मूल्य मिलियन (अम. डा.)

क्र.सं.	देश	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1.	अफगानिस्तान	47.01	58.42	34.48	109.23
2.	बंगलादेश	59.37	127.03	228.31	257
3.	भूटान	71	88.77	141.33	194.38
4.	मालदीव	0.61	1.98	3.05	4.15
5.	नेपाल	345.83	379.85	305.73	627.72
6.	पाकिस्तान	94.97	179.56	323.01	287.8
7.	श्रीलंका	378.4	577.7	470.26	631.12
8.	सिंगापुर	2,651.40	3,353.77	5,485.26	8,117.64
	जोड़	3648.59	4767.08	6991.43	10229.04

पुलिस बलों का कार्यकरण

2651. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री सुव्रत बोस:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्रीमती सी. एस. सुजाता:
श्री के.सी. पल्लाणी शामी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई नई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पुलिस बलों के कार्यकरण, कार्य दशाओं और कार्य घण्टों की अवधि में परिवर्तन लाने के लिए नए प्रयास प्रस्तावित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, गृह मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु एक गैर-योजनेत्तर स्कीम को कार्यान्वित करती रही है। यह विशेषकर आतंकवाद, नक्ससवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा हेतु उभरने वाली चुनौतियों से निपटने सहित राज्य पुलिस बलों के क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई पुलिस अवसंरचना की मुख्य मदों में से कुछेक आधुनिक हथियार, आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों का निर्माण, आवाजाही, संचार/सुरक्षा/विधि विज्ञान संबंधी उपकरण, खुफिया दलों का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण संबंधी ढांचागत सुविधाएं आदि शामिल हैं। राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं का आकलन करके अपनी वार्षिक कार्रवाई योजनाएं तैयार करनी होती हैं, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है और उसके लिए निधियां निर्गत की जाती हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निर्गत की गई केन्द्रीय निधियां निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	निर्गत की गई धनराशि (करोड़ रुपये)
1.	2004-05	960
2.	2005-06	1025
3.	2006-07	1065
4.	2007-08	1268
5.	2008-09	752(*)

(*)30.11.2008 के अनुसार

(ग) और (घ) चूंकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों को पुलिस बलों की कार्य की परिस्थितियों, कार्य करने के तरीकों तथा कार्य करने की अवधि में परिवर्तन लाने के लिए पहल करनी होती है।

हीरा उद्योग इकाइयों का बंद होना

2652. श्री अजीत जोगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हीरा उद्योग अनपे उत्पादों के निर्यात में बाधाओं का सामना कर रहा है जिसके कारण अनेक ऐसी इकाइयां बंद हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो बंद हो चुकी/होने के कगार पर खड़ी इकाइयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हीरा उद्योग को इस संकट से बाहर निकालने और हीरा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किये गये/प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण विश्व भर में उपभोक्ता मांग में गिरावट आई है; वैश्विक बाजार में पर्याप्त मांग के अभाव के कारण वस्तु सूचियों में बढ़ोत्तरी हुई है और नकदी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नमूने के तौर पर रत्न एवं आभूषण के 32 प्रमुख निर्यातकों के बीच एक बाजार अनुसंधान किया है। इस सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले तीन महीनों में 12.5 प्रतिशत निर्यातकों को अपने प्रचालन/इकाइयों को बंद करना पड़ा है।

(ङ) हीरा उत्पादों सहित निर्यात का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछेक निवारक उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) लदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण का प्रथम स्लैब जो बेंचमार्क प्रमुख उधार दर (बीपीएलआर) घटा 2.5 प्रतिशत प्वाइंट्स के रियायती ब्याज दर की उच्चतम सीमा पर उपलब्ध है की हकदारी की अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दिया गया है।

(2) लदान पश्चात् रुपया निर्यात ऋण का प्रथम स्लैब जो रियायती ब्याज दर की उच्चतम सीमा (बीपीएलआर घटा 2.5 प्रतिशत से अनधिक) पर उपलब्ध है की हकदारी की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है।

(3) लदान पश्चात् रुपया निर्यात ऋण पर लागू निर्धारित ब्याज दर (बीपीएल घटा 2.5 प्रतिशत प्वाइंट्स से अनधिक) को अग्रिम तिथि से 180 दिन तक के अतिदेय बिलों पर लागू किया गया है।

(4) प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर के अध्यधीन लदान पूर्व एवं लदान पश्चात् निर्यात ऋण पर 31.03.2009 तक 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है।

(5) अंतिम उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर के पूर्ण वापसी को सुनिश्चित करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि का प्रावधान किया गया है।

(6) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को 350 करोड़ रुपये तक की सरकार समर्थित गारंटी उपलब्ध कराई गई है ताकि दुर्गम बाजारों को/दुर्लभ उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

(7) निर्यातकों को शुल्क प्रति अदायगी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करते समय विदेशी एजेंट के कमीशनों पर निर्यातों के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत तक सेवा कर की वापसी तथा उत्पादन सेवाओं पर सेवा कर की वापसी की अनुमति दी गई है।

बालिकाओं हेतु छात्रावास

2653. श्री गणेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु बालिका छात्रावास" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि निर्धारित/आवंटित की गई है; और

(ख) राज्य-वार बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु चयनित क्षेत्र/जिलों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपये की एक राशि आबंटित की गई है। 2008-09 के लिए बजट में 80.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में लगभग 3500 बालिका छात्रावासों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु सहायता

2654. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता हेतु निवेदन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों का योजना-वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विभिन्न राज्यों से लंबित निवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विभिन्न राज्यों से शैक्षणिक स्टाफ कालेजों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं देता है। हालांकि, आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में विश्वविद्यालयों से प्राप्त अनुरोध और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों का ब्यौरा आयोग से एकत्र किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अध्यापकों हेतु वेतन समीक्षा

2655. श्री एस. अजय कुमार:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अध्यापकों हेतु वेतन समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग (यूजीसी) ने इस रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें भेज दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वेतन समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एकता परिषद सम्मेलन का परिणाम

2656. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इनका क्या परिणाम निकला था;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश को प्रभावित कर रहे आतंकवाद, नक्सलवाद, सम्प्रदायवाद और क्षेत्रवाद का सामना करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआईसी) की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 को आयोजित की गई थी। इसमें सामाजिक संरचना-जाति एवं पहचान वर्ग और वाक्पटुता, आर्थिक विकास-साम्यिक विकास तथा क्षेत्रीय असन्तुलनों का समापन, अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ाना, शिक्षा-अल्पंसख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का संवर्धन करना, उग्रवाद, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान करने वाले अन्य तत्वों पर चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद इस बैठक में एक संकल्प अंगीकृत किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ सभी राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी संगठनों, नागरिक समूहों, धार्मिक, सामाजिक और राय देने वाले अन्य नेताओं एवं मीडिया को संकुचित विचारों या हितों से ऊपर उठने और सभी प्रकार के उग्रवाद और हमारे समाज को सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायकि रूप में बांटने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया।

(ग) से (ङ) सरकार देश को प्रभावित करने वाले आतंकवाद, नक्सलवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का पालन कर रही है जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा एवं विकास मोर्चों पर उपाय करना शामिल है। आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा मोर्चे पर कई उपाय किये जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ तथा सीमापार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर चौकसी एवं गश्त करना, आतंकी हिंसा सम्भावित क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायतार्थ केन्द्रीय बलों की तैनाती करना, बड़े प्रतिष्ठानों में और उसके आसपास उच्च चौकसी एवं सुरक्षा व्यवस्था, आसूचना संग्रहण एवं भागीदारी क्षमताओं को सुदृढ़ करना, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने के लिए सहायता, राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के सुरक्षा सबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा आतंकवाद के विश्वव्यापी प्रभावों से निपटने में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के लिए विभिन्न पहलें करना शामिल है। सरकार सुरक्षा, विकास, प्रशासन तथा सार्वजनिक अवबोधन के क्षेत्रों में कार्रवाई करके नक्सलियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन कर रही है। इसकी पुनरीक्षा एवं समन्वय के लिए केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थागत तंत्र स्थापित किये गये हैं। अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक एकीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पीड़ित राज्यों की सहायता कर रही है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में संवेदनशील अवस्थापनात्मक अन्तराल को दूर करने के उद्देश्य से एक नई योजना का प्रस्ताव किया गया है। विकास योजनाएं बनाने, कार्यान्वित करने तथा मानीटर करने पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है।

साम्प्रदायिक हिंसा का निवारण करने और उसे नियंत्रित करने, और इस हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उससे प्रासंगिक मामलों के लिये उपाय करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अधिकार दिलाने हेतु साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण तथा पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 राज्य

सभा में प्रस्तुत किया गया है। साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश बनाए गए हैं और राज्य सरकारों को परिचालित कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

एआईसीटीई की भूमिका को बांटना

2657. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) की विनियामक और प्रत्यायन भूमिका को बांटने और निजी एवं सरकारी दोनों कालेजों हेतु स्वतंत्र प्रत्यायन निकाय की स्थापना की योजना बना रही है; जैसाकि 23 अगस्त, 2008 के 'मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमन तथा प्रत्यायन भूमिका को अलग करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2008 में आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अनिवार्य प्रत्यायन के अपने पूर्व के निर्णय को पुन: दोहराया है और यह निर्णय लिया कि इस संबंध में विनियम बनाया जाना जरूरी है। अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब मुद्दे की जांच करने तथा समुचित विनियम बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जबकि उक्त समिति ने प्रस्तावित विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए दो बार बैठक की, लेकिन आयोग के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

ऊपरी असम में उल्फा कैम्प

2658. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उल्फा के बड़े समूह (बातचीत के पक्ष में) मिल गए हैं और ऊपरी असम में निर्धारित कैम्पों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समूह के साथ कोई बातचीत चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटिड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की स्वयंभू 28वीं बटालियन की दो कंपनियों ने 24 जून, 2008 से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की है। इन दो कंपनियों के कैडर राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कैम्पों में ठहरे हुए हैं।

(ग) से (च) उल्फा के इन समूहों से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में बढ़ते अपराध

2659. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री किरेन रिजीजू:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री जुएल ओराम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराधिक मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध, लूटे गए व्यापारियों की संख्या और लूटी गई धनराशि सहित अपराध-वार, लिंग-वार दर्ज हुए अपराधिक मामलों की कुल संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पकड़े गए दोषियों/दायर मामलों की कुल संख्या क्या है और प्राप्त दोषसिद्धि दर क्या है;

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली के बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों की सुरक्षा और अपराधियों की उच्च दोषसिद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पुलिस बल को मजबूती प्रदान करने और दिल्ली में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) यह सही नहीं है क्योंकि वर्ष 2008 (1 जनवरी 2008 और 30 नवम्बर 2008) के दौरान रिपोर्ट किये गये अपराध के मामलों में वर्ष 2007 की समसामयिक अवधि के दौरान दर्ज किये गये अपराध के मामलों में वर्ष 2007 की समसामयिक अवधि के दौरान दर्ज मामलों की तुलना में 12.78% की गिरावट दर्ज हुई है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार। तथापि दिल्ली पुलिस लिंग-वार आंकड़े एकत्र नहीं करती है।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता संबंधी मामलों के कुल अभियुक्तों, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों, चालान किये गये मामलों और प्राप्त दोषसिद्धि दर निम्नलिखित है:

वर्ष	गिरफ्तार किये गये अभियुक्त	चालान किये गये मामले	दोषसिद्धि दर
2005	58519	30088	62%
2006	57433	25385	65%
2007	51592	18387	64.69%
2008 (30 नवम्बर तक)	33443	9592	63%

(घ) और (ङ) दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाये गये कदमों में व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों और अपराधों के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से "आंख और कान" योजना शुरू करना; गश्त लगाने की बीट प्रणाली में सुधार करना; उच्च अपराध दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और ऐसे पुलिस स्टेशनों के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति और गश्त लगाने वाली मोटरसाइकिलों का प्रावधान करना; गश्त को अधिकतम प्रभावी बनाने के लिए समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाना; दुर्दांत अपराधियों की गतिविधि के बारे में आसूचना का विकास करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों से बहु-विधि काम लेना; महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष स्थापित करना; रेप क्राइसेस इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करना; बलात्कार के मामलों की जांच-पड़ताल करने में महिला पुलिस अधिकारियों का सहयोग लेना; गैर-सरकारी संगठनों की नेटवर्किंग करना; संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में स्टाफ की तैनाती करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष में महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित टेलीफोन हेल्पलाइन शुरू करना; चौबीसों घंटे महिलाओं से सहायता की गुहार सुनने के लिए "महिला मोबाइल टीम" का गठन करना; पुलिस मुख्यालय में "वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कक्ष" स्थापित करना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों के सत्यापन पर नए सिरे से जोर देना और रिहाइशी कल्याण संघों के साथ निकट संपर्क स्थापित करना शामिल है।

सरकार दिल्ली पुलिस की नफरी की समीक्षा करती है और दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल ही में 7612 अतिरिक्त पद मंजूर किये गये हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए निधियां मुहैया कराई जाती हैं।

विवरण

(1) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 30 नवम्बर, 2008 तक दर्ज अपराध के कुल मामले

अपराध शीर्ष	2005	2006	2007	2007 तक 30.11.2007	2008 30.11.2008 तक
डकैती	27	14	34	32	21
हत्या	455	476	495	453	505
हत्या का प्रयास	467	510	530	487	356
लूट	510	541	557	505	478
दंगा	61	87	87	79	67
फिरौती के लिए अपहरण	32	32	24	24	19
बलात्कार	658	623	598	580	446
छीनना	1136	1283	1243	1158	1256
चोट पहुंचाना	1814	1818	1736	1602	1779
सेंधमारी	2093	1950	2055	1825	1763
मोटर वाहन चोरी	8862	9366	8874	7743	9560
घरेलू चोरी	1453	1408	1599	1486	1411
अन्य चोरी	7640	6724	6564	5925	5626
महिलाओं से छेड़छाड़	762	718	868	801	563
अन्य अपहरण/व्यपहरण	1590	1442	1688	1538	1464
अन्य आईपीसी	26566	28841	27034	26614	18996
कुल आईपीसी	56065	57963	56065	50987	44419

(2) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 30 नवम्बर, 2008 तक महिलाओं पर अत्याचार के रिपोर्ट किये गये मामले

अपराध शीर्ष	2005	2006	2007	2007 30.11.2007 तक	2008 30.11.2008 तक
1	2	3	4	5	6
दहेज निषेध अधिनियम	9	15	16	15	18
दहेज हत्या	114	137	138	132	125

1	2	3	4	5	6
महिलाओं से छेड़छाड़	762	718	868	801	563
406 आईपीसी (दहेज से संबंधित)	6	11	6	6	8
बलात्कार	658	623	598	580	446
महिलाओं का अपहरण/व्यपहरण	1106	1066	1167	1068	1068
498-क आईपीसी (पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता)	1324	1728	1787	1642	1291
छेड़छाड़	1714	556	414	373	311

(3) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 30 नवम्बर, 2008 तक वरिष्ठ नागरिकों पर किये गये अपराधों के कुल मामले

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2005	2006	2007	2008 (30.11.2008 तक)
1.	हत्या	16	12	17	14
2.	हत्या का प्रयास	5	2	1	1
3.	अपहरण/व्यपहरण	1	0	0	1
4.	छेड़छाड़	0	0	1	0
5.	महिलाओं से छेड़छाड़	0	2	1	1
6.	लूट	14	10	9	6
7.	डकैती	1	0	0	0
8.	बलात्कार	2	2	0	1
9.	चोट पहुंचाना	23	22	13	17
	कुल	62	50	42	41

(4) व्यापारियों को लूटना

वर्ष	मामलों की संख्या	लूटी गई राशि (अनुमानत:)
2005	27	82.20 लाख रुपये+दो कारें/तीन अंगूठियां+मोबाइल और घड़ी
2006	17	48.58 लाख रुपये+दो अंगूठियां+एक मोबाइल+10 लाख रुपये (अनुमानत:) मूल्य के आभूषण
2007	33	174.88 लाख रुपये+सोने की 6 चैनें+4.00 लाख रुपये मूल्य के आभूषण (अनुमानत:) 50 ग्राम सोना+5 कि.ग्रा. चांदी।
2008 (30 नवम्बर तक)	26	50.28 लाख रुपये+कार+क्रेडिट कार्ड, 67000 रुपये मूल्य का बैंक ड्राफ्ट+आभूषण+3 मोबाइल, 7000 अमरीकी डालर+372000 येन+3100 स्विस फ्रैंक+3600 आस्ट्रेलियन डालर+1127 यूरो+स्कूटर

प्राकृतिक आपदाओं संबंधी रिपोर्ट

2660. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑक्सफेम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए त्रुटिपूर्ण नीति के कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट में भारत के 60 प्रतिशत क्षेत्र को भूकंप प्रवण घोषित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दी साउथ एशिया रिजनल सेंटर ऑफ दी ऑक्सफेम (इंडिया) ट्रस्ट, नई दिल्ली, जो कि ऑक्सफेम इंटरनेशनल के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ने ''रीथिंकिंग डिजास्टर'' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में इस रिपोर्ट के अनुसार, घटनाओं से हुई क्षति का विस्तार न केवल एकमात्र प्रकृति के कारण है, वरन मुख्य रूप से अनुपयुक्त नीतियों एवं आपदाओं के खतरों को कम करने हेतु की गई कार्रवाईयों के कारण है। उक्त रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र में और विशेषकर भारत में आपदा प्रबंधन के लिए की गई कई नई पहलों का संज्ञान नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) भारत में लगभग 58.06 प्रतिशत भूभाग विभिन्न तीव्रता वाले भूकंप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, जिसमें से 10.09 प्रतिशत भूकंप क्षेत्र-4 (अत्यधिक खतरा) और 30.04 प्रतिशत भूकंप क्षेत्र-3 (मध्यम खतरा) में आते हैं।

(ङ) प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करना, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करना, आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित कोष का गठन करना, आपदाओं के व्यापक प्रबंधन के लिए वृहत नीतियों एवं तंत्र को विकसित करना शामिल है, जिनमें पूर्व चेतावनी एवं भविष्यवाणी, प्रशिक्षण एवं क्षमता- निर्माण तथा आपदा-पूर्व आयोजना, समुदाय आधारित आपदा खतरा प्रबंधन आदि सहित आपदा की तैयारी एवं प्रतिक्रिया की प्रणाली को सरल बनाना तथा आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना शामिल है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

2661. श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री के. सुब्बारायण:
श्रीमती के. रानी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार के कुल कितने अवसर क्षेत्र-वार और राज्य-वार सृजित किये गये;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं के पक्ष में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा नई उद्योग इकाइयों को क्या प्रोत्साहन प्रदान किये गये और लक्ष्य निर्धारित किये गये; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, ऐसी नई इकाइयों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामोद्योग क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत खादी में महिलाओं के लिए सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत महिलाओं के लिए सृजित अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। शहरी/ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

2008-09 से आरईजीपी तथा पीएमआरवाई की योजनाओं को बंद कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना शुरू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर यह योजना केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईवी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी केवीआईसी/राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के केवीआईबी से मार्जिन मनी सहायता तथा सेवा/व्यापार क्षेत्र में 10-10 लाख रुपये की अधिकतम लागत तथा निर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करके सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सकते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 61,967 परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करने के लिए अनुमानित 6,16,937 अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए लक्ष्य पीएमईजीपी के तहत स्थापित किया गया है तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को केवीआईसी द्वारा सलाह दी गई है कि महिला उद्यमियों के लिए लक्ष्य का 30% निर्धारित करें। वर्ष की समाप्ति तथा आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद ही वर्ष 2008-09 के दौरान सृजित किये जाने वाले/वास्तविक रूप से सृजित रोजगार के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) और (घ) पीएमआरवाई में महिला लाभग्राहियों के लिए आयु में छूट की परिकल्पना की गई है। योजना में कमजोर वर्ग तथा महिला लाभग्राहियों के लिए सामान्य उम्मीदवारों की 18-35 वर्ष की आयु सीमा के बदले 18-45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। पीएमआरवाई के तहत किसी प्रकार के स्त्री/पुरुष विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान महिला उद्यमियों के द्वारा पीएमआरवाई के तहत स्थापित स्व-रोजगार उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

आरईजीपी के तहत बैंक क्रेडिट के संयोजन में सामान्य श्रेणी से सम्बद्ध उद्यमियों के मामले में 25% के बदले अधिकतम 10 लाख रुपये की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत (तथा परियोजना लागत के 10% जो 10 लाख से अधिक तथा अधिकतम 25 लाख रुपये तक) की दर पर मार्जिन मनी प्रदान करके महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के उद्यमियों से सामान्य श्रेणी के उद्यमियों अथवा लाभग्राहियों के लिए 10% के बदले परियोजना लागत के 5% पर स्वयं का अंशदान रखा गया था। वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान संवितरित मर्जिन मनी तथा महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

पीएमईजीपी के तहत भी प्रोत्साहन के रूप में उच्चतर स्तरों पर संभावित महिला उद्यमियों के लिए सब्सिडी के स्तर रखे गए हैं। तद्नुसार सामान्य श्रेणी में पुरुष उद्यमियों के लिए स्वीकार्य दरों की तुलना में (शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर पर) महिला उद्यमियों के लिए बढ़ी दरों पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों के मामले में स्वयं के अंशदान की दर सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत के 10% की तुलना में परियोजना लागत का केवल 5% है।

विवरण I

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान केवीआई क्षेत्र में महिलाओं के लिए सृजित अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)					
		खादी			आरईजीपी		
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	44	45	55	11	15	22
2.	दिल्ली	3109	3160	3150	35	81	93

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हरियाणा	29966	30020	30810	8339	8550	13362
4.	हिमाचल प्रदेश	6160	6320	6320	3857	5160	8718
5.	जम्मू-कश्मीर	18668	18920	19750	5745	7022	9211
6.	पंजाब	33065	32390	33150	5233	10742	12607
7.	राजस्थान	47632	48980	51340	18725	13325	27497
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	1412	97	80
9.	बिहार	82313	80580	80580	3596	3721	5337
10.	झारखंड	2527	2370	2370	1180	2199	1494
11.	उड़ीसा	2267	2370	2370	3038	4921	6783
12.	पश्चिम बंगाल	49778	54510	56880	11579	12923	34836
13.	अरुणाचल प्रदेश	58	62	65	583	635	838
14.	असम	9058	9480	11060	15583	9326	7384
15.	मणिपुर	374	775	790	131	567	243
16.	मेघालय	67	65	73	616	656	1370
17.	मिजोरम	13	16	19	5736	4964	8179
18.	नागालैंड	379	395	495	1743	1013	3382
19.	सिक्किम	139	154	165	550	666	2991
20.	त्रिपुरा	104	115	125	1765	1765	550
21.	आंध्र प्रदेश	19068	20440	21330	20753	18027	56691
22.	कर्नाटक	21945	22910	24190	8524	12798	16027
23.	केरल	12030	3780	10270	9610	9094	9248
24.	लक्षद्वीप	0	0	0	92	0	3
25.	पुडुचेरी	250	261	315	59	258	719
26.	तमिलनाडु	30247	31500	33970	6301	7608	19234
27.	गोवा	0	0	0	252	419	242
28.	गुजरात	22410	22420	22910	5639	4079	4308
29.	महाराष्ट्र	1785	1580	2370	9718	8201	10670

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	छत्तीसगढ़	1931	2470	3160	5451	5346	4947
31.	मध्य प्रदेश	3651	3950	3950	4828	6738	14585
32.	उत्तराखंड	21490	22120	23700	3440	3307	3972
33.	उत्तर प्रदेश	270340	272910	280834	14240	15424	15329
	कुल	690872	700768	726566	178364	179648	300952

विवरण II

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान पीएमआरवाई के तहत महिलाओं के लिए स्व-उद्यम बेंचरों की स्थापना और सृजित अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08	
		स्थापित स्व-उद्यम बेंचरों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	स्थापित स्व-उद्यम बेंचरों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	स्थापित स्व-उद्यम बेंचरों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	859	1289	878	1317	1545	2318
2.	हिमाचल प्रदेश	353	530	410	615	489	734
3.	जम्मू-कश्मीर	90	135	81	122	34	51
4.	पंजाब	1062	1593	1028	1542	1030	1545
5.	राजस्थान	1032	1548	1922	2883	1010	1515
6.	चंडीगढ़	40	60	10	15	18	27
7.	दिल्ली	97	146	54	81	60	90
8.	असम	448	672	216	324	140	210
9.	मणिपुर	69	104	15	23	10	15
10.	मेघालय	112	168	41	62	11	17
11.	नागालैंड	628	942	402	603	35	53

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	त्रिपुरा	454	681	212	318	224	336
13.	अरुणाचल प्रदेश	96	144	35	53	0	0
14.	मिजोरम	52	78	34	51	25	38
15.	बिहार	813	1220	731	1097	508	762
16.	झारखंड	366	549	360	540	251	377
17.	उड़ीसा	1267	1901	2559	3839	2154	3231
18.	पश्चिम बंगाल	512	768	609	914	769	1154
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	33	18	27	8	12
20.	सिक्किम	8	12	9	14	4	6
21.	छत्तीसगढ़	385	578	478	717	617	926
22.	मध्य प्रदेश	2041	3062	2510	3765	1618	2427
23.	उत्तराखंड	730	1095	780	1170	660	990
24.	उत्तर प्रदेश	2794	4191	3751	5627	3746	5619
25.	गुजरात	1323	1985	925	1388	1238	1857
26.	महाराष्ट्र	5393	8090	3661	5492	3190	4785
27	गोवा	7	11	5	8	6	9
28.	दादरा और नगर हवेली	8	12	0	0	2	3
29.	आंध्र प्रदेश	3978	5967	3534	5301	4123	6185
30.	कर्नाटक	3415	5123	3791	5687	4101	6152
31.	केरल	5989	8984	7187	10781	7069	10604
32.	तमिलनाडु	6051	9077	7061	10592	6376	9564
33.	पुडुचेरी	110	165	108	162	111	167
	विनिर्दिष्ट नहीं	114	171	0	0	0	0
	कुल	40718	61084	43415	65130	41182	61779

विवरण III

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत महिलाओं द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों और प्रदान की गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला उद्यमियों को संवितरित मार्जिन मनी (लाख रु.)			महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या		
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	1.05	0.00	2.70	2	0	2
2.	दिल्ली	7.36	9.31	5.24	5	6	4
3.	हरियाणा	516.13	202.74	889.27	306	73	329
4.	हिमाचल प्रदेश	293.34	432.00	623.23	184	272	376
5.	जम्मू-कश्मीर	241.73	183.26	368.30	403	405	629
6.	पंजाब	242.79	533.60	1074.65	127	264	583
7.	राजस्थान	796.59	700.97	1123.44	434	421	701
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.62	0.00	10.45	173	0	29
9.	बिहार	155.57	194.03	294.75	201	256	167
10.	झारखंड	104.16	34.25	77.76	63	14	33
11.	उड़ीसा	240.10	316.66	444.27	188	257	291
12.	पश्चिम बंगाल	546.02	634.53	1846.63	540	522	2126
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	43.33	149.88	29	26	82
14.	असम	288.71	515.20	441.48	646	479	450
15.	मणिपुर	9.52	38.40	18.12	19	41	22
16.	मेघालय	76.85	84.18	193.97	103	67	165
17.	मिजोरम	185.53	313.08	621.51	119	297	486
18.	नागालैंड	83.00	97.67	202.17	91	94	212
19.	त्रिपुरा	49.18	39.21	110.48	30	26	38
20.	सिक्किम	38.55	45.44	65.69	55	27	112
21.	आंध्र प्रदेश	1963.35	2049.51	3212.18	1223	1115	1786

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	कर्नाटक	492.32	727.28	901.54	381	506	610
23.	केरल	464.98	472.60	415.46	352	284	296
24.	लक्षद्वीप	4.75	0.00	1.58	7	0	1
25.	पुडुचेरी	5.30	13.34	44.27	15	34	118
26.	तमिलनाडु	371.63	451.01	1104.71	331	378	736
27.	गोवा	30.06	31.22	33.82	39	113	38
28.	गुजरात	272.48	288.33	278.19	149	126	122
29.	महाराष्ट्र	462.01	510.49	817.48	903	669	545
30.	छत्तीसगढ़	393.99	333.58	516.93	140	146	267
31.	मध्य प्रदेश	323.15	529.08	820.47	213	271	360
32.	उत्तराखंड	92.13	135.57	231.96	48	87	146
33.	उत्तर प्रदेश	682.54	797.73	1363.9	430	335	623
	कुल	9485.49	10757.60	18306.48	2.70	7511	12485

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

2662. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में विदेशी कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की मंजूरी देने हेतु क्षेत्र-वार क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(ख) उक्त मानदण्ड किस प्रकार से हमारी घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करते हैं;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने घरेलू उद्योग के किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) निवेश के पूरक होते हैं। एफ.डी.आई. पूंजी के अतिरिक्त अद्यतन प्रौद्योगिकी एवं सर्वोत्तम प्रबंधकीय व्यवहार भी साथ लाता है और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग को विदेशी प्रौद्योगिकी की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराता है एवं इसे वैश्विक बाजार से जोड़ता है। मौजूदा नीति अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत एफ.डी.आई. की अनुमति देती है। स्वत: मार्ग के तहत आने वाले क्षेत्रों में एफ.डी.आई. हेतु कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रस्तावों पर एक अंतर-मंत्रालयीय सिफारिशी निकाय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा विचार किया जाता है, जो एफ.डी.आई. हेतु नीति एवं क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशों का ध्यान रखता है। एफ.आई.पी.बी. यह जांच भी करता है कि यह प्रस्ताव भारत में उसी क्षेत्र में, यदि कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यापार चिन्ह समझौता हो, तो उसे खतरा पहुंचाता है अथवा नहीं।

(ग) से (ङ) घरेलू उद्योग पर एफडीआई के प्रभाव के संबंध में कोई आंकड़े केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2663. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात के बीच के अंतर में निरन्तर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को कोई छूट प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के बीच अंतर का रूझान निम्नानुसार है:

(मूल्य: लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रमुख वस्तुएं	2005-06			2006-07			2007-08		
		निर्यात	आयात	अंतर	निर्यात	आयात	अंतर	निर्यात	आयात	अंतर
1.	चावल	622127	34	622093	703591	41	703550	1173100	42	1173058
2.	गेहूं	55753	0	55753	3535	585049	-581514	23	265751	-265728
3.	दालें	111521	247625	-136104	77334	389191	-311857	52695	527802	-475107
4.	चीनी	56910	65159	-8249	312746	348	312398	540417	229	540188
	अन्य	2235888	1336337	899551	2711994	1430185	1281809	3488019	1517978	1970041
	कुल	3082199	1649155	1433044	3809200	2404814	1404386	5254254	2311802	2942452

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) से (च) कृषि उपज के निर्यातों के संवर्धन हेतु विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना शुरू की गई है। इस स्कीम में अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात पर निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू निविष्टियों से विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों को शुल्क मुक्त आयातित निविष्टियों की तुलना में उच्चतर दर पर प्रोत्साहन दिया जाए, शुल्क ऋण को ऐसे मामलों में, जहां निर्यातक कृषि निविष्टियों (उत्प्रेरकों, खपत योग्य वस्तुओं तथा पैकिंग सामग्रियों को छोड़कर) के शुल्क मुक्त आयात के अंतर्गत लाभ प्राप्त करता है, घटाकर निर्यातों के एफओबी मूल्य का 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

फूलों, फलों तथा सब्जियों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए ये उत्पाद दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 5%/3% वीकेजीयूवाई पात्रता के अलावा निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2.5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप के पात्र होंगे। क्रियाविधि पुस्तिका (खंड-1) जो डीजीएफटी वेबसाइट dgft.delhi.nic.in पर उपलब्ध है, के परिशिष्ट 37क में दी गई सूची के अनुसार इस स्कीम में लगभग 800 उत्पाद शामिल हैं।

कपास का निर्यात

2664. श्री काशीराम राणा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में कपास का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) देश में बढ़ रही फसल के मद्देनजर कपास के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) अपेक्षित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (करोड़ किग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2005-06	61.48	2904.35
2006-07	116.22	6107.81
2007-08	155.76	8865.39
अप्रैल-जून, 08	23.65	1484.87

(ख) सरकार परिष्कृत वस्त्र की वस्तुओं का और अधिक निर्यात संवर्धन करना चाहेगी जिसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

नक्सलियों द्वारा हथियार और गोला बारूद की खरीद

2665. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री निखिल कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलियों ने मोबाइल कंपनियों के टावरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है जिससे संचार संपर्क टूट रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुए ऐसे आक्रमणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सली कतिपय विदेशी एजेंसियों सहित दुश्मन एजेंसियों से गोला बारूद खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) यह एक वास्तविक तथ्य है कि नक्सलियों ने सेल्यूलर मोबाइल टावरों एवं इसके संयंत्रों को क्षतिग्रस्त करना प्रारम्भ कर दिया है। क्षति के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि नक्सली दुश्मन एजेंसियों के साथ कुछ विदेशी एजेंसियों से शस्त्र एवं गोला-बारूद प्राप्त कर रहे हैं।

विवरण

दूरभाष संचार पर एलडब्ल्यूई के हमले

	2005	2006	2007	1 जनवरी से 30 नवम्बर, 2008 तक
आंध्र प्रदेश	5	2	0	1
बिहार	0	0	0	14
महाराष्ट्र	1	1	1	1
छत्तीसगढ़	2	1	3	14
झारखंड	0	0	0	9
उड़ीसा	0	1	2	4
कुल	8	5	6	43

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा किये गये शोध

2666. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन पर शोध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस संबंध में कोई अध्ययन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन भारतीय जल संसाधन सोसायटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, विक्रम

साराभाई स्पेस सेंटर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री गोविंद सिंह प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इत्यादि के सहयोग से जल संसाधन कृषि, जल विज्ञान और मानसून अनुमान, जलवायु परिवर्तन से होने वाले परिदृश्य की अनुकूलनशीलता और प्रशमन के विवेचनात्मक मुद्दे, नदी तट प्रबंधन तथा बाढ़ प्रबंधन, नदी की साफ-सफाई और तूफानी जल, जल निकास तथा शहरी गंदे जल द्वारा होने वाले नदी के प्रदूषण पर नियंत्रण, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधी अभिसरण क्षेत्र (सीटीसीजेड), ऐसा भूगोलीय क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसूनी वर्षा का क्षेत्र शामिल है, में वायुविलय के अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझने तथा उसकी मात्रा को आंकने, इत्यादि से संबंधित अनुसंधान कर रहे हैं।

चमड़ा निर्यात

2667. श्री किरिपि चालिहा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैश्विक चमड़ा निर्यात बाजार में देश को बेहतर प्रतिस्पर्धी भागीदार बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों में, स्थान-वार, लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को पर्यावरण विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो लेदर पार्क की स्थापना करने की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव से सृजित रोजगार के अवसरों तथा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार चमड़ा क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास तथा पर्यावरण संबंधी मामलों का समाधान करने तथा अधिक निर्यात और रोजगार अवसरों को लक्षित करके 937.52 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) क्रियान्वित कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन के साथ आईएलडीपी के अंतर्गत उप योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	आईएलडीपी के अंतर्गत उप योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)
1.	चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास	253.43
2.	चमड़ा परिसर नैल्लोर	29.00
3.	फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान (एफडीडीआई), फुरसतगंज	7.17
4.	फुटवियर परिसर, चेन्नई	3.00
5.	जीनसाजी विकास	10.00
6.	कारीगरों को सहायता	40.00
7.	मानव संसाधन विकास	60.00
8.	संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन तथा स्थापना	300.00
9.	पर्यावरण संबंधी पहलें	200.00
10.	मिशन मोड	10.00
11.	मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	24.85
	योग	937.52

11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्र सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की शर्त के अध्यधीन 5 करोड़ रुपये की सहायता से पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित लेदर गुड्स पार्क, 14 करोड़ रुपये तथा 10 करोड़ रुपये की सहायता से तमिलनाडु के चेन्नई में क्रमश: फुटवियर परिसर तथा फुटवियर कंपोनेंट पार्क तथा 29 करोड़ रुपये की सहायता से आंध्र प्रदेश में नैल्लोर स्थित लेदर परिसर स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

(ग) नैल्लोर स्थित लेदर परिसर की स्थापना करने के प्रस्ताव के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा है जिसकी शीघ्र ही मिलने की संभावना है।

(घ) केन्द्र सरकार ने इन पार्कों/परिसरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों तथा आवंटित निधियों को अनुमोदित किया था।

(ङ) उपरोक्त प्रस्तावों से अनुमानित रोजगार अवसरों के ब्यौरे तथा उत्पादन निम्नानुसार हैं:

पार्क/परिसर का नाम	संयुक्त रोजगार लक्ष्य	उत्पादन
पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित लेदर गुड्स पार्क	परिमाणन के लिए उत्तरदायी नहीं क्योंकि डिजाइन स्टूडियो तथा परीक्षण केन्द्र के लिए सहायता प्रदान कर दी गई है।	परिमाणन के लिए उत्तरदायी नहीं
तमिलनाडु में चेन्नई स्थित फुटवियर कंपोनेंट पार्क	परिमाणन के लिए उत्तरदायी नहीं क्योंकि डिजाइन स्टूडियो तथा परीक्षण केन्द्र के लिए सहायता प्रदान कर दी गई है।	परिमाणन के लिए उत्तरदायी नहीं
आंध्र प्रदेश में नेल्लौर स्थित लेदर परिसर	15000 व्यक्ति	पूरा होने पर 900 करोड़ रुपये
तमिलनाडु में चेन्नई स्थित फुटवियर परिसर	7000 व्यक्ति	पूरा होने पर 750 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

किशोर शिक्षा कार्यक्रम

2668. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) की वर्तमान स्थिति तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एईपी का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने एईपी की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) एईपी के अंतर्गत लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कक्षाओं की व्यवस्था करने तथा लड़कों के स्कूलों में पुरुष एवं लड़कियों के स्कूलों में महिलाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु क्या प्रावधान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम नामक एक शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए है और जिसका उद्देश्य किशोर जनसंख्या को जानकारी आधारित विकल्प चुनने के लिए अधिकार संपन्न बनाना और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा

स्वास्थ्य आधारित समस्याओं को निपटाने के लिए जीवन कौशल का विकास करना है।

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के दो प्रमुख परिणाम हैं: (1) सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम एक शैक्षिक सत्र में 16 घंटों के लिए सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप आधारित जीवन कौशल आयोजित करना (2) स्कूल पाठ्यचर्या, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सामग्रियों में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी मुद्दों को समेकित करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम हेतु एक नोडल संगठन है, से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात सरकार तथा राजस्थान सरकार किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को लागू नहीं कर रही है और केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की सरकारें इस कार्यक्रम की विषय-वस्तु की समीक्षा कर रही हैं।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अध्यक्ष केन्द्रीय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्षता में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु विभिन्न कार्यकलाप संचालित किये जाते हैं जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों व्यक्ति-दर-व्यक्ति तथा समूहों में ज्ञानार्जन अनुभवों में सहभागिता करने का अवसर प्रदान करना है। ये कार्यकलाप सामान्यतया लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग आयोजित किये जाते हैं जिनमें लड़कों के समूह के लिए एक पुरुष शिक्षक तथा लड़कियों के समूह के लिए एक महिला शिक्षक होती है।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

2669. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी नकदी फसलों एवं मसालों के लिए कोई फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए परिकल्पित योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत किन फसलों को शामिल करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बीमा कवर के आंशिक या पूरे प्रीमियम को वहन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित योजना कब तक क्रियान्वयन किये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) कॉफी उत्पादकों के लिए जोखिम प्रबंधन सहायता के रूप में मौसम (वर्षा) बीमा स्कीम वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में केवल 10 हेक्टेयर तक जोत क्षेत्र रखने वाले कॉफी के लघु उत्पादकों को ही बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। रोबस्टा एवं अरेबिका के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम बीमाकृत राशि क्रमश: 20,000 रुपये और 30,000 रुपये है। उत्पादक और सरकार के बीच प्रीमियम की भागीदारी 50 : 50 आधार पर होती है। चाय, रबड़, तम्बाकू और मसालों (मिर्च, इलायची, अदरक, काली मिर्च एवं हल्दी) के उत्पादकों हेतु फसल बीमा स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

आरईजीपी और पीएमआरवाई का विलय

2670. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का विलय कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन योजनाओं के स्थान पर कौन-कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) 11वीं योजना अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नयी योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है;

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नयी योजना हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार भी सहायता के पात्र हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु केवीआईसी के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन किया था। जबकि आरईजीपी को ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में कार्यान्वित किया जाता था। पीएमआरवाई को ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता था। आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामीण उद्योग की लागत सीमा एक उद्यमी के लिए 25 लाख रुपये तक थी जबकि पीएमआरवाई के तहत स्व-रोजगार उद्यमों की अधिकतम लागत सीमा 5 लाख रुपये थी। इन दो योजनाओं के तहत स्वीकार्य मार्जिन मनी/सब्सिडी की मात्रा भी काफी अलग थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार (एमएसएमई मंत्रालय में) ने नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए 2008-09 से पीएमआरवाई तथा आरईजीपी के विलय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना आरंभ की जो एक राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस कार्यक्रम के तहत, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं और उद्योग क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक (कमजोर वर्गों के लिए 35 प्रतिशत तक) और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तक (कमजोर वर्गों के लिए 25 प्रतिशत तक) सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। पीएमईजीपी के दिशा-निर्देश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वेबसाइट http:/msme.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता के रूप में 4485 करोड़ रुपये प्रदान करते हुए 37.37 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का अनुमान है। कार्यक्रम के तहत निर्धारित वर्ष-वार अनुमानित लक्ष्य इस प्रकार हैं:

वर्ष	रोजगार (संख्या में)	मार्जिन मनी (सब्सिडी) (करोड़ रुपये में)
2008-09	616667	740.00
2009-10	740000	888.00
2010-11	962000	1154.40
2011-12	1418833	1702.60
कुल	3737500	4485.00

इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनियों, जागरूकता शिविरों, राज्य, जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर बैंकरों की बैठक के आयोजन, प्रचार, लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण आदि हेतु फारवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(च) 2008-09 के बजट अनुमान के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पीएमईजीपी के तहत 823 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार भी इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं बशर्ते ऐसे लाभार्थियों ने भारत सरकार के किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त न की हो।

उच्च शिक्षा हेतु स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण

2671. श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा हेतु किसी स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण या आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का नये आयोग में विलय किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) यद्यपि उच्चतर शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, तथापि, आयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर कोई सहमति नहीं है।

कृषि निर्यात क्षेत्र

2672. श्री पी.एस. गढ़वी:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री जसुभाई धाभाई बारड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित कृषि निर्यात क्षेत्र (एईजेड) और फ्लावर क्लस्टर का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन कृषि निर्यात क्षेत्रों/क्लस्टर में किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है तथा निर्यात का कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ग) क्या इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु कोई उपाय किये जा रहे हैं जिससे विशेषकर गुजरात राज्य में निवेश आकृष्ट किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में और कृषि निर्यात क्षेत्र तथा फ्लावर क्लस्टर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य सहित देश में इनकी स्थापना के लिए किन स्थानों की राज्य-वार पहचान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त पूरक सूचना के अनुसार सरकार द्वारा संस्वीकृत 60 कृषि निर्यात जोनों (एईजेडों) में उनकी स्थापना के बाद 1140.37 करोड़ रुपये का संचयी निवेश हुआ है और वहां से 10705.12 करोड़ रुपये के संचयी निर्यात हुए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत एईजेडों में अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एईजेडों में गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। गुजरात की राज्य सरकार तथा राज्य में स्थापित 3 एईजेडों में निर्यातकों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। "निर्यातों के विकास एवं वृद्धि के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई)" स्कीम के अंतर्गत 4 ए ई जेडों (सिक्किम में फूल, आंध्र प्रदेश में आम, पश्चिम बंगाल में अनानास तथा असम में अदरक) में 48.85 करोड़ रुपये के परिव्यय से 16 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एईजेड परियोजना	राज्य एवं जिले	वास्तविक निर्यात	वास्तविक निवेश
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	अनानास	दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी	0.20	78.69
		लीची	मुर्शिदाबाद जिला, मालदा, 24 परगना(उ) एवं 24 परगना (द)	3.30	0.93
		आलू	हुगली, वर्दवान, मिदनापुर (प.), उदय नारायणपुर तथा हावड़ा	3.72	0.15

1	2	3	4	5	6
		आम	मालदा एवं मुर्शिदाबाद	74.00	3.58
		सब्जियां	नादिया, मुर्शिदाबाद एवं उत्तरी 24 परगना	4.43	0.12
		दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग	0.00	0.00
			उप जोड़	85.65	83.47
2.	कर्नाटक	खीरा	तुमकुर, बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, हासन, कोलार चित्रदुर्ग, धारवाड़ तथा बागलकोट	1237.05	87.34
		लाल प्याज	बंगलौर शहरी, बंगलौर (ग्रामीण), कोलार	276.00	0.13
		फूल	बंगलौर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोलार, तुमकुर, कोडगू तथा वेलगांव	31.74	3.57
		वनीला	दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, शिमोगा, कोडगू चिकमंगलूर	0.00	0.00
			उप जोड़	1544.79	91.04
3.	उत्तरांचल	लीची	उधमसिंह नगर, नैनीताल तथा देहरादून	2.45	3.72
		फूल	देहरादून, पंतनगर	0.04	10.19
		बासमती चावल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून तथा हरिद्वार	0.00	0.39
		औषधीय एवं सुगंधित पौधे	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून एवं नैनीताल	1.00	0.00
			उप जोड़	3.49	14.30
4.	पंजाब	सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड़ एवं लुधियाना	0.03	35.75
		आलू	सिंहपुरा, जीराकपुर (पटियाला), रामपुरा फूल, मुक्तसर, लुधियाना, जालन्धर	2.80	8.46
		बासमती चावल	गुरुदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालन्धर, होशियारपुर एवं नवांशहर	1521.00	5.27
			उप जोड़	1523.83	49.48
5.	उत्तर प्रदेश	आलू	आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, अलीगढ़ एवं बागपत	7.00	0.97
		आम एवं सब्जियां	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी	0.47	20.89
		आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत एवं बुलंदशहर	12.49	16.99
		बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद जेबी फूले नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद	0.00	0.47
			उप जोड़	19.96	39.32

1	2	3	4	5	6
6.	महाराष्ट्र	अंगूर तथा शराब	नासिक, सांगली, पुणे, सतारा, अहमदनगर एवं शोलापुर	384.67	110.17
		आम (अल्फांसो)	रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ एवं ठाणे	123.00	36.86
		केसर आम	औरंगाबाद, बीड़, जालना, अहमदनगर एवं लातूर	12.17	3.43
		फूल	पुणे, नासिक, कोल्हापुर एवं सांगली	35.50	168.00
		प्याज	नासिक, अहमदनगर पुणे, सतारा, जलगांव एवं शोलापुर	588.00	38.33
		अनार	शोलापुर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, उस्मानाबाद एवं लातूर	20.24	1.53
		केले	जलगांव, धूलिया, नंदुरबार, बुल्डाना, परभणी, हिन्दोली, नांदेड एवं वर्धा	0.04	6.99
		संतरे	नागपुर एवं अमरावती	2.72	0.01
			उप जोड़	1166.34	365.32
7.	आंध्र प्रदेश	आम का गुदा तथा ताजी सब्जियां	चित्तूर	2736.00	91.40
		आम तथा अंगूर	रंगारेड्डी, मेडक एवं महबूबनगर जिले के कुछ भाग	18.29	57.21
		आम	कृष्णा जिला	2.75	17.90
		खीरे	महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर एवं नलगोंडा	44.52	20.05
		मिर्च	गुंटूर	51.00	20.32
			उप जोड़	2852.59	206.88
8.	जम्मू कश्मीर	सेब	श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़गाम, पुलवामा	124.72	6.71
		अखरोट	बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर, डोडा, पूंछ, उधमपुर, राजौरी, कठुआ	552.21	14.14
			उप जोड़	676.93	20.85
9.	त्रिपुरा	जैविक अनानास	कुमारघाट, धानू, मेलाधर, मातावाड़ी एवं ककरावन	0.00	7.62
			उप जोड़	0.00	7.62
10.	मध्य प्रदेश	आलू	मालवा, उज्जैन, इंदौर,	15.99	42.64
		प्याज	देवास, धार, शाजापुर		
		लहसुन	रतलाम, नीमच, मंदसौर		

1	2	3	4	5	6
		मसालों के बीज	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर एवं नीमच	38.43	4.55
		गेहूं (दुरुम)	नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, हरदा, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं भोपाल	21.00	4.71
		मसूर एवं चना	शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा	0.00	0.00
		संतरे	छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल	0.00	8.90
			उप जोड़	75.42	60.80
11.	तमिलनाडु	फूल	धर्मपुरी	39.40	22.47
		पुष्प	नीलगिरि जिला	44.56	5.50
		आम	मदुरै, ठेणी, डिंडीगुल, विरुद्धनगर तथा तिरुनेलवेली	0.00	0.81
		काजू	कुड्डालोर, तंजावुर पुडुकोट्टई एवं शिवगंगा	18.33	0.00
			उप जोड़	102.29	28.78
12.	बिहार	लीची, सब्जियां एवं शहद	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्व तथा पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगुसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज	5.87	20.10
			उप जोड़	5.87	20.10
13.	गुजरात	आम एवं सब्जियां	अहमदाबाद, खड़िया, आनन्द, वड़ोदरा, सूरत, नवसारी, वलासाड भरूच, नर्मदा	1.65	16.66
		मूल्यवर्धित प्याज	भावनगर, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ एवं जामनगर	300.49	13.67
		तिल बीज	अमरेली, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर	0.00	0.00
			उप जोड़	302.14	30.31
14.	सिक्किम	फूल (आर्किड) एवं चेरी पीपर	सिक्किम (पूर्वी सिक्किम)	0.00	1.15
		अदरक	सिक्किम (उत्तर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिमी सिक्किम)	0.00	0.00
			उप जोड़	0.00	1.15
15.	हिमाचल प्रदेश	सेब	शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चम्बा एवं किन्नौर	0.00	0.00
			उप जोड़	0.00	0.00
16.	उड़ीसा	अदरक एवं हल्दी	कंधमाल	1.76	0.00
			उप जोड़	1.76	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	झारखंड	सब्जियां	रांची, हजारीबाग, लोहरदगा	0.00	0.00
			उप जोड़	0.00	0.00
18.	केरल	बागवानी उत्पाद	थ्रिशूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपूजा, पठानुमथिट्टा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, पालक्कड़	2277.79	3.10
		औषधीय पौधे	वायनाड, पालक्कड़, इडुक्की, मल्लापुर, थ्रिशूर कोल्लम, एर्नाकुलम, पठानुमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम	0.00	0.00
			उप जोड़	2277.79	3.10
19.	असम	ताजी एवं प्रसंस्कृत अदरक	कामरूप, नलबाड़ी, बरपेटा, दरांग, नौगांव, मोरीगांव, कार्बी अंगलौंग, उत्तरी कछार	2.17	3.15
			उप जोड़	2.17	3.15
20.	राजस्थान	धनिया	कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ एवं चितौड़	32.83	75.37
		जीरा	नागौर, बाड़मेर, जालौर पाली एवं जोधपुर	31.27	39.33
			उप जोड़	64.10	114.70
		योग		10705.12	1140.37

स्ववित्तपोषित कॉलेजों के लिए निधियां

2673. श्रीमती जयाप्रदा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश में स्ववित्तपोषित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूजीसी द्वारा ऐसे कालेजों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और ऐसे संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों को प्रवेश लेने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार उसने देश में स्व-वित्तपोषित कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की जांच करने के लिए प्रोफेसर डाक्टर शिवाजी राव कदम, सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कुलपति, भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) का क्रियान्वयन

2674. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) का पूरे देश में क्रियान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार और उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल में इस योजना से कुल कितने ग्रामीण लोगों को लाभ हुआ;

(घ) क्या देश में चाय के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) बाजार केन्द्रित सहायता योजना और निर्यात अवसंरचना के विकास हेतु वीकेजीयूवाई में चाय को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) को पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। पश्चिम बंगाल के निर्यातकों सहित विदेश व्यापार नीति 2004-09 की क्रियाविधि पुस्तिका खंड 1 के परिशिष्ट 37क में सूचीबद्ध उत्पादों का निर्यात करने पर देश के सभी निर्यातक इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस स्कीम से लाभान्वित हुए ग्रामीणों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय चाय बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी-सितम्बर, 2008 के लिए देश में चाय का उत्पादन वर्ष 2007 की इसी अवधि में हुए 689263 हजार किग्रा. की तुलना में 706744 हजार किग्रा. का हुआ था।

(च) सरकार मांग-आपूर्ति की स्थिति तथा वस्तु क्षेत्र/उत्पाद को सहायता प्रदान करने की अवश्यकता पर विचार करती है और तत्पश्चात् यदि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं तो उत्पादों को वेकेजीयूवाई स्कीम में शामिल कर दिया जाता है।

वित्तीय जांच के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी)

2675. श्री उदय सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में हुए हमलों के आलोक में आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का है जैसाकि "द टाइम्स ऑफ इंडिया" के 22 सितम्बर, 2008 के अंक में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण सहित अन्य की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आतंकवादी कृत्यों को रोकने, जांच-पड़ताल करने, अभियोजन चलाने और दंड देने संबंधी कानूनी उपबंधों को सुदृढ़ करके आतंकवादी कृत्यों से संबंधित कानूनों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी अपनी आठवीं रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाना भी शामिल है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

ए.आर.सी. की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विवरण

सिफारिशों का सार

1. (पैरा 4.1.6.9) आतंकवाद विरोधी व्यापक विधायन की जरूरत

क. आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक व्यापक और प्रभावी कानूनी ढांचे को अधिनियमित किये जाने की जरूरत है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में पर्याप्त सुरक्षोपाय किये जाने चाहिएं। आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी उपबंधों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में एक पृथक अध्याय में समाविष्ट किया जा सकता है।

2. (पैरा 4.2.9) आतंकवाद की परिभाषा

क. उन आपराधिक कृत्यों को और स्पष्ट ढंग से परिभाषित किये जाने की जरूरत है जिन्हें उनके स्वरूप में आतंकवाद के रूप में माना जा सकता है। इस परिभाषा की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:-

1. अग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों या किसी अन्य घातक पदार्थ का इस्तेमाल करना जिससे जीवन और संपत्ति तथा मिलिट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों/स्थापनाओं सहित आवश्यक आधारभूत ढांचे को नुकसान होता हो या नुकसान होने की संभावना हो।

2. जनसेवकों की हत्या (उसकी कोशिश सहित)। इसका ध्येय भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता

को खतरा हो या यह जन सेवकों को भयभीत करे या लोगों या लोगों के एक वर्ग को आतंकित करे।

3. किसी व्यक्ति को बंदी बनाना या किसी व्यक्ति से मारने की धमकी देना या उसे घायल करना ताकि सरकार को कोई कृत्य करने या किसी विशेष ढंग से कोई कृत्य न करने के लिए मजबूर करना।

4. उक्त क्रियाकलापों के लिए वित्त सहित सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करना/सुकर बनाना।

5. आतंकवादी संगठनों के सदस्यों या समर्थकों द्वारा कतिपय प्रकार के ऐसे कृत्य करना या कतिपय हथियार आदि रखना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को हानि हो या हानि होने की संभावना हो, कोई व्यक्ति घायल हो जाए या किसी संपत्ति को क्षति पहुंचे।

3. (पैरा 4.3.8) जमानत के उपबंध

क. जमानत मंजूर करने के संबंध में कानून में निम्नलिखित प्रावधान किया जाना चाहिए।

1. संहिता में निहित किसी भी बात के होते हुए इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का कोई भी अभियुक्त, यदि अभिरक्षा में हो, जमानत या उसके अपने मुचालके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक अदालत, सुनवाई के लिए लोक अभियोजक को अवसर नहीं दे देती है;

2. जहां लोक अभियोजक, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के जमानत आवेदन पत्र का विरोध करता है वहां इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के किसी अभियुक्त हो तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि इसमें यह विश्वास करने के आधार हैं कि अभियुक्त, ऐसा अपराध करने का दोषी नहीं है। बशर्ते इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त को कैद करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद इस धारा की उप-धारा (1) के उपबंध लागू होंगे।

3. समीक्षा समिति को कैद किये गये सभी व्यक्तियों के मामले की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए और अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के बारे में अभियोजन को सलाह देनी चाहिए और अभियोजन ऐसी सलाह के प्रति बाध्य होगा।

4. (पैरा 4.4.5) जांच-पड़ताल के दौरान कैद की अवधि (रिमांड)

क. आतंकवादी और अन्य संबंधित अपराधों के लिए यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि उप-धारा (2) में आशोधन के अध्यधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 लागू होगी, ''पन्द्रह दिन'', ''नब्बे दिन'' और ''साठ दिन'' का संदर्भ जहां कहीं उत्पन्न होगा वहां क्रमश: ''तीस दिन'', ''नब्बे दिन'' और ''नब्बे दिन'' के संदर्भ के रूप में होगा।

5. (पैरा 4.5.10) पुलिस अधिकारी के सामने अपराध स्वीकारोक्ति

क. लोक व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट में यथा संस्तुत, पुलिस के सम्मुख अपराध स्वीकारोक्ति अनुज्ञेय बनाई जानी चाहिए। लेकिन इसे तभी किया जाना चाहिए जब आयोग द्वारा सुझाये गये व्यापक पुलिस सुधारों को लागू किया जाता है। तब तक दांडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने की जाने वाली अपराध स्वीकारोक्ति जारी रहनी चाहिए।

6. (पैरा 4.6.5) कानून के तहत परिकल्पना

क. परिकल्पनाओं के संबंध में निम्नलिखित कानूनी उपबंध शामिल किये जाने चाहिएं: यदि यह सिद्ध हो जाता है:

1. कि हथियार या विस्फोटक पदार्थ या अन्य कोई खतरनाक पदार्थ, अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे हथियार या विस्फोटक पदार्थ या इसी प्रकार के अन्य पदार्थों का उपयोग ऐसे अपराध करने में किया गया है या यह कि विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त की अंगुलिछाप या अन्य कोई निश्चित साक्ष्य, अपराध स्थल पर पाए गए थे या ऐसे अपराध करने के सिलसिले में प्रयुक्त हथियारों और वाहनों सहित किसी भी वस्तु पर अदालत, अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल सबूत प्राप्त करती है।

2. यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त ने किसी ऐसे व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है जो आतंकवाद के किसी अपराध का अभियुक्त है या जिस पर उचित रूप से संदेह किया जा सकता है तो अदालत अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल संदर्भ जुटाएगी।

7. (पैरा 4.7.10) समीक्षा समिति

क. किसी मामले को दर्ज किये जाने के 30 दिन के अंदर ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए एक सांविधिक समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। समीक्षा समिति को स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि जांचकर्ता एजेंसी द्वारा प्रथम दृष्ट्या एक मामला

बनाया गया है। इस समिति को प्रत्येक मामले की प्रत्येक तिमाही समीक्षा करनी चाहिए।

8. (पैरा 4.9.5.) विशेष अदालतें

क. आतंकवाद से संबंधित मामलों के विचारण के लिए विशेष रूप से विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने के लिए आतंकवाद से संबंधित कानून में उपबंधों को समाविष्ट किया जा सकता है। ऐसी विशेष अदालतों से संबंधित अन्य विशिष्ट उपबंधों को भी समाविष्ट किया जा सकता है। जब कभी आवश्यक हो तब ऐसी अदालतों का गठन किया जा सकता है।

9. (पैरा 4.10.3) हथियार आदि रखना

क. अधिसूचित क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से कतिपय विनिर्दिष्ट हथियार और गोली-बारूद रखने और अधिसूचित तथा गैर-अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विस्फोटक पदार्थ, व्यापक विनाश के हथियार और लड़ाई के लिए जैविक या रासायनिक पदार्थ रखने पर दंडित करने का उपबंध, आतंकवाद संबंधी कानून में समाविष्ट किया जा सकता है।

10. (पैरा 4.11.4) आतंकवादी अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक संघीय एजेंसी।

क. आयोग, आतंक से संबंधित अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए सी.बी.आई. में एक विशेषज्ञ प्रभाग के सृजन के संबंध में ''लोक व्यवस्था से संबंधित अपनी रिपोर्ट (पैराग्राफ 8.3.14) में की गई अपनी सिफारिश को दोहराता है।

ख. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सी.बी.आई. के इस प्रभाग में उन कार्मिकों को रखा जाना है जिनकी निष्ठा सिद्ध हो चुकी है और जो पेशेवर दृष्टि से सक्षम हों तथा जिन्होंने आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच-पड़ताल करने में अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित की हो। इस एजेंसी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, नियुक्ति की निर्धारित की गई प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है और इसके कार्मिकों का आश्वस्त नियत कार्यकाल हो।

11. (पैरा 5.2.4) आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने के विरुद्ध उपाय-काले धन का वैधीकरण विरोधी उपाय

क. काले धन का वैधीकरण निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के क्षेत्र और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अपराधों की सूची का विस्तार करने हेतु यथाशीघ्र इसमें संशोधन किया जा सकता है।

ख. पी.एम.एल.ए. के तहत जिस चरण में तलाशी और जब्ती की जा सकती है उसे उन मामलों में आगे बढ़ाया जा सकता है जिन मामलों में व्यापक विन्यास संलिप्त हो। ऐसे मामलों में पर्याप्त सुरक्षोपाय भी किये जा सकते हैं।

ग. इस बात की जांच की जा सकती है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय और आसूचना एकत्र करने वाली और जांच-पड़ताल करने वाली अन्य एजेंसियों के बीच संस्थागत समन्वय तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पी.एम.एल.ए. के कुछ उपबंध उन्हें प्रत्यायोजित किये जा सकते हैं।

घ. वित्तीय आसूचना इकाई (एफ.आई.यू.-आई.एन.डी.) के तहत वित्तीय लेन-देन सूचना क्षेत्र को संपदा जैसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। एफ.आई.यू.-आई.एन.डी. की क्षमता को भी सुदृढ़ किये जाने की जरूरत है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

ङ. उन मामलों में जिनके काले धन के वैधीकरण से जुड़े होने का संदेह हो, उनमें विभिन्न जांचकर्ता एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आर.ई.आई.सी.) द्वारा प्रदान किये गये प्लेटफार्म का उपयोग किया जाना अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त, इनमें संलिप्त मामलों की जटिलता को देखते हुए एफ.आई.यू.-आई.एन.डी. ने एजेंसी विशिष्ट सूचना का वितरण करने के अतिरिक्त केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी.ई.आई.बी.) को समग्र क्षेत्र-केन्द्रित सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि सूचना क्षेत्र का विस्तार करने की दृष्टि से संबंधित आर.ई.आई.सी. को इसे भेजा जा सके।

12. (पैरा 5.3.4) आतंकवाद की वित्तीय सहायता करने के विरुद्ध उपाय—आतंकवादी क्रियाकलापों को वित्तीय सहायता देने के लिए निधियों के प्रवाह को रोकने के उपाय।

क. आतंकवाद से संबंधित नए कानूनी ढांचे में उस समय परिसंपत्तियों, निधियों, बैंक खातों, जमा राशियों, नकदी आदि जब्त करने संबंधी उपबंधों को समाविष्ट किया जा सकता है जब यह संदेह करने के पर्याप्त कारण हों कि उनका उपयोग आतंकवादी क्रियाकलापों के लिये किया जा रहा है। ऐसी कार्रवाई, पर्याप्त सुरक्षोपायों के अध्यधीन पदनामित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जांचकर्ता अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इन उपबंधों को पैराग्राफ 4.1.6.9 में यथासंस्तुत राष्ट्रीय अधिनियम, 1980 में एक पृथक अध्याय में समाविष्ट किया जा सकता है।

ख. प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध केन्द्र में एक विशेषज्ञ कक्ष का सृजन किया जा सकता है जिसमें केन्द्रीय वित्त और गृह मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय से विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है ताकि वित्तीय क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई की जा सके जिसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर किया गया हो। इसके अतिरिक्त वित्तीय अंतरण का कार्य करने वाली अलग-अलग जांचकर्ता एजेंसियां, अपने संगठनों के अंदर आतंकवाद-विरोधी वित्त कक्ष स्थापित कर सकती हैं ताकि आतंकवाद के क्रियाकलापों से निपटने में लगी आसूचना एजेंसियों के प्रयासों को तेज किया जा सके।

ग. आतंकवादी क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट मामलों/मामलों के ग्रुपों के वित्तीय पहलुओं की तेजी से जांच-पड़ताल करने के लिए आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए जिन एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके अंदर समर्पित दलों का गठन किया जा सकता है। इसे अल्प अवधियों, माना तीन से छः माह के लिए वित्तीय जांच-पड़ताल के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों को शामिल करके पूरा किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए संबंधित संघ और राज्य मंत्रालयों/विभागों के बीच प्रोटोकोल बनाया जा सकता है ताकि क्षमता निर्माण को सुकर बनाया जा सके और आतंकवाद का मुकाबला करने के उपायों की कारगरता को सुदृढ़ बनाया जा सके।

13. (पैरा 7.2.6) आतंकवाद का मुकाबला करने में नागरिकों, सिविल सोसायटी और मीडिया की भूमिका

– शिक्षा

क. एन.सी.ई.आर.टी. ने देश के अंदर शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं, स्वैच्छिक एजेंसियों और एन.जी.ओ. आदि को प्रोत्साहित करने और सहायता करने की एक योजना का प्रस्ताव किया है।

ख. इस योजना को धार्मिक स्कूलों तक बढ़ाने की संभावना की जांच किये जाने की जरूरत है।

18. (पैरा 7.4.7) आतंकवाद का मुकाबला करने में नागरिकों, सिविल सोसायटी और मीडिया की भूमिका

–मीडिया

क. जनता में किसी भी अशांति विशेष रूप से आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए नागरिकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए शिक्षा का प्रसार और जागरूकता में मीडिया की भूमिका का उपयोग किये जाने की जरूरत है।

ख. मीडिया को स्वयं नियंत्रित आचार संहिता तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी हमलों से हुए प्रचार से आतंकवादियों को अपने राष्ट्र-विरोधी अभियान चलाने में सहायता न मिले।

कॅयर उद्योग को सहायता

2676. डा. के.एस. मनोज:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण विज्ञान केन्द्र द्वारा किये गये प्रतिदर्श सर्वेक्षण से यह पता चला है कि कम मांग एवं निम्न मूल्य ही केरल के कॅयर उद्योग की दुर्दशा के कारण हैं;

(ख) कॅयर उद्योग के कच्चे मालों पर दी गई राज-सहायता, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है तथा कॅयर उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रित गारंटी स्कीम के अंतर्गत कॅयर उद्योग (आरईएमओटीई) को नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता नहीं दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कॅयर उद्योग हेतु कोई केन्द्रित नीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) केरल सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण अध्ययन, कोची को जून 2008 के दौरान कॅयर इकाइयों का गणना संबंधी सर्वेक्षण और कॅयर कारीगरों का नमूना सर्वेक्षण संचालित करने का कार्य सौंपा है। उन्होंने केरल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट

दर्शाती है कि अपर्याप्त मांग और कम मूल्य की प्राप्ति कॅयर उद्योग की समस्याओं में से एक है।

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विधायी निकाय कॅयर बोर्ड (बोर्ड) की किसी भी योजना के तहत कॅयर उद्योग को कच्चे माल के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। कॅयर कारीगरों की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से बोर्ड प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों सहित विभिन्न कौशल उन्नयन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड (1) कॅयर उद्योग का पुनर्नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन (रिमोट); (2) पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति); (3) उत्पादन संबंधी आधारभूत संरचना का विकास, संबधी योजनाओं के तहत पारंपरिक उद्योग की आधारभूत संरचना और आधुनिकीकरण में सुधार लाने संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप भी कॅयर कारीगरों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए काफी हद तक योगदान दे रहे हैं।

(ग) से (च) कॅयर उद्योग के पुनर्नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कताई और अतिलघु/घरेलू क्षेत्र में इकाई की लागत के 40 प्रतिशत की दर से सरकारी अनुदान/सब्सिडी प्रदान की जाती है। इकाई की लागत का 50 प्रतिशत लाभार्थी से तथा शेष 55 प्रतिशत बैंकों से सावधि ऋण के रूप में प्राप्त किया जाता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएमएसई) में बैंकों द्वारा विस्तारित क्रेडिट सुविधा के 75 प्रतिशत तक गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। आरईएमओटी योजना के तहत ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ बैंकों के पास पहले स्व सहायता समूहों को सीजीएमएसई लागू किये जाने और जिस भूमि पर सीजीएमएसई के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए समपार्श्विकता के रूप में वर्कशेड का निर्माण किया जाना है, को रेहन रखने के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त था। बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद जिन बैंकों ने योजना के तहत लाभार्थियों को सावधि ऋण जारी करना आरंभ कर दिया है उन्हें आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। योजना में ग्यारहवीं योजना के दौरान कॅयर उद्योग के लिए बैंकों से 132 करोड़ रु. का क्रेडिट मिलने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों पर मंदी का प्रभाव

2677. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी का लघु और मध्यम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) अद्यतन वैश्विक वित्तीय संकट के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय को बैंकों द्वारा क्रेडिट दबाव, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋणों, आर्डर में कटौती, बड़े उद्यमों द्वारा विलम्बित भुगतान आदि संबंधी समस्याएं दर्शाने वाले विभिन्न सूक्ष्म तथा लघु उद्यम संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

सरकार ने 7 दिसम्बर, 2008 को एमएसएमई सेक्टर को सहयोग देने के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) 50 प्रतिशत के गारंटी कवर सहित 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों संबंधी क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर का विस्तार तथा इस योजना के तहत शामिल ऋणों के लिए लॉक इन अवधि को 24 महीने से घटाकर 18 महीने करना; (2) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पारदर्शी जारी करना और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुरोध करना कि वे एमएसएमई को बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें; (3) सभी उत्पादों (पेट्रोलियम तथा उन्हें छोड़कर जहां मौजूदा दर 4 प्रतिशत से कम है) पर मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकाया भाग के लिए एड वेलोरम सेनवेट दर में 4 प्रतिशत की कटौती; और (4) 31 मार्च, 2009 तक लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रि एवं पोस्ट शिपमेन्ट निर्यात क्रेडिट की ब्याज आर्थिक सहायता। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई को क्रेडिट देना, सरल बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए 7,000 करोड़ रुपये की पुन: वित्त सुविधा की घोषणा की है।

[अनुवाद]

विस्फोटकों की उपलब्धता

2678. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिकी विस्फोटकों की सहज उपलब्धता पर नियंत्रण कठोर करने का है जैसाकि "द हिन्दू" के 30 जुलाई 2008 के अंक में छपा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने, उनकी आपूर्ति करने और लाने ले जाने के लिए लाइसेंसों को जारी करने की मौजूदा प्रणाली की जांच करने, उनकी समुचित मानीटरिंग करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने, उनके निर्माण, उनकी आपूर्ति पारगमन मार्ग तथा अन्ततः उनके प्रयोग की उपयोगिता सहित हर स्तर की उपयुक्त विश्वसनीयता युक्त एक प्रभावी तंत्र का सुझाव देने के लिए एक दल का गठन किया है, ताकि इन सामग्रियों को अवांछित हाथों में पड़ने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

छात्रवृत्ति और बुक बैंक योजना

2679. श्री सुरेश कुरूपः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छात्रवृत्ति योजनाओं और बुक बैंक योजना हेतु किसी निगरानी तंत्र संबंधी कोई संस्था नहीं बनाई गई है और संबंधित उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) छात्रवृत्ति स्कीमों हेतु आवश्यक मॉनीटरिंग प्रणाली अलग-अलग स्कीमों में अंतर्निहित होती है तथा इसके अतिरिक्त, जबकि वित्तीय मॉनीटरिंग ऐसी स्कीमों हेतु निधियों की अगली किश्तें जारी करने से पूर्व अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्रों के जरिये की जाती है, वहीं लाभार्थियों के शैक्षिक विकास की मॉनीटरिंग परवर्ती शैक्षिक वर्षों हेतु छात्रवृत्तियों के नवीकरण संबंधी मानदंड के जरिये की जाती है। विभिन्न मंत्रालयों तथा संस्थाओं में ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं तथा इनकी मॉनीटरिंग संबंधित मंत्रालय अथवा राज्य सरकार अथवा संस्था, जैसा भी मामला हो, के जरिये की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो। पुस्तक बैंक अधिकतर अलग-अलग संस्थाओं द्वारा उनके अपने नियमों के अनुसार संचालित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का निर्यात

2680. श्री रामदास आठवले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में ग्रेनाइट के खनन और उसकी खनन प्रौद्योगिकी में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के किन राज्यों में, स्थान-वार ग्रेनाइट के भंडार उपलब्ध हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किये गये ग्रेनाइट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल के वर्षों में ग्रेनाइट का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3 (ङ) के तहत परिभाषित ग्रेनाइट एक गौण खनिज है और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार गौण खनिजों के लिए नियम बनाने और खनिज रियायतें प्रदान करने की सभी शक्तियां संबंधित राज्य सरकार को दी गई हैं। केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट संसाधनों का संरक्षण करने और ग्रेनाइट के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विदोहन के संबंध में देश-भर में एकसमान फ्रेमवर्क निर्धारित करने के लिए 1 जून, 1999 को ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली, 1999 अधिसूचित की है।

केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट उद्योग द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और उनका समाधान करने हेतु विभिन्न पणधारकों को शामिल करके ग्रेनाइट विकास परिषद् (जीडीसी) गठित किया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 1130 मिलियन घन मीटर का अनुमानित भंडार उपलब्ध है जिसमें से 86 प्रतिशत मध्य प्रदेश में, 7 प्रतिशत उड़ीसा में और शेष 7 प्रतिशत झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के राज्यों में स्थित हैं।

(घ) वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के दौरान मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से भारत से ग्रेनाइट तथा ग्रेनाइट उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
2005-06	349059.10
2006-07	472484.20
2007-08	428748.50
2008-09 (अनुमान)	437052.10

(ङ) और (च) वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रेनाइट व इसके उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की कमी हुई है। रेडियोधर्मी राडॉन के उत्सर्जन के आरोप की वजह से विशेष रूप से अमेरिका के बाजार में तथा अन्य विकसित बाजारों में ग्रेनाइट का निर्यात प्रभावित हुआ है।

(छ) सरकार केमीकल्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल) के माध्यम से क्रेता-विक्रेता बैठक के लिए तथा एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ड्यूटी इनटाइटलमेंट पासबुक क्रेडिट प्रदान करने आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्योग को प्रोत्साहित करने के अवसर प्रदान करती है।

[अनुवाद]

जम्मू सीमा पर बाड़ लगाना

2681. श्री परसुराम माझी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू में सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जम्मू सीमा पर बाड़ का संरेखण करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने जम्मू सेक्टर में 38.015 कि.मी. क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है जो इससे पहले उस समय प्रचलित परिस्थितियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 400 मीटर से 1500 मीटर की अलग-अलग दूरी पर लगाई गई थी। कार्य का वास्तविक निष्पादन, पहले ही अप्रैल, 2007 में शुरू कर दिया गया है। इस समय भूमि समतल करने का कार्य चल रहा है।

विश्व व्यापार संगठन वार्ता पर श्वेत पत्र

2682. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन वार्ता पर श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित तथ्य क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्य सूची के लगभग 20 मुद्दों में से 17 मुद्दों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में वर्ष 2001 में आरंभ हुई विश्व व्यापार वार्ताओं में दोहा दौर अब तक जारी है। इन वार्ताओं में कृषि, गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए), सेवाएं तथा कई अन्य क्षेत्र 'एकल वचनबद्धता' के एक भाग के रूप में शामिल हैं। कृषि तथा एनएएमए रूपरेखाओं को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ डब्ल्यूटीओ की एक लघु मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई 2008 में आयोजित की गई थी। हालांकि यह बैठक किसी भी मुद्दे पर सहमति बने बिना समाप्त हो गई थी। डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय विचार-विमर्श अक्तूबर, 2008 में पुन: शुरू हुए। चूंकि वार्ता की प्रक्रिया जारी है और वर्तमान में केवल कृषि तथा एनएएमए पर केन्द्रित है इसलिए इस चरण पर सरकार द्वारा श्वेत पत्र का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) डब्ल्यूटीओ की जुलाई 2008 की लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद कुछेक विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा यह सूचित किया गया कि लगभग सभी मुद्दों का निपटान सफलतापूर्वक हो गया है और केवल एक-दो मुद्दों पर ही बातचीत टूटी थी। तथापि डब्ल्यूटीओ में सामान्य सिद्धांत यह है कि "प्रत्येक मुद्दे पर सहमति बनने तक किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं मानी जाती है।" जुलाई 2008 में जहां एक ओर मंत्री कृषि तथा एनएएमए दोनों में विभिन्न जटिल मुद्दों पर सहमति जताने के इच्छुक थे वहीं कुछ अन्य मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर या तो चर्चा ही नहीं हो सकी अथवा जिन पर निरंतर मतभेदों के कारण सहमति नहीं बन पाई।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कैंयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) उप-नियम, 1983, जो 17 दिसम्बर 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4481 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1985, जो 19 अक्तूबर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4893 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1989, जो 15 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) तीसरा संशोधन उप-नियम, 1992, जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 304(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) (दूसरा संशोधन) उप-नियम, 1989, जो 2 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1987, जो 3 मार्च, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) दूसरा संशोधन उप-नियम, 1990, जो 21 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1990, जो 6 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) तीसरा संशोधन उप-नियम, 1989, जो 2 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 1997, जो 27 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 154(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कैंयर बोर्ड (सेवाएं) संशोधन उप-नियम, 2006, जो 18 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9650/2008]

(3) (एक) सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9651/2008]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9652/2008]

(5) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9653/2008]

(6) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9654/2008]

(7) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9655/2008]

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9656/2008]

(9) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9657/2008]

(10) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9658/2008]

(11) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9659/2008]

(12) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9660/2008]

(13) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9661/2008]

(14) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9662/2008]

(15) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9663/2008]

(16) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर) आगरा के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर) आगरा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9664/2008]

(17) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9665/2008]

(18) (एक) इंडो-डैनिश टूल रूम जमशेदपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-डैनिश टूल रूम जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9666/2008]

(19) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9667/2008]

(20) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9668/2008]

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9669/2008]

(22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9670/2008]

(23) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9671/2008]

(24) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमण एंड दीव एण्ड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड ननी दमण के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमण एंड दीव एण्ड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड ननी दमण का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9672/2008]

(ख) (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9673/2008]

(ग) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9674/2008]

(26) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियमन, 1988 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (कार्यपाल अधिकारी) भर्ती नियम, 2007, जो 26 अक्तूबर, 2007 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 235/07/एफ. सं. 50-274/2000-डीईवी I में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2007, जो 26 अक्तूबर, 2007 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 236/07/एफ. सं. 50-274/2000-डीईवी I में प्रकाशित हुए थे।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9675/2008]

(28) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 523(अ), जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 306(अ) में संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9676/2008]

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलिओबोटनी, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलिओबोटनी, लखनऊ के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9677/2008]

(2) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9678/2008]

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9679/2008]

(4) (एक) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9680/2008]

(5) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9681/2008]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा ममीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9682/2008]

(7) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9683/2008]

(8) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9684/2008]

(9) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9685/2008]

(10) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुम्बई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9686/2008]

(11) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9687/2008]

(12) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9688/2008]

(13) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9689/2008]

(14) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9690/2008]

(15) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9691/2008]

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9692/2008]

(17) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9693/2008]

(18) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9694/2008]

(19) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9695/2008]

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9696/2008]

(21) (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9697/2008]

(22) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्टिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, वास्कोडिगामा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्टिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, वास्कोडिगामा के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9698/2008]

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मीटियोरोलाजी, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मीटियोरोलाजी, पुणे के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9699/2008]

(24) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसिएन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसिएन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9700/2008]

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसिएन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसिएन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9701/2008]

(26) (एक) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9702/2008]

(28) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9703/2008]

(29) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9704/2008]

(30) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9705/2008]

(31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9706/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (टेलर), कांस्टेबल (गार्डनर) और कांस्टेबल (काबलर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 जो 17 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9707/2008]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद) भर्ती संशोधन नियम, 2008 जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह ''ख'' असैनिक अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9708/2008]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह ''क'' (तकनीकी स्टाक) भर्ती संशोधन नियम, 2008 जो 9 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (समूह ''ग'' कम्बैटाइण्ड, पराचिकित्सीय स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम जो 12 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9709/2008]

(5) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 जो 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9710/2008]

(6) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2006 जो 7 नवम्बर, 2006 के चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 616(जीओआई) एच 3 (2)-2006/20687 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9711/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9712/2008]

(3) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, कर्नाटक के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, कर्नाटक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9713/2008]

(5) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9714/2008]

(7) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9715/2008]

(9) (एक) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9716/2008]

(11) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी (सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण), शिमला के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी (सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण), शिमला के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9717/2008]

(13) (एक) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9718/2008]

(15) (एक) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9719/2008]

(17) (एक) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9720/2008]

(19) (एक) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव, दमण के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9721/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मै श्रीमती वी. राधिका सेल्वी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (वित्तीय सलाहकार) भर्ती नियम, 2008 जो 11 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9722/2008]

(3) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (भूमि और भवनों के अनुपस्थित स्वामियों के अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति) उप-नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 4/1/2006/एनडीएमसी/6680 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (कुत्तों का पंजीकरण और नियंत्रण) उप-नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 4/16/2006/यूडी/एनडीएमसी/6679 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संपत्ति कर का संदाय) उप-नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 4/2/2006/यूडी/एनडीएमसी/6681 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (अनधिकृत निर्माण की सीलिंग) नियम, 2008 जो 29 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विधिक सलाहकार के पद के लिए भर्ती विनियम, 2001 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक इंजीनियर (विद्युत) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) के पद के

लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अपर विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2001 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उप विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक लेखा अधिकारी/वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्वच्छता अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के मुख्य प्राक्कलनकर्ता (सिविल) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ पाली अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2007 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2007 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीक्षण वाणिज्यिक के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहायक वाणिज्यिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) नई दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए भर्ती विनियम, 2006 जो 15 मई, 2008 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 19/5/08/आरआर/एनडीएमसी/यूडी/8686/888 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9723/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं श्री पवन कुमार बंसल की ओर से शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति दिसम्बर, 2008 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही के बारे में 11वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9724/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 29 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1179(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1865(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1866(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2029(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2030(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 19 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2066(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9725/2008]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2439(अ) जो 10 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 477(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9726/2008]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9727/2008]

(4) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008 जो 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9728/2008]

(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2008 जो 5 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 123 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9729/2008]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9730/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9731/2008]

(3) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9732/2008]

(4) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9733/2008]

(6) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9734/2008]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, रांची के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9735/2008]

(10) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9736/2008]

(12) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9737/2008]

(14) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9738/2008]

(16) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9739/2008]

(18) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9740/2008]

(20) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9741/2008]

(22) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9742/2008]

(24) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9743/2008]

(26) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9744/2008]

(28) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9745/2008]

(30) अखिल भारतीय तनकीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से डिग्री इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश विनियम, 2007, जो 23 फरवरी, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 37-3/लीगल/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ग्रुप क, ख और ग पद) भर्ती विनियम, 2007, जो 2 नवंबर, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 37-3/लीगल (तीन)/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9746/2008]

(32) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की धारा 43 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) अधिसूचना संख्या 7 जो 16 फरवरी, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की संविधियों की संविधि 39 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या 24 जो 16 जून, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की संविधि 2 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9747/2008]

(33) मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 46 की उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना संख्या 217 जो 2 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश और डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के बारे में पहला अध्यादेश दिया गया है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9748/2008]

(34) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 2005 की धारा 28 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या ए.यू./कॉम सेक./एसटी. 30(5)/ए/2008 जो 16 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा संघटक संस्थानों से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के संविधि 30(5) के खंड (2) (3) के कतिपय संशोधन/विलोपन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9749/2008]

(35) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9750/2008]

(37) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के बारे में संकल्प की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9751/2008]

(39) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9752/2008]

(41) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9753/2008]

(42) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9754/2008]

(44) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9755/2008]

(46) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9756/2008]

(48) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9757/2008]

(50) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान किये जाने के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानक) विनियम (पहला संशोधन), 2007 जो 15 मार्च, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान किये जाने के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानक) विनियम (पहला संशोधन), 2007 जो 14 अप्रैल, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 15 में प्रकाशित हुए थे।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9758/2008]

(52) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9759/2008]

(54) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9660/2008]

(56) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9761/2008]

(58) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9762/2008]

(60) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9763/2008]

(62) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9764/2008]

(64) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9765/2008]

(66) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9766/2008]

(68) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9767/2008]

(70) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9768/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9769/2008]

(3) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड़ बोर्ड (रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव) भर्ती नियम, 2008, जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 30 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित एक शुद्धि पत्र।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9770/2008]

(4) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 961(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9771/2008]

(5) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दुग्ध उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2007 जो 12 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1397 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ताजे, शीतीत और प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2006 जो 3 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 612 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बाईवाल्व मॉलस्कस (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2007 जो 15 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9772/2008]

(6) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9773/2008]

(7) (क) निर्यातोन्मुख इकाइयों और सेज, नई दिल्ली के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्यातोन्मुख इकाइयों और सेज, नई दिल्ली के लिए निर्यात संवर्द्धन काउंसिल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9774/2008]

(8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ताजे, शीतीत और प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1519 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडा उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1516 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ताजे पॉल्ट्री मांस उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1517 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) शहर निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1518 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दुग्ध उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 जो 28 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1515 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9775/2008]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9776/2008]

(ख) (एक) एमटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9777/2008]

(ग) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9778/2008]

(10) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर इनफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9779/2008]

(11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9780/2008]

(12) (एक) फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9781/2008]

(13) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9782/2008]

(14) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9783/2008]

(15) (एक) कैपेक्सिल (केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैपेक्सिल (केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9784/2008]

(16) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9785/2008]

(17) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9786/2008]

(18) (एक) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), मुम्बई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9787/2008]

(19) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9788/2008]

(20) (एक) ईईपीसी (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, प्रमोशन काउंसिल) भारत, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, प्रमोशन काउंसिल) भारत, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9789/2008]

(21) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2008 जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2835 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9790/2008]

(22) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 959(अ) जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली और 15 सितम्बर, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंधों के प्रचालन में शिथिलता दी गई है और तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऑक्सन प्लेटफार्मों पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के एफसीवी तंबाकू की फसल और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के अप्राधिकृत एफसीवी तंबाकू की फसल की अतिरिक्त मात्रा के विक्रय की अनुमति दी गई है।

(दो) का.आ. 960(अ) जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तंबाकू बोर्ड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 सितम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन आंध्र प्रदेश राज्य में अपने ऑक्सन प्लेटफार्मों पर आंध्र प्रदेश राज्य के रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की अतिरिक्त मात्रा के क्रय के लिए तंबाकू बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का.आ. 1596(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तंबाकू बोर्ड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 सितम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन आंध्र प्रदेश राज्य में अपने ऑक्सन प्लेटफार्मों पर आंध्र प्रदेश राज्य के रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की अतिरिक्त मात्रा के क्रय के लिए तंबाकू बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का.आ. 1597(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली और 15 सितम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में शिथिलता दी गई है और तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऑक्सन प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा एफसीवी तंबाकू की फसल और अरजिस्ट्रीकृत कृषकों के अप्राधिकृत एफसीवी तंबाकू की फसल की अतिरिक्त मात्रा के विक्रय की अनुमति दी गई है।

(पांच) का.आ. 1598(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तंबाकू बोर्ड को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 अप्रैल, 2009 तक कर्नाटक राज्य में, कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर्नाटक राज्य में अपने ऑक्सन प्लेटफार्मों पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू और अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की अतिरिक्त मात्रा के क्रय के लिए तंबाकू बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(छह) का.आ. 1599(अ) जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 के उपबंध के प्रचालन में शिथिलता दी गई है और तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऑक्सन प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों द्वारा एफसीवी तंबाकू की फसल और अरजिस्ट्रीकृत कृषकों के अप्राधिकृत एफसीवी तंबाकू की फसल की अतिरिक्त मात्रा के विक्रय की अनुमति दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9791/2008]

अपराह्न 12.05 बजे

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 15.12.2008 को सभा में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्य को उसके नाम के समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये:

1. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 11.5.07 से 17.5.2007
   10.8.2007 से 10.9.2007
   15.11.2007 से 4.12.2007

क्या यह सभा इस बात पर सहमत है कि समिति द्वारा यथासंस्तुत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्य को तद्नुसार सूचित कर दिया जायेगा।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{4}$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबधी समिति

31वां और 32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड—प्रोत्साहन का अनुत्पादक संदाय के बारे में 31वां प्रतिवेदन; और

(2) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड—मूल अवसाद तथा जलीय मात्रा मानक से अधिक वाले कच्चे तेल की बिक्री के कारण हुई हानि के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

अधीनस्थ, विधान संबंधी समिति

22वां और 23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैं, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 22वां और 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मैं, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग प्रभाग) से संबंधित "भारतीय रिजर्व बैंक-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाएं के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही" के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।"

अपराह्न 12.06¼ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं, शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित "शहरी परिवहन" विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(एक) 28वां और 29वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में समिति के 25वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में समिति के 26वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदय, मैं निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005)' संबंधी दूसरे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2004-2005) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006)' संबंधी छठे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2005-2006) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'उर्वरक के संबंध में मूल्य निर्धारण और फीडस्टाक नीतियां' विषय संबंधी दसवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2005-2006) के 13वें

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007)' संबंधी 11वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2006-2007) के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007)' संबंधी 12वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2006-2007) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(6) 'औषधों और भेषजों की उपलब्धता तथा मूल्य प्रबंधन' विषय संबंधी सातवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2006-2007) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-2008)' संबंधी 16वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(8) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-2008)' संबंधी 17वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(9) 'पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता' संबंधी 18वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के तेइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(10) 'उर्वरकों का उत्पादन, अधिप्राप्ति और संचलन' विषय संबंधी 19वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (2007-2008) के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.07 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) 12 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपकी जानकारी के लिए सभा द्वारा पिछले सप्ताह के दौरान इसकी तीन बैठकों में किये गए कार्यों की मुख्य मदें संक्षेप में बताना चाहता हूं।

प्रश्नकाल केवल शुक्रवार को ही हुआ था जिसके दौरान पांच प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गए। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर उसी समय के लिए निर्धारित 689 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित सभा पटल पर रखे गए। आधे घंटे की चर्चा भी हुई।

11 दिसम्बर 2008 को गृह मंत्री ने मुम्बई में हाल में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में स्वत: एक वक्तव्य दिया। तत्पश्चात् सभा में इसी विषय पर नियम 193 के तहत 7 घंटे 12 मिनट तक अत्यन्त उपयोगी और व्यवस्थित चर्चा हुई। चर्चा समाप्त होने के पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने मुम्बई में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये गये घृणित आतंकवादी हमले की निन्दा करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। मैं सभा के सभी पक्षों को उस दिन एकता की अद्भुत भावना और आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु देश के संकल्प को दर्शाने के लिए बधाई देता हूं। मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, सभा ने क्रमश: विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 पर 1 घंटा 44 मिनट तथा सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008 पर 34 मिनट तक उनके पारित करने से पूर्व और चर्चा की गई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, 13 विधेयक पुर:स्थापित किए गए थे। एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक अर्थात् श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत चुनाव सुधार आयोग विधेयक, 2006 पर आगे शेष भाग पर 2 घंटे से अधिक चर्चा हुई।

सभा में मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 8 वक्तव्य दिये गये।

सप्ताह के दौरान सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के 22 मामले उठाए। नियम 377 के तहत भी 14 मामले उठाये गये।

विभागों से संबधित स्थायी समितियों ने सप्ताह के दौरान छः प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि देश से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए सभा की बैठक 3 घंटे से अधिक देरी तक चली। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में अध्यक्षपीठ को सहयोग तथा सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।

तीन दिनों में, हमने वास्तव में काफी कार्य किया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, एक मिनट, हमें बताया गया था कि सरकार भारत की सुरक्षा के संबंध में अनेक विधेयक पुरःस्थापित करेगी।

अध्यक्ष महोदयः यह समय उसके लिए नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं तो केवल आपको सुझाव दे रहा हूं कि विधेयक परिचालित नहीं किये गये हैं यदि विधेयक परिचालित नहीं किये जाएंगे तो कल हम उन पर चर्चा कैसे करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः हम देखेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे उसका पूरा ध्यान है। मैंने इस संबंध में विशेष निर्देश दिये हैं आप मुझसे यह बात बाहर भी पूछ सकते थे।

अपराह्न 12.07$^{3}/_{4}$ बजे

(दो) विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें कथित रूप से धनराशि पेश किये जाने के संबंध में की गई शिकायत की जांच कराये जाने हेतु समिति का प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, आपको याद होगा कि 22 जुलाई, 2008 को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान इस सभा के सदस्य सर्वश्री अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा सभा में दो थैले लेकर अध्यक्षपीठ के आसन के समीप आ गए थे और उन्होंने उन थैलों से नोटों की गड्डियां निकालकर उन्हें सभा पटल पर रखना शुरू कर दिया। तब पीठासीन माननीय उपाध्यक्ष ने अफरा-तफरी में सभा को स्थगित कर दिया था।

इसके तुरंत पश्चात् मेरे चेम्बर में नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें मैंने तीनों सदस्यों को सुना जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया कि उन्हें विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहने के लिए यह धनराशि पेश की गई है। तब मैंने यह टिप्पणी की थी कि यदि नोटों के ये बैग सभा में लाए जाने की बजाय अध्यक्ष के चेम्बर में लाए जाते, तो यह ज्यादा उपयुक्त होता। सभा की गरिमा को भारी आघात पहुंचाने वाले इस अभूतपूर्व कृत्य पर अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए मैंने सदस्यों को निदेश दिया कि वे अपनी शिकायत लिखित रूप में दें।

तत्पश्चात्, जब सभा की बैठक आहूत हुई तो मैंने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"..... कुछ समय पहले, जब मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, माननीय उपाध्यक्ष, सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, तो उस समय कतिपय ऐसी घटनाएं घटित हुईं, जो मेरे विचार से, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। संसद के इतिहास में यह अत्यंत दुःखद दिन है जब इस प्रकार की घटना घटित हुई है...

हमने सभा के तीनों माननीय सदस्यों को सुना है। उन्होंने कुछ शिकायतें कीं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी शिकायतें लिखित रूप में मुझे दें। मैंने उनको, नेताओं को और इस सभा को आश्वस्त किया कि सभा के संरक्षक होने के नाते इस संबध में मेरे द्वारा अपेक्षित सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। ऐसा करना मेरा कर्त्तव्य है, और मैं सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं।

मुझे अपने विवेक का उपयोग कर मामले की जांच करने का अवसर दें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि इस मामले में कोई दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।" यह उस दिन कहा गया। सर्वश्री अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा, संसद सदस्यों ने 25 जुलाई, 2008 को मुझे दिये गये अपने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया था कि "उन्हें विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान से विरत रहकर सं.प्र.ग. सरकार की मदद करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा रिश्वत दी गई थी।"

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह महसूस किया कि 25 जुलाई, 2008 को उक्त तीन सदस्यों द्वारा दी गई शिकायत के सच का सही-सही पता लगाना आवश्यक है और इस तथ्य का पता लगाने के बाद ही समुचित कार्रवाई किया जाना संभव होगा।

तद्नुसार, मैंने इस मामले के अन्वेषण और जांच के लिए 26 जुलाई, 2008 को 7 सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त की जिसके संबंध में न तो किसी दल और न ही किसी माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति उठाई।

इस जांच समिति ने अब अपनी जांच पूरी कर ली है और 12 नवम्बर, 2008 को अपनी रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। यह रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 2008 को सभा पटल पर रख दी गई है।

समिति के निष्कर्ष यह हैं कि "उसके पास उपलब्ध सामग्री से निर्णायक रूप से यह बात प्रमाणित नहीं होती है कि बैग में रखे नोट, जिन्हें अंततोगत्वा सभा में दर्शाया गया था, वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा भेजे गये थे जिन पर "विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए श्री अशोक अर्गल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री महावीर भगोरा को राजी करने के उद्देश्य से" भेजे जाने का आरोप है। तथापि, समिति को पता चला कि इस प्रकरण में संलिप्त तीनों व्यक्तियों द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और समिति ने यह सुझाव दिया कि इस मामले में उनकी भूमिका की जांच किसी एजेंसी द्वारा कराए जाने की जरूरत है।

तद्नुसार, मैं उक्त तीनों सदस्यों से संबधित मामले को समिति की सिफारिशों के आलोक में उचित कार्रवाई करने के लिए माननीय गृह मंत्री को सौंप रहा हूं।

उक्त तीनों सदस्यों द्वारा सभा में लाए गए और प्रदर्शित किये गये करेंसी नोट इस समय महासचिव की अभिरक्षा में हैं। यदि जांच के प्रयोजनार्थ इन नोटों की जरूरत पड़ती है, जैसाकि समिति ने सुझाया है, तो महासचिव द्वारा इन्हें एक माह तक रखा जाएगा और इसके पश्चात्, यदि जांच के प्रयोजनार्थ इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं प्राप्त होता है, तो इन नोटों को अदावाकृत धनराशि के रूप में सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 18 अगस्त, 2008, 19 अगस्त, 2008 और 6 अक्तूबर, 2008 को कुछ समाचार पत्रों (जिनके नाम प्रतिवेदन में दिये गये हैं) द्वारा प्रकाशित समाचारों के प्रकाशन और कई टीवी चैनलों द्वारा प्रसारण पर गहरी चिंता और क्षोभ प्रकट किया है। इन समाचारों को अनेक टी.वी. चैनलों द्वारा 7 अक्तूबर, 2008 को भी प्रसारित किया गया और समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किया गया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ या तो समिति के विचार-विमर्श के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार प्रस्तुत किये गये हैं अथवा यह समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का समयपूर्व प्रकटन है या वे आधारहीन तथा अप्राधिकृत सूत्रों पर आधारित हैं।

जांच समिति ने ठीक ही टिप्पणी की है कि "ऐसी रिपोर्टें, विशेषाधिकारों के हनन के साथ ही सभा की अवमानना करती हैं, और इससे जांच समिति और सभा की गरिमा भी कम होती है और इनके विरुद्ध इसके लिए सभा की दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।"

सामान्यत: सभा ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के मामले में अपनी दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग करने को अनिच्छुक रहती है, तथापि समाचार पत्र और टेलीविजन चैनलों को यह महसूस करना चाहिए कि वे इस रीति से संसदीय समितियों और सभा की गरिमा को कम करके अपनी गरिमा नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रजातांत्रिक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व की भावना के लिए सुस्थापित संसदीय परंपराओं की अपेक्षा होती है—किसी समिति के मसौदा प्रतिवेदन की विषय-वस्तु का समय से पूर्व खुलासा करने का निषेध उनमें से एक है—और सभी को इसका पालन करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे अतिक्रमणों के मामले में सभा द्वारा दिखाये गये अनुग्रह का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यह किसी तरह कमजोर है या कार्यवाही करने में असमर्थ है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय यह सर्वसम्मत रिपोर्ट नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह रिकार्ड का भाग है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय यह सर्वसम्मत रिपोर्ट नहीं है इसमें नोट आफ डिसेंट भी दिया गया था। हम चाहते हैं कि वह बात भी सामने आए जिससे लोगों को यह समझ में आ सके कि वास्तविकता क्या थी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा के रिकॉर्ड का भाग है। इस पर और चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) महोदय मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टीगेशन करानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे आदेश या टिप्पणी पर चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस रिपोर्ट में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर-दक्षिण): आप उन्हें बोलने की अनुमति कैसे दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सुनने दें कि वह क्या कह रहे हैं। मैं इसका लोप कर दूंगा। मैंने केवल यह कहा है कि विमत कार्यवाही सारांश रिकार्ड का भाग है। कृपया मुझे सुनने दें कि वह क्या कह रहे हैं। यदि यह अनुमेय नहीं होगा, तो मैं उसे अस्वीकृत कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: नियमों के अनुसार वह नहीं कह सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नियम मत सिखाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके मैरिट या डीमैरिट पर हम नहीं जाना चाहते। जिसे भी क्लीन चिट मिली है, जो हो गया, वह ठीक है। लेकिन जो लोग लेकर आए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह छोड़िए।

[अनुवाद]

यह चर्चा का विषय नहीं है। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। मैंने कहा है कि यह प्रासंगिक मामला नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 19-डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नियमों और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनें। मैंने कहा है कि मैंने उनकी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.13 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन सिंह

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9792/2008।

की ओर से तत्कालीन माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2005-2006 (मांग संख्या 58) पर एक सौ उनसठवें रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर एक सौ अड़सठवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005-06 के लिए तत्कालीन माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों की जांच की और लोक सभा में अपनी एक सौ उनसठवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने तत्कालीन माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगें 2005-06 (मांग संख्या 58) पर 159वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 168वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 168वीं रिपोर्ट के 4 अध्यायों में से रिपोर्ट के अध्याय 3 में सिफारिशें/टिप्पणियां दी गई है जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं तथा उन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियां/की गई कार्रवाई अपेक्षित हैं।

मैं इसके साथ 168वीं रिपोर्ट के अध्याय 3 में की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन/की गई कार्रवाई की स्थिति सदन के सभापटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

(दो) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों (2006-07) (मांग संख्या 56) के बारे में मानव संसाधन विकास संबधी स्थायी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री अर्जुन सिंह की ओर से उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2006-07 (मांग संख्या 56) पर 174वीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 188वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

मानव संसाधन विकास संबधी स्थायी समिति ने वर्ष 2006-07 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगों की जांच की और लोक सभा के सभा पटल पर 22 मई, 2006 को अपनी 174वां प्रतिवेदन प्रस्तुत की।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगें 2006-07 (मांग संख्या 56) पर 174वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 188वें प्रतिवेदन से प्रस्तुत की। 188वें प्रतिवेदन* में 04 अध्याय थे। 188वें प्रतिवेदन के 4 अध्यायों में से रिपोर्ट के अध्याय 3 में सिफारिशों/टिप्पणियां दी गई है जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं तथा उन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टिप्पणियां/की गई कार्रवाई अपेक्षित है।

मैं इसके साथ 188वें प्रतिवेदन के अध्याय 3 में की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन/की गई कार्रवाई की स्थिति सदन के सभापटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

अपराह्न 12.15 बजे

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस भव्य सदन को यह जानकरी देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीम रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है, ने गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से परिवारों की जीविकोपार्जन संबंधी सुरक्षा को बढ़ाकर और स्थायी रोजगार प्रदान करने वाली स्थाई परिसंपत्तियं का सृजन करके और देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदल दिया है। ...*(व्यवधान)*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9793/2008।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप विवेकपूर्ण व्यवहार करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: चालू वित्त वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 2008 तक) 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार दिये गये हैं, जो कि 2007-08 की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इसी दौरान रोजगार के 119.96 करोड़ श्रम दिवस सृजित किये गये जो कि 2007-2008 की इसी अवधि की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक हैं। रोजगार सृजन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 55 प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत है। चालू वर्ष में 19 लाख कार्य शुरू किये गये, जिनमें से 6.10 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं। 67 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण/सिंचाई सुविधा से संबंधित हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान 26,500 करोड़ रुपये के संशोधित बजट आवंटन की तुलना में 18,040 करोड़ रुपये की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है। राज्यों द्वारा अभी तक 14218.02 करोड़ रुपये खर्च होने की सूचना दी गई है।

इस वक्तव्य के जरिये मैं माननीय सदस्यों को एनआरईजीए के ठोस कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के द्वारा किये गये उपायों के बारे में बताना चाहूंगा और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1. एनआरईजीए के फलस्वरूप वित्तीय समावेशन बढ़ा है। रोजगार पाने वाले परिवारों के लिए बैंकों/डाकघरों में 4.92 करोड़ खाते खोले गये हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे खातों के जरिये मजदूरी का पूरा भुगतान करें। इस वर्ष अब तक अकुशल मजदूरों को दी गई मजदूरी पर किये गये 9942.67 करोड़ रुपये के खर्च से इन खातों के माध्यम से 4082.11 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

2. एक वेब आधारित व्यापक प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) बनाई गई है, जिसमें वित्तीय और कार्यक्रम निष्पादन संकेतकों से संबंधित सभी आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट पर 95 लाख मस्टर रोल और 5.5 करोड़ जॉब कार्ड उपलब्ध हैं। स्टेक होल्डरों को श्रेष्ठ कार्यों की जानकारी देने और जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए एनआरईजीए के अंतर्गत "नॉलेज नेटवर्क" बनाया गया है।

3. कड़ी सतर्कता एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक 1.59 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा की गई है और 95.49 लाख मस्टर रोलों का सत्यापन किया गया है।

4. मंत्रालय ने एनआरईजीए के अंतर्गत कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों की नियमित जांच करने की व्यवस्था की है। अब तक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 2.29 लाख कार्यों की तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा 14.07 लाख कार्यों की जांच की गई है।

5. मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से नियमित आधार पर एनआरईजीए के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखा परीक्षा कराने का आग्रह किया है।

6. एनआरईजीए ने कर्मियों के क्षमता निर्माण के जरिए, अतिरिक्त श्रम शक्ति, आईसीटी सहायता उपलब्ध कराकर और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाया है।

7. जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के लगभग 6.17 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

8. सरकार ने एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सिविल सोसायटी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए "रोजगार जागरूकता पुरस्कार" की शुरुआत की है।

9. मंत्रालय ने निगरानी, मूल्यांकन, शिकायत निवारण और आईटी सुविधा आदि के लिए पेशेवर निकायों एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के लिए अत्यंत सक्रिय उपाय शुरू किये हैं। मंत्रालय ने एनआरईजीए संबंधी मुद्दों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, भारतीय प्रबंधन संस्थाओं, कृषि विद्यालयों तथा समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और डाक एवं आर्थिक कार्य विभाग के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और विधि विशेषज्ञों का सहयोग लेने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया था। मीडिया की गहन भूमिका प्राप्त करने के लिए मीडिया को संवेदनशील बनाने वाली कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था।

10. मजदूरों और अन्य स्टेक होल्डरों को सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय टॉल फ्री हेल्पलाइन नं. 1800110707 बनायी गयी है। राज्यों को भी यह सलाह दी गई है कि वे प्रभावी शिकायत निवारण के लिए इसी प्रकार की टॉल फ्री हेल्पलाइन बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि एनआरईजीए के क्रांतिकारी कानून हैं, इन्हें सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग दें, निगरानी करें और जनभागीदारी बढ़ाएं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9794/2008]

अपराह्न 12.16 बजे

(चार) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 द्वारा जारी, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में यह विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं ताकि वर्ष 2008-09 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित एक सौ छियासीवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं। इस समिति ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान डीएसआईआर द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदानों की मांगों (2008-09) पर विस्तारपूर्वक विचार किया। कार्यान्वयन की स्थिति, संबंधित अनुबंधों के अनुसार, सभा पटल पर रखी जाती है।

इस समिति ने डीएसआईआर की कार्यप्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी 186वां प्रतिवेदन दिनांक 29 अप्रैल, 2008 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समिति के 186वें प्रतिवेदन में उन्नीस संस्तुतियां सम्मिलित थीं, जो स्वरूपानुसार परामर्शी एवं मूल्यांकन योग्य थीं। विभाग ने इन संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत नोट समिति को जुलाई, 2008 में प्रस्तुत किया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां मुख्यत: निम्नवत् से संबंधित हैं:

* इस समिति की इस राय से कि विभागों द्वारा किये जाने वाले नेमी खर्च में कटौती वैज्ञानिक विभागों पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह संस्तुति की गई है कि योजना आयोग द्वारा वैज्ञानिक विभाग की सुविचारित प्रक्षेपित मांगों को सम्मान दिया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए;

* निधियों का इष्टतम उपयोग;

* एनआरडीसी के क्रियाकलापों को सुदृढ़ करना क्योंकि यह बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु भारत और विदेश में पेटेंट फाइल करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और साथ ही ग्रामीण प्रौद्योगिकियों विषयक सूचना के प्रचार-प्रसार में सहायता करता है तथा ग्रामीणों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है;

* मलेरिया, पोलियो, मधुमेह, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर आदि जैसे रोगों के लिए सस्ती औषधियां उपलब्ध कराने के मुद्दों से निपटने के लिए विभाग द्वारा आत्मविश्लेषण;

* पर्यावरण परिवर्तन से संबधित बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत की समझ अथवा परख जिनमें मूल्यांकन, अनुकूलन, प्रशमन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि जैसे विभिन्न आयाम शामिल हैं;

* जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव ईंधनों का विकास करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खाद्यान्नों का उपयोग न किया जाए क्योंकि इससे निर्धन वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

* विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन का पता लगाने, उसका दोहन करने और उसे बनाए रखने हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराकर कुछेक महत्वपूर्ण प्रस्तुत तैयार करना;

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9795/2008।

* वैज्ञानिकों एवं अन्य नवोन्मेषकों द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु बौद्धिक संपदा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच में वृद्धि करने के लिए और अधिक प्रयास करना;

* ब्रांड इमेज का सृजन करने वाली और वर्तमान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के बेंचमार्क के रूप में देखे जाने वाली नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल ऐसा अनुसंधान मॉडल है जो आज के विश्व में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जहां अनुसंधान की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और स्व:पोषित स्वरूप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं अनुसंधान।

की-गई-कार्रवाई विषयक टिप्पणी संबंधी समिति की सभी उन्नीस संस्तुतियों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में विचार किया गया है। इस समिति ने की-गई-कार्रवाई विषयक टिप्पणी पर विचार किया है और 197वीं रिपोर्ट दिनांक 23 अक्तूबर, 2008 को सदन के दोनों पटलों पर प्रस्तुत की। 197वीं रिपोर्ट के माध्यम से इस समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर इस विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। 186वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विषयक टिप्पणी की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

अपराह्न 12.17 बजे

(पांच) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं 1 सितम्बर 2004 के लोक सभा के बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश सं. 73क के अनुसरण में सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं ताकि विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति की एक सौ सत्तासीवें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय सदन को जानकारी मिल सके। यह रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष में की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांगों (वर्ष 2008-09) पर विस्तार से विचार किया।

समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा उनकी विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते समय मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्पश्चात् सदन में 29 अप्रैल, 2008 को अपनी 187वां प्रतिवेदन प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन में बीस (20) सिफारिशें हैं।

समिति की सभी सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में विचार किया गया है। मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर की गई विस्तृत कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट अगस्त 2009 में समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। की-गई-कार्रवाई संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रखा जाता है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9706/2008।

अपराह्न 12.18 बजे

(छह) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक सौ पचानवेंवी (195वां) प्रतिवेदन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण लोक सभा बुलेटिन भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर सभा पटल पर रखता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 23 अक्तूबर, 2008 को अपनी एक सौ पचानवेंवी (195वां) प्रतिवेदन प्रस्तुत की। समिति की 195वीं रिपोर्ट में कुल 23 (तेईस) सिफारिशें की गई थीं। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है, जिसे सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 9797/2008।

अपराह्न 12.19 बजे

(सात) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं यह विवरण लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के प्रावधानों के अनुपालन में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश 73ए के अधीन सम्मानित सदन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत 190वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणियों से संबंधित अपनी 196वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए सभा पटल पर रखता हूं।

196वीं रिपोर्ट जैवप्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय वर्ष 2008-09 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। मैंने समिति द्वारा उसकी 190वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में 23 अक्तूबर, 2008 को विवरण प्रस्तुत किया था और सदन को सूचित किया था। वर्तमान विवरण में 196वीं रिपोर्ट के पैरा 3.2, 3.3, 3.9, 4.5, 5.2, 5.3, 6.4, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 और 12.3 में की गई सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-1 पर सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.20 बजे

(आठ) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 के तहत जारी किये गये लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों (2007-08) पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 126वीं प्रतिवेदन पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई के उत्तरों की समीक्षा करने के संबंध में गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2008 को हुई थी। इसके बाद समिति ने 126वें प्रतिवेदन पर और टिप्पणियां/सिफारिशों वाली अपनी 130वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

समिति ने अपनी 130वें प्रतिवेदन में कुल छब्बीस (26) सिफारिशें (पैराग्राफ संख्या 3.1.6, 3.2.6, 3.3.3, 3.4.6, 3.4.7, 3.5.5, 3.6.5, 3.7.5, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.9.4, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.5.1, 4.6.1, 4.6.7, 4.7.1, 4.7.3, 4.8.1 और 4.8.4) की जिन पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी थी। छः (6) सिफारिशों अर्थात् 3.1.6, 3.5.5, 3.7.5, 4.2.6, 4.4.3 और 4.6.7 में यह उल्लेख किया गया था कि इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने और अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति ने उप-समिति(यों) की नियुक्ति/गठन किया है। समिति की सिफारिशों के साथ ये छः प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय उन पर कार्रवाई शुरू करेगा।

इस मंत्रालय ने संलग्न अनुलग्नक में विस्तार से बताए गए कारणों से पैरा 3.6.5 की सिफारिश को छोड़ कर 130वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को पूरी तरह से अथवा मामूली संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है। कुछ सिफारिशों के संबंध में यह मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अनेक सिफारिशों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई किया जाना एक सतत् प्रक्रिया होती है और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है अथवा की जा रही है।

समिति की 130वीं रिपोर्ट के विभिन्न पैराग्राफों में विहित सिफारिशों के संबंध में की गई/जा रही कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.21 बजे

(नौ) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर,

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9798/2008।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9799/2008।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9799-ए/2008।

2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 के तहत जारी किये गये लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

गृह मंत्रालय की 2008-09 के लिए अनुदान मांगों तथा नक्सलवाद विषय पर गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक क्रमश: दिनांक 28 मार्च, 2008 और 5 अप्रैल, 2008 को आयोजित की गई थी। समिति ने मंत्रालय के उद्देश्यों, प्रयोजनों और उपलब्धियों के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। समिति ने अनुदान मांगों की जांच की तथा अपनी 132वां प्रतिवेदन 16 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत की।

समिति ने अपने 132वें प्रतिवेदन में कुल पन्द्रह (15) सिफारिशें (पैराग्राफ सं. 9.4, 10.5., 10.6, 10.12, 11.7, 11.8, 12.2, 12.4, 12.7, 13.3, 14.2, 15.4, 16.2, 16.8 और 17.2) कीं जिन पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी थी।

इस मंत्रालय ने शेष सभी सिफारिशों को पूरी तरह से अथवा मामूली संशधन के साथ स्वीकार कर लिया है सिवाय पैरा 16.8 के, जिसके कारणों का विस्तार से उल्लेख अनुलग्नक में किया गया है। कुछ सिफारिशों के संबंध में यह मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अनेक सिफारिशों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई किया जाना एक सतत् प्रक्रिया होती है और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई अभी की जानी है अथवा की जा रही है।

समिति की 132वें प्रतिवेदन के विभिन्न पैराग्राफों में विहित सिफारिशों के संबंध में की गई/की जा रही कार्रवाई के उल्लेख का एक विवरण संलग्न है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.24 बजे

सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के बारे में दिनांक 11.3.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1719 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं सर्व शिक्षा अभियान और

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9800/2008।

मध्याह्न भोजन योजना की मानीटरिंग के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 08 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1719 के भाग (च) और (छ) के उत्तर, जो मूल उत्तर में छूट गया था जबकि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) से (ङ) का उत्तर दे दिया गया था, के संबंध में मैं निम्नलिखित उत्तर देना चाहूंगा:

प्रश्न	उत्तर
(च) क्या सरकार का एसएसए का पुन: निर्माण करने का प्रस्ताव है; और (छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?	(च) और (छ) एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की संरचना को 11वीं योजना के लक्ष्यों, गुणवत्ता सुधार के बढ़े हुए अंत:क्षेप प्रदान करना और अवशिष्ट साम्य मामलों की पहचान करना, की आवश्यकतानुसार बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

विलंब के कारण निम्नवत् हैं:

सुधारात्मक वक्तव्य देना इसलिए आवश्यक था कि दिनांक 11.3.2008 के अतारांकित प्रश्न सं. 1719 के भाग (च) और (छ) का उत्तर त्रुटिवश छूट गया था।

त्रुटि का पता 24.9.2008 को चला। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। उपर्युक्त विवरण 17 अक्तूबर, 2008 से शुरू होने वाली चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के द्वितीय भाग में रखा जाना प्रस्तावित है।

असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.25 बजे

शस्त्र लाइसेंस जारी करने के बारे में दिनांक 16.5.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3631 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती वी. राधिका सेल्वी, की ओर से (1) शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में माननीय संसद

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9801/2008।

सदस्यों श्री रसीद मसूद और श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा द्वारा दिनांक 16.5.2006 के अतारांकित प्रश्न सं. 3631 के उत्तर में शुद्धि करने तथा (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसमें बहुत सारी गलतियां देख रहा हूं।

प्रश्न में दिए गए उत्तर का भाग	पहले दिया गया उत्तर	सुधार किया गया उत्तर
(ग)	(ग) शस्त्र नियम, 1962 के नियम 53 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी लाइसेंसधारक से आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंस प्राधिकारी उसके लाइसेंस में विनिर्दिष्ट वैधता के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, यदि वे ऐसे विस्तारण की आवश्यकता से संतुष्ट है, बशर्ते, वह क्षेत्र, जिसके लिए विस्तारण मांगा गया है, के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के दिनांक 4.7.1989 के पत्र संख्या 5-11026/8/89-आर्म्स के तहत जारी दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि नियम के अनुसार, अखिल भारतीय वैधता वाले लाइसेंस बहुत विरले मामलों में ही प्रदान किये जाएंगे। कुछ अपवाद, जहां इस पर विचार किया जा सकता है, में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं: 1. मंत्री और संसद सदस्य, 2. रक्षा सेवाओं के सेवारत अधिकारी, पुलिस और अर्द्धसैनिक संगठन तथा भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व वाले सरकार के अधिकारी, और 3. वास्तविक खेलों के लिए मान्यता प्राप्त राइफल क्लब और राइफल संघ के सदस्य।	(ग) 1995 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निषिद्ध बोर के शस्त्रों के लाइसेंसों की क्षेत्रीय वैधता का विस्तार करने के अनुरोधों पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की सिफारिशों के अनुसार गुणदोषों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है जिसमें जिले/राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति और अन्य स्थानीय कारकों को ध्यान में रखा जाता है। निषिद्ध बोर के शस्त्रों के संबंध में अखिल भारत के लिए क्षेत्रीय वैधता का विस्तार करने के अनुरोधों पर संबंधित राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श करके गुण-दोषों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.25½ बजे

'भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को खतरा' के बारे में दिनांक 22.4.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं अपनी सहयोगी, श्रीमती वी. राधिका सेल्वी' की ओर से (एक) ''भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को चुनौती'' विषय के बारे में श्री बापू हरि चौरे, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 22.4.2008 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) इसमें हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9802/2008।

दिए गए उत्तर के प्रश्न का भाग	अशुद्ध	शुद्ध
(ख)	सीमा सुरक्षा बल द्वारा यथासूचित नदी तटीय सीमा का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है: पश्चिम बंगाल-575,100 किमी असम-119,100 किमी त्रिपुरा-147,650 किमी मिजोरम-274,350 किमी	सीमा सुरक्षा बल द्वारा यथासूचित नदी तटीय सीमा का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है: पश्चिम बंगाल-575.100 किमी असम-119.100 किमी त्रिपुरा-157.650 किमी मिजोरम-274.350 किमी

असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.25$^{3}/_{4}$ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(दस) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-2 के द्वारा जारी की गई लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 389 (नया निदेश 73-क) के उपबंधों के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर, वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 'विदेशी प्रत्यक्ष निवेश' विषय पर उनहत्तरवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

समिति की सभी सिफारिशों पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में विचार किया गया है। समिति द्वारा जिन कार्यवाहियों की सिफारिश की गई है, वे या तो पहले ही की जा चुकी हैं या आरंभ कर दी गई हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दी गई है। सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दी गई है।

अपराह्न 12.26 बजे

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले के बारे में दिनांक 11.3.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1604 के उत्तर में शुद्धि करने वाला और शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी। जो इतनी अधिक गलतियां मैंने पाई हैं उसका यह दूसरा उदाहरण है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं (एक) "शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों" के बारे में श्री वी.के. दुग्मर तथा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, संसद सदस्यों के दिनांक 11.3.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1604 के उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) इसमें हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में ऐसी स्थिति से बचेंगी।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी 9803/08।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी 9804/08।

प्रश्न का भाग	पढ़ें
(क) से (ङ)	शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के संबंध में श्री वी.के. दुम्मर तथा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 11.3.2008 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1604 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक के स्थान पर संलग्न संशोधित संलग्नक को प्रतिस्थापित किया जाए।

विलंब के कारण:

इस संलग्नक को सही करने का विवरण देना इसलिए आवश्यक हो गया है कि उपर्युक्त उल्लिखित प्रश्न के उत्तर से संबंधित संलग्नक में असावधानीवश कुछ त्रुटि रह गई है। इस त्रुटि की जानकारी मिलते ही तत्काल इसे सही करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अत: इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है।

असुविधा के लिए खेद है।

संशोधित अनुबंध

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले के संबंध में श्री वी.के. दुम्मर तथा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 11.3.2008 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1604 के (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान
	निकोबार
आंध्र प्रेदश	आदिलाबाद
	अनन्तपुर
	पूर्वी गोदावरी
	कुरनूल
	महबूब नगर
	मेडक
	निजामाबाद
	प्रकाशम
	श्रीकाकुलम
	विजयनगरम
	पश्चिमी गोदावरी
अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग
	दीवंगवेली
	पूर्वी कामेंग
	लोहित
	लोअर सुबनसिरी
	तवांग
	तीराप
	अपर सियांग
	अपर सुबनसिरी
	पश्चिम कामेंग
	पश्चिम सियांग
असम	बोनगाईगांव
	काछर
	दारांग
	धुव्री
	गोलपाड़ा
	हैलाकांडी
	कार्बी अंगलूंग
	करीमगंज
	मारीगांव
	नौगांव
	सोनितपुर
	तिनसुखिया

1	2
बिहार	अरेरिया
	औरंगाबाद
	बांका
	बेगूसराय
	दरभंगा
	गोपालगंज
	जामुई
	कायपुर (भबुआ)
	कटिहार
	खागरिया
	किशनगंज
	लाखीसराय
	मधेपुरा
	मधुबनी
	नवाडा
	पश्चिमी चम्पारण
	पूर्वी चम्पारण
	पूर्णिया
	सहरसा
	समस्तीपुर
	सारन
	श्योहर
	सीतामढ़ी
	सीवान
	सुपौल
	वैशाली
छत्तीसगढ़	बस्तर
	बिलासपुर
	दांतेवाड़ा
	धामतरी
	दुर्ग
	जंजगीर-चम्पा
	जसपुर
	कानकेर
	कावधा
	महासमुंद
	रायगढ़
	रायपुर
	राजनंदगांव
	सरभुजा
दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली
दमन और दीव	दमन और दीव
गुजरात	अमरेली
	बनासकंठा
	भरीच
	भावनगर
	दाहोद
	जामनगर
	जूनागढ़
	कच्छ
	खेड़ा
	मेहसाना
	नर्मदा
	पंचमहल
	पाटन

1	2
	पोरबन्दर
	राजकोट
	साबरकंठा
	सूरत
	सुरेन्द्रनगर
	दाङांग
	वलसाड
हरियाणा	फतहबाद
	गुड़गांव
	जींद
	कैथल
	करनाल
	पानीपत
	सिरसा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा
	किन्नौर (पू.)
	लाहौल तथा स्पीति
	सिरमौर
जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग
	बडगाम
	बारामूला
	डोडा
	कारगिल
	कथुआ
	कुपवाड़ा
	लेह (लद्दाख)
	पूंछ

1	2
	राजौरी
	उधमपुर
झारखण्ड	छतरा
	देवधर
	दुमका
	गरहवा
	गिरडिह
	गोड्डा
	गुमला
	कोडरमा
	पकौर
	पलामू
	पश्चिमी सिंहभूम
	साहिबगंज
कर्नाटक	बगलकोट
	बंगलौर रूरल
	बेलगाम
	बेल्लारी
	बीजापुर
	चामराजनगर
	चिकमंगलूर
	चित्रदुर्ग
	दक्षिण कन्नाडा
	गडग
	गुलबर्गा
	हसन
	हवेरी

1	2
	कोडागु
	कोलार
	कोप्पल
	मंध्या
	रायचूर
	टुमकुर
	उदीपी
	उत्तर कन्नड
केरल	कसरगोड
	गालापुरम
	पलाक्कड़
	वेनाड
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
मध्य प्रदेश	बालाघाट
	बरवानी
	बेतुल
	भिंड
	छतरपुर
	छिंदवाड़ा
	दमोह
	दतिया
	देवास
	धार
	डिंडोरी
	ईस्ट नीमर
	गुना
	हरदा

1	2
	झाबुआ
	कटनी
	मंडला
	मंदसौर
	मोरेना
	नरसिंहपुर
	नीमच
	पन्ना
	रायसेन
	राजगढ़
	रतलाम
	सागर
	सतना
	सिहोर
	सिओनी
	शहडोल
	शाजापुर
	शिओपुर
	शिवपुरी
	सिधी
	टीकमगढ़
	उज्जैन
	उमरिया
	विदिशा
	वेस्ट नीमर
महाराष्ट्र	बुल्दाना
	गडचिरोली

1	2
	हिंगोली
	जालना
	रायगढ़
	रत्नागिरी
	सिद्धुदुर्ग
मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स
	जैनतिया हिल्स
	रीभोई
	साउथ गारो हिल्स
	वेस्ट खासी हिल्स
मिजोरम	चम्फाई
	कोलासिब
	लौंगतलाई
	लंगलई
	मामित
	सेहा
नागालैंड	सरचिप
उड़ीसा	मोन
	अंगुल
	बालांगिर
	बारगढ़
	बौद्ध
	देवगढ़
	धेनकनाल
	गजपति
	गंजाम
	कालाहाण्डी

1	2
	कंधमल
	केन्दुझर
	कोरापुट
	मल्कानगिरी
	नवरंगपुर
	न्यायगढ़
	नूपाड़ा
	रायगढ़
	सोनपुर
पाण्डिचेरी	यनम
पंजाब	अमृतसर
	भटिंडा
	फरीदकोट
	फतेहगढ़ साहिब
	फिरोजपुर
	गुरुदासपुर
	कपूरथला
	मंसा
	मोगा
	मुक्तसर
	नवांशहर
	पटियाला
	संगरूर
राजस्थान	अजमेर
	अलवर
	बांसवाड़ा
	बर्न

1	2
	बाड़मेर
	भरतपुर
	भिलवाड़ा
	बीकानेर
	बुन्दी
	चित्तौड़गढ़
	चुरू
	डोसा
	धौलपुर
	डुंगरपुर
	गंगानगर
	हनुमानगढ़
	जैसलमेर
	जालोर
	झालावर
	झुनझुनुन
	जोधपुर
	करौली
	नागौर
	पाली
	राजसामन्द
	सवाई माधोपुर
	सिकर
	सिरोही
	टॉक
	उदयपुर
सिक्किम	पूर्व
	उत्तर

1	2
	दक्षिण
	पश्चिम
तमिलनाडु	अरियालुर
	कोयम्बटूर
	कूडालूर
	धर्मपुरी
	डिण्डीगुल
	इरोड
	कांचीपुरम
	कन्याकुमारी
	करूर
	मदुरई
	नागापट्टीनम
	परमबल्लूर
	पुडुकोट्टई
	रामानाथापुरम
	सलेम
	शिवगंगा
	तंजावुर
	दि नीलगिरीस
	थाणी
	थूवल्लूर
	थूवरूर
	धुधुकुकड़ी
	तिरूनेलवली
	तिरूवन्नमली
	वेल्लौर

1	2
	वेलूपुरम
	विरुद्धनगर
त्रिपुरा	धलाई
उत्तर प्रदेश	बहराइच
	बलरामपुर
	बांदा
	बाराबंकी
	बरेली
	बस्ती
	बिजनौर
	बंदायूं
	बुलन्दशहर
	चित्रकूट
	इटा
	फरूखाबाद
	फतेहपुर
	गोंडा
	हमीरपुर
	हरदोई
	हाथरस
	ज्योतिबा फुले नगर
	कन्नौज
	कानपुर देहात
	कौशाम्बी
	खीरी
	कुशीनगर
	ललीतपुर
	महाराजगंज
	महोबा
	मथुरा
	मुरादाबाद
	मुजफ्फरनगर

1	2
	पीलीभीत
	रायबरेली
	रामपुर
	सहारनपुर
	संत कबीर नगर
	श्रावस्ती
	सिद्धार्थ नगर
	सीतापुर
	सोनभद्र
उत्तरांचल	सुल्तानपुर
	उन्नाव
पश्चिम बंगाल	बागेश्वर
	चम्पावत
	पंकुरा
	वर्धमान
	वीरभूम
	दक्षिण दिनापुर
	दार्जीलिंग
	होरा
	हुगली
	जलपाइगुड़ी
	कोच बिहार
	मालदा
	मीदनापुर
	मुर्शीदाबाद
	नाडिया
	उत्तर 24 परगना
	पुरूलिया
	दक्षिण 24 परगना
	उत्तर दिनापुर

अपराह्न 12.27 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वायालार रवि उपस्थित नहीं। श्री गंगवार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के इक्कावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के इक्कावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश का सबसे बड़ा एवं प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान है। 2 जुलाई को एम्स के निदेशक श्री वेणु गोपाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तब से आज तक एम्स में निदेशक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है। होना तो यह चाहिए था कि जब श्री वेणु गोपाल सेवानिवृत्त होने वाले थे, उससे पहले ही निदेशक का चयन कर लिया जाता। एम्स की चयन समिति ने दो व्यक्तियों के नाम की संस्तुति निदेशक पद के लिए की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से वह संस्तुति वापिस हो गई। एम्स का अच्छा-खासा बजट है, लेकिन इसके बावजूद भी दो हजार डाक्टर्स और स्टाफ की वहां कमी है। हम सांसदों की जो नियमित सिफारिशें रहती हैं, उनमें एक यह सिफारिश भी होती है कि हमारे हलके के मरीज को दिखाना है, उसके स्वास्थ्य का इंतजाम करवाना है। आज एम्स में यह स्थिति है कि मरीज परेशान है। डायरेक्टर न होने की वजह से वहां अव्यवस्था फैली हुई है। मरीजों को राहत पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एम्स में निदेशक की नियुक्ति करे, ताकि वहां जो अव्यवस्था फैल रही है, उस पर अंकुश लग सके। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करें। नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, सही मायने में यही बात है। यह बहुत गंभीर सवाल है। सरकार तत्काल वहां निदेशक की नियुक्ति करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात है कि आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। लेकिन आरोप मत लगाइए। वह उपस्थित नहीं हैं और उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। इसलिए आरोप नहीं लगाए जा सकते। इसका लोप कर दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 26 जुलाई को अहमदाबाद में करनावती में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और आदरणीय आडवाणी जी के क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा बड़े बम विस्फोट किये गये और पहली बार अस्पतालों को निशाना बनाया गया। उनमें 56 निर्दोष लोगों की जानें गईं जिनमें सेवा करने वाले लोग भी थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। उनमें 262 लोग घायल भी हुए थे। राज्य सरकार ने मुआवजे के तौर पर राशि देने की घोषणा की थी। 28 जुलाई को आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय प्रधानमंत्री घटना स्थल पर लोगों से मुलाकात करने गये थे और वहां घोषणा की थी कि प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को साढ़े तीन लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। आज करीबन चार महीने पूरे होने वाले हैं। मृतकों में से केवल 53 लोगों को ही राशि मिली है लेकिन जो 262 लोग घायल हैं, उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली है। राज्य सरकार ने घायलों और मृतकों को पूरी राशि दे दी है। केन्द्र सरकार ने प्रत्येक घायल को जो 50 हजार रुपये की राशि देनी है, वह उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुई है। मैंने प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त और 19 नवम्बर को दो पत्र लिखे थे कि उन्होंने सहायता के रूप में राशि देने की जो घोषणा की थी, वह आज तक उन्हें नहीं दी गई है। मुझे केवल उस पत्र का, एक्नॉलेजमेंट मिला है। अभी तक वह राशि प्राप्त नहीं हुई है। मुझे

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जानकारी मिली है कि वह राज्य सरकार से यह जानना चाहते हैं कि सीरियस और नॉन सीरियस कितने लोग हैं? मेरा इतना आग्रह है कि एक बार जो घोषणा की गई है, उसे पूरा किया जाए। लोग मेरे घर आते हैं। हर शनिवार और इतवार जब मैं घर जाता हूं तो लोगों की भीड़ रहती है और वे लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप केन्द्र सरकार को निर्देश दें कि उसने जो घोषणा की है कि वह तुरन्त घायलों को 50 हजार रुपये और मृतकों के परिवार वालों को साढ़े तीन लाख रुपये की राशि दी जाएगी, वह दी जाए क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

अपराह्न 12.32 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) पश्चिम बंगाल में डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, विगत दिनों इस सभा में डनलप इंडिया लि. से संबंधित मुद्दों पर कई बार चर्चा की गई है। यह 72 वर्ष पुरानी एक प्रमुख कंपनी है। यह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती रही है। इसका योगदान केवल टायर के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर भूखे मर रहे कामगारों ने कारगिल युद्ध के दौरान अत्यन्त आवश्यक टायर मुहैया कराने के लिए इस कंपनी के खोले जाने में सहयोग किया।

बीआईएफआर, जोकि एक केन्द्रीय निकाय है, के माध्यम से इस कंपनी, जिसके पास पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियां, कई एकड़ भूमि है, का अधिग्रहण करने वाले नये प्रवर्तक इस महत्वपूर्ण उद्योग को चलाने में जरा भी इच्छुक नहीं है। इस कंपनी ने वैश्विक आर्थिक मंदी और आर्थिक संकट की दलील देते हुए हाल ही में 13 नवम्बर को काम बंद करने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री महोदय ने इन उद्योगों को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए पैकेज की घोषणा करते हुए उद्योगपतियों से अपील की है कि वे छंटनी या तालबंदी का रास्ता अख्तियार न करें।

इस कंपनी का वैश्विक आर्थिक मंदी से कुछ लेना देना नहीं है। यह एक गैर-निष्पादक कंपनी है। दि इकोनोमिक टाइम्स द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार कई गैर-निष्पादक कंपनियों ने अपने-अपने गैर-निष्पादन की लीलापोती करने के लिए वैश्विक मंदी की दलील दी है और उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि उन्हें पैकेज दिया जाए जो वे नहीं दे सकते हैं।

ऐसी स्थिति में हम केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाए। सरकार ने इस संबंध में वादा किया था। जब श्री प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि चूंकि यह उद्योग रक्षा जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे रहा है, इसलिए सरकार इस उद्योग को रक्षा उद्योग में शामिल किये जाने के मुद्दे की जांच कर सकती है, ताकि इस कंपनी को बचाया जा सके। केन्द्र सरकार इस कंपनी को बचाने के लिए काफी कुछ कर सकती है। इस कंपनी को काफी परिसंपत्तियां, दक्ष श्रमशक्ति और एक ब्रांड नाम हासिल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वविदित है। इसे एक अच्छा बाजार भी मिला है। वर्ष 1997-98 तक कंपनी का 30 प्रतिशत शेयर केन्द्रीय एजेंसियों के पास था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारतीय रक्षा नियमों के अधीन आता है। अत: सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में कुछ किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी को उनसे सहबद्ध होने की अनुमति है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी इस सदन में उपस्थित हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता हूं। मैंने उन्हें रोका नहीं है, लेकिन मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं इस मामले को उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया किस तरह से अपने पैसेंजरों, खास तौर से हाजियों को तंग करती है, उसके जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बताता हूं कि 13 तारीख को जेद्दा से मुझे आना था, मेरा कंफर्म टिकट था। पहले पता लगा कि फ्लाइट चार घंटे लेट है, फिर पता लगा कि छ: घंटे लेट है, उसके बाद पता लगा कि 20 घंटे लेट है। यानी

14 तारीख को सात बजे चलना निश्चित पाया। जानवरों की तरह 24 घंटे तक सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पड़े सड़ते रहे। मैं बार-बार इल्तिजा करता रहा, लेकिन एयर इंडिया का एक आदमी अपना फोन या मोबाइल उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सात बजे फ्लाइट जानी थी। छः बजे एक आदमी काउन्टर खोलने के लिए आया। उसने छः बजे काउन्टर खोला। वह भी तब खोला, जब मेरे जैसे मैम्बर पार्लियामेंट उसे फोन करते-करते तंग आ गये, उल्टा-सीधा भी बोला, तब उसने एक घंटा पहले काउन्टर खोला और साढ़े चार घंटे तक काउन्टर पर चैक इन किया और बंगलूरू के पैसेन्जर्स, मुम्बई के पैसेन्जर्स, दिल्ली के पैसेन्जर्स, सबके सामान मिलाकर चढ़ा दिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: 25 घंटे फ्लाइट लेट चली। जब दिल्ली उतरे तो दिल्ली पर मुम्बई वालों का सामान उतर आया, मुम्बई में बंगलौर वालों का सामान उतरा और अब तक वह सामान लोगों को नहीं मिला है। वहां कश्मीर से लेकर पूर्वी यू.पी. तक के लोग थे, जो बेचारे वहां चार-चार दिन से पड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले की जांच कराऊंगा। मैं उनसे स्पष्टीकरण मांगूंगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय: वही तो बोल रहे हैं, करायेंगे।

श्री इलियास आजमी: एयर इंडिया का जो स्टाफ जेद्दा में है, उस पूरे स्टाफ को बर्खास्त किया जाए और सबको मुआवजा दिया जाए। जिस तरह उन्होंने जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक किया है। आजकल रूल है कि अगर फ्लाइट तीन घंटे से ज्यादा लेट है तो होटल में पैसेंजरों को ठहराया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इसकी जांच करेंगे। हम उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: क्या हाजी लोग जानवर हैं? क्या हाजी लोग एयर इंडिया की नजर में, प्रफुल्ल पटेल जी की नजर में, श्री मनमोहन सरकार की नजर में इंसान नहीं जानवर हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक हैं, थैंक यू, अब हो गया।

श्री इलियास आजमी: जिन्हें 26-26 घंटे जानवरों की तरह रखा गया। मैं मांग करता हूं कि उन सबको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निकाला जाए और सब हाजियों को मुआवजा दिया जाए, जिनके साथ यह नाइंसाफी हुई है। खुद मेरा सामान गायब हुआ, मैं अभी थोड़ी देर पहले सामान लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको हमने बोलने का मौका दिया। हमने बोला है, अनाउंस किया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में श्री चंद्रकांत खैरे जी की बात के अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे अर्थ मंत्रालय और गृह मंत्रालय को बताना चाहता हूं कि हमारे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया जाता है। देश में जो आतंकवादी घुसे हैं, आतंकवादियों ने लगभग चार सौ खाते अलग-अलग नेशनालाइज्ड बैंकों में खोले हैं और इन चार सौ खातों को खोलने के बाद उनका पैसों का ट्रान्जैक्शन चल रहा है। अभी हाल ही में मुम्बई में आतंकी घटना हुई है और देश में आतंकवादियों के जहां हमले हुए हैं, उन्हें कौन-कौन, कहां से पैसा देते हैं और वह पैसा कहां से आता है। इन लोगों ने चार सौ अलग-अलग नामों से खाते खोले हैं और इस तरह से उनका सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। इन्हें पैसा कौन देता है। जब हम लोग बैंक में खाता खोलते हैं तो किसी न किसी की वहां गारंटी होती है। वह गारंटी इन खातों में भी होनी चाहिए। इन खातों में वहां किनकी गारंटी है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन में बहुत शोर हो रहा है। सदन में लोग आपस में काफी निजी बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि बहुत छूट ली जा रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: इसका इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करता हूं कि ऐसे सभी खातों की इंक्वायरी हो, उनके जमानती की इंक्वायरी हो और उनके सारे खाते सील होने चाहिए। जब आर.बी.आई. ने सब बैंकों को डायरेक्शंस दी है तो अभी तक इन बैंकों ने कोई एक्शन नहीं लिया है और जिसके कारण आतंकवादियों को पैसा मिलता है और उस पैसे के मिलने के कारण आतंकवादी सारी वारदातें कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ अटेन्शन अट्रैक्ट करने के लिए समय दिया जाता है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, आप प्रत्येक मामले के लिए पांच मिनट नहीं ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह बड़ा गम्भीर मामला होने के कारण इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसे बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री, जो अभी तुरंत सभा से गये हैं, का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

यह बंगलौर-हासन-मंगलौर रेलवे लाइन से संबंधित है। वस्तुत: 12 वर्ष की लंबी अवधि और लोगों द्वारा दबाव डाले जाने के बाद आमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2007 से सवारी गाड़ी चलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन मंगलौर में सवारी गाड़ी का उद्घाटन करते समय और 2005-06 के बजट भाषण में रेल मंत्री द्वारा गाड़ियों को चलाने का जो आश्वासन दिया गया था, उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। यह कागजों में ही सिमट कर रह गया है और किया गया वायदा आज की तारीख तक केवल वायदा ही है। लेकिन समय सूची के अनुसार रेलगाड़ियों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अभी भी कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हमें विशेष उल्लेख की प्रथा में संशोधन करना होगा। हरेक बात नहीं उठाई जा सकती है?

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: रेल प्राधिकारी यह बता रहे हैं कि वहां दिन में रेलगाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वहां घाट खंड है और वहां भूस्खलन होने की आशंका रहती है; आपको विदित ही है कि बंगलौर- गंगलौर और मंगलौर-बंगलौर के बीच मालगाड़ी और रात्रिकालीन सवारी गाड़ी पहले से ही चल रही है। अत: इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)* मैं मात्र एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह पर्याप्त है। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: मैं कर्नाटक राज्य सरकार के लिए .....* रेल मंत्री से आग्रह निवेदन करता हूं क्योंकि यह राज्य अत्यधिक विकासशील राज्यों में से एक है जो देश के विकास में भी योगदान करता है।

अध्यक्ष महोदय: यह उचित वक्तव्य नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में इसे सम्मिलित न करें।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: अत: मैं अनुरोध करूंगा कि इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: परस्पर आरोप-प्रत्यारोप एक राष्ट्रव्यापी आदत है।

अब, श्री बसुदेव आचार्य अपने विचार रखेंगे।

अपराह्न 12.44 बजे

(दो) राष्ट्रीय कोयला कर्मकार मजदूरी करार-8 के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कोल इंडिया माइन्स के पांच लाख से अधिक कामगार 5 और 6 जनवरी 2009 को हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे पहले सीटू और अखिल भारतीय

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोयला कामगार संघ में इस महीने की 18 और 19 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया था। चूंकि पांच केन्द्रीय मजदूर संघों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान करने का निर्णय लिया, इसलिए हड़ताल 5 और 6 जनवरी, 2009 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

मांग राष्ट्रीय कोयला कामगार मजदूरी करार-8 के निपटान के बारे में है, जोकि 2006 से देय है। पांच वर्षों में मजदूरी में संशोधन किये जाने की बजाय सरकार अब इसे दस वर्षों तक बढ़ाए जाने का निर्णय ले रही है। अत: मांग यह है कि तत्काल जेबीसीसीआई की बैठक बुलाई जानी चाहिए और इसे पांच लाख से भी अधिक कामगारों के लिए मजदूरी में संशोधन करने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि न्यूनतम मजदूरी 11000 रुपये होनी चाहिए। अधिकारियों की मजदूरी पहले ही बढ़ाई जा चुकी है ...*(व्यवधान)*

कामगारों की मजदूरी में संशोधन नहीं किया गया है। जेबीसीसीआई को मजदूरी में संशोधन पर निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बंसगोपाल चौधरी और श्री सुनील खां भी आपकी बात से सहमत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: कामगारों को नियमित करने की भी मांग की जा रही है। इस कोयला उद्योग में हजारों कामगार कार्यरत हैं। इनमें ठेके पर काम करने वाले कामगार भी हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। अत:, यह मांग की जा रही है कि ठेके पर काम करने वाले कामगारों को नियमित किया जाना चाहिए और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए भी एक मजदूरी ढांचा होना चाहिए। निजी क्षेत्र को कई ब्लॉक सौंपे गए हैं। निजी क्षेत्र की कोयला खानों में कोई मजदूरी ढांचा नहीं हैं। यह मांग की जा रही है कि निजी क्षेत्र और आउटसोर्स की गई खानों में काम करने वाले कामगारों के लिए एक मजदूरी ढांचा होना चाहिए। इन्हें एनसीडब्ल्यूए-8 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. अरुण कुमार शर्मा। श्री आचार्य, कृपया सहयोग कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यह पांच लाख से अधिक कामगारों का मामला है और इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले को उठाने की आपको अनुमति दी है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि इसकी एक समय सीमा है। आपने अपनी बात रख दी।

श्री बसुदेव आचार्य: इसके अलावा, हड़ताल की सूचना भी दे दी गई है। इसलिए, सरकार को इस मामले में तत्काल निर्णय लेना चाहिए और जेबीसीसीआई से एनसीडब्ल्यूए-8 समझौते को अंतिम रूप देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया सहयोग कीजिए। डा. अरुण कुमार शर्मा—उपस्थित नहीं। श्री फ्रांसिस जार्ज।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। यह पांच लाख कामगारों का मामला है। ...*(व्यवधान)* श्रम मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। यह इस प्रकार नहीं हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप मंत्री जी पर दबाव नहीं दे सकते हैं। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इस मामले के महत्व को देखते हुए अनुमति दी है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दस मिनट तक बोल सकते हैं। यह चर्चा का विषय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हड़ताल बुलाई गई है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता कि उन्हें उत्तर देना चाहिए या नहीं। मैं उनका अभिभावक नहीं हूं। मेरी इच्छा है कि काश मैं होता।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, माननीय श्रम मंत्री उत्तर देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं इस मामले पर विचार-विमर्श करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री फ्रांसिस जार्ज का नाम बुलाया है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, क्या मैं बोलूं?

अध्यक्ष महोदय: यदि आप शुरू नहीं करेंगे, तो आप अपना अवसर खो देंगे।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, हमारे देश में डाक विभाग में 3.5 लाख विभागेत्तर कर्मचारी हैं। उन्होंने 21 नवम्बर को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल और डिविजनल सुपरिंटेंडेंट कार्यालयों के समक्ष धरना दिया। छठे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों और वेतन ढांचों में वृद्धि करते हुए इस वर्ग की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है।

सरकार ने डाक विभाग के सेवानिवृत्त उप महानिदेशक श्री नटराज मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने विद्यमान लाभों में पूर्ण कटौती की सिफारिश की थी। समिति ने सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्ति की आयु को 65 से घटाकर 62 वर्ष कर दिया जाए; इन कर्मचारियों को केवल ग्रामीण डीए दिया जाए; इनका बोनस नियमित कर्मचारियों को दिये जा रहे बोनस का केवल 50 प्रतिशत होगा; ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेत्तर पोस्ट ऑफिसों को बंद कर दिया जाए; तथा ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर पूर्ण रोक लगाने की सिफारिश की।

यह डाक विभाग के 3.5 लाख से अधिक विभागेत्तर कर्मचारियों के हितों के पूर्ण रूप से विरुद्ध है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया जाए जो कर्मचारियों के अधिकारों के विरुद्ध हैं और डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों में वृद्धि की जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह डाक विभाग के इस अपेक्षित वर्ग के कर्मचारियों की सहायता करने पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल यही चाहता हूं कि 'शून्य काल' को संसदीय कार्य से समाप्त कर दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं अपने आपको इससे संबद्ध करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं भी इससे संबद्ध होना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, कृपया मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी काफी वरिष्ठ और बहुत अनुभवी सदस्य हैं। आप लोग प्रतिदिन एक नई व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप अधिक से अधिक टेलीविजन पर दिखाई देना चाहते हैं। परन्तु इसके लिए यह सही तरीका नहीं है। कृपया ठोस योगदान दीजिए। इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अब मैं उम्मीदवार नहीं हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी नाम रिकार्ड किये जाएंगे। कृपया अपने नाम भिजवाने का कष्ट करें।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास जी, नहीं। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करने के लिए बाध्य मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लाखों ग्रामीण डाक सेवकों को अन्याय और शोषण से बचाया जाये। ये डाक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सेवक ग्रामीण जनता के लिए डाक और मनीऑर्डर बांटने का काम करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? आप एसोसिएट कर दें।

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, इन डाक कर्मियों को बहुत कम वेतन और सुविधाएं मिल रही है। इनकी संख्या 3 लाख के करीब है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें सिविल सर्वेन्ट माना है अत: इन जीडीएस कर्मचारियों को सिविल सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाये। केन्द्र सरकार इनकी सहायता करे, यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, कृपया मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास इस विषय पर संबद्ध हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मेरे साथ सहयोग करते तो मैं आपको अनुमति दे देता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आज यह आपके लिए दंड है। आप इस विषय को कल उठाइए, मैं आपको अनुमति दूंगा, परन्तु आज नहीं। कभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस मामले में श्री कृष्णदास के अब और एक भी वाक्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं इस सभा में नियम का सर्वाधिक पालन करने वाला सदस्य हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सुरक्षित हैं। मैं इससे बड़ी राहत महसूस कर रहा हूं। आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: फिर तो मेरे प्रति कुछ सहानुभूति रखिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसकी अत्यंत प्रसन्नता है, कि आप सुरक्षित हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: कृपया कुछ तो सहानुभूति रखिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सहानुभूति दुरुपयोग करने के लिए नहीं होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अपने भाई की तरह समझता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि आयुध कोर के असैनिक कर्मचारियों (स्टोरकीपर एवं क्लर्क) के पदोन्नति हेतु 22 दिसम्बर, 1988 को बैठायी गई ब्रिगेडियर गौतम मित्रा कमेटी रिपोर्ट 13 मई, 1989 को महानिदेशक, ओ.एस. को सौंपी गई। रिपोर्ट के अध्ययन के अनुसार महानिदेशक ओ.एस. ने स्टोर कीपर को अनुपात के हिसाब से पदोन्नतिवश 1997 से लागू किया था। महोदय, जबकि दूसरे विभाग के जो क्लर्क थे, उसी स्टाफ के थे, रक्षा मंत्रालय से ही संबंधित हैं, उनके साथ इस रिपोर्ट में पदोन्नति करने के सुझाव को लागू नहीं किया गया था। यह कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग इतना टाइम लेते हैं।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन रक्षा विभाग के जो क्लर्क हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वास्तव में सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: उनकी रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए अनुपात के हिसाब से पदोन्नति करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का कार्य किया जाए, जिससे जो समूह घ के कर्मचारी हैं उनको भी न्याय मिल सके और अभी पदोन्नति भी हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी दल, सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत थे कि इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के केवल पांच मामले ही उठाए जाएंगे। मुझे नहीं पता शायद मैं लगभग पन्द्रह मामलों पर चर्चा करने की अनुमति पहले ही दे चुका हूं। मेरी बात कोई नहीं सुनता है। कोई भी सदस्य खड़े होकर बोलना शुरू कर देता है। औचित्य, शिष्टता और अध्यक्षपीठ के प्रति सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता आप सभी के व्यवहार को देख रही है। मेरा व्यवहार इतना महत्व नहीं रखता है क्योंकि जैसाकि मैंने ही कहा है कि मैं इस बार उम्मीदवार नहीं हूं।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग किसान हैं। यूपीए सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनों चलायी हैं, किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ायी है, न्यूनतम ब्याज पर लोन देने की योजना बनायी है, मूल्य निर्धारण के लिए आयोग बनाया है और उचित मूल्य देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महोदय, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस समय रबी की फसल की बुआई का वक्त है। रबी की फसल मुख्य फसल है। यह शत-प्रतिशत लोगों को भोजन देती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में खाद्य की समस्या पैदा हो गयी है। महोदय, भारत सरकार, यूपीए सरकार ने तीन सौ साठ करोड़ मीट्रिक टन खाद दिया है, जबकि यू.पी. सरकार ने तीन हजार तीन सौ तीस मीट्रिक टन खाद की मांग की थी।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इतनी डिटेल्स की बात नहीं है।

चौधरी विजेन्द्र सिंह: 3331 हजार मीट्रिक टन खाद *...(व्यवधान)* लेकिन महोदय, आज उत्तर प्रदेश में किसानों की लम्बी-लम्बी कतारें चौबीसों घंटे सड़कों पर पड़ी हैं। तमाम सहकारी, सरकारी और डीएपी खाद, एमपी खाद की समस्या खड़ी है। किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और आर्थिक रूप से वह तंगी के हालत में पहुंच गया है। किसान इस समय डुप्लीकेट खाद डालने के लिए मजबूर है। महोदय, डुप्लीकेट खाद से उत्पादन की कमी होगी और उत्पादन की कमी होने से देश की जनता के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा होगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार से कहना चाहता हूं, यूपीए सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि वह यूपी सरकार को खाद की आपूर्ति के लिए निर्देशित करे, वहां खाद पहुंचाने की कोशिश करे ताकि किसान अपनी फसल की पैदावार का अधिक उत्पादन कर सकें। यह मेरी आपसे विनती है। *...(व्यवधान)*

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, बड़ी संख्या में बिहार के छात्र बिहार के बाहर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और वे बहुत अच्छा करते हैं। इससे एक तरफ बिहार का रेवेन्यू बड़ी मात्रा में बिहार से बाहर जाता है तो दूसरी तरफ हाल के दिनों में द्वेष और क्षेत्रवाद की कुत्सित भावना से ग्रसित लोगों द्वारा उन्हें अपमान और हिंसा का घूंट पीना पड़ रहा है। बिहार में सरकारी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों की संख्या दो अंकों में भी नहीं है। विगत दिनों से कुछ प्राइवेट संस्थानों के खुलने की आहटें आ रही हैं, लेकिन बिहार के जो गरीब छात्र हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिप्लोमा, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए इन संस्थानों में कोई अवसर नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में 10 इंजीनियरिंग कालेज, 10 मेडिकल कालेज, पांच प्रबंधन शिक्षण संस्थान और बड़ी संख्या में पोलिटैक्निक और आईटीआई खोलने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री और वस्त्र मंत्री का ध्यान अपने राज्य में हस्तकरघा श्रमिकों की गंभीर समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हस्तकरघा हमारे देश के प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में से एक है तथा केरल में ऐसा ही है। वहां हजारों प्रमुख सहकारी हस्तकरघा समितियां कार्य कर रही है, इन सहकारी समितियों पर लगभग 75 प्रतिशत हस्तकरघा श्रमिक निर्भर हैं। इन सहकारी समितियों में से आधी समितियों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। कार्यशील पूंजी के अभाव और आधुनिकीकरण हेतु धन की कमी के कारण वे विद्युतचालित करघाओं से प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ हैं। इसलिए सभी मजदूर संघों ने माननीय मंत्री महोदय से भेंट की। हस्तकरघा श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है और इनके कार्यदिवस भी बहुत कम हैं। वे वास्तव में ऋण में फंसे पड़े हैं। इसलिए सहकारी समितियों और मजदूर संघों ने सरकार से हस्तकरघा श्रमिकों के ऋण को

किसानों की तरह ही माफ करने हेतु विशेष पैकेज जारी करने का अनुरोध किया था।

मैं सरकार से इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री संतोष गंगवार से केवल एक ही मामला उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पैट्रोलियम कंपनियों में व्याप्त एक बहुत महत्वपूर्ण घोटाले की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* पैट्रोल पंपों में एडल्ट्रेशन रोकने के लिए सरकार द्वारा 1.10.2006 को एक नया मार्कर टैस्ट लगाया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं, उनका नाम हमें दीजिए। हम उनको नहीं बुलाएंगे। इसमें एडल्ट्रेशन रोकने की बात कही गई थी।

श्री संतोष गंगवार: इसमें यूके बेस्ड लिमिटेड कंपनी के हिन्दुस्तान के एजेन्ट मैसर्स एसजीएस लिमिटेड को यह काम दिया गया था और सिंगल बिड पर एक साल के लिए सौ करोड़ रुपया इस कंपनी को दिया गया था। दुख की बात यह है कि इसका कार्यकाल 1.10.2007 से 31.3.2008 तक बिना किसी और जांच के छ: महीने के लिए सिंगल बिड के आधार पर बढ़ा दिया गया और फिर 30.9.2008 तक छ: महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब तीन महीने के लिए बिना किसी जांच-पड़ताल के 31.12.2008 तक बढ़ाया गया है। सरकार अब तक 200 करोड़ से अधिक रुपया इस पर खर्च कर चुकी है और इसका जो रिजल्ट है, वह 0.07 परसैंट है। इस संदर्भ में जब कहा गया कि यह ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे सही जानकारी आए तो सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरी जानकारी में आया है कि एक पैट्रोलियम कंपनी के एक अधिकारी ने जब इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया तो पैट्रोलियम मंत्रालय ने उस अधिकारी को जिसका नाम अशोक सिंह है, सस्पैन्ड कर दिया। उसके बाद एक एक्टिविस्ट ने मुम्बई हाई कोर्ट में एक अपील की। अपील के तहत इस बात को सही माना गया। अपील में पैट्रोलियम सचिव को यह निर्देश दिया गया कि इसकी जांच करें और शीघ्र जांच करके अगर वास्तव में जरूरी है तो सीबीआई से इसकी जांच की जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह एक गंभीर घोटाला है जहां पैट्रोलियम कंपनियों द्वारा पैसे का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा हो तो वास्तव में जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सही तथ्य सामने आएंगे कि वास्तव में घटना क्या है।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा (कनकपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से रामनगर शहर, जो मेरे विधान सभा क्षेत्रों में से एक है, से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों का ठहराव देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं। रामनगर हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री, जो विकास सौध के संस्थापकों में से एक हैं, का गृह नगर है। यह हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री केंगल हनुमंतैया का भी गृह नगर है।

रामनगर हाल ही में कर्नाटक का एक नया जिला बना है। यह राजधानी बेंगलुरू और राजाओं की नगरी मैसूर के बीच स्थित है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में कामगार, छात्र, व्यापारी वर्ग के लोग, पर्यटक यात्रा करते हैं।

मेरे लगातार अनुरोध करने के बावजूद रेल मंत्रालय ने रामनगर में किसी भी एक गाड़ी का ठहराव देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। लोगों को वास्तविक समस्या हो रही है। अत: मैं रेल मंत्रालय से इस संबंध में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं।

इसके साथ ही, रेलवे द्वारा वहां रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है। मैं रेल मंत्रालय से चन्नपट्टा निर्वाचन क्षेत्र के निकट रामनगर और केंगरी, जो यशवंतनगर निर्वाचन क्षेत्र का भाग है में रेलवे के अंडरब्रिज का निर्माण करने तथा मगडी निर्वाचन क्षेत्र में बिदाही के निकट एक ओवर ब्रिज का निर्माण करने का भी अनुरोध करती हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, अंत में माननीय रेल मंत्री जी से बेंगलुरू से रामनगर के रास्ते मंगलौर तक दिन में चलने वाली एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का अनुरोध करती हूं जिससे मंगलौर और उडुपी जिलों जहां कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, का संपर्क हो सकेगा। यहां कई शिक्षण संस्थान भी हैं। पूरे देश और विदेशों से भी छात्र यहां आकर अपना नामांकन मणिपाल विश्वविद्यालय में कराते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि अपने निर्वाचन क्षेत्र हेतु अध्यक्ष के अनुरोध को अस्वीकृत किया जा चुका है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि डा. बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा हमारे देश के दलितों की सामाजिक स्थिति का उत्थान करने और उनके द्वारा जाति के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध चलाए गए निरंतर अभियान के माध्यम से उनमें ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योगदान के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रतिमा उस छतरी में, जिसमें पहले किंग जार्ज पंचम की प्रतिमा थी, लगाई जाए। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व किया उसी प्रकार डा. बाबा साहेब अम्बेडकर भी एक महान सामाजिक नेता थे।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को उसी छतरी के नीचे लगाया जाए जहां पूर्व में किंग जार्ज पंचम की प्रतिमा थी।

अध्यक्ष महोदय: किंग जार्ज-पंचम।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. अरुण कुमार शर्मा।

डा. अरुण कुमार शर्मा: बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मुझे खेद है कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सका।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय मैं असम में बर्ड फ्लू फैलने संबंधी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने आपका नाम सबसे पहले पुकारा था। लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

डा. अरुण कुमार शर्मा: धन्यवाद महोदय।

महोदय, बर्ड फ्लू असम में महामारी का रूप ले चुकी है और यह राज्य के लगभग सभी जिलों विशेषकर कामरूप, बारपेटा, नलबारी, चिरंग, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, गोलपुरा, सिबसागर और कई अन्य जिलों में फैल चुकी है।

3.5 लाख से अधिक मुर्गियों को मारना पड़ा है। वहां त्वरित कार्यवाही दल कार्य कर रहे हैं लेकिन इनकी संख्या अभी भी सीमित है। अत: मैं महसूस करता हूं कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक संचारी रोग है। इसके मनुष्यों में भी फैलने की अत्यधिक संभावना है।

अत: मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से भी स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु वहां विशेष विशेषज्ञ दल भेजने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह उत्प्रवासी पक्षियों से फैल रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षियों का आवागमन होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं सरकार से पुन: इस विशेष समस्या के निपटान हेतु विशेष और तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि असम राज्य को इस संकट से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह, यदि आप व्यवधान नहीं डालते तो मैंने आपका नाम पहले ही पुकार लिया होता।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): आपने मेहरबानी की, धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप मुझे यह नहीं बतायें कि मुझे आपका नाम कब पुकारना है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चुप रह कर आदेश का पालन करिए, चिल्ला कर नहीं।

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं रेलवे प्रशासन की विफलता की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। 14 दिसम्बर को इलाहाबाद में रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक परीक्षा आयोजित की थी, उसके पहले उसका पेपर आउट हो गया। तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये में पेपर बेचे गये। वहां की लोकल पुलिस ने उसे पकड़ा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि रेलवे प्रशासन जब-जब भी इस तरह की भर्ती का आयोजन करता है तो उसके पहले पेपर आउट होते हैं। यह घटना पहली बार नहीं हुई है। देश में कई बार ऐसा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि लगातार इस तरह की गलतियां क्यों हो रही हैं? इसमें कहीं कोई बड़ी एक साजिश है, ऐसा लगता है कि कोई गिरोह है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड में लगातार लम्बे समय से इस तरह का काम कर रहा है। मैं कहना

चाहता हूं कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लाखों बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ मजाक हो रहा है। ऐसी व्यवस्था बने कि रेलवे भर्ती बोर्ड पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित करके लोगों के साथ न्याय करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनके द्वारा सभा में अपनाए गए रवैये पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मैं श्री राम कृपाल यादव को बुलाता हूं, जिनमें गंभीरता का अभाव इस बात से ही दिखाई देता है कि वह कहीं और बैठे हैं।

आप, कृपया अब बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अंग्रेजी की अच्छी बात तो सुन ली। क्या सॉरी बोलने से ही सब कुछ हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मुझे क्षमा करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए। टाइम नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एन.टी.पी.सी. के पूर्वी क्षेत्र के पटना-बिहार स्थित मुख्यालय को दो भागों में बांट कर अन्यत्र स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा है। विदित हो कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, एन.टी.पी.सी. का मुख्यालय बनाने की मांग इसलिए की गई थी कि इस राज्य की प्रगति हो और इस स्थान से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल स्थित एन.टी.पी.सी. के विभिन्न पॉवर स्टेशनों का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। किसी भी प्रदेश में एन.टी.पी.सी. जैसे संस्थानों का मुख्यालय होना, उस राज्य के लिए गौरव की बात होती है। यू.पी.ए. सरकार ने बिहार जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर लाने के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की हैं-जैसे आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, सी.बी.एस.ई. का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को पटना में खोलने का काम किया गया है।

महोदय, हमारे नेता, माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार को औद्योगिक रूप से उन्नत करने एवं उसकी औद्योगिक दृष्टि से प्रगति हेतु कई रेल उद्योगों को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में एन.टी.पी.सी. के पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय को पटना से हटाने का निर्णय सीधे-सीधे बिहार के विकास को अवरुद्ध करने वाला है और राज्य के मान-सम्मान को चोट पहुंचाने वाला है। इसे बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक बिहार जैसा पिछड़ा राज्य विकसित नहीं होगा, तब तक देश के विकास की बात करना बेमानी होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पटना से एन.टी.पी.सी. के पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय को वहां से स्थानांतरित करने की जो साजिश की जा रही है, उसे अविलम्ब रोका जाए और बिहार के साथ न्याय किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शेष विषयों को दिन के अंत में लिया जाएगा।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 28 पर विचार करेंगे। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, यह तमिलनाडु से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तमिलनाडु भारी बारिश से प्रभावित है। ...*(व्यवधान)* मैं इस विषय को सभा में उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): हमारा भी इंपोर्टेंट मैटर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे। श्री चित्तन अपना विषय रखेंगे।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए निधि जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, तमिलनाडु हाल ही में आए 'निशा' नामक चक्रवात से प्रभावित हुआ था जिसके बाद अभूतपूर्व भारी और रुक-रुक कर वर्षा हुई। तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम और कुडालोर जैसे जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरूचि, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, करूर, अरियलुर, कांचि और तिरूवल्लुर जिले की पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए थे।

लगभग 1600 गांव बाढ़ में डूब गए। लगभग पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लहलहाती धान की फसल और तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी अन्य फसलें नष्ट हो गईं। साथ ही, लगभग 200 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी और लगभग 25 लाख लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाला गया इसके अलावा लगभग पांच लाख झोपड़ियां डूब गईं।

तत्काल राहत उपाय करने के लिए और सड़कों, पुलियों और पुलों की मरम्मत करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से लगभग 3,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु को पर्याप्त निधियां शीघ्रातिशीघ्र जारी करने के लिए आग्रह करता हूं।

बाढ़ की विभीषिका के बाद राहत उपाय करने के बजाए, नदी के मुहाने से गाद हटाने, बांधों को सुदृढ़ करने और बारिश के पानी से भरने वाले तालाबों को गहरा करने के लिए नियमित अंतराल पर स्थायी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बाढ़ के पूरे पानी को बारिश से भरने वाले तालाबों की ओर मोड़ा जा सके। चूंकि चक्रवात और बाढ़ बार-बार होने वाली घटनाएं हैं, मैं एक बार पुन: केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोगों और पसलों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए ठोस, स्थायी और सकारात्मक कदम उठाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा—उपस्थित नहीं। श्री आत्मा सिंह गिल—उपस्थित नहीं।

(दो) मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर बाईपास रोड के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के शाजापुर जिला मुख्यालय जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर स्थित है, के लिए बाईपास रोड बनाने की स्वीकृति हेतु कार्यवाही पिछले बारह वर्षों से विभाग के पास लम्बित है। इस हेतु जमीन अधिगृहित की जा चुकी है। जमीन का कब्जा भी विभाग को बहुत पहले दे दिया गया है। विभाग बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। बाईपास के अभाव में भारी संख्या में जनहानि और धनहानि हो रही है। इस बाईपास की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र करने की आवश्यकता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि शाजापुर के लिए शीघ्रातिशीघ्र बाईपास निर्माण हेतु स्वीकृति देने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री काशीराम राणा—उपस्थित नहीं।

(तीन) जयपुर विमानपत्तन का विस्तार किये जाने और उसका नाम सवाई मानसिंह के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर के हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शीघ्र कर इसका नामकरण महाराजा सवाई मानसिंह जी के नाम पर अन्य विमानपत्तनों की भांति किया जाए। जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों के विमानपत्तनों के नाम भी वहां के महापुरुषों या महाराजाओं के नाम से हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर हवाई अड्डे का नाम अंतर्राष्ट्रीयकरण करके महाराज सवाई मानसिंह जी के नाम पर रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिशुपाल एन. पटले—उपस्थित नहीं।

(चार) गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निधि जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): महोदय, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए जारी की जाने वाली बकाया राशि 194 करोड़ रुपये है और वर्ष 2007-08 के लिए यह राशि 450 करोड़ रुपये है जो कुल मिलाकर 644 करोड़ रुपये है।

मैं सरकार से निधियों को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का अनुरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती मिनाती सेन—उपस्थित नहीं।

(पांच) उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों को विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, वर्ष दर वर्ष देश में आलू की पैदावार किसानों के अथक प्रयासों से बढ़ रही है। आलू विशेषकर गरीब आदमी के भोजन का एक महत्वपूर्ण आहार है। भारत में आलू की बुवाई 14 लाख हैक्टेयर से कुछ ज्यादा भूभाग पर होती है जिसमें उत्तर प्रदेश में 2,86,219 हैक्टेयर भूमि में आलू पैदा किया जाता है और यह प्रदेश के किसानों की आय का एक प्रमुख माध्यम है। आगरा मंडल के खदौली क्षेत्र का आलू एक विशेष पहचान रखता है, अपनी इसी पहचान के कारण यहां के आलू को प्रदेश सरकार ने "ताज पोटैटो" का नाम दिया है तथा यह आलू प्राय: प्रतिवर्ष 2,000 टन निर्यात किया जाता है।

भरपूर पैदावार के बावजूद फसल की लागत भी आज किसानों को इस मंदी के दौर में निकालना मुश्किल हो गया है, जिससे किसानों को सरकार से विशेष पैकेज की उम्मीद है, परन्तु सरकार द्वारा किसानों की समस्या को दूर करने हेतु कोई विशेष पैकेज न दिये जाने के कारण आलू किसानों की दुर्दशा लगातार बढ़ रही है और वे आर्थिक दबाव में हैं।

सरकार से मेरा आग्रह है कि आलू उत्पादक किसानों को अविलम्ब विशेष पैकेज प्रदान करें, जिससे कम से कम किसानों को लागत मूल्य मिल सके।

(छह) बिहार के समस्तीपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना यू.पी.ए. सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, परन्तु 2013 तक हर घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य वाली इस योजना की शुरुआत भी अभी बिहार के 8 जिलों में नहीं हो सकी है, जिसकी एजेन्सी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने ले रखी है। समस्तीपुर एक पिछड़े जिले की श्रेणी में है। जिले के कई गांवों में बिजली का पोल तक नहीं पहुंच सका है। सैंकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं।

ऐसी अवस्था में सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि शीघ्रातिशीघ्र उक्त योजना की शुरुआत समस्तीपुर जिले में कराकर विद्युत समस्याओं से जनता को निजात दिलावें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आलोक, आपको भविष्य में काफी सतर्क रहना चाहिए और यह नोट करना चाहिए कि आप केवल वही पढ़ सकते हैं जिसके बारे में आपने सूचना दी है और जिसे सूचना कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। आप इस प्रकार भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सात) तमिलनाडु के तिरूवरूर और नागापट्टिनम जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): तमिलनाडु को हाल ही में एक ही वर्ष में लगातार दूसरी बार भारी वर्षा की तबाही झेलनी पड़ी। सुनामी से बर्बाद हो चुके तटवर्ती जिलों को एक बार पुनः भारी क्षति उठानी पड़ी है। तिरूवरूर और नागापट्टिनम को सबसे अधिक क्षति हुई है। तिरूवरूर और नागापट्टिनम के कावेरी मुहाने क्षेत्र में वर्षा से बाढ़ आ गयी और केवल इन क्षेत्रों के क्रमशः 4.5 लाख और 3.7 लाख लोग बेघर हो गए। इन दोनों जिलों में 3.7 हेक्टेयर से भी अधिक कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई। इन क्षेत्रों में खड़ी फसल डूबकर बर्बाद हो गई। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में 216 लोग मारे गये जिसमें 40 लोग तिरूवरूर और 18 लोग नागापट्टिनम के थे। पशु भी काफी संख्या में मारे गये जिनकी संख्या 5470 है इनमें से अधिकांश इन्हीं दो कृषि प्रधान जिलों से थे। तमिलनाडु सरकार ने शीघ्र वहां राहत सामग्री भेजी जहां पहले चरण का काम अभी भी चल रहा है क्योंकि केन्द्रीय निधि अभी तक पूर्णरूपेण जारी नहीं की गई है। तमिलनाडु में बाढ़ से होने वाली तबाही से 6,48,210 घर पूरी तरह बर्बाद हो गये। इसके अतिरिक्त 6,30,190 घरों को आंशिक रूप से क्षति हुई है। तमिलनाडु सरकार ने 3789 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत की मांग की है और यह वित्तीय सहायता पूर्णरूपेण दी जाए।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र और केन्द्रीय खाद्य पर कृषि मंत्रालय के माध्यम से इन बेसहारा लोगों के बचाव के लिए आगे आए। केन्द्र को युद्धस्तर पर मदद करनी चाहिए। केन्द्र सरकार को संबंधित नियमों में ढील देते हुए ग्रामीण विकास और ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत घर बनाने के लिए राज्य सरकार को तत्काल मदद करनी चाहिए ताकि गरीब लोगों के साथ-साथ प्रभावित होने वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी मदद की जा सके। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तिरूवरूर और नागापट्टिनम में जहां क्षति काफी हुई है, में कम से कम 50,000 घर तत्काल बनाने के लिए निधि आवंटित की जाए।

(आठ) उड़ीसा जल सेक्टर सुधार परियोजना में तेजी लाए जाने और महानदी बेसिन विकास योजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा जल क्षेत्र परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महानदी बेसिन विकास योजना (एमबीडीपी) के तीन प्रमुख घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमति हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित है। इसके लिए वित्तपोषण का प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है। नराज के नीचे महानदी डेल्टा के अंतर्गत मौजूदा तटबंधों को ऊंचा उठाने और सुदृढ़ करने, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में जल निकासी की सुविधा का विकास तथा मंडाली, बैदेश्वर, पद्मावती, बानापुर और ऊपरी इन्द्रावती के मेगा लिफ्ट घटक जिस पर लगभग 850 करोड़ रुपये की लागत आएगी, से संबंधित तीनों घटकों की अनुमति दिये जाने के बाद ही परियोजना की केन्द्रीय टी.ए.सी. द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

चूंकि महानदी के तटवर्ती क्षेत्र में कुछ समय अंतराल के बाद बार-बार भीषण बाढ़ आती रहती है और वर्षा की अनिश्चितता की वजह से सूखा वहां के लिए आम बात हो गई है, जल निकासी की सुविधा का विकास करने के साथ-साथ तटबंधों को मजबूत बनाया जाना आवश्यक हो गया है। किसानों को एक भरोसेमंद सिंचाई सुविधा का आश्वासन देने के लिए मेगा लिफ्ट संघटक बहुत ही आवश्यक हो गया है।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह प्रस्तावित उड़ीसा जल क्षेत्र सुधार परियोजना से संबंधित कार्य शीघ्र शुरू करवाए और केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित एमबीडीपी को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, क्या मैं नियम 377 के अंतर्गत श्री महताब द्वारा उठाये मुद्दे पर अपनी सहमति व्यक्त कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आप ऐसे सहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं सहमत हो सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब मैं श्री प्रबोध पांडा को अवसर दे रहा हूं।

(नौ) पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए खड़गपुर सोनाकानिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-60 में आवश्यक पुनर्निर्माण और सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के अंतर्गत खड़गपुर से सोनाकानिया तक का राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 60, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का एक भाग है। प्रत्येक वर्ष मानसून ऋतु में बाढ़ के कारण प्रभावित हो जाता है। गत वर्षा ऋतु में जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण काफी पानी जमा हो गया और उस क्षेत्र में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे हजारों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। हजारों घर टूट गये जिसके फलस्वरूप काफी लोग और मवेशी क्षतिग्रस्त हुए। हो सकता है कि मंत्रालय को इस बात की जानकारी हो कि नारायणगढ़ ब्लॉक की केलेघई नदी में बाढ़ के पानी के अधिक बहाव के कारण राजमार्ग का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। यहां आशंका का वास्तविक आधार यह है कि यदि उसमें जरूरी बदलाव और उपयुक्त पुनर्निर्माण नहीं कराया जाता है, तो आने वाले वर्षों में इससे भी भीषण बर्बादी हो सकती है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के परामर्श से तत्काल कदम उठाये जाएं। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उसमें शीघ्रातिशीघ्र हस्तक्षेप करे ताकि जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ-साथ बदलाव संबंधी जरूरी निर्माण कार्य अगले मानसून के आने से पहले पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एम. शिवन्ना—उपस्थित नहीं।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा, मैंने पहले भी आपको बुलाया था। कृपया मेरी कठिनाई समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका नाम पुकारा जाता है, तो आपको उपस्थित रहना होगा।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा (कनकपुरा): मैं मध्याह्न भोजन के लिए कैंटीन चली गई थी जहां कोई सीट खाली नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुझे इसका पता चला मैं तुरंत सभा की ओर चल पड़ी।

(दस) कर्नाटक राज्य के समग्र विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: मैं अनुच्छेद 371-घ (जिससे आंध्र प्रदेश राज्य प्रशासित है) की तर्ज पर कर्नाटक राज्य जिसमें गुलबर्गा, रायचुर, बिदर और कोप्पल जैसे पिछड़े जिले शामिल हैं, में क्षेत्रीय आरक्षण का उपबंध करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में उपयुक्त संशोधन पुर:स्थापित करने के लिए भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहती हूं।

वर्ष 2000 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्वर्गीय डा. डी.एम. नंजुन्दप्पा की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने क्षेत्रीय असंतुलन के कारण और उन्हें दूर करने के उपायों को नोट किया था। इसने हैदराबाद-कर्नाटक के अति पिछड़े तालुकों की सूची तैयार की थी। इस सूची में कर्नाटक के 175 तालुक शामिल थे। इस अध्ययन में एक व्यापक समेकित विकास सूचकांक (सीसीडीआई) तैयार करने के लिए कृषि, उद्योग, आर्थिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना, वित्तीय और प्रौद्योगिकीय अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त 35 सूचकों को स्वीकार किया गया था।

जैसाकि हम जानते हैं, तत्कालीन हैदराबाद राज्य में तीन भाषा-आधारित क्षेत्र थे: नामत: तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटक। निजाम के शासन के अंतर्गत पर्याप्त शैक्षिक संस्थानों और अवसरों की कमी के कारण हैदराबाद कर्नाटक के लोग लोक सेवाओं और अन्य नौकरियों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कारण 1 नवम्बर, 1956 को हैदराबाद राज्य को तीन भागों में विभक्त करके आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य बना दिया गया। इस स्थिति में मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह अनुच्छेद 371 के अंतर्गत हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र नामत: गुलबर्गा रायचुर, बिदर और कोप्पल के लोगों को विशेष दर्जा प्रदान करे।

अपराह्न 2.20 बजे

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा मद सं. 29-असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 पर चर्चा करेगी। इस विधेयक पर चर्चा करने और पारित करने के लिए चार घंटे का समय नियत किया गया था। कल सभा स्थगित किये जाने के समय श्री सांताश्री चटर्जी बोल रहे थे। उन्होंने मात्र दो मिनट का समय लिया था। अब मैं श्री सांताश्री चटर्जी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल इस विधेयक पर चर्चा आरंभ करने के समय मैंने बताया था कि मैं इस विधेयक का इसके वर्तमान स्वरूप में समर्थन न कर पाने पर खेद व्यक्त करता हूं तथा मैंने इसके लिये कतिपय संशोधन भी दिये हैं। मुझे पूरी आशा है कि माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देते समय मेरे द्वारा दिये गये संशोधनों पर सहानुभूतिपूर्वक

[श्री सांताश्री चटर्जी]

विचार करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे ताकि जिस उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है, वह विफल न हो।

महोदय, हमें पता है कि असंगठित क्षेत्र में 375 मिलियन कामगार हैं और इसीलिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान की जरूरत है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत योगदान है। 70 प्रतिशत श्रम बल असंगठित कामगार और उनके परिवारों के सदस्य इसके बावजूद, यह बहुत खेद की बात है कि उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ाने के लिए उन्हें किसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। यह दयालुता की बात नहीं हैं बल्कि यह असंगठित कामगारों का अधिकार है और हमें खुशी है कि यह विधेयक आया है।

मैं पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में लिखा था, "ओरा काज करे ऊंगा, बंगा, कलिंगे प्रांतोरे ओरा काज करे" जिसका मोटे तौर पर यह अनुवाद है कि "वे काम करते हैं। वे देश में सर्वत्र काम करते हैं।" महोदय, ये लोग उन समस्त सामाजिक सुरक्षा के पात्र हैं, जिससे ये लोग लंबे समय से वंचित रहे हैं।

इस विधेयक को 14वीं लोक सभा के अन्त में उस समय सभा में लाया गया है जब सभा का कार्यकाल कुछ ही महीनों में पूरा होने वाला है। सरकार इसे स्वयं ही लेकर नहीं आई है बल्कि ऐसा कामगार वर्ग खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों, वामपंथी दलों और कुछ गैर-सरकारी संगठनों के लंबे संघर्ष के फलस्वरूप किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर दो सामान्य हड़तालें हुईं, इनमें से एक हड़ताल तो असंगठित कामगारों द्वारा ही 8 अगस्त, 2007 को और दूसरी हड़ताल कई केन्द्रीय व्यापार संघों द्वारा 20 अगस्त, 2008 को की गई थी।

इस विधेयक की विषय-वस्तु का जिक्र करने से पूर्व मैं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रासंगिक भाग को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि:

> "संप्रग सरकार सभी कामगारों, खासकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों जो कि हमारे कार्यबल का 93 प्रतिशत है, का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। बुनकरों, हथकरघा कामगारों, मछुआरों, रोडी टैपरों, चमड़ा उद्योग में लगे कामगारों, पौधारोपण श्रमिकों, बीड़ी उद्योग के कामगारों आदि जैसे कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जायेगा।"

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह विधेयक कुछ संशोधनों के पश्चात् भी मेरे द्वारा पूर्व में उद्धृत घोषणा के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि डा. अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता में गठित असंगठित क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग की अधिकांश सिफारिशों की भी अनदेखी की गई है।

आपके तत्काल संदर्भ हेतु, मैं इस आयोग की रिपोर्ट के एक भाग को उद्धृत करता हूं:

> "यद्यपि, भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में कामगार निर्धन लोगों के लिए सामाजकि सुरक्षा व्यवस्थाओं का वृहत-आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा इससे राष्ट्रीय आय में स्वस्थ और संतुष्ट कार्यबल द्वारा अपना योगदान बढ़ाने की क्षमता का विकास करने में मदद मिलती है, जिससे बदले में अर्थव्यवस्था के विकास की क्षमता में वृद्धि होती है।"

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि—"आयोग का यह विश्वास है कि ऐसी स्थिति में, जहां अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिकांश कामगारों में निर्धनता और अभाव के साथ-साथ देश की जनसंख्या के एक वर्ग के आर्थिक विकास और खुशहाली की दर उच्च हो, व्याप्त असंतुलनों को समाप्त करने में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का काफी प्रभाव पड़ेगा।"

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे आयोग की रिपोर्ट पर विचार न किये जाने संबंधी मुद्दे पर होने वाली चर्चा का उत्तर देते समय सभा को यह बतायें कि उन्होंने स्थायी समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज क्यों किया है। मैं प्रासंगिक भागों से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। रिपोर्ट का पृष्ठ 5, पैरा 8-

> "समिति, ट्रेड यूनियनों/गैर-सरकारी संगठनों/नियोक्ताओं, समूहों/संघों आदि के कई प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर विचार करने तथा प्राप्त ज्ञापनों का अध्ययन करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट है कि 'असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007' के मौजूदा स्वरूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों कामगारों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधान को इसके लिए अपेक्षित समुचित और पर्याप्त प्रयास के लिए लाना सरकार की अदूरदर्शिता दर्शाता है। अतः, समिति का प्रस्ताव है कि विधेयक के नाम में, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा में, सभी असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम लाभों के लिए एक सांविधिक अधिकार उपबन्ध के बारे में विधेयक के विभिन्न खंडों में आवश्यक संसोधन किये जायें।"

मैं स्थायी समिति का सदस्य हूं। स्थायी समिति के सभापति श्री सुधाकर रेड्डी भी बोलेंगे। मेरे विचार से हमने विधेयक का विस्तार से अध्ययन कर लिया है; सभी हितधारकों से बात कर ली है और इस रिपोर्ट को इस आशा के साथ स्वीकार किया कि सरकार इस पर विचार करेगी। किंतु, मुझे पुनः खेद है कि मौजूदा विधेयक उस वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जिसके लिए इसे लाया गया है। इस विधेयक को देश के कामगार वर्ग तथा समाज के सभी वर्गों के द्वारा किये गये लगातार संघर्ष के फलस्वरूप लाया गया है।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने 93 वर्ष की आयु में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र, जिसे मैंने भी पढ़ा था, में कहा था, "मैं कोचिन से नहीं आ सकता किंतु मैं आपसे अपील करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि ये लोग अपना उचित हिस्सा और न्याय हासिल करने से वंचित न हों।" मुझे यह कहते हुए पुनः खेद है कि इस विधेयक की विषय-वस्तु से न केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु व्यापक और संरक्षणकारी विधान के लिये सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता विफल होती है बल्कि इससे श्रम मंत्री का अर्थपूर्ण सामाजिक-सुरक्षा संबंधी विधान का वक्तव्य भी अर्थहीन हो जाता है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के विचारों पर भी गौर नहीं किया गया है; बल्कि उनके उपयोगी सुझावों की भी अनदेखी की गई है।

इस संदर्भ में, इस विधेयक पर सभा में चर्चा की जा रही है। स्थायी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? स्थायी समिति की इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत 25वें प्रतिवेदन में भी यही मुख्य सिफारिश की गई थी और हमारा भी सुझाव था कि विधेयक का नाम असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 हो सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। किंतु अन्य परिभाषायें स्वीकार नहीं की गईं। पहचान पत्रों के संबंध में, महारा सुझाव यह था कि वे स्व-पर्याप्त और सर्वसमावेशी हों।

यह बहुउद्देश्यीय होना चाहिए और इसमें कामगारों के सभी आश्रित परिजनों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

असंगठित कामगारों की परिभाषा के संबंध में जैसा कहा जाता है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाइयों में, ऐसा पाया गया है कि आउटसोर्सिंग का ही जमाना है। हमारा सुझाव था कि इस विधेयक में असंगठित कामगारों को शामिल किया जाये। ऐसा नहीं किया गया है।

योजनाओं को बनाने के मामले में, हमारे सुझाव स्वीकार नहीं किये गये। समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभ की संकल्पना को कार्यान्वित किया जाये जिसमें असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को शामिल किया जाये लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा निधि के गठन पर चर्चा की गई। मुख्य प्रश्न यह था कि निधियां कहां से आएंगी? इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और अंशधारकों का हिस्सा कितना-कितना होगा? हमारा सुझाव है संसाधनों को एकत्रित किया जाए। समिति ने आगे सिफारिश की कि सकल घरेलू उत्पाद का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाए, के 3 और राज्य सरकारों से करों, अनुदानों और ऋणों के विभिन्न रूपों पर उपकर प्रभारित किया जाए; ईएसआईसी और ईपीएफओ की तर्ज पर नियोक्ताओं और लाभार्थियों से मासिक रूप से अंशदान एकत्रित किया जाए, राष्ट्रीय वित्तीय और विकासकर्ता संस्थानों से या ऐसी किन्हीं भी कम्पनियों से, जिन्हें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः असंगठित कामगारों से लाभ मिल रहा है, लाभ के कुछ प्रतिशत की प्रति राजसहायता का प्रावधान करना। यह भी स्वीकार नहीं किया गया।

राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन पर भी चर्चा की गई। इसे स्वीकार नहीं किया गया। सलाहकार बोर्ड—सलाहकार प्रकृति के बोर्ड—जिनका कोई सांविधिक प्राधिकरण न हो, जिनके पास योजनाओं, परियोजनाओं आदि की निगरानी करने के लिए कोई अधिकार नहीं हो, वे किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे-ऐसा उन्होंने कहा। सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम समिति में साक्ष्य ले रहे थे, मुझे याद है कि सीआईटीयू के अध्यक्ष डा. एम.के. पांडे ने टिप्पणी की कि सलाहकार बोर्ड बनाने के लिए किसी विधेयक की आवश्यकता नहीं है और सरकार एक सरकारी आदेश के माध्यम से सलाहकार बोर्ड बना सकती है। हमने बोर्ड के गठन के लिए यह सुझाव दिया था और सिफारिश यह थी कि समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरों पर गठित किया जाने वाला बोर्ड मात्र सलाहकारी प्रकृति का नहीं होना चाहिए। उनके पास योजनाओं की निगरानी करने के अतिरिक्त उनके कार्यान्वयन की शक्ति भी होनी चाहिए। अतएव समिति ने सिफारिश की कि केन्द्रीय श्रम मंत्री बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। बोर्ड की शेष संरचना के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि यथासंभव इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जनता के प्रतिनिधि शामिल हों तथा असंगठित कामगारों के हित के लिए कार्य करने वाले सभी प्रकार के विचार देने वाले लोग शामिल हों।

[श्री सांताश्री चटर्जी]

पंजीकरण के लिए धन संबधी सीमा के बारे में भ्रम तथा असहमति है और एपीएल, बीपीएल कार्डों के बारे में कोई वैज्ञानिक नजरिया नहीं अपनाया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमने सुझाव दिया था कि अधिकतम सीमा 7000 रुपये तक हो। समिति ने सिफारिश की थी कि असंगठित कामगार के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए 7000 रुपये प्रति माह की आय, विधेयक में यथाविहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदण्डों में मानी जाएंगी।

विधेयक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमने सुझाए थे। अधिक समय न लेते हुए मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा क्योंकि अन्य सदस्य भी इस विषय पर बोलेंगे। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि महत्वपूर्ण घटकों जैसे असंगठित मजदूरों के लिए बेहतर लाभ प्राप्त करने का विकल्प, शिकायत निवारण तंत्र, योजनाओं के उल्लंघन के लिए दण्डात्मक प्रावधान, बोर्ड का सचिवालय, कामगारों के सुविधा हेतु और सेवा शर्तों के लिए अलग विधान तथा रोजगार को विनियमित करना आदि को विधेयक का भाग बनाया जाए।

समिति ने आगे सरकार का कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों के लिए अलग विधान लाने का आग्रह किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि कामगार और कृषि मजदूर आज तक सबसे अधिक उपेक्षित, वंचित, निराश और दलित हैं।

हमने सुझाव दिया है कि वर्तमान संशोधित विधेयक के साथ कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों के लिए एक अलग विधान बनाया जाए और असंगठित कामगारों के रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित किया जाए। दुर्भाग्यवश यदि आप इस विधेयक को पढ़ें तो आप पाएंगे कि इस तरह की किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। हमने बहुत श्रम किया, देश के अनेक भागों का दौरा किया, और जनता के विभिन्न वर्गों से बातचीत की तथा काफी विचार किया परन्तु जिस तरह से यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है उससे हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई हैं।

विधेयक पर चर्चा करते समय हमने एक उप समिति बनाई थी जिसमें कुछ विशेषज्ञ शामिल थे। इस उप समिति ने एक प्रारूप विधेयक तैयार किया है और इसे सरकार के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ भेजा गया है। इस पर विचार नहीं किया गया है। मैंने विधेयक के विभिन्न खंडों के संबंध में पहले ही कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। जब संशधनों पर विचार किया जाएगा तब मुझे आशा है कि आप मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे द्वारा सुझाए गए संशोधन भी विधेयक में लाए जाएं ताकि विधेयक का उद्देश्य व्यर्थ न हों। हमारे असंगठित कामगारों को वास्तव में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। वामदल काफी लम्बे समय से सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने कामगार लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पूर्व कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से इस चर्चा में भाग लेने के इच्छुक अनुरोध करना चाहूंगा। बीएसी ने चर्चा के लिए मात्र चार घंटे आवंटित किये हैं और मेरे पास 27 सदस्यों की सूची है जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतएव, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात को पांच से सात मिनट तक ही सीमित रखें ताकि हम कार्य को समय पर पूरा कर सकें। मुझे आशा है कि प्रत्येक माननीय सदस्य इसका अनुपालन करेंगे।

अब मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

टाइम पर रहने के लिए श्री मधुसूदन मिस्त्री जी शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कृषि श्रमिक, वन श्रमिक और गुजरात के वन क्षेत्रों में तेंदु के पत्ते तोड़ने वाले श्रमिकों और निर्माण कार्य में लगे अप्रवासी श्रमिकों और ऐसे अन्य श्रमिकों के संघ में कई वर्षों से कार्य करने का अनुभव रखने के आधार पर मैं श्रम मंत्री का ध्यान कतिपय मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक को लाने हेतु उन्हें बधाई देता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा अब कम से कम सामाजिक सुरक्षा पहलुओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। महोदय, तथापि मुझे कतिपय आशंकाएं हैं जिन्हें मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस देश में लगभग 7.6 मिलियन ऐसे श्रमिक हैं जो तेंदू पत्तों को तोड़ने अथवा संग्रहित करने के कार्य में लगे हैं और इसका उपयोग बीड़ी बनाने के कार्य में होता है। लाखों ऐसे वन श्रमिक हैं जो वन क्षेत्रों में वानिकी, बाड़ा लगाने और घास को काटने जैसे कार्यों में मौसमी आधार पर नियोजित हैं। ये कृषि श्रमिक हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्प्रवास करते रहते हैं। यह अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर का उत्प्रवास है। वे एक जिले से दूसरे जिले में जाने के कारण सामाजिक सुरक्षा की समस्या का सामना करते हैं। जनजातीय क्षेत्र को पंचायत अधिनियम की विशेष अनुसूची के अंतर्गत शामिल किये जाने के कारण पत्तों को तोड़ने का पूरा कार्य

और लघु वन उत्पाद को संग्रहित करने के कार्य को जिला विकास अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य में यह सफलतापूर्वक किया जा चुका है और इसके द्वारा तेंदु के पत्ते जैसे कतिपय लघु वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। लेकिन, कतिपय अन्य राज्यों में जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि इन श्रमिकों, विशेषकर महिला श्रमिकों का पंजीकरण करने हेतु, जितना प्रयास किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। उनकी मजदूरी का भी मामला है। वास्तव में भुगतान के पश्चात् उनके द्वारा लाभ का कतिपय प्रतिशत दिये जाने की भी अपेक्षा की जाती है। उनसे कार्य पर जाने वाले सभी व्यक्तियों और दुर्घटना संबंधी सभी मामलों के रिकार्ड का रखरखाव करने की भी अपेक्षा की जाती है क्योंकि सर्प दंश और वृक्ष से महिलाओं के गिरने के भी मामले होते हैं। कई अन्य बातें हैं। मुझे खेद है कि कम से कम गुजरात के अनुसूचित क्षेत्रों में एक एजेंसी के रूप में जिला प्रशासन इसमें विफल रहा है।

मेरी चिंता यह है कि शायद ही ऐसा कोई संघ है जिसका अन्यत्र उल्लेख किया गया है कि वह किसी एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इस स्थिति में मैं अपने सभी वामपंथी और दक्षिण-पंथी मित्रों से कुछ कहना चाहता हूं। जो कभी असंगठित श्रमिकों हेतु एक केन्द्रीय मजदूर संघ की बात करते थे। महोदय, मैं सभी केन्द्रीय मजदूर संघों को इन श्रमिकों को संगठित करने हेतु मानवशक्ति और धन उपलब्ध नहीं कराने संबंधी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने हेतु दोषी मानता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* महोदय मैंने अपने युवाकाल के महत्वपूर्ण वर्ष संघ से संबंधित कार्य में ही बिताए हैं। मैं व्याप्तता का पद छोड़कर ऐसे संघ में शामिल हुआ। जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में की गई थी। यह वस्त्र श्रमिकों से संबधित संघ था। अत: मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मजदूर संघों के लिए नया हूं। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय मजदूर संघ दोषी हैं ...*(व्यवधान)* आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं सभी मजदूर संघों और उन प्रमुख राजनीतिक दलों को पूर्व में और अभी तक समर्थन देने वाले लोगों को भी दोषी मानता हूं कि उन्होंने इन असंगठित श्रमिकों को संगठित करने की दिशा में अत्यंत कम कार्य किया है। अत: उन्हें यह निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए।

इसके बावजूद अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। पहली बात रिकार्ड रखने से संबंधित है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि रिकार्ड का रखरखाव जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस प्रकार का तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाला कोई भी श्रमिक अपने को पंजीकृत करा सकें।

यह रिकार्ड इसलिए रखा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित करने जा रहे हैं, उसके लिए इन सभी श्रमिकों का बना बनाया रिकार्ड उपलब्ध हो सके। यदि आवश्यकता हुई, जैसाकि आपने विधेयक में वृद्धावस्था पेंशन और भविष्य निधि, रोजगार में घायल होने संबंधी लाभ, आवास शिक्षण योजनाएं और अन्य कई बातों का उल्लेख किया है, तो उन पर बोर्ड द्वारा ही ध्यान दिया जायेगा। जब तक बोर्ड को श्रमिकों के बारे में जानकारी नहीं होगी और यह उन्हें पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित नहीं करेगा, यह सफल नहीं हो सकता है।

मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दूसरा उदाहरण उद्धृत कर रहा हूं। जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कार्य दिया जा रहा है। महोदय, शायद मैं इस देश का प्रथम व्यक्ति हूं जिसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी श्रमिकों हेतु संघ का पंजीकरण कराया है। इस संघ को इसलिए पंजीकृत कराया गया है क्योंकि यदि उनके धन का भुगतान नहीं हो रहा हो अथवा प्रशासन द्वारा उन्हें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हो तो वे श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं। चूंकि श्रमिकों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यह योजना असफल हो गई है; इसका आंशिक कारण यह है कि कभी-कभी राज्य सरकारों में कई दल शामिल होते हैं, कतिपय राज्य सरकारें इच्छुक होती हैं और कतिपय सरकारें एकदम ही इच्छुक नहीं होती हैं। मेरे राज्य की सरकार एनआरईजीए योजना को चलाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है और इसी कारण श्रमिकों को कार्य नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि यदि हम इसी प्रकार कार्य करते रहें जहां राज्य का जिला प्रशासन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करने के प्रति अनिच्छुक हो तो इससे पूरे श्रमिक वर्ग पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्य

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

सरकार और जिला प्रशासन के पास जिला श्रम अधिकारी, कृषि श्रम अधिकारी और औद्योगिक श्रम अधिकारी के रूप में हम पहले से ही उपलब्ध है। अत: इन अधिकारियों को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए कि वे जिला प्रशासन में श्रमिकों को पंजीकृत करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इसकी आवश्यकता है क्योंकि केन्द्र सरकार उन्हें जो लाभ पहुंचाना चाहती है वह इन्हें प्राप्त हो। यह भी उल्लेख किया गया है 94 प्रतिशत लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्यरत हैं। एनएसएस के अनुसार ये व्यक्ति अल्प शिक्षित हैं और कच्चे घरों में रह रहे हैं और अत्यंत ही खराब स्थिति में कार्य कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय को ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि नियोक्ता और नियोजित के बीच के संबंध में सुधार हो सके। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक हमेशा ही कठिनाई में रहते हैं। आज संसद में यह कानून पारित हो रहा है लेकिन सभी बातों की बुनियाद यह है कि किसी पंजीकृत निकाय के बगैर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। विधेयक में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों को सफल बनाने हेतु सबसे पहले इनका पंजीकरण होना चाहिए। अब समय आ चुका है कि श्रम मंत्रालय इस पर निगरानी रखे और राज्य सरकार को तदनुसार निदेश जारी करे। यदि यह केवल राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जायेगा तो मुझे संदेह है कि यह जिला स्तर तक सफल हो पायेगा। इन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश लोग उत्प्रवासी श्रमिक हैं जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। श्रम मंत्रालय ने केवल हाल ही में उत्प्रवासी श्रमिकों के संबंध में कतिपय ध्यान देना शुरू किया है और इन श्रमिकों को कुछ धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और इन्हें पंजीकरण कार्ड दिया जा रहा है। लेकिन यदि श्रम मंत्रालय इस पर ध्यान नहीं देगा और इसे राज्य सरकार पर छोड़ देगा तो मुझे इनकी स्थिति में सुधार होने के प्रति आशंका है जिसकी व्यवस्था इस विधेयक में की जा रही है। केन्द्र सरकार को रिकार्ड के रखरखाव और श्रमिकों के पंजीकरण हेतु सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड की बैठक कितने अंतराल पर होगी। यदि इसे भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है तो मुझे आशंका है कि बोर्ड की बैठक संभवत: वर्ष में एक बार होगी। यदि इसकी बैठक वर्ष में तीन अथवा चार बार होती है तो यह ठीक है। फिर यदि किसी श्रमिक की कोई शिकायत हो तो इसके लिए कोई ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके आधार पर वह अपने शिकायत के निवारण हेतु बोर्ड के सदस्यों से संपर्क कर सके।

महोदय, मैं श्रम मंत्री से जिला स्तर के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों जैसे कृषि अधिकारी अथवा श्रम अधिकारी को सक्रिय करने का भी अनुरोध करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो सके। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से उनके प्रति व्यापक राहत की बात होगी क्योंकि कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये मात्र है। उन्हें यह धनराशि भी मुख्य रूप से इसलिए प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि वे किसी संघ के सदस्य नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आपके राज्य में यह 50 रुपये मात्र है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह अभी 100 रुपये है। इसे तीन महीने पहले ही बढ़ाकर 100 रुपए किया गया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आपको बोलने के लिए पहले अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी चाहिए, अन्यथा आपकी टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। श्री मिस्त्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, श्रम मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि राज्य स्तर पर श्रम मशीनरी इस प्रकार चुस्त रहे कि श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी मिल सके और यदि कोई शिकायत हो तो उनकी शिकायत का उचित समाधान हो। दुर्भाग्यवश, इन वर्ष में, असंगठित क्षेत्र में कोई नया यूनियन नहीं बना है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस प्रयोजनार्थ केवल कुछ लोग ही आगे आते हैं। केवल कुछ ही युवा लोग हैं जो स्वेच्छा से श्रमिक संघों से जुड़कर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और असंगठित क्षेत्र में सम्पूर्ण श्रमिक बल के हमेशा अपेक्षित रहने का यह भी एक कारण है। उन्हें संगठित करने के प्रयास में बहुत परेशानी है, काफी शोषण है और उन्हें संगठित करने के प्रयास में शारीरकि जोखिम भी शामिल है।

ऐसा विशेषकर कुछ गैर-सरकारी संगठनों के मामले में है जो कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रों के साथ-साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यहीं पर श्रम मंत्रालय की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के साथ-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की दशा सुधारने में यह इस सरकार का एक प्रमुख कदम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उस स्तर पर सभी अधिकारियों को सक्रिय करने में श्रम मंत्री जी ठोस कदम उठाएंगे।

एक बार पुनः मैं इसका समर्थन करता हूं और श्रम मंत्री जी को इस अधिनियम को लाने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उपाध्यक्ष जी, मुझे एसोसिएट करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने उनसे संबंधित जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। ''देर आयद दुरुस्त आयद'' ऐसा ही कुछ कहना चाहिए क्योंकि सरकार ने अपने न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात को जगह दी है और जब सरकार ने न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है तो इस सरकार के जाते और नई सरकार के आते इसे पूरा करना ही है। ...*(व्यवधान)* मैंने यह नहीं कहा कि किसकी सरकार आयेगी और किस की नहीं आयेगी। आप क्यों घबरा रहे हैं जिसकी भी आयेगी, आयेगी ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयलः अगर आयेगी तो आप लेबर मिनिस्टर होंगे?

डा. सत्यनारायण जटियाः लेकिन आपका नेबर जरूर हूं, लेबर न सही। हम जानते हैं कि आजादी के बाद इन सारी बातों के लिए आज संगठित और असंगठित विषय बहस का मुद्दा है। जब काम करने वाले लोग नौकरी पा जाते हैं तो उन्हें वेतन और भत्ता मिलता है, आवास की सुविधा हो जाती है, उन पर भविष्य निधि लागू हो जाती है, ई.एस.आई. भी लागू हो जाती है। ये ऐसी सारी सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं, अच्छी बात है। परन्तु बाकी के लोगों का क्या? देश में टोटल वर्क फोर्स का 94 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है लेकिन 6 प्रतिशत लोगों के लिए तो यह हो गया, इन 94 प्रतिशत के लिए कुछ नहीं हुआ। इतने लोग देश के निर्माण कार्य में लगे हुये हैं। ये मजदूर और किसान हिन्दुस्तान को बना रहे हैं। भारत का मजदूर असहाय, शोषित, असुरक्षित वर्षों से चला रहा है। सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से एक बोर्ड बनाने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक और राज्य सरकार के अंतर्गत दूसरा होगा, जिसमें 31, 21 सदस्य होंगे। विधेयक में कहा गया है कि उसमें सब को प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे महिलायें हों। अगर इनकी संख्या स्पष्ट दी जाती तो अच्छा होता कि किनको क्या प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, या मर्जी पर छोड़ दिया जायेगा?

यदि आप देना ही चाह रहे हैं तो जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, और जिस अनुपात में आपने दिया है, उस अनुपात में आपने ट्राइपारटाइट बनाने की कोशिश की है, पर असंगठित क्षेत्र में ट्राइपारटाइट बनेगा कैसे? ज्यादा से ज्यादा लोग जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जहां दस लोगों से कम कामगार या मजदूर कर्मकार काम करते हैं और कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, जिनका नियोजक, रोजगार निश्चित नहीं है कि आज किसके अंतर्गत, कल किसके अंतर्गत, यह भी निश्चित नहीं है कि उसे क्या मजदूरी मिलने वाली है। ऐसे हालात में आपने नियोक्ता के भी प्रतिनिधि बराबर-बराबर, असंगठित क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते लेने का काम किया है और जो समाज सेवी लोग हैं, उनमें से आपने प्रतिनिधि लेने का काम किया है, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, अधिकारी होंगे और इस प्रकार कुल संख्या 31 हो जाएगी। अब 31 संख्या का यह बोर्ड काम करेगा। यह तय नहीं है कि इसे कितने समय में रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट को देने का समय तय नहीं है और अब सरकार के ज्यादा से ज्यादा चार महीने बाकी हैं। यह बताइए कि आपका पक्का इरादा क्यों नहीं है? यह शुरुआत में ही हो सकता था, हो सकता था या नहीं। मैंने 2001 में कृषि श्रमिकों के लिए, कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 बनाने का काम किया था। उस वक्त उसमें कन्ट्रीब्यूशन के लिए एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम की व्यवस्था थी, एक रुपया मजदूर देता और एक रुपया सरकार उसमें मिलाती, ऐसा करके उसको अंत में, उसके बुढ़ापे के समय सहारे के रूप में पेंशन मिल जाए, इस प्रकार की योजना की शुरुआत हमने की थी। वह योजना अब दिखाई नहीं दे रही है। जो हमने शुरुआत की थी उसे आप और संशोधित कर देते, उसमें कुछ नया जोड़ देते और जब तक कोई अन्य योजना न आ जाए, तब तक आप उसे जारी रखते, लेकिन पिछले सालों से उस योजना को मरने दिया गया, उसके वित्त पोषण के लिए कोई नये उपाय नहीं हुए।

मैं यह नहीं कहता हूं कि मुझे आपकी नीयत पर शक है, परन्तु कुल मिलाकर यह नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, यह पूछने का अधिकार मुझे है और सबको यह पूछने का अधिकार है। इन सारी बातों को लेकर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए आप जो विधेयक लाये हैं, यह एक खानापूर्ति है, इसमें इंसान की चिन्ता नहीं है, इसको वस्त्र पहनाने की कोशिश की है, जैसा हम शोरूम में देखते हैं कि एक लकड़ी के मॉडल को कपड़े पहना दिये करते हैं और उससे यह समझ बनती हैं कि ये कपड़े हैं। ये कपड़े हैं तो उसके लिए इंसान की भी जरूरत है, जिस

[डा. सत्यनारायण जटिया]

इंसान के लिए आपने इसे बनाया है, इसमें प्राण नहीं है। जैसा हमारे श्री माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी अभी कह रहे थे कि पैसे का क्या होगा? ऐसे-वैसे पैसे का क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा और जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? जो आपने बोर्ड बनाया है उसके भत्ते आप देते रहिये, भत्ते पर भत्ता और पत्ते पर पत्ता आप सत्ता चलाते रहें, यह बात नहीं बनेगी। मैं इसे पढ़ रहा हूं, पहले चजैप्टर में तो आपने सभी परिभाषाएं लिखी हैं और उस परिभाषा में आपने लिख दिया है, उसमें अस्थायी कर्म के दिहाड़ी मजदूर के बारे में कहा है। इस दिहाड़ी मजदूर की स्थिति क्या है? अभी बोल रहे थे कि उसको जो मिलता है क्या वह गुजारे लायक है? हमने यह कहा है कि उसे जो मिले उससे उसे इतनी ऊर्जा, कैलोरी मिले जिससे वह जिन्दा रह सके। उसे पहनने के लिएकपड़ा मिलना चाहिए, उसके परिवार के गुजारे के लिए कोई जगह मिलनी चाहिए। मेरे पास प्रश्नोत्तर से जो सूचना आई, उसे मैं पढ़ रहा हूं। यह प्रश्न 20 अक्तूबर को पूछा गया था और उसके एनेक्सर में जो कुछ लिखा गया, उसमें आंध्र प्रदेश में अकुशल, अनस्किल्ड लेबर को मजदूरी 58 रुपये 25 पैसे से लेकर 111 रु. पर तक है। अब 58 रुपये में क्या गुजारा होगा? पति-पत्नी और दो बच्चों के गुजारे के लिए 58 रुपये क्या हैं? आज महंगाई जिस तरह से है, उसके जिन्दा रहने के लिए जो जरूरी है, वे सारी बातें क्या 58 रुपये में हो जाएंगी? अर्द्धकुशल के बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं है। कुशल के बारे में वह 74 रुपये तक हो गयी है, यानी आप अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक आदमी जो अनस्किल्ड है, मजदूर है और फुल्ली अनस्किल्ड है, उसके लिए आप आंध्र प्रदेश में 74 रुपये दे रहे हैं। त्रिपुरा में जो हमारा नार्थईस्ट है, उसमें लिखा गया है कि यह राशि 47 रुपये है। वहां की कंडीशन और ज्यादा खराब है, इसलिए वहां गुजारा और ज्यादा मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश में 55 रुपये हैं, अर्द्धकुशल की 60 रुपये और कुशल के लिए 65 रुपये,

अपराह्न 3.00 बजे

महाराष्ट्र में जो अच्छा माना जाता है, वहां 65 रुपये, 72 रुपये और 75 रुपये है। इन सारी बातों पर राज्य सरकारों से बात करके क्या केन्द्र कोई मापदंड तय नहीं कर सकता? केन्द्र को न्यूनतम मजदूरी घोषित करनी चाहिए, राज्य सरकारें जितना दे सकती हैं, उतना जरूर दे। उसके बाद केन्द्र सरकार मदद के माध्यम से उसको इतना दे जिससे उसका गुजारा हो जाए। यह गुजारा जब होगा तभी तो सामाजिक सुरक्षा आएगी, अभी तो उसकी आर्थिक सुरक्षा है ही नहीं। उसको सर्वांगीण करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, बने रहने के लिए जो मुश्किलें हैं, उसके लिए भी जो कुछ करना चाहिए, वह कर देना चाहिए था। तब निश्चित रूप से यह दिखाई देता कि केन्द्र सरकार ने कुछ किया है। आप अभी भी घोषणा कर सकते हैं, अभी तो चुनावों में देर है। आप घोषणा कर दीजिए कि न्यूनतम मजदूरी में जिन्दा रहने के लिए जितनी कैलोरीज, जितना कपड़ा चाहिए और आज के समय में उसकी जितनी कीमत होती है, उसके गुजारे लायक जो पैसा बनता है, और जो सरकारें दे रही हैं, उसमें जोड़कर आप देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक शुरुआत हो जाएगी। वित्तीय प्रबंध करने का काम, दायित्व लेने का काम बड़ा मुश्किल है। इस सारे वित्तीय प्रबंध को लेने के लिए सरकार आगे आए। मैं सोचता हूं कि बड़ी योजनाएं जब बनेंगी तब बनेंगी। आदमी जिन्दा रहेगा तभी तो योजनाएं बनेंगी। आदमी जिन्दा रहने लायक बन जाए उसके लिए तो योजना बनी है। हमने लोकतंत्र को इस तरह से कर दिया है कि ऐसा लगता है कि जैसे बंदी जीवन के बंधन बदले, कारागार वही है। आजादी देश को जरूर मिल गई परंतु देश के जो कर्मकार हैं, मोटे तौर पर 38 करोड़ जो लोग हैं, वे आज भी इन सारी सुविधाओं से वंचित हैं और ऐसे वंचितों के लिए जो कुछ करना चाहिए, वह करने के लिए जो इच्छाशक्ति चाहिए, वह सरकार की नहीं है। इसके कारण से इस प्रकार का बिल लाने के लिए यह काम हो गया है। मैं आगे बताना चाहता हूं कि जो न्यूनतम मजदूरी घोषित की गई है, उसकी स्थिति में जो लोग डीफॉल्टर रहे हैं, उस पर कितना जुर्माना मिला। 2006-07 में देखा गया है कि जुर्माने की राशि 5574 रुपये पूरे वर्ष में है और वसूल किया गया जुर्माना 4776 रुपये है। क्या हमारा मैकेनिज्म काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या हमने उसको न्यूनतम वेतन देने का काम किया है और निश्चित रूप से जो दस लोगों का दायरा बनाकर रखा है, उसमें समझदार आदमी दस लोगों को कभी लगाता ही नहीं है जिससे उस पर फैक्ट्री एक्ट और दूसरे नियम-कानून लागू नहीं होते। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। इस गरीबी की स्थिति से पार पाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वह करने की जरूरत है। आपने कहा है कि ये सारी योजनाएं कंट्रीब्यूटरी होंगी। कंट्रीब्यूटरी क्या होंगी, भविष्य निधि में उसका कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? उसका इंप्लायर तो तय नहीं है, क्योंकि आज वह कहां है और कल कहां है, उसको मालूम नहीं है। ऐसी भविष्य निधि का कंट्रीब्यूशन तय करने के लिए सरकार इंप्लॉयर का रोल अदा करने का काम कर सकती है। इसलिए वह अपना हिस्सा मिलाए और सरकार उसमें मजदूर की तरफ से हिस्सा दे जो इस स्कीम में पार्टिसिपेशन करना चाहता है। भविष्य निधि के माध्यम से वह कर सकता है, उसके लिए ईएसआई स्कीम भी खोली जा सकती है जिससे उसको उसका फायदा मिल सकता है। इन सारी बातों को करने के लिए केन्द्र सरकार वित्त पोषण करने का काम करे। वित्त पोषण के सारे काम से उसको दूर नहीं जाना चाहिए। बाकी अध्यायों में जो आपने

बोर्ड बनाने का काम किया, राज्य सरकारों पर निर्भर रहने का काम किया, राज्य सरकारों के जो बोर्ड होते हैं, उसमें आपने संख्या कम की है। ऐसी स्थिति में इस बोर्ड में ऐसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का अधिक प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो और ठीक से बोर्ड बना सकें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। निश्चित रूप से ऐसी कोरी बातों से बात बना नहीं करती है।

बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे,
हमें हमारी जमीं दे दो आसमां लेकर क्या करेंगे,
वादों से इरादे कभी पूरे नहीं हुआ करते।

और यदि आपने वादा किया है तो उसको पूरा करने के लिए प्रावधान करना चाहिए, वह आप करें, इतना ही मेरा आग्रह है।

अपराह्न 3.04 बजे

राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को इस विधेयक पर बोलने के लिए अनुरोध करूं, मैं श्री पी. चिदंबरम से इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का अनुरोध करूंगा।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित@ करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 16.12.2008 में प्रकाशित।
@राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.05 बजे

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): क्या यह स्थायी समिति के पास जायेगा? *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरियांकिल): हमें विधेयक की विषय-वस्तु पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें जिस प्रकार से इसे पुर: स्थापित किया गया है, उस पर आपत्ति है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया पहले मुझे इस विधेयक को पुर: स्थापित करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह पुर:स्थापन चरण है। अगले चरण में आप बोल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है:

"कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित@ करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: इन संशोधनों पर मुझे एक शब्द बोलने दीजिए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 16.12.2008 में प्रकाशित।
@राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम: आप इस पर तभी बोल सकते हैं, जब इसे विचारार्थ लिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विधेयक पुर:स्थापित किया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप अपनी पार्टी की ओर से कल बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको कल इसी विधेयक पर बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विधेयक को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कल बोल सकते हैं। मैं आपको कल समय दूंगा। अब कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब कृपया बैठ जाइए। श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप कल बोल सकते हैं। मैं आपको समय दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, अब आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अब बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.11 बजे

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008—*जारी*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में और सदन से बाहर, देश में जो असंगठित श्रमिक हैं, उनके लिए कई कानून बने, इस पर बराबर चर्चा होती रही है। इस पर एक विधेयक लाए जाने की एक लम्बे समय से मांग थी, लेकिन जो असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 लाया गया है और जिस मंशा से यह लाया गया है, वह असंगठित श्रमिकों के साथ इंसाफ नहीं करता। सही मायने में यह बिल अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

महोदय, वर्ष 2005 की गणना के मुताबिक हमारे देश में 42 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिक हैं और आप जानते हैं कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके वेतनमान को निर्धारित करने की कोई नीति है। श्रमिक कुपोषण के शिकार हैं। यह एक ऐसा वर्ग है, जो समाज में बहुत उपेक्षित रहा है। उसके लिए एक बहुत सशक्त कानून की आवश्यकता थी। सरकार ने श्रमिकों के बीच में जो विभाजन किया है, श्रेणियां बनाई हैं, मैं समझता हूं कि यह भी उचित नहीं है। कृषि कामगार, बिल्डिंग निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, औद्योगिक निर्माण के मजदूर और चमड़ा मजदूर आदि का जो वर्गीकरण किया गया है, उसे समाप्त करना चाहिए और सभी प्रकार के श्रमिकों की एक श्रेणी बनानी चाहिए।

महोदय, जैसा मैंने पहले बताया, असंगठित क्षेत्र से संबंधित कानून के सिलसिले में पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई है, बहस हुई। इस संसद में भी इससे पहले कई बार, बहुत मजबूती के साथ यह सवाल उठाया गया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई मजबूत कानून बनना चाहिए। बार-बार प्रार्थना करने के बाद, सितम्बर, 2007 में, सरकार ने राज्य सभा में, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बिल पेश किया और उस बिल में इतनी खामियां थीं कि राज्य सभा में उसका विरोध हुआ और उसके बाद वह श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के पास गया। अफसोस की बात यह है कि संसदीय स्थायी समिति ने जो अनुशंसाएं की थीं, जो सिफारिशें की थीं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और राज्य सभा में वर्ष 2007 में जो बिल प्रस्तुत किया गया था, उसी में आंशिक संशोधन करने के बाद, वह बिल फिर 23 अक्तूबर, 2008 को राज्य सभा से पास करा लिया गया, जिस समय राज्य सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या केवल 58 थी।

महोदय, उस बिल की जो खामियां हैं, उनमें सबसे पहली खामी तो यही है कि इसमें श्रमिकों के प्रति दया-भाव दिखाया गया है, उन पर कृपा की गई है। उनके अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की जिस मजबूती के साथ इस विधेयक में वकालत होनी चाहिए थी, जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे, वे उनसे वंचित रह गए। अफसोस की बात यह है कि इस देश में तमाम श्रम सुधारों के कानून बने हैं और इस वर्ग के साथ एक लम्बे समय से नाइंसाफी होती रही है, लेकिन उन कानूनों को लागू करने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा हमारे पास होना चाहिए, वह हम आज तक तैयार नहीं कर पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा यह कहा गया है कि एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड होगा औरयह बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा और राज्यों के स्तर पर भी होगा। यह जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड आपके अध्याय तीन में है, उसमें जिस तरह के सदस्य होंगे, उसमें अधिकांश सदस्य वे होंगे, जो मजदूरों की भावनाओं को ही नहीं जानते। उसमें जब तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उन लोगों से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, जिनका श्रमिकों की समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, उनसे कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वे श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे। दूसरे यह जो बोर्ड है, यह बोर्ड सिर्फ सलाह देगा, यह बोर्ड कोई फैसला नहीं करेगा, यह बोर्ड कोई नीति क्रियान्वित नहीं करेगा। इस बोर्ड का काम विशुद्ध रूप से सलाह देने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा यह जो बोर्ड आप बना रहे हैं, इस बोर्ड को आप शक्तियां देने का काम करिये, सिफारिशें करने का काम इस बोर्ड से मत कराइये। इस बोर्ड की इतनी ताकत होनी चाहिए कि यह बोर्ड खुद फैसला कर सके। श्रम मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जो उन श्रमिकों की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, मेहरबानी करके इस बोर्ड में उन लोगों का बहुमत होना चाहिए, जिससे वे लोग अपने साथ इन्साफ कर सकें।

अपराह्न 3.17 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति ने एक बहुत अच्छी सिफारिश की थी कि एक सामाजिक सुरक्षा निधि बनाई जाये। वह सामाजिक सुरक्षा निधि की बात भी आपने नजरअंदाज कर दी। मेरा आपके मार्फत विनम्र आग्रह है कि स्थायी समिति ने जो सिफारिशें की हैं, सिफारिशें तो बहुत सारी की हैं और उनमें से अधिकांश सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश

[श्री रामजीलाल सुमन]

सामाजिक सुरक्षा निधि बनाने की थी। अगर आप सही अर्थों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ इन्साफ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यह बीमा आधारित बिल है तो बीमा तो कोई भी करा सकता है, इसमें कानून की क्या जरूरत है? इसमें मात्र 10 परसेंट बी.पी.एल. सूची के श्रमिक आते हैं, 90 परसेंट असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, वे अपना अंशदान करेंगे, तभी जाकर उन्हें लाभ मिलेगा, इसलिए श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक को आप विभाजित मत करिए।

अन्त में मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जो योगदा नहै, वह 62 फीसदी है। इतना बड़ा वर्ग, जो देश की जी.डी.पी. में 62 परसेंट का योगदान करता है, उसके लिए तो जितनी अधिक से अधिक दौलत का प्रावधान आप करेंगे, वह कम होगा। मुझे लगता है कि श्रम मंत्री जी इसलिए हाथ खींच रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि यह जो पूरा काम है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ इन्साफ करने का, इसमें 90 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। इतने बड़े तबके के लिए धनराशि नहीं के बराबर है। औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 92 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है और यह रियायत का क्रम जारी है तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए हम दौलत का बन्दोबस्त क्यों नहीं कर सकते? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जो आपकी परिभाषा है, उस परिभाषा में बगैर पारिश्रमिक प्राप्त श्रमिकों की सूची में वह शामिल नहीं है, उसको भी इन्क्लूड करने की, उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री और सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सही अर्थों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत में सुधार लाना है तो इस देश के बजट में तीन से लेकर पांच फीसदी पैसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आबंटित होना चाहिए। उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि बननी चाहिए और स्वास्थ्य लाभ बीमा की जो आप बात करते हैं, वह ई.एस.आई. की तरह होनी चाहिए। श्रमिकों से आप उनके स्वास्थ्य के लिए 20 रुपये प्रतिमाह लेंगे। एक साल में आप उनसे 20 रुपये लीजिए। श्रमिकों की पेंशन जो आप पास करते हैं, 60 साल की उम्र पर कोई रिटायर हो जाता है तो आप नहीं के बराबर पैंशन की व्यवस्था कर रहे हैं, वह पेंशन भी कम से कम 1500 रुपये होनी चाहिए।

महोदय, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि विभिन्न प्रांतों में जो मजदूरी है, वह अलग-अलग है। कुछ प्रांतों में यह नहीं के बराबर है। रघुवंश प्रसाद जी अभी यहां नहीं हैं, वे राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की बहुत वकालत करते हैं। कुछ प्रांतों में श्रमिकों को जो पैसा मजदूरी में मिलता है, वह इतना ज्यादा मिलता है कि उतना एनआरईजीए से प्राप्त ही नहीं हो सकता, इसलिए एनआरईजीए का उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ को तो नहीं के बराबर वेतन मिलता है,जबकि कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा वेतन मिलता है। इसके लिए भी सहमति हम चाहेंगे कि जब हम पेंशन की बात करते हैं, तो पेंशन का प्रावधान 1,500 रुपये प्रति माह कम से कम होना चाहिए।

महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो प्रयास आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह आधा-अधूरा प्रयास है, बगैर मन से किया हुआ प्रयास है। इस प्रयास से इन 45 करोड़ लोगों का भला नहीं हो सकता। हमारी आपसे अपेक्षा है कि इस देश की बड़ी आबादी के साथ आपको इंसाफ करना है, तो देश की बड़ी दौलत उन पर खर्च करनी पड़ेगी और अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, आज इस सदन में असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए जो विधेयक 2008 है, उसे माननीय श्रम मंत्री जी ने विचार के लिए प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही सुनहरा अवसर था, इस देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को एक बहुत ही बढ़िया मौका मिला था। इस कदम का हम स्वागत करते हैं, यह प्रगतिशील कदम है। पहला कदम यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम बनाकर किया, दूसरा सबसे बड़ा कदम यही था, असंगठित मजदूरों के लिए प्रगतिशील कदम था। रामजीलाल सुमन जी ने ठीक कहा कि इस देश में 37 करोड़ से ज्यादा लोग जो श्रम करते हैं, पूरे देश की दौलत को पैदा करते हैं, श्रम करके अट्टालिका बनाते हैं, लेकिन उस अट्टालिका में रह नहीं पाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो तेंदूपत्ता से बीड़ी बनाते हैं, मिस्त्री जी ने ठीक कहा था कि जो बीड़ी मजदूर हैं, इस देश के खेतिहर मजदूर हैं, अकेले 22 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं, जो खेती में लगे हुए हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, वे लोग खेती करके अनाज पैदा करते हैं। वे जब अनाज की कटनी करते हैं, तब अनाज हम लोगों तक पहुंचता है, चाहे देश की सीमा हो या सरहद हो, सभी का पेट भरने का जो काम करते हैं, ऐसे मजदूरों की सामाजकि सुरक्षा और कल्याण के लिए विधेयक लाना निश्चित रूप से इस सरकार का एक प्रोग्रेसिव कदम है। मैं इसकी ताईद करता हूं, इसका स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण में यही सर्वोच्च सदन है, आपको याद होगा कि 7 दिसम्बर, 2007 को

पिछले साल, इस बात को एक साल हो गए, आज 16 दिसम्बर, 2008 को हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय मैं ही उनका मूवर था, नियम 193 के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए व्यापक विधेयक कांप्रिहैंसिव विधेयक लाने के लिए हमने यहां एक चर्चा उठायी थी। सभी दलों के माननीय सदस्यों ने 7 और 8 दिसम्बर को उसकी चर्चा में काफी रुचि ली थी और चर्चा में भाग लिया था। सभी सदस्यों ने अपने सुझाव रखे थे। असंगठित मजदूरों के उन्नयन के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा लाने के लिए, विधान लाने के लिए, विधेयक लाने के लिए इस सदन में सात घंटे उस पर चर्चा चली थी। मैं आज कहना चाहता हूं कि 93 प्रतिशत जो असंगठित मजदूर हैं, जो देश का पूरा वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स में 93 प्रतिशत अकेले असंगठित मजदूर लगे हुए हैं, इसीलिए एक कांप्रिहैंसिव बिल बनाने की हिम्मत सरकार को जुटानी चाहिए। सरकार ने बिल बनाने की हिम्मत जरूर जुटायी है, इसके लिए मैंने ताईद किया, लेकिन जो व्यापक कांप्रिहैंसिव बिल होना चाहिए, उसमें कुछ खामियां जरूर हैं।

महोदय, जैसी मुझे जानकारी है, इस जानकारी को आप और ऐड कर देंगे, बहुत से माननीय सदस्य इस सदन में हैं, जो सर्वोच्च सदन है, दुनिया के किसी देश में इस तरह से 37 करोड़ या 42 करोड़ लोगों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। हिन्दुस्तान अकेला देश है, जिसमें एक प्रोग्रेसिव कानून पर, विधेयक पर आज हमारे सदन में चर्चा हो रही है। दुनिया के किसी देश में असंगठित इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा तबका, जिसकी 37 करोड़ से 42 करोड़ की आबादी हो, उस आबादी के लिए एक कानून बने, एक विधान लाने का काम किसी देश में अभी तक इस तरह से नहीं हुआ है, जैसा कि मालूम है।

इसलिए मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मुझे इसमें कुछ शंका है। इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। मैं उनका जिक्र भी करूंगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी को याद होगा कि इस पर हम लोगों ने 7 दिसम्बर को न केवल संसद में चर्चा की थी बल्कि संसद मार्च भी हुआ था और देशभर के असंगठित मजदूरों ने उसमें भाग लिया था। माननीय सदस्य मोहन सिंह जी अभी नहीं हैं। वे समाजवादी पार्टी के उप नेता हैं। वे भी उस रैली में गए थे। हमने जंतर-मंतर पर संसद मार्च किया था। मैं माननीय श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वहां स्वयं जाकर मेमोरंडम लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि जंतर-मंतर पर इतने व्यापक रूप में देशभर के श्रमिक, असंगठित मजदूर आए थे। उनका प्रदर्शन हुआ था, उनका मार्च हुआ था। संसद से सड़क तक संघर्ष हुआ था। पूर्वांचल नव-निर्माण मोर्चे के तत्वावधान में हुआ था और उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं जाकर संबोधित किया था और उनका मेमोरंडम भी लिया था। उमसें जो बिन्दु उठाये गये थे, 11 दिसम्बर, 2006 को पूर्वांचल नव-निर्माण मोर्चे के तत्वावधान में प्रदर्शन हुआ था। उस मेमोरंडम में कुछ सुझाव दिये गये थे।

इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। सभापति महोदय, आपको मालूम है, ठीक है, राज्य सभा के बाद यह स्टैंडिंग कमेटी में जांच के लिए गया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें दो-तीन बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया, पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया। अर्जुन सेन गुप्ता आयोग बना था। उस आयोग में स्पष्ट रूप से इस विशाल असंगठित क्षेत्र के 91 प्रतिशत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाने का जिक्र आया था। यही नहीं, सेन गुप्ता आयोग ने यह भी निष्कर्ष दिया था, जिसकी पूरे देश में काफी चर्चा हुई, कि इस देश की 77 प्रतिशत आबादी, लगभग 83.6 करोड़ लोग 20 रुपये रोज पर अपना गुजारा करते हैं। सभापति महोदय, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इस देश में आज भी 83 करोड़ लोग, जो कामेरा वर्ग है, मेहनत करने वाले लोग हैं, पसीने की कमाई खाने वाले लोग रोजाना 20 रुपये रोज पर अपनी गुजर करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट का बैकग्राउंड कितना अच्छा था। उस बैकग्राउंड पर आज यह विधेयक यहां लाया गया है। आज गरीबी का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो भी है, वह भी दो डालर प्रतिदिन पर गुजर करने का है। पूरे संयुक्त राष्ट्र का मानक दो डालर प्रतिदिन पर गुजारा करने का है, मतलब 100 रुपये का है। लेकिन हमारा हिन्दुस्तान देश ऐसा है जिसमें 20 रुपये प्रतिदिन गुजारा करने की बात कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो तारतम्य होना चाहिए। आज जो बिल बना है, इन दिनों अनेक नेता, पूंजीपति झट से कह देते हैं, बुद्धिजीवी लोग भी झट से बेरोजगार, गरीब लोगों को सुझाव दे देते हैं कि अरे, नौकरी की क्या बाट जोहते हैं, नौकरी की तरफ मुंह क्यों ताकते हैं, स्व रोजगार कीजिए, स्व रोजगार की तरफ चलें। स्व रोजगार की क्या हालत है, कमीशन ने कुछ टिप्पणियां दी हैं। सेन गुप्ता कमीशन ने कहा है कि कुछ स्व रोजगार के विषय में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 20 लाख लोगों को स्व रोजगार योजना से लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सेन गुप्ता आयोग ने कहा है कि स्व रोजगार से बहुसंख्यक लोगों की हालत अच्छी नहीं हुई है। लगभग 25.8 करोड़ लोग, मतलब 56.5 प्रतिशत लोग स्व रोजगार में लगे हुए हैं लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। यह

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

कमीशन की रिपोर्ट है। इसलिए मैंने बैकग्राउंड की थोड़ी सी चर्चा की है। गांधी जी का अंतिम आदमी कौन है? गांधी जी का अंतिम आदमी यही है जिसके लिए आज बिल आया है। असंगठित मजदूर समाज का अंतिम आदमी है। समाज के अंतिम आदमी के लिए जो बिल आया है, चाहे ईंट के भट्टे में काम करने वाला हो, चाहे बीड़ी मजदूर हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो, कृषि मजदूर हो, चाहे मकान बनाने वाले मिस्त्री हों, पूरे देश में आज जो दौलत पैदा करने वाले हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईंट, गिट्टी, मिट्टी, खेत-खलिहान, नाव, पानी, जंगल आदि से जुड़े हुए लोग अपनी तकदीर उससे बंधे हुए थे, उनकी जीवन की बेहतरी के लिए यह बिल आया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें फंड की चर्चा की गयी है। स्टैंडिंग कमेटी ने सामाजिक सुरक्षा निधि की एक अनुशंसा की थी, लेकिन उसका भी ख्याल नहीं रखा गया है। हमारा कहना है कि केन्द्र सरकार खुद कंसौलिडेटेड फंड से इसका इंतजाम करती। इस फंड को ही संदेह में रख दिया गया है। अब यह बिल धरती पर कैसे लागू होगा। जब तक फेड का अरेन्जमैंट नहीं होगा तब तक कुछ भी स्कीम और राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड होगा, केन्द्र में जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड होगा, वह कैसे लागू होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून तो पहले भी बना है लेकिन यह कांप्रिहैन्सिव कानून बनना था। एक व्यापक हित में इस कानून को बनाना था और उसे पूरी शक्ति देना था। लेकिन कानून तो पहले भी बने हैं जिनमें से कुछ कानून सफल हुए और कुछ कानून सफल नहीं हुए। जैसे वर्क्समैन कम्पेनसेशन एक्ट, 1923; मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948; बॉन्डेड सिस्टम एबोलिशन एक्ट, 1976; एक-दो एक्ट बने हैं। इसी तरह इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कमैन एक्ट, 1979 ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया कोशिश कीजिए और अपनी बात पूरी कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोगों पर सदन घंटों चर्चा करता है। कभी भी समाज के अंतिम व्यक्ति ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके जीवन को ऊपर उठाने का बीड़ा रहता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन कृपया कोशिश कीजिए और कुछ मिनटों में अपनी बात पूरी कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर बहस को नहीं रोकना चाहिए। सदन के पास यही एक मौका है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बीएसी में इस बिल पर चार घंटे चर्चा करने के लिए डिसाइड हुआ था, लेकिन इसमें समय बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हम सब लोग सदन से कन्सेन्सस दिला देंगे। आप इस विषय को मत रोकिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलुरू): महोदय यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय: ठीक है, यह सच है लेकिन 30 से अधिक ऐसे सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। इसलिए कृपया अपनी बात जारी रखिए और अपनी बात कुछ मिनटों में समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बिल पर बोलने वाले कितने भी मैम्बर्स हों, बेशक इस पर चर्चा करते हुए दो दिन लग जायें, लेकिन आप इसे मत रोकिए। सदन में हमें यही तो विशेषाधिकार है। हमें इस बिल पर अपनी राय देनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कमैन एक्ट, 1979; बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, 1996 आदि कानून तो बहुत बने हैं। इसमें कुछ कानून 30 वर्ष पहले के हैं और कुछ कानून 12 वर्ष से हैं। कुछ इसके बाद वर्ष 2007 में भी बने हैं। आम आदमी बीमा तो माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2007 में ही लागू कर दिया। कुछ कानून खंडवाइज लागू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का प्रयास नहीं है। सरकार की नीयत कहीं गड़बड़ नहीं है। सरकार की नीयत ठीक है, नीयत में कोई खोट नहीं है लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बिल के लिए जो कल्टीवेशन फंड होना चाहिए, उसका इंतजाम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इसके लाभार्थी कौन

होंगे? जो लाभार्थी होंगे, वे स्पष्ट रूप से इसमें रेखांकित होने चाहिए। इस बिल में जो वर्गीकरण दिया गया है, उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस बिल में दिया गया है कि जीवन और नि: शक्तता सुरक्षा, स्वास्थ्य संबधी फायदे और प्रसूति फायदे, वृद्धावस्था संरक्षण, भविष्य निधि, नियोजन आदि। इसी तरह वर्गीकरण लास्ट में दिया गया है कि किन-किन लोगों को फायदा होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी इसी क्रम में है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना पूर्व से चल रही है। हस्तकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना, हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना, मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के लिए पेंशन, मछुआरों के कल्याण और प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना के बारे में मैं पहले ही कह रहा था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। मेरा कहना है कि इसका जो क्लासीफिकेशन है, उसका कुछ आधार होना चाहिए। आप सामाजिक उधार ले लीजिए। जैसे जनजातीय है, जंगल में रहने वाला, ट्राइबल बैल्ट में रहने वाला या दलित हैं, उसे आप प्रथम प्रायरिटी दीजिए क्योंकि मैक्सिमम असंगठित मजदूर उस वर्ग से आते हैं। उसके बाद आप अत्यंत पिछड़े वर्ग को लीजिए। उसके बाद बैकवर्ड वर्ग को लीजिए। अगर यह भी नहीं तो आर्थिक आधार लीजिए। यह दो बात हो सकती है क्योंकि इसमें आर्थिक आधार भी चलेगा क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग हैं। इसमें ऐसी केटेगिरी लीजिए जिस श्रेणी में मंथली मजदूरी बहुत कम हो।

बहुत कम मजदूरी जिसको मिलती हो, बिल्कुल नगण्य मजदूरी पाने वाले लोगों को इसमें लीजिए। दूसरी केटेगिरी में उन लोगों को रखिए जिनको कम मजदूरी मिलती हो, तीसरी केटेगरी में ऐसी मेहनती लोगों को जोड़िए, जैसे सुरक्षा गार्ड्स, जो थोड़ा सा कमाते हैं को रखिए। केटेगरीज को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। बिल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। विधेयक के खण्ड 13(1) में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों को दी गयी है। यह बात ठीक है कि बोर्ड बनेगा, उसे शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन यह बोर्ड एडवाइजरी किस्म का नहीं होना चाहिए, इसे पूरी ताकत दी जानी चाहिए। इस बोर्ड का कार्यकाल तीन साल रखा गया है, यदि यह बोर्ड एडवाइज देगा तो वह लागू कब होगी। इसे और अधिक शक्ति देने की जरूरत है। इस विधेयक को केन्द्रीय अनुसूची के तहत रखा जाए क्योंकि इससे राजनीतिक मतभेद कम होंगे। राज्य और केन्द्र स्तर पर भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें होती हैं, इसलिए इसको केन्द्रीय सूची में डाल दिया जाए ताकि केन्द्र इसके लिए कानून बनाए और उसके अनुपालन के लिए गाइडलाइन्स बना सके जिससे बोर्ड स्वतंत्र हो सके। रजिस्ट्रेशन प्रॉशेस को आप राज्य के स्तर पर रखिए। इस बोर्ड को यह जिम्मा दिया जाए कि जो गरीब आदमी जिला में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करे। खेतों में काम करने वाला खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालने वाला गरीब मजदूर जिला मुख्यालय तक रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे आएगा, उसके लिए ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो हमारे देश में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था है। इसलिए पंचायत स्तर पर उसके पंजीयन की व्यवस्था होनी चाहिए। वह गरीब मजदूर जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वह जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कैसे आएगा। आज लोग संतुलित भोजन नही कर पाते हैं। देश में 56 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपनी औसत उम्र व्यतीत नहीं कर पाते हैं। जो लोग देश के लिए श्रमशक्ति पैदा करके, देश के लिए दौलत पैदा करते हैं, वे अपनी औसत उम्र नहीं बीता पाते हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संतुलित भोजन के अभाव में उनका शरीर काम नहीं करता है, काम करते-करते रिक्शावाले को टी.बी. की बीमारी हो जाती है और 56 वर्ष की आयु में ही मर जाता है। चूंकि यह दिखता नहीं है, इसलिए किसी को इस पर गुस्सा नहीं आता है। आज अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, सड़क पर खून बहता है तो सभी को गुस्सा आता है, सदन में बड़ी आवाज उठती है, लेकिन यह जो गरीब के शरीर में खून बनने ही न देने वाली व्यवस्था है, उस पर गुस्सा आना चाहिए। आज हमें इस पर विचार करना चाहिए। गरीब के शरीर में खून नहीं बनने दिया जाता है और लोग कहते हैं कि गरीब के तन में भगवान रहता है।

महोदय, वर्गीकरण को ठीक करना होगा क्योंकि दिहाड़ी मजदूर सबसे कम मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं। उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि कैसे उनको छुट्टी मिलेगी क्योंकि छुट्टी करने पर उनको पैसा नहीं मिलता है। इन लोगों के हक कैसे सुरक्षित होंगे, उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी, इसलिए उनको वर्गीकरण में प्राथमिकता देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जो मजदूर हैं, रिक्शावाला, भूमिहीन किसान, बीड़ी मजदूर, खोमचा वाले, इनकी पहचान करके, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा चौथा प्वाइंट यह है कि सभी सुविधाएं समान रूप से लोगों को मिले, इसके बारे में इसमें क्लैरिटी नहीं है। सभी असंगठित मजदूरों को समान रूप से लाभ कैसे मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि असंगठित मजदूर जिस स्थान पर काम करते हैं, वहां उनको सभी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने एक ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन रोजगार के अभाव में वह पलायन करके दूसरी जगह पर जाता है, उसे इसका लाभ कैसे मिलेगा, इस पर भी विचार करना होगा।

महोदय, मैं कुछ बुनियादी बातों को आपके सामने रखता हूं। मजदूरों को मिलने वाली सभी लाभ केन्द्र सरकार द्वारा तैयार और लागू किये जाएं क्योंकि उस पर जो व्यय होगा, उसकी क्षतिपूर्ति

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

के लिए केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों मिलकर अभी व्यय कर रही हैं। यदि इस बिल में फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं होगा तो मुख्य समस्या तो यही आएगी कि फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होगी।

राज्य भी करेगा, केन्द्र भी करेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप वित्त विभाग को इसके लिए तैयार करें, यह असंगठित मजदूरों के लिए बहुत प्रगतिशील कदम है इसलिए वित्त की सारी व्यवस्था केन्द्र को करनी चाहिए। वित्त विभाग ही देखे कि कैसे इसके लिए इंटरनल सोर्सेज जेनरेट किये जा सकते हैं। इसलिए इसकी जिम्मेदारी केन्द्र पर होनी चाहिए। पहचान पत्रों के बारे में मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया था कि यह जीरो बैलेंस पर दिया जाए। आप उनके कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भी अर्थ देंगे, वह जीरो बैलेंस पर किसी भी बैंक में अकाउंट खोलना चाहे तो खोल सकता है, जिससे उसे जो आर्थिक मदद मिलनी है, वह उसमें जमा हो।

इसी तरह से इनके बच्चों की शिक्षा का मामला है। वह भी मैंने पूर्व में बताया है, लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई मजदूर 14 साल से ऊपर का यानि 20-25 साल का है, वह अपने काम से एक-दो घंटे का समय निकाल कर पढ़ना चाहे, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वह अपना भविष्य बेहतर कर सके।

असंगठित मजदूरों के लिए अलग-अलग फंड्स का प्रावधान किया गया है। इनका उपयोग आकस्मिक कामों के लिए किया जाएगा। आप कोई ऐसी निधि भी बनाएं, जिसका इस्तेमाल काम के लिए किये जाने वाले नियोजन के लिए किया जा सके।

इसके अलावा मजदूरों के जो विवाद हों, जैसे मजदूरी संबंधी विवाद है, उसकी मदद करने के लिए उसे फ्री लीगल एड भी मिलनी चाहिए। अंत में मैं इस बिल का अपने इन सुझावों के साथ पुरजोर शब्दों के साथ स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बदूर): महोदय, मैं डी.एम.के. पार्टी की ओर से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, जो माननीय श्रम मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी ने प्रस्तुत किया है, का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार वर्ष 2000 में देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ था, इसमें से 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में था और 36.9 करोड़ (लगभग 93%) असंगठित क्षेत्र में था। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा अर्थात् 23.7 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं और 1.7 करोड़ कामगार निर्माण उद्योग में कार्यरत हैं। हमारी जीडीपी में असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों का 65 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा गया है कि यूपीए सरकार सभी कामगारों विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ऐसी स्थिति में मैं तमिलनाडु राज्य का उल्लेख करना चाहता हूं। इस मामले में तमिलनाडु प्रमुख राज्यों में से एक है। डा. कलयगनार करुणानिधि के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लाभार्थ अनोखी योजनाएं शुरू की हैं। विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर चर्चा करने से पहले, मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य में इस विधेयक को मूर्त रूप कैसे दिया गया।

जैसाकि पूरी सभा को विदित है कि हमारी डीएम सरकार ने 1973 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लाभार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सुझाने के लिए एक समिति गठित की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में भारी संख्या में कामगार कार्यरत है, डा. कलयगनार के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार उन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके लिए कल्याणकारी उपाय करने हेतु प्रगतिशील विधान लायी थी।

उन्होंने कई श्रेणियों के कामगारों की सूची तैयार की है, जिनकी संख्या 60 है। वे हैं: कुटीर उद्योग, कॉयर कार्य जैसे घरेलू उद्योग, चटाई बुनाई का काम, कपड़ों की धुलाई सहित लॉन्ड्री, पापड़ बनाना, वाणिज्यिक रसोई कार्य, वनोत्पाद का संग्रहण, काजू प्रसंस्करण, एलपीजी सिलेंडर का वितरण, ऑटो रिक्शा चालक, साइकिल रिक्शा चालक, पटाखे उद्योग, जूता-चप्पल उद्योग, स्वर्णकार और सिलवरस्मिथ, हथकरघा उद्योग और रेशम सूत बुनाई, अगरबत्ती निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, स्ट्रीट वेंडर, कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, खुदरे सामान की दुकान में कार्यरत कामगार, घरेलू कामगार, मूर्ति निर्माण कार्य, हस्तशिल्प कामगार, बीड़ी कामगार, सिगार कामगार, पेंटर, वीडियो और फोटोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन बढ़ई आदि। मौजूदा विधेयक में 11 योजनाओं की सूची है जिनका उल्लेख खंड-3 में किया गया है। मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे और अधिक व्यापक बनाएं और तमिलनाडु योजना को एक नमूना योजना के रूप में लें।

तमिलनाडु में विभिन्न लाभों के ब्यौरों के संबंध में मैं कहूंगा कि इस विधान की योजना के अंतर्गत विधान के तहत उपलब्ध

विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए इन वर्गों में नियोजित असंगठित कामगार हैं इस प्रयोजन के लिए गठित विभिन्न बोर्डों के साथ अपने आपको पंजीकृत कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर 1 लाख रुपये तक का बीमा दावा; विकलांगता के आधार पर अलग-अलग मुआवजा राशि; पंजीकृत कामगार की प्राकृतिक मृत्यु होने पर निकट संबंधी को 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब सरकार नियम और विभिन्न योजनाएं बनाती है तब इन बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तमिलनाडु असंगठित क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत कामगारों को दिये जाने वाले मुआवजे और अनुदानों के अलावा उनके बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली कामगार की पुत्री को 1000 रुपये की राशि दी जाती है। इसी प्रकार, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका को 1500 रुपये की राशि दी जाती है। उच्चतर शिक्षा जैसे स्नातक और तकनीकी अध्ययनों के लिए भी 1,750 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की राशि इन कामगारों के बच्चों को दी जाती है।

महोदय, हमारी राज्य सरकार न केवल शिक्षा में सहायता प्रदान कर रही है बल्कि इसने कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। विवाह के समय, ऐसे कामगारों को विवाह सहायता हेतु 2000 रुपये की राशि वितरित की जाती है। इसी प्रकार, बच्चे के जन्म के समय 6,000 रुपये की राशि महिला कामगार को मातृत्व सहायता के रूप में दी जाती है।

इस योजना की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमारे नेता डा. कलाईंगर ने इस प्रयोजन के लिए किसी कामगार के पंजीकरण के लिए उसे किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई कामगार अपनी सदस्यता का नवीकरण करता है, तब उससे कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है।

इस विधेयक में, अध्याय चार और पांच में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है-कामगार सुविधा केन्द्र और पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता। परन्तु कुछ स्थानों में, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पंजीकरण के लिए किसी को कोई राशि का भुगतान करना चाहिए। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): कार्ड की लागत 60 रुपये है परन्तु हम केवल 30 रुपये ही ले रहे हैं। यह मात्र सांकेतिक राशि है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। कामगारों को इसमें भी कठिनाई होगी कि वे अपने पंजीकरण के लिए 30 रुपये का भुगातन कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे मुफ्त कर दें। हमने तमिलनाडु में इसे मुफ्त कर दिया है जिसके कारण कई व्यक्ति और कामगार इस ओर आकर्षित हुए हैं। केवल यही नहीं, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पात्रता के लिए उन्हें यह साबित करने के लिए अपना नाम स्वयं लिखवाना होगा कि वे असंगठित कामगार श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं। हम इसे कैसे स्वीकार करेंगे? अधिकारी कभी-कभार प्रमाणपत्र मांगते हैं। प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार किसके पास होगा? इसे इस अध्याय में अंत:स्थापित किया जाना चाहिए।

वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में, इन कामगारों के कल्याण के लिए एक और योजना लाई गई है। यह योजना उन कामगारों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जो इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य के रूप में पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं उन्हें उनके जीवनभर के लिए 300 रुपये की सेवानिवृत्ति अनुग्रह राशि दी जाएगी। तमिलनाडु पहला प्रगतिशील राज्य है जिसने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पेंशन की शुरुआत की है, कामगार से बिना कुछ लिये हम उन्हें 300 रुपये दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्त पोषित करने जा रही है परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से इस राशि को बढ़ाने का अनुरोध करूंगा।

यह विधेयक इस योजना को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना बताता है। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि यह उचित और उपयुक्त होगा यदि माननीय मंत्री जी इसे 'पेंशन' के रूप में दे सकें और कामगारों को वृद्धावस्था में अच्छी पेंशन दे सकें क्योंकि भारत आम लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य है।

इसके अलावा विधेयक में, अध्याय 3 में योजना तैयार करने में आपने भविष्य निधि, रोजगार के दौरान लगाने वाली चोट में लाभ, आवास, बच्चों के लिए शैक्षणिक योजना, कामगारों के लिए कौशल उन्नयन अन्त्येष्टि सहायता और वृद्धावस्थान गृह का उपबंध किया है। उनके स्वास्थ्य के संबंध में, यदि कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में है, उसे उसके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की निधि नहीं मिल रही होती है। केन्द्र सरकार के लिए, हमारे यहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना है; राज्य सरकार के लिए हमारे यहां राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना है, यहां ईएसआई हैं; और वहां कई प्रकार के लाभ के लिए प्रावधान है। वे यह कहने में काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्हें ईएसआई में चिकित्सा मिलती है। यदि कोई पत्तन न्यास का कर्मचारी है, तो वह पत्तन न्यास के अस्पताल

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

में जाता है। इसी प्रकार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह एक अलग अस्पताल बनाए। अन्यथा, उन्हें ईएसआई स्कीम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इससे उनका लाभ होगा।

ईएसआई स्कीम के संबध में, मैं माननीय मंत्री जी को एक और सुझाव देना चाहूंगा। ईएसआई स्कीम कामगारों के परिवारों को चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ आदि के प्रावधानों से कवर करती है; यह स्कीम सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस विधेयक के अंतर्गत, बीमा कंपनियों से जुड़ी कतिपय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं प्रदान करने की बजाए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ईएसआई स्कीम को असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर लागू करने पर विचार किया जाये और ईएसआई अधिनियम में तद्नुसार संशोधन किया जाये।

निर्माण कामगारों के लिए कार्पस निधि हालांकि इस विधेयक में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के विनियमन के लिए कोई उपबंध नहीं है, यह असंगठित क्षेत्र में विभिन्न रोजगारों में कार्य करने वाले कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें बनाने का उपबंध करता है। निर्माण कामगार एक ऐसा समूह है जिसकी चिंता सरकार द्वारा की जानी है। तमिलनाडु में, निर्माण की कुल अनुमानित लागत का एक प्रतिशत कामगारों के लिए कार्पस निधि में जमा कराया जाता है; सभी एजेंसियों-निजी और सरकारी, नगरपालिकाएं, नगरपालिका निगम जो निर्माण करते हैं, को इस राशि को कार्पस निधि में जमा कराना होता है।

मैं, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड से संबंधित उपबंध का स्वगत करता हूं। गैर-सरकारी संगठनों के नामांकन समेत, असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाये। राज्य बोर्ड में सरकार ने मात्र दो सदस्यों की संस्तुति की है और राष्ट्रीय बोर्ड में सरकार ने लोक सभा के मात्र दो संसद सदस्यों और राज्य सभा के मात्र एक संसद सदस्य की संस्तुति की है। यह संख्या बढ़ाई जाये क्योंकि देश में 93% कामगार असंगठित क्षेत्र के हैं। 40 करोड़ से अधिक लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। अत:, सरकार इस संख्या को बढ़ाने का कोई तरीका निकाल सकती है।

जहां तक खंड 7 में योजनाओं की लागत में हिस्सेदारी के लिए अनुरोध का संबंध है, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उल्लेख किया गया है। चूंकि अधिकांश योजनायें तमिलनाडु राज्य में पहले से ही चल रही हैं, अत:, मेरा अनुरोध है कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने की लागत में केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में हो। खंड 8 में, इस प्रयोजनार्थ रिकार्ड रखने का उपबंध है; इसमें कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इस बावत शक्ति प्रदान की जाये कि वह इस कार्य को या तो जिला प्रशासन को सौंप सके या ऐसे प्राधिकरण को सौंप सके, जिसे वह विभिन्न नियोजनों के लिए उचित समझे।

जैसाकि माननीय मंत्री जी को विदित है कि जिला प्रशासन के पास पहले से ही बहुत से कार्य हैं। हमने इन कार्यों को सभी नगरपालिकाओं तथा जिला कलेक्टर के कार्यालय आदि को सौंपा है। हम श्रम मंत्रालय को यह कार्य क्यों नहीं सौंप देते और इसके लिए एक पृथक कार्यालय क्यों नहीं बना देते? नगरपालिकाओं के पास काफी कार्य है, इसलिए, हम इन कार्यों का निष्पादन नगरपालिकाओं पर नहीं छोड़ सकते हैं। नगरपालिकाएं जनता का कार्य निपटाती हैं और इसीलिए विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की मांग की जाती है। अत:, मेरे विचार से, उनके लिए इस कार्य को निपटाना मुश्किल होगा। इसलिए, इस प्रयोजनार्थ राज्य अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक् कार्यालय बनाया जाए।

इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए विधेयक में एक अनिवार्य उपबंध शामिल किया जाये जिससे सभी नियोक्ता इस निधि में अवश्य ही अंशदान करें चाहे वे नियोक्ता शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों को नियोजित कर रहे हों या नहीं। इस प्रकार, नियोक्ता के लिए कामगारों के कल्याणार्थ अंशदान करना उनका सामाजिक दायित्व होगा। नियोक्ताओं में अनिवार्य अंशदान करने की भावना पैदा करने के लिए तमिलनाडु अधिनियम की तर्ज पर इस विधेयक में भी एक दांडिक उपबंध शामिल किया जाये।

विवादों का निपटारा करने और मेरा यह भी सुझाव है कि प्राधिकारियों द्वारा किये गये दावों का भी निपटारा करने के लिए तथा स्वाभाविक अथवा दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक विवाद निवारण व्यवस्था का उपबंध किया जाये। वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में योग्यता की अतिजीविता एक मंत्र है। वहीं कामगारों को भगवान की दया पर छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब आउटसोर्सिंग एक आम बात, नियमित कार्यों को भी बेईमान नियोक्ताओं द्वारा ठेका श्रमिकों के द्वारा कराया जा रहा है, उस स्थिति में यह श्रम कल्याण विधान बेचारे कामगारों के लिये एक वरदान ही है।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं डा. मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार

को बधाई देता हूं कि वह समूचे देश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के कल्याण के एक पहल के रूप में इस विधान को लेकर आई है। फिर भी, मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में एक विस्तृत विधान लाये जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रोजगार को नियमित बनाने सहित उनके कल्याणार्थ अन्य सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाए।

संप्रग सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार ही यह विधान लायी है। इस समय हमारे कॉमरेड साथी हमारे साथ में नहीं हैं। यद्यपि वे हमारे साथ नहीं हैं, तथापि हम यह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किंतु, मैं अपने कामरेड साथियों को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारा समर्थन करें। यह मेरी अपील है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 के पक्ष में शिव सेना की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि जब यह बिल ईएसआईसी में इंट्रोड्यूज किया गया था, तब कारपोरेशन की तरफ से हमने इसका समर्थन किया था।

अभी मंत्री जी ने कहा कि असंगठित कामगारों को 30 रुपये में दवा और कार्ड मिलने वाला है तथा उसके लिए 60 रुपये का खर्चा आने वाला है। आज 43 करोड़ असंगठित कामगार हैं। यह बिल लाने के बाद उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देने का कार्य किया गया है। इससे उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। संगठित मजदूरों को सही बैनिफिट्स मिलते हैं। उनको प्राविडेंट फंड की सुविधा मिलती है लेकिन असंगठित मजदूरों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। एअरपोर्ट में पोर्टर्स को कोई सुविधा नहीं मिलती है। वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर उनका नाम भरता है या नहीं, पता नहीं? वह उनको कुछ दिन बाद काम से निकाल देता है। उनकी नौकरी और हैल्थ की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। इस बिल के माध्यम से उन्हें सिक्योरिटी मिलने वाली है। रिक्शा चलाने वाले को अभी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इस एक्ट द्वारा रिक्शा चालक, ब्लैकस्मिथ, बार्बर, डोमैस्टिक हैल्पर, मोटर मैकेनिक, कन्स्ट्रक्शन वर्कर, बीड़ी वर्कर, टैक्सी ड्राइवर, लाठंड्री वर्कर, टेलर, कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, सैनिट्री वर्कर आदि सभी को सुविधा मिलेगी। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी ओर हमें और अधिक ध्यान देना पड़ेगा और मैं उनके बारे में ही ज्यादा बोलना चाहता हूं।

आज मंदी की मार देश में ही नहीं, पूरे विश्व में फैल गई है। देश में मंदी की मार से कई उद्योग जानबूझ कर अपने वर्कर्स को निकालने का काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मंदी की मार अमेरिका या दूसरे किसी देश से आई होगी। राम कृपाल जी यहां बैठे हैं। महाराष्ट्र में बहुत फैक्ट्रियां हैं और अच्छा एस्टैब्लिशमेंट है। मेरे संभाजी नगर, औरंगाबाद क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां हैं। वहां भी एम्पलॉयमेंट कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मजदूरों को रखा जाता है। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। इस बिल के पास होने से उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी लेकिन इस एक्ट के आने से पहले फैक्ट्रियों से लोगों को निकालने का काम किया गया। टाटा जो बहुत बड़ा उद्योग है, उन्होंने भी पुणे में पांच दिन अपनी फैक्ट्री को बंद रखा। बजाज ने भी 6 दिन की छुट्टी दी। उन्होंने कहा कि मंदी की लहर चल रही है, रिस्सैशन में उद्योग चलने वाले नहीं हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। मैं यह कहूंगा कि यह एक्ट बहुत अच्छा है। आपने स्टेट सोशल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात कही है जिस में दो विधायक रहेंगे। सैंट्रल बोर्ड ईएसआईसी जैसा बनाया है। उसमें दो लोक सभा के एमपी और एक राज्य सभा का एमपी रहेगा। ईएसआईसी में जो स्टेट बोर्ड होता है और उसमें जो मैम्बर होता है, वह नॉमिनेट करता है। ऐसा यहां भी करना पड़ेगा। सैंट्रल बोर्ड में जितने भी 2-3 एमपीज होंगे, वे जिस स्टेट से होंगे, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में उनको बोलने का अच्छा मौका मिलता है।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि कई स्टेट्स अपने यहां अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के संगठन के माध्यम से एक्ट बना रही हैं। राजस्थान राज्य इस एक्ट को बना चुका है। लेकिन इस बिल पर मैं कहूंगा कि जैसे ई.एस.आई.सी. में फायदा होता है। मैं ई.एस.आई.सी. के बारे में भी थोड़ा जानकरी दूंगा, क्योंकि पिछली बार एक बिल आया था, लेकिन उस समय कहने का मौका नहीं मिला था। मैं बताना चाहता हूं कि अनआर्गेनाइज्ड इम्पलायीज को जो मैडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, वे पंचायत समिति, जो ब्लाक होते हैं, उनके हास्पिटल में, जिला परिषद के हास्पिटल में, म्युनिसिपल कारपोरेशन के हास्पिटल में और ई.एस.आई. कारपोरेशन के हास्पिटल्स में इन लोगों को दवायें दी जायेंगी। जितने इम्पलायीज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के जो इम्पलायीज, यानी कि आई.पी., इंश्योरेन्स पर्सन्स, होते हैं, उन्हें इससे दवायें मिल जाती हैं। लेकिन सेम दवायें अनऑर्गेनाइज्ड लोगों को मिलेगी। उसमें यह होगा कि जो आई.पी. होते हैं, उनकी पगार में से पैसे कटेंगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वाले लोग भी वहां आकर खड़े हो जायेंगे। इसलिए हमारा कहना है कि

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

उनका सैक्शन अलग होना चाहिए। अगर सैक्शन अलग नहीं होगा तो वहां रोजाना झगड़े चालू हो जायेंगे। ऐसा हमने कारपोरेशन की मीटिंग में भी बताया था। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसमें निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर करेंगे। इसके बाद मैं यह कहूंगा कि ई.एस.आई. कारपोरेशन में जो लोग दवाई लेने जायेंगे, ऑलरेडी ई.एस.आई. कारपोरेशन का जो डुएल सिस्टम है, मैंने कई बार कहा था कि ई.एस.आई. कारपोरेशन की मैडिकल सर्विसेज स्टेट गवर्नमैंट देती हैं और ई.एस.आई. कारपोरेशन वर्कर्स की पेमेन्ट में से पैसा वसूल करती है और फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट देती है। उन्हें हम केन्द्र सरकार की ओर से 78 शेयर देते हैं, लेकिन 18 शेयर उन्हें अपना डालना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देश में बहुत जगह गये, लेकिन वहां मैडिकल फैसिलिटी के लिए स्टेट गवर्नमैंट बिल्कुल राजी नहीं है। वहां गोलियां तक नहीं मिलती हैं, वहां डाक्टर्स की अपाइंटमैन्ट्स भी नहीं होती हैं। असंगठित कामगारों के लिए पंचायत समिति, जिला परिषद, कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन और म्युनिसिपल काठंसिल के दवाखाने का तो बैनिफिट होगा ही, लेकिन कुछ प्रमाण में जहां ई.एस.आई. कारपोरेशन के हास्पिटल्स हैं, वहां भी उन्हें बैनिफिट मिलेगा। इसलिए वहां जो डुएल सिस्टम चल रहा है, उससे ई.एस.आई. कारपोरेशन परेशान है। यदि वहां अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोग आयेंगे तो वहां और ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए मैं यह कहूंगा कि डुएल सिस्टम बंद होना चाहिए और सिस्टेमैटिकली केन्द्र सरकार को ही उसकी मैडिकल सर्विसेज देनी चाहिए।

इसके अलावा मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीच में एक एक्ट आने वाला था, जिसे हमने रोका। उसमें था कि 1000 कर्मचारी जिसके पास होंगे तो उन पर एक्ट लगेगा और बाकी के लोग कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। 999 लोग यदि होंगे तो उन्हें निकालने का हक होगा। ऐसा एक्ट आने वाला था, जिसे हमने रोका। मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार का लेबर ऑफिस है और लेबर कमिश्नर है, उनका कोई कंट्रोल उन लोगों पर नहीं है, जो जानबूझकर मंदी की लहर में अपने कर्मचारियों को निकालने का काम कर रहे हैं और फैक्टरीज बंद कर रहे हैं। आजकल कहते हैं कि हमारे माल की बिक्री नहीं होती है, हमें बहुत लॉस हो रहा है और ऐसा कहकर लॉक अप करके चल देते हैं। उस सिस्टम में ठीक है कि राजीव गांधी निराधार योजना वालों को ई.एस.आई. का लाभ मिल जायेगा। लेकिन उनका क्या होगा, निकालने के बाद, बैनिफिट कुछ महीने मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा?

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि आपको इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई भी इम्पलायर एक दिन में अपने कर्मचारियों को अपने घर पर भेजता है। लेकिन उनकी हालत क्या होती है। हम सब लोग जन प्रतिनिधि हैं, हमारे सामने रोजाना लोग आते हैं और बताते हैं कि हमारी कम्पनी बंद हो गई है, अब हम लोग क्या करेंगे। बीच में जेट एयरवेज वालों ने 1700 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद हमारी भारतीय कामगार सेना और शिवसेना की ओर से आंदोलन हुआ तो उन्हें रात को दो बजे तक बैठकर आखिर में लोगों को वापस लेना पड़ा। अभी उन्होंने क्या किया है कि कई फ्लाइट्स बंद कर दी हैं और बाहर से जिन पायलटों को वे लोग लाये थे, उन्हें भी निकाल दिया है और अभी धीरे-धीरे अपने लोगों को निकालने का काम चालू किया है। ऐसा केवल एविएशन इंडस्ट्री में नहीं है, बाकी बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा हो रहा है। आटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी ऐसा हो रहा है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं और उसका हम समर्थन करते हैं कि इनको मदद करनी चाहिए। उनके मेडिकल बैनिफिट और सोशल बैनिफिट के लिए हम कर रहे हैं लेकिन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज घर पर जा रहे हैं। उनके लिए सिक्योरिटी नहीं हो रही है। कई कंपनीज बंद हो गई हैं। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि लेबर मिनिस्ट्री से पूछे बिना कुछ बंद नहीं करना चाहिए। असंगठित क्षेत्र को हम लोग मदद कर रहे हैं और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग घर जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा क्योंकि वह सोशल वर्कर हैं और अच्छे आदमी हैं। उनके यहां लम्बी-चौड़ी लाइनें लगी रहती हैं कि किसी को नौकरी से निकाल दिया गया और वे मदद भी करते हैं लेकिन उसके बाद उनको नहीं मालूम कि क्या होता है। आपको यह समस्या मालूम है कि मुम्बई और महाराष्ट्र में कॉंट्रैक्ट लेबर के माध्यम से इतनी मनमानी चलती है कि आज नौकरी पर लगाया और कल परसों निकाल दिया। इसलिए उन पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट का एनफोर्समेंट ठीक तरीके से होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मुझे असंगठित क्षेत्र कामगार (सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2008 की चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

महोदय, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में ग्रामीण कामगार,

कृषि कामगार, स्वनियोजित कामगार, ठेके पर काम करने वाले कामगार, उत्प्रवासी कामगार और निर्माण कार्य में लगे कामगार और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल न होने वाले अन्य कामगार शामिल हैं। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या लगभग 35 से 40 करोड़ है। असंगठित क्षेत्र में स्वनियोजित कामगार बड़ी संख्या में हैं। स्वनियोजित कामगारों और दस्तकारों का कोई नियोक्ता नहीं होता है। उपभोक्ता खरीदार होते हैं और वे ही उनके नियोक्ता होते हैं अत:, सरकार इस संबंध में नियोक्ताओं के अंशदान को किस प्रकार परिभाषित करती है? यह स्पष्ट नहीं है। एक कामगार को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ता है। यद्यपि इस विधेयक में कामगारों के लिए पेंशन का उल्लेख है, किन्तु यह पैसा आयेगा कहां से? विधेयक में धनराशि के स्रोत का उपबंध नहीं किया गया है। कोई कार्यान्वयन एजेंसी भी नहीं है। एक बोर्ड का गठन किया गया है किंतु बोर्ड एक मात्र परामर्शदात्री निकाय है, वह कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है। किसी कार्यान्वयन एजेंसी के बगैर कानून अर्थहीन होता है। विधेयक में प्रावधान है कि 'इस अधिनियम में मासिक-मजदूरी का अर्जन करने वाले कामगारों को शामिल किया जायेगा।' इसका अर्थ यह है कि इस विधेयक में दैनिक मजदूरी वाले कामगारों को शामिल नहीं किया गया है। अत:, मेरा अनुरोध है कि दैनिक मजदूरी वाले स्वनियोजित कामगारों को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पहचान पत्र जारी करना एक मुश्किल कार्य है। अत:, विधेयक के खंड (9) की जांच की जानी आवश्यक है। इस विधेयक के जरिये सरकार ने यह और गलती की है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीपीएल और गैर-बीपीएल श्रेणी में विभक्त कर दिया है। अन्त में, इस योजना को चलाने के लिये धनराशि का स्पष्ट रूप से आवंटन होना चाहिए और उसकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत सरकार की होनी चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं। यह संख्या लगभग 40 लाख है अर्थात् यह हमारे देश के कार्यबल का लगभग 94% है। असंगठित क्षेत्र के कामगार हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% योगदान कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार धनसंपत्ति के सृजनकर्त्ता हैं, परन्तु वे स्वयं दयनीय स्थिति में रह रहे हैं? अंतत:, जब यह विधेयक आया है तब यह एक तरह से प्रसन्नता का अवसर है कि सबसे बड़े क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह विधेयक है। साथ ही यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि यह विधेयक वास्तविक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अपेक्षा कल्याण योजनाओं का विवरण अधिक है। भारत ऐसा देश है जहां कामगारों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून हैं परन्तु 1990 के आर्थिक सुधारों और विशेषत: वैश्वीकरण के पश्चात्, यह कानून निरर्थक हो गए हैं और श्रमिकों को सरकार की ओर से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वैश्वीकरण ने कामगारों के जीवन को और अधिक दयनीय बना दिया है। इससे कामगारों को मिलने वाली समस्त सामाजकि सुरक्षा समाप्त हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में अर्थव्यवस्था में काफी प्रगति हुई है। अत्यधिक धनसंपत्ति सृजित हुई है। परन्तु साथ ही, हाल के समय में एक ओर तो कुछ हजार लोगों के हाथ में संपत्ति सिमट गयी है और दूसरी ओर बहुत बड़े वर्ग में दरिद्रता व्याप्त है और असंगठित क्षेत्र के कामगार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के शिकार हैं। वास्तव में, ट्रेड यूनियनों द्वारा अनेक आंदोलनों के कारण जनता में व्याप्त असंतोष के चलते 'सर्वसमावेशी विकास' जैसा नया नारा उत्पन्न हुआ है। यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा है कि असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाया जाएगा और यह वही विधेयक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। परन्तु, महोदय, इस विधेयक में अनेक कमियां हैं। स्थायी समिति की सिफारिशों के संसद में प्रस्तुत किये जाने के 1 वर्ष बाद विधेयक चर्चा के लिए लाया गया है।

एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों के अधिकांश कल्याण कार्यक्रम एक ही वर्ग के तहत लाये जा रहे हैं और इसे अब असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक नाम दिया गया है। वास्तव में अधिकांश सुरक्षा कल्याण उपाय बीमा कम्पनियों को दिये जा रहे हैं। इस देश में बीमा कंपनियां समाज सेवा के लिए नहीं सृजित की जाती। उनकी स्थापना व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाकलाप के लिए की गई हैं। बीमा कम्पनियां कल्याण क्रियाकलाप कैसे करेंगी?

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब एक बहुत बड़ा कल्याण कार्य चल रहा है—जिसे हथकरघा कामगारों के लिए कल्याण कार्य कहा गया है इसके तहत 18 से 58 वर्ष के कामगार जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा में कवर किये गये हैं। एक भारतीय की औसत आयु 72 वर्ष है। पिछले दो वर्षों से श्रम मंत्रालय के बार-बार प्रयासों के बावजूद बीमा कम्पनियां इसमें

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

कवर करने के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाने पर सहमत नहीं हो रही है इसका अर्थ है कि जब एक कामगार की मृत्यु की अधिक संभावना है तो वे लोग यह कवरेज देने को तैयार नहीं हैं।

55 वर्ष कीआयु तक मृत्यु की अधिक संभावना वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10,000 में दो या तीन होगी। परन्तु ऐसे समय पर जब वे अधिक मृत्यु प्रवण हैं, वे उन्हें कवर करने को राजी नहीं हैं। अब यह विधेयक इन कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन बीमा कम्पनियों को सौंपता है।

श्रम संबंधी स्थायी समिति और श्री अर्जुन सेनगुप्ता ने अपनी सिफारिशों में सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय निधि, चाहे चक्रीय निधि हो या कोई अन्य निधि, का सृजन किया जाए ताकि सामाजिक सुरक्षा उपाय किये जा सकें। इस विधेयक में इसका केवल अस्पष्ट उल्लेख यह कहकर किया गया है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर कुछ सहायता प्रदान ''कर सकती है''; राज्य सरकार समय-समय पर कुछ अन्य सहायता प्रदान ''कर सकती है'' और कुछ धनराशि कार्मिकों से एकत्रित की जा सकती है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले, यह खंड की ''राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं'' इसे सिफारिश बना देता है। राज्य के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। हमारे देश में स्वतंत्रता के साठ वर्ष बाद भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोई ट्रेड यूनियन कानून नहीं हैं। सिक्किम भारतीय संघ में बाद में शामिल हुआ है परन्तु राज्य में कोई श्रम अधिनियम नहीं है। अनेक कल्याण उपाय जिनका कार्यान्वयन किया जाना है कुछ राज्यों में कार्यान्वित नहीं किये जा रहे। श्रमिक कल्याण आदि संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। परन्तु इसे राज्यों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। अन्यथा विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा।

अब मैं बोर्ड की स्थापना के विषय पर आता हूं। कल्याण योजनाओं की समीक्षा और पर्यवेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों का गठन किया जाना है। स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि इसे कुछ प्रशासनिक शक्तियां दी जाएं ताकि वे नियम बना कर उन्हें लागू कर सकें। इसके बिना वे केवल सलाहकार निकाय बन कर रह जाएंगे। इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। इन बोर्डों को और लोकतांत्रिक बनाया जाए। ट्रेड यूनियनों में अनेक प्रतिनिधि होते हैं। कार्मिकों के प्रतिनिधि, संसद से प्रतिनिधि आदि। उनका निर्वाचन कैसे किया जाए? इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। केन्द्र से मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को इन बोर्डों में अपने प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होना चाहिए। अन्यथा ये बोर्ड केन्द्र सरकार के नामनिर्दिष्ट निकाय बनकर रह जाएंगे। इससे हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

मैं महसूस करता हूं कि जैसाकि स्थायी समिति ने सिफारिश की है, कृषि श्रमिकों के लिए एक अलग विधेयक होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा वर्ग है। कृषि क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ श्रमिक हैं। केन्द्र द्वारा किसी उपयुक्त तंत्र के बिना कल्याण उपायों को कार्यान्वित करना संभव नहीं है।

इन सब कमियों के बावजूद मुझे विश्वास है कि असंगठित कामगारों के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता है। परन्तु इसमें कुछ सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मैंने कुछ सुधारों के लिए नोटिस दिया है और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी सुधार के लिए नोटिस दिये हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस कम से कम उनमें कुछ से सहमत होंगे।

भारत सरकार इस देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है दुर्भाग्यवश, असंगठित कामगारों के मामले में यह सबसे बड़ा चूककर्ता भी है। संगठित क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित कामगार बड़ी संख्या में हैं जैसेकि ठेके पर या दिहाड़ी कामगार। मैं मौसमी कामगारों की बात नहीं कर रहा। मैं बारहमासी चलने वाले कार्य के बारे में बात कर रहा हूं। वहां, लोग पन्द्रह वर्षों या बीस वर्षों या तीस वर्षों से कार्य कर रहे हैं परन्तु उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। यदि केन्द्र सरकार इन कामगारों की सेवाओं को नियमित किये बिना इस प्रकार से बर्ताव करती है, तब सरकार ठेकेदारों या निजी कम्पनियों को श्रम कानूनों का कार्यान्वयन करने का निदेश कैसे दे सकती है।

इसके अलावा, मुझे लगता है कि कतिपय अन्य महत्वपूर्ण वर्गों को छोड़ दिया गया है। आंगनवाड़ी कामगारों और स्वास्थ्य कामगारों को एक सुंदर नाम दिया गया है। उन्हें ''स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता'' का नाम दिया गया है।

वे स्वैच्छिक कार्यकर्ता नहीं हैं। वे सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा कर रहे हैं। यह पार्ट-टाईम नौकरी नहीं है। यह स्वैच्छिक कार्य नहीं है। पारिश्रमिक 1,000 रुपये से कम है और हाल ही में इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। तथापि, उनके लिए ईएसआई स्कीम, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम नहीं है।

महोदय, अभी यहां दिल्ली में, डाक विभाग के विभागेत्तर कामगार, जिनकी संख्या साढ़े छह लाख से अधिक है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज, कुछ माननीय सदस्यों ने उनके विषय को सभा में उठाया है। वे पिछले 25 से 30 वर्षों से सेवा में हैं। उनके लिये कोई पेंशन स्कीम या कोई कल्याणकारी उपाय नहीं हैं। इसलिए इतने बड़े वर्ग को, करोड़ों लोगों को शामिल न

करके यह विधेयक किस प्रकार से असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बेहतर विधेयक साबित होने जा रहा है? मेरा मानना है कि यह आवश्यक है कि इन सभी वर्गों को इस विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए और तथाकथित 'स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता' नाम को हटाया जाना चाहिए। इस संबंध में इन सभी को उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, अन्य संशोधनों का सुझाव देने के अलावा मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि खंड 3 के पृष्ठ चार पंक्ति 16 में यह उल्लेख है कि केन्द्रीय श्रम और कल्याण मंत्री अध्यक्ष होंगे। स्वाभाविक तौर पर यदि माननीय श्रम मंत्री प्रभारी हों, तो इसमें कुछ गंभीरता होगी। परन्तु इस खंड में, यह कहा गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य समाज के प्रख्यात लोगों में से चुने जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें परस्पर विरोधाभास है। 'अध्यक्ष' शब्द को हटाया जा सकता है। वह एक प्रख्यात व्यक्तित्व के धनी हैं और इसीलिए वह माननीय श्रम मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)* मुझे उम्मीद है कि ये जोड़ने की छोटी गलतियां होंगी, परन्तु वास्तविक बात समितियों को प्रशासनिक शक्तियां देना है और इसका कार्यान्वयन करने के लिए इसे राज्यों के लिए बाध्यकारी बनाना है और अलग से कृषि संबंधी विधेयक और केन्द्र स्तर पर आवर्ती निधि की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक बातें हैं। यदि इन बातों को सम्मिलित कर लिया जाता है, तब यह विधेयक अधिक व्यापक हो जाएगा और यह बड़ी संख्या में लोगों को कवर कर सकेगा। मेरा मानना है कि इस प्रकार का विधेयक अधिक उपयोगी होगा और यह समझा जाएगा कि भारत की संसद ने असंगठित श्रमिकों के लिए अच्छी सेवा की है जिनकी संख्या काफी अधिक है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, सभी 25 सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे जाने वाले हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने-अपने भाषणों को 5 मिनट तक ही सीमित रखें। कृपया सहयोग करें ताकि हम इस चर्चा को निर्धारित समय के अंदर समाप्त कर सकें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): मतदान का समय क्या है?

सभापति महोदय: यह 6 बजे के बाद होगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, यह 6 बजे के बाद और 10 बजे तक होगा।

सभापति महोदय: वास्तव में, कई वक्ता अभी बाकी हैं। इसलिए अभी समय बता पाना कठिन होगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, कृपया समय की घोषणा कर दीजिए ताकि हम अपना कार्य कर सकें।

सभापति महोदय: श्री दासगुप्त जी, मुझे खेद है। अभी इस समय मैं मतदान का समय नहीं बता सकता। हम शीघ्रातिशीघ्र इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात् हम मतदान कराएंगे।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति जी, असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 जो प्रस्तुत हुआ है, मैं भावनात्मक रूप से इससे सहमत हूं, परंतु यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका हित-संरक्षण हो पाएगा, इसमें शंका है। उनको सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी, इसमें भी शंका है।

इस विधेयक में जो बोर्ड बनाने की बात कही गई है, उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वे दिखायी नहीं दे रहे हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि यह जो बोर्ड बनाने के बारे में परिभाषा दी गई है और उसके कर्त्तव्य के बारे में कहा गया है, उसे अगर पढ़ें तो ऐसा लगता है कि यह मात्र सलाहकार बोर्ड के ही रूप में काम कर पाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि पृष्ठ 4 पर धारा पांच (8)(क) में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार को असंगठित कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमों की सिफारिश करना। अब स्कीम की सिफारिश यह बोर्ड करेगा, उन स्कीमों को माना जाएगा या नहीं, यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। अभी तक देश में जितने भी बोर्ड या सलाहकार मंडल बने हैं, वे सलाहकार मात्र रहते हैं, परन्तु उनकी सलाह पर अमल नहीं हो रहा है। ऐसा अनुभव आप और हम सब कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। इसके धारा आठ (ख) में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर सलाह देना, जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं। इस बोर्ड को सलाह देने में भी स्वतंत्रता नहीं है, सलाह देने के लिए भी केन्द्र सरकार जिन विषयों को कहेगी कि आप इस विषय के बारे में सलाह दीजिए, उस विषय पर ही वे सलाह दे पाएंगे। असंगठित कर्मकारों के बारे में जो समस्याएं हैं, जो बोर्ड अनुभव करेगा, अध्ययन करके निष्कर्ष निकलेगा, उन सब पर सलाह देने

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

के अधिकार उसे नहीं होंगे। केन्द्र सरकार जो निर्देशित करेगी कि इस बिन्दु पर आप सलाह दीजिए, उस बिन्दु पर ही वे सलाह दे सकेंगे। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मांग कुछ और है और काम कुछ और है तथा अधिकार की दृष्टि से यह बोर्ड अधिकार शून्य है। इसके बाद धारा पांच (ग) में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं का अनुवीक्षण, अर्थात् मोनिटरिंग करने की बात इसमें कही गई है, परन्तु जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर अमल कौन करेगा, इसके बारे में इस बोर्ड में या विधेयक में कहीं भी एक शब्द नहीं कहा गया है। जो स्कीमों की संख्या 10 दी है, उन स्कीमों का अनुपालन कौन करेगा? उस पर अमल करने का काम कौन करेगा? क्या आपका श्रम मंत्रालय करेगा या फिर कलेक्टर को अधिकार होंगे या पंचायती राज व्यवस्था को होंगे? आप इसे पढ़ कर जवाब देते समय हमें बताएं कि अमल की एजेंसी कौन सी होगी? इसमें अमल की एजेंसी कहीं कोई नहीं दर्शायी है, इसलिए मैं यह सोचता हूं कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकारें अपने जो मूल विभाग के काम हैं, उनसे ही फुरसत नहीं पाती हैं। इसलिए इस बोर्ड में या इस बोर्ड की जो स्कीम है, उन पर अमल करने के लिए कोई एजेंसी नहीं होगी तो वे किस से पूछेंगे, इसका इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अगर इन स्कीमों पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ तो जवाबदेही किसके ऊपर है, इसके बारे में आपने इसमें एक शब्द भी नहीं लिखा है। आप और हम सब देख रहे हैं कि देश में जो परम्परा और व्यवस्था बनती जा रही है, वह ऐसी बनती जा रही है कि काम के प्रति जवाबदेही देने के बाद भी, प्रावधान होने के बाद भी जवाबदेही का अनुपालन नहीं किया जाता है। इसमें जवाबदेही किसकी है, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। राज्य सरकार कहेगी कि केन्द्र सरकार जाने और केन्द्र सरकार कहेगी कि राज्य सरकार जाने। राज्य में भी बोर्ड को कहा जाएगा कि कलेक्टर करेगा, बोर्ड को अन्य कुछ कहा जाएगा, श्रम मंत्रालय का विकास खंड स्तर का इंस्पेक्टर करेगा या जिला श्रम अधिकारी, पदाधिकारी करेगा।

महोदय, इस प्रकार की झगड़ेबाजी में यह बोर्ड और इसको दिये गये अधिकार ऐसे ही कागजों में पड़े रहेंगे और उन पर अमल की स्थिति नहीं होगी। इस प्रकार के नियम बनाने और बोर्ड बनाने की लम्बे समय से चर्चा और मांग होती रही है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, कुल कामगारों का लगभग 94 प्रतिशत है और यदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या देखी जाए, तो लगभग 40 करोड़ है। हिन्दुस्तान की आबादी का एक-तिहाई हिस्सा ऐसा है और देश की जनसंख्या के एक-तिहाई हिस्से के लिए अगर इस प्रकार का लचर कानून या बोर्ड बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि इससे उन असंगठित श्रमिकों को जो पचासों वर्षों से कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं, उनका हम हित संरक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप नियम बनाते समय उन सब बातों का उल्लेख करें और मान लीजिए एक्ट में या विधेयक में कोई खामी रही हो, तो दो साल के अंदर सुधार करने की गुंजाइश भी करने का काम आप करेंगे, तो अच्छा होगा।

महोदय, राज्य बोर्ड और केन्द्रीय बोर्ड के गठन में आपने कहा है कि 34 मैम्बर सदस्यों का यह बोर्ड होगा। अब जैसा रेड्डी जी ने कहा इसमें एक परिभाषा दी गई हैं कि अध्यक्ष और इसके सदस्य विशेष योग्यता प्राप्त होंगे। अब मंत्री जी, आपकी योग्यता के बारे में कोई शंका नहीं है, क्योंकि आप योग्य हैं, परन्तु आने वाले समय में जो और श्रम मंत्री होंगे, वे कैसे होंगे,यह हम नहीं कह सकते। श्रम कानूनों के बारे में, वित्त के बारे में या उनके प्रबंध के बारे में, उनका अध्ययन होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम अभी से कैसे कह सकते हैं। इसलिए चेयरमैन और सदस्यों की एक ही योग्यताएं दर्शाई गई हैं, यह ठीक नहीं है। जो बाकी सदस्य होंगे, वे तो इस प्रकार के ढूंढ़े जा सकते हैं, परन्तु जो श्रम मंत्री बनेगा, वह तो प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस योग्यता के दायरे और उस परिभाषा को देखकर, उसे ठीक करने का काम करें, अन्यथा यहां श्री कपिल सिब्बल साहब बैठे हैं। वे अच्छे वकील हैं। वे जानते हैं कि कोई हाई कोर्ट में जाएगा और कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि साहब इस परिभाषा के हिसाब से ये-ये योग्यताएं चाहिए और ये श्रम मंत्री इस प्रकार की योग्यता रखने वाले नहीं हैं। इसलिए इसे भी ठीक करेंगे, तो अच्छा होगा।

महोदय, इसके छठे क्रमांक में सरकार ने एक बात और कही है कि राज्य सरकारों के भी पांच प्रतिनिधि केन्द्रीय बोर्ड में होंगे। अगर आप केन्द्रीय बोर्ड में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि रखने की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वे कौन से राज्यों के होंगे, क्या वे बाई रोटेशन होंगे. यदि हां, तो इसमें ऐसा कोई उल्लेख कहीं नहीं है। नियम बनाते समय आप यदि इस बात का ध्यान रखेंगे, तो उचित होगा। फिर राज्यों के बोर्डों में केन्द्र के प्रतिनिधि होंगे, तो अच्छा होगा, परन्तु इसमें आपने ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं की है। जब राज्य के प्रतिनिधि आप केन्द्रीय बोर्ड में रखेंगे, तो राज्य के बोर्ड में भी यदि केन्द्र के प्रतिनिधि होंगे, तो आदान-प्रदान ठीक होगा और दोनों बोर्ड सक्षमता से काम करने की ओर कुछ विचार कर सकेंगे। फिर आपने कहा है कि अनुसूचित

जाति, जनजाति, महिला और अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब यह जो प्रतिनिधित्व देने की बात आपने कही है, यह पर्याप्त नहीं है। आप उनकी संख्या निर्धारित कर दें कि इतने अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे, इतने जनजातीय वर्ग के होंगे, इतने अल्पसंख्यक होंगे और इतनी महिलाएं होंगी। इस प्रकार का कर दें, तो ठीक है, अन्यथा इस पर पूर्णरूपेण अमल होगा, इसमें मुझे शंका प्रतीत होती है। आप स्वयं भी ऐसा महसूस करेंगे। इसलिए आप इसे भी सुधारने की कोशिश करें, तो अच्छा है।

महोदय, असंगठित सैक्टर कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सात सदस्य होंगे, वे कौन होंगे? असंगठित श्रमिक, इन सब बातों को इतना समझने वाले मिलेंगे, यह मेरी सोच नहीं है क्योंकि वे तो अनपढ़ होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, मजबूरी के मारे होते हैं और कभी कहीं होते हैं और कभी कहीं और होते हैं। इसलिए इसमें एक प्रावधान करें, तो अच्छा होगा कि जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त श्रम संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुला लें और जब वे होंगे, तो वे इस कानून को समझकर उनके हित की बात कर सकेंगे।

सभापति महोदय: कृपया अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत: सर, दो-तीन मिनट और दे दीजिए। मैं इधर-उधर कहीं नहीं जा रहा हूं। सिर्फ विधेयक से संबंधित और मुख्य बातें ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर बोलने वाले बहुत माननीय सदस्य हैं। इसलिए आप कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत: सर, हम देश की आबादी के एक-तिहाई जनसंख्या में कर्मकारों के बारे में विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय: आपने 10 मिनट ले लिए हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: सर मैं बहुत संक्षेप में बोलकर शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करूंगा।

अगर उसमें वे मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा होगा।

इसके आगे आप यह जो असंगठित क्षेत्र पहचान-पत्र देने वाले हैं, इस प्रकार का बहु-आयामी होना चाहिए और वह फोरएवर लागू हो, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पहचान-पत्र ठीक नहीं हुआ, इस क्षेत्र का इस क्षेत्र में लागू होगा, बाकी क्षेत्र का अलग-अलग बना देंगे तो उनको जो बाकी सुविधाएं मिलती हैं, वे सुविधाएं बीच-बीच में ब्रेक हो जाएंगी और जब वे ब्रेक हो जाएंगी तो उनको जो बाकी सुविधाएं हम देने वाले हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से या और पेंशन की दृष्टि से, उसमें भी उनको नुकसान होगा। इसलिए यह जो पहचान-पत्र है, यह बहु-आयमी होना चाहिए और इसको बनाते समय आप ध्यान रखेंगे तो उचित होगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बोर्ड के सदस्यों में से स्कीमों की निगरानी हेतु समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अभी 10 स्कीमों का आपने प्रावधान किया है कि बोर्ड मैम्बर्स साल में न्यूनतम तीन बैठकें कर पाएंगे और कई बार ऐसा होता है कि न्यूनतम तीन बैठकों का प्रावधान है, वह भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में 10 योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करना, इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति देखना और निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होगी। ये जो 34 मैम्बर हैं, उनमें से 2-2 मैम्बरों को 1-1 स्कीम दे दें, वे उसका ध्यान रखेंगे और ध्यान रखने के बाद बोर्ड की मीटिंग में उसके बारे में सलाह देंगे और जो-जो खामियां हैं, उनको ठीक करने की व्यवस्था भी करेंगे।

योजनाओं को लागू करने के लिए स्वयं का तंत्र होना चाहिए। वह तंत्र अगर नहीं होगा तो ये जो योजनाएं हैं, ये अमल में नहीं आ सकेंगी, ऐसा मेरा कहना है। यह जो योजनाओं का तंत्र है, इसमें जो सुविधा देने की समितियां हैं, वे अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर और विकास खंड स्तर पर की जानी चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जवाबदेही जरूर फिक्स करने की व्यवस्था इस बिल में करें। मुझे एक बात की जानकारी है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था कि हम यह इनके हित संरक्षण की योजनाओं को लागू करने के लिए देंगे और यह तय किया था कि पहले साल एक हजार करोड़, दूसरे साल दो हजार करोड़ रुपये, तीसरे साल तीन हजार करोड़, चौथे साल चार हजार करोड़ और पांचवें साल पांच हजार करोड़ रुपये देंगे, परन्तु उसमें से कुछ भी धनराशि नहीं दी गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अन्याय को ठीक से समझते हुए इस अन्याय को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की दृष्टि से आप विशेष प्रावधान करेंगे और वित्त पोषण की व्यवस्था करेंगे। केन्द्रीय बोर्ड के पास पैसा कहां से आएगा और राज्य बोर्ड के पास पैसा कहां से आएगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। आपने कहा है कि ये वहां से ले सकेंगे, नियोक्ताओं से ले सकेंगे, किसी राज्य सरकार से ले सकेंगे, यह ले सकेंगे शब्द खराब है, इसको यहां

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

से मिलेगा ही, इतने प्रतिशत केन्द्र से, इतना राज्य से, इतना नियोक्ताओं से, इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें, नहीं तो पैसा ही नहीं होगा तो न बोर्ड काम कर सकेगा, न स्कीम लागू होगी, न मोनेटरिंग होगी, न कुछ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सुझाव हमने दिये हैं, उन पर आप नियम कानून बनाते समय अगर ध्यान में रखकर प्रावधान कर देंगे तो अच्छा होगा। यह जो बोर्ड बनाने की आपकी इच्छा, आकांक्षा, मंशा है, उसको पूर्ण करने की दिशा में हम अग्रसर हो सकेंगे।

श्री के.एस. राव (एलुरु): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, श्री ऑस्कर फर्नांडीस को बधाई देना चाहता हूं जो इस सभा में पहले से बार-बार कहते रहे हैं कि वह इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाएंगे। वास्तव में उन्होंने इसे पिछले सत्र में ही लाने की बात कही थी लेकिन कम से कम अब तो वह इस विधेयक को ला चुके हैं। मुझे इस बात से खुशी है।

मैं इस सभा में अब तक लाये गये विधेयकों की तुलना में इस विधेयक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयक मानता हूं। इसका कारण यह है कि यह विधेयक उन लोगों के लिए लाया गया है जो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

बीजेपी के हमारे माननीय साथी डा. सत्यनारायण जटिया इस विधेयक के बारे में बता रहा थे कि देर से ही सही आया तो सही। खैर, हमने इसे विलम्ब से लाया है, लेकिन हम उनकी तरह "कभी नहीं" वाली स्थिति में नहीं हैं। वे अपने समय में यह विधेयक कभी नहीं लाए। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि इस सरकार ने इस विधेयक को लाया।

ठीक उसी प्रकार हमारे मित्र श्री थावरचन्द गेहलोत ने बोलते समय यह कहा कि यह विधेयक सफेद हाथी के समान है। वह यह भी कह रहे थे कि यह एक कमजोर विधेयक है। उन्हें इस बात को लेकर संदेह है कि इस विधेयक का भविष्य क्या है। वह इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि इसमें कई खामियां हैं। लेकिन मैंने इस सभा में पुर:स्थापित किये गये विधेयकों में से ऐसा कोई भी विधेयक नहीं देखा है जिसमें कोई खामी नहीं है। जब किसी सभा में कोई विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है, तो हम यह उम्मीद नहीं करे सकते हैं कि हरेक कार्य पूरा ही हो जाएगा। हम यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। बुनियादी तौर पर होता यह है कि हम किसी प्रयोजन से सभा में विधेयक लाते हैं, उसे अधिनियम बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास किस प्रकार का अनुभव है, विधेयक में किस प्रकार के संशोधन किये जा सकते हैं और हमें उन लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है जिन्हें इस विधेयक से प्राप्त किये जाने की उम्मीद है।

अत: एक समय के बाद इसमें संशोधन किये जाने और अन्य बातों की अपेक्षा होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सरकार बिना किसी झिझक के असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में कार्यरत बदनसीब लोगों, के हित में निश्चित रूप से इस विधेयक में ऐसे संशोधन लाएगी। जैसाकि हमारे साथी ने बताया कि उनकी संख्या लगभग 60 करोड़ है। ये 40 करोड़ लोग कुल कार्यबल के 87 प्रतिशत हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनमें से 60 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र से है। इसलिए क्या हमें इसके बारे में बहुत पहले नहीं सोचना चाहिए था?

महोदय, मैं इस सभा में 20 वर्ष से कहता आ रहा हूं कि हमें उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग इसकी मांग कर रहे हैं। मैंने इस सदन में इसका कारण यह बताया कि जब हम गांवों में जाते हैं, गरीब तबके के लोगों के घर में जाते हैं तो पाते हैं कि न तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के पास संसाधन हैं और न ही उनके बच्चों के पास अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए संसाधन हैं। यहां तक कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए उनके पास 500 रुपये नहीं होते हैं। इसके कारण वे अंधे का जीवन जी रहे हैं।

महोदय, यदि संगठित क्षेत्र के किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष तक काम किया है, जो उसे जीवन भर पेंशन मिलता है। इसका कारण, जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं, यह है कि जब वह समाज, सरकार को बीस वर्ष की सेवा देता है, तो पेंशन से जीवनपर्यंत उनकी रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य होता है। वे लोग पेंशन पाने के हकदार हैं। यहां तक कि हम भी संसद सदस्य के रूप में यदि एक कार्यकाल के लिए काम करते हैं, तो जीवन भर पेंशन पाने के पात्र हो जाते हैं। हमने भी यह कहते हुए संसोधन लाया है कि यह आवश्यक नहीं कि इस सभा का कार्यकाल पूरे पांच वर्ष का हो, यदि इसका कार्यकाल एक वर्ष का भी होता है, तो भी हम पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। यदि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी पेंशन के पात्र हैं, यदि हम संसद सदस्य के रूप में पेंशन का दावा करते हैं, तो क्या वे जीवन भर पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं? क्या हमने इसके बारे में सोचा भी है?

जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो क्या उन्हें हमसे पूछना चाहिए: "महोदय, हमें 200 रुपये या 400 रुपये का पेंशन दीजिए?" क्या हम उन्हें कोई चंदा दे रहे हैं? उनका ध्यान रखना सरकार का उत्तरदायित्व है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी संख्या कितनी है। उन्होंने जो सेवाएं हमें प्रदान की हैं, जो हममें से किसी भी सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा से अधिक है, तो उसके लिए उनका ध्यान जीवन भर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे 10 या 12 या 13 वर्ष की उम्र से शुरू करके 60 वर्ष तक की उम्र तक काम करते हैं। कुछ मामलों में यहां तक कि कोई सीमा ही नहीं होती है और वे प्रतिदिन 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे हैं।

पेंशन दिये जाने के संबंध में मैं यह कहता रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान करने का दायित्व सरकार का है। इसका वहन केन्द्र और राज्य सरकारों को बराबर-बराबर या किसी ऐसे अनुपात में जो वे वहन कर सकते हैं, करना चाहिए। 16 वर्ष से अधिक उम्र वाले हरेक व्यक्ति, विशेषकर वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, को पेंशन अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राशि कितनी है।

ऐसी ही स्थिति चिकित्सा सुविधाओं की है। जब लोग सरकारी हस्पतालों में जाते हैं, तो उनकी परवाह कोई नहीं करता है और वे निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम के बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। फिर, उनकी देखभाल कौन करेगा? जब तक वे जिंदा रहते हैं, जीते हैं। और उसके बाद मर जाते हैं। उनकी परवाह कोई नहीं करता है। तब क्या उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यही कारण है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव कर रहा हूं, यद्यपि जीवन और स्वास्थ्य कवरेज, दोनों के लिए यह लागत बहुत अधिक हो सकती है।

अत: मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इन चीजों को पूरी तरह शामिल किया जाए तथा आवश्यक राशि प्रदान की जाए। हमने 60 से अधिक उम्र वाले लोगों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए राशि की गणना की है। यदि ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ मान ली जाए और उनका 30 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है, अर्थात् लोगों की संख्या तीन करोड़ है, तो कुल लागत राशि प्रतिवर्ष 18000 करोड़ रुपये होगी। यदि हम प्रतिमाह प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये देते हैं। सरकार इस राशि को वहन कर सकती है। ठीक इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए यदि हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 600 रुपये देते हैं तो उनका स्वास्थ्य और जीवन दोनों हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब कुछ संगठन आगे आए हैं। उन्होंने न केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों के लिए बीमा का प्रावधान सभी के लिए खुला रखा है। वे सभी लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। इसकी लागत 18000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

माननीय मंत्री जी इसी प्रकार इन बातों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को कौशल प्रदान किया जाए। अब हम इसमें कुछ भी प्रदान करें जब तक आप इन सभी लोगों को कौशल प्रदान नहीं करते, देश के लोग कष्ट उठाते रहेंगे। आज देश के लोग केवल इसलिए कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि कौशल की कमी है। यदि हमें इस देश में शिक्षा का रूप बदलना होता तो उसमें आपको बड़ी भूमिका निभानी पड़ती न कि मानव संसाधन विकास मंत्री को।

अपराह्न 4.46 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

सरकार को सभी लोगों को 15 वर्ष की आयु से कौशल प्रदान करना आरंभ करना होगा। यदि किसी लड़के की अभिरुचि दिखाई देती है तो वह विकास करेगा। उसे रुचि है चाहे यांत्रिक मरम्मत हो चाहे पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो। चाहे यह कुछ और हो मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, जो कुछ भी हो। यदि हम 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के उन सभी लड़के लड़कियों को चार वर्ष तक प्रशिक्षण दें तो वे बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं और उनमें इतना आत्मविश्वास होगा कि वे अपने बल पर जीवन यापन कर सकेंगे। वे समाज के लिए परजीवी नहीं बनेंगे उन्हें रोजगार के लिए आपके और मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं होगी वे खुद ही जीवनयापन कर लेंगे। उनमें उत्पादन क्षमता आएगी। आज उनमें उत्पादन क्षमता नहीं है। यदि किसी असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करते हैं तो कौशल के बिना वे कब तक स्वयं की देखभाल कर पाएंगे? इसमें मूल बात यह है कि हम कौशल प्रदान करें। सरकार कृपया पर्याप्त निधि आवंटित करे। मैं जानता हूं कि सरकारपिछले बजट में 1600 करोड़ रुपये प्रदान किये थे। परन्तु 15 से 20 या 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी लोगों को ऐसा कौशल प्रादन करने के लिए कम से कम 18000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यदि सरकार रोजगार प्रदान नहीं भी करती तो वे मांग नहीं करेंगे। वे संपत्ति सृजन कर सकते हैं जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा।

[श्री के.एस. राव]

आज, चाहे हम यह कहें कि भारत में सर्वाधिक तकनीकी जनशक्ति है। आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम स्थान पर है। परन्तु दुर्भाग्यवश, प्रत्येक संगठन बताता है कि जिस तरह से हमारे सभी सूचना प्रौद्योगिकी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वह उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। अतएव हमें उन सभी लोगों को इस तरह से प्रशिक्षण देना चाहिए जैसी उद्योग को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। वह अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव मैं चाहता हूं कि सरकार कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास परिषद का गठन किया है। आज, मुश्किल से दो प्रतिशत लोग हैं जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और फिर योग्यता प्राप्त करते हैं। आठ प्रतिशत लोगों ने यह कौशल प्राप्त किए हैं। हम इसे 50% तक बढ़ा रहे है।

श्री के.एस. राव: बहुत अच्छा। इस पहलू पर मैं आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। हम 18000 करोड़ रुपये तत्काल दे सकते हैं परन्तु शिक्षक नहीं हैं। इस संदर्भ में मेरा आपको एक सुझाव है यह आशा मत कीजिए कि शिक्षक के पास एम.ए. या एम. टैक की डिग्री हो या वह इंजीनियर हो या डिप्लोमा धारक हो। यदि वह गांव का बढ़ई भी हो और उसके पास हुनर है तो उसे शिक्षक के रूप में लेने पर विचार करें उसे वेतन दें और उसे कहें कि लड़के जहां रह रहे हैं उन्हें वहां बढ़ईगिरी सिखाए। इसी प्रकार यह कोई भी व्यवसाय हो सकता है।

आज इंजीनियरिंग कालेजों में न तो कार्मिक हैं और न शिक्षक वर्ग। मेडिकल कालेजों में कोई शिक्षक वर्ग नहीं है। हम बहुत से कालेज तथा पॉलीटैक्निक दे रहे हैं। कल सरकार प्रशिक्षण संस्थान खोलेगी परन्तु शिक्षक कहां हैं? कृपया अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान आरंभ कीजिए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। हमें उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए निगम या कोई समिति गठित करने से ही काम ख़त्म नहीं हो जाता। हमारे पास इसकी संकल्पना होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए संसाधन होने चाहिए। यदि ये सब हैं तो इस संदर्भ में मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है। आपने इस महत्वपूर्ण पहलू पर यह विधान लाकर एक महान कार्य किया है।

कृपया सुनिश्चित करें कि यह शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाएं और लड़कों को व्यवसायों में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आप इस वर्ष इन्हें चुनावों से पूर्व आरंभ करें। इसे महीनों या दिनों का काम मानकर चलिए। यह देश के लिए अति तात्कालिक है।

बहुत से अलग-अलग अधिनियम लाए गए हैं। ये एक या दो, तीन नहीं हैं अपितु 10 या 15 अधिनियम हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम आदि और अनेक अन्य अधिनियम भी हैं। ये सब चीजें एक अधिनियम में समेकित की जा सकती है जिसमें कोई विरोध न हो और कोई कठिनाई न हो और इस पहलू पर कोई मुकदमेबाजी न हो। उदाहरणत: सरकार ने एक अच्छी योजना आरंभ की है। एनआरईजीपी और उसमें हमने हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका क्या उद्देश्य है? यह उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है और केवल मौसमी तौर पर कार्य होता है। हम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का कार्य देना चाहते थे और हमने हजारों करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। यदि सरकार को यही राशि कामगारों को कौशल प्रदान करने के लिए व्यय करनी हो तो वे नहीं आएंगे। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जहां उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा वहां वे नहीं आएंगे।

आज हमें किसी भी व्यवसाय में लोग नहीं मिल रहे हैं। चाहे यह कोई भी व्यवसाय हो। यदि घर में रसोइया चाहिए तो वास्तव में सक्षम व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, ड्राइवर चाहिए तो समाज में कोई अच्छा ड्राइवर नहीं है, कार मरम्मत करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए तो कोई नहीं मिलता। आप कुछ भी कहें, कोई नहीं मिलेगा। स्पष्टत: इसका अर्थ है कि बेरोजगारी या अल्परोजगारी व्याप्त है। परन्तु कौशल नहीं है, कोई उत्पादन क्षमता नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इसे आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

जो प्रावधान आपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये हैं, चाहे नेहरू रोजगार योजना हो, ग्रामीण रोजगार योजना या एनआरईजीपी, इतनी योजनाएं हैं जिन्हें एक शीर्ष के तहत लाया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किये जा सकते हैं जिनके द्वारा हम न केवल समाज के गरीब वर्गों की मदद कर सकते हैं अपितु राष्ट्र की भी मदद कर सकते हैं। यदि सरकार यह सब करे तो समृद्ध होगा और हम बहुत जल्द ही अमरीका जैसे देशों के बराबर आ पहुंचेंगे यह सरकार के हाथ में है कि राष्ट्र को कितनी जल्दी विकसित देशों के स्तर तक, चीन और अमरीका की प्रतिस्पर्धा में लाती है। यह कौशल प्रदान करने के माध्यम से ही होगा। अतएव मैं आपसे ऐसा करने का नम्र निवेदन करता हूं। *...(व्यवधान)*

महोदया, मैं केवल कुछ ही मिनट और लूंगा सामान्यतया मैं अधिक समय नहीं लेता।

इसमें बेरोजगारी, कौशल, बाल मजदूर और इसमें उल्लिखित अन्य बातें शामिल होंगी। हम उन सबकी सराहना करते हैं, मैं

अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि केवल विधान लाना ही पर्याप्त नहीं है अपितु इस संबंध में सरकार की इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए, इसे लागू करने संबंधी ठोस निर्णय और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और फिर यह दिखाना होगा कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है वह वास्तविक लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया या नहीं।

मैं माननीय मंत्रीजी को यह विधान लाने के लिए एक बार पुन: बधाई देता हूं। सरकार यह सोचकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वह विधान लाई है और उसने अपना काम कर दिया है। विधान लाने के बाद इसे लागू करने में और अधिक कार्य किया जाना है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): धन्यवाद, महोदया। सबसे पहले मैं इस विधान को लाने के लिए माननीय मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस की प्रशंसा करती हूं। कथित रूप से इस विधेयक का उद्देश्य बहुसंख्यक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनकी संख्या देश के कुल कामगारों का 93 प्रतिशत है।

''असंगठित क्षेत्र के कामगार'' पद के अंतर्गत आने वाले कार्यबल के आकार को देखते हुए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाना ही अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यह विधेयक अपने मौजूदा रूप और संरचना में अपने कथित उद्देश्य से कोसों दूर है और इससे लक्षित लाभार्थियों को लगभग कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा।

उपयुक्त वित्तपोषण की व्यवस्था किये बिना और बिना कोई व्यापक और समयबद्ध रूप से प्रवर्त्तनीय उपाय किये बिना यह विधेयक देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए सार्थक लाभ सुनिश्चित किये बगैर महज शुभेच्छाओं का पुलिंदा प्रतीत होता है। इसलिए, इस विधेयक से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कोई सामजिक सुरक्षा प्रदान किये बगैर धोखा देने की साजिश का पर्दाफाश होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के कार्यकाल की लगभग समाप्ति के समय यह विधेयक लाना गरीब लोगों को राजी करने और अगले चुनाव में उनका वोट प्राप्त करने की कोशिश है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा मौजूदा विधेयक में सर्वसम्मति से संस्तुत संशोधनों को अंतर्विष्ट करने से मना क्यों किया है।

महोदया, सरकार द्वारा प्रायोजित आंगनवाड़ी जैसी विभिन्न योजनाओं के स्वयंसेवियों को ''कामगार'' की परिभाषा के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अधिकांश ग्रामीण लोगों को, विशेषकर महिलाओं को इस विधेयक के लाभ से वंचित रखा गया है। इस विधेयक में महिलाओं के लाभ के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

इस विधेयक में सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राज्य स्तर पर ऐसे ही बोर्ड की स्थापना का ही उपबन्ध किया गया है जो मूल रूप से परामर्शदात्री प्रकृति के हैं। इस विधेयक में न तो निचले स्तर के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और समस्त असंगठित कामगारों के लिए सर्वव्यापी कवरेज के संबंध में कोई बाध्यकारी उपबंध किया गया है और न ही वित्त पोषण बाध्यता और समय सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है?

इसके अंतर्गत दिये गये लाभ बीपीएल श्रेणी के असंगठित कामगारों तक ही सीमित हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना आदि जैसी सामान्य कल्याणकारी योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों के लिए है। बीपीएल का मौजूदा मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह 356.30 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 538.60 रुपये प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अधिकांश असंगठित कामगार दिये गये मानदंडों के अनुसार इस विधान के दायरे में नहीं आएंगे।

इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में कार्यरत अल्प जोत भूमि वाले असंगठित कामगारों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है जिनमें से अधिकांश लोगों को वर्ष में ज्यादातर समय के दौरान अपनी आजीविका के लिए गैर-कृषि कार्य ढूढ़ना पड़ता है। कृषि क्षेत्र के कामगारों को सार्थक लाभ प्रदान करने के लिए ''असंगठित कामगारों'' की परिभाषा में दो हेक्टेयर से कम जोत भूमि वाले लोगों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए जैसाकि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी। देश के 93 प्रतिशत कामगारों, जिनका जीडीपी में 63 प्रतिशत का योगदान होता है, को लक्षित कर किसी विधान को तैयार करते समय सरकार का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह सक्षम सांविधिक प्रावधानों से पुष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभ का सर्वव्यापीकरण सुनिश्चित करे।

अपराह्न 4.57 बजे

[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक व्यापक सुरक्षात्मक विधान लाने के वादे की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गयी है। यह निंदनीय बात है कि सरकार ने डा. अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता में गठित असंगठित क्षेत्र के उद्यमों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जबकि इसका गठन सरकार द्वारा किया

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

गया था और इसे असंगठित कामगारों के काम करने की दशा और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में उपाय करने के प्रयोजन के लिए आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था। आयोग ने सामाजिक सुरक्षा योजना सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए दो पृथक विधानों की सरकार से सिफारिश की थी और इनके प्रारूप सरकार को अग्रेषित किये थे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से दूसरी वक्ता ही हूं।

सभापति महोदय: आपके बोलने का समय समाप्त हो चुका है। मैं बोलने के लिए अगले सदस्य को बुलाऊंगा। श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है, जैसाकि इस विधेयक के तथ्यों से स्पष्ट है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर रही हूं।

सभापति महोदय: नहीं, श्री शैलेन्द्र कुमार, अब आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सी.एस. सुजाता: श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की विषयवस्तु को काफी हद तक सार्थक बनाने के लिए ठोस सिफारिशें की थीं जो इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुरूप थीं। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सिफारिशों की अनदेखी की गई।

इस विधेयक में श्रमिक सुरक्षा के मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है लेकिन कुछ कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में स्पष्ट संकेत दिया गया है लेकिन सर्वव्यापी कवरेज और वित्तपोषण तंत्र के लिए कोई प्रवर्त्तनीय और न्यायोचित उपाय नहीं किये गये हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

अनुसूची में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं में विधेयक के मुख्य भाग में यथापरिभाषित असंगठित कामगारों के एक छोटे से समूह को भी शामिल नहीं किया गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलना शुरू कर सकते हैं। कुछ भी अन्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): आप पहले हाउस में आर्डर करें, तो मैं अपनी बात कहूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता: यह संबंधित कामगारों के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है और यह किसी विधान के बजाए राजनीतिक फायदे के वक्तव्यों में बेहतर लगता है *...(व्यवधान)* यह देश की अधिकांश कामकाजी जनता को धोखा देने के समान है, जो देश की बढ़ती हुई जीडीपी में प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, क्या आप बोल रहे हैं? वह नहीं रुकेंगी।

...(व्यवधान)

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं इस विधेयक को उपयोगी बनाने के लिए वर्तमान विधेयक में सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नलिखित उपायों का सुझाव देती हूं।

सभापति महोदय: इसके बाद उनका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती सी.एस. सुजाता: सबसे पहले, भारत सरकार को कामगारों की परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा का कार्यान्वयन करने के लिए वित्तपोषण तंत्र का प्राथमिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जिसके लिए जीडीपी की एक निश्चित प्रतिशतता उसे स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करने के लिए दी जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आपके लिखित भाषण को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सी.एस. सुजाता: दूसरे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों को इस विधेयक के दायरे के अंतर्गत लाया जाए।

सभापति महोदय: आप इसे सभापटल पर रख सकती हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, मैं कुछ ही मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर दूंगी। *...(व्यवधान)* मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना है। मैं दो मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलना शुरू कर सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): आप पहले हाउस में आर्डर तो लाएं, वह भी बोल रही हैं तो मैं कैसे बोल सकता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, कृपया बोलना शुरू कीजिए। अन्यथा, मैं अन्य वक्ता का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुप्रतीक्षित राज्य सभा द्वारा पारित असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके साथ ही मैं श्रम मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत दिनों से जो मांग थी, पूरे सदन में जब भी इस पर चर्चा होती थी, असंगठित मजदूरों को तमाम सुविधाएं देने की, तो उससे संबंधित बिल वह सदन में लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में यह बात आई है कि अर्जुन सेन गुप्त जी की कमेटी की सिफारिश के अनुसार देश में 42 करोड़ के करीब असंगठित मजदूर हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, अभी करीब 22 वक्ता ऐसे हैं जिन्हें इस विषय पर बोलना है। इसलिए, मैं आपको बोलने के लिए केवल पांच मिनट दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: यानी देश में 93 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। इस विधेयक में हथकरघा बुनकरों, मछुआरों, गैर कोयला खदान में काम करने वालों, सिनेमा घरों में काम करने वालों, बीड़ी मजदूरों और अन्य को शामिल किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चौराहे पर जो लेबर इकट्ठी होती है, जिसे हम चौराहा लेबर कहते हैं, अगर उन्हें भी इसमें शामिल कर लें तो बहुत अच्छा होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है। इससे इस बिल का मकसद पूरा हो जाएगा।

होम बेस्ड, स्वरोजगार वाले मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस बिल में जो समावेश किया गया है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, मैं उनके कल्याण के लिए गुजारिश करूंगा कि उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधा की व्यवस्था को समाहित किया जाना चाहिए।

मंत्री जी ने इस बिल में प्रमुखता से कहा है कि केवल बीपीएल के लोगों को ही इसकी सुविधा मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे काट दें। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, अगर वे गरीब न होते तो असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करते, उन सभी को यह सुविधा देने की बात होनी चाहिए।

असंगठित मजदूरों के लिए आपने पहचान पत्र जारी करने की बात कही है, जो अच्छी बात है। इसके अलावा इस बिल में उनसे संबंधित जो भी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए महंगाई और रोजगार को देखते हुए अधिक से अधिक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसे आपने बीमा, पेंशन और प्रोविडेंट फंड की सुविधा देने की बात कही है, वह वर्तमान में मूल्य वृद्धि को देखते हुए दी जाए, तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सही मायनों में सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा आपने इस बिल में तमाम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

प्रकार के प्रावधान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए किये हैं। समय-समय पर यह भी बात उठती है कि जो देखरेख करने वाले भ्रष्ट अधिकारी हैं, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए।

इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखें, अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं, उनको सुविधा मिल भी रही है या नहीं। इन सारी बातों पर इस बिल में गौर करें। जहां तक सामाजिक सम्मान और सुरक्षा की बात है, इस बिल में बहुत सारी बातें कही गयी हैं। भविष्य निधि, बालकों की शिक्षा, वृद्ध होने पर उनकी अंत्येष्टि आदि की बातें आपने इसमें कही हैं और ये बातें स्वागत-योग्य हैं। मजदूरों की मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए क्योंकि हर स्टेट की मजदूरी अलग-अलग है। मैं आंकड़े देख रहा था तो उसमें 50 रुपये से लेकर 170 रुपये तक की मजदूरी का प्रावधान है। आज की महंगाई को देखते हुए कम से कम मजदूरी 200 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए, तभी जाकर हमारे इस बिल का मकसद पूरा होगा। रिक्शा खींचने वाले, बढ़ई, नाई, मोटर-मैकेनिक, निर्माणाधीन मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, धोबी, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, टेलर, बिजली मिस्त्री, दुकानों में काम करने वाले और पत्थर तोड़ने वाले जिन लोगों के लिए आपने जो इसमें प्रावधान किया है, वह स्वागत-योग्य है। इसमें जो आपने एपीएल शब्द रखा है, जो भवन निर्माण या अन्य में मजदूर काम करते हैं उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा देंगे तो मेरा आग्रह है कि इसमें से एपीएल शब्द हटाकर जो भी मजदूर हैं, जिनकी जैसी भी स्थिति हो, उन सभी को चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए। आप इसमें राज्यों को भी निर्देशित करें। जैसे दिल्ली राज्य में 30 रुपये के रजिस्ट्रेशन के बाद 30 हजार रुपये तक की चिकित्सा सुविधा उन्हें मिल पाती है। इसी तरह से, इस बिल के द्वारा राज्यों को भी निर्देशित करें कि वहां की जो भी भौगोलिक स्थिति है और वहां के श्रमिक के विकास की स्थिति को देखते हुए अच्छी तरह से इन बातों को लागू करें।

[अनुवाद]

डा. आर. सेन्थिल (धर्मपुरी): महोदय, मैं पीएमके की ओर से, यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि इस विधेयक के द्वारा एक ऐसा उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है जिसकी दिशा में पहले किसी ने भी प्रयास नहीं किया है।

जैसाकि पहले कई वक्ताओं द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि इस देश में 37 करोड़ असंगठित कामगार हैं। उन्हें कभी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली। इस विधेयक का उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैंने ऐसी बातें सुनी कि इस विधेयक को बनाते समय, सरकार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के सुझावों पर विचार नहीं किया। कुछ सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया है कि राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उपक्रम आयोग (एनसीईयूएस) द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार नहीं किया गया। मैं इससे बहुत आश्चर्यचकित हूं क्योंकि मैंने इस विधेयक के पहले संस्करण असंगठित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2006 को देखा था जिसमें इन दोनों निकायों के सुझावों को सम्मिलित किया गया था और वर्तमान विधेयक में भी लगभग सभी सुझावों को शामिल किया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो हमेशा ही सामाजिक न्याय के समर्थक रहे हैं, उन्होंने इस देश में वंचित और असंगठित क्षेत्र के लोगों के प्रति अपनी सही प्रतिबद्धता दर्शाई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि पहली बार इस विधेयक के द्वारा उनके लिए चोट संबंधी लाभ, आवास, बच्चों के लिए शैक्षणिक स्कीमें, कामगारों का कौशल उन्नयन, अन्त्येष्टि सहायता, वृद्धावस्था सहायता और भविष्य निधि आदि की व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। असंगठित क्षेत्र के साथ प्रमुख समस्या यह है कि इसमें रोजगार बहुत असुरक्षित हैं। वर्ष के दौरान कई दिनों तक बेरोजगार रहना पड़ता है। विश्व के अधिकांश देशों में, सामाजिक सुरक्षा स्कीमें बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को बेरोजगारी अवधि के दौरान कुछ लाभ दिया जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस विधेयक में बेरोजगारी अवधि के दौरान किसी प्रकार की सहायता देने का जिक्र नहीं है। मैं मंत्री महोदय से बेरोजगारी अवधि के दौरान कुछ वित्तीय सहायता देने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

यद्यपि विधेयक में यह प्रावधान नहीं है, तथापि, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मुख्य चिंता यह है कि कार्यस्थलों पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। यदि आप कल का समाचार पत्र देखें तो आपको पता लगेगा कि एक दुर्घटना हुई जिसमें कि एक कुली के ऊपर लिफ्ट गिर पड़ी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अत:, हमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु उनके कार्यस्थलों पर ही सुरक्षा संबंधी बहुत सख्त दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। यदि संभव हो, तो सरकार को इसकी विधेयक में ही व्यवस्था करनी चाहिए।

विधेयक में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक योजना में ऐसे मामलों की व्यवस्था होंगी जो कि योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। विधेयक में यह भी

कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक योजना का वित्तपोषण पूर्णत: तो केन्द्र सरकार करेगी और आंशिक रूप से राज्य सरकार और अन्य एजेंसियां भी करेंगी। मेरा मात्र यह अनुरोध है कि असंगठित क्षेत्र के लिए चाहे जो भी अंशदान हो, उन्हें आयकर से छूट दी जानी चाहिए। इस बात की व्यवस्था पूर्ववर्ती प्रारूपों में थी। पता नहीं इस व्यवस्था को वर्तमान विधेयक में से क्यों निकाल दिया गया। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस खंड को विधेयक में शामिल करने पर विचार करें। इस विधेयक में, यह भी प्रावधान है कि असंगठित क्षेत्र के समस्त कामगारों को पहचान पत्र जारी किया जाये।

विधेयक में यह परिभाषा है कि यदि असंगठित क्षेत्र का कोई कामगार चौदह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह इस अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ पाने का पात्र होगा। हमें पता है कि इस बाबत आवाज उठ रही है कि बाल श्रम कानून के तहत शून्य से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल किया जाये। 14 से 18 वर्ष की आयु भी कोमल अवस्था वाली होती है। इसके दृष्टिगत, यह विधेयक परोक्ष रूप से 14 से 18 वर्ष के बच्चों को श्रमिक बनने के लिये उकसाता है। अत:, मेरे विचार में, आयु सीमा को वास्तव में बढ़ाकर 18 वर्ष अवश्य किया जाना चाहिए।

संप्रग सरकार ने नरेगा (एनआरईजीए), केन्द्रीय संस्थानों में आरक्षण आदि जैसी उत्कृष्ट योजनाएं लाकर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। यह विधेयक संप्रग सरकार के मुकुट में एक और मोती है। इस विधेयक को लाकर संप्रग सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह सामाजिक मुद्दों का समाधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। अत:, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, आपने मुझे असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। असंगठित मजदूरों की वर्षों से मांग थी, इस देश के लगभग 93 प्रतिशत ऐसे लाग हैं, जो किसी न किसी काम में लगे हैं और असंगठित हैं। इन असंगठित मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस बिल को लाने के लिए मैं यूपीए और श्रम मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया है और कोशिश की है, जिससे कि आम लोगों की कठिनाइयां कम हो सकें। मुझे याद है कि दिल्ली में असंगठित मजदूरों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिमसें माननीय मंत्री जी स्वयं गये थे और हमारे दल के उप-नेता श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव प्रमुख थे। उस समय श्रम मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि इन मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जरूर विधेयक लाएंगे। इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मंत्री जी ने बिल जरूर प्रस्तुत किया है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी हैं, उन्हें पूरी तरह से नहीं माना है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने की भावना पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होगी। मंत्री जी ने कुछ कदम उठाए हैं और मजदूरों के लिए सुरक्षा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है।

एक कल्याण सुरक्षा बोर्ड रहेगा जिसके तहत समनुदेशित कृत्यों का पालन किया जाएगा। वह केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीम्स की सिफारिश करेगा। आपने इसमें कोई वर्गीकरण नहीं किया है। वर्गीकरण करने का काम किया होता तो अच्छा होता। अगर सभी को समान रूप से देखेंगे तो अच्छा होगा।

आज असंगठित क्षेत्र में कई मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूर सबसे कम मजदूरी पाते हैं। उनके परिवार, बच्चे भूखों मरते हैं। वे काम करते हैं लेकिन उचित मजदूरी नहीं मिलती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत अधिक परेशानी है। वे अपना खून-पसीना बहाते हैं, देश की पूंजी बनाते हैं लेकिन उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने दिहाड़ी मजदूरों के लिए ऐसे कौन से कदम उठाने का निर्णय किया है? अगर इसमें वर्गीकरण किया होता तो ज्यादा अच्छा होता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि समय समाप्त हो गया है। मुझे 20 और सदस्यों को भी अपनी बात रखने के लिए बुलाना है।

श्री राम कृपाल यादव: कृपया मुझे कुछ और समय के लिए बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: श्रीमान, आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

कई मजदूरों को मासिक वेतन मिलता है। किसी को दो हजार वेतन मिलता है और किसी को डेढ़ हजार वेतन मिलता है।

[श्री राम कृपाल यादव]

महंगाई के युग में इतना वेतन पाने वाले मजदूर अपने बच्चों का किस प्रकार पालन कर सकेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे, दो वक्त की रोटी का कैसे इंतजाम कर पाएंगे, यह आप और हम समझ सकते हैं। उनका भी एक वर्ग है। तीसरा वर्ग वह है जिस का नियोजन होता है। वे पांच से आठ हजार रुपये का वेतन पाते हैं। इनका भी वर्गीकरण होना चाहिए। ये भी अपने घर को चला नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इनका वर्गीकरण किया होता तो अच्छा होता। दिहाड़ी मजदूरों के लिए अलग व्यवस्था की होती तो अच्छा होता। मासिक वेतनभोगी जो दो से तीन-चार हजार तक वेतन पाते हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था की होती तो अच्छा होता। जो किसी कम्पनी में पांच से आठ हजार रुपये पाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की होती तो उत्तम और कारगर काम होता। तीन वर्गों में बंटे हुए मजदूरों के लिए आपने कोई स्कीम नहीं बनायी है। मैं चाहूंगा कि आप इन पर विचार करें। शोषित मजदूर जो ज्यादा हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा तभी उनको न्याय मिल सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल जी, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपना भाषण पांच मिनट के भीतर समाप्त कर लूंगा।

[हिन्दी]

आमतौर पर असंगठित मजदूर जो खेत-खलिहानों में काम करते हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं इनका डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। 85 परसेंट शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, 80 परसेंट ओबीसी के लोग हैं और 84 परसेंट माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है। असंगठित मजदूरों की संख्या 30 से 40 करोड़ है। उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा सका है और हम कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर पाए हैं।

श्रम मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण सुझावों को आपने नहीं माना है इसलिए उचित नहीं माना जा रहा है। पैरा 22 में यह कहा गया है कि "कमेटी ने उन परिलाभों की मात्रा का सुझाव दिया है जैसे-मौत एवं अपंगता से जुड़े परिलाभ, स्वास्थ्य एवं मातृत्व एवं वृद्धावस्था परिलाभ, इन परिलाभों को हर दो वर्ष में भारत सरकार द्वारा महंगाई, मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया जाए।" इसकी आपने कोई व्यवस्था नहीं की है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के पूर्व वक्ता ने 21 मिनट का समय ले लिया है। श्री डी.पी. यादव जी ने 21 मिनट का समय ले लिया है। उसके बावजूद, मैंने आपको पांच मिनट से ज्यादा समय दे दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें। मुझे दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना है।

श्री राम कृपाल यादव: कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

मैं बता रहा था कि पैरा 30 में यह कहा गया है:

"बिना वैधानिक प्रावधान एवं सुनिश्चित वित्तीय संसाधनों के अभाव में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू नहीं की जा सकती हैं। वित्त की उपलब्धता अनुसार योजना की कांट-छांट करना या संख्याएं घटाना सही नहीं है। इसके लिए एक उचित पारदर्शी संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है, जो आवश्यक वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित करेगा, जिससे एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष का निर्माण किया जा सके। यह समय की पाबन्दी से सुनिश्चित करे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुदान ऋण से प्राप्त होगा, जिसमें लाभान्वितों व रोजगार प्रदाताओं द्वारा मासिक योगदान शामिल होगा।"

मैं समझता हूं कि ये दो-तीन पैराग्राफ हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

चौथा पैरा है-

"असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए"

"कृषि मजदूरों के लिए अलग कानून एवं असंगठित क्षेत्र के मजूदरों के रोजगार के नियमन एवं सेवाओं की शर्तों के लिए अलग कानून हो।"

"असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई भी कानून तब तक पर्याप्त नहीं होगा, जब तक उनके रोजगार एवं सेवा की स्थितियों का नियमन नहीं किया जाए। श्रम मंत्रालय की इस कमेटी के सामने प्रस्तुत हर समूह/हर ज्ञापन ने इसी पर जोर दिया है।"

मगर मैं समझता हूं कि आपने इनका समावेश नहीं किया है। अगर इन बातों का इसमें समावेश नहीं किया गया तो इस बिल का मजदूरों को कोई फायदा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर इन बातों पर पूर्ण विचार करेंगे और श्रम मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उनकी अनुशंसाओं पर अमल करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रासा सिंह रावत बोलेंगे। वे बोलने के लिए तैयार हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपनी बात एक या दो मिनट में समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय: आपको 7-8 मिनट का समय दिया गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: कृपया मुझे दो मिनट का समय और दें। मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने अपने भाषण में सभी बातों का उल्लेख कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: आपने मुझे इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया है कि मैं सही तरह से बोल ही नहीं सका हूं। मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कह रहा था कि आपने उत्तम विचार से ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस कदम से निश्चित तौर पर वे लोग, जो वर्षों से परेशानी की हालत में थे, अपनी परेशानियों के कारण मर रहे थे, उन परेशानियों को आपने दूर करने का संकल्प इस बिल के माध्यम से लिया है। लेकिन इसमें जो कमियां हैं, जो माननीय सदस्यों ने अपने विचारों में आपके सामने प्रस्तुत की हैं, उन पर आप विचार करें और इसमें जो त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करके बिल जो आप लाये हैं, उसे संशोधित करके आम लोगों की भावनाओं के अनुकूल, जो गरीब हैं, परेशानी की हालत में हैं, जो कमाने के बाद भी खा नहीं पाते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जो अपने खून और पसीने से इस देश को सींचने का काम करते हैं, उनके लिए आप इन निर्णयों के अनुसार काम कीजिए, जो स्टैंडिंग कमेटी के माननीय सदस्यों ने रिकमैंडेशंस दी हैं, कमेटी भी एक मिनी पार्लियामैन्ट है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के बिल को पास करने से पहले आप इन सब बातों पर विचार करें।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने मुझ पर विशेष कृपा की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री जी के प्रति भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं कि मंत्री जी आप अपनी त्रुटियां दूर करेंगे और गरीबों के हित में काम करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये असंगठित सैक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 का स्वागत इस शर्त के साथ करना चाहूंगा कि अभी ऐसा मालूम पड़ता है कि यूपीए सरकार विगत साढ़े चार वर्षों से सोई हुई थी। तब तक असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की उसे चिंता नहीं हुई।

जब चुनाव सिर पर आने वाला है और यह सरकार जाने वाली है तब इनको मजदूरों के कल्याण की बात या सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की बात याद आई है या इसी प्रकार के और कुछ कल्याणकारी कदम यह सरकार उठाने जा रही है। चलिए, देर आए, दुरुस्त आए। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार समग्र बिल प्रस्तुत करे क्योंकि अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं, उनकी कुछ सिफारिशें तो इसमें मान ली गई हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण सिफारिशें नहीं मानी गई हैं। एक तो स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा विधेयक लाने वाली बात और दूसरी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कल्याण कोष का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। यह मैंने सारा पढ़ लिया है। वित्तीय ज्ञापन जब मैंने पढ़ा तो बहुत निराशा हुई कि आखिर आपने बातें तो अच्छी ली हैं कि सबको सामाजिक सुरक्षा मिले और सबका जीवन अच्छा हो और कल्याणकारी सुविधाएं भी सभी को प्राप्त हों, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात भी हो लेकिन सारी बातों के लिए पैसा कहां से आएगा? आपने वह कारखानों के ऊपर या जो-जो लोग जिस-जिस विभाग में काम करते हैं, उनके ऊपर डाल दिया। वे करेंगे या नहीं, कानून पहले से बहुत बने हुए हैं। बीड़ी वालों के लिए अपने कानून पहले कुछ बनाए थे लेकिन उन कानूनों का पालन कितना हो रहा है? मैं जानता हूं कि मैंने एक क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को देखा है। न उनको न्यूनतम वेतन मिलता है, न उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, न उनको ईएसआई, ई.पी.एफ. इत्यादि की सुविधा प्राप्त होती है, उनका पूरा शोषण किया जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कानून तो बना रहे हैं लेकिन कानून बनाने के बाद उनके क्रियान्वयन और मोनीटरिंग सिस्टम की भी सुदृढ़ व्यवस्था हो ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में उन कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि दो दिन पहले राष्ट्रमंडल खेल जहां पर आयोजित होंगे, खेल गांव के अंदर जिसकी तैयारियां जोर से हो रही हैं, लेकिन वहां उस खेल गांव के अंदर काम करते हुए मजदूरों के ऊपर एक क्रेन गिर गई और एक मजदूर मर गया और कुछ घायल हो गए। लेकिन उस मजदूर को मृतावस्था में छोड़कर अधिकारी गायब हो गये, वे वहां नहीं आए और मजदूरों ने आंदोलन किया और रविवार को भी काम नहीं हुआ, कल भी काम नहीं हुआ और अब जाकर पुलिस वगैरह वहां पहुंची है तो वहां व्यवस्था हुई है। जब भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर निर्माण काम में लगे हुए ऐसे श्रमिकों की यह हालत है क्योंकि पहले भी मैट्रो बन रही थी और मैट्रो में काम करते हुए पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई। मजदूरों को हड़ताल करने के लिए दो दिन तक काम रोकना पड़ा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उस मजदूर की मौत हो गई है क्योंकि ड्राईवर तो भाग गया लेकिन कंपनी वालों को उस मजदूर को मुआवजा देना चाहिए लेकिन कंपनी वाले गायब हैं कि पुलिस के चक्कर में कहीं न पड़ जाएं। इसके कारण पुलिस को भी इत्तला नहीं की गई और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई जिसके फलस्वरूप वहां तनाव पैदा हो गया और जब उच्चाधिकारों को इस बारे में पता लगा तब पुलिस गई और सारे काम किये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तो सरकार को समग्र बिल लाना चाहिए और दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि कानून बनाना तो आसान है लेकिन कानून का पालन भी होना चाहिए।

तीसरे, दिल्ली के अंदर राजस्थान से लाखों व्यक्ति बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण करने के लिए आते हैं और झुग्गी-झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। श्रमिकों की दयनीय स्थिति है और वे लोग भी असंगठित क्षेत्र के हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति आप वास्तव में सुधारना चाहते हैं तो इसका सारा देश स्वागत करेगा लेकिन मैं समझता हूं कि आज सारे देश में 45.9 करोड़ हमारे कामगार हैं और उसमें से 43.3 करोड़ यानी 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के अंदर हैं, केवल 2.6 करोड़ कामगार ही संगठित क्षेत्र में हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आपने बहुत कुछ किया है लेकिन आज असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने का काम राज्य स्तर पर और फिर रजिस्ट्रेशन करने की बात, उनके पास कार्ड वगैरह होगा कि उनकी पहचान भी हो सके, ये दो-तीन प्रावधान जो इसमें किये गये हैं, इनका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आज असंगठित क्षेत्र में खेती के क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर सुबह से शाम तक लगा रहता है।

उनके काम के घंटे नीयत हों, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी नीयत हो। मान लो, अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसका उसे लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा वहां काम करने वाले ठेकेदारों पर पाबंदी हो या सरकार के पास ऐसा कानूनी तंत्र हो, सामाजिक सुरक्षा का तंत्र हो, वह ऐसा मजबूत होना चाहिए ताकि वास्तव में बनाये हुए कानूनों के अनुसार प्रावधानों की पालना भली प्रकार से हो सके।

सभापति महोदय, अगर ऐसा व्यापक विधेयक आया होता तो अच्छी बात होती। इसने असंगठित क्षेत्र में भेद कर दिया। बीपीएल और एपीएल में कार्ड बनाने का काम या सुविधा देने का काम या सामाजिक सुरक्षा देने का काम, मैं समझता हूं कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी श्रमिक बीपीएल का हो या एपीएल का हो, उसको जो सुविधायें मिलनी चाहिए, उसका लाभार्थी हो सके, ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया जाना चाहिए था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक में बीपीएल का नाम तो डाल दिया, शायद एपीएल के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हो सकता है कि मेरी निगाह से रह गया हो। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

सभापति महोदय, विधेयक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई सुविधाएं—पेंशन, पीएफ, ईएसआई, ई.पी.एफ. की सुविधा देने की बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में साढ़े तीन लाख डाक सेवक काम कर रहे हैं। आज देश में उनकी स्थिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से भी बदतर हो रही है। वे कल देशव्यापी हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की डाक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी, क्योंकि उनके पास पेंशन, ग्रेच्युटी की कोई सुविधा नहीं है, न उनको कोई छुट्टियां हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिविल सर्वेन्ट का माना है लेकिन उसके बावजूद इन कर्मचारियों के लिए सुविधायें बढ़ाने नहीं जा रहे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि डाक विभाग के जो एक्सट्रा डिपार्टमेंट डाक कर्मचारी कहलाते थे, जिनको अब ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, इनकी संख्या साढ़े तीन लाख है, कहने को तो ये लोग संगठित क्षेत्र के हैं लेकिन वे उन सारी सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि उन्हें वे सारी सुविधायें दी जायें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मैं, हमारे माननीय मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (नेशनल सैम्पल सर्वे) के अनुसार, 1999-2000 के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों समेत कुल कामगारों की संख्या 39.7 करोड़ है जिनमें से 36.9 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं तथा ये 93 प्रतिशत हैं। 2004-05 के दौरान, कुल कामगार 45.9 करोड़ थे और उनमें से असंगठित क्षेत्र में 43.3 करोड़ कामगार थे, अर्थात् 94 प्रतिशत। 43.3 करोड़ कामगारों में से 26.9 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र के हैं और 2.6 करोड़ निर्माण कार्यों में लगे हैं तथा शेष कामगार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

इन 43.3 करोड़ कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याण योजनाओं का विस्तार करने के लिए, हमारी संप्रग सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में इस विधेयक को पुर:स्थापित किया है। वर्तमान विधेयक के उपबन्धों के अनुसार, यह विधेयक शक्तिसमर्थ बनाने वाला है जिससे केन्द्र और राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याणार्थ योजनायें बना सकती हैं। हम असंगठित कामगारों को इस विधेयक के जरिये किसी प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार, राज्यों और केन्द्र के बीच शक्तियों के क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं है। फिर भी, स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद हमारी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याणार्थ उठाया गया यह पहला कदम है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याणार्थ, भारत सरकार खंड 5(1) तथा राज्य सरकारें खंड 6(1) के अनुसार क्रमश: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर सकती हैं। खंड 5, के उपखंड (iv) के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में लोक सभा से दो संसद सदस्यों तथा राज्य सभा से एक सदस्य को शामिल किया जायेगा। इसी प्रकार, खंड 6, उपखंड (2) उपखंड ग(iii) के अनुसार, संबंधित राज्य बोर्डों में विधान सभा से दो विधायकों को शामिल करने के कार्य को सुगम बनाया जायेगा। मैं सम्माननीय सभा के ध्यानार्थ यह बात लाना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में उच्च सदन हैं। अत:, इस बोर्ड में उनमें से एक को शामिल किया जायेगा। उसके लिए, इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन करना होगा।

दोनों बोर्ड केवल परामर्शदात्री निकाय हैं और दोनों के ही पास श्रमिकों के लिए कल्याणार्थ योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। उपर्युक्त खंड 5, उप खंड (छ) में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारों से 5 प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड में शामिल किया जाएगा। ये सभी 5 कौन होंगे? क्या वे सरकारी अधिकारी होंगे या श्रमिक संघों के नेता होंगे? यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और इसका स्पष्टीकरण दिया जाना है। राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को राष्ट्र-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में शामिल किया जाना है।

खंड 3, उपखंड (1) में कल्याण योजनाओं के संबंध में कहा गया है। यह यूपीए सरकार द्वारा उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। अध्याय पांच और खंड 10 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कामगारों के पंजीकरण के संबंध में है। अब तक 18 राज्य सरकारों ने राज्य कल्याण बोर्डों का गठन किया है। हमारी तमिलनाडु सरकार एकमात्र राज्य है जहां हमारे मुख्यमंत्री डा. कलइगनार एम. करुणानिधि द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए अलग अधिनियम लागू किया गया है। उपबंध 10 और इसके उपखंडों के अनुसार कहीं भी सदस्यता के पंजीकरण हेतु शुल्क के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। तमिलनाडु में कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। केरल में जो एक श्रमिक बहुल राज्य है, में राज्य सरकार सदस्यों से 20 रुपये प्रति माह एकत्रित करती है। देश भर में यह निर्देश दिये जाने चाहिए कि कामगारों से अंशदान के अतिरिक्त कोई धनराशि न ली जाए।

एक अन्य स्वागत योग्य उपबंध खंड 10(3) के अनुसार पहचान पत्र के बारे में हैं। यह स्मार्ट कार्ड कामगारों के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक अन्य पहलू वित्त पोषण है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु राज्य में सरकार ने 14 बोर्डों का गठन किया है। इन 14 बोर्डों में से केवल दो बोर्ड नामत: निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड और आटो रिक्शा चालक और अन्य वाहन ड्राइवर बोर्ड के पास निधियां हैं और शेष 12 बोर्डों के पास कोई निधि नहीं है। अतएव, भारत सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन करना होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री श्री आस्कर फर्नांडीस को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया और उन पर किसी भी प्रकार का वित्तीय दबाव डाले बिना उनका पर्याप्त रूप से बीमा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): महोदय, असंगठित मजदूरों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 पर इस चर्चा के दौरान मैं अपने दल मारुमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

देश के कुल कार्यबल में से 93% असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतएव, मैं इस कानून का सरकार द्वारा अब तक उठाये गये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत करता हूं। श्रम संबंधी

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

संसदीय स्थायी समिति ने इंगित किया है कि हम असंगठित क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष एक कानून बना रहे हैं। जहां तक असंगठित मजदूरों का संबंध है, पिछले वर्षों के दौरान 56 से अधिक कानून बनाए गए हैं। परन्तु, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र के जरूरतमंद कामगारों तक जो लाभ पहुंचा है, वह पर्याप्त नहीं है। उन्हें ये लाभ पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। मुझे आशंका है कि क्या यह कानून कामगारों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा? असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के उद्यम संबधी राष्ट्रीय बोर्ड ने अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में इस पर एक वर्ष तक विचार किया। एक महत्वपूर्ण सिफारिश असंगठित क्षेत्र में लगभग 42 करोड़ श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में है। उनमें से 25 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। उनके लिए विशेष रूप से एक अलग कानून अवश्य होना चाहिए। कृषि श्रमिकों से इतर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अलग विधान द्वारा अलग कल्याण तंत्र होना ही चाहिए। अभी तक विनिर्माण श्रमिकों संबधी सिफारिश पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस विधेयक में असंगठित क्षेत्र में सेवा शर्तों और कामगारों की सेवाओं को विनियमित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस विधान के माध्यम से पहले से बनाए गए पांच या छः कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक बोर्ड के रूप में एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना है। बोर्ड के पास सुझाव देने के अतिरिक्त दोष सुधारने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि उनके पास निधि आवंटन तक की शक्ति नहीं है। यह कल्याण बोर्ड केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को परमादेश जारी नहीं कर सकता। अनेक केन्द्रीय योजनाएं निधियों की कमी के कारण पूर्णतया कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं। तमिलनाडु में 14 असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई। परन्तु, केवल दो बोर्डों की स्थापना की गई है। शेष 12 अभी भी कोरी कल्पना मात्र हैं। उनके पास निधि नहीं है और वे प्रचार के लिए केवल घोषणा के रूप में हैं। मुझे आशंका है कि बोर्ड संबंधी यह प्रावधान भी मात्र घोषणा न रह जाए। यह केन्द्र द्वारा चुनावों की पूर्व संध्या पर प्रयोजनार्थ की गई घोषणा बन कर न रह जाए। इस विधान का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की अलग-अलग पहचान करके जरूरतमंद लोगों के मामले को हल करना है। गरीबों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारे प्रशासनिक तंत्र में बहुत सी कमियां हैं। अधिकारी तंत्र को जितना वे संभाल सकते हैं उससे अधिक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। यह गरीबों के न्याय पाने के मार्ग में अवरोधक हो सकता है। जो एक या दो लाभ इस कानून से मिल सकते हैं जैसे कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा—वे जीवन बीमा निगम को सौंपे जाने चाहिए जो कि सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी है। निजी बीमा कम्पनियां विश्वभर में असफल रही हैं अतएव असंगठित क्षेत्र में कामगारों को बीमा कवर प्रदान करने का दायित्व निजी बीमा कंपनियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। एलआईसी हमारे देश का गर्व और सम्मान है। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी क्षेत्र की एलआईसी के माध्यम से ही बीमा कवर प्रदान किया जाए।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा कल्याण निधि स्थापित की जाए। इस कानून को लागू किये जाने के छः माह के भीतर इस विधेयक के माध्यम से राज्य-स्तरीय बोर्डों का गठन किया जाए।

सभापति महोदयः यह पर्याप्त है; आप अधिक समय ले रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारईः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बोर्ड की स्थापना के एक माह के भीतर यह सुनिश्चित किया जाए कि असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र दिए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों के लिए इस विधेयक में परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए जाएं। लोक प्रशासन में एक परिकल्पना है, एक नियम भी है कि अधिकतम लाभ अधिकतम लोगों को मिलना चाहिए। इसी से सुशासन सुनिश्चित हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इस विधेयक का लाभ अधिकतम लोगों को मिलेगा। मेरे कुछ साथियों ने, जो दिनरात श्रमिक वर्ग के लिए काम करते हैं, कुछ सुझाव दिये हैं। उनपर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को अधिकतम लाभ मिले, इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि इसके लिए एक व्यापक कानून बनाया जाए। अपने मरूमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम और अपने नेता वायको की ओर से मैं यह दोहराना चाहता हूं कि सरकार को असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, जैसाकि बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर 40 करोड़ से भी अधिक कामगार हैं, जो असंगठित क्षेत्र में कठोर परिश्रम करते हैं। हमारी आबादी में उनकी संख्या अच्छी खासी है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उनका दो तिहाई योगदान है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने उनके लिए एक व्यापक विधान बनाए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन ये कामगार एक ऐसे व्यापक विधान की मांग करते

रहे हैं जिसमें रोजगार विनियमन, रोजगार की सुरक्षा, मजदूरी का उचित भुगतान और बेरोजगारी भत्ता, ईएसआई, पेंशन, विवाद निपटान तंत्र आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों सहित उनके कार्य और काम करने की दशा जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। इन सभी चीजों का क्रियान्वयन क्षेत्रीय त्रिपक्षीय निकायों के माध्यम से किया जाए।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि कामगार पूरी प्रक्रिया में लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहते हैं। इतनी उम्मीदों के साथ और इतना समय बीत जाने के बाद जब एक विधेयक लाया गया तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ कामगारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन कामगारों के लिए काम करने वाले कुछ संगठनों ने कतिपय आपत्तियां की हैं।

उनमें से एक यह है कि इस विधेयक में रोजगार और कार्य की दशा को विनियमित करने के लिए उपंबध नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन-102 में विहित सामाजिक सुरक्षा उपाय के न्यूनतम मानक जैसे चिकित्सा सुविधा, अस्वस्थता लाभ आदि का उपबंध नहीं किया गया है। इस विधेयक में केवल बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपबंध किया गया है। यह असंगठित क्षेत्र को एपीएल और बीपीएल में विभाजित कर देगा, जो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है।

इस विधेयक से केन्द्र और राज्यों के श्रम विभागों का महत्व और मजदूर संघों की भूमिका भी कम हो जाती है। इससे राजस्व प्राधिकारियों का बोझ ही बढ़ेगा। यदि हम इस विधेयक में शामिल किये गये कल्याणकारी उपायों की बात करें, तो हमें यह पता चलता है कि यह निश्चित रूप से कामगारों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। केरल जैसे राज्य ने कल्याणकारी बोर्ड के माध्यम से अधिक से अधिक कल्याणकारी उपाय किये हैं। जब केन्द्र सरकार कोई विधान लाती है और वह भी जब हमारी जनसंख्या के अधिकांश लोगों का जीवन उससे प्रभावित होता है, जो पूर्णत: असंगठित हैं और दशकों से भगवान भरोसे जी रहे हैं, तो इसे अधिक से अधिक व्यापक होना चाहिए।

अपराह्न 5.45 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

हमें यह कहते हुए खेद है कि यह विधान कामगारों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। मैं इन मुद्दों पर बल देना चाहता हूं कि इस विधान के अंतर्गत आजीविका के अधिकार; साझा संपत्ति और संसाधन के अधिकार; काम करने की आदर्श स्थिति हासिल करने के लिए न्यूनतम श्रम मानक; विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय बोर्ड के माध्यम से योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में कामगारों के अधिकार; निर्णायक महत्व वाले कामगार; रोजगार के सभी अनुसूचित समूहों में पंजीकृत मजदूर संघों द्वारा चुने गये नियोक्ताओं और कामगारों का आवश्यक पंजीकरण; ऐसे क्षेत्र में रोजगार पर प्रतिबंध, जहां विधि के अंतर्गत पंजीकृत कामगार ही काम करते हैं, विधि के अंतर्गत पंजीकृत कराए बगैर नियोक्ताओं द्वारा असंगठित क्षेत्र में रोजगार पर प्रतिबंध; कामगारों की बारी-बारी से बुकिंग के आधार पर उपलब्ध रोजगार का श्रेणीवार न्यायसंगत वितरण; प्रत्येक महीने में कम से कम दिनों के लिए रोजगार गारंटी; मजदूरी निर्धारण का दायित्व सौंपा जाना; कम से कम आठ घंटों के लिए समयाधारित पीस रेट्स मजदूरी और स्वायत्त निकाय में उसका संवितरण; सुरक्षा उपायों और विभिन्न पात्रताओं के लिए उपबंध जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है, सामूहिक बीमा, दुर्घटना राहत, सामान्य मृत्यु, स्वायत्त निकाय द्वारा न्यूनतम आमदनी की गारंटी, ईएसआई का प्रावधान, भविष्य निधि, उपदान, मातृत्व पात्रता, आवास, आदि; महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण के लिए कदम, श्रम विस्थापन रणनीतियों के तंत्र पर प्रतिबंध, असंगठित क्षेत्र में श्रम गहन पद्धति को बढ़ावा दिया जाना, स्वनिर्मित त्रिपक्षीय विवाद निपटान तंत्र और अपीलीय प्राधिकरण, उत्प्रवासित कामगारों और उनके परिवारों के लिए विशेष सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी और बालश्रम का उन्मूलन करते हुए असंगठित क्षेत्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, त्रिपक्षीय बोर्ड में महिला कामगारों के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए शिकायत समिति को शामिल किया जाना चाहिए।

विधि में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड के कृत्य विशेष रूप से निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि वह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रभावी और स्वायत्त रूप से काम कर सकें। बोर्डों का गठन उनके विधि का निर्माण त्रिपक्षीय प्रकृति का होना चाहिए और महिला कामगारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए कामगारों और उनके प्रतिनिधियों को गौरवपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी। वस्तुत: असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा इस विधान की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी। मुझे उम्मीद है सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी और निकट भविष्य में इसमें उपयुक्त संशोधन लाएगी। अन्यथा, इसके बिना कामगार पहले की तरह ही कठिनाइयां झेलते रहेंगे। इसलिए मेरा यह अनुरोध है। क्या हम वास्तव में बोर्ड को यह निदेश देने के बारे में सोच सकते हैं कि वे इनका अनुपालन

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

करें और सुनिश्चित करें कि ये लाभ दिये जाएं। इस तरह यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा इस विधेयक में कामगारों को शामिल करने से संबंधित है। हम कामगारों के विभिन्न वर्गों को इसमें शामिल करने के बारे में बात कर रहे हैं। परन्तु कुछ कामगारों का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.59 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

उदाहरण के लिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। क्या घरेलू नौकरों को इस विधेयक के दायरे में नहीं लाया जा सकता है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका उल्लेख विधेयक के उद्देश्यों में नहीं किया गया है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? मेरा अनुरोध यही है।

अगला मुद्दा सीमान्त किसानों के बारे में है, सरकार एक एकड़ वाले किसानों, आधा एकड़ वाले किसानों, ऐसे किसानों, जिनके पास कुछ गुंटास है, के बारे में बात करती है। कुछ क्षेत्रों में, इसे अलग ढंग से पुकारा जाता है। मेरे क्षेत्र में, इसे गुन्टास कहते हैं, जो एक एकड़ का छोटा सा भाग है अर्थात् एक एकड़ का चालीसवां भाग। क्या हम उन्हें भी असंगठित श्रमिक के दायरे में नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत कम भूमि होती है?

सायं 6.00 बजे

परन्तु सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उनकी भी स्थिति कामगारों की तरह ही बुरी है या एक तरह से उनकी स्थिति उनसे भी बदतर है क्योंकि बैंक उन्हें भूस्वामी मानते हैं परन्तु वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए, क्या हम उन्हें भी इस विधेयक के दायरे में नहीं ला सकते हैं?

सभापति महोदय: श्री प्रभु, कृपया एक मिनट इंतजार कीजिए। अभी 6 बज रहे हैं, इस वाद-विवाद में 10 वक्ता भाग लेना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम सभा की बैठक के समय को उन्हें बोलने का मौका देने के लिए बढ़ा सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, हमें सभा की बैठक का समय एक घंटा और बढ़ा देना चाहिए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): सभापति महोदय, उन सभी सदस्यों को, जो बोलना चाहते हैं, अवसर दिया जाना चाहिए। मैं चर्चा का कल उत्तर दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पांसकुरा): सभापति महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं? क्या इसका अर्थ यह है कि इस विधेयक को मंत्री महोदय के उत्तर के बाद कल ही पारित कर दिया जाएगा?

सभापति महोदय: वह अभी सभा की बैठक को एक घंटे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यदि मंत्री महोदय को कल उत्तर देना है तो इस विधेयक को पारित भी कल ही किया जाएगा। क्या ऐसा है?

सभापति महोदय: हम सभा की बैठक केवल इस चर्चा को आज पूरा करने की लिए ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उत्तर देने के समय के बारे में मंत्री महोदय को निर्णय करना है। यदि वह सहमत होते हैं तो वह कल उत्तर दे सकते हैं और विधेयक कल पारित किया जा सकता है।

मंत्री महोदय, क्या आप इसके लिए सहमत हैं?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: जी हां, महोदय। मैं कल उत्तर दूंगा और हम कल इस विधेयक को पारित कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सभापति महोदय, मंत्री महोदय कल सुबह उत्तर दे सकते हैं और उसके बाद विधेयक को पारित किया जा सकता है।

सभापति महोदय: इस तरह हमें कल उत्तर मिल जाएगा और कल ही मतदान होगा। परन्तु इस चर्चा को किसी भी सूरत में आपके सहयोग से आज ही पूरा किया जाएगा। श्री प्रभु, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा था कि जहां तक कामगारों को इस विधेयक में शामिल करने का संबंध है, उन्हें इस विधेयक के दायरे में छोटे किसानों को भी लाना चाहिए और इसके अतिरिक्त उन्हें भूमि जोत को नजरअंदाज करते हुए सभी किसानों की पत्नियों को इसके दायरे में लाना चाहिए क्योंकि किसानों की पत्नियां भी खेत में बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करती हैं। उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। उन्हें अपनी इच्छाओं के विपरीत खेत में कार्य करना

होता है इसलिए मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक संकल्पना लानी चाहिए कि सभी किसानों की पत्नियों को भी असंगठित कामगार के रूप में माना जाए। यह पारिवारिक श्रम नहीं है। किसी किसान के परिवार में महिला के पास क्या विकल्प होता है? उसे खेत में जाकर काम करना होता है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें भी असंगठित कामगार की श्रेणी में शामिल करने पर विचार किया जाए।

तीसरे, यहां तक कि छोटे किसानों के बच्चों को भी इस विधेयक के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे यहां बाल श्रम के विरुद्ध संसद द्वारा पारित एक कानून है। परन्तु यदि आप भारत के किसी खेत में जाएं तो आप वहां बाल श्रमिकों को कार्य करते हुए देख सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें खेत में क्राम करने से रोका जाना चाहिए। वे वहां इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि परिवार को जीवित रहने के लिए उनके लिए यह एक मजबूरी है। परन्तु हमें उन्हें भी असंगठित कामगार के रूप में मानना चाहिए ताकि उन्हें भी सुरक्षा मिल सके क्योंकि किसान के पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं होता है। इसलिए, सरकार को देश के सभी छोटे किसानों की पत्नियों और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्हें सरकार से इस प्रकार की सुरक्षा की वास्तव में आवश्यकता है।

अब हम लाभों के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रथम लाभ, भविष्य निधि के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य को कर्मचारियों का भी अंशदान देना चाहिए क्योंकि यदि आप किसी छोटे किसान से भुगतान करने के लिए कहेंगे तो यह उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब सरकार भविष्य निधि की संकल्पना की शुरुआत करे और यह उम्मीद करे कि कर्मचारियों को इसके लिए अंशदान देना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि यह छोटे किसानों के लिए संभव होगा। इसलिए, सरकार को छोटे किसानों के बारे में पूरी तरह अलग से विचार करना चाहिए।

इसके बाद, निर्माण कामगारों के मामले में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भवन निर्माता या जो कोई भी संपत्ति पर निर्माण कार्य कर रहा है उसे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले राशि जमा करानी चाहिए क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वे जो घरों का निर्माण करते हैं वे गृहविहीन होते हैं और निर्माण के पूर्ण होने के बाद कामगारों को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक उपबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भवन निर्माता द्वारा भविष्य निधि का पैसा निर्माण शुरू करने से पहले जमा कराया जाए।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सम्माननीय 'सभा' के समक्ष असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक-2008 प्रस्तुत किया।

महोदय, असंगठित क्षेत्र के कर्मकार काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, वे दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यह विधेयक दैनिक मजदूरों, कृषि कामगारों, बीड़ी कामगारों, जुलाहों, दस्तकारों और निर्माण क्षेत्र के कामगारों आदि को कुछ राहत अवश्य ही प्रदान करेगा। इस विधेयक को पुरःस्थापित करके श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी ने इस समाज के कमजोर वर्गों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है।

महोदय, हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के कामगार कुल श्रमिक बल के 93 प्रतिशत के बराबर हैं। इस अधिकांश कार्यबल के पास अपने जीवन के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। यदि वे कमाई करते हैं, तो उन्हें दो वक्त का भोजन नसीब होता है अन्यथा उन्हें वह भी नहीं मिलता। उनका संपूर्ण जीवन ही असुरक्षित है। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। यदि वे बीमार पड़ जाएं, तो उनका जीवन और भी बदतर हो जाता है क्योंकि उनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं है। इस प्रकार की निराशाजनक स्थिति के चलते, उनके पास आजीविका और जीवनयापन के लिए कुछ नहीं रहेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सहायतार्थ श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी ने इस ऐतिहासिक विधेयक को प्रस्तुत किया है। समूचा देश माननीय मंत्री जी द्वारा उठाये गये इस हितकारी कदम का स्वागत करेगा।

मैं इस अवसर पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। नियोक्ता असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों का शोषण कर रहे हैं। खासकर महिलायें और बच्चे ऐसे शोषण के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे शोषण के खिलाफ कदम उठायें और उनको न्याय दिलायें। यदि आवश्यकता हो तो उन्हें अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज कराने हेतु न्यायालयों में जाने की सुविधायें दी जायें। ऐसा उपाय भी अपनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम. शिवन्ना: मैंने केवल दो मिनट ही बोला है।

सभापति महोदय: नहीं, आपने 5 मिनट का समय ले लिया है।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, यह कन्नड़ संस्करण मेरे पास है, मुझे कुछ और मिनट के लिए बोलना है।

सभापति महोदय: केवल एक मिनट के लिए बोलिए।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी कन्नड़ जानते हैं।

सभापति महोदय: मैं उनको जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि आप कन्नड़ भाषी सदस्य हैं। कृपया अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, चूंकि मेरा संबंध भी ऐसे ही एक कमजोर वर्ग से है, अत: मैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं और पीड़ा को समझ सकता हूं। मैंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पीड़ा का व्यक्तिगत तौर से अनुभव किया है। मैं उनकी कठिनाइयों को बखूबी जानता हूं। इसलिए, मैं इस मामले पर बोलना चाहता हूं, मुझे दो मिनट के लिए और बोलना है, कृपया मुझे और समय दीजिए।

महोदय, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाये। उनके लिये सभी तालुकाओं में सर्वसुविधा संपन्न अस्पताल बनाये जाने चाहिएं। मेरे राज्य कर्नाटक में चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने हेतु 'यशस्विनी कार्ड' प्रणाली आरंभ की गई है। किंतु इसका लाभ मात्र कुछेक लोगों को ही मिला है। केवल कैंसर अथवा दिल के मरीजों को ही चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं। किंतु यह सत्य है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार एक इंजेक्शन भी नहीं ले सकते। अत:, असंगठित क्षेत्र के इन कर्मकारों की पहचान की जाये और उन्हें पहचान पत्र जारी किये जायें। दवायें नि:शुल्क दी जानी चाहिएं। इन लोगों को चिकित्सा सुविधा का आसानी से लाभ मिलना चाहिए। सभी होबलियों में अस्पताल बनवाये जायें क्योंकि इन लोगों के पास शहरों और नगरों में जाने के लिए पैसा नहीं है। वे बस का किराया भी नहीं दे सकते। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मकारों के लिए एक समान मजदूरी होनी चाहिए। महिला और पुरुष कर्मकारों की मजदूरी में काफी अंतर है। उदाहरणार्थ, पुरुषों को 100 रु. प्रतिदिन दिया जाता है जबकि महिलाओं को मात्र 40 रु. प्रतिदिन मिलता है। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। अवकाश की सुविधा दी जानी चाहिए तथा रविवार उनके लिये छुट्टी का दिन घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की भांति उन्हें भी छुट्टी वाले दिन का भुगातन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, यह विधेयक एक ऐसा विधान है जिसका हम काफी समय से इन्तजार करते रहे हैं। हम इसका काफी समय से इंतजार करते रहे हैं। मैं वास्तव में ही अपनी बाईं और बैठे अपने मित्रों, वाम दलों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार पर लगातार इस बाबत दबाव बनाया कि वह इस विधेयक को लाये। अत: मैं निस्संदेह अपने परम मित्र माननीय श्रम मंत्री और वाम दलों के अपने मित्रों को बधाई देता हूं कि वे इस विधान को लेकर आये हैं।

माननीय मंत्री जी से मेरा पहला अनुरोध यह है कि उन्हें असंगठित श्रमिक न कहा जाये। आप उन्हें असंगठित श्रमिक की संज्ञा क्यों देते हैं? मुझे अभी भी यह बात समझ नहीं आई। वे देश के कार्यबल का 93 प्रतिशत है। एक तरह से, वे संगठित हैं। वे संगठित होना चाहते हैं। ये हमारी सभी ट्रेड यूनियनों के आंदोलनों और अन्यों की असफलता है जो उनके पास नहीं पहुंच सके और उन्हें संगठित नहीं कर पाये। इसीलिए वे संगठित नहीं हैं। वे संगठित होना चाहते हैं। अत:, उन्हें असंगठित कर्मकारों की संज्ञा न दें। यदि आप उन्हें कोई संज्ञा देना ही चाहते हैं तो उन्हें देश में उपेक्षित कर्मकारों की संज्ञा दें। वे लोग प्रमुख रूप से देश का उपेक्षित कार्यबल है जो वास्तव में सरकार और समाज की उपेक्षा की वजह से काफी समय से पीड़ित हैं। इस प्रक्रिया में, वे वास्तव में ही कष्ट झेल रहे हैं। सर्वप्रथम, आपको बधाई देते हुए मैं आपसे एक कार्य करने का अनुरोध करता हूं।

यदि आप विधेयक के प्रमुख उपबंधों को देखें, तो इसमें अनिवार्य रूप से केवल एक बोर्ड के गठन की बात की गई है। यदि आप वास्तव में इसे देखें तो आप पायेंगे कि यह प्रमुख उपबंध है। वास्तव में इसमें कर्मकारों को तुरन्त मिलने वाली किसी भारी लाभ की बात नहीं की गई है। अत:, यह बोर्ड ही है जो यह निर्णय ले सकेगा कि कर्मकारों को मिलने वाला लाभ क्या होना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि क्या हम बोर्ड को कुछ निर्देश देने पर विचार कर सकते हैं? हमारा केवल इतना ही कहना है कि उन्हें उन तीन या चार बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। किंतु, क्या आप वास्तव में इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते? फिलहाल, यह बोर्ड की दया पर ही निर्भर है। यदि बोर्ड कुछ करने का निर्णय लेता है तो कामगारों को कुछ न कुछ हासिल होगा।

इसके अलावा, इसमें पेंशन का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब वह विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसेकि उन्होंने भविष्य निधि के बारे में कहा है तो, उन्हें पेंशन के संबंध में भी बोलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका इस विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। यह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: पहले से ही एक योजना लागू है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, जब वह इस प्रकार का विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं तो इन लाभों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मेरा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति पीठासीन है जो कामगारों के बारे में सोचता है। इसलिए कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। अत: मुझे विश्वास है कि जब आपके मन में कामगारों के लिए भावनाएं हैं, तो मेरे लिए भी होंगी।

अतएव पेंशन का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मातृत्व छुट्टी भी होनी चाहिए। हमने निर्माण कार्य में लगे कामगारों विशेषत: ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने कुछ घंटे पूर्व ही बच्चे को जन्म दिया है, उनके पास जीवन यापन के लिए काम करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता है क्योंकि उन्हें एक और जीव को भोजन देना होता है। अत: मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से विनिर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए क्योंकि वे बड़े कठिन कार्य करते हैं। यदि मातृत्व अवकाश की व्यवस्था नहीं तो पितृत्व अवकाश की व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो इसके लिए कोई तो प्रावधान होना चाहिए।

उन्होंने कामगारों के लिए लाभों के बारे में बात की है लेकिन बच्चों के लिए शिशु गृह (क्रैच) योजना का इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बच्चे सड़क पर रोते रहते हैं मां काम करती रहती हैं। मां मन ही मन रोती है कि वह जाकर अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती। अतएव मेरा अनुरोध है कि शिशु गृह (क्रैच) केवल निर्माण श्रमिकों के लिए ही जरूरी नहीं है अपितु यह अन्य स्थानों पर भी होना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

अब, मैं बोर्डों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख करता हूं। मैं बोर्ड के प्रतिनिधित्व के संबंध में ही यह अनुरोध करना चाहता हूं। वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड में असंगठित श्रमिकों के छ: या सात प्रतिनिधि ही हों। मंत्री जी ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि वे इतने असंगठित हैं कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। सरकार वास्तव में यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि असंगठित श्रमिक बोर्ड में उनका समुचित प्रतिनिधित्व किया जाए? इसके लिए सरकार कौन सी क्रियाविधि अपनाएगी।

यही बात नियोक्ताओं के मामले में लागू होंगी। जैसे श्रमिक असंगठित हैं, उसी प्रकार नियोक्ता भी असंगठित है क्योंकि जितने अलग-अलग कार्मिक हैं उतनी ही नियोक्ताओं की बहुतायत है। इसलिए सरकार इन लोगों को कैसे संगठित करेगी और यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड में श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं को भी उचित प्रतिनिधि प्राप्त हो। अतएव मेरा अनुरोध है कि वह यह बताएं कि सरकार ऐसा करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाएगी?

जिन बोर्डों के बारे में वह बात कर रहे हैं, उनकी विभिन्न राज्यों में समय सीमा होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बोर्डों के गठन की कोई समय सीमा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ राज्यों जैसे केरल में इन बोर्डों का तत्काल गठन किया जाएगा। परन्तु कुछ राज्यों में इन बोर्डों के तीन-चार वर्ष तक गठन नहीं किया जाएगा ऐसी स्थिति में वे कब कार्य आरंभ करेंगे। अतएव सबसे पहले बोर्ड के गठन की एक विशिष्ट समय सीमा होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बोर्ड का गठन कर लिये जाने के पश्चात् एक समय सीमा होनी चाहिए या निर्देश होना चाहिए कि बोर्ड इन सभी क्षेत्रों में से प्रत्येक के संबंध में विशिष्ट अवधि में विशिष्ट निर्देश जारी करेगा। यह अवधि छ: माह, एक वर्ष या दो वर्ष या जो कुछ भी वह निर्धारित करें, होनी चाहिए। परन्तु यह इससे अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि कामगारों को इतने लम्बे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

तीसरे, उनकी सिफारिश के संबंध में निर्देश दिये जाने के पश्चात् बोर्ड राज्य सरकारों को केवल सिफारिश करेगा और राज्य सरकारें तदनुसार कार्यवाही करेगी। वह स्वयं अधिनियम में इसकी समय सीमा निर्धारित करे कि राज्य सरकारों को उस अवधि के अंदर ही कार्यवाही करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मुझे संदेह है कि इनमें से अधिकांश बातें और अच्छे इरादे कागज पर ही रह जाएंगे और कुछ राज्य तो इस मामले में कार्यवाही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और उपेक्षित श्रमिक लम्बे समय तक

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

यह सोच उपेक्षित ही बने रहेंगे कि संसद द्वारा उनके लिए कुछ भलाई की गई है परन्तु वास्तव में कुछ नहीं होगा।

जब यह सब किया गया है और यदि उन्हें विश्वास है कि राज्य भी निर्देशों का कार्यान्वयन करते हैं और उनका अनुपालन किया जाना है तो मेरा अनुरोध यह है कि जब उन्होंने योजना के संबंध में निर्णय लेने के लिए बोर्ड का गठन किया है तो इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक जिलावार समिति भी होनी चाहिए। यह बोर्ड के निर्देशों का अंतिम रूप से कार्यान्वयन करने के लिए बहुत जरूरी है। हम योजनाएं बनाने के लिए एक बहुत बड़े तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अतएव अंतत: कार्यान्वयन से ही इन कामगारों को लाभ मिलेगा। जैसाकि हमने सरकार की नेक मंशावाली अनेक योजनाओं में देखा है कि कार्यान्वयन ही मूल मंत्र है। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा अर्थात् अंतिम परिणाम नहीं मिलेगा। अतएव मेरा अनुरोध है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिलावार जिला समितियां बनाई जाएं।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि हमने देखा है कि संगठित श्रमिकों के भविष्यनिधि देय का भुगतान नहीं किया जाता है। संगठित श्रमिक, जो सुसंगठित है, जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास शक्ति है, जो असंतोष प्रकट कर सकते हैं तथा मेरे समाजवादी मित्र उनके लिए हमेशा आंदोलन करते हैं। परन्तु इसके बावजूद अनेक मामलों में भविष्यनिधि देयों का भुगातन नहीं किया जाता है। अतएव कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि दो श्रमिकों या तीन श्रमिकों के संगठनों को उनके भविष्यनिधि देय मिल जाएंगे?

अतएव उनके निवेश की वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है। आप उनके श्रमिक लाभों को कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपको उसके लिए एक उचित योजना के बारे में सोचना होगा। मुझे आशा है कि मंत्री जी ऐसा करेंगे। मैं जानता हूं कि ऑस्कर फर्नांडीज के मन में असंगठित मजदूरों के लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं। अतएव यह सुनिश्चित करें कि ऐसा हो। अन्यथा हम विधेयक पारित करके प्रसन्न हो जाएंगे। परन्तु उससे अधिक कुछ नहीं होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक 14वीं लोक सभा के गठन के प्रथम वर्ष में ही लाया जाना चाहिए था जैसाकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वादा किया गया था और जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने अभी-अभी किया है। यह एक बड़ा प्रश्न है कि यह विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया। लगभग 45 करोड़ लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसमें से 93 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमें उनके लाभ और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा।

हालांकि यह विधेयक विलंब से लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक में निर्धारित व्यवस्था को प्राप्त करेगा। यह विधेयक मुख्य रूप से दो सलाहकार बोर्डों की स्थापना से संबधित है। हम समझते हैं कि यह सलाहकार बोर्ड किसी मंत्रालय के सलाहकार बोर्ड की भांति है और हम जानते हैं कि इन बोर्डों को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं। यह बोर्ड एनआरईजीए की भांति होना चाहिए था जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी हैं। अत: आपको एक ऐसा व्यापक विधेयक लाना चाहिए था जिसमें बोर्ड के पास शास्ति लगाने की शक्तियां निहित हों।

महोदय, इस देश में लगभग 87 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या को पेंशन प्राप्त नहीं होती है। जब सरकार ने बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की तो बीमा क्षेत्र का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत रूप से लागू क्यों नहीं हुआ। स्थायी समितियों में से एक अथवा प्राक्कलन समिति, मुझे स्मरण नहीं है, ने एक गैर-सरकारी बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी की स्वास्थ्य संबंधी बीमा की जांच करते हुए पाया कि यह केरल में कार्य नहीं कर रही है। अत: सरकार को ऐसे तरीके निश्चित रूप से बनाने चाहिए जिसमें कि गैर-सरकारी क्षेत्र और बीमा क्षेत्र को उचित रूप से असंगठित क्षेत्र हेतु स्वास्थ्य बीमा और अन्य बीमा के कार्य में लगाया जाए। इसके पश्चात् ही आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकेगा?

यह देखा गया है कि असंगठित क्षेत्र में वृद्धि हो रही है लेकिन दक्षता विकास हेतु असंगठित क्षेत्र में कुशलता की अत्यधिक मांग है। दक्षता विकास हेतु सरकार 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। लेकिन यह देखा गया है कि आयोग ने 10,000 करोड़ रुपये और की मांग की है। दक्षता उन्नयन हेतु और असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों के संरक्षण हेतु लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा है। अर्थव्यवस्था की मंदी के इस दौर में असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिकों को काम से हटाया जा रहा है। अत: सरकार को उनके जीविकोपार्जन और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिएं।

हालांकि यह विधेयक अत्यंत व्यापक नहीं है फिर भी इसका व्यापक महत्व है। इसके महत्व को तभी वास्तविक बनाया जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड और कामगार मुआवजा अधिनियम और अन्य अधिनियम जैसे विद्यमान अधिनियम दिशा-निर्देश दें और इस कार्यबल को राहत पहुंचा सकें।

महोदय राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्य योजनाएं जैसे कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। योजनाएं बदल सकती हैं। इसके लिए व्यापक अधिनियम बनाए जाने की आवश्यकता है। जैसाकि स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु आकस्मिक निधि सृजित की जा सकती है। हमें विश्व भर में आर्थिक मंदी के दौर जैसी स्थिति से निपटने की आवश्यकता पड़ सकती है। अत: इस आकस्मिक निधि के सृजन की अत्यंत आवश्यकता है। अत: लगभग 5000 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि बेरोजगारी से निपटने हेतु तत्काल सृजित की जाये।

सभापति महोदय: अब श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा बोलेंगी। कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें क्योंकि समय की कमी है।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): धन्यवाद सभापति महोदय। कृपया मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: माननीय सभापति महोदय, मैं असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के दिशा-निर्देशन में यूपीए सरकार की एक और उपलब्धि है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पश्चात् यह विधेयक यूपीए सरकार की उपलब्धियों में से एक सर्वाधिक प्रशंसित उपलब्धि है। प्रतिपक्ष में बैठे मेरे मित्र भी निश्चित रूप से इससे सहमत होंगे। माननीय श्रम मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीज को भी यह विधेयक पुर: स्थापित करने हेतु बधाई दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परिषद का एक सदस्य होने के नाते मैं असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को जानती हूं। असंगठित क्षेत्र में कई श्रेणियों यथा ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, ठेका श्रमिक, उत्प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक और वास्तव में इस विधेयक में शामिल नहीं किये गये आय वर्ग के श्रमिक इसमें शामिल हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र में लगभग 35 से 40 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं। ये श्रमिक लघु, कुटीर उद्योग, घरेलू श्रमिक इत्यादि जैसे औपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। मैं अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत इन श्रमिकों को भी विधेयक में शामिल करने का अनुरोध करती हूं।

इस विधेयक में असंगठित क्षेत्र आवास योजना असंगठित क्षेत्र श्रमिक पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र बेरोजगारी योजना और असंगठित क्षेत्र श्रमिक शिक्षा जैसी योजनाएं अधिकल्पित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को इन योजनाओं को शामिल करने हेतु धन्यवाद देती हूं। इन योजनाओं के वित्तपोषण की क्या व्यवस्था है। कई राज्य सरकारें यह कह सकती हैं कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयां आ सकती हैं।

हम सभी जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र में स्वनियोजित श्रमिकों और कारीगरों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें नियोजकों के अंशदान का क्या तरीका है। माननीय मंत्री महोदय को इस समस्या से भी निपटना होगा।

महोदय, केन्द्र सरकार को पेंशन कोष के लिए धन उपलब्ध कराना होगा। 60 वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले श्रमिकों को पेंशन दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को भविष्य निधि लिंकेज योजना लागू करने हेतु धन्यवाद देती हूं।

मंत्री महोदय को मेरी सलाह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का अलग-अलग निर्धारण किया जाए ताकि उनमें अतिव्याप्ति न हो। केन्द्रीय श्रम मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय समितियां बनाई जाएं।

विधेयक में एक बोर्ड का गठन किये जाने की परिकल्पना की गई है। इसके पास संस्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार होगा परन्तु इसके पास कार्यान्वयन करने का प्राधिकार नहीं होगा। योजनाएं तैयार कौन करेगा और उनका कार्यान्वयन कौन करेगा? मंत्री जी अनुरोध है कि वह यह भी स्पष्ट करें।

मैं बोर्ड में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में मेरी सलाह है कि उपर्युक्त बोर्ड में सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। इस विधेयक के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा शुरू की गई दक्षता विकास परिषद को विशेष सहायता प्रदान की जाए ताकि असंगठित कामगार लाभान्वित हो सकें। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों के बीच बालश्रम को रोका जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री, श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डीगारू के कुशल नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार इस विधेयक में उल्लिखित कतिपय सुविधाएं जैसे पेंशन, राशन कार्ड, आवास, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा सुविधाएं आदि असंगठित क्षेत्र के लोगों को पहले से ही प्रदान कर रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि महिलाओं को शत-प्रतिशत प्रीमियम की छूट दी जाए। ठीक इसी प्रकार जहां

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

तक स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध है, उन्हें प्राथमिक और विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएं।

महोदय, विधेयक में इस बात का उल्लेख किया है कि जहां दस से भी कम कामगार काम करते हैं वहां इस विधेयक के प्रावधान लागू होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कामगारों की संख्या दस से अधिक है, तो इस विधेयक के उपबंधों का लाभ उन कामगारों को नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए भविष्य निधि योजना लागू नहीं होगी। मंत्री महोदय को इस पर भी विचार करना होगा।

अपनी बात पूरी करने से पहले मैं इस विधयेक का स्वागत करती हूं। इसका कार्यान्वयन समुचित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगार यह महसूस कर सकें कि यूपीए सरकार उनकी जरूरतों का ध्यान रख रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, क्या आप अपने-अपने भाषण सभा पटल पर रखने के इच्छुक सदस्यों को सभा पटल पर अपने भाषण रखने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे?

सभापति महोदय: अपने-अपने भाषण सभा पटल पर रखने के इच्छुक सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं और जिनके पास लिखित भाषण हैं, वे भी अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): आजादी के समय से अब तक मेरे सहित कई श्रम मंत्री हुए हैं जिन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला है लेकिन वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधेयक नहीं ला सके परंतु यह अवसर आपको मिला है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह विधेयक को लाने का अवसर उन्हें मिला है। इसलिए श्री ऑस्कर फर्नांडीस आप बधाई के पात्र हैं।

कतिपय अच्छी मंशा से काम नहीं चलेगा। मैंने पूरा विधेयक पढ़ा है। आपको स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि क्या-क्या किया जाएगा। मैं बीपीएल और एपीएल के श्रेणीकरण में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। इससे बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस विधेयक के दायरे से बाहर रह जाएंगे। इसकी जांच की जानी चाहिए। इससे महिलाएं काफी प्रभावित होंगी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन श्रेणीकरण किया गया है। मेरे विचार से इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। स्थायी समिति और सेनगुप्त समिति की कई सिफारिशें, जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, भी सरकार के पास हैं।

परामर्शदात्री समिति की भूमिका क्या है? जैसाकि श्री प्रभु का सुझाव है कि जब तक इसमें कुछ अपरिहार्य नहीं बनाया जाता है, तब तक पूरी मेहनत ही बेकार है। सरकार विधेयक पुर:स्थापित कर चुकी है। लेकिन इस विधेयक का प्रभाव क्या है? इसे अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है? इसलिए इस विधेयक में कुछ बाध्यकारी उपबंध करने होंगे। इसे कमजोर नहीं होना चाहिए, जैसाकि यह इस समय है। इसमें कुछ उपबंध किये जाने चाहिए। इसमें कुछ ठोस उपबंध किये जाने चाहिए। जहां तक सामाजिक लाभों का संबंध है, मेरे विचार से सेनगुप्त ने सुझाव दिया था कि इसके बारे में एक सामाजिक विधान होना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र में कुल कामगारों में खेतिहर मजदूरों की संख्या 26 प्रतिशत है। जब मैं श्रम मंत्री था, तो मैंने खेतिहर मजदूरों के लिए एक विधेयक लाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। और कई लोग भी इस मामले में असफल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सभी चीजों अर्थात् श्रेणियों एवं लाभों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। वह बस इतना ही कहते हैं कि उन्हें ये सभी लाभ मिलेंगे। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अत: इसे ठोस रूप दिया जाना चाहिए। यह भी एक मुद्दा है।

इसके लिए धनराशि कहां से आएगी? वह दार्शनिक की भांति कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का ध्यान रखा जाएगा। धनराशि के लिए क्या उपबंध किये गये हैं? धनराशि प्रदान कौन करेगा? बिना धनराशि के इस विधान की उपयोगिता क्या है? यदि मुझे सही तरह से याद है, तो स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत और विभिन्न श्रमिकों के लिए कुछ अन्य अंशदान से इस प्रयोजनार्थ कोष की स्थापना की जानी चाहिए। इस पूरे विधेयक में ऐसा कोई सुझाव है? गिरती स्थिति में धनराशि की व्यवस्था कहां से होनी चाहिए। बिना निधि के इस विधान की उपयोगिता क्या है? इसलिए यह एक गंभीर मामला है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत श्रमिक 20 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जैसाकि कुछ सदस्यों ने यहां बताया है। फिर, सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान क्या है? वे 60-65 प्रतिशत का योगदान करते हैं। लेकिन उन 90 प्रतिशत श्रमिकों में से 45 करोड़ श्रमिक 20 रुपये से भी कम अर्जित करते हैं और असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत श्रमिक जीडीपी में 60-65 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इस तरह असंगठित क्षेत्र का यही महत्व है।

मंत्री महोदय की मंशा बहुत अच्छी और दार्शनिक है लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार जब तक इस विधेयक में ठोस उपबंध

नहीं किये जाएंगे तथा स्थायी समिति की सिफारिशों—जिसके संबंध में विस्तार से बताने का मेरे पास समय नहीं है—पर विचार नहीं किया जाएगा और इस विधेयक में भविष्य में या इस वाद-विवाद के दौरान संशोधन नहीं किये जायेंगे तब तक मेरे विचार से यह विधेयक महज कार्यवाही-वृत्तांत का हिस्सा ही बना रहेगा। इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है। फिर भी भारत के इतिहास में पहली बार यह विधेयक लाया गया है इसके लिए श्री ऑस्कर फर्नांडीस बधाई के पात्र हैं।

*श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। "मजदूरी पर काम करने वाले कामगार" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी नियोक्ता द्वारा अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में पारिश्रमिक के लिए किसी भी कार्यस्थल पर नियोजित है। चाहे वह विशेष तौर से एक नियोक्ता अथवा एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए नियोजित हो।

असंगठित क्षेत्र के उपरोक्त श्रमिक परिवारों पर पूर्व में न तो राज्य सरकारों ने और न ही केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया है। अनुमान है कि देश के कुल रोजगार में असंगठित क्षेत्र का रोजगार 94% से अधिक है। उनकी असंगठित प्रकृति के कारण, इन कामगारों को बीमा, भविष्य निधि; पेंशन आदि जैसी पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली। केन्द्रीय सरकार बीड़ी उद्योग में लगे कामगारों, गैर-कोयला खान कामगारों, सिनेमा उद्योग से जुड़े कामगारों आदि जैसे असंगठित क्षेत्र के विशेष समूह के कामगारों के लिए कुछ कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। असंगठित क्षेत्र के इन स्वनियोजित कामगारों की स्थिति यह है कि एक दिन तो उनको काम मिल जाता है किंतु अगले ही दिन उनका प्रबन्धन उन्हें निकाल सकता है। असंगठित क्षेत्र के इस तरह के कामगारों के लिए नौकरी संबंधी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है।

इन परिवारों को राजीव गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कारण ही दिन में केवल एक समय का भोजन नसीब हो रहा है। हमारी संप्रग सरकार इन परिवारों की सुरक्षा करने हेतु और विधान लाकर इस क्षेत्र के लिए और योजनाएं कार्यान्वित करेगी। साथ ही, हमारी संप्रग सरकार असंगठित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के कामगारों के कल्याणार्थ उपयुक्त कल्याण योजनाओं की सिफारिश करने और इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सलाहकारी बोर्ड का गठन भी अवश्य करेगी।

हमारी संप्रग सरकार असंगठित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नलिखित योजनाओं जैसी उपयुक्त कल्याण योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है:

1. असंगठित क्षेत्र के परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा
2. उचित बीमा योजनाएं
3. जीवन और अपंगता कवर
4. स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
5. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
6. हथकरघा बुनकर विस्तृत कल्याण योजनायें
7. मछुआरों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय योजना एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार
8. आम आदमी बीमा योजना
9. जननी सुरक्षा योजना

इसके अलावा, सभी राज्य सरकारें अपने राज्य में असंगठित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के कामगारों के लिये उपयुक्त कल्याण योजनाओं की सिफारिश करने के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा सलाहकारी बोर्ड का गठन करेंगी।

असंगठित क्षेत्र का कामगार विधिवत पंजीकृत हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा के लाभ पाने का पात्र होगा। असंगठित क्षेत्र में प्रत्येक पंजीकृत कामगार को एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा जो एक "स्मार्ट कार्ड" होगा जिसमें एक खास पहचान संख्या होगी और जिसे कहीं भी ले जाया जा सकेगा। असंगठित क्षेत्र में कोई भी कामगार इन बोर्डों में पंजीकृत होने के पश्चात् ये लाभ हासिल करने का दावा कर सकता है। कई कामगारों को उचित पहचान पत्र नहीं दिये जाते। वे तुरन्त दिये जाने चाहिए जिससे इन योजनाओं का कार्यान्वयन करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2004-05 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में ग्रामीण और शहरी कामगारों की कुल संख्या लगभग 45 करोड़ है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कल्पित व्यवसाय हेतु कई कल्याण कोषों की स्थापना की है। किंतु, असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारियों को उचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को नियमित तौर पर रोजगार नहीं मिलता है, नियोक्ता-कर्मचारी के बीच औपचारिक संबंध भी नहीं होते और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जी.एम. आरून रशीद]

अधिनियम, 1970; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन शर्तें) अधिनियम, 1996 आदि जैसे अनेक विधान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से असंगठित क्षेत्रों के कामगारों पर भी लागू हैं।

असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिनों का लाभ पा रहे हैं।

यह हमारी संप्रग सरकार की मुख्य सफलता है केवल एनआरईजीएस (नरेगा) हड़ताल के कारण, रैलियां कुछ हद तक कम हुई है। यद्यपि राज्य सरकार ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन'' के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के उक्त कामगारों को पहचान पत्र देगी, तथापि इस योजना में बीपीएल परिवारों के वे लोग भी शामिल होने चाहिएं जिनकी उम्र 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र से अधिक है। वर्तमान में बीपीएल परिवारों में मात्र 65 वर्ष के लोगों को शामिल किया जा रहा है।

मैं अपनी तमिलनाडु सरकार को बधाई देता हूं कि उसने एक पृथक् अधिनियम को लाकर इसे कार्यान्वित किया। मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में ''स्लम क्लियरेन्स बोर्ड'' और ''उजावर संघई'' जैसी योजनायें चल रही हैं। इसका अर्थ यह है कि किसान दलालों के हस्तक्षेप के बगैर अपने उत्पाद को सार्वजनिक बाजार में बेचते हैं ताकि उन्हें कृषि उत्पादों जैसे छोटे क्षेत्रों से लाभ हो।

निष्कर्ष

''राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम'' एनसीएमपी में कहा गया है कि हमारी संप्रग सरकार सभी कामगारों, खासकर हमारे कार्य बल के 93% के बराबर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग खासकर मछुआरों, दैनिक बाजार के कुलियों, मेसन और चित्तल (सहायकों), मेसन आदि मैसनरी (महिला और पुरुष), बीड़ी उद्योग के कामगारों, माचिस उद्योग के कामगारों, चमड़ा संस्करण सहायकों, दर्जियों, जुलाहों, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाएं लोन हेतु भी प्रतिबद्ध है ताकि इन उपेक्षित परिवारों की ओर ध्यान दिया जा सके। हमारी संप्रग अध्यक्षा सोनिया गांधी के महान विचारों की वजह से ही यह विधेयक एवं कानून लाया जा सका है ताकि असंगठित क्षेत्र के परिवारों के इन उपेक्षित ग्रामीण और निर्धन लोगों का ध्यान रखा जा सके ताकि उनके परिवार ''गरीबी'' और ''भूख'' का सामना न करें। हमारी संप्रग सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहले ही ले आई है जिसे समस्त भारत के सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया है। वर्तमान में, भुखमरी और आत्महत्या के कारण मौतें नहीं हो रही हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का यह अवसर प्रदान किया।

डा. सिबैस्टियन पाल (एर्नाकुलम): धन्यवाद, महोदय। मैं काफी लम्बे समय से लंबित इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अंतत: संसद को असंगठित क्षेत्र में कठिन परिश्रम कर रहे हमारी जनता के एक बड़े वर्ग के बारे में सोचने का समय मिला और इच्छा उत्पन्न हुई। वे बहुसंख्यक हैं परन्तु संगठित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों पर कानून का ध्यान जा रहा है और उन्हें ही सुरक्षा मिल रही है। सभ्य समाज की सरकार का मुख्य दायित्व सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा देना है। यदि माननीय मंत्री जी उक्त विधेयक की जांच करने वाली स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने की उदारता दिखाते तो यह कल्याणकारी विधान का प्रशंसनीय नमूना होता। सिवाए इस आपत्ति के मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। हमारे देश में मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं माननीय ऑस्कर फर्नांडीस साहब को बधाई देता हूं कि जिस दिन का इंतजार हम अब तक कर रहे थे वह आज आया है। सेनगुप्ता आयोग ने बताया है कि हमारे देश में 83.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर अपना गुजारा करते हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आज भी देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग 26 प्रतिशत हैं। संगठित मजदूर हों या असंगठित मजदूर हों, उनको ताकत देने की जिम्मेदारी बाबा साहेब के संविधान ने भारत सरकार को दे दी है। असंगठित मजदूरों को ताकत देने के लिए, न्याय देने के लिए, माननीय मनमोहन सिंह जी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस मुद्दे को ले लिया है। आप जो असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 लेकर आये हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीए को विश्वास मत प्रस्ताव भी लाना पड़ा लेकिन ये लोग चाहते थे कि सरकार जानी चाहिए लेकिन अगर सरकार जाती तो यह बिल यहां नहीं आता। सरकार बच गयी तो यह महत्वपूर्ण बिल यहां लाने का मौका मिला है। माननीय जार्ज फर्नांडीस वहां हो गये लेकिन माननीय ऑस्कर फर्नांडीस यहां हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं लेकिन आपको लगता था कि हम इस पर निर्णय नहीं लेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह बिल हम पास कर रहे हैं तो इसमें खेत-मजदूरों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। आपने बिल में कहा है कि बीड़ी-कर्मकार, खान मजदूर, सिनेमा-मजदूर और मछुआरे वगैरह के लिए आपने इसमें व्यवस्था

की है लेकिन खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। हम तो इस बिल का समर्थन कर ही रहे हैं लेकिन आपको भी इस बिल का समर्थन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इन मजदूरों का समर्थन नहीं मिलेगा। मेरा सुझाव यह है कि एक तो केन्द्रीय बोर्ड होगा और स्टेट का भी बोर्ड होगा, तो उसमें एससी और एसटी के दो सदस्य होने चाहिए। माननीय ऑस्कर फर्नांडीस साहब, आपको इस पर भी विचार करना होगा। आपने बीपीएल के लोगों के बारे में कहा है लेकिन बहुत सारे बीपीएल के लोग ऐसे हैं जिनको कार्ड नहीं मिलता है। मजदूर तो बीपीएल वाला ही होता है इसलिए जो भी असंगठित मजदूर हैं उन्हें इस कानून का फायदा होना चाहिए। जो मजदूर दूसरी जगह माइग्रेट होकर चले जाते हैं, पलायन करके चले जाते हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलना चाहिए।

महोदय, जो लोग काम की तलाश में दूसरी जगहों पर जाते हैं, जैसे बिहार, यूपी, केरल आदि दूसरे राज्यों के लोग महाराष्ट्र में आते हैं, उन मजदूरों को भी इस कानून का फायदा मिलना चाहिए। जिला लेवल पर एक बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता कितना होगा, काम के कितने घंटे होने चाहिए और साप्ताहिक छुट्टी कौन सी होनी चाहिए, इन चीजों को भी बिल में लाने की आवश्यकता है। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाने के लिए मैं मंत्री जी और सरकार, दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब आपको महिलाओं को आरक्षण देने का बिल लाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का भी बिल आप लाइए। एनडीए के लोग सोच रहे थे कि वे इस तरफ आएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं इतनी जल्दी अपनी बात कैसे समाप्त कर सकता हूं। अभी तो हमें पांच साल और यहां आना है। इतनी जल्दी हम अपनी बात समाप्त करेंगे, तो सही नहीं होगा। आपका साथ मिलेगा, तो इन लोगों का हम सत्यानाश करने वाले हैं। मैं इस क्रांतिकारी बिल का पूरी ताकत से समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सायं 6.31 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य–*जारी*

(ग्यारह) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन किये जाने के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी को विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों की पुनरीक्षा करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं जिसकी प्रोफेसरों द्वारा काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही है। साथ ही यह काफी लम्बे समय से लम्बित मुद्दा भी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मुझे अपनी ओर से यह वक्तव्य देने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकती हैं।

अनेक माननीय सदस्यगण: उन्हें वक्तव्य पढ़ने दीजिए।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, इस महान सदन में समय-समय पर देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चिंता व्यक्त की गई है। उच्चतर शिक्षा प्रदान कर रहे विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक यह है कि हम शिक्षण व्यवसाय में युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में सफल नहीं रहे हैं जिसके कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में काफी समय से शिक्षकों की कमी रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और इनके संघटक कॉलेजों में शिक्षकों के लगभग पच्चीस प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। राज्य-स्तरीय संस्थाओं में शिक्षण पदों की रिक्तियां इससे भी अधिक हो सकती हैं।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 6 सितम्बर, 2007 को अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने, विश्वविद्यालय पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के संबंध में अर्थोपाय की सिफारिश करने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर जी. के. चड्ढा की अध्यक्षता में वेतन समीक्षा समिति गठित की थी। इस समिति ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 को इसके संबंध में अपनी सिफारिशें अग्रेषित कर दी हैं। दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 को एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी और इसकी सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों पर सचिवों की समिति ने दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में विचार किया था। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि मंत्रालय के प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने दिनांक 15 दिसम्बर,

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

2008 को अनुमोदित कर दिया है। मैं सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए यथा-अनुमोदित संशोधित वेतनमानों और सेवा शर्तों की मुख्य विशेषताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगी।

(1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के केवल तीन पदनाम अर्थात् सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर और प्रोफेसर होंगे।

(2) जब तक कोई शिक्षक पी.एच.डी. धारी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा यथा-निर्धारित अन्य अकादमिक शर्तों को पूरा न करता हो तब तक वह प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति, पदोन्नति अथवा प्रोफेसर पदनाम प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। तथापि, पहले से ही 'प्रोफेसर' के रूप में पदनामित किसी शिक्षक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में यथा-लागू ''वेतन ग्रेड'' के स्थान पर शिक्षकों और समतुल्य पदों के लिए ''अकादमिक वेतन ग्रेड'' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षकों और समतुल्य पदों के लिए अकादमिक वेतन ग्रेड के रूप में 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये और 12,000 रुपये के विभिन्न वेतन ग्रेड अनुमोदित किये गये हैं।

(4) प्रवेश स्तर पर ही सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए 6,000 रुपये के उच्चतर अकादमिक वेतन ग्रेड की सिफारिश की गई है ताकि इसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत सिविल सेवाओं और अन्य व्यावसायिकों के प्रवेश स्तर के वेतन ग्रेड की तुलना में अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

(5) संबंधित विषय में पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने वाले सहायक प्रोफेसरों और यदि यह नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य और पी.एच.डी. डिग्री के मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई है, के लिए प्रवेश स्तर पर पांच गैर-चक्रीय अग्रिम वेतन वृद्धियां (इस समय 4 की तुलना में) प्रदान की जाएंगी। प्रवेश स्तर पर, संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रासंगिक सांविधिक परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त एम.फिल या स्नातकोत्तर डिग्री, जैसे एम.टेक/एल.एल.एम. इत्यादि धारी शिक्षकों को गैर-चक्रीय दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाएंगी। जो सेवा के दौरान संबंधित विषय में डिग्रियां प्राप्त करते हैं उन्हें पी.एच.डी. के लिए तीन गैर-चक्रीय अग्रिम वेतन वृद्धियां तथा संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे एम.टेक/एल.एल.एम. इत्यादि में एम.फिल की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक गैर-चक्रीय वेतन वृद्धि दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, आपको पूरा विवरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करें।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय हम जानना चाहते हैं क्योंकि यह जानकारी है और यह सूचना है।

सभापति महोदय: इसे पढ़ने में लम्बा समय लगेगा और दूसरों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: नहीं, महोदय कृपया उन्हें पढ़ने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, आप केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें और शेष आप सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: इसमें हर बात बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सामान्यत: व्यवस्था यह है कि मंत्री महोदय को विवरण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है और इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन यह मुद्दा, जो लम्बे समय से लंबित है, महाविद्यालय के शिक्षकों से संबंधित होने के कारण मैंने उन्हें महत्वपूर्ण बातों को पढ़ने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप इसे पढ़ सकती हैं। सामान्य रूप से इसे सभा पटल पर रखा जाता है लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर काफी समय से लंबित है जिसका संबंध विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों से हैं। अत: मैंने इनको इसे पढ़ने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं विवरण आगे पढ़ती हूं। इसमें आगे यह कहा गया है कि:

(6) प्रथम बार, अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों के कालेजों में प्रोफेसर के पदों को शुरू किया जाएगा। अवर स्नातक कालेज में प्रोफेसर के पदों की संख्या एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की संख्या का 10 प्रतिशत होगी। स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी विभागों की संख्या होगी।

(7) विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 10 प्रतिशत पद निर्धारित योग्यता शर्तों के साथ 12000 रु. के उच्चतर अकादमिक ग्रेड के होंगे।

(8) सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रवेश स्तर पर नेट आवश्यक होगा, परन्तु इससे उन पी.एच.डी. धारकों के लिए छूट होगी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने विनियमों के माध्यम से निर्धारित पंजीकरण, पाठ्यक्रम-कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया है, के तहत पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त की है। नेट ऐसे मास्टर कार्यक्रमों के लिए आवश्यक नहीं होगा, जिनके लिए नेट उपलब्ध नहीं है।

(9) वे शिक्षक जो इस समय लेक्चरर (चयन ग्रेड) अथवा रीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका सह-प्रोफेसर के पद के लिए चयन होने तक यही पदनाम रहेगा।

(10) अधिवर्षिता की आयु के अतिरिक्त, जो लाइब्रेरियनों/शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 62 वर्ष है, अध्यापकों तथा लाइब्रेरियनों/शारीरिक शिक्षा निदेशकों के बीच समानता बनाई जाएगी।

(11) यद्यपि रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, उप-रजिस्ट्रार तथा उनके समकक्ष पदों के कैडर के अधिकारियों के लिए वेतनमान का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतन समीक्षा समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं था तथापि उनके वेतनमानों का निर्धारण भी मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया है।

(12) विगत की परिपाटी के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इन संशोधित वेतनमानों को लागू करेगी और संशोधन के क्रियान्वयन में 1.1.2006 से 31.3.2010 तक अवधि के दौरान 80 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च की सीमा तक केन्द्र सरकार द्वारा इस शर्त के तहत वहन किया जाएगा कि राज्य सरकारों द्वारा सम्पूर्ण वेतन संशोधन/वेतनमान पैकेज स्कीम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमों के माध्यमों से निर्धारित सभी शर्तों के साथ तथा अन्य संशोधन की पद्धतियों को एक समग्र स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाए। हालांकि, राज्य सरकारें 1.1.2006 के बाद की तारीख से भी संशोधित वेतनमानों को लागू कर सकती है तथा अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उच्चतर वेतनमानों का भी निर्धारण कर सकती है। हालांकि, केन्द्रीय सहायता 31.3.2010 तक की अवधि तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमानों तक सीमित रहेगी।

(13) जबकि वेतनमानों का संशोधन 1.1.2006 से लागू होगा, तथापि अन्य भत्ते (डीए के अतिरिक्त) तथा अग्रिम वेतन वृद्धियां 1.9.2008 से लागू होंगी।

(14) चयन की सभी निर्धारित अपेक्षाएं उपर्युक्त उल्लिखित को छोड़कर यथावत लागू रहेगी।

संशोधित स्कीम के तहत, सहायक प्रोफेसरों को 15600-39100 रु. के वेतन बैंड में 6000 रु. की एजीपी के तहत शामिल किया गया है। पी.एच.डी. डिग्री धारक अध्यापकों को 12 वर्षों की सहायक प्रोफेसर की सेवा करने के बाद सहायक प्रोफेसर से असोसिएट प्रोफेसर के पद पर रखा जा सकता है, इसमें 6000 रु. की एजीपी में 4 वर्षों की सेवा, 7000 रु. की एजीपी में 5 वर्षों की सेवा तथा 8000 रु. की एजीपी में 3 वर्षों की सेवा का कार्यकाल पूरा होना चाहिए। एम.फिल धारी शिक्षक और वे शिक्षक, जिनके पास किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री है तथा सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रवेश पाते हैं, 13 वर्ष की सेवा के उपरांत एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। वे शिक्षक जिनके पास न तो पी.एच.डी. डिग्री और न ही एम.फिल. डिग्री आदि है वे सहायक प्रोफेसर के रूप में 14 वर्ष की सेवा के उपरांत एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं।

एसोसिएट प्रोफेसरों को 9000 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु. के वेतन बैंड में रखा गया है। यद्यपि, मौजूदा योजना के तहत, जिन शिक्षकों के पास पी.एच.डी. की डिग्री नहीं थी वे पहले लेक्चरर (चयन ग्रेड) के पद तक पहुंच सकते थे परंतु अब वे निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर तक पहुंच सकते हैं।

किसी पी.एच.डी. डिग्रीधारी शिक्षक हेतु प्रवेश स्तर पर चयन के जरिये प्रोफेसर बनने की पात्रता हासिल करने के लिए 17 वर्ष

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

की अवधि की शर्त के बदले सरकार के वर्तमान निर्णय से वे शिक्षक 15 वर्ष के उपरांत प्रोफेसर के रूप में चयन किये जाने हेतु पात्र हो सकेंगे।

प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही 12000 रु. के उच्च अकादमिक ग्रेड वेतन में 10 प्रतिशत पदों के एवज में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

महोदय, शिक्षण पेशे से जुड़े होने के कारण हम इस पेशे की गरिमा एवं आत्मगौरव को लौटाने की मुहिम में जुट गए हैं। शिक्षकों के वेतनमान तथा अन्य परिलब्धियों में सुधार करने तथा उन्हें और बेहतर सेवा शर्तें उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय उन कई उपायों में से एक है जो उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के बावत व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित हैं। हालांकि, इस महान सदन में इस बात पर सहमति होगी कि यह उपाय इस लक्ष्य की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सदन में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के बीच मुझे यह वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं।

श्री तथागत सत्पथी: आप प्रोफेसरों को आवास और कार ऋण और अन्य लाभ भी दें।

सभापति महोदय: यह पूरा विवरण है, आप विवरण को पूरा पढ़ने के पश्चात् नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

सायं 6.41 बजे

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक-2008—*जारी*

[अनुवाद]

***श्री ए.वी. वेल्लारमिन** (नागरकोइल): महोदय, विधेयक पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं विधेयक को सभा में पुर:स्थापित किये जाने में हुए असाधारण विलम्ब पर अपनी रूक्ष भाव व्यक्त करने के लिए भी विवश हूं। यदि यह विधेयक पुर: स्थापित कर दिया गया होता और यह अधिनियम बन जाता, तो सरकार की वाहवाही हुई होती परन्तु 14वीं लोक सभा के समाप्ति काल में इसे ऐसे समय पुर:स्थापित किया जाना जब देश में 15वीं लोक सभा के लिए चुनावों की तैयारी चल रही है, तीव्र आलोचना को आमंत्रित करता है कि क्या इसका उद्देश्य जनता को लुभाना है। जो भी हो लोक सभा की स्थायी समिति द्वारा जांच लिये जाने के पश्चात् विधेयक पर सभा में खंडवार चर्चा की जानी है।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि देश का कर्मकार वर्ग कई दशकों से असंगठित कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए मांग करता रहा है। समाज का यह विशाल वर्ग, जैसाकि उनके नाम से ही पता चलता है कि उन्हें श्रमिक कानूनों के लाभ तथा अभियोजन से उद्देश्यपूर्ण तरीके से अलग रखा गया है और कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है और न ही उन्हें कोई मान-सम्मान देने वाला है।

जहां तक जनता के इस वर्ग के आकार का प्रश्न है। वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी संख्या 42.26 करोड़ है जिसमें से 39.35 करोड़ अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में 2.91 करोड़ कर्मकार असुरक्षित हैं। यूएनओ द्वारा विश्व मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़े और भी भयावह हैं। विश्व के 127 अति गरीब देशों की सूची में गरीबी सूचकांक बताता है कि हमारा देश 126वें स्थान पर है। मृत शिशु जन्म मृत्यु दर 23% है और प्रसव के समय गर्भवती माताओं की मृत्यु दर 20% है जो "विश्व में सबसे अधिक है।" "निरक्षरता" दर 30% है। यह जानकर दया आती है कि ऐसी मौतें आबादी के दरिद्र असंगठित वर्ग में ही होती हैं और खर्च वहन कर सकने वाले वर्ग या लखपतियों में नहीं होती।

इन सब बातों के मद्देनजर असंगठित कर्मकारों की आजीविका की गारंटी देने वाले अधिनियम की मांग दशकों से थी। एनडीए सरकार के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी किये गये थे, उनके पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वह सारी व्यवस्था परिहास बन कर रह गई।

वाम दलों के कहने पर कि सरकार ने असंगठित कर्मकारों के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का स्पष्ट आश्वासन दिया था और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसका लिखित रूप से वायदा किया गया था, परन्तु जब यह परिचालित किया गया, यह वैसा ही था जो एनडीए सरकार द्वारा तैयार किया गया था। यह अस्वीकार कर दिया गया था। तत्पश्चात् सरकार ने नए विधेयक का प्रस्ताव तैयार करने के लिए डा. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक अलग आयोग की घोषणा की। असंगठित कर्मकारों और कृषि कर्मकारों के लिए अलग से विधेयक तैयार किया गया। विधेयक इस करुण निष्कर्ष पर आधारित था कि देश की लगभग 70% जनता की 20 रुपये प्रतिदिन की आय भी नहीं है। वे भूखे रहते हैं। अत: हम लोगों ने तथा देश के संगठित कर्मकारों ने और जोरदार ढंग से मांग की।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 अगस्त 2006 को आयोजित एक बैठक में इस मामले में एक लिखित आश्वासन दिया। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 दिसम्बर, 2007 को प्रस्तुत कर दी थी।

लेकिन सरकार को विधेयक पारित करवाने का समय अब मिला है जब 15वीं लोक सभा के लिए चुनाव सिर पर हैं।

कर्मकार वर्ग के एक इतने बड़े वर्ग के पूर्णतया असुरक्षित होने की इस दुर्दशा को समझते हुए स्थायी समिति ने प्रारूप विधेयक के प्रावधानों में अनेक संशोधनों की सिफारिश की है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं:

1. असंगठित क्षेत्र तथा कर्मकार की परिभाषा अस्पष्ट है और इसमें सुधार की इस प्रकार सिफारिश की गई है विधेयक में यथा प्रस्तुत असंगठित क्षेत्र की परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि यह इसके दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों को समेकित नहीं करता क्योंकि नियोजन की पद्धति में सतत हो रहे परिवर्तन जिसके कारण सरकारी क्षेत्र में काम को कान्ट्रैक्ट केजुअल कामगारों जिन्हें औपचारिक क्षेत्र के अनौपचारिक कामगार के रूप में जाना जाता है के माध्यम से आउटसोर्स करके करवाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

2. वर्तमान परिभाषा में असंगठित क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मकार कवर नहीं होते। अतएव यह सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रीय न्यूनतम लाभ जैसे जीवन या अक्षमता से संबंधित, स्वास्थ्य और मातृत्व और वृद्धावस्था सुरक्षा सभी असंगठित कर्मकारों को तीन वर्ष की अवधि के अंदर दिये जाने चाहिए और हर दो वर्ष के बाद इनमें वृद्धि की जानी चाहिए।

3. वर्तमान विधेयक में कल्याणकारी उपायों के कार्य क्षेत्र से कुछ धाराओं को हटाने की शक्ति सरकार को देने का प्रावधान है। समिति सिफारिश करती है कि विधायिका की अनुमति से ही कोई बड़ा परिवर्तन इसमें किया जा सकता है।

4. विधयेक में यथा उपबंधित सलाहकार बोर्ड की बजाय यह सिफारिश की जाती है कि बोर्ड को योजना के निष्पादन की समीक्षा करने तथा तद्नुसार उपयुक्त संशोधन करने के लिए योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। सलाहकार शब्द का लोप किया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यगण श्री हन्नान मोल्लाह और बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का भी समर्थन करता हूं।

इन संशोधनों तथा अन्य सक्षमकारी प्रावधानों के साथ विधेयक को पारित किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में रह रहे असंगठित वर्ग के लोगों को सांविधिक गारंटी तथा जीवन की सुरक्षा मिल सके।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसा विधेयक लाने के लिए की गई पहल की प्रशंसा करता हूं। वास्तव में किसी कल्याणकारी राज्य के लिए इस प्रकार के विधेयक महत्वपूर्ण होते हैं और उन्होंने यह किया है। वास्तव में आरंभ में मेरा इस विषय पर बोलने का इरादा नहीं था; हालांकि मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूं। फिर मैंने माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण लेने की बात सोची। मुझे याद है कि एनडीए सरकार के अंतिम समय में जब स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा श्रम मंत्री थे, उन्होंने भी ऐसी कुछ बातों के लिए पहल की थी जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है।

मेरा कहना यह है कि सामाजिक सुरक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। मेरे विचार से यह पेंशन लाभ हैं। जब तक कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से समर्थ होता है अथवा कार्य कर सकता है। उसे प्रतिमाह कुछ भत्ता या वेतन मिल जाता है और ऐसा ठीक भी है। परन्तु जब वह बीमार हो जाए या 60 वर्ष की आयु से अधिक का हो जाए तो उसका क्या होगा? वह इस बारे में क्या करेगा? मेरा विचार था कि संभवतया सरकार इस विधेयक के माध्यम से कोई पेंशन योजना लाएगी। इस विधेयक की अनुसूची-1 में उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना का कार्यान्वयन देशभर में किया जा रहा है। उड़ीसा जैसे राज्य में, पेंशन की राशि मात्र 200 रुपये है। पहले यह 100 रुपये थी अब इसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 65 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति इसे पाने का पात्र होगा। पूर्व में इस पेंशन को पा रहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दूसरा व्यक्ति इसे पाने का हकदार होता था। अब सरकार ने घोषणा की है कि यह पेंशन सभी को मिलेगी।

जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो अधिकांश लोग कहते हैं कि उनको पेंशन नहीं मिलती। सरकार का कहना है कि नीति के अनुसार यह पेंशन "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर दी जाती है। इसका अर्थ है कि जो भी इसके लिए आवेदन करेगा उसे पेंशन मिलेगी। मंत्री महोदय मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में हैं, 60 या 65 वर्ष

[श्री खारबेल स्वाईं]

की आयु में यदि वह कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है और उसने पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है परन्तु उससे पूर्व अन्य अनेक लोगों ने आवेदन किया है तो उसे पेंशन कब मिलेगी? इस संबंध में आप क्या करने वाले हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उन लोगों का क्या होगा जो 60 वर्ष से अधिक परन्तु 65 वर्ष से कम आयु के हैं? वे यह पेंशन कैसे प्राप्त कर सकेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब वे चर्चा का उत्तर देंगे तो इस संबंध में स्पष्टीकरण देंगे।

सभापति महोदय: हम विधेयक पर समग्र रूप से चर्चा कर रहे हैं न कि किसी विशेष कल्याणकारी योजना पर। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह उन मदों में एक है परन्तु इस अनुसूची में अन्य मदें भी हैं। यदि आप अनुसूची में दी गई ऐसी मदों पर एक एक करके चर्चा करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय मैंने आपको बताया है कि मैं अपना भाषण दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: मेरे प्रिय मित्र, मैं सम्मानपूर्वक आपको बता रहा हूं कि दी गई अनुसूची में कल्याण की अनेक मदें हैं। उनका प्रत्यक्ष संबध हो सकता है। वे सभी बिन्दु स्पष्ट हैं। परन्तु अब हम असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए विधान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप प्रत्येक कल्याण योजना पर चर्चा करते रहेंगे तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा जबकि अब हम चर्चा के अंतिम चरण में हैं।

आप अपनी बात जारी रख सकते हैं परन्तु मैं केवल यह इंगित कर रहा था कि यदि आप ऐसे ही जारी रखेंगे तो आप मुख्य विषयों को कवर नहीं कर पाएंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय यह मुख्य विषयों में से एक है परन्तु वह मेरे मुख्य बिन्दुओं में से एक था। मुझे अपनी बात कहने दें।

सभापति महोदय: मुख्य विषय है—असंगठित क्षेत्र के कर्मकार। इस क्षेत्र को परिभाषित भी किया गया है। यदि इसे परिभाषित नहीं किया जाए तो इस तस्वीर में अनेक लोग आ जाएंगे। सैक्स वर्कर भी आ जाएंगे। उनका भी पंजीकरण करना होगा। क्या आप उन्हें पहचान पत्र देंगे? क्या आप नियुक्ति करेंगे? क्या आप सैक्स वर्कर्स के लिए कल्याण निधि बना सकेंगे? यदि आप क्षेत्र को परिभाषित नहीं करेंगे तो इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय क्या मैं अपनी बात जारी रखूं।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री खारबेल स्वाईं: मेरा अलग मुद्दा पंजीकरण के संबंध में है। यह कहा गया था कि जिला पंचायतें असंगठित क्षेत्र के इन कर्मकारों की पहचान करके उनका पंजीकरण करेंगी। परन्तु सरकार ने ग्राम पंचायतों को एनआरईजी कार्यक्रम के तहत ही इतना कार्य सौंप दिया है कि ग्राम पंचायत सरपंच उस कार्यक्रम के अभिलेख रखने के लिए ही चिंतित रहते हैं। अब सरकार, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के नामों का पंजीकरण करने का यह काम उन्हें सौंप रही है मेरा विचार है कि यह व्यावहारिक नहीं है और संभवतया वह यह कार्य कर नहीं पाएंगे। मंत्री जी इस विषय पर भी विचार करें।

इस विधेयक के अध्याय 3 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन के समय राज्य सरकारों से 5 सदस्यों और केन्द्र सरकार से 5 सदस्यों को लेने का प्रावधान किया गया है। परन्तु अध्याय चार के खंड 6 में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने के लिए राज्य सरकार से सात प्रतिनिधि लेने का प्रावधान किया गया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड में यह अन्तर क्यों है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें।

प्रवासी मजदूरों का क्या होगा? उन्हें कैसे पंजीकृत किया जाएगा। वे प्रतिवर्ष कार्य के लिए तीन से चार माह विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के इन कर्मकारों का पंजीकरण कहां होगा? उनके अस्थायी कार्य स्थान पर या जहां से वे आए हैं उस मूल स्थान पर? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय की ओर ध्यान दें।

धन के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की गलत धारणा है कि एनआरईजी कार्यक्रम प्रत्येक को धन प्रदान कर रहा है।

सरकारी अधिकारियों, पंचायतों के प्रतिनिधियों ...*(व्यवधान)* आदि द्वारा इसे केवल लूटा जा रहा है अतएव मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एनआरईजीपी को दिये जा रहे धन को अंतरित किया जाए। यह पिछले वर्षों के ऋण मेलों की तरह केवल लूट है अतएव धन को अंतरित करें ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): ऋण मेले गरीब जनता तक पहुंचते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कोई आपत्तिजनक शब्द कहा गया है, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लगाई जा रही निधि को इन असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा में लगाइए क्योंकि उस योजना में धन की बर्बादी हो रही है। यदि आप वह धन इस योजना में लगाते हैं, तो इससे इन कर्मकारों के निमित्त योजना के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी और इसका लाभ सही व्यक्ति को मिलेगा।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मन में किसी प्रकार की शंका रखे बगैर मैं असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक ऐतिहासिक, उल्लेखनीय और उत्कृष्ट विधायी दस्तावेज है जिसे यूपीए सरकार ने प्रस्तुत किया है और जिसका माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्ताव किया गया है। निरंतर भलाई का काम करना और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के बोझ को कम करने की कोशिश करना ही यूपीए सरकार की विशेषता रही है।

इस वाद-विवाद में हमारे कई साथी पहले ही भाग ले चुके हैं और इस संबंध में कई प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं लेकिन मैंने यह देखा है कि कई सदस्यों के मन में इस बात को लेकर संदेह है कि सामाजिक सुरक्षा विधेयक को अमली जामा पहनाने के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। यह सरकार का दायित्व बनता है कि वह इसके लिए संसाधन जुटाए और संग्रह करे। जिस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पुर:स्थापित किया गया था, उस समय भी विपक्षियों द्वारा इसी प्रकार की शंका व्यक्त की गई थी। इस बार भी विपक्षियों द्वारा फिर से वैसी ही शंका व्यक्त की जा रही है। जब केन्द्र सरकार ऐसा ऐतिहासिक विधेयक पुर: स्थापित करने जा रही है, तो भगवान करे कि शंकाओं पर तथ्य की जीत हो। यह राष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह निधियां जुटाए ताकि इस ऐतिहासिक विधान को अमली जामा पहनाया जा सके। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार का विधान भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में पहली बार लाया गया है। जहां विश्व के धनी देश भी इस प्रकार का विधान लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वहां भारत जैसे विकासशील देश ने ऐसा विधान लाने की हिम्मत दिखायी है। यह विधेयक अपने आप में एक अनूठा विधेयक है।

एनएसएसओ के 2004-05 के सर्वेक्षण के अनुसार ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया। मुझे खेद है।

श्री अधीर चौधरी: आपने मुझे कितना समय दिया था?

कामगारों की कुल संख्या बढ़कर 45.9 करोड़ हो गई है, जिसमें से 43.3 करोड़ कामगार, असंगठित सेक्टर में कार्यरत हैं जो 94 प्रतिशत हैं।

सभापति महोदय: मैं आपके हित में कह रहा हूं कि आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: मुझे मंत्री महोदय से दो या तीन साधारण प्रश्न पूछने हैं।

सभापति महोदय: यदि सत्ताधारी दल के सदस्य ही समय का पालन नहीं करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री अधीर चौधरी: मैंने यह देखा है कि इस विधेयक में कामगार सुविधा केन्द्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। हम कामगार सुविधा केन्द्रों को सबल बनाने में जितना सक्षम हो पाएंगे, उतना ही हम असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।

मुझे एक सुझाव देना है। जो लोग उस क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि हैं, उन्हें ही कामगार सुविधा केन्द्रों के क्रियाकलाप और कार्यनिष्पादन के पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों में लगाया जाना चाहिए। मैं एक ऐसे जिले का निवासी हूं जहां लाखों कामगार बीड़ी बनाने के काम में संलग्न हैं। लेकिन राज्य सरकार उन बीड़ी मजदूरों की दुर्दशा और उनके कल्याण के प्रति पूर्णत: उदासीन है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यह सत्ताधारी दल के हित में है कि मैं आपको अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

श्री अधीर चौधरी: यहां तक कि श्रम अधिकारी भी बीड़ी मजदूरों की मदद करने में संकोच करते हैं।

सभापति महोदय: यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री अधीर चौधरी: अत: वास्तविकता यह है कि इस विधान की सफलता को केन्द्र सरकार के कार्यनिष्पादन से जोड़कर नहीं देखा जाएगा बल्कि इसकी सफलता को राज्य सरकार के कार्यनिष्पादन, ईमानदारी और निष्ठा से जोड़ा जाएगा।

सभापति महोदय: सभी दलों को आवंटित किया गया समय समाप्त हो चुका है। हमारे पास और वक्ता भी हैं। अभी भी सात माननीय सदस्य बोलने के लिए बचे हुए हैं। हम आज चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए केवल एक या दो सदस्यों को ही बोलने के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद सभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे एक बात कहनी है। हमने इस चर्चा के लिए आवंटित समय से अधिक समय लिया है।

सभापति महोदय: सभी दलों के लिए आवंटित किया गया समय पूरा हो चुका है।

श्री पवन कुमार बंसल: अत: वाद-विवाद अब समाप्त किया जाए और हमें ''शून्य काल'' भी शुरू करना है। *...(व्यवधान)* आप वाद-विवाद को समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* हमें इस पर अधिक समय क्यों लेना चाहिए? मैं प्रत्येक सदस्य के बारे में बोल रहा हूं *...(व्यवधान)* आपने देख लिया है कि कौन बोल रहा है *...(व्यवधान)* शोर-शराबे से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

महोदय, मेरा कहना यह है कि हम आवंटित समय से अधिक समय ले चुके हैं। यदि माननीय सदस्य बोलने की जिद्द कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक सदस्य के समय में कटौती करनी होगी। प्रत्येक माननीय सदस्य इस प्रकार समय नहीं ले सकते। दूसरे कार्य भी किये जाने हैं।

सभापति महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें केवल कह सकता हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): मैं इस बात का वायदा कर सकता हूं कि मैं पांच मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा, किंतु मुझे संरक्षण चाहिए।

मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में से लगभग $4^1/_2$ वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक को अन्तत: चर्चा हेतु और पारित कराने हेतु प्रस्तुत किया है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक व्यापक कल्याणकारी विधान लाये जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। अधिकांश समय बीत गया किंतु अंतत: यह विधेयक अब आ रहा है।

अर्जुन सेनगुप्त समिति ने कम से कम तीन वर्ष पूर्व रिपोर्ट दी थी। स्थायी समिति ने भी सर्वसम्मति से सिफारिश की थी और अपना प्रतिवेदन कम से कम एक वर्ष पूर्व दिया था। इनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना विलंब किस कारण से हुआ है।

हमें देश की वास्तविकता का पता होना चाहिए-हमारे भारत देश में दो देश है-एक तो 'उभरता भारत' और दूसरा 'पीड़ित भारत'। हमारे यहां 55 लोग अरबपति हैं जिनकी कुल परिसंपत्ति 15 लाख करोड़ रु. से अधिक है। हमारे यहां 5500 लोग ऐसे हैं जिनके पास व्यक्तिगत तौर से 100 करोड़ से अधिक है। हमारे यहां 55 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें करोड़पति कहा जाता है; अर्थात् यही है 'उभरता भारत'; यह ठीक है लेकिन 'पीड़ित भारत' को भी प्रभावी और पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमारे यहां 80 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी रोजमर्रा की क्रय क्षमता 20 रु. से भी कम है। असमानता बहुत अधिक है और यह बढ़ती जा रही है।

सायं 7.00 बजे

कुल रोजगार में असंगठित कामगारों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। 1991 में, इनका प्रतिशत 90 प्रतिशत था। 2001 में वे 93 प्रतिशत थे। उद्देश्यों और कारणों के कथनानुसार वर्तमान में 94 प्रतिशत से ज्यादा हैं। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे विचार से, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सकल घरेलू उत्पाद के बंटवारे की होगी।

सभापति महोदय: इस समय सात बज चुके हैं। चर्चा के लिए जो समयावधि बढ़ाई गई थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। मैं सभा की सहमति लूंगा। यदि सदस्यगण सहमत हों तो इस चर्चा के लिए समयावधि बढ़ा दी जाए क्योंकि अभी सात वक्ता और बोलना चाहते हैं अथवा आज इस चर्चा को रोक दिया जाए और मंत्री महोदय से कल उत्तर देने के लिए कहा जाये।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, समयावधि आधे घंटे के लिए और बढ़ा दी जाये।

सभापति महोदय: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि समयावधि और बढ़ाई जाये?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हमें यह चर्चा आज ही समाप्त करनी है। बोलने वाले सभी माननीय सदस्य सभा में उपस्थित रहें और अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् भी सभा

में उपस्थित रहें। ऐसा न हो कि कोई भाषण देकर बाहर चला जाये। हमें यह चर्चा आज ही समाप्त कर लेनी चाहिए।

सभापति महोदय: मैं इससे सहमत हूं। सदस्यों को बोलकर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सदस्यों को भी सभा में उपस्थित रहना चाहिए। मैं आपके सुझाव से सहमत हूं।

अब, मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं।

डॉ. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मैं दो मिनट ही बोला हूं, मैं तीन मिनट और बोलकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपना भाषण जारी रखें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सकल घरेलू उत्पाद का बंटवारा होना चाहिए। देश में यह एक प्रतिशत से भी कम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, यह पांच प्रतिशत होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस प्रकार चर्चा की समयावधि आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

आज 'शून्य काल' नहीं होगा।

डा. सुजान चक्रवर्ती: मैं तो यह आशा करता हूं कि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या की सामाजिक सुरक्षा हेतु सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5 प्रतिशत का व्यय होना चाहिए। यह बिल्कुल तर्कसंगत है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, हम सुबह से जीरो आवर के लिए बैठे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि चर्चा में भाग लेने वाले वक्ता अपने आपको संभाल लेते तो मैं शून्य काल आरंभ कर देता। जब उन्हें तीन मिनट तक बोलने की अनुमति दी गई तो उन्होने सात मिनट का समय लिया। शून्य काल कैसे आरंभ किया जा सकता है? मैं यहां तीन से चार घंटे तक हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, इस विधेयक से सरकार की नेकनीयत जाहिर होती है। मैं इससे सहमत हूं। मुझे खुशी है कि आखिरकार यह कार्य हमारी आजादी के 61वें वर्ष में और हमारी 60 माह की अवधि वाली सरकार के 55वें माह के अवसर पर किया गया है। इससे अभी भी प्रेरणा मिलती है। यह एक अच्छी बात है। किंतु इसके लिए काफी संघर्ष किया गया था। यही आवाज इसी सभा में करीब 27 वर्ष पूर्व भी गूंजी थी। श्री हन्नान मोल्लाह और अन्य कई माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है।

सायं 7.03 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

मैं कहना चाहता हूं कि उद्देश्यों और कारणों का कथन एकदम सराहनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु क्या इस विधेयक में उद्देश्यों और कारणों का कथन प्रभावी रूप से परिलक्षित होता है। संभवत: विधेयक के बनने से उद्देश्यों और कारणों के कथन को बल नहीं मिला है। विधेयक के वर्तमान ढांचे से तो कारणों के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए, इसमें कुछ संशोधन होना ही चाहिए। मैं मात्र चार-पांच बातों का सुझाव दूंगा।

सर्वश्री सांताश्री चटर्जी और श्री सुरेश प्रभु समेत हमारे कई सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रयोजनार्थ सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा निर्धारित किया जाए; असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु 5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण किया जाए। दूसरी बात यह है कि सलाहकारी बोर्ड मात्र सलाहकारी नहीं हो सकते। उनके पास सांविधिक शक्तियां होनी चाहिए अन्यथा उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तीसरी बात यह है कि पूर्ण विवरण सहित पहचान पत्र अथवा स्मार्ट कार्ड जारी किये जाने चाहिए अन्यथा यह विधेयक कुशलता से कार्य नहीं कर पायेगा।

चौथी बात यह है कि असंगठित कर्मकारों को भी ईएसआई अस्पताल में उपचार आदि की सुविधाएं, अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। पांचवीं बात यह है कि पंजीकरण कवरेज बीपीएल व्यवस्था के आधार पर नहीं किया जा सकता। इससे पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। पूर्णतया लागू करने की समयसीमा निर्धारित की जाए।

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

मेरा प्रस्ताव है कि इसे तीन वर्ष रखा जाए। अन्ततः कृषि कार्मिकों के लिए एक अलग विधान होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मुझे विश्वास है कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को कुछ प्रभावी रूप से पूरा किया जा सकेगा।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार करेंगे और हम इसे पारित करेंगे।

सभापति महोदय: अब प्रो. एम. रामदास बोलेंगे। कृपया तीन मिनट में बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, बेहतर होगा कि मैं इसे सभा पटल पर रख दूं।

*महोदय, मैं पट्टाली मक्कल काची की ओर से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का एक सामाजिक उद्देश्य है और यह देश के बड़े मजदूर वर्ग, जिसे राज्य तंत्र द्वारा मूल सुरक्षा से लगातार वंचित रखा गया है, को सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस विधेयक में समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए सकारात्मक और स्वीकारात्मक कदम उठाये गये हैं। मेरा विचार है कि जो समाजवाद और श्रमजीवी वर्ग के कल्याण में विश्वास रखते हैं उन्हें इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए।

महोदय, कुल 39.7 करोड़ श्रमिकों में से 36.9 करोड़ अर्थात् लगभग 93 प्रतिशत कार्य बल तथाकथित असंगठित क्षेत्र में है। वे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, दर्जी का काम, कढ़ाई आदि छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं। यद्यपि सरकार ने इस प्रकार क मजदूरों की सुरक्षा के लिए अनेक वैधानिक कदम उठाये हैं, असंगठित कर्मकारों के काम तथा उनकी जीवन स्थितियां दयनीय ही बनी हुई हैं। वे रोजगार के अत्यधिक मौसमी स्वरूप, कम वेतन, शोषण, सामजिक असुरक्षा आदि से पीड़ित हैं।

ये कर्मकार ऐसी सरकार की मांग कर रहे थे जो इन कर्मकारों की उपरोक्त विकारों से रक्षा कर सके और वर्तमान विधेयक इनमें से अनेक समस्याओं का समाधान है। वास्तव में यह एक क्रांतिकारी विधेयक है जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसका श्रेय यूपीए सरकार को जाता है, माननीय मंत्री महोदय श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी ने इस ऐतिहासिक विधेयक को तैयार करवाया और मुझे आशा है कि श्रमिक कल्याण पर लिखने वाले इतिहासकार इस ऐतिहासिक अवसर को और इस विधेयक को अभिलिखित करेंगे।

यह विधेयक जीवन और अक्षमता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, भविष्यनिधि सुविधाएं, नियोजन के दौरान चोट लगने पर लाभ, आवास, असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए शिक्षा, कर्मकारों का कौशल उन्नयन, अंतिम संस्कार में सहायता और वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करता है। इस विधेयक के तहत कोई भी योजना केन्द्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से वित्तपोषित की जाएगी ताकि विधेयक को उचित रूप से लागू किया जा सके। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी जो सभी योजनाओं तथा असंगठित कर्मकारों से संबधित मामलों पर सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

तथापि इस विधेयक को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का सुझाव दूंगा:

1. हमें असंगठित कर्मकारों की संख्या बढ़ने से रोकने के उपाय करने होंगे। असंगठित से संगठित क्षेत्र में अंतरण को उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. विधेयक में महिलाओं, कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें अधिक लाभ दिये जाने चाहिए।

3. विधेयक के तहत वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उदारतापूर्वक वित्तपोषण किया जाना चाहिए। संसाधनों की कमी योजना के त्वरित कार्यान्वयन में अवरोधक नहीं होनी चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों को ही अपने कल्याण बजट का कम से कम 20% इस विधेयक में शामिल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित करना चाहिए।

4. असंगठित कर्मकारों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सरकार को तत्काल सरकारी आदेश जारी करने चाहिए ताकि विधेयक अपने प्रचालनात्मक रूप में जनवरी 2009 से लागू हो सके।

5. असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों का कौशल उन्नयन एक महत्वपूर्ण पहलू है और उचित कौशल प्रशिक्षकों के बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव, सरकार को प्रशिक्षक तैयार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में तकनीकी विद्यालय आरंभ करने चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

6. विधेयक में कहा गया है कि पंजीकरण हेतु प्रत्येक असंगठित कामगार ने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यह प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से बाल मजदूरों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस भावना से बचने के लिए सरकार को पात्रता आयु को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए।

7. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन असंगठित कामगार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। परन्तु, संगठन विलम्बित निपटान जैसी अनेक गंभीर समस्याएं झेलता है जिनसे बचा जाना चाहिए।

8. हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकार सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर किये गये लोगों को कैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। असंगठित श्रमिकों को नीति/वैधानिक ढांचे की ओर पर्याप्त रूप से आकर्षित किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को इस विधेयक का मागदर्शन करने तथा इस महान सभा की स्वीकृति दिलाने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा): सभापति महोदय, असंगठित सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। इस विधेयक को पढ़ने के बाद मैं दो-तीन सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली यह है कि देश में महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। वह इसलिए जलाई थी कि हमारे देश के बुनकरों और हथकरघों को काम मिले और अपने देश का बनाया गया कपड़ा व्यक्ति पहने। उसके आधार पर देश में हाथ से कपड़ा बुनने का काम चालू हुआ।

सभापति महोदय, आज देश में एक लाख से ज्यादा बुनकर अस्तित्व में हैं। हमने कई अखबारों में पढ़ा है कि आज बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं। इन बुनकरों को आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई? महात्मा गांधी जी ने बताया था कि सिद्धांतों के ऊपर हाथ से जो कपड़ा बन रहा है, उसकी किस तरह की दुर्गति हो रही हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र के भन्डारा जिले से आता हूं। वहां भी बुनकरों ने कई आंदोलन किये, रास्ता रोको आंदोलन किया, उनके ऊपर कलमें लगाई गईं। उनकी क्या समस्या है, इसका निवेदन मैंने मंत्री जी को प्रत्यक्ष मिलकर दिया भी था।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि बुनकरों के लिए कोई विधेयक उनकी सुरक्षा के लिए नहीं लाया गया है। जिस शेड में बुनकर इकट्ठे होकर काम करते हैं, उनके लिए पीएफ और पेंशन योजना लागू है, जो असंगठित कामगार हैं, अपने घरों में कपड़ा बुन कर सरकार को सप्लाई करते हैं, महाराष्ट्र में सरकार उनके हाथ से बनाया गया कपड़ा सब आफिसों एवं दफ्तरों में सप्लाई भी करती है, उनके लिए कहीं उनकी सुरक्षा का कानून नहीं बना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे बुनकरों के लिए पेंशन योजना लागू हो और उनके लिए पीएफ की स्कीम भी चालू हो। उनके लिए शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति लागू हो, उनकी लाइफ की पूरी सुरक्षा सरकार करे, ऐसी मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं अपना भाषण अपने कुछ प्रश्नों और सुझावों तक ही सीमित रखूंगा।

इस असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक में निश्चित रूप से कुछ सुझाव दिये गये हैं। अध्याय दो में सामाजिक सुरक्षा लाभों का उल्लेख किया गया है इनमें से कुछ लाभ केन्द्र द्वारा तथा कुछ लाभ राज्य सरकारों द्वारा दिये जाएंगे। परन्तु इस विधेयक में मैंने पाया है कि अधिकांश कल्याणकारी उपाय राज्य सरकारों द्वारा किये जायेंगे जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

एक अन्य बात राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के संबंध में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा दिये गये सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी हैं अथवा नहीं। अनेक वक्ताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड को कुछ बाध्यकारी शक्ति दी जानी चाहिए।

अन्यथा, विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। पंजीकरण के संबंध में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से अधिक आयु के कर्मकार ही पंजीकरण के पात्र होंगे। मेरे विचार में आयु की इस सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाना चाहिए। इस समय पंजीकरण का अधिकार जिला पंचायत और स्थानीय शहरी निकायों के पास है। मेरे विचार से ग्राम पंचायत शहरी स्थानीय निकाय का समस्तरीय निकाय है। अतएव ग्राम पंचायतों को भी पंजीकरण की शक्ति दी जानी चाहिए। विधेयक में ऐसे लोगों को जो असंगठित क्षेत्र के संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत हैं, शामिल करने के लिए एक अन्य अनुसूची शामिल की

[डा. के.एस. मनोज]

जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, मछुआरों को शामिल किया गया है परन्तु ऐसे कामगार, जो अन्य क्रियाकलापों जैसे छिलाई शेड्स में काम करने वाली महिलाएं, मछली बेचने वाली महिलाएं, इस विधेयक के दायरे में नहीं आते हैं। अतएव ऐसे कामगारों को विधेयक में शामिल करने के लिए एक अलग अनुसूची लाई जानी चाहिए। अन्त में इस विधेयक में कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं किया गया। इसमें दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं और मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): महोदय, स्वतंत्र भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मकारों को सामजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक विधान लाए गए हैं। परन्तु हमारी स्वतंत्रता के 61 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी गरीब श्रमिक का कल्याण सुनिश्चित नहीं किया गया है। आर्थिक संकट के वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हमारे कर्मकारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है क्योंकि उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी बहुत कठिन है। अतएव इस समय उनके लिए न केवल प्रभावी विधान अपितु पूरी योजना के लिए सतत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या देश के कुल कार्य बल का 93% है और उनमें से अधिकांश गरीब महिलाएं हैं। यद्यपि विद्यमान कानून के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए परन्तु, असंगठित क्षेत्र में इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है। महिला कामगारों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए सुरक्षात्मक और संवर्धनात्मक योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

वर्तमान विधेयक में महिला कार्मिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए केवल नाममात्र के प्रावधान किये गये हैं। जब तक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रावधान नहीं किये जाएंगे तब तक इस विधेयक का कोई लाभ नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा सुधारों की सफलता की कुंजी है। असंगठित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सभी विधानों में यह परिलक्षित होना चाहिए। यह नोट करके दुख होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स, जो 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की घंटों तक देखभाल करके उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए तैयार करके सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहे हैं, भी इस अधिनियम के प्रावधानों में कवर नहीं किये गये हैं। इस विधेयक में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स के हितों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं मिल रहे हैं जबकि अधिनियम में ही यह कहा गया है कि वे भी मातृत्व लाभ पाने के हकदार हैं। वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश महिलाएं अपने मूलभूत अधिकारों से ही वंचित हैं। अधिकांश मामलों में गर्भावस्था गरीब महिलाओं को इस सुरक्षात्मक विधान के लाभों से वंचित करने का एक कारण है, जिसकी वजह से महिलाएं रोजगार के मामले में अधिक कमजोर पड़ जाती हैं।

अत: इसकी कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि महिला श्रमिकों को जब सर्वाधिक आवश्यकता हो मातृत्व अवकाश का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसकी अर्हता में वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित करने हेतु भी उपाय किये जाने चाहिएं कि महिलाएं महिलाओं के रोजगार में कमी करने की अनुचित प्रथा का शिकार न बनें। मातृत्व संबंधी लाभ का भुगतान करने से बचने हेतु रोजगार न देने की ऐसी हरकत करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंड लगाने का कानूनी प्रावधान भी होना चाहिए।

अत: मैं सरकार से इन पहलुओं पर ध्यान देने और महिलाओं को अधिकतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स को आप लेना चाहते हैं या हम हाउस को एडजर्न करें, आपकी इसमें क्या राय है?

[अनुवाद]

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, कृपया अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर विचार किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, क्या यह चर्चा समाप्त हो चुकी है?

सभापति महोदय: यह चर्चा समाप्त हो चुकी है और माननीय मंत्री महोदय कल इसका उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः लेकिन यही है कि आप लोग जीरो आवर में अपनी बात 1-1 मिनट में खत्म करिये।

[अनुवाद]

अब श्री खारवेनथन बोलेंगे।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, केन्द्र में यूपीए सरकार के आने के बाद रेल मंत्रालय ने तमिलनाडु के लिए कई नई रेल लाइनें बिछाए जाने की घोषणा की थी। उनमें थेनी होते हुए डिंडीगुल से कुमुली तक, अरियालूर से तंजौर, चेंगम होते हुए तिरुवनामली से सोलारपेट्टी तक, पट्टुकोट्टई होते हुए मोरप्पुर से धरमपुरी और नीड़ामंगलम तक नई रेल लाइनें बिछाने की घोषणा की गई थी। सभी लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हैं। मैंने जिन-जिन स्थानों का जिक्र किया है, वे सभी बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और वहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। इन नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और तत्संबंधी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। इनकी कुल लम्बाई 350 किलोमीटर है और इस पर कुल 1500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इन परियोजनाओं को अनुमोदित और संस्वीकृत करने के बजाय रेल मंत्रालय ने संयुक्त उद्यम योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार से कुल लागत की आधी राशि जमा करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य प्राक्कलित लागत में अपने हिस्से का योगदान करने के लिए सहमत हो गये लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। उपर्युक्त लाइनों से निस्संदेह उन क्षेत्रों में पर्यटन के साथ-साथ औद्योगिक विकास भी होगा। इससे आम आदमी के लाभान्वित होने के साथ-साथ दक्षिण रेलवे को अच्छी आमदनी भी होगी।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इसके लिए जरूरी निधि आवंटित करे और इसमें राज्य सरकार की भागीदारी का इंतजार किये बगैर सभी योजनाओं को कार्यान्वित करे।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले: महोदय, मैं बी.एस.एन.एल. के संबंध में एक मामला सामने लाना चाहता हूं, जो काफी गम्भीर मामला है। ट्राई के नियमों के अनुसार बी.एस.एन.एल. में वैस काम करती है, लेकिन फोन बैक अप सर्विस के मामलों में वैस ने ट्राई के सारे नियमों का उल्लंघन करके काम किया है और सरकार के, बी.एस.एन.एल. के पैसे की उन्होंने काफी अफरा-तफरी की है। मार्केट सपोर्ट के लिए एक विशेष ऑन लाइन कम्पनी को गुप्त पत्र-व्यवहारों के माध्यम से मदद की है और वहां पर बी.एस.एन.एल. को भी काफी नुकसान हुआ है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप सरकार से मांग करिये, आपकी क्या मांग है?

श्री शिशुपाल एन. पटले: मेरी मांग यह है कि इसमें जो अनियमितताएं पाई गई हैं, ट्राई के नियमों का उल्लंघन बी.एस.एन.एल. ने किया है, उसकी जांच करने के लिए पिछले एक साल से काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं, राइट टू इन्फोर्मेशन के माध्यम से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन साल भर से वे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और ऑन लाइन नाम की इस कम्पनी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर काम किया है, जिसमें बी.एस.एन.एल. को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं, उन्हें दंडित करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री आरून रशीद।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, मुझे तमिल में बोलने की अनुमति दीजिए। इसके लिए अपेक्षित सूचना मैं पहले ही दे चुका हूं।

सभापति महोदयः ठीक है।

***श्री जे.एम. आरून रशीदः** तमिलनाडु और केरल की सीमा पर अवस्थित मुल्लई पेरियार बांध से तमिलनाडु के पांच जिलों को मदद मिलती है। केरल सरकार ने देखा कि इस बांध के जल भंडारण स्तर की ऊंचाई 152 फुट से घटाकर 132 फुट कर दी गई है। जब यह जटिल मामला लगभग 20 से भी अधिक वर्षों तक उच्चतम न्यायालय में चला तो इस शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया कि भंडारण स्तर की ऊंचाई बढ़ाकर 148 फुट कर दी जाए। लेकिन केरल सरकार अभी भी इस पर आपत्ति कर रही है और इसे क्रियान्वित नहीं किया है। हाल ही में वहां श्री के.एस. राव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा गया था जिसमें केरल राज्य के तीन संसद सदस्य भी शामिल थे। उस दल में तमिलनाडु से एक भी संसद सदस्य नहीं था। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस बांध के लाभार्थियों में केरल राज्य से सटे तमिलनाडु के पांच जिले के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तमिलनाडु के एक भी संसद सदस्य को इसमें शामिल नहीं

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जे.एम. आरून रशीद]

किया गया। उस बांध की चौड़ाई 44 फुट बढ़ाकर उसे सुदृढ़ किया गया है। पहले उस बांध की चौड़ाई 154 फुट थी जो इस समय 198 फुट है। उस बांध को सुदृढ़ किये जाने और 136 फुट जल का भंडारण किये जाने के बाद पानी 13 शहरों से छोड़ा जाता है। उसके बाद वह पानी कोलंबावुर बांध में जाता है। उसके बाद सिरूकोडी बांध में और तत्पश्चात् इदुक्की बांध में अर्थात् उसके अतिरिक्त वहां तीन बांध हैं।

इदुक्की बांध की भंडारण क्षमता 75 टीएमसी है। लेकिन पेरियार बांध की भंडारण क्षमता केवल 11.6 टीएमसी है। यदि मुल्ला पेरियार का जल स्तर 152 फुट हो तो इसमें केवल 16 टीएमसी जल का ही संचय किया जा सकता है। लेकिन इस समय उसमें मात्र 10.6 टी.एम.सी. पानी का ही संचय किया जाता है। हमारे केरल के लगभग 50 लाख लोग तमिलनाडु में रहते हैं। इस बांध से छोड़ा जाने वाले पानी का उपयोग लोगों द्वारा मुख्य रूप से पीने के लिए किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए कि केरल से करीब 2500 टीएमसी पानी अरब सागर में बह जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मुल्लई पेरियार की भंडारण क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इसके समीप स्थित तमिलनाडु के जिलों को अत्यावश्यक पेयजल मुहैया कराया जा सके।

यदि इस बांध का जल स्तर 152 फुट है, तो इसमें केवल 16 टीएमसी पानी है। इस समय इसमें मात्र 10.6 टीएमसी अर्थात् लगभग 11 टीएमसी पानी का संचय किया जा सकता है।

हमें इस बात पर गर्व है कि केरल के 50 लाख लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं ...*(व्यवधान)* लगभग 2500 टीएमसी पानी की बर्बादी हो रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सर्वानन्द सोनोवाल के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): बाढ़ और भूमि कटाव 1950 से ही असम की प्रमुख समस्या रही है। पिछले लगभग छ: दशकों के दौरान इस समस्या ने असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को व्यापक पैमाने पर तबाह कर दिया है। इसके फलस्वरूप असम, विशेषकर ग्रामीम क्षेत्रों का समुचित सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। बाढ़ और भूमि कटाव से इसकी स्थलाकृति और संचारतंत्र को काफी क्षति पहुंची है। इस तरह की बारहमासी समस्या से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को भी भारी क्षति पहुंच रही है।

अत: समस्या की गंभीरता को देखते हुए, असम के लोग इसे एक राष्ट्रीय समस्या घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से हमेशा अनुरोध करते रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए समुचित योजना और कार्यक्रमों के साथ आगे आना चाहिए तथा इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

असम मेरे राज्य में भूमि कटाव की समस्या से पर्यावास, धान के खेत और शाक-सब्जी के बागानों का निरंतर नुकसान हो रहा है। वास्तविकता यह है कि केवल रोमोरिया, डिब्रुगढ़ जिले में विगत 10 वर्षों में 1000 से भी अधिक परिवार बेघर हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह और केन्द्रीय मंत्री, श्री सैफुद्दीन सोज ने भी रोमोरिया का दौरा किया था और प्रभावित लोगों से बात की थी तथा उनसे यह वायदा किया था कि रोमोरिया को बचाने के लिए स्थायी सुरक्षा उपाय किये जायेंगे लेकिन दुर्भाग्यवश इस दिशा में अभी तक कुछ विशेष नहीं किया गया है।

ठीक इसी तरह माजुली, जोरहाट जिला, मतमोरा, लखीमपुर जिला और गाखिरखैती, कोलियाबोर, नोगांव जिले के कई परिवार ब्रह्मपुत्र नदी के भूमि कटाव का शिकार हो चुके हैं ...*(व्यवधान)* यह बहुत ही गंभीर मामला है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाएं:

1. असम के रोमोरिया और अन्य स्थानों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा उस क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य के लिए उसी तरह वित्तीय पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए जिस तरह सुनामी के मामले में की गई थी।
2. रोमोरिया को बचाने के लिए 160 वर्ष पुराने डिब्रुगढ़ शहर, असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, निर्माणाधीन असम गैस क्रैकर परियोजना, बोगीबिल ब्रिज, तेल और प्राकृतिक गैस की भारी संस्थापना और अनेकों चाय बागानों को बचाने हेतु व्यावहारिक और ठोस अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तत्काल तैयार की जाए।

विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, माजुली असमी कला और संस्कृति केन्द्र, गाखीरखैती तथा कोलियाबोर स्थित भुमुरागुरी पुल और ठोकआखाना तथा लखीमपुर जिले में असम की विभिन्न जातियों के विशेष समूहों को बचाने के लिए मतमोरा की रक्षा हेतु तत्काल सुरक्षा उपाय किये जाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री एम. शिवन्ना की टिप्पणियों के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने अभी जो कुछ कहा उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है।

****श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन इस माह की 11 और 12 तारीख को आयोजित किया गया। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन और कनाडा से आये विशेषज्ञ इस सम्मेलन में उपस्थित थे। किसानों ने बैठक में अपनी कई मांगें प्रस्तुत कीं। सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग यह थी कि डॉ. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये।

समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

- उर्वरक और कीटनाशी सीधे किसानों को उपलब्ध कराया जाये। इसमें कोई भी बिचौलिया अथवा एजेंसी न हो।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर किया जाये। ऐसे कदम उठाने से हमें देश में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने में मदद मिलेगी।
- अनाज की अधिप्राप्ति के लिए, उचित भंडारण सुविधा दिये जाने तथा व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता है। इन उपायों से देश में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने में निश्चय ही मदद मिलेगी।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा यह आग्रह है कि वह डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट को कार्यान्वित करने हेतु अविलंब आवश्यक कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा के अंतर्गत जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, उन्हें वे सूचनाएं प्राप्त नहीं करायी जा रही हैं। सूचना के रूप में जनपद झांसी के गुरसराय ब्लाक में ग्राम सभा खिवकई में हो रहे ग्राम सभा के कार्य की जानकारी, वहां के निवासी भारत सिंह तथा वीर सिंह ने वहां के खंड विकास अधिकारी को दस रुपये के चालान में लगाकर प्रार्थना-पत्र दिया।

लेकिन उन्हें कोई सूनचा नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। उसके बावजूद भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने शिकायत के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को भी प्रार्थना पत्र दिया। इसके बावजूद भी उन्हें वहां की जो सूचना दी गई है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है? आपकी मांग सैंट्रल गवर्नमैंट से है या स्टेट गवर्नमैंट से है?

...(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: उन्होंने जो सूचना मांगी थी, वह सूचना उन्हें प्राप्त नहीं करवाई गई। *...(व्यवधान)* उन्होंने फिर अभिलेख प्राप्त करने के लिए 15.5.2008 को 50 रुपये का चालान भेजकर शिकायत भेजी। जब शिकायत सूचना आयोग में पंजीकृत हो गई, तब उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके खिलाफ गलत मुकदमे कायम किये जा रहे हैं, यहां तक कि उनकी माता, जो दस साल पूर्व वहां की प्रधान रही हैं, उनके खिलाफ रिकवरी की जा रही है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सूचना मांगी है, उन्हें सही अभिलेख प्राप्त करवाया जाए जिससे ग्राम सभा में होने वाली *...(व्यवधान)* उनके ऊपर उत्पीड़न की कोई कार्यवाही न की जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम न किया जाए, यह मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं विशाखा इस्पात संयंत्र को वैश्विक मंदी से बचाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

विशाखा इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लघु नवरत्नों में से एक है। यह 25 वर्ष पूर्व 32 तेलुगु लोगों के बलिदान के कारण अस्तित्व में आया। इस समय इस संयंत्र में, लगभग 17,000 स्थायी कामगारों तथा लगभग 10,000 कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। वर्तमान में वैश्विक मंदी के कारण, इस संयंत्र में होने वाले उत्पादन में 25 प्रतिशत की कमी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा. बाबूराव मिडियम]

कर दी गई और इसके परिणामस्वरूप, कामगारों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में भी 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई।

इस समय, गोदामों में लगभग 7 लाख टन तैयार लोहा भरा पड़ा है और उसकी बिक्री नहीं हो ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग एक वर्ष पहले इस इस्पात संयत्र के विस्तार कार्यों को आरंभ किया था, किंतु उन कार्यों की गति भी धीमी कर दी गई है।

अत:, इस्पात और कोयला मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आवश्यक उपाय करें और इस इस्पात संयत्र को बचायें। इस संयंत्र को कैप्टिव कोल माईन्स मुहैया कराके इसकी आदान लागत को लगभग 56 प्रतिशत कम किया जा सकता है। इस बारे में संयंत्र प्रबंधन दो वर्ष से केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहा है, किंतु मामला इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के पास लंबित है। अत:, मेरी यह मांग है कि इस संयंत्र को कैप्टिव कोलमाईन्स का आवंटन किया जाये और घटाये गये प्रोत्साहन और अन्य चीजों को पुन: बहाल किया जाये।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): मदुरै समेत तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास को कोई बल नहीं मिला है। दक्षिणी जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े रहते हैं क्योंकि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास न किये जाने के कारण उनमें न तो भारी उद्योग और न ही बड़े विनिर्माता उद्योग स्थापित हो पाये हैं। इस सबका कारण पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का न होना है। वर्षों से सभी सरकारें इस बारे में अनजान बनी रही हैं। स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात् स्थापित सूती कपड़ा मिलों और वस्त्र मिलों में से कई मिलों को बन्द कर दिया गया है। केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी उद्योगों को स्थापित करे। मदुरै में एक हवाई अड्डा है और तुतीकोरन में एक बन्दरगाह है। ये दोनों स्थान इस समय कोविलपट्टी से होकर गुजरने वाली रेल लाइन के जरिये रेलवे से जुड़े हैं। मदुरै और तुतीकोरन के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाये जो अरुप्पुकोट्टई और विलतीकुलम से होकर गुजरे। यह भी आवश्यक है कि वर्तमान मदुरै-अरुप्पुकोट्टई लाइन को चालू किया जाये जिसमें लंबित आमान परिवर्तन कार्य की वजह से विलंब हो गया है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि रेल लाइनों को बिछाने का कार्य शीघ्र समाप्त हो ताकि वहां पर विकसित होती आधारभूत सुविधाओं को बल मिले।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, मैं सरकार का ध्यान दलित इसाइयों की तर्कसंगत मांग की ओर दिलाना चाहता हूं जो अन्य दलितों को दिये गये सामजिक न्याय और समान अवसर उन्हें भी दिये जाने के बारे में है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि देश के लगभग 70 प्रतिशत ईसाई दलित ईसाई हैं। समाज के दलित और उपेक्षित वर्ग के इन लोगों के साथ दो तरह से भेदभाव किया जा रहा है। पहला अल्पसंख्यक ईसाइयों के रूप में तथा दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में। उन्हें मात्र इस कारण से पापी न समझा जाये कि उन्होंने पीढ़ियों से कतिपय सामाजिक बाध्यता के चलते ईसाईयत को अपनाया। भारत के पवित्र संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपना सकता है। किंतु यह एक विडंबना है कि एक ओर तो नव-बौद्धवाद अथवा सिख धर्म को अपना चुके दलित उन अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ ले रहे हैं जो दलितों को दिये जा रहे हैं तथा दूसरी ओर ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से पूर्णत: वंचित रखा जाता है।

जिस कड़वी सच्चाई से सरकार भी अपना ध्यान नहीं हटा सकती वह यह है कि धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा किये गये हमलों में मारे गये और उनका शिकार लोग दलित ही हैं। उड़ीसा में मारे गये छापों में अधिकांश शिकार हुये लोग इस वीभत्स सच्चाई का सबूत हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराने वाले अधिनियमों और विधानों से भी दलित ईसाइयों को वंचित किया गया है जबकि न्यायालयों द्वारा दिये गये कई निर्णयों में सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि इन विधानों और अधिनियमों का लाभ उन्हें भी दिया जाये। अत:, एक उपयुक्त विधान लाकर दलित ईसाइयों को वे अधिकार और विशेषाधिकार दिये जायें, जो दलितों को दिये गये हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बड़ागरा): महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान देश में राष्ट्रीय बचत योजना को मजबूती आरम्भ और संरक्षण देने संबंधी एक आकर्षक योजना के आरम्भ करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहती हूं।

राष्ट्रीय बचत योजना, जो नई आवधिक योजनाओं के साथ-साथ पहले काफी लोकप्रिय थी और बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरूप चलती थी, अब सरकार की नीतियों के कारण अपनी लोकप्रियता खो रही है।

योजनाओं की ब्याज दरें काफी कम कर दी गई हैं और निरन्तर मांग होने के पश्चात् भी, इसमें संशोधन नहीं किया गया

है। आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 7.5 प्रतिशत ब्याज और सावधि जमा पर 6 से 6.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है जबकि सभी वाणिज्यिक बैंकों में 11 से 11.5 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर है। वाणिज्यिक बैंक तथा निजी वित्तीय संस्थान भी बचतों खासकर निवेश करने वाली जनता की रुचि के अनुरूप सृजित लघु अवधि की जमाओं के अंतर्गत की जाने वाली बचत को काफी प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या लगातार घट रही है जिसके कारण वर्तमान जमाराशि को भी बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है इसके कारण राज्य सरकारों को मुहैया कराई गई ऋण सुविधा भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

एमआईएस बोनस को हटाए जाने, ब्याज दर में कमी होने और संस्थागत जमाओं आदि के न होने से पहले ही इस योजना की लोकप्रियता घट चुकी है जिसके कारण देश का राष्ट्रीय आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

अत:, मेरा वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय बचत योजना को सुदृढ़ करने और उसका पुनर्गठन करने के लिए तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत इस योजना को और आकर्षक बनाने हेतु तत्काल कदम उठाये।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): मैं सरकार का ध्यान वैश्विक आर्थिक मंदी के दृष्टिगत समुद्री मात्स्यिकी उद्योग को बल देने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करता हूं।

समुद्री मात्स्यिकी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो समुद्री उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है। दस लाख से अधिक लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। किंतु वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, समुद्री उत्पादों के निर्यात में 35 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आ गई है। अत:, यह उद्योग संकट में है। मेरे संसदीय क्षेत्र अलाप्पुझा में अरूर क्षेत्र, जिसे केरल राज्य में समुद्री उत्पादों के निर्यात का केन्द्र माना जाता है, को निर्यात उत्कृष्टता का नगर घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में, संपूर्ण उद्योग संकट में है। इस संकट पर काबू पाने के लिए, घरेलू व्यापार को प्रोत्साहित किया जाये। इसके अलावा, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के लिए कोई राहत पैकेज मुहैया कराये।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से बहकर हिन्दुस्तान में आने वाली नदियों में विगत कई वर्षों से बहुत ज्यादा बाढ़ आने लगी है। इस कारण मेरे जनपद में शारदा नदी में बाढ़ आने से जनपद खीरी और पीलीभीत में 20 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन, जो खेती लायक थी, बहुत कीमती जमीन थी, वह बर्बाद हो गयी। इस बाढ़ से हमारा सम्पूर्ण नगर और पलिया का बहुत महत्वपूर्ण टाउनशिप, चीनी मिलें, शारदा बैराज और पलिया में जो बड़ा महत्वपूर्ण रेल कम रोड ब्रिज है, उसे खतरा पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल इस संबंध में योजना बनाकर नदी के दोनों किनारों पर पक्के तटबंध और ठोकरे बनाकर नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने की कोशिश करें जिससे जनता और जो इम्पोर्टेंट इस्टेबिलशमैंट, प्रतिष्ठान हैं, उन्हें बचाया जा सके। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 42 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर जीएफसीसी को भेजी है। हम पहले भी कई बार इस चीज को सरकार के संज्ञान में ला चुके हैं। मुझे लगता है कि अब यह बहुत आवश्यक हो गया है कि तत्काल इस पर कार्य किया जाये जिससे क्षेत्रीय जनता और इस्टेबलिशमैंट को रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल 17 दिसम्बर, 2008 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.34 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 17 दिसम्बर, 2008/26 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री रनेन बर्मन	241
2.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री नवीन जिन्दल	242
3.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री नन्द कुमार साय	243
4.	श्री एस. अजय कुमार श्रीमती मिनाती सेन	244
5.	श्री वरकला राधाकृष्णन श्री हेमलाल मुर्मू	245
6.	श्री नरहरि महतो श्री चंद्रकांत खैरे	246
7.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	247
8.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ श्रीमती सुमित्रा महाजन	248
9.	श्री नरायण चन्द्र वरकटकी योगी आदित्यनाथ	249
10.	श्री महावीर भगोरा	250
11.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	251
12.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी	252
13.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री बापू हरि चौरे	253
14.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री रवि प्रकाश वर्मा	254
15.	श्री फ्रांसिस फैन्थम श्री अनंत कुमार	255
16.	प्रो. एम. रामदास श्री मदन लाल शर्मा	256
17.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	257
18.	श्री हंसराज गं. अहीर	258
19.	श्री मधु गौड यास्खी श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	259
20.	श्री उदय सिंह श्री कीरेन रिजीजू	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2479, 2481, 2514, 2540, 2629
2.	आचार्य, श्री प्रसन्न	2495
3.	आदित्यनाथ, योगी	2516, 2566, 2647
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2476, 2515, 2534, 2614, 2678
5.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	2487, 2595, 2600, 2622, 2672
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2596, 2663
7.	अजय कुमार, श्री एस.	2570, 2655
8.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2506, 2569, 2606, 2671
9.	अप्पादुरई, श्री एम.	2521
10.	अर्गल, श्री अशोक	2526
11.	आठवले, श्री रामदास	2512, 2539, 2618, 2680

1	2	3
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2460, 2547, 2560, 2580, 2643, 2672
13.	बर्मन, श्री हितेन	2512, 2552
14.	बर्मन, श्री रनेन	2512, 2552, 2594
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2554
16.	भगोरा, श्री महावीर	2550, 2558, 2575, 2649
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2594
18.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2505, 2519, 2591, 2658
19.	बोस, श्री सुव्रत	2651
20.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2485, 2571, 2650, 2674
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2488, 2581, 2674
22.	चालिहा, श्री किरिप	2522, 2601, 2667
23.	चन्द्र कुमार, प्रो.	2597
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2496, 2583, 2650, 2655
25.	चौरे, श्री बापू हरी	2594, 2604, 2650
26.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2470
27.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2480, 2516, 2609, 2621
28.	चौधरी, श्री पंकज	2499, 2585
29.	चौधरी, श्री अधीर	2543, 2585, 2624
30.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2583, 2650
31.	देव, श्री बिक्रम केशरी	2532, 2611
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2552, 2597, 2638, 2670
33.	डींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2513
34.	धोत्रे, श्री संजय	2492, 2650
35.	दत्त, श्रीमती प्रिया	2497
36.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2587, 2593, 2659, 2661
37.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2535
38.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2547, 2555, 2576, 2597, 2651, 2672
39.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2504, 2567, 2590, 2657
40.	गांधी, श्रीमती मेनका	2475, 2476, 2553, 2676
41.	गंगवार, श्री संतोष	2529, 2597, 2650
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2457
43.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2523, 2602, 2669
44.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2514
45.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2458, 2516, 2557, 2651
46.	जयाप्रदा, श्रीमती	2498, 2599, 2607, 2673
47.	जिन्दल, श्री नवीन	2565, 2639, 2646
48.	जोगी, श्री अजीत	2494, 2584, 2652
49.	कनोडीया, श्री महेश	2528, 2547, 2651
50.	करुणाकरन, श्री पी.	2542
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2475, 2495, 2559, 2642
52.	खां, श्री सुनील	2540
53.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	2511
54.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2585
55.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2454, 2455, 2491, 2563, 2645

1	2	3
56.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2456, 2517, 2576
57.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2550, 2637
58.	कृष्ण, श्री विजय	2518, 2599
59.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2505, 2519, 2589, 2615, 2679
60.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	2543
61.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2513
62.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2482, 2603
63.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2582, 2659
64.	महरिया, श्री सुभाष	2462, 2483, 2496, 2561, 2648
65.	महतो, श्री नरहरि	2588
66.	महताब, श्री भर्तृहरि	2510, 2619
67.	माझी, श्री परसुराम	2548, 2681
68.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2568, 2599, 2660
69.	मंडल, श्री सनत कुमार	2540, 2599
70.	माने, श्रीमती निवेदिता	2504, 2567, 2590, 2655, 2657
71.	मनोज, डा. के.एस.	2484, 2572, 2676
72.	मसूद, श्री रशीद	2526, 2536, 2616
73.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2580, 2587
74.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2574
75.	मैन्या, डा. टोकचोम	2515
76.	मिश्रा, डा. राजेश	2481, 2514
77.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2528, 2543, 2547
78.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2516, 2597
79.	मो. ताहिर, श्री	2597, 2624, 2633
80.	मंडल, श्री अबु अयीश	2500, 2610
81.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2589, 2656
82.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2489, 2599, 2608
83.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2490, 2636
84.	नन्दी, श्री अमिताभ	2525
85.	नायक, श्री अनन्त	2548
86.	निखिल कुमार, श्री	2493, 2585, 2627, 2665
87.	ओराम, श्री जुएल	2659
88.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2597, 2624, 2630, 2633
89.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2465, 2562, 2639, 2644, 2651
90.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2655
91.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2548, 2531, 2558, 2641, 2649
92.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2527, 2612, 2615, 2659, 2668
93.	पासवान, श्री सुकदेव	2587
94.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2480, 2501, 2516, 2541, 2622
95.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2502, 2586, 2639, 2654
96.	पाठक, श्री हरिन	2528, 2543, 2547
97.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2517
98.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2459
99.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2486, 2639
100.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2597, 2624, 2633
101.	पिंगले, श्री देविदास	2597, 2624, 2633
102.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2559, 2595, 2662

1	2	3
103.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2651
104.	राजगोपाल, श्री एल.	2531, 2556
105.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2467
106.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2551, 2651, 2656, 2659
107.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2455, 2493, 2599
108.	राणा, श्री काशीराम	2517, 2598, 2664
109.	रानी, श्रीमती के.	2649, 2661
110.	राव, श्री के.एस.	2466, 2508, 2543, 2578, 2597
111.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2521, 2599, 2600, 2666
112.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2520, 2594
113.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2537
114.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2503, 2639, 2657
115.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2538, 2617
116.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2464, 2496, 2505, 2589, 2615
117.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2487, 2595, 2626, 2657, 2664
118.	रिजीजू, श्री कीरेन	2579, 2641, 2659
119.	साय, श्री नन्द कुमार	2502, 2586, 2599, 2639
120.	सलीम, मोहम्मद	2473
121.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2478, 2625
122.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2503, 2620, 2639, 2657, 2668
123.	सेन, श्रीमती मिनाती	2569, 2659, 2665
124.	सेनथिल, डा. आर.	2519
125.	सेठी, श्री अर्जुन	2483
126.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2474, 2515, 2577, 2668
127.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2515, 2534, 2599, 2628, 2682
128.	शिवन्ना, श्री एम.	2475, 2631
129.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	2461, 2579
130.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2523, 2592, 2671
131.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2468
132.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2491, 2599, 2634
133.	सिंह, श्री गणेश	2463, 2505, 2585, 2653
134.	सिंह, श्री मोहन	2515
135.	सिंह, श्री रेवती रमन	2530, 2659
136.	सिंह, श्री सुग्रीव	2502, 2586, 2599, 2639, 2654
137.	सिंह, श्री सूरज	2677
138.	सिंह, श्री उदय	2476, 2675
139.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2528, 2547, 2651
140.	सोनोवाल, श्री सर्बानन्द	2509, 2613
141.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2453, 2564, 2594, 2601, 2656
142.	सुब्बारायण, श्री के.	2477, 2580, 2661, 2668
143.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2471, 2639
144.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2651
145.	सुमन, श्री रामजीलाल	2533, 2612, 2677
146.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	2472, 2576, 2599, 2622, 2636

1	2	3
147.	थामस, श्री पी.सी.	2492, 2574
148.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2501, 2517, 2544, 2600, 2616
149.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2461, 2490, 2579
150.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2502, 2524, 2605, 2650, 2670
151.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2508, 2524, 2620, 2635
152.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2541, 2544, 2595, 2598, 2626
153.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2516, 2640
154.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2475, 2526, 2536, 2600
155.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2515, 2534, 2545, 2573
156.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2504, 2590, 2655, 2657
157.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2516, 2595
158.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2597, 2624, 2633
159.	यादव, श्री मित्रसेन	2549, 2597
160.	यादव, श्री राम कृपाल	2587
161.	यास्खी, श्री मधु गौड	2504, 2567, 2590, 2655
162.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2507, 2524, 2585, 2623

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	241, 251, 252, 257, 258, 259
पृथ्वी विज्ञान	:	
गृह	:	242, 248, 249, 254, 260
मानव संसाधन विकास	:	243, 244, 245, 250, 255, 256
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	253
खान	:	246
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	247

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2462, 2463, 2464, 2468, 2488, 2491, 2498, 2504, 2508, 2509, 2516, 2518, 2520, 2523, 2528, 2533, 2534, 2535, 2547, 2548, 2554, 2556, 2567, 2581, 2592, 2594, 2605, 2606, 2611, 2612, 2620, 2630, 2633, 2646, 2649, 2650, 2652, 2662, 2663, 2664, 2667, 2669, 2672, 2674, 2682
पृथ्वी विज्ञान	:	2472, 2499, 2562, 2639
गृह	:	2454, 2456, 2459, 2465, 2473, 2477, 2478, 2484, 2486, 2487, 2490, 2500, 2501, 2505, 2506, 2507, 2512, 2514, 2519, 2521, 2522, 2526, 2530, 2536, 2538, 2539, 2541, 2544, 2552, 2553, 2557, 2558, 2564, 2566, 2568, 2576, 2582, 2583, 2587, 2595, 2598, 2599, 2601, 2602, 2610, 2613, 2616, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2631, 2635, 2641, 2644, 2647, 2651, 2656, 2658, 2659, 2660, 2665, 2675, 2678
मानव संसाधन विकास	:	2453, 2457, 2458, 2461, 2471, 2474, 2476, 2480, 2482, 2485, 2489, 2496, 2503, 2510, 2513, 2515, 2517, 2524, 2527, 2531, 2537, 2542, 2543, 2546, 2549, 2550, 2559, 2561, 2565, 2569, 2570, 2571, 2572, 2575, 2577, 2580, 2584, 2585, 2586, 2589, 2590, 2591, 2596, 2600, 2607, 2608, 2614, 2615, 2617, 2621, 2632, 2636, 2627, 2643, 2645, 2653, 2654, 2655, 2657, 2666, 2668, 2671, 2673, 2679
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2667, 2469, 2470, 2525, 2551, 2560, 2578, 2579, 2593, 2597, 2604, 2609, 2619, 2661, 2670, 2676, 2677

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।